चतुर्दश माला, खंड 34, अंक 26

मंगलवार, 29 अप्रैल, 2008
9 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 34 में अंक 21 से 28 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 34/26
Dated 13 Aug. 2009

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

कैलाश बैसोया
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 34, तेरहवां सत्र, 2008/1930 (शक)]

अंक 26, मंगलवार, 29 अप्रैल, 2008/9 वैशाख, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 502 से 506	3–45
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 501 और 507 से 520	45–78
अतारांकित प्रश्न संख्या 4955 से 5122	78–360
सभा पटल पर रखे गए पत्र	360–365
प्राक्कलन समिति	
विवरण	365
लोक लेखा समिति	
72वां से 74वां प्रतिवेदन	366
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
26वां, 29वां और 30वां प्रतिवेदन	366–367
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	
विवरण	367–368
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
16वां प्रतिवेदन	369
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
204वां से 210वां प्रतिवेदन	369–370
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी समिति	
185वां से 191वां प्रतिवेदन	370–371
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति	
25वां से 27वां प्रतिवेदन	371

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किये गये कार्य	371–373
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	373–374
(दो) भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	374–375
(तीन) रेल मंत्रालय से संबंधित रेल संबंधी स्थायी समिति के 32वें, 33वें और 34वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री आर. वेलु	375–376
(चार) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) से संबंधित उपकर विधि (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 74वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री जयराम रमेश	376
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2008	376–377
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) निजी कंपनियों द्वारा प्रयोग किये जा रहे कम बजट वाले यात्री और निजी विमानों को दी गई छूटों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री एल. राजगोपाल	387–388
(दो) कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय पैकेज दिये जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	388–389
(तीन) देश में मानव तस्करी पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री जे.एम. आरून रशीद	389–390
(चार) गुजरात में हीराकोट, सुतरापारा और धामलेज समुद्र तटों पर पक्के घाटों (जेट्टीज) का निर्माण किये जाने की आवश्यकता	
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	390
(पांच) लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री रायापति सांबासिवा राव	390–391

विषय — कॉलम

(छह) प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज गं. अहीर 391–392

(सात) राजस्थान में गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) वर्ग के लोगों के लिए गेहूं के कोटे को बहाल किये जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत 392–393

(आठ) ग्रामीण क्षेत्रों से वसूल किये गये राजस्व का एक हिस्सा गांवों के विकास के लिए पंचायतों को दिये जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना 393–394

(नौ) ''महाराष्ट्र राज्य बुनकर महामंडल'' के छंटनी किये गये कामगारों की बहाली के अतिरिक्त बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विधान लाए जाने की आवश्यकता

श्री शिशुपाल एन. पटले 394

(दस) ''जोधा अकबर'' फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीचन्द कृपलानी 394–395

(ग्यारह) केरल में मालापुझा बांध स्थल और उद्यान परियोजना के पुनरुद्धार की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एन. कृष्णदास 395

(बारह) उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सलेमपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक और बिलथारा रोड के दक्षिण की ओर एक ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 395–396

(तेरह) बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव 396

(चौदह) उड़ीसा के भील समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य 396–397

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और दांतन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-60 के दोनों ओर संपर्क मार्गों और सुरक्षा ग्रिल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा 397

(सोलह) झारखंड में धुर्वा स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन के बकायों का निपटान किये जाने की आवश्यकता

श्री मुन्शी राम 397–398

(सत्रह) आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में डा. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा को अपवित्र किए जाने में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ 398–399

(अठारह) असम सरकार को बोडो मीडियम वेंचर स्कूलों के लिए निधियां प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 399

विषय	कॉलम
वित्त विधेयक, 2008	399–452
श्री रायापति सांबासिवा राव	400–402
श्री शैलेन्द्र कुमार	403
श्री पी.सी. थामस	403–404
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	404–408
श्री पी. चिदम्बरम	408–433
खंड 2 से 120 और 1	433–451
पारित करने के लिए प्रस्ताव	452
कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प	452–454
श्री शिवराज वि. पाटील	452–454
संकल्प—*स्वीकृत*	454
जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, पुडुचेरी विधेयक, 2008	454–525
विचार करने के लिए प्रस्ताव	455
डा. अंबुमणि रामदास	455
श्री कीरेन रिजीजू	456–460
श्री एस.के. खारवेनथन	460–466
डा. रामचन्द्र डोम	466–470
श्री शैलेन्द्र कुमार	470–473
श्री ए. कृष्णास्वामी	473–475
श्रीमती अर्चना नायक	475–476
श्री एम. अप्पादुरई	476–478
श्री वीरेन्द्र पासवान	478–481
प्रो. एम. रामदास	481–491
श्री तापिर गाव	491–493
श्री फ्रांसिस फैन्थम	493–494
श्री फ्रांसिस के. जार्ज	494–497
डा. बाबू राव मिडियम	497–499
डा. करण सिंह यादव	499–501

विषय कॉलम

श्री रघुराज सिंह शाक्य 501–502

श्री राम कृपाल यादव 502–506

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 506–507

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 507–509

डा. के.एस. मनोज 509–512

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 512–515

श्री रामदास आठवले 515

खंड 2 से 32 और 1 524

पारित करने के लिए प्रस्ताव 524

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 543

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 544–548

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 549–550

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 549–550

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 29 अप्रैल, 2008/9 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): अध्यक्ष महोदय, कल प्रश्न काल के दौरान ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लीडर को बोलने दीजिए, आप बैठ जाइए।

श्री राजेश वर्मा: कल प्रश्न काल के दौरान माननीय कृषि मंत्री जी ने हाउस को मिसलीड किया। सूखे के बारे में सवाल-जवाब हो रहे थे। कृषि मंत्री जी ने सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश से सूखा राहत के संबंध में हमसे कोई भी मांग नहीं की गई, जबकि तीन-तीन पत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को लिखे हैं। हाउस को मिसलीड करना, हाउस के अंदर असत्य* बोलना, उसके प्रमाण सदन के उप-नेता के पास हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह शब्द निकाल दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ब्रजेश जी, आपके लीडर विषय को उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष जी, कल प्रश्न काल में चूंकि सप्लीमैंट्री सवाल मैंने पूछा था और उसके तथ्य भी मैंने आपके सामने रखे थे। मैंने आपसे सिर्फ एक मिनट का वायदा किया था, इसलिए मैं एक मिनट ही लेना चाहता हूं। कृषि मंत्री जी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी तरफ से उन्होंने सदन में बातें रखीं। यदि सदन में गुमराह करने वाली कोई बात कही जाए, हाउस को मिसलीड किया जाए, पूरे देश की जनता से असत्य* बोलने का काम किया जाए, हमारे पास प्रमाण हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह शब्द मत बोलिए।

श्री ब्रजेश पाठक: पहली चिट्ठी उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री ने 6.12.2007 को लिखी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार सुन रही है।

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय कृषि मंत्री का कहना कि पत्र नहीं लिखा गया, यह सत्यता से परे है। 6.12.2007 को पत्र लिखा गया और उसकी रिसीविंग भी कृषि मंत्री के कार्यालय में श्री कृष्ण नाम के कर्मचारी ने की है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किसी मंत्री जी ने कोई बात सही नहीं कही, उसके लिए भी कोई उपाय है, रूल है, प्रावधान है। उसके अंतर्गत लिखकर दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: दूसरा पत्र 1 जनवरी, 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार के राहत आयुक्त ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सूखा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बात अभी नहीं कीजिए। अभी उनके जवाब देने का समय है।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: तीसरा पत्र उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने भारत सरकार के कृषि मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री जी को लिखा। इसके बाद भी उसे संज्ञान में नहीं लिया गया और हाउस को मिसलीड करने का काम किया गया, जो सत्यता से परे है।

मैं तीसरी बात बताना चाहता हूं कि 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज जो उत्तर प्रदेश की जनता, बुंदेलखंड की जनता करा रही थी, वह पैसे न देकर इन्होंने सदन को गुमराह करने का काम किया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। आप जो बोलना चाहते हैं, ठीक है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप धीरे से बोलिए।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ब्रजेश पाठक: मैं मांग करता हूं कि जिन मंत्री महोदय ने सदन में सत्यता से परे की बात को बोला है, उनके खिलाफ प्रिविलेज की कार्यवाही करने का काम करें। ...*(व्यवधान)* मैं आपको प्रिविलेज का नोटिस दूंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम नहीं कर सकते। माननीय सदस्यगण, आप जानते हैं कि रूल में क्या प्रोवीजन है। आप देखें, क्या करना है।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक: ऐसे माननीय मंत्री जी के खिलाफ प्रिविलेज के तहत गंभीर कार्यवाही की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

प्रश्न 501–श्री रामदास आठवले-उपस्थित नहीं।

प्रश्न 502–श्री बृज किशोर त्रिपाठी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सीमेंट संयंत्र

***502.**+ **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007–08 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने सीमेंट संयंत्रों को बन्द किया गया;

(ख) आज की तारीख के अनुसार, प्रत्येक राज्य में कितने सीमेंट संयंत्र काम कर रहे हैं;

(ग) आज की तारीख के अनुसार देश में सीमेंट की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) विद्यमान सीमेंट संयंत्र देश में सीमेंट की घरेलू मांग को किस सीमा तक पूरा कर पाए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में बंद पड़े सीमेंट संयंत्रों को पुन: चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ङ) वर्ष 2007–08 में कोई सीमेंट संयंत्र बंद नहीं किया गया है।

(ख) सीमेंट संयंत्रों का विवरण, उनकी क्षमता एवं उत्पादन का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) सीमेंट विनिर्माता संघ द्वारा रखे गये आंकड़ों के अनुसार, 2007–08 के दौरान सीमेंट का कुल उत्पादन 168.31 मिलियन टन था। ऐसा प्रतीत होता है कि सीमेंट की मांग उसकी आपूर्ति से अधिक है।

अनुबंध

(000' टन)

राज्य/संयंत्र	स्थापित क्षमता	सीमेंट उत्पादन
1	2	3
उत्तराखंड		
अंबुजा सीमेंट-रुड़की (जी)	1000.00	226.59
हरियाणा		
चरखी दादरी	172.00	-
जेपी-पानीपत (जी)	1000.00	47.29
ग्रासीम-पानीपत (जी)	1300.00	2.32
पंजाब		
अंबुजा सीमेंट रोपड़ (जी)	2500.00	2788.21
अंबुजा सीमेंट भटिंडा (जी)	500.00	608.52
ग्रासिम भटिण्डा (जी)	1750.00	1330.70
राजस्थान		
लखेरी	600.00	907.06

1	2	3
बिरला एंड चंदेरिया	2000.00	2512.21
मंगलम सीमेंट	400.00	511.30
नीरश्री सीमेंट	600.00	995.79
आदित्य सीमेंट	1800.00	2126.70
निम्बाहेड़ा एंड मंगरोल	4050.00	3690.73
लक्ष्मी सीमेंट	3400.00	3422.13
जेके उदयपुर उद्योग	900.00	-
अंबुजा सीमेंट-रावियावास	1800.00	1844.31
श्री सीमेंट	9100.00	6337.10
बिनानी सीमेंट	2200.00	2958.44
श्रीराम सीमेंट	200.00	368.97
जे.के. गोटन	100.00	75.13
हिमाचल प्रदेश		
गागल-1 एवं 2	4400.00	4162.60
राजबन	200.00	160.16
अंबुजा सीमेंट-एचपी	1600.00	1231.59
दिल्ली		
दिल्ली (जी)	500.00	-
जम्मू और कश्मीर		
जे एण्ड के लि.	200.00	155.30
असम		
बोकाजन	200.00	134.01
मेघालय		
मावमलूह चेरा	200.00	84.34
मेघालय सीमेंट लि.	297.00	464.55
सीमेंट मैन्यू. कं. लि.	1056.00	725.20

1	2	3
बिहार		
कल्याणपुर सीमेंट	1000.00	538.70
झारखण्ड		
चाईबासा	8700.00	720.58
सिन्दरी	600.00	874.00
लाफार्जे-जोजोबेरा (जी)	3000.00	2993.29
लेमोस सीमेंट	109.00	-
सोने वेली	254.00	-
उड़ीसा		
अल्ट्राटेक-जेसीडब्ल्यू (जी)	1000.00	880.49
ओसीएल इंडिया लि.	1800.00	2000.00
बारगढ़ सीमेंट वर्क्स	960.00	996.78
पश्चिम बंगाल		
दामोदर सीमेंट वर्क्स (जी)	;25.00	503.25
दुर्गापुर (जी)	600.00	499.68
अंबुजा सीमेंट-संकरेल (जी)	1000.00	1206.34
अल्ट्राटैक-डब्ल्यूबीसीडब्ल्यू (जी)	1200.00	1059.86
दुर्गा हाइटैक सीमेंट (जी)	1000.00	110.47
अंबुजा सीमेंट-फरक्का (जी)	1000.00	181.92
छत्तीसगढ़		
जामुल	1584.00	1242.51
सेंचुरी सीमेंट	2100.00	1906.74
ग्रासिम सीमेंट, रायपुर	2500.00	2043.16
अकालतारा	400.00	-
मंधर	380.00	-
आरासमेटा	1600.00	1508.71
अल्ट्रा टेक-एचसीडब्ल्यू	1900.00	1695.44
अम्बुजा सीमेंट-भाटपारा	1000.00	988.07

1	2	3
लाफार्ज सोनादिह	550.00	487.69
आंध्र प्रदेश		
केसोराम सीमेंट	1200.00	1199.91
ओरिएन्ट	2400.00	1485.39
जुआरी सीमेंट	2200.00	1957.10
आदिलाबाद	400.00	–
तन्दूर	1000.00	615.00
विजयवाडा (जी)	240.00	–
विजाग (जी)	500.00	382.50
नाडिकुडे दुर्गा सीमेंट	1000.00	738.11
चिलामकुर वर्क्स	1450.00	1312.00
विसाका सीमेंट	1120.00	1147.98
येरागुन्टला	520.00	580.15
रासी सीमेंट	2300.00	2511.00
श्री विष्णु सीमेंट	1200.00	1324.55
जयन्तीपुरम	1600.00	1426.82
अल्ट्राटेक-एपीसीडब्ल्यू	2000.00	2142.78
किस्टना	214.00	–
केसीपी लि.	660.00	737.04
पनयाम सीमेंट	531.00	471.11
रेन कम्बट. लि.-यूनिट-1	1000.00	1072.51
पन्ना ताडीपात्री 1 और 2	1500.00	1667.33
पन्ना-गणेशपहाड़	1000.00	1134.85
माई होम इण्डस्ट्रीज लि.	2760.00	2509.44
रेन कम्बट. लि.-यूनिट-2	500.00	543.25
तमिलनाडु		
मदुक्कराई	960.00	879.77

1	2	3
ग्रासिम साउथ	1400.00	1350.76
संकर नगर	1800.00	1801.66
संकरीदुर्ग	600.00	610.01
दालावोई	1850.00	1271.65
एलनगुलम	400.00	139.20
अरियलूर	500.00	532.80
रामसमीराजा नगर	750.00	1216.06
अलथियूर वर्क्स	3120.00	2948.71
चेटीनाड-करूर एंड करिक्क	1800.00	2905.69
डालमिया सीमेंट	3500.00	3293.74
अल्ट्रा टेक-एआरसीडब्ल्यू (जी)	1100.00	973.02
कर्नाटक		
वाडी	2110.00	1593.97
सवदत्ता सीमेंट	3650.00	3280.14
राजश्री मालखेद	3200.00	2958.38
मैसूर सीमेंट	570.00	317.50
कुर्कन्टा	200.00	–
शाहबाद	476.00	–
बागलकोट उद्योग लि.	330.00	-
वाडी न्यू	2600.00	2624.48
केरल		
मालाबार सीमेंट	420.00	444.13
मालाबार सीमेंट (जी)	200.00	124.83
गुजरात		
श्री दिगविजय-सिक्का	1075.00	805.35
सौराष्ट्र सीमेंट	1164.00	1405.29
गुजरात सिधी सीमेंट	1200.00	1267.51
पोरबन्दर	198.00	–

1	2	3
अल्ट्रा टेक-गुजरात	5800.00	3626.15
जाफराबाद	500.00	384.57
मागदल्ला (जी)	700.00	549.17
अंबुजा सीमेंट	1500.00	1459.51
गजअंबूजा सीमेंट	3000.00	3232.87
संघी इण्डस्ट्रीज लि.	2600.00	2520.12
अंबुजा सीमेंट-मगदल्ली जी	1000.00	144.43
महाराष्ट्र		
चन्दा	1000.00	1199.31
मानिकगढ़ सीमेंट	1900.00	1634.51
राजश्री-होतगी (जी)	1800.00	1800.00
अल्ट्राटेक-एसीडब्ल्यू	3600.00	3383.56
रत्नागिरी सीमेंट (जी)	400.00	374.10
इण्डो रामा (जी)	1000.00	667.00
ओरिएन्ट सीमेंट-जलगांव (जी)	1000.00	926.61
मराठा सीमेंट	2400.00	3374.85
उत्तर प्रदेश		
टिकारिया (जी)	2000.00	2445.87
बिड़ला सीमेंट-रायबरेली (जी)	630.00	542.32
डायमंड सीमेंट-झांसी (जी)	500.00	756.73
चुर्क	-	-
डल्ला	432.00	-
चुनार (जी)	1500.00	39.07
जेपी-सदवा खुर्द (जी)	600.00	605.60
जेपी-अयोध्या (जी)	1000.00	908.35
ग्रासीम दादरी (जी)	1300.00	0.05

1	2	3
मध्य प्रदेश		
किमोर	1700.00	1856.12
बिरला विकास एवं सतना	1550.00	1613.10
माइहार सीमेंट	3800.00	3357.15
विक्रम सीमेंट	3000.00	3750.50
डायमंड सीमेंट	1025.00	1127.69
नीमच	400.00	-
जेपी रीवा	3000.00	3252.96
जेपी बेला	2400.00	2336.91
प्रिज्म सीमेंट	2510.00	2429.38
आल इंडिया	188972.01	168310.91

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का उत्तर हम लोगों के लिए काफी निराशाजनक है। सरकार के पास उत्पादन तथा अधिष्ठापित क्षमता के संबंध में कोई आंकड़े नहीं हैं। तथापि, वे सीमेंट उत्पादक संघ के वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं।

तथापि, मेरे लिए क्षमता वृद्धि के लिए देश की आवश्यकता तथा मांग ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 100 मिलियन टन का अनुमान है। देश के सभी सीमेंट संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता दिये गये उत्तर के अनुसार लगभग 188972.01 मिलियन टन का अनुमान है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: उत्पादन इसकी क्षमता की तुलना में 168310.91 मिलियन टन है। ऐसा प्रतीत होता है कि सीमेंट उद्योग अपनी पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उत्पादन नहीं कर रहा है तथा अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहा है। मांग बढ़ रही है तथा मूल्य भी ऊपर जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आवश्यक कार्य करेगी तथा सीमेंट उद्योग के विनिर्माताओं से कहेगी कि उद्योग कम से कम अपनी पूरी क्षमता उपयोग तक

पहुंचने के लिए सीमेंट का उत्पादन करें तथा क्या सरकार पर्यावरणीय मंजूरी, खनन पट्टों तथा अवसंरचना विकास के संबंध में सीमेंट उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें, आप तीन-चार प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सीमेंट उत्पादक अपनी पूरी क्षमता के बराबर उत्पादन नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक ही बात को दोहरा रहे हैं।

श्री अश्विनी कुमार: मैं आपके माध्यम से माननीय सभा तथा सदस्यों को बताना चाहूंगा कि क्षमता उपयोग के संबंध में माननीय सदस्य के प्रथम प्रश्न के संबंध में, मुझे बताया है कि अधिष्ठापित क्षमता के लगभग 96 प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है जो किसी भी मापदंड से बहुत अच्छा क्षमता उपयोग है। वस्तुत: कुछ संयंत्रों में तो वृहत्तर क्षमता उपयोग किया जा रहा है। कभी-कभी संयंत्र तथा मशीनरी के बंद होने के कारण बाधा आने से सीमेंट के उत्पादन में अस्थायी रोक जरूर लग जाती है लेकिन कुल मिलाकर इस समय यह बात सीमेंट उत्पादकों के हित में है कि वे अधिक से अधिक उत्पादन करें क्योंकि वे जितना भी सीमेंट उत्पाद करेंगे वह उसे बेच सकते हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, यथा, सीमेंट उत्पादन की क्षमता वृद्धि में बाधाओं को दूर करने का संबंध है, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तीन बाधाओं की पहचान की गई जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया जिसमें कोयला लिंकेजेज, पट्टे तथा पर्यावरणीय मंजूरी देने में विलम्ब शामिल था। हमारा मंत्रालय अन्य संबद्ध मंत्रालयों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए सहयोग कर रहा है ताकि ये बाधाएं दूर हों। यह राष्ट्रीय हित में है कि ये बाधाएं दूर हों।

माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि इन सबके अलावा, हम सीमेंट उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता को मानते हैं। मूल्य को स्थिर करने के लिए हम पाकिस्तान से सीमेंट आयात कर रहे हैं। हमने 10,000 टन आयात किया है; आगामी दो माह में 36000 टन सीमेंट का आयात किया जाएगा। अतएव, कुल मिलाकर ऐसे उपाय करना जिनमें आयात को प्रोत्साहन तथा उसे सुकर बनाना शामिल है, सीमेंट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना तथा उत्पादन क्षमता वृद्धि तीन सूत्री मंत्र है जो हमने सीमेंट मूल्यों को स्थिर रखने तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाया है।

अध्यक्ष महोदय: अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए। आप तीन प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं परन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीमेंट का मूल्य बढ़ रहा है तथा हर व्यक्ति परेशान है। आम आदमी भी परेशान है; निर्माण क्षेत्र परेशान है; हर व्यक्ति इस मूल्य वृद्धि से परेशान है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, श्री आठवले।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, जनवरी 2007 में सीमेंट का मूल्य 165 रुपया प्रति बोरा था। अब जनवरी, 2008 में यह 206 रुपये है। अब इन दो-तीन माह में यह कीमत और ज्यादा हो गई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, आप अनुपस्थित थे जब मैंने आपका नाम पुकारा था।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आठवले जी, यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमपीटीपीसी) तथा अन्वेषण तथा पंजीकरण महानिदेशक (डीजीआईआर), उन्हें भी सतर्कता गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बृज किशोर त्रिपाठी जी, यह क्वैश्चन ऑवर है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन दो संगठनों से कहेगी। यद्यपि ये संगठन स्वायत्त प्रकृति

के हैं लेकिन क्या सरकार इन दो संगठनों से अनुरोध करेगी क्योंकि विगत में, ये दो संगठन मूल्य बढ़ाने में काफी सहायक रहे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः नहीं, कृपया, मंत्री ने विस्तृत उत्तर दिया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः वे उद्योग को यह देखने के लिए कहें कि मूल्य किस प्रकार स्थिर हों। सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः अतएव, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय भी देखेंगे तथा इन दोनों संगठनों, एमआरटीपीसी तथा डीजीआईआर, से कार्य करने का अनुरोध करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री, कृपया 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दें।

श्री अश्विनी कुमारः मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं, जैसाकि मैं समझता हूं कि वे पूरी तरह अवगत होंगे, यह सच है कि एमआरटीपीसी ने दो प्रमुख सीमेंट उत्पादकों के खिलाफ रोक तथा विराम आदेश पारित किया है, परन्तु यह भी उतना ही सच है कि उनमें से एक माननीय उच्चतम न्यायालय में चले गए तथा उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश पर रोक लगा दी है। तथापि, जहां तक संघीकरण को रोकने के प्रयास का संबंध है, हमारा मंत्रालय इस मामले पर पूरी नजर रखे हुए है। हमने सीमेंट उत्पादकों के साथ बार-बार बात की है तथा उन्हें बताया है कि उन्हें लाभ लेने से रोका नहीं जाएगा। किन्तु मुनाफाखोरी पर आपत्ति की जाएगी तथा संघीकरण पर पूर्ण रोक लगाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदयः श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी–उपस्थित नहीं।

प्रो. रासा सिंह रावत।

[हिन्दी]

प्लीज कम शब्दों में केवल अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो. रासा सिंह रावतः महोदय, यह एक कटु सत्य है कि देश के अंदर मांग के अनुसार सीमेंट की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और जितना हमारा उत्पादन अपेक्षित है, वह नहीं हो रहा है। यह भी सच है कि सीमेंट के भाव आसमान छू रहे हैं। पिछले दिनों एमआरटीपी ने भी और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन्स ने मिलकर यह तय किया है कि सीमेंट के भावों को नियंत्रित करने के लिए, उत्पादन को कैपेसिटी के अनुसार पूरा कराने के लिए और उसे विनियमित करने के लिए, जिस प्रकार दूरसंचार और लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में प्राधिकरण हैं, उसी प्रकार एक सीमेंट रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हो। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी रेगुलेटरी अथारिटी की स्थापना किये जाने के बारे में सरकार सचेष्ट है, क्या इसके लिए कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि प्राप्त हुए हैं, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री अश्विनी कुमारः महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि इस तरह के एक-दो संस्थानों से अभ्यावेदन आए हैं और वे सरकार के विचाराधीन हैं। लेकिन आज की स्थिति को पूरी तरह समझते हुए, देखते हुए ऐसी जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि एक अन्य सीमेंट रेगुलेटरी अथारिटी बने क्योंकि कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए और भी प्रावधान हैं। एमआरटीपी अपना काम कर रही है और आने वाले समय में कंप्टीशन कमीशन का गठन भी हमने किया है। लेकिन अगर किसी वक्त यह जरूरत समझी जाती है कि अनुचित कीमतों पर काबू पाने के लिए इसकी जरूरत है तो इस पर अवश्य विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब श्री एन.एस.वी. चित्तन। कृपया एक छोटा, संक्षिप्त एवं सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री एन.एस.वी. चित्तनः महोदय, मंत्री के उत्तर में कहा गया है कि: "सीमेंट विनिर्माता एसोसिएशन द्वारा रखे गए आंकड़े के अनुसार...." महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मुझसे।

श्री एन.एस.वी. चित्तनः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार सीमेंट विनिर्माता एसोसिएशन के आंकड़े पर क्यों निर्भर कर रही है। क्या सरकार के पास अपना आंकड़ा नहीं है।

हमारे देश में सीमेंट की सतत मांग है। हमारे देश में सीमेंट उत्पादन पर्याप्त नहीं है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार सीमेंट की आपूर्ति बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री अश्विनी कुमारः महोदय, जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, मैंने विस्तार में उत्तर दिया है कि हम सीमेंट की आपूर्ति और इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक उपाय कर रहे हैं जिनमें आयात, क्षमता संवर्धन और निर्यात प्रतिबंध शामिल हैं।

जहां तक आंकड़े के स्रोत का प्रश्न है, सीमेण्ट विनिर्माता एसोसिएशन एक मान्यता प्राप्त निकाय है जो सरकार को स्थापित क्षमता, उत्पादन और उत्पाद शुल्क के संबंध में आंकड़े देता है। हम विभिन्न स्रोतों से आंकड़ा एकत्रित करते हैं परन्तु अब तक हमने पाया है कि कुल मिलाकर, हमें उपलब्ध कराए गए आंकड़े विश्वसनीय होते हैं। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसकी जांच नहीं करते हैं। हम अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों से इसे मिलाते हैं।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने सभा के अंदर और सभा के बाहर भी यह कहा है कि सीमेंट उद्योग एक गठजोड़ के रूप में कार्य कर रहा है और कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ा रहा है। इसके तत्काल बाद, वाणिज्य मंत्रालय से एक विरोधाभासी वक्तव्य आया है। इसलिए मैं वाणिज्य मंत्री से इस संबंध में उनकी राय जानना चाहूंगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे एक गठजोड़ बनाकर कार्य कर रहे हैं और यदि वे एक गठजोड़ के तहत ही कार्य कर रहे हैं तो सरकार इस गठजोड़ को तोड़ने हेतु क्या कदम उठा रही है?

श्री अश्विनी कुमार: महोदय, हमने बार-बार यह बताया है कि किसी भी स्थिति में कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाना अथवा ऐसे गठजोड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वस्तुतः एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग से सम्बद्ध महानिदेशक, अन्वेषण ने एक जांच शुरू की थी और प्रथम दृष्ट्या दो कम्पनियों को कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाने के कार्य में संलिप्त पाकर उनके विरुद्ध 'प्रकिरत और विरत' आदेश पारित किया। किन्तु उनमें से एक कम्पनी अपील में चली गयी है तथा उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश के विरुद्ध रोक लगाई है। माननीय सदस्य यह बात मानेंगे कि गठजोड़ का होना अथवा न होना अंततः तथ्य के निष्कर्ष पर निर्भर करता है। हमारा विश्वास है कि न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण अपील पर विचार के लिए सही प्राधिकरण है। किन्तु महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी ओर से सभी माननीय सदस्यों और इस सभा को आश्वस्त करता हूं कि यह सरकार गठजोड़ तथा कीमतों में कृत्रिम बढ़ोतरी को रोकने के प्रति सचेत है और हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं होगी।

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान: अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा विषय है कि इस पर काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाएं।

[अनुवाद]

यह तरीका नहीं है। आप इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप जैसे वरिष्ठ सदस्यगण ऐसा करते हैं तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री नन्द कुमार साय के अनुपूरक प्रश्न के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या बात है, आप लोग इतने सीनियर मेम्बर्स हैं। आप लोग बैठ जाएं। आपकी पार्टी के ही सदस्य का अगला प्रश्न है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: खेद है, यह तरीका नहीं है। यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं और यदि आप इस पर आगे और चर्चा करना चाहते हैं तो आप 'आधे घंटे की चर्चा' की मांग कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैंने अनेक बार विभिन्न प्रश्नों पर 'आधे घंटे की चर्चा' की अनुमति दी है। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक 'आधे घंटे की चर्चा' की अनुमति दी है। आप फिर भी सभा को बाधित कर रहे हैं। आपको पता है कि इसे उठाने हेतु एक नियम है। कृपया वैसे ही करें। मैं ऐसे सभी प्रयासों का स्वागत करता हूं।

श्री संतोष गंगवार: धन्यवाद, महोदय। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: महोदय, मुझे अपना प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, यदि आप पुनः खड़े होते हैं तो मैं आपको बाहर जाने और वहां जाकर आराम करने को कह सकता हूं। श्री आठवले, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप समय पर नहीं आए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामदास आठवले: महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: रिक्वेस्टिंग का भी रूल है।

[अनुवाद]

यदि मध्याह्न 12.00 बजे तक सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तो मैं पुन: आपका नाम पुकारूंगा। अभी आप रैस्ट कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 503, श्री सुग्रीव सिंह-उपस्थित नहीं।

श्री नन्द कुमार साय।

विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार

***503.+ श्री नन्द कुमार साय:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार'' नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों में विज्ञान की शिक्षा दिए जाने संबंधी कार्य की जांच करने हेतु कोई तंत्र मौजूद है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने देश में विज्ञान की शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 1992 में यथा-संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यथा-परिकल्पित विज्ञान की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और वैज्ञानिक अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1987-88 से ''विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार'' की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विज्ञान किटों की आपूर्ति करने, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना करने अथवा मौजूदा प्रयोगशालाओं को स्तरोन्नत करने, पुस्तकालय सुविधाओं की व्यवस्था करने और विज्ञान तथा गणित के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए सहायता प्रदान की गई थी। विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक और नवाचारी कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए भी स्वैच्छिक अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

(ग) ''विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार'' की पूर्ववर्ती स्कीम जो ''विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार'' की समग्र स्कीम का एक घटक थी, को दिनांक 1.4.2006 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गई है। इसलिए वर्ष 2006-07 और 2007-08 में किसी प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं की गई थी।

(घ) से (च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 1995 में विद्यालयों में वैज्ञानिक वातावरण बनाने तथा विज्ञान और गणित के शिक्षण-अध्ययन की गुणवत्ता में सुधार करने पर इस स्कीम के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन किया था। इस अध्ययन रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि यह स्कीम अत्यधिक सफल रही है और इसमें विद्यालयों में वैज्ञानिक वातावरण बनाने की पर्याप्त संभावित क्षमता है। 10वीं योजना के दौरान इस स्कीम को ''विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार'' की समग्र स्कीम का एक भाग बनाया गया था और इसका परिव्यय भी बढ़ाया गया था। इस समय यह स्कीम राज्य क्षेत्र की स्कीम है।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि साइंस एजुकेशन एवम् रिसर्च के कार्यों में जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया गया है? इसी के साथ मेरा दूसरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: दूसरा प्रश्न बाद में आएगा। आप एक-एक करके प्रश्न पूछें।

श्री नन्द कुमार साय: इसी के साथ ही जुड़ा हुआ प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: जुड़े हुए तो दस प्रश्न होते हैं।

श्री नन्द कुमार साय: पूरे देश में रिसर्च के लिए एक या दो इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या ये देश के लिए पर्याप्त हैं और इसी तरह साइंस में एक लाख लोगों में से सिर्फ 110 ही साइंस के रिसर्च कार्यों में लगे हुए हैं, क्या यह पर्याप्त है और भारत सरकार इस बारे में क्या सोच रही है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, यह स्कूल एजुकेशन से रिलेटिड प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, कौन हमारी बात को सुनता है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अगर सांसद महोदय स्कूल एजुकेशन से बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय: जो इसमें आता है, वही कहें।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: नेशनल स्कूल पालिसी आफ एजुकेशन 1986 के तहत पूरे मुल्क के अंदर 1987 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। उसमें भारत सरकार राज्यों की मदद करती थी। इम्प्रूवमेंट आफ साइंस एजुकेशन के तहत अपर प्राइमरी के स्कूल्स को साइंस किट दी जाती थी। उसके बाद सेकंडरी और हायर सेकंडरी के स्कूल्स को लाइब्रेरी और लैब के लिए पैसा मुहैया कराया जाता था। इसके अलावा जो वालयेंटरी एजेंसीज थीं, उन्हें भी पैसा दिया जाता था ताकि वे स्कूल्स के अंदर साइंस एजुकेशन के लिए कुछ कर सकें। पूरे मुल्क में जिन-जिन राज्यों और यूनियन टैरीटरीज से केन्द्र सरकार को रिक्वैस्ट आई, उन सबको मदद दी गई। अब इस योजना को रिवैम्प किया जा रहा है और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन स्कूल नाम से नई स्कीम शुरू की गई है, जिसमें और भी कम्पोनेंट जोड़े गए हैं। सन् 2006 में उस पुरानी स्कीम को बंद करके नए नाम से स्कीम शुरू की गई है, जिसकी जानकारी सभी राज्यों को दे दी गई है।

श्री नन्द कुमार साय: अध्यक्ष महोदय, 1987 में केन्द्रीय योजना जो आपने लागू की थी, उसे बंद करके नए नाम से और नये सिरे से इसे लागू कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक के उसके क्रियान्वयन और कार्यों की समीक्षा की है? छत्तीसगढ़ से गत तीन वर्षों में इस संबंध में कितने प्रस्ताव पारित हुए, उनमें से कितनों को आपने स्वीकार किया और जिन्हें अस्वीकार किया, उन्हें कब तक स्वीकार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: यह दूसरा विषय है। आप तो स्टेट सेक्टर में चले गए हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: एनसीईआरटी ने 1985 में पूरे मुल्क में एक सर्वे कराया था। उसमें पाया गया कि जो यह योजना चलाई जा रही थी, काफी यूजफुल है। उसमें अपर प्राइमरी के बच्चों को, सेकंडरी और हायर सेकंडरी के बच्चों को काफी फायदा पहुंचा था। उसके बाद पुनः 2002 में आल इंडिया एजुकेशन सर्वे कराया गया, जिसमें पाया गया कि हायर सेकंडरी के 95.83 प्रतिशत स्कूल्स में लैब्स मौजूद हैं और सेकंडरी के 65 प्रतिशत स्कूल्स में लैब्स मौजूद हैं। जैसा मैंने बताया कि इस स्कीम को कम्पोजिट स्कीम बनाकर, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और पुरानी स्कीम को अब बंद कर दिया गया है।

डा. करण सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, विज्ञान की शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं के बराबर है। ग्रामीण क्षेत्रों के 90 प्रतिशत सीनियर सैकिंडरी स्कूलों में विज्ञान का विषय नहीं है और जिन 10 प्रतिशत स्कूलों में विज्ञान का विषय है, वहां विज्ञान पढ़ाने वाले टीचर्स और लेक्चरर्स उपलब्ध नहीं हैं। टीचर्स और लेक्चरर्स उपलब्ध हैं तो विज्ञान की लेबोरेट्रीज नहीं हैं। मैं समझता हूं कि समूचे ग्रामीण भारत में जो बच्चे विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है। यह राज्य सरकार का मामला है, लेकिन केन्द्र सरकार को भी इस पर गहराई से ध्यान देना होगा। मैं आपको एक ऐसे गांव की जानकारी देना चाहता हूं जहां गांव के लोगों ने, खुद के पुरुषार्थ से, गांव में कमेटी बनाकर, सरकारी स्कूलों में, अपने साधनों से, अध्यापक रखकर विज्ञान की शिक्षा के लिए स्कूल खुलवाए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अब जब सर्व-शिक्षा अभियान में, माध्यमिक शिक्षा को लिया जा रहा है, तो क्या इसमें कोई विशेष प्रावधान करेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, कुछ विशेष बजट इस बात के लिए देंगे?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, जितने भी प्रपोजल्स हमारे पास हैं ये स्टेट और यूनियन टैरेटरी से आते हैं। उनका अध्ययन करने के बाद, जो भी मदद राज्यों की हम कर सकते हैं, वह करते हैं। जहां तक गांवों के अंदर, सर्व-शिक्षा-अभियान में कुछ प्रावधान किये जाने की बात है तो इसी साल, नये बजट के अंदर, हमने कम्प्यूटर एजुकेशन के लिए, सर्व-शिक्षा अभियान में 50 लाख रुपये प्रति जिला उपलब्ध कराने का काम किया है। दसवें प्लान में, जहां सैकिंडरी एजुकेशन में 4325 करोड़ रुपये का बजट था, ग्यारहवें प्लान में 53560 करोड़ रुपये का बजट एलोकेशन हुआ है। सक्सैस के नाम से एक बड़ी स्कीम तैयार की जा रही है, जहां और चीजों के साथ-साथ साइंस, कम्प्यूटर एजुकेशन या

जो भी इम्प्रूवमेंट सैकिंडरी एजुकेशन में हो सकता है, उसका ध्यान रखकर यह स्कीम लाई जाएगी।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, वर्तमान में हमारे विद्यालय जिस मुख्य समस्या से जूझ रहे हैं वह है विज्ञान शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधा की कमी। केन्द्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत 'आपरेशन ब्लैकबोर्ड' नाम से विज्ञान प्रयोगशाला के विकास हेतु प्रति विद्यालय 50,000 रु. आवंटित किये हैं। आधुनिक विज्ञान की शिक्षा हेतु यह धनराशि बिल्कुल अपर्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय: अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: केरल में चूंकि प्लस 2 की शिक्षा उच्च विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत है, प्लस 2 के विज्ञान को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाता है तथा निधि की कमी की वजह से उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालयों की उपेक्षा होती है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि प्रयोगशालाओं के विकास हेतु और अधिक निधियां आवंटित करने हेतु कोई नयी योजना है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, जैसे मैंने बताया कि एक नयी स्कीम ''क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन स्कूल्स'' के नाम से लाई जा रही है, जिसके अंदर

[अनुवाद]

विद्यालय में विज्ञान शिक्षा में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड, विद्यालय शिक्षा को पर्यावरणोन्मुख बनाना, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, विद्यालय में योग को बढ़ावा देना शामिल है।

[हिन्दी]

यह कम्पोजिट स्कीम बनायी जा रही है और इसकी जिम्मेदारी अब राज्यों को दी जा रही है कि वे इसको चलाएं।

[अनुवाद]

श्री मोहन रावले: महोदय, हमारे हिन्दुस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति, महामहिम डा. अब्दुल कलाम ने कहा है, ''प्रत्येक विद्यार्थी के भीतर में एक वैज्ञानिक होता है।''

[हिन्दी]

जैसे माननीय सदस्य अब्दुल्लाकुट्टी जी ने भी प्रश्न पूछा था।

लेकिन मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया कि लेबोरेट्रीज को ऐन्हांस करने के लिए जो फंड आप दे रहे हैं, वह देश भर में होना चाहिए।

[अनुवाद]

क्या वह प्रयोगशालाओं के लिए तथा अपेक्षित सभी उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान बढ़ाने जा रहे हैं? शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उनमें खोज पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु और अधिक जागरुकता आए।

अध्यक्ष महोदय: आप खोज की बात कर रहे हैं अथवा अनुसंधान की?

श्री मोहन रावले: महोदय मेरा अभिप्राय अनुसंधान से है।

पुस्तकालयों के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे विज्ञान की शिक्षा के लिए लिखी गई अद्यतन पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी। विज्ञान की दुनिया में अद्यतन विकास की जानकारी के लिए सरकार क्या मदद देने वाली है?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि जहां दसवीं पंचवर्षीय योजना में 4325 करोड़ रुपये का प्रावधान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 53550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सब कुछ सैकेंडरी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए किया जा रहा है। इसमें साइंस की तालीम का भी इंतजाम होगा और मैंने जो दूसरे कम्पोनेंट बताए, उनका भी इंतजाम होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री फ्रांसिस जार्ज। आपको वही प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से यह काफी स्पष्ट है कि सरकार ने स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार का पूरा उत्तरदायित्व राज्यों को हस्तांतरित कर दिया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2007 में राष्ट्र को दी गई अपनी रिपोर्ट में देश में विज्ञान की शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह सब विदित है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: आयोग ने कहा है विशुद्ध विज्ञान में मजबूत नींव से भारत को प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता का निर्माण करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा इसके परिणामस्वरूप सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिलेगी। अगर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इस प्रकार की सिफारिश करता है और केन्द्र सरकार इस काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बिल्कुल विपरीत रुख अख्तियार करती है; तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा......

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसे राज्य सरकारों को कार्यान्वित करना है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्यों को हस्तांतरित करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी तथा देश में विज्ञान की शिक्षा में सहायता करेगी।

अध्यक्ष महोदय: मेरा मानना है कि केवल आप ऐसे सदस्य हैं जो इसे राज्य से केन्द्र के पास लाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, यह फैसला हो गया है कि इसे राज्य सरकार को ही देखना है और यह ज्यादा बेहतर भी है, क्योंकि यहां से मोनीटरिंग करना बहुत आसान नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 504

श्री अधीर चौधरी-उपस्थित नहीं।

श्री एस.के. खारवेनथन।

एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों का उपलब्ध न होना

***504.+ श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों के देर से प्रकाशन के कारण छात्रों को वर्ष दर वर्ष मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष इन पुस्तकों के देर से प्रकाशित किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) चालू शैक्षिक सत्र में छात्रों के लिए पुस्तकों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 2005 के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सभी कक्षाओं की सभी विषयों की पाठ्य विवरणिकाएं तैयार की हैं और तदनुसार चरणबद्ध रूप से नई पाठ्यपुस्तकें लागू की गई हैं। शैक्षिक सत्र 2006-07 में कक्षा 1, 3, 6, 9 और 11 की और इसके बाद शैक्षिक सत्र 2007-08 में कक्षा 2, 4, 7, 10 और 12 की तथा वर्तमान शैक्षिक सत्र 2008-09 में कक्षा 5 और 8 की नई पाठ्यपुस्तकें लागू की गई हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने यथा-समय नई पाठ्यपुस्तकों के मूल संस्करण बाजार में उपलब्ध कराए हैं। गुणवत्ता बनाए रखने की सख्त अपेक्षा के कारण कुछ पुस्तकों के अनुदित संस्करण वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध नहीं थे। कुछ अनुपूरक पाठ्य सामग्री भी कुछ विलम्ब से प्रकाशित की गई थी क्योंकि इन्हें वर्ष की शुरुआत में ही पढ़ाया जाना अपेक्षित नहीं था। तथापि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अपनी वेबसाइट (www.ncert.nic.in) पर भी अपनी सभी पाठ्यपुस्तकों को उपलब्ध कराया है जिन्हें निःशुल्क डाउनलोड करने की सुविधा है।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2007-08 से अधिक संख्या में अपनी पाठ्यपुस्तकें मुद्रित करने के आदेश दिये हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अपनी पाठ्यपुस्तकों के कारगर संवितरण की व्यवस्था करने के लिए 341 थोक अभिकर्ताओं का नेटवर्क भी तैयार किया है। वर्तमान शैक्षिक सत्र के दौरान पाठ्यपुस्तकों के सभी पुनः मुद्रित संस्करण और कक्षा 5 और 8 की अधिकांश विषयों की नई पाठ्यपुस्तकें बिक्री के लिए पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने के कारण बाजार में डुप्लीकेट पाठ्यपुस्तकों की भरमार हो गई है तथा चोरी से मुद्रित (पाइरेट) पुस्तकें कम कीमत पर उपलब्ध हैं तथा इन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है। माफिया

इन पुस्तकों को बाजार में लाते हैं और अनजान माता-पिता एवं विद्यार्थी जो भी उपलब्ध रहता है उन्हें खरीदते हैं। विगत में देश के विभिन्न भागों से ऐसे कई मामलों का पता चला है। इसके अतिरिक्त, चोरी से मुद्रित पुस्तकें मूल पाठ्यपुस्तकों के समान प्रतीत होती हैं और इनके बीच भेद कर पाना काफी मुश्किल होता है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बाजार में डुप्लीकेट एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों के परिचालन को रोकने तथा प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र शुरू होने से काफी पहले देश में सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए पुस्तकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं।

अध्यक्ष महोदय: कोई भी सदस्य उत्तर नहीं पढ़ता है। उत्तर पढ़े बगैर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, न्यू करिकूलम फ्रेमवर्क 2005 के तहत एनसीईआरटी की जितनी बुक्स थीं, वे तीन फेज में तैयार होनी थीं। फेज वन वर्ष 2006-07 में क्लास पहली, तीसरी, छठी, नौवीं और ग्यारहवीं की किताबें तैयार होनी थीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपने उत्तर में यह बता चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: फेज टू में दूसरी, चौथी, सातवीं, दसवीं और 12वीं कक्षा की किताबें तैयार होनी थीं। वर्ष 2008-09 में पांचवीं तथा आठवीं कक्षा की किताबें तैयार होनी थीं। हमारी तकरीबन 219 टाइटल बुक्स थीं, जिनमें से 215 बन कर मार्केट में मौजूद हैं। सिर्फ 4 किताबें जो बची हैं, उनमें से दो ट्रांसलेटिड हैं और दो सप्लीमेंटरी बुक्स हैं। वे 15 मई तक बन कर मार्केट में आ जाएंगी। जहां तक अवेलेबिल्टी आफ बुक्स का सवाल है, जितनी हमारी सीबीएसी से अटैच्ड स्कूल्स हैं, उन सभी में किताबें मौजूद हैं। कहीं से कोई शिकायत नहीं है। अलबत्ता बहुत सारे राज्यों ने जिम्मेदारी ली है और एनसीईआरटी की किताबों को चलाने की बात कही है, लेकिन वहां कुछ प्राब्लम आ रही है क्योंकि राज्यों को जितनी किताबें छापनी चाहिए, वे नहीं छाप रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने 2.75 करोड़ एनसीईआरटी की किताबें छापीं थीं, 2007-08 में इसे बढ़ा कर तकरीबन 4.98 करोड़ किया है जो बहुत बड़ा जम्प है जिससे शॉर्टेज ऑफ बुक्स न हो। इसकी बहुत सारी वजह हैं और राज्यों को जो जिम्मेदारी दी गई है, वे उसके मुताबिक किताबें नहीं छापते हैं। इसके अलावा ये किताबें बहुत सारे कम्पीटिशन्स में भी इस्तेमाल होती हैं जबकि उसके बारे में कई लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। हमने इतना बड़ा जम्प लिया है और हम ज्यादा किताबें छाप कर मार्किट में दे रहे हैं। जहां तक सवाल गलत किताबों को छाप कर मार्किट में लाने का है, मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि जो लोग ऐसी किताबें मार्किट में लाते हैं, उनकी जानकारी मिलने पर हम कार्रवाई करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपने यह नहीं बताया कि ये किताबें वेबसाइट में मिलती हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: वेबसाइट में सारी किताबें अवेलेबल हैं जिसे कोई भी डाउनलोड करके मजबूरी में काम चला सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छी पहल है।

श्री एस.के. खारवेनथन: मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के अनुसार गुणवत्ता बनाये रखने की सख्त अपेक्षा के कारण वर्ष के शुरू में कतिपय अनुदित संस्करण उपलब्ध नहीं थे। सामान्यतया माता-पिता दाखिले के समय पुस्तकें खरीदते हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ समय पूर्व यानी दाखिले से पहले पुस्तकें जारी करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, ओरिजिनल किताब इंग्लिश में तैयार होती है और हम उनका ट्रांसलेशन हिन्दी और उर्दू में नेशनल लैवल पर करते हैं। किताबें टाइम से पहले उपलब्ध हो जाती हैं लेकिन जो किताब इस साल छपी या तैयार नहीं हुई तो उनके ट्रांसलेशन में वक्त लगता है। केवल चार किताबें जो बची हैं, वे 15 मई तक मार्किट में उपलब्ध हो जाएंगी।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज: महोदय, केवल खाद्यान्नों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी नहीं की जाती है, ऐसा पुस्तकों के मामले में भी किया जाता है। सामान्यतया दक्षिणी राज्यों, विशेषकर केरल एवं तमिलनाडु में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकें तथा सी.बी.एस.ई. की पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके साथ ही, वहां जमाखोरी भी की जाती है। पुस्तक-विक्रेता बाजार में पुस्तक की दिखावटी कमी पैदा कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना

चाहता हूं कि जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोकने तथा बाजार में विशेषकर दक्षिण के केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम पुस्तकों पर भी लागू होता है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: कुछ शिकायतें साल-डेढ़ साल पहले मिली थीं लेकिन इनका व्यापक डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है। पांच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसेज अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली और गुवाहाटी में हैं जो इसे देखते हैं। इसके बाद पूरे हिन्दुस्तान में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो किताबों को लेते हैं और मार्किट में उपलब्ध कराते हैं। जहां तक सवाल किसी किताब की कालाबाजारी का है, मैं समझता हूं कि कभी-कभी हमारे पास किसी पर्टिकुलर किताब की शार्टेज की शिकायत आई है जिसे हम लोगों ने जितनी जल्दी हो सका है, मार्किट में उपलब्ध कराने का काम किया है।

व्यावसायिक विद्यालय

***505. श्री बापू हरी चौरे:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर चलाए जा रहे सरकारी व्यावसायिक विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ऐसे विद्यालयों को राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राशि का अनुदान दिया गया;

(ग) क्या सरकार का ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में 15 से 25 आयु वर्ग के छात्रों के नामांकन को प्रोत्साहन देने का कोई कार्यक्रम है; और

(घ) देश में व्यावसायिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में छात्रों के नामांकन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, देश में अब तक 10.03 लाख छात्रों की दाखिला क्षमता वाले 9619 व्यावसायिक स्कूलों और 20588 व्यावसायिक अनुभाग संस्वीकृत किये गये हैं। महाराष्ट्र के स्कूलों सहित अभी तक संस्वीकृत स्कूलों और विगत 5 वर्षों के दौरान जारी अनुदानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

(ग) और (घ) माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायोन्मुख केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ग्यारहवीं योजना में माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायोन्मुख केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि योजना का विस्तार किया जा सके।

अनुबंध

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत व्यावसायिक स्कूलों की संख्या	वर्ष-वार प्रदत्त अनुदान				
			2003-04	2004-055	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1486	-	500.55	-	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	510	–	–	–	–	–
4.	बिहार	752	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	20	–	–	–	–	–
6.	गोवा	106	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	77	–	–	–	–	–
8.	हरियाणा	116	27.90	67.23	24.52	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	82	–	–	–	–	–
10.	जम्मू-कश्मीर	37	–	599.69	–	–	–
11.	झारखण्ड	शून्य	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	563	–	–	–	–	–
13.	केरल	475	247.20	1425.00	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	1307	–	–	–	–	–
15.	महाराष्ट्र	958	–	–	–	–	–
16.	मणिपुर	10	47.65	–	20.12	–	–
17.	मेघालय	2	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	106	8.79	150.00	538.00	–	–
19.	नागालैण्ड	8	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	231	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	345	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	155	–	–	–	–	–
23.	सिक्किम	40	–	–	454.05	250.00	–
24.	तमिलनाडु	800	–	–	–	–	–
25.	त्रिपुरा	17	–	66.68	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	1010	375.00	–	–	–	–
27.	उत्तराखण्ड	111	–	–	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	39	–	–	–	–	–
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	–	–	–	–	–
30.	चंडीगढ़	20	–	–	7.00	–	–
31.	दादरा और नगर हवेली	2	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दमन और दीव	शून्य	-	-	-	-	-
33.	दिल्ली	207	-	-	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	शून्य	-	-	-	-	-
35.	पांडिचेरी	20	-	-	50.00	15.53	-
	कुल	9619	706.54	2809.15	1093.69	265.53	-

[हिन्दी]

श्री बापू हरी चौरे: आज की परिस्थिति में उच्च शिक्षा प्राप्त करके नई पीढ़ी के सुशिक्षित बेरोजगार छात्रों की बहुत अधिक संख्या बढ़ गई है। इसे लेकर यंगर जेनरेशन बहुत चिंतित है जिससे वे व्यवसाय न मिलने पर अलग रास्ते पर चले जाते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में व्यावसायिक शिक्षा देने की दृष्टि से सरकार ने एक योजना शुरू की है। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में संस्वीकृत व्यावसायिक स्कूलों की संख्या और वर्ष-वार प्रदत्त अनुदान के बारे में जो ब्यौरा दिया है, उससे मालूम होता है कि चाहे महाराष्ट्र हो या अन्य राज्य हों, उनमें जो विद्यालय चल रहे हैं, वहां अनुदान नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये स्कूल नॉन-ग्रांट बेसिस पर चलते हैं, क्या बिना अनुदान के आधार पर ये स्कूल चलाये जाते हैं? चूंकि एक भी कक्षा के विद्यार्थियों को अनुदान दिया नहीं जाता है। जब ये स्कूल कैपिटेशन फीस के आधार पर चलाये जाते हैं तो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बच्चे तथा मध्यमवर्गीय बच्चे क्या ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? यदि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को आपने शिक्षा प्रदान करनी है तो इन सभी विद्यालयों को अनुदान के माध्यम से शिक्षा देना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, यह पूछ रहे हैं कि क्या आप अनुदान देते हैं या नहीं?

श्री बापू हरी चौरे: इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने हेतु क्या सरकार कोई योजना बना रही है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, सैकेन्ड्री के बाद हायर सैकेन्ड्री लैवल तक पूरे देश की स्टेट्स में 150 कोर्सेज हैं, जिनके लिए हम लोग मदद करते हैं। 9619 स्कूल्स इससे कवर्ड होते हैं, जिनमें 20588 शिक्षण कोर्स चलाये जाते हैं और तकरीबन दस लाख बच्चे इससे फायदा उठाते थे। वोकेशनल एजूकेशन स्कूलों में भी चलाई जाती है, इसे एन.आई.ओ.एस. भी चलाती है और सी.बी.एस.ई. भी कुछ वोकेशनल एजूकेशन चलाती है। लेकिन पिछले दिनों जब इसका असैसमैन्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि इसमें काफी इम्प्रूवमैन्ट की जरूरत है और इसीलिए अब 11वीं योजना में प्रधान मंत्री जी ने इसके बारे में एनाउंसमैन्ट किया था। पहले दसवीं योजना में इस मद में 350 करोड़ रुपये रखे गये थे, लेकिन अब 11वीं योजना में इस मद में दो हजार करोड़ रुपये रखे गये हैं। यह पूरी स्कीम फिर से रीवैम्प हो रही है और अच्छी शक्ल प्राप्त कर रही है। क्योंकि अब तक जो कोर्सेज चलाये जाते थे, उनमें वर्टिकल मोबिलिटी नहीं थी, उसके अलावा उनका जो लिंकेज इंडस्ट्रीज से होना चाहिए था, वह ठीक नहीं था और इन कोर्सेज की सोशली एक्सैप्टैन्स नहीं थी। इन कोर्सेज को चलाने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं थे। इन सारी चीजों को निगाह में रखते हुए अब एक नई स्कीम तैयार की जा रही है और जिसके लिए 11वीं योजना में दो हजार करोड़ रुपये रखे गये हैं, जो यूपीए का एक बहुत बड़ा कदम है।

श्री बापू हरी चौरे: महोदय, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने हेतु व्यावसायिक स्कूल स्थापित करने के बारे में क्या सरकार कोई नई योजना बनाने जा रही है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, जैसा मैंने कहा कि सारी चीजों को ध्यान में रखकर कि हिंदुस्तान में क्या स्कोप होगा, दुनिया के मार्केट में क्या स्कोप होगा, जो इनडिविजुअल स्टूडैन्ट्स पढ़ने के लिए जाएंगे, वे आगे अपनी शिक्षा को कैसे कंटीन्यू कर पायेंगे, इन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज, जो अभी तक दो साल के थे, अब प्लस टू के बाद छोटे कोर्सेज भी देखे जायेंगे, ताकि बच्चा पढ़कर मार्केट में जाकर जॉब खोज सके और वह कहीं फिट हो सके। इस तरह की चीजों की तैयारी हम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: इसमें सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है, क्योंकि वोकेशनल एजूकेशन के जरिये ही हम इतनी बड़ी मैनपावर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसलिए सरकार का इस तरफ पूरा ध्यान है। हम एक कम्पोजिट स्कीम ला रहे हैं और इस स्कीम को रीवैम्प कर रहे हैं और इसीलिए 11वीं योजना में दो हजार करोड़ रुपये इसके लिए उपलब्ध कराये गये हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मंत्री महोदय ने सरकार की मंशा को स्पष्ट किया है और बार-बार यह कह रहे हैं कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुझे याद है कि 15 अगस्त 2006 को प्रधानमंत्री ने देश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सुधार की घोषणा की थी तथा पूरे देश का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि सरकार क्या करेगी और दो वर्ष बीत चुके हैं।

वर्तमान में, 9,619 माध्यमिक स्कूल हैं जो केन्द्र सरकार के प्रभार के अंतर्गत हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का भी गठन किया गया था तथा इसने ग्यारहवीं योजना के अंत तक इन संस्थानों का विस्तार कर 20,000 करने का सुझाव दिया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं। क्या देश में 20,000 संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य पूरा करने के लिए 2000 करोड़ रुपये पर्याप्त हैं? जब मंत्रालय यह कहता है कि भारतीय कार्यबल में प्रतिवर्ष 12.8 मिलियन लोग बढ़ जाते हैं और इनमें से मात्र 3.16 मिलियन कुशल होते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कुल जनशक्ति का 25 प्रतिशत कुशल है तथा शेष 80 प्रतिशत को व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। क्या सरकार का ऐसा मानना है कि 2,000 करोड़ रुपये का यह आबंटन पर्याप्त है तथा ग्यारहवीं योजनावधि के अंतर्गत इससे 20,000 संस्थानों की स्थापना हो सकेगी?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, हम लोगों का जो टार्गेट दसवें प्लान में था, हम जितना चाहते थे कि लोग स्किल हो जाएं और उसका फायदा उठा पाएं लेकिन वह नहीं हो पाया इसलिए पैसा भी बढ़ाया गया है। अब इससे कितने इंस्टीट्यूशन चल पाएंगे या कितने खुलेंगे, जो अब नई स्कीम आ रही है उसके बाद ही पता चल पाएगा। इसका आउटकम क्या होगा, यह स्कीम चलने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन पूरी स्कीम प्लानिंग कमीशन में है और इस पर फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया है इसलिए मैं आपको बहुत जानकारी नहीं दे पाऊंगा। हमारी इन्टेंशन बहुत क्लियर है, हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में नौजवानों को बड़े पैमाने पर वोकेशनल एजुकेशन मुहैया कराई जाए ताकि लोगों के अंदर स्किल पैदा हो सके जिससे हिन्दुस्तान की इंडस्ट्री में या बाहर जाकर काम करना चाहें तो वे काम कर सकें और इसका फायदा हो सके।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, चूंकि यह तथ्य है कि 2011 तक भारत को कुशल जनशक्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा-आज भी इस देश में कुशल जनशक्ति की कमी है-निजी पहल पर कई आई.टी.आई. खोले गए हैं। तथापि, कुशल जनशक्ति बनाने वाले संस्थानों की बजाय वे व्यापार के केन्द्र तथा धन अर्जन करने वाली संस्था बन गए हैं। अचानक यह पाया गया कि राजनीतिज्ञ इन व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना कर रहे हैं। क्या सरकार के पास कोई विनियामक प्राधिकार है जिसके द्वारा ऐसे आई.टी.आई. को संकाय, शिक्षा की गुणवत्ता, अवसंरचना तथा शुल्क ढांचे के संबंध में विनियमित किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आईटीआई लेबर डिपार्टमेंट देखता है, हम स्कूल के बाद वोकेशनल एजुकेशन देखते हैं। आईटीआई ट्रेनिंग सैंटर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर देखती है। इसके लिए आपको अलग से सवाल करना होगा तब आपको इसका जवाब मिल जाएगा।

श्री बंसगोपाल चौधरी: महोदय, सदन में उत्तर रखा गया है कि अभी हमारे देश में 10.03 लाख इनटेक कैपेसिटी वोकेशनल स्कूल हैं। यह कहा जाता है कि 11वें प्लान में 2000 करोड़ रुपये सैंक्शन किये गये हैं। जो सेलेबस है, उसकी स्थिति खराब है, इसलिए वोकेशनल एजुकेशन स्कीम में सेलेबस को चेंज करना चाहिए। क्या सरकार ने इसके बारे में कुछ फैसला किया है क्योंकि नीड बेस्ड करिकुलम के अनुसार चेंज करने के लिए कुछ फैसला होना चाहिए। क्या सरकार ने इस स्कीम को तैयार किया है या नहीं, यह हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी हिंदी में सुधार के लिए आपको बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, मैंने शुरू में बताया कि यह स्कीम पूरी तरह से रिवैम्प की जा रही है जिसके अंदर सारे कम्पोनेंट जो हो सकते हैं, उन सब पर निगाह है। इन्होंने सेलेबस के बारे में कहा उसको भी देखा जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि वर्टीकल मोबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि बच्चे आगे की पढ़ाई दो साल के कोर्स के बाद भी करना चाहें तो कर सकें, डिप्लोमा भी कर सकें और डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग कर सकें। इस तरह की स्कीम बनाई जा रही है और इस तरह का सेलेबस तैयार किया जा रहा है जिससे बच्चों को आगे बढ़ने में आसानी हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस मामले के महत्व के कारण, मैं कुछ और अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति देता हूं।

श्री ए. कृष्णास्वामी: वर्तमान में, भारत में कार्यकुशल श्रमिक की मांग आई.टी.आई. पालिटेक्निकों द्वारा पूरी नहीं हो पा रही है। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के अतिरिक्त, कार्यकुशल श्रमिक की मांग इसलिए पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि पूर्व छात्रों को आईटीआईज और पॉलिटेक्निकों में रोजगार अवसरों में कोई प्राथमिकता नहीं मिल रही है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पूर्व छात्रों को न तो रोजगार के अवसर ही मिल पा रहे हैं और न ही कॉलेजों में प्रवेश मिल पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न व्यावसायिक विद्यालयों से संबंधित है।

श्री ए. कृष्णास्वामी: उनके समक्ष इंजीनियरिंग या पालिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश पाने में कठिनाइयां आ रही हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने उन छात्रों के बारे में और उनके भविष्य के बारे में कोई अध्ययन किया है, जो इन पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण हुए हैं। मंत्रालय ने इन पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाने और उन छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम से अध्ययन करते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको नौकरी भी ढूंढ़नी होगी।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि जो बच्चे इन कोर्सेस को करके निकलते थे, उनकी डिमांड मार्केट में ठीक तरह से नहीं थी, इंडस्ट्रीज से लिंकेज नहीं था और बहुत सारी मुश्किलें थीं, जिनकी वजह से इसे रीवैम्प किया जा रहा है; ताकि इंडस्ट्रीज से भी रिलेशन हो, मार्केट से भी रिलेशन हो और मार्केट में इनकी एक्सैप्टेबिलिटी बढ़े।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक भी वाक्य को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी व्यावसायिक विद्यालय हैं उनकी संख्या 9619 है और इनमें आप 10.03 लाख स्टूडेंट्स को एडमीशन देते हैं। मेरा प्रश्न है कि इनमें शेडयूल्ड कास्ट्स एंड शेडयूल्ड ट्राइब्स के स्टूडेंट्स के लिए आरक्षण है या नहीं? मेरा दूसरा प्रश्न है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरा प्रश्न मत पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: आप अगले प्लान में 2000 करोड़ रुपये दे रहे हैं, उसमें कितने स्कूलों को आप मान्यता देने वाले हैं और तीसरा प्रश्न है कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, तीसरे प्रश्न का उत्तर न दें। इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: प्राइवेट संस्थाओं के लिए भी क्या इसी तरह की परमीशन देते हैं?

अध्यक्ष महोदय: तीसरा क्वैश्चन डिस्अलाउड।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, जो एडमीशन पॉलिसी है, वह स्टेट गवर्नमेंट ही तय करती है। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से वहां रिजर्वेशन जरूर होगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा लगता है कि यह हाउस असैम्बली बन गया है।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: हम सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों को देते हैं।

अध्यक्ष महोदय: जल्दी-जल्दी और छोटे-छोटे स्पेसीफिक प्रश्न पूछिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए, बहुत से स्टूडेंट्स जो टैक्नीकल ट्रेनिंग पाए हुए हैं और बेरोजगार हैं, जिन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला है, तो क्या व्यावसायिक विद्यालयों को रोजगारपरक बनाने के लिए प्रत्यक्ष रोजगार केन्द्र का दर्जा देने का कोई प्रावधान है, ताकि इन बच्चों को एप्रेंटिसशिप के बाद डायरैक्ट रोजगार दिया जा सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह वही प्रश्न है और वही उत्तर है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में तो मैंने पहले ही सदन को पूरा बताया है कि इसे देखा जा रहा है और इस बारे में पूरा ध्यान रखा जायेगा।

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में राज्यवार जो ब्यौरा प्रस्तुत किया है उसके अनुसार वर्ष 2003 से वर्ष 2008 तक किसी भी वोकेशनल स्कूल को चलाने के लिए केन्द्र से अनुदान नहीं दिया गया है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जैसे हमारे बिहार में ऐसे 752 स्कूल हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर एक समुचित चर्चा की अनुमति दूंगा। कुछ नोटिस प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: पूरे देश के पैमाने पर उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं, क्या ये स्कूल चल रहे हैं या बन्द हो गए हैं? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आप स्कूलों को रीवैम्प करना चाहते हैं, यह योजना कब तक लागू हो जायेगी, ताकि वोकेशनल स्कूल की जो आवश्यकता है, उसको देखते हुए रोजगारोन्मुखी शिक्षा हो, उसके लिए कब तक यह योजना शुरू करा देंगे?

अध्यक्ष महोदय: बोलिये न, इलेवंथ प्लान पीरियड में हो जाएगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: जो पुरानी स्कीम है, वह तो चल ही रही है। जहां तक नई स्कीम का सवाल है, जितनी जल्दी होगी, इसको तैयार कराकर हम लोग इसको लागू करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अंत में, श्री रतिलाल कालीदास वर्मा।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय: थोड़ा कोऑपरेशन करने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षण का महत्व बहुत बढ़ गया है। मैं 35 साल से शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ हूं। आज देश के विद्यार्थी और नवयुवक बी.ए., बी.एससी. और बी.कॉम. करके बेकारों की फौज खड़ी नहीं करना चाहते, वे तुरन्त व्यावसायिक शिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। गुजरात के अन्दर इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ रही हैं, वहां व्यावसायिक शिक्षण की बहुत आवश्यकता है, लेकिन आपके द्वारा गुजरात में स्कूलों की संख्या सिर्फ 77 है और अन्य राज्यों के अन्दर बहुत बड़ी संख्या में आप व्यावसायिक शिक्षण दे रहे हैं तो क्या गुजरात के अन्दर व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं को और बढ़ाने की आपकी कोई योजना है, ताकि गुजरात के नवयुवक रोजगार प्राप्त कर सकें?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: यह जो पहले स्कीम चलाई जाती थी, स्टेट इसके लिए एप्लाई करते थे, यूनियन टैरीटरी

सैण्टर में एप्लाई करती थीं, उनको असिस्टेंस दी जाती थी। अब जो नई स्कीम बनेगी, उसके बाद स्टेट उसे लागू करेंगे। उसके बाद जो भी मदद होगी, वह उन्हें दी जायेगी।

[अनुवाद]

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:** महोदय, व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी है। इन विद्यालयों में अध्यापकों के सेवानिवृत्त हो जाने के बावजूद भी कोई नई भर्ती नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप, अनेक व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालय बंद हो गए हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की इस समस्या से निपटने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती की कोई योजना है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: यह बात सही है कि जो क्वालीफाइड वोकेशनल टीचर्स चाहिए, उनकी शॉर्टेज भी है और कभी-कभी कमी भी होती है, लेकिन यह राज्य को ही देखना है, उन्हीं को चलाना है, इसलिए क्वालीफाइड टीचर्स हों, उनका इन्तजाम उनको करना है।

मोहम्मद सलीम: सर, वोकेशनल ट्रेनिंग की महत्ता हम सब स्वीकार करते हैं। कोरिया में हम देखते हैं कि 76 प्रतिशत उनके नौजवान वोकेशनली ट्रेंड हो जाते हैं और आजादी के 60 साल के बाद हमारा पांच प्रतिशत से भी कम यूथ वोकेशनली ट्रेंड हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, मैं इस पर एक समुचित चर्चा कराना चाहता था।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: उसके पास पहुंचने में दिक्कत होती है, इसलिए सर्व-शिक्षा अभियान, सैल्फ हैल्फ ग्रुप के जरिये देखते हैं कि अवेयरनैस हो रही है, नये लोग आ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि एक तो डायरैक्टर जनरल ऑफ एम्पलायमेंट एंड ट्रेनिंग है, वह लेबर डिपार्टमेंट में है, फिर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार है, लेकिन आपके जो मानव संसाधन विकास विभाग है, यह कौशल का विकास और कार्यकुशलता का सृजन, मेनली ह्यूमन रिसोर्स डैवलपमेंट का काम है और इसके लिए मैं जानना चाहता हूं, अभी इस बार एक हजार करोड़ रुपये रखकर 15 हजार करोड़ रुपये के स्किल डैवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बात की गई, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डैवलपमैंट हमारे देश में जो अंडर 15 ईयर्स बच्चे हैं, चूंकि स्कूल का मामला है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए आप उनके पास पहुंचने के लिए कोई योजनाबद्ध तरीके से क्या स्कीम बनायेंगे कि हमारे कम से कम 10 से 15 प्रतिशत बच्चे वोकेशनली ट्रेनिंग ले पायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महदोय: आप कह सकते हैं कि आप करेंगे या राज्य ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: एक स्कीम तैयार की जा रही है, वह बहुत जल्दी आ जायेगी। सी.बी.एस.ई. भी अपनी स्कीम चलाता है, एन.आई.ओ.एस. भी चलाता है, उसके अलावा भी और डिपार्टमेंट स्कीम्स चलाते हैं, लेकिन जाहं तक ह्यूमन रिसोर्स डैवलपमैंट का सवाल है, जो भी स्कीम यहां से चलती है, उसको रीवैम्प करके ठीक तरीके से, जिससे कि हमारे यहां स्किल्ड लोग पैदा हो सकें और इस मुल्क की इकोनोमी में वे अपना योगदान दे सकें और वे अपने आपको भी बना सकें, उसके लिए पूरी तैयार हो रही है। जो 2000 करोड़ रुपया है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जायेगा और सारे सांसद महोदय के कन्सर्न को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी स्कीम सामने लाई जायेगी, ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम थोड़ा सैल्फ प्रोपेगण्डा कर रहे हैं हमने तीन साल पहले 22 लड़के-लड़कियों को लेकर एक वोकेशनल स्कूल शुरू किया था, अब उनकी संख्या बढ़कर 206 हो गई है। अब जगह नहीं है। अब जगह नहीं दे सकते। बाजार में यह मांग है। इसलिए, मैं कह रहा हूं कि सभी संसद सदस्य प्रयास कर सकते हैं।

[हिन्दी]

एमपीलैड इधर-उधर न भेजकर, वहां लगाइए।

[अनुवाद]

फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसायटीज ऑफ इंडिया

***506. श्री रेवती रमण सिंह:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

*मूलतः पंजाबी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

(क) क्या फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसायटीज ऑफ इंडिया (एफ.एफ.एस.आई.) को प्रत्येक वर्ष सहायता अनुदान मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में सहायता-अनुदान बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्ष 1980 से भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में दिया गया सहायता अनुदान निम्नानुसार था:

(1)	2005-06	4 लाख रुपये
(2)	2006-07	4 लाख रुपये
(3)	2007-08	3 लाख रुपये

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान 3 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। अभी तक वर्ष 2008-09 के लिए कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बाडी कला को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपार्टेंट बाडी है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें वर्ष 2007-08 में ग्रांट चार लाख रुपये से घटाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसे कम करने का क्या औचित्य है और इसके क्या कारण हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह फिल्म सोसाइटी और फिल्म फेडरेशन ऑफ सोसाइटी का सवाल है। हर साल वे जो प्रपोजल भेजते हैं, डायरेक्टर आफ फिल्म फेस्टिवल उस प्रपोजल को मद्देनजर रखते हुए, कितनी उन्हें जरूरत है, उस आधार पर ग्रांट देते हैं। इस साल यह ग्रांट बढ़कर छः लाख हो गयी है, क्योंकि हम इनको और ज्यादा ताकत देना चाहते हैं।

श्री रेवती रमन सिंह: महोदय, पूरे देश में हर साल फिल्म फेस्टिवल लगता है। माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में बताया। आपने कहा कि इस साल ग्रांट बढ़ाकर छः लाख कर दी गयी है। हर साल जो प्रपोजल आता है, उनके प्रपोजल को भारत सरकार पूरी तरह से मान लेती है या उस पर विचार करने के बाद तय करती है कि कितना देना है या कितना नहीं देना है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जहां तक मांगों का सवाल है, मांग तो बराबर आती है। सरकार डायरेक्टर आफ फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से यह पहले तय करती है, हम उसकी प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, नॉन प्लानिंग के बारे में सोचते हैं कि कितना दिया जाए। जहां तक यह सवाल है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस साल हम फिल्म फेडरेशन के पचास साल मनायेंगे, जिसकी शुरुआत आजादी के बाद पांच अक्टूबर को सत्यजीत राय जी ने कलकत्ता में की थी। उसके बाद इसे वर्ष 1959 में सरकारी रूप से मान्यता मिली, तब सत्यजीत राय जी पहले फाउंडर प्रेसीडेंट रहे और इंदिरा गांधी जी स्वयं इसकी उपाध्यक्ष बनीं और आई.के. गुजराल जी ट्रेजरर बने। इसके पचास साल जब पूरे होंगे, तो इसे बड़े अच्छे ढंग से करने के लिए हमारी सरकार प्लानिंग कर रही है। फ़िलहाल हम इंतजार कर रहे हैं, जब उनका प्रस्ताव आ जाएगा, हमे उनकी मदद करेंगे। इसके नेता श्याम बेनेगल जी हैं। मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके पचास साल इतने अच्छे ढंग से मनायेंगे कि दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाएगी।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल: हमारे देश में, फिल्म सोसाइटियों ने हमारे देश के महान फिल्म निर्माता तैयार करने और सफल व्यावसायिक फिल्मों का निर्माण करने में भी उल्लेखनीय रूप से योगदान दिया है। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय फिल्म नीति ने हमारे देश में आज तक फिल्म सोसाइटी के लिए कोई रचनात्मक भूमिका निभाई है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जैसा कि मैंने कहा फिल्म सोसाइटी आंदोलन संपूर्ण एशिया में प्रमुख आंदोलनों में से एक है और यह सोसाइटी फिल्में प्रदर्शित करने की संकल्पना, स्क्रिप्ट

लेखन की संकल्पना, विभिन्न तरीकों से फिल्मों को लोगों तक ले जाने की संकल्पना का लगातार प्रचार करती रही है। अब इस वर्ष, जो कि 50वां वर्ष है, उन्होंने इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जिसकी सरकार भी सराहना कर रही है। राष्ट्रीय फिल्म नीति के तहत बड़े पैमाने पर फिल्म उत्सव आंदोलन मनाना शामिल है। मैं आज सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि भारतीय फिल्म उत्सव आंदोलन को न केवल भारत में और हमारी नीति में स्वीकार किया जा रहा है बल्कि विदेश में भी इसे पहचान मिल रही है। इसलिए, हम दूतावासों के साथ संपर्क साध रहे हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि अब फिल्म सोसाइटी के विकास के साथ 300 फिल्में बनती हैं, जिनकी केवल सात से शुरुआत हुई थी।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती जयाप्रदा, कृपया संक्षिप्त और विशिष्ट प्रश्न पूछें, चूंकि समय नहीं बचा है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, चिल्ड्रेन फिल्म फेस्टिवल्स जो चिल्ड्रेन्स के लिए बनाते हैं और इसे फेस्टिवल के रूप में बाहर भी लेकर जाते हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि चिल्ड्रेन फिल्म फेस्टिवल्स के फाइनेंस और ग्रांट को कितना स्टेट के हिसाब से करते हैं और अगर करते हैं तो आज तक कितना किया? मैं इस बारे में जानना चाहती थी।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम उन्हें योजना और गैर-योजना दोनों में ही सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। गत वर्ष अनेक फिल्मों का निर्माण हुआ और उनमें से कुछेक ने विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।

इस वर्ष, हम उनके प्रस्ताव के आधार पर फिल्मों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सीमाओं पर गोलीबारी और बमबारी

***501. श्री रामदास आठवले:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज की स्थिति के अनुसार देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर और नियंत्रण रेखा पर विशेषकर जम्मू-कश्मीर में गोलीबारी और बमबारी की राज्यवार कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सुरक्षा बलों और असैनिकों को हुए जान-माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक प्रभावित परिवार को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार चीन, म्यांमार, नेपाल और भूटान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर गोलीबारी और बमबारी होने की किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। नवम्बर, 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद से जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) का उल्लंघन किये जाने की कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई है। एलओसी के दूसरी तरफ से गोलीबारी होने की कुछ छोटी-मोटी घटनाओं की सूचना मिली है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	छोटी-मोटी घटनाओं की संख्या
2005	06
2006	03
2007	12
2008 (24 अप्रैल तक)	शून्य

अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ गोलीबारी और बमबारी होने की ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है जिसके लिए सेना जिम्मेदार हो।

वर्ष 2005 से भारत-बांग्लादेश सीमा पर गोलीबारी की 161 घटनाएं घटी हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	राज्य	मामलों की संख्या
2005	प. बंगाल	07
	असम	09
2006	प. बंगाल	52
	असम	16
	त्रिपुरा	02
2007	प. बंगाल	70
	त्रिपुरा	02
2008 (24 अप्रैल तक)	प. बंगाल	03

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में एलओसी पर सीमा पार से की गई पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण सेना का एक कार्मिक मारा गया है। आईबी के अन्य भागों में गत तीन वर्षों के दौरान सेना का कोई कार्मिक नहीं मारा गया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर हुई गोलीबारी के कारण मारे गए बीएसएफ के कार्मिकों और सिविलियनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	गोलीबारी की घटनाओं की संख्या	हताहतों की संख्या	घायलों की संख्या	संपत्ति
2005	16	बीएसएफ का 01 कार्मिक और 01 सिविलियन	01 सिविलियन	–
2006	70	02 सिविलियन	02 सिविलियन	9.8.06 को किनोखल गांव (असम) में एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ।
2007	72	–	–	–
2008 (24 अप्रैल तक)	03	01 सिविलियन	01 सिविलियन	–

(ग) हताहत हुए सेना के कार्मिकों को "लड़ाई के दौरान हताहत हुए" के रूप में माना जाता है और इनके निकट संबंधी (एनओके) को उदारीकृत परिवार पेंशन और अन्य लाभ दिये जाते हैं जिसमें प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर अनुग्रह राशि और भविष्य निधि शामिल होती है।

अन्य सुरक्षा बलों के निकट संबंधियों को सभी लाभों का भुगतान किया जाता है जिसमें प्रत्येक मामले में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञेय अनुग्रह राशि, उदारीकृत पेंशन योजना और भविष्य निधि शामिल होती है।

शिकार हुए सिविलियनों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है जो अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग होती है।

(घ) सीमाओं पर सामान्य स्थिति और शांति और अमन चैन बनाए रखने के लिए फ्लैग मीटिंग और सीमा कार्मिकों के बीच बैठकें आयोजित किये जाने के अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा, पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किये जाने और सीमा प्रबंधन के अन्य पहलुओं से संबंधित मुद्दों को उच्च स्तर के पदाधिकारियों की आवधिक वार्ता और दोनों पक्षों के समकक्ष प्राधिकारियों के बीच हॉट-लाइन सम्पर्कों के संस्थागत तंत्रों से हल किया जाता है।

[अनुवाद]

पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि

***507. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:**
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अपने हिस्से की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) राज्य पुलिस बल (एमपीएफ) आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली निधियों की मात्रा, उन्हें पहले ही प्रदान की गई निधियों का उपयोग किये जाने पर आधारित होती है। राज्यों को अनुमोदित योजनाओं के अनुसार राज्य सरकारों से किसी औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किये बगैर, राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं। अनंतिम आवंटन के आधार पर सभी राज्यों को पहली किस्त एक हफ्ते के अंदर जारी की जाएगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों की उपलब्धि संबंधी आंकड़े

*508. **श्री के.एस. राव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रचालनरत विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से जुड़े निवेश, रोजगार और निर्यात के संबंध में एकत्रित अद्यतन आंकड़ों से निकाले गये निष्कर्ष और परिणाम क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन, मुद्दों और उपलब्धियों के संबंध में एक पृथक डेटा बैंक सृजित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियमावली, 2006 के फरवरी, 2006 में लागू होने के बाद से एसईजेडों से 176668 व्यक्तियों को वृद्धिशील रोजगार उपलब्ध कराया गया है और 71090.10 करोड़ रुपये का वृद्धिशील निवेश सृजित हुआ है। एसईजेडों से निर्यातों में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2007-08 में एसईजेडों से 64623 करोड़ रुपये के वास्तविक निर्यात हुए हैं जिनमें पिछले वर्ष हुए 34615 करोड़ रुपये के वास्तविक निर्यातों की तुलना में 87% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

(ख) और (ग) विशेष आर्थिक जोनों के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और प्रदान किये गये रोजगार, सृजित निवेश और किये गये निर्यातों संबंधी आंकड़ों का समय-समय पर संग्रहण और संकलन किया जाता है। विशेष आर्थिक जोनों से संबंधित आंकड़ों और सूचनाओं की जानकारी देने वाली एक समर्पित वेबसाइट नामत: (sezindia.nic.in) भी तैयार की गई है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

विमुक्त घुमन्तु जनजातियों के बच्चों में साक्षरता दर

*509. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बंजारा/विमुक्त घुमन्तु जनजातियों के अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों में साक्षरता का प्रतिशत क्या है;

(ख) प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर बंजारा/विमुक्त घुमन्तु जनजातियों के बच्चों द्वारा बीच में विद्यालय छोड़ने की दर क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इनकी साक्षरता दर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इनकी साक्षरता के प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए कोई पृथक नीति तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) कुछ राज्यों द्वारा बंजारा और उनकी सजातीय जनजातियों (अर्थात् सुगाली, लंबाडी और लंबानी) को अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के रूप में जहां भी अधिसूचित किया गया है, उनकी साक्षरता दर जनगणना 2001 के अनुसार विवरण में दी गयी हैं। जनगणना में विमुक्त जनजातियों के आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते।

(ख) बंजारा/विमुक्त घुमन्तु जनजातियों से संबंधित बच्चों की स्कूल-बाह्य दरों के बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) बंजारा/विमुक्त घुमन्तु जनजातियों की साक्षरता प्रतिशतता सहित साक्षरता प्रतिशतता में सुधार करने के लिए उठाये जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:

- सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग समूह के सभी बच्चों के लिए 2010 तक सर्वसुलभ कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा हेतु एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना, स्कूल भवन तथा अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण, अध्यापकों की नियुक्ति, स्कूल बाह्य बच्चों के लिए संदर्भ विशिष्ट कार्य, बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, प्रवासी बच्चों के लिए वैकल्पिक स्कूल सुविधाओं का प्रावधान है।

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण संबद्ध जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है। बशर्ते कि ऐसा कोई आरक्षण 22.5% (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%) के राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होगा और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए कुल मिलाकर अधिकतम 50% होगा।

- केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नए प्रवेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 15% तथा 7.5% सीटें

आरक्षित होती हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों से कक्षा 8 तक कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य 15-35 आयु वर्ग समूह में प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। केन्द्र तथा राज्य के हिस्से के रूप में अन्य जिलों के लिए 2:1 की तुलना में जनजातीय जिलों के लिए क्रमशः 4:1 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मातृभाषा में शिक्षण को सुसाध्य बनाने के लिए 92 जनजातीय भाषाओं तथा स्थानीय भाषाओं में प्रवेशिका तैयार की गयी हैं।

(घ) से (च) सर्व शिक्षा अभियान के जरिये प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य बंजारा/विमुक्त घुमन्तु जनजातियों सहित देश में सभी के लिए साक्षरता दर में सुधार करना है।

विवरण

राज्य	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नाम	18 वर्ष से कम साक्षरता दर (0-6 की जनसंख्या को छोड़ कर)
अनुसूचित जाति		
हिमाचल प्रदेश	बंजारा	96.5
दिल्ली	बंजारा	82.7
कर्नाटक	बंजारा, लंबानी	68.3
अनुसूचित जनजाति		
बिहार	बंजारा	47.0
झारखंड	बंजारा	27.9
आंध्र प्रदेश	सुगालिस, लंबाड़ी	60.5
उड़ीसा	बंजारा, बंजारी	70.5

सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान

*510. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में विनिर्माण क्षेत्र का वर्षवार कितना योगदान रहा है;

(ख) चालू वर्ष के लिए विनिर्माण क्षेत्र हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का अंशदान 2005-06 में 15.9 प्रतिशत, 2006-07 में 16.3 प्रतिशत और 2007-08 में 16.5 प्रतिशत था।

(ख) वर्तमान वर्ष (2008-09) के लिए विनिर्माण क्षेत्र हेतु कोई स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में उद्योगों के लिए औसतन 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की संकेत सूचक वृद्धि बताई गई है।

(ग) बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योगों का विकास आपूर्ति एवं मांग की बाजार शक्तियों द्वारा प्रभावित होता है। तथापि, सरकार ने व्यापक आधार वाले औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक क्षमता को लाइसेंस मुक्त करना, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इनपुट तक बेहतर पहुंच प्रदान करने हेतु विदेश व्यापार व्यवस्था का उदारीकरण, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों को तर्कसंगत बनाना तथा उनमें कमी करना, बेहतर अवसंरचनात्मक सहायता, और उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2008-09 के बजट में, सरकार ने विनिर्माण उद्योग की घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी किया है। घरेलू उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2008-09 के बजट में छोटी कारों, मोटर साइकिलों एवं स्कूटरों आदि हेतु उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी किया है।

सरकार ने निर्यातोन्मुख उद्योगों के लिए अनेक राहत उपायों की शुरुआत की है जिनमें ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक (डीईपीबी) को बढ़ाना, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) के प्रीमियम में 10 प्रतिशत की कटौती, ड्यूटी ड्राबैक की दरों में बढ़ोतरी, जहाज पर सामान की लदाई से पहले और इसके बाद के ऋण के ब्याज पर आर्थिक सहायता, सेवाकर की वापसी, विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना आदि के लिए राजस्व की अधिकतम सीमा बढ़ाना शामिल है।

सरकार ने अब सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) सृजित करने के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इन आईटीआईआर को निवेशक अनुकूल नीतियों के जरिये उत्कृष्ट अवसंरचना एवं सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में सुधार के लिए, राज्य सरकारों/उद्योगों/संगठनों/कंपनियों/एनजीओ/व्यक्तियों के सहयोग से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत देश में मिनी टूल्स रूम्स स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है।

जाली दस्तावेजों के आधार पर विदेश यात्रा

***511. श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान अब तक हवाई अड्डे-वार कितने यात्री जाली यात्रा दस्तावेजों के आधार पर विदेश यात्रा का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किए गए;

(ख) क्या इन गतिविधियों में देश के अनेक ट्रेवल एजेंट शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इन एजेंटों/व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने देश में भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान जाली यात्रा दस्तावेजों के आधार पर विदेश यात्रा का प्रयास करते हुए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	हवाई अड्डे का नाम	जाली यात्रा दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	दिल्ली	610
2.	मुम्बई	664
3.	कोलकाता	43
4.	चेन्नै	195
5.	अमृतसर	26
6.	अहमदाबाद	19
7.	बंगलौर	31
8.	कालीकट	38
9.	कोचीन	75
10.	हैदराबाद	71
11.	त्रिवेन्द्रम	57

यद्यपि ऐसी यात्रा से संबंधित अनियमितताओं में संलिप्त यात्रा एजेंटों सहित व्यक्तियों/ग्रुपों के आंकड़े केन्द्रीय आधार पर नहीं रखे जाते हैं फिर भी जब कभी ऐसे मामलों का पता चलता है तो संबंधित एजेंसियों द्वारा कानून के तहत तुरंत कार्यवाही की जाती है।

भर्ती एजेंटों (आरए) के संबंध में रखी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2007-08 की अवधि के दौरान 14 आरए का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है और 20 आरए का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। इसी अवधि के दौरान गैर-पंजीकृत 26 एजेंटों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति भी दी गई है।

नकली/जाली दस्तावेजों के आधार पर यात्रा करने से लोगों को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें ये कदम शामिल हैं:

(1) यात्रा दस्तावेजों की विशेषताओं की छानबीन करने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मैग्नीफाइंग ग्लास और अल्ट्रा वायलेट लैंप्स का प्रयोग करना;

(2) बेहतर सुरक्षा विशेषताओं के साथ मशीन-रीडेबल पासपोर्ट जारी करना;

(3) पासपोर्टों की वास्तविकता का सत्यापन करने के लिए पासपोर्ट रीडिंग मशीन (पीआरएम) स्थापित करना;

(4) यात्रा दस्तावेजों में अत्याधुनिक जालसाजियों का पता लगाने के लिए प्रश्नगत दस्तावेज परीक्षक (क्यूडीएक्स) मशीनें स्थापित करना;

(5) आप्रवासन नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) साफ्टवेयर स्थापित करना जो खो गए पासपोर्ट के आधार पर यात्रियों के

पासपोर्ट ब्यौरों का सत्यापन करता है जिससे छद्म रूप धारी को रोका जाता है; और

(6) नकली/जाली यात्रा दस्तावेजों का पता लगाने के लिए हवाई अड्डों पर आप्रवासन अधिकारियों को नियमित आधार पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त, जाली/नकली दस्तावेजों के आधार पर लोगों को उत्प्रवासन की सुविधा देने से आर ए को रोकने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) भर्ती एजेंटों के लिए यह अपेक्षित है कि वे उत्प्रवासन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सभी रोजगार दस्तावेजों को मूल रूप से प्रस्तुत करें।

(2) प्रवास अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के बारे में संभावित उत्प्रवासियों को जागरूक बनाने के लिए प्रचार अभियान चलाए गए हैं।

[हिन्दी]

जवाहर नवोदय विद्यालयों का खोला जाना

***512. श्री सुभाष महरिया:**
श्री महावीर भगोरा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दलित बहुल जिलों में राज्यवार कुल कितने जवाहर नवोदय विद्यालय चल रहे हैं तथा वहां ऐसे कितने विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि करने तथा उन लोगों के शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) नवोदय विद्यालय स्कीम में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की परिकल्पना की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के सर्वाधिक उत्कृष्ट बच्चों को अच्छी गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान की जा सके। तमिलनाडु को छोड़कर जहां यह स्कीम कार्यान्वित नहीं की गई है, जवाहर नवोदय विद्यालय 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में, जहां 20 प्रतिशत तथा इससे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, खोल दिए गये हैं।

(ख) नवोदय विद्यालय स्कीम के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक है। जिसमें प्रत्येक कक्षा में 80 बच्चे हैं। प्रथम वर्ष में छात्रों को कक्षा 6 में दाखिला दिया जाता है तथा तदन्तर प्रत्येक अगले वर्ष में एक उच्चतर कक्षा खोली जाती है। स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले छात्रों के कारण रिक्त हुई सीटों को भरने के लिए छात्रों को दाखिला उपलब्ध सीटों के विरुद्ध कक्षा 9 तथा 11 में भी दिया जाता है। उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समिति ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र से कक्षा 7 में छात्रों को दाखिला देने का निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आरक्षण जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में प्रदान की जाती है, बशर्ते कि जनसंख्या न्यूनतम 15 प्रतिशत हो।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 तथा कक्षा 12 की परीक्षाओं में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के परिणाम संपूर्ण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणामों की तुलना में निरंतर श्रेष्ठ रहे हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में आगे सुधार करने के उद्देश्य से योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, अध्यापकों के लिए नियमित सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम, अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान सभी विद्यालयों में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का प्रारंभ किया जाना, छात्रों का लगातार तथा व्यापक मूल्यांकन तथा अध्यापन-अध्ययन सामग्री को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों के अपनाए जाने सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता

***513. श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक जिन फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड हैं; और

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने यह सहायता प्राप्त की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान

फिल्म बनाने के लिए सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। तथापि, मंत्रालय ने अपने अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के जरिये भारत के "शूटिंग स्थलों" पर एक फिल्म बनवाई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने भी गत तीन वर्षों के दौरान फिल्मों के निर्माण हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है। इस अवधि के दौरान एनएफडीसी ने फिल्मों का केवल निर्माण/सह-निर्माण किया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान एनएफडीसी की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे 19.77 करोड़ रु. का कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया है। इस राशि में से एनएफडीसी ने अभी तक छह फिल्मों के सह निर्माण/निर्माण में 2.50 करोड़ रु. का उपयोग किया है। इन फिल्मों का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

एनएफडीसी में पटकथा समिति पटकथाओं का मूल्यांकन करती है जिसके आधार पर उन्हें निदेशक मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है जो निगम द्वारा किये जाने वाले निर्माण/सह-निर्माण के संबंध में निर्णय लेता है।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि फिल्म प्रभाग और बालचित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) ने गत तीन वर्षों के दौरान फिल्मों का निर्माण करने के लिए किसी व्यक्ति/संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है तथापि, मंत्रालय ने सीएफएसआई को सहायता-अनुदान और फिल्म प्रभाग को योजनागत व योजनेतर बजटीय सहायता प्रदान की है जिसका कुछ भाग फिल्मों के निर्माण के लिए प्रयोग किया गया है। इन फिल्मों का निर्माण स्वयं (इन हाउस) अथवा बाह्य कार्यकारी निर्माताओं द्वारा किया जाता है। बाह्य निर्माताओं के माध्यम से सीएफएसआई और फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित फिल्मों का ब्यौरा क्रमशः विवरण-2 और 3 में दिया गया है। पटकथाओं की जांच करने और फिल्म के संबंध में किसी निर्माता के बजट, सृजनात्मकता, योग्यता और उसकी उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात् बाह्य कार्यकारी निर्माताओं का चयन किया जाता है।

विवरण I

क्र.सं.	भाषा सहित फिल्म का शीर्षक	सह-निर्माण/100% निर्माण	अन्य ब्यौरा
1.	वाया दार्जिलिंग (हिन्दी)	एनएफडीसी और मैसर्स मोक्सी इंटरटेनमेंट प्रा. लि.	अरिंदम नंदी (प्रथम निर्देशन)
2.	लकी रोड सीड्स (मलयालम)	एनएफडीसी, मिर्ची मूवीज लि. और लिटिल फिल्मवत	अंजली मेनन (प्रथम निर्देशन)
3.	संस्कार (बांगला)	एनएफडीसी का स्वयं का निर्माण	नबेन्दु चैटर्जी
4.	माया बाजार (बांगला)	एनएफडीसी का स्वयं का निर्माण	जयदीप घोष (प्रथम निर्देशन)
5.	बायोस्कोप (मलयालम)	एनएफडीसी का स्वयं का निर्माण	के.एम. मधुसुधानन (प्रथम निर्देशन)
6.	दि व्हाइट एलीफेंट (हिन्दी)	एनएफडीसी और एनडी टीवी इमेजिन लि.	एजाज खान (प्रथम निर्देशन)

यद्यपि क्र.सं. 1 पर दी गई फिल्म पूरी कर ली गई है लेकिन शेष फिल्में निर्माणाधीन हैं।

विवरण II

बाल चित्र समिति, भारत द्वारा वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान बाहरी निर्माताओं के माध्यम से निर्माण की गयी फिल्मों का विवरण

क्र.सं.	बाहरी निर्माता/निर्देशक के नाम	पूर्ण की गयी फिल्मों के नाम	राशि (रुपये लाखों में)
		2005-06	
1.	संजीत घोष	श्रीमान पिंकू (वीडियो फिल्म)	0.80
2.	पंकज पराशर	गिली गिली अट्टा (हिन्दी फीचर)	40.00
3.	राजीव मोहन	बंटू बॉक्सर (हिन्दी फीचर)	27.82
4.	जगन्नाथ चट्टोपाध्याय	गाजा उकिलैर हत्या रहस्य (बंग्ला फीचर)	16.97
5.	विनोद गनात्रा	लुका-छिपी-हाईड एन सीक (हिन्दी फीचर)	58.00
6.	संकल्प मेश्रम	छुटकन की महाभारत (हिन्दी फीचर)	4.00
7.	रमेश असर	एक आदेश-कमान्ड फॉर छोटी (हिन्दी-शार्ट)	11.08
8.	चार्मी छेड़ा	कठपुतली (हिन्दी-लघु एनिमेशन)	10.80
9.	बतुल मुख्तियार	लील्की (हिन्दी फीचर)	33.00
10.	विशाल चतुर्वेदी	सुरभि (हिन्दी फीचर)	28.00
11.	सुश्री ध्वनि देसाई	मनपसंद-परफैक्ट मैच (हिन्दी-लघु एनिमेशन)	5.75
12.	मेरन इमचेन	नॉकपॉलिबा-नागालैंड की लोक कहानी (अंग्रेजी-लघु एनिमेशन)	4.44
13.	नईम शॉ	सुनामी-81 (हिन्दी फीचर)	60.00
14.	चेतन शर्मा	मा-अ-अ-अ-अ (हिन्दी-लघु एनिमेशन)	7.50
15.	गौतम बेनेगल	पाटालेर राजपूत्रों (अंग्रेजी-एनिमेशन)	26.00
16.	विरेन्द्र सैनी	फोटो (हिन्दी फीचर)	45.00
17.	क्रांति पांडे	महक मिर्जा (हिन्दी फीचर)	37.60
		2006-07	
18.	शालीन शर्मा	नंदू का राजा (हिन्दी फीचर)	35.00
19.	अक्कीनेनी कुटुम्बा राव	अमूल्यम-द प्राइसलेस गिफ्ट (तेलुगु फीचर)	30.00
		2007-08	
20.	मिलिंद दस्ताने	अजि अजोबा	20.93
21.	तिलकराज शेट्टी	क्रिश, ट्रिश एंड बॉटलीबॉय	30.00
22.	कर्नल आर.के. कपूर	जैंग जैंग क्लैंग	40.00

विवरण III

फिल्म प्रभाग द्वारा वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान बाहरी निर्माताओं के निर्माण के लिए दी गयी फिल्मों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	निर्माता का नाम	फिल्म का शीर्षक गेज/लम्बाई	अनुबंधित राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
		2005-06	
1.	श्री राजीव मोहन, मुम्बई	हेल्पींग सीनियर सिटीजन क्रॉस द रोड 35 मि.मी./3 मिनट	1.76
2.	श्री ब्रजभूषण, चित्राश्रम, मुम्बई	एकता ही बल है 35 मि.मी./5 मिनट	3.95
3.	श्री जय कुमार, बंगलोर	द बर्डस फ्लाई/ वीडियो/25-28 मिनट	5.00
4.	श्री राजर्षी राय, कोलकाता	शंकरदेवा ए मल्टीफेरस जीनियस/ वीडियो/25-28 मिनट	4.60
		2006-07	
5.	श्री बुद्धदेव दासगुप्त, कोलकाता	नौशाद अली/35 मि.मी.	18.25
6.	श्री जगन्नाथ गुहा, कोलकाता	मदर्स पीसमेकर्स 35 मि.मी./20 मिनट	10.66
7.	श्री अरिवम श्याम शर्मा, इम्फाल	राजश्री भाग्यचन्द्र आफ मणिपुर 35 मि.मी./60 मिनट	29.00
8.	श्री सत्येन वांचु, नई दिल्ली	बायोडाइवर्सिटी इन जे. एंड के. 16 मि.मी./30 मिनट	12.00
9.	सुश्री उर्मी चक्रवर्ती, कोलकाता	ट्रेडीशनल हर्बल हीलर्स ऑफ मेघालय 35 मि.मी./20 मिनट	10.50
10.	डॉ. जब्बार पटेल, मुंबई	पंडित शिव कुमार शर्मा 35 मि.मी./60 मिनट	22.27
11.	सुश्री शालिनी शाह, मुंबई	के.वी.आई.सी. 35 मि.मी./30 मिनट	15.00
		2007-08	
12.	श्री स्वप्न दास, कोलकाता	उत्तम कुमार 35 मि.मी./40 मिनट	20.00

1	2	3	4
13.	श्री संजीत नार्वेकर, मुम्बई	वी. शांताराम 35 मि.मी./30 मिनट	16.00
14.	श्री यश पाल चौधरी, मुंबई	मृणाल सेन 35 मि.मी./30 मिनट	16.00
15.	श्री राजन, मुंबई	ट्रेन थियेटर 35 मि.मी./40 मिनट	25.00
16.	श्री पी.पी. गोविंदन, चेन्नई	साल्वेशन ऑफ रिवर पम्बा 35 मि.मी./20 मिनट	12.00
17.	श्री बप्पा रे, नई दिल्ली	बुद्धिस्ट थंग कर इन लद्दाख 35 मि.मी./20 मिनट	12.00
18.	श्री ईश्वर चक्रवर्ती	थ्री कलर्स व्हाइट 35 मि.मी./40 मिनट	20.00
19.	श्री मोहन पालीवाल	मकबूल शेरवानी 35 मि.मी./20 मिनट	10.00
20.	श्री आर.एस. म्हासुर्मेकर, मुंबई	आला 35 मि.मी./30 मिनट	16.00
21.	श्री आर.के. सोरल, मुंबई	नेशनल इंटीग्रेशन 35 मि.मी./40 मिनट	18.00
22.	श्री अशोकेर कुमार, ठाणे	रानी लक्ष्मीबाई 35 मि.मी./50 मिनट	26.00
23.	श्री के.एस. बसवराज, बंगलौर	गंगा कावेरी 35 मि.मी./20 मिनट	12.00

[हिन्दी]

शस्त्र लाइसेंसों की वैधता

***514. श्री रशीद मसूदः**
श्री अशोक अर्गलः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य सरकारों को शस्त्र लाइसेंसों की वैधता का पूरे देश में विस्तार करने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिशानिर्देश का देश के अंदर पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा 4 जुलाई, 1989 से 31 दिसम्बर, 1995 तक की अवधि के दौरान कितने शस्त्र लाइसेंस पूरे देश में वैध बनाए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां।

(ख) 1995 में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप गैर-निषिद्ध बोर के शस्त्र लाइसेंसों पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संबंधित जिलाधिकारी की सिफारिशों के आधार पर जिला/राज्य में व्याप्त कानून एवं व्यवस्था की स्थिति तथा अन्य स्थानीय तथ्यों के मद्देनजर, गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है। निषिद्ध बोर के शस्त्र लाइसेंसों के संबंध में वैधता का विस्तार सम्पूर्ण देश में प्रभावी बनाने के अनुरोध पर राज्य सरकारों और संबंधित सुरक्षा

एजेंसियों से परामर्श करने के पश्चात गुणावगुण आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा गैर निषिद्ध बोर के लाइसेंस देने या क्षेत्र वैधता का अखिल भारतीय आधार पर विस्तार करने के ब्यौरों का केन्द्रीय सरकार द्वारा संग्रहण अथवा अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने संदर्भाधीन अवधि के दौरान क्षेत्र विस्तार के लिए राज्य सरकारों की संस्तुति और उत्तराधिकारी अंतरण, ने लाइसेंसों, रक्षा आबंटिती की मौजूदा नीति के अंतर्गत अखिल भारतीय वैधता के 550 शस्त्र लाइसेंस जारी किये हैं।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों को व्यापार मिशन

***515. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत तथा खाड़ी देशों के बीच व्यापार में अंतर को कम करने के लिए खाड़ी देशों में व्यापार मिशन भेजने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक खाड़ी देशों को वस्तुवार तथा देशवार कुल कितनी मात्रा में फल तथा सब्जियां निर्यात की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ङ) देश से फलों तथा सब्जियों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने और कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के छह देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के व्यापार संबंधों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि जहां तक वस्तु व्यापार (तेल को छोड़कर) का संबंध है, व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। वर्ष 2006-07 के दौरान जीसीसी देशों को 16334.96 मिलियन अम. डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात और इसी अवधि के दौरान 6187.53 मिलियन अम. डॉलर मूल्य के आयात हुए थे। तथापि, यदि अपरिष्कृत, पेट्रोलियम और इसके उत्पादों को ध्यान में रखा जाए तो यह व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है।

भारत से निर्यातों को प्रोत्साहित करने और नये अवसरों का पता लगाने के लिए सरकार की बाजार विकास सहायता और बाजार पहुंच पहल स्कीमों के अंतर्गत वित्त पोषण किया जा रहा है। व्यापारी-दर-व्यापारी सम्पर्क को सुदृढ़ करने, सेमिनारों/सम्मेलनों/प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए संयुक्त व्यापार आयोग/संयुक्त व्यापार समिति और संयुक्त व्यवसाय समिति जैसे औपचारिक संस्थागत तंत्र भी हैं।

(ग) ब्यौरे विवरण-1 में दिये गये हैं।

(घ) ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ङ) एपीडा, जो कृषि क्षेत्र में निर्यात संवर्धन निकाय है, द्वारा फल एवं सब्जियों के निर्यातकों को अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास, बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता और परिवहन सहायता प्रदान की जा रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत भी निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु गुणवत्ता युक्त उत्पादों का उत्पादन करने के लिए नाममात्र के आयात शुल्क पर पूंजीगत उपस्कर का आयात कर सकते हैं।

विवरण I

खाड़ी देशों को वर्ष 2004-05 के दौरान ताजे फलों और सब्जियों का निर्यात

(मात्रा: मी. टन)

उत्पाद	बहरीन	कुवैत	ओमान	कतर	सऊदी अरब	यू.ए.ई.
1	2	3	4	5	6	7
अंगूर	109	0.47	102	1	163	5476
आम	849	268	144	160	2301	10339

1	2	3	4	5	6	7
अखरोट	26	154	0	0.16	0	86
अन्य ताजे फल	1530	760	1852	689	4144	28950
कुल	2514	3696	2098	850	6608	44851
प्याज	21558	3456	2881	3019	8519	116188
अन्य सब्जियां	3920	5420	1396	3269	11435	27519
कुल	25498	8876	4277	6288	19954	143707

खाड़ी देशों को वर्ष 2005-06 के दौरान ताजे फलों और सब्जियों का निर्यात

(मात्रा: मी. टन)

उत्पाद	बहरीन	कुवैत	ओमान	कतर	सऊदी अरब	यू.ए.ई.
अंगूर	153	21	190	36	345	7046
आम	621	105	227	41	1564	26534
अखरोट	59	142	0	7	7	13
अन्य ताजे फल	1816	1336	1534	852	4946	38696
कुल	2649	1504	1951	936	6862	72489
प्याज	14990	6792	1377	6327	5545	112174
अन्य सब्जियां	3116	4643	1005	2655	6863	30741
कुल	18106	11435	2382	8982	12408	142915

वर्ष 2006-07 के दौरान खाड़ी देशों को ताजे फलों और सब्जियों का निर्यात

(मात्रा: मी. टन)

उत्पाद	बहरीन	कुवैत	ओमान	कतर	सऊदी अरब	यू.ए.ई.
अंगूर	27	65	315	16	1115	8140
आम	489	428	170	91	1324	22041
अखरोट	22	178	0	0	61	215
अन्य ताजे फल	1448	1518	1203	1252	8530	40555
कुल	1986	2189	1688	1359	11030	70951
प्याज	26155	9720	5334	8111	7690	235913
अन्य सब्जियां	3732	6686	1503	5234	11133	69667
कुल	29887	16406	6837	13345	18823	305580

विवरण II

वर्ष 2004-05 के दौरान खाड़ी देशों को ताजी सब्जियों और फलों का निर्यात

(मूल्य: लाख रु.)

उत्पाद	बहरीन	कुवैत	ओमान	कतर	स. अरब	यू.ए.ई.
ताजे अंगूर	1.08	0	1.53	0.01	1.92	62.13
ताजे आम	4.77	3.35	0.95	1.08	16.67	64.71
ताजी प्याज	34.14	5.61	4.92	5.04	13.19	169.44
अन्य ताजे फल	4.83	3.25	5.80	3.47	19.63	83.00
कुल फल	44.82	12.21	13.20	9.60	51.41	379.28
अन्य ताजी सब्जियां	15.89	23.10	5.13	14.12	51.19	96.70
कुल अन्य ताजी सब्जियां	15.89	23.10	5.13	14.12	51.19	96.70

वर्ष 2005-06 के दौरान खाड़ी देशों को ताजे फलों और सब्जियों का निर्यात

(मूल्य: लाख रु.)

उत्पाद	बहरीन	कुवैत	ओमान	कतर	स. अरब	यू.ए.ई.
ताजे अंगूर	1.42	0.17	2.31	0.42	4.29	77.32
ताजे आम	5.50	2.42	1.71	0.49	9.99	165.00
ताजी प्याज	21.48	9.01	1.83	9.46	8.60	166.16
अन्य ताजे फल	8.24	6.86	7.72	4.75	25.95	136.41
कुल फल	36.64	18.46	13.57	15.12	48.83	544.89
अन्य ताजी सब्जियां	17.93	18.80	5.56	13.61	38.28	117.08
कुल अन्य ताजी सब्जियां	17.93	18.80	5.56	13.61	38.28	117.08

वर्ष 2006-07 के दौरान खाड़ी देशों को ताजे फलों और सब्जियों का निर्यात

(मूल्य: लाख रु.)

उत्पाद	बहरीन	कुवैत	ओमान	कतर	स. अरब	यू.ए.ई.
ताजे अंगूर	8.33	20.62	164.91	7.68	563.59	3667.91
ताजे आम	171.76	244.89	118.65	45.88	422.32	6581.02
ताजी प्याज	2304.95	973.56	673.90	762.05	818.85	20967.40
अन्य ताजे फल	343.66	315.97	299.29	317.24	2204.99	6588.80
कुल फल	2828.70	1555.04	1256.75	1132.85	4009.75	37805.13
अन्य ताजी सब्जियां	927.36	1356.87	328.28	1490.48	3426.68	9904.09
कुल अन्य ताजी सब्जियां	927.36	1356.87	328.28	1490.48	3426.68	9904.09

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा का स्तर

***516. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान प्राथमिक शिक्षा में राज्यवार तथा संघ राज्य-क्षेत्रवार कितना सुधार हुआ है; और

(ग) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के अंत में राज्यवार तथा लिंगवार कितने प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के सभी स्तरों में सुधार के लिए देशभर में 1,86,985 स्कूल खोले गए, 8.81 लाख शिक्षक भर्ती किए गए, 1,41,738 स्कूल भवनों, 5,57,927 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण किया गया तथा 1,54,121 स्कूलों में पेयजल तथा 1,97,633 स्कलों में शौचालय सुविधाएं प्रदान की गई।

(ख) वर्ष 2004-05 से 2005-06 तक प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाने वाला विवरण-I के रूप में दिया गया है।

(ग) राज्य की रिपोर्टों के अनुसार 31.3.2007 तक देश में 6 से 14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 76 लाख थी। स्कूल न जाने वाले 31.3.2007 तक बच्चों की राज्यवार तथा बालक-बालिकावार संख्या दर्शाने वाला विवरण-II के रूप में दिया गया है।

विवरण I

प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि का रुख दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात	
		2004-05	2005-06
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	96.71	94.87
2.	अरूणाचल प्रदेश	123.12	132.16
3.	असम	105.2	107.11
4.	बिहार	83.75	87.2
5.	छत्तीसगढ़	131.84	122.26
6.	गोवा	110.13	107.74
7.	गुजरात	118.65	119.44
8.	हरियाणा	82.23	79.61
9.	हिमाचल प्रदेश	108.9	108.89
10.	जम्मू-कश्मीर	83.72	100.49
11.	झारखंड	94.8	105.19
12.	कर्नाटक	107.1	106.19
13.	केरल	93.61	93.85
14.	मध्य प्रदेश	132.16	143.67
15.	महाराष्ट्र	110.37	112.34
16.	मणिपुर	151.69	157.92
17.	मेघालय	147.62	162.37
18.	मिजोरम	127.53	169.06
19.	नागालैंड	87.94	88.82
20.	उड़ीसा	129.69	118.15
21.	पंजाब	77.2	77.46
22.	राजस्थान	121.24	121.69
23.	सिक्किम	143.58	151.15
24.	तमिलनाडु	118.41	120.07
25.	त्रिपुरा	131.03	143.35
26.	उत्तर प्रदेश	107.54	110.57
27.	उत्तराखंड	117.74	119.89
28.	पश्चिम बंगाल	112.11	104.91

1	2	3	4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	108.85	101.62
30.	चंडीगढ़	74.01	79.31
31.	दादर और नगर हवेली	134.5	143.66
32.	दमन और दीव	136.01	135.03
33.	दिल्ली	94.42	115.13
34.	लक्षद्वीप	58.78	62.28
35.	पुदुचेरी	131.64	134.26
	भारत	107.8	109.4

विवरण II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार स्कूल-बाह्य बच्चे		
		बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	126732	137281	264013
2.	अरुणाचल प्रदेश	14407	16158	30565
3.	असम	184014	154820	338834
4.	बिहार	1055958	1063626	2119584
5.	छत्तीसगढ़	59579	64053	123632
6.	गोवा	3784	3915	7699
7.	गुजरात	62339	72305	134644
8.	हरियाणा	113364	125483	238847
9.	हिमाचल प्रदेश	2448	3176	5624
10.	जम्मू-कश्मीर	46698	61862	108560
11.	झारखंड	98331	111331	209662
12.	कर्नाटक	88855	85679	174534
13.	केरल	10540	10251	20791
14.	मध्य प्रदेश	148894	148085	296979
15.	महाराष्ट्र	68602	68290	136892
16.	मणिपुर	27233	27118	54351
17.	मेघालय	20443	16791	37234

1	2	3	4	5
18.	मिजोरम	2392	2521	4913
19.	नागालैंड	17406	17929	35335
20.	उड़ीसा	276200	261641	537841
21.	पंजाब	119341	108304	227645
22.	राजस्थान	74727	89167	163894
23.	सिक्किम	1764	1440	3204
24.	तमिलनाडु	51260	52001	103261
25.	त्रिपुरा	7618	7758	15376
26.	उत्तर प्रदेश	392475	393049	785524
27.	उत्तराखण्ड	10681	11549	22230
28.	पश्चिम बंगाल	700721	656880	1357601
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	69	64	133
30.	चंडीगढ़	2713	2792	5505
31.	दादर और नगर हवेली	453	1161	1614
32.	दमन और दीव	106	95	201
33.	दिल्ली	16501	13500	30001
34.	लक्षद्वीप	92	76	168
35.	पुदुचेरी	180	146	326
	भारत	3806920	3790296	7597216

विद्यालयों से बच्चों की अनुपस्थिति

***517. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यालयों से बच्चों की अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाने के लिए देश के 286 जिलों में प्राथमिक तथा मिडिल विद्यालयों का हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें छात्रों की उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम पाई गई है और उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों के छात्रों का आंकड़ा क्या है;

(ग) अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में माता-पिता की असमर्थता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कोई नई योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान 20 राज्यों के 286 जिलों में छात्र उपस्थिति पर एक अध्ययन किया। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्पूर्ण औसत छात्र उपस्थिति दर क्रमश: 68.5% और 75.7% थी। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्राथमिक स्तर पर छात्र उपस्थिति दर क्रमश: 42.2% और 57.4% बताई गई जबकि बिहार तथा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों की उपस्थिति दर क्रमश: 46.4% और 59.6% थी और मुस्लिम छात्रों की उपस्थिति दर क्रमश: 44.3% और 56.1% थी। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति छात्रों की उपस्थिति दर 57.8% थी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बिहार में छात्र उपस्थिति 36.8% थी जिसमें अनुसूचित जाति और मुस्लिम छात्रों की उपस्थिति क्रमश: 42.2% और 40% थी।

अध्ययन में छात्रों की कम उपस्थिति के अभिभावकों द्वारा बताए गए मुख्य कारण थे: बच्चों द्वारा स्कूल जाना पसंद न किया जाना; स्कूली सुविधाओं की कमी; और अस्थायी स्थानांतरण।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार प्रारंभिक स्तर पर स्कूल अवसंरचना के संवर्धन; जहां आवश्यक हो वहां छात्रों के लिए परिवर्तनशील स्कूल सुविधाओं की स्थापना; सामुदायिक लामबंदी में निवेश और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

आपदा प्रवण क्षेत्रों के असुरक्षित समझे जाने वाले भागों की समीक्षा

***518. श्री अबु अयीश मंडल:** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने भूकंप की चेतावनी दी है तथा देश में प्रमुख आपदा प्रवण क्षेत्रों के असुरक्षित समझे जाने वाले भागों की समीक्षा करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी नहीं, विशेषज्ञों ने भूकंपों की कोई विशिष्ट चेतावनी नहीं दी हैं। वस्तुत: भूकंपों का पूर्वानुमान करने के लिए कोई वैज्ञानिक विधि उपलब्ध नहीं है। तथापि, हिमालय क्षेत्र बड़े परिमाण वाले भूकंपों की संभावना वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह उल्लेखनीय है कि पूरे विश्व के और देश के अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में बड़े भूकंप आने की संभावित आशंका व्यक्त की है।

देश के प्रमुख आपदा प्रवण क्षेत्रों के संवेदनशीलता संबंधी मानचित्रों की समीक्षा के मुद्दे पर शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आने वाली भवन सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बी.एम.टी.पी.सी.) द्वारा कार्रवाई की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भारत के भूकंपीय क्षेत्र-वर्गीकरण संबंधी मानचित्र में संशोधन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। बी.आई.एस. समिति ने 26 जुलाई, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया तथा आई.एस. 1893 (भाग 1): 2002 के मौजूदा क्षेत्र वर्गीकरण संबंधी मानचित्र में कोई संशोधन न करने की सिफारिश की है।

(ग) हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने भूकंप आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। भूकंप आपदा को कम करने के एक उपाय के रूप में दिल्ली, गुवाहाटी और जबलपुर के माइक्रोजोनेशन अध्ययन किये गये हैं ताकि स्थल आधारित जोखिमों का मूल्यांकन किया जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्य शहरों के भूकंपीय जोन 4 और 5 के अधीन आने वाले शहरों के भूकंपीय माइक्रोजोनेशन अध्ययन करने का प्रस्ताव है।

टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स

***519. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्यमान टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टी.आर.पी.) प्रणाली की जांच करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ङ) सरकार ने टेलीविजन दर्शक संख्या मापन (टीएएम)/ टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश बनाने के लिए ट्राई से अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया है ताकि नमूना आकार को विस्तृत किया जा सके तथा इसमें और अधिक पारदर्शिता लायी जा सके। ट्राई ने टीएएम/टीआरपी हेतु नीतिगत दिशानिर्देशों के संबंध में परामर्श पत्र जारी कर दिया है जो उनकी वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है। इस बीच, सरकार ने विभिन्न पणधारियों के साथ कई बैठकें भी की हैं। ट्राई की सिफारिशें प्राप्त होने से पहले कोई अन्य कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण

***520. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू बजट में सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण हेतु तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ख) क्या सरकार का सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण में बड़े परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश के किन-किन सीमावर्ती क्षेत्रों में इससे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का सभी सीमाओं के आधुनिकीकरण हेतु भी कोई प्रस्ताव हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों (सीपीएमएफ) की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत चालू बजट में 583.462 करोड़ रुपये की राशि विनिर्दिष्ट की गई है।

(ख) स्कीम का लक्ष्य हथियारों, विभिन्न प्रकार के उपकरणों, आवाजाही, आदि के संदर्भ में सीपीएमएफ का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना है तथा इसे यथा अनुमोदित रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। स्कीम में किसी मुख्य परिवर्तन की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम करने के उद्देश्य से सरकार ने भारत-पाक और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर बाड़, फ्लड लाइटिंग और सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किया है। कारगर सीमा प्रबंधन के लिए बल शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए सीमाओं पर विभिन्न प्रकार के उच्च तकनीक के निगरानी उपकरण लगाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु विगत दो वर्षों (2006-07 तथा 2007-08) के दौरान 144.42 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

नए उद्योगों की स्थापना

4955. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड तथा गुजरात सहित देश में नए उद्योग स्थापित करने के लिए धनराशि प्रदान करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान प्रमुख उद्योग स्थापित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) उदारीकृत आर्थिक माहौल के अंतर्गत उद्यमियों द्वारा लिये जाने वाले निवेश संबंधी निर्णय तकनीकी-आर्थिक समझ पर आधारित होते हैं जो फिर अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके अनुकूल माहौल सृजित करने में राज्य सरकारों की पहल पर निर्भर होते हैं। केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनके प्रयासों में यथासंभव सहायता प्रदान करती है।

उड़ान अकादमी में मौसम पूर्वानुमान केन्द्र

4956. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के गोंडिया में शुरू की जाने वाली उड़ान अकादमी हेतु मौसम संबंधी पूर्वानुमान बताने के लिए वेधशाला कार्यालय स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के मौसम विज्ञानी सेवाएं उपलब्ध कराने के अनुरोध पर, दि. 21.1.2008 को गोंडिया एयरपोर्ट के एटीसी में स्वचालित डिजिटल सूचक वायु यंत्र संस्थापित किया गया है। एयरपोर्ट मौसम-वैज्ञानिक कार्यालय (एएमओ), नागपुर, जो केवल 50 कि.मी. दूर है, द्वारा क्षेत्र पूर्वानुमान उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एन.डी.एम.सी. कर्मचारियों को ए.सी.पी.

4957. श्री परसुराम माझी:
श्री लालमणि प्रसाद:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.सी.डी. तथा एन.डी.एम.सी. के सभी कर्मचारियों को 12 वर्ष पूरा कर लेने के बाद भी ए.सी.पी. नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन कर्मचारियों को कब तक ए.सी.पी. मिलने की संभावना है;

(ग) क्या 12 वर्ष के बाद भी ए.सी.पी. देने की कोई पूर्व शर्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी हां। नगर निगम दिल्ली के उन सभी पात्र कर्मचारियों को, जिन्होंने 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, एश्योर्ड केरियर प्रोग्रेशन (एसीपी) योजना का लाभ दिया जाता है इसी तरह, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में भी पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारियों को एसीपी दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देश के अनुरूप उन सभी कर्मचारियों को एसीपी योजना का लाभ दिया जाता है जिन्होंने 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, जिनके खिलाफ कोई नियमित विभागीय अथवा आपराधिक मामला लंबित न हो, जिनकी पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में कुछ भी प्रतिकूल टिप्पणी न देखी गई हो और जिन्हें दंडित किया जाने वाला न हो।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का विनिवेश

4958. श्री रनेन बर्मन: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का वित्तीय कार्यनिष्पादन क्या रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार कंपनी में शेष अंशधारिता का विनिवेश करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हांडिक): (क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (एच जैड एल) का पिछले तीन वर्षों का वित्तीय निष्पादन नीचे दिया गया है:

	2005-06	2006-07	2007-08
टर्न ओवर (करोड़ रुपये)	3890	8560	7878
लाभ (कर पूर्व) (करोड़ रुपए)	2229	6554	5985
लाभ (कर पश्चात) (करोड़ रुपए)	1472	4442	4396

(ख) आज की तारीख को, भारत सरकार का हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में बकाया स्टेक का विनिवेश करने का कोई निर्णय नहीं है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

उन्नत प्रौद्योगिकी की उच्च लागत

4959. डा. बाबू राव मिडियम: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्नत प्रौद्योगिकी की लागत देश में कई गुणा बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी की लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं। उन्नत प्रौद्योगिकियां ऑफ द शेल्फ उपलब्ध नहीं हैं। उनको भारत में ही मिशनों को प्रारंभ करके और परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करते हुए विकसित किये जाने की आवश्यकता है। सफल परिणामों से ऐसी प्रौद्योगिकियों की लागत में कमी होती है। साधारणतया देश में विकसित उन्नत प्रणालियों की लागत बहुत ही किफायती होती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठन

4960. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी अभिदाय विनिमय अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.), 1976 के अंतर्गत पंजीकृत किन-किन गैर-सरकारी संगठनों को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज तक राज्यवार काली सूची में डाल दिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने एफ.सी.आर.ए. के अंतर्गत विदेशों से धनराशि एकत्र करने के लिए ''फोरेन फंडिंग एजेन्सी'' से प्राप्त अनुमति पत्र के साथ अनुमति के लिए आवेदन किया था;

(ग) उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त अवधि के दौरान राज्यवार सरकार द्वारा पूर्वानुमति नहीं दी गई;

(घ) क्या ''फोरेन फंडिंग एजेन्सियों'' की गतिविधियां राष्ट्रहित के विरुद्ध पाई गईं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्रहित के विरुद्ध कार्य कर रही फोरेन फंडिंग एजेन्सियों की गतिविधियों पर भविष्य में रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 1976 के तहत पंजीकृत संघों की कोई काली सूची विद्यमान नहीं है। तथापि, जब भी कभी ऐसे संघों के विरुद्ध एफसीआरए के उपबंधों का उल्लंघन किये जाने संबंधी शिकायतें सरकार की जानकारी में आती हैं तो अधिनियम के तहत ऐसे संघों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। ऐसी कार्रवाइयों में (1) संघ को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए निषिद्ध करना, (2) संघ को पूर्व अनुमति की श्रेणी में रखना, (3) अदालत में संघ के विरुद्ध अभियोजन चलाना और (4) संघ के बैंक खातों पर रोक लगाना शामिल है। यदि संघ को इसके उल्लिखित प्रयोजनों को छोड़ कर अन्य प्रयोजनों में विदेशी अभिदाय का दुर्विनियोजन या अन्तरण किये जाने जैसे गंभीर उल्लंघनों में संलिप्त पाया जाता है तो इस मामले की विस्तृत जांच-पड़ताल करने और यदि आवश्यक हुआ तो अभियोजन चलाने के लिए इसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा जाता है। यदि उल्लंघन गैर-इरादतन हो और गंभीर स्वरूप के न हों तो अधिनियम की धारा 31 के उपबंधों के तहत उन्हें माफ किया जाता है।

प्राप्त हुई शिकायतों और की गई जांच-पड़तालों के आधार पर 45 संघों को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से निषिद्ध किया गया है, 26 संघों को पूर्व अनुमति की श्रेणी में रखा गया है और 11 संघों के बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है। जिन संघों के विरुद्ध अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन किये जाने के लिए कार्रवाई की गई है उनकी सूची मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mha.nic.in/fera.htm) पर उपलब्ध है। 17 संघों के मामलों की विस्तृत जांच-पड़ताल के लिए उन्हें सीबीआई को सौंपा गया है।

(ख) से (च) विदेशी स्रोत से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के इच्छुक संघों के लिए यह अपेक्षित है कि वे दानदाता एजेंसी से प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत करें जिसमें प्राप्त की जाने वाली विदेशी अभिदाय की राशि और जिस प्रयोजन के लिए इस राशि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है उसका उल्लेख किया गया हो। ऐसी अनुमति 2 प्राप्तकर्ता संगठन के पूर्ववृत्तों का सत्यापन करने के बाद प्रदान की जाती है। यदि प्राप्त की जाने वाली प्रस्तावित विदेशी अभिदाय की राशि, कतिपय नई सीमाओं से अधिक है तो दानदाता एजेंसी के पूर्ववृत्तों का विस्तृत

सत्यापन भी किया जाता है। यदि विधिवत सत्यापन किये जाने के बाद किसी दानदाता एजेंसी के विरुद्ध इस आशय की पर्याप्त सूचना प्राप्त होती है कि इसके क्रियाकलाप राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल हैं या एनजीओ को निधियां प्रदान करने से यह विदेशों में भारत विरोधी प्रचार/क्रियाकलापों से संलिप्त रहता है तो ऐसी दानदाता एजेंसियों से विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से पूर्व अनुमति नहीं दी जाती है। एफसीआरए के तहत जिन एनजीओ को पूर्व अनुमति मंजूर की गई है उनकी राज्य-वार सूची वेबसाइट (http://www.mha.nic.in/fera.htm) पर उपलब्ध है। तथापि, जिन संघों को उक्त अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति नहीं दी गई है उनकी सूची नहीं रखी जाती है।

श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता

4961. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रीलंका के कई व्यावसायियों ने दक्षिणी राज्यों में विशेष रूप से होटल तथा पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने की रुचि दिखलाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। भारत और श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएलएफटीए) के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। इस करार पर वर्ष 1998 में हस्ताक्षर किये गये थे और यह वर्ष 2000 से लागू हुआ था। आईएसएलएफटीए की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

* टैरिफों की पूर्ण अथवा चरणबद्ध समाप्ति के जरिये मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) की स्थापना। भारत ने करार लागू होने के बाद 6 अंकीय एचएस कोड पर 1351 मदों हेतु शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की थी और मार्च, 2003 के अंत तक शेष 2799 मदों पर चरणबद्ध कमी कर दी थी। दूसरी ओर, श्रीलंका ने करार लागू होने के बाद 6 अंकीय एचएस कोड पर 319 मदों हेतु शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की थी और उससे मार्च, 2008 के अंत तक शेष मदों पर शुल्क से 100% छूट प्रदान करने की अपेक्षा की गई थी।

* एफटीए में सभी वस्तुओं पर टैरिफ नहीं हटाया जाता है और इसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय हित के संरक्षण हेतु नकारात्मक सूची होती है। भारत की नकारात्मक सूची में 429 मदें शामिल हैं, जबकि श्रीलंका की नकारात्मक सूची में 1180 मदें शामिल हैं।

* न्यूनतम स्थानीय अन्तर्वस्तु सुनिश्चित करने के लिए करार में उद्‌गम नियम संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं। दोनों देशों के घरेलू व राष्ट्रीय हित के संरक्षण के लिए पर्याप्त रक्षोपाय भी शामिल हैं।

* करार का सुचारू प्रचालन सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा तथा परामर्श तंत्र भी स्थापित किया गया है।

* भारत ने श्रीलंका से भारत में अधिमानी आधार पर चाय व परिधानों के आयात पर टीआरक्यू भी प्रदान किया है।

(ग) और (घ) निवेश की सम्भावनाएं तलाशने के लिए हाल ही में वाणिज्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक व्यावसायिक शिष्टमण्डल ने श्रीलंका का दौरा किया था। इस व्यावसायिक शिष्टमण्डल में मुख्यत: वस्त्र तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों से संबंधित सदस्य शामिल थे। व्यावसायिक संवाद सत्र के दौरान श्रीलंका के व्यावसायियों ने भारत के दक्षिणी राज्यों में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की थी परंतु कोई अंतिम सहमति नहीं बनी थी।

(ङ) व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईईपीए) को अंतिम रूप दिए जाने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी होने की सम्भावना है, जिसमें सेवा व्यापार निवेश तथा आर्थिक सहयोग को शामिल करके एफटीए के दायरे को गहन और व्यापक बनाया जाएगा।

अव्यवहार्य सरकारी क्षेत्र के उद्यम

4962. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.12.2007 की स्थिति के अनुससार बीआईएफआर के पास दर्ज अव्यवहार्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) का पीएसई-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) लोक उद्यम विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 2007 को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के पास पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसईएस) के ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(ख) सरकार ने रुग्ण तथा घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसईएस) के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरुज्जीवन तथा पुनर्निर्माण से संबंधित मामलों पर परामर्श देने के लिए दिसम्बर, 2004 में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया है बीआरपीएसई की सिफारिशों पर सरकार ने सीपीएसई के पुनरुज्जीवन तथा पुनर्निर्माण के लिए 28 मामलों को अनुमोदित किया है जिनमें 1962.51 करोड़ रुपये की नकद सहायता तथा 6446.80 करोड़ रुपये की गैर-नकद सहायता सम्मिलित है।

विवरण

31.12.2007 को बीआईएफआर के पास पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पीएसई-वार एवं स्थल-वार स्थिति

क्र.सं.	मामला संख्या एवं संदर्भ वर्ष	स्थापना स्थल सहित पीएसई का नाम	आदेश की तिथि (बीआईएफआर के)
1	2	3	4
1.	533/1992	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि., कोलकाता (प. बंगाल)	31.3.1995
2.	5091/1993	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा (राजस्थान)	23.12.1998
3.	501/1996	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली (दिल्ली)	21.3.2006
4.	507/1994	हिन्दुस्तान फ्ल्यूरोकार्बन्स लि., हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	24.7.2003
5.	501/1998/ 501/2000	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., बर्दमान (प. बंगाल)	2.11.2004
6.	502/2000	हिन्दुस्तान साल्ट लि., जयपुर (राजस्थान)	22.8.2005
7.	504/1998	प्रागा टूल्स लि., सिकन्दराबाद (आंध्र प्रदेश)	29.3.2007
8.	502/1992/ 601/1998	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं. लि., मोकोकचंग (नागालैण्ड)	25.5.2007
9.	501/1997	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि., पुणे (महाराष्ट्र	5.6.2007
ख. बन्द करने के लिए संस्तुतित			
10.	511/1992	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि., रांची (झारखण्ड)	6.7.2004
11.	506/1993	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लि., कोलकाता (प. बंगाल)	8.7.2004

1	2	3	4
12.	503/1995	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मैनुफैक्चरिंग कं. लि., ऊटाकैमुण्ड- (तमिलनाडु)	30.1.2003
13.	502/1999	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लि., नई दिल्ली (दिल्ली)	7.12.2001
14.	507/1992	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	5.6.2003
15.	514/1992	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि., भुवनेश्वर (उड़ीसा)	8.4.2003
16.	501/1999	बर्डस जूट तथा एक्सपोर्टस लि., कोलकाता (प. बंगाल)	24.6.2004
17.	503/1999	पाइराइट्स फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि., रोहताश (बिहार)	20.11.2002
18.	515/1992	फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली (दिल्ली)	2.4.2004
ऐसे सीपीएसई जिनको बंद करने की सिफारिश की गई एवं बंद कर दिया गया है			
19.	526/1992	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्स लि., कोलकाता (प. बंगाल)	27.9.2002
20.	532/1992	भारत ऑपथाल्मिक ग्लास लि., दुर्गापुर (प. बंगाल)	19.6.2003
21.	520/1992	साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., कोलकाता (प. बंगाल)	22.7.1996
22.	508/1992	साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., कोलकाता (प. बंगाल)	10.7.2000
23.	510/1992	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लि., दुर्गापुर (प. बंगाल)	29.6.2001
24.	513/1992	नेशनल बाईसाइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., मुम्बई (महाराष्ट्र)	20.12.1993
25.	506/1994	रेरॉल बर्न लि., कोलकाता (प. बंगाल)	13.7.2001
26.	506/1992	टैनरी तथा फुटवियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)	14.2.1995
27.	524/1992	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड, कोलकाता (प. बंगाल)	17.2.1997

1	2	3	4
28.	504/1994	सदर्न पैस्टीसाइड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	1.11.2001
29.	505/1992	भारत गोल्ड माइन्स लि., कोलार गोल्ड फील्ड्स (कर्नाटक)	
30.	527/1992	कानपोर टेक्सटाइल्स लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)	
31.	538/1992	बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड, कोलकाता (प. बंगाल)	
32.	502/1996	महाराष्ट्र एंटीबॉयोटिक्स एण्ड फर्मा. लि., नागपुर (महाराष्ट्र)	
33.	529/1992	स्मिथ स्ट्रेनीस्ट्रीट एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि., कोलकाता (प. बंगाल)	
ग. "रखरखाव न किये जाने योग्य" के रूप में परित्यक्त			
34.	504/1997	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिल्स लि., (मणिपुर)	
35.	502/2002	सेंट्रल कोलफील्डस लि., रांची (झारखंड)	
36.	517/1992 504/2002	बीको लॉरी लिमिटेड, कोलकाता (प. बंगाल)	
घ. परिचालित की गई मसौदा पुनरुज्जीवित योजना			
37.	501/2003	एंड्रयू यूले तथा कंपनी लि., कोलकाता (प. बंगाल)	
38.	518/1992	दी ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन, लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)	
ङ. प्राप्त की गई/प्रक्रियाधीन मसौदा पुनरुज्जीवित योजना			
39.	531/1992	नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लि., कोलकाता (प. बंगाल)	
40.	501/2006	एचएमटी मशीन टूल्स लि., बंगलौर (कर्नाटक)	
च. प्रतीक्षित मसौदा पुनरुज्जीवित योजना			
41.	523/1992	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., कोलकाता (प. बंगाल)	
42.	502/1998	एनईपीए लि., नेपानगर (मध्य प्रदेश)	
43.	588/1994	बर्न स्टैंडर्ड्स कं. लि., कोलकाता (प. बंगाल)	

1	2	3	4
छ. जांच की जा रही है/प्रक्रियाधीन है			
44.	501/2001	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं. लि., पटना (बिहार)	
45.	504/1995 502/2001	भारत कोकिंग कोल लि., धनबाद (झारखण्ड)	
46.	503/505/2002	हिन्दुस्तान केबल्स लि., कोलकाता (प. बंगाल)	
47.	503/2004	भारत हेवी प्लेट्स एंड वैसल्स लि., विशाखापट्नम (आंध्र प्रदेश)	
48.	504/2004	आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर (कर्नाटक)	
49.	505/2004	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लि., तुंगभद्रा डेम, (कर्नाटक)	
50.	501/2005	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि., रासायनी, रायगढ़ (महाराष्ट्र)	
51.	503/1992	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., गुड़गांव (हरियाणा)	
52.	501/2007	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	
ज. जिन्हें रुग्ण घोषित नहीं किया गया है			
53.	504/1992	स्कूटर्स इंडिया लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	
54.	503/1997	नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्री. मार्केटिंग कार्पोरेशन, गुवाहाटी, (असम)	
55.	512/1992	विज्ञन्यान इण्डस्ट्रीज लि., टार्केरे (कर्नाटक)	
56.	528/1992	ब्रेथवेट एंड कं. लि., कोलकाता (प. बंगाल)	
57.	521/1992	प्रोडक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि., धनबाद (झारखण्ड)	
झ. छोड़ दिये गये (सकारात्मक नेटवर्थ)			
58.	502/1997/ 503/1998	भारत इम्यूनोलोजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कॉर्पोरेशन लि., बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)	1.8.22002
59.	501/2002/ 502/2003	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोसमेल्ट लि., मुम्बई (महाराष्ट्र)	27.6.2005
60.	502/2005	एचएमटी बियरिंग लि., हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	13.2.2006

1	2	3	4
61.	501/1992	भारत पम्पस एंड कम्प्रेशर्स लि., इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	6.2.2007
62.	501/2004	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि., नई दिल्ली (दिल्ली)	18.9.2007
ञ. न्यायालय द्वारा वापिस किये गये			
63.	525/1992	भारत रिफ्रेक्टर्स लि., बाकोरा स्टील सिटी (झारखण्ड)	13.1.2004
ट. ए.ए.आई.एफ.आर. द्वारा वापस किये गये			
64.	509/1992	रिचर्डसन एंड क्रूदास (1972) लि., मुम्बई (महाराष्ट्र)	24.9.2007
ठ. प्रबंधन का परिवर्तन			
65.	516/1992	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पो. लि., नई दिल्ली (दिल्ली)	1.2.2007
ड. बीआईएफआर से पंजीकृत सूची से हटाना			
66.	519/1992	द एलिजिन मिल्स कं. लि., कानपुर (उत्तर प्रदेश)	13.3.2007

नए राज्यों का गठन

4963. श्री हितेन बर्मन:
श्री सुब्रत बोस:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना राज्य सहित नए राज्यों के गठन हेतु अनुरोध प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) केन्द्र सरकार को नये राज्यों के सृजन हेतु किसी राज्य सरकार से कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, नये राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, महाराष्ट्र में विदर्भ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भोजपुर, गुजरात में सौराष्ट्र, कर्नाटक में कुर्ग, पश्चिमी उड़ीसा में कौशलांचल, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों से मिथिलांचल, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों को मिलाकर पूर्वांचल, हरित प्रदेश, बृज प्रदेश और अवध प्रदेश का सृजन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न स्रोत से मांग एवं अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) सरकार नए राज्यों के सृजन के मामले में कोई भी निर्णय सभी संगत कारकों पर विचार करने के पश्चात लेती है। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई आवश्यकता पड़ने और आम सहमति पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

वेश्यावृत्ति रैकेट

4964. श्रीमती नीता पटैरिया:
श्रीमती करुणा शुक्ला:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी संगठन द्वारा वेश्यावृत्ति से छुड़ायी गयी लगभग 200 लड़कियां दिल्ली के एक कल्याण गृह से लापता हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कल्याण गृह के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न पैदा नहीं होते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना

4965. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य क्या हैं तथा कौन-कौन इसके सदस्य होंगे; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) मंत्रालय का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बंद उद्योग

4966. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार जिनी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र की बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है जो बंद हो चुकी हैं अथवा बंदी के कगार पर हैं तथा इसके राज्यवार क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) देश में बंद होने वाली औद्योगिक इकाइयों से संबंधित आंकड़े श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा संकलित किये जाते हैं, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। श्रम ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2005, 2006 और 2007 में सरकारी और निजी क्षेत्र में बंद हुई औद्योगिक इकाइयों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई तालिका में बताई गई है। सूचना एकत्र करते समय, श्रम ब्यूरो ने बड़ी और मझौली औद्योगिक इकाइयों के बीच कोई भेद नहीं किया है और ऐसी औद्योगिक इकाइयों के बारे में कोई सूचना एकत्र नहीं की है, जो बंदी के कगार पर हैं। इसके अलावा, श्रम ब्यूरो ने इकाइयों के बंद होने के कारणों पर भी कोई अध्ययन नहीं किया है। यह सूचना औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उन स्थायी तौर पर बंद होने की घटनाओं के बारे में एकत्र की जाती है जिनका कारण औद्योगिक विवाद या वित्तीय तंगी, कच्चे माल या बिजली, कोयले की कमी, प्राकृतिक आपदाएं, अंतःयूनियन/अंतरायूनियन, प्रतिद्वंद, अनुशासनहीनता, हिंसा, मशीनरी, खराब हो जाना आदि हो। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कंपनियां अपनी रुग्णता/बंद होने के जो कारण गिनाती हैं वे हैं-सरकारी नीतियों में परिवर्तन, प्रबंधकीय समस्याएं, उत्पादन और तकनीकी समस्याएं, विपणन की समस्याएं, वित्तीय समस्याएं, पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का अभाव, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा आवधिक ऋणों की स्वीकृति एवं संवितरण में विलंब तथा ब्याज की ऊंची दरें।

(ख) एक नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध कराने के अलावा, जो उद्योगों की वृद्धि एवं विकास में सुविधा प्रदान करती है, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुज्जीवन हेतु किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को वित्तीय सहायता के लिए और रुग्ण इकाइयों को स्वस्थ इकाइयों के साथ समामेलन के लिए दिशा-निर्देश जारी करना शामिल है। जहां व्यवहार्य होता है, बीआईएफआर के साथ पंजीकृत इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी की पुनःसंरचना,

प्रवर्त्तकों द्वारा नई निधियों का समावेश, सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता, अन्य कंपनियों के साथ विलय, देय राशि के बारे में पुनःव्यवस्था करके वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा सरकार द्वारा राहत व रियायतें और प्रबंधन में परिवर्तन करना शामिल है।

विवरण

बंद किये गये औद्योगिक एककों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	2005		2006 (पी)		2007 (पी)	
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	–	1	–	–	–	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
4.	असम	–	–	–	–	–	–
5.	बिहार	–	–	–	1	–	–
6.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–
7.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
9.	दमन और दीव	–	–	–	–	–	–
10.	गोवा	–	2	–	1	–	–
11.	गुजरात	–	7	–	4	–	2
12.	हरियाणा	–	2	–	3	–	3
13.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	1	–	6
14.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	3	–	–
15.	झारखण्ड	–	1	–	–	–	–
16.	कर्नाटक	–	8	–	5	–	1
17.	केरल	–	3	–	5	1	2
18.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
19.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–
20.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–
22.	मेघालय	–	–	–	–	–	–
23.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–
24.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	–	–	–	–	–	–
26.	उड़ीसा	–	–	–	–	–	1
27.	पुदुचेरी	–	–	–	2	–	–
28.	पंजाब	–	1	–	–	–	–
29.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–
30.	सिक्किम	–	–	–	–	–	1
31.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–
32.	त्रिपुरा	2	45	–	127	–	53
33.	उत्तर प्रदेश	1	13	–	10	–	13
34.	उत्तरांचल प्रदेश	–	–	–	1	–	2
35.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	5	–	1
	कुल	3	83	–	168	1	85

[अनुवाद]

दूरदर्शन प्रसारण हेतु एक समान फार्मेट

4967. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई दूरदर्शन केन्द्र डी-9 फार्मेट अपनाते हैं जबकि दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी और इसके क्षेत्रीय समाचार डी.वी.सी.आर.ओ. फार्मेट अपनाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी दूरदर्शन केन्द्रों में प्रसारण प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) दूरदर्शन ने कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों (पीपीसी) के डिजिटलीकरण हेतु डीवीसीपीआरओ और डी 9 नामक दो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट अपनाए थे। ये दोनों फॉर्मेट व्यावसायिक प्रसारण फॉर्मेट हैं और विश्व भर में प्रसारकों द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे हैं। केन्द्रों के बीच कार्यक्रमों के सुगम आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने तथा गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय पीपीसी को योगदान देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में स्टूडियो केन्द्रों हेतु डी 9 फॉर्मेट अपनाया गया था। दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी (एक प्रमुख स्टूडियो केन्द्र) डीवीसीपीआरओ फॉर्मेट का प्रयोग कर रहा है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी दूरदर्शन केन्द्रों के डिजिटलीकरण हेतु 11वीं योजना के प्रस्तावों को अभी अनुमोदित नहीं किया गया है।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि

4968. श्री तथागत सत्पथी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्र सरकार से और अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जी हां। राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एमपीएफ) स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की मांग करते हुए वर्ष 2007-08 के दौरान, उड़ीसा सहित कई अन्य राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्यों से प्राप्त अतिरिक्त निधियों के प्रस्ताव विगत वर्षों से संबंधित उपयोग प्रमाणपत्रों और संशोधित अनुमान 2007-08 के स्तर पर उपलब्ध निधियों के आधार पर उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों को वर्ष 2007-08 में एमपीएफ योजना के अंतर्गत अतिरिक्त राशि जारी की गई थी। वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त निधियां और मंत्रालय द्वारा जारी निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपयों)

राज्य का नाम	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 से मांगी गई अतिरिक्त निधि	जारी की गई अतिरिक्त निधि
1	2	3
आंध्र प्रदेश	30.86	21.00
बिहार	40.00	15.00
छत्तीसगढ़	25.66	19.25
गुजरात	21.93	12.05
हरियाणा	39.47	13.75
हिमाचल प्रदेश	8.00	2.26
जम्मू-कश्मीर	28.21	28.21
झारखंड	18.00	13.50
कर्नाटक	26.40	18.71
केरल	30.82	16.24
मध्य प्रदेश	19.59	14.69
महाराष्ट्र	19.38	7.16
उड़ीसा	38.00	19.50
पंजाब	10.78	16.98
राजस्थान	12.89	10.03
तमिलनाडु	33.00	24.75
उत्तर प्रदेश	40.01	28.14
पश्चिम बंगाल	17.23	11.45
अरुणाचल प्रदेश	16.52	2.00
असम	37.70	30.61
मणिपुर	11.00	11.00
मेघालय	3.00	3.00
नागालैंड	6.00	6.00
सिक्किम	3.46	1.00
कुल जोड़	537.91	346.28

ईस्ट इंडिया लेदर, सेमी-फिनिश्ड लेदर का निर्यात

4969. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश से सेमी फिनिश्ड लेदर का निर्यात करने वाली कंपनियों के क्या नाम हैं;

(ख) उपर्युक्त उत्पादों को किन देशों को कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है तथा उसका मूल्य कितना है और गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कुल कितना निर्यात शुल्क अर्जित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पण्य व्यापार में उत्पादों को भारतीय टैरिफ कोड सुमेलीकृत प्रणाली (आईटीसीएचएस) के अनुसार अभिज्ञात किया जाता है और अनन्य रूप से अर्द्ध परिष्कृत चर्म के लिए कोई ऐसा आईटीसी एचएस कोड नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान परिष्कृत चर्म, अर्द्ध परिष्कृत चर्म तथा पूर्वी भारतीय टैन्ड चर्म सहित भारत के चर्म निर्यात का देश-वार तथा मूल्य-वार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वी भारतीय चर्म, अर्द्ध परिष्कृत चर्म सहित सभी वस्तुओं के निर्यातों पर अर्जित निर्यात शुल्क एवं उपकर की कुल राशि निम्नानुसार है:

वर्ष	देश से निर्यात पर अर्जित निर्यात शुल्क एवं उपकर (करोड़ रुपये)
2004-05	165.00
2005-06	131.00
2006-07	95.00
2007-08	2195.00

स्रोत: प्राप्ति बजट

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान परिष्कृत चर्म, अर्द्ध परिष्कृत चर्म तथा पूर्वी भारतीय टैन्ड चर्म सहित भारत के चर्म निर्यात का देश-वार एवं मूल्य-वार ब्यौरा

(मूल्य: मिलियन रु.)

देश	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
जर्मनी	1323.44	1530.15	1095.77
अमेरिका	571.57	542.10	436.38
यूके	175.07	124.73	116.05
इटली	2994.07	3816.44	5227.07
फ्रांस	738.92	579.41	520.39
हांगकांग	10743.13	10786.06	11866.44
स्पेन	1381.84	997.41	931.00
रूस	172.50	372.84	556.89
नीदरलैंड	275.98	295.78	276.27
आस्ट्रेलिया	124.60	108.40	92.93
न्यूजीलैण्ड	16.80	24.56	21.58
डेनमार्क	7.43	4.95	21.21
यूनान	36.70	36.96	28.74
कनाडा	76.56	58.95	53.21
स्विट्जरलैंड	2.02	2.68	1.91

1	2	3	4
स्वीडन	17.06	4.60	0.30
द. अफ्रीका	485.60	497.18	733.16
आस्ट्रिया	52.11	72.04	27.28
बेल्जियम	44.28	15.83	24.08
जापान	205.65	236.68	227.13
पुर्तगाल	525.56	502.14	356.92
चीन	1452.81	1543.39	1684.39
आयरलैंड	5.33	1.21	0.58
यूएई	74.47	93.33	106.19
इंडोनेशिया	368.59	468.08	399.63
कोरिया गण.	1348.32	1483.98	1500.52
फिनलैंड	9.30	7.59	21.09
स. अरब	18.53	23.27	9.01
अन्य	4077.90	3969.20	4995.84
कुल	27306.25	28170.04	31133.96

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस।

भारतीय फिल्मों का निर्यात

4970. श्री नवीन जिन्दल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक देशवार कितनी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी है; और

(ख) सरकार द्वारा और अधिक संख्या में भारतीय फिल्मों के निर्यात हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास मौजूदा योजनागत स्कीमें हैं जिनका उद्देश्य भारत और विदेश में भारतीय सिनेमा का संवर्धन करना है। "भारत और विदेश में फिल्म समारोहों के जरिये निर्यात का संवर्धन" नामक स्कीम को फिल्म समारोह निदेशालय के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। इस स्कीम में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के संगठन, भारत और विदेश के विभिन्न फिल्म समारोहों में सहभागिता तथा फिल्म समारोहों का आयोजन शामिल है। समारोहों के आयोजन हेतु फिल्मों को विभिन्न भारतीय दूतावासों में भी भेजा जाता है। फिल्में सांस्कृतिक निर्यात का एक माध्यम हैं। विदेशों में फिल्म समारोहों के आयोजन से न केवल हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है बल्कि इससे भारतीय फिल्मों के निर्यात में भी मदद मिलती है। 11वीं योजना में इस स्कीम में फिल्म समारोह आयोजित करने के लिए फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसायटीज ऑफ इंडिया के सहायता अनुदान प्रदान करने और गैर-सरकारी संगठनों/राज्य सरकार के संगठनों को समर्थन देने का भी प्रावधान किया गया है। 10वीं योजना में, इस स्कीम के अंतर्गत 989.42 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया था। 11वीं योजना के लिए 2069 लाख रुपये का प्रावधान है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय की ''फिल्म बाजारों में सहभागिता'' नामक मौजूदा स्कीम में भारतीय फिल्म उद्योग की निर्यात क्षमता को समर्थन देने, सुविधाजनक बनाने और उसका संवर्धन करने की परिकल्पना है। इस स्कीम का उद्देश्य, अन्य के साथ-साथ, (सहभागिता के बारे में प्रतिवर्ष निर्णय लिया जाना) न केवल कान फिल्म बाजार/बर्लिन फिल्म समारोह/अमरीकी फिल्म बाजार/मिपकॉप जैसे केवल विनिर्दिष्ट संस्थागत अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बल्कि प्रतिवर्ष भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ-साथ आयोजित किये जाने वाले फिल्म बाजार को भी कवर करना है। 10वीं योजना में इस प्रयोजनार्थ 442.85 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया था। 11वीं योजना के लिए 1100 लाख रुपये का प्रावधान है।

'फिल्मों का निर्यात और संबंधित मुद्दों' पर कोर समूह ने वर्ष 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसमें, अन्य के साथ-साथ, नियात संवर्धन परिषद के गठन की सिफारिश की गई है। मंत्रालय निर्यात संवर्धन परिषद के गठन के लिए फिल्म उद्योग के साथ सक्रिय रूप से विचार-विमर्श कर रहा है। कोर समूह ने इस बात की भी सिफारिश की थी कि इस मंत्रालय की मौजूदा योजनागत स्कीमों को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें सुदृढ़ बनाया जाए।

[हिन्दी]

शैक्षिक संस्थाओं का फीस ढांचा

4971. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आई.आई.टी., आई.आई.एम., ए.आई.ई.ई.ई. और मेडिकल जैसी उच्चस्तरीय शैक्षिक संस्थाओं के फीस ढांचे पर कोई नियंत्रण नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसी संस्थाओं में गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कोई व्यवस्था की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद को मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में शुल्क संरचना में संशोधन सहित सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सामान्य मामलों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के शासी निकाय, जिसे अपने संबंधित संघ ज्ञापन के तहत शुल्कों का निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त है, ने शैक्षिक वर्ष 2008-10 से स्नातकोत्तर शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। तथापि, भारतीय प्रबंधन संस्थान समीक्षा समिति ने श्री आर.सी. भार्गव की अध्यक्षता में 4 अप्रैल, 2008 को सरकार के समक्ष एक अंतरिम रिपोर्ट पेश की है जिसमें समिति ने सभी संस्थानों को शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि न करने और जब तक कि समिति अपनी रिपोर्ट न दे दे, तब तक उसे दिसम्बर, 2007 के स्तर तक बनाये रखने के लिए कहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा संस्थाओं में कैपिटेशन शुल्क और लाभ कमाने की प्रवृत्ति को रोकने के मद्देनजर राज्य सरकारों को माननीय न्यायालय द्वारा तैयार की गई स्कीम के अनुसार शुल्क संरचना समितियों के गठन का निदेश दिया है। ऐसी समितियों द्वारा निर्धारित शुल्क ही कालेज द्वारा छात्रों से उतनी अवधि हेतु लिए जाएंगे जितनी कि समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। ए.आई.ई.ई.ई., अर्थात् अखिल भारतीय इंजीनियरी/वास्तुकला प्रवेश परीक्षा कोई संस्था नहीं है।

(ग) से (ङ) संस्थान छात्रों को योग्यता एवं साधन/आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियां, प्रतिभा छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। गरीब छात्रों हेतु बैंक ऋण की भी व्यवस्था की जाती है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सहायता से स्थापित औद्योगिक इकाइयां

4972. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषत: मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की सहायता से स्थापित औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों में राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्र-वार किये गये निवेश का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) उदारीकृत औद्योगिक नीति के अंतर्गत, उद्योग स्थापित करने का निर्णय उद्यमियों की तकनीकी-आर्थिक समझ पर आधारित होता है जो फिर अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके अनुकूल माहौल तैयार करने में राज्य सरकारों की पहलों पर निर्भर करते हैं। केन्द्र सरकार उनके प्रयासों में यथासंभव सहयोग देती है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं अर्थात् (1) जम्मू और कश्मीर राज्य (14 जून, 2002 से) (2) हिमाचल प्रदेश तथा (3) उत्तराखंड (7 जनवरी, 2003 से) राज्यों में विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश राजसहायता, ब्याज राजसहायता, व्यापक बीमा तथा परिवहन राजसहायता प्रदान की जाती है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग मध्य प्रदेश के लिए ऐसी योजना क्रियान्वित नहीं करता है। पिछले तीन वर्षों में इन तीन राज्यों को जारी किये गये योजनागत निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं। इन तीन राज्यों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों तथा किये गये निवेश के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग अप्रैल, 2007 से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी) नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन भी कर रहा है।

विवरण I

विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज (योजनागत) के अंतर्गत वर्ष 2005-06, 2006-07 तता 2007-08 के दौरान जारी की गई राशि: व्यय के ब्यौरे

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	नोडल एजेन्सी/नाम	योजना	2005-06	2006-07	2007-08	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लि. (जेकेडीएफसी) जम्मू और कश्मीर	(1) केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना	शून्य	सून्य	4.00	4.00
		(2) केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना	शून्य	शून्य	शून्य	175
		(3) व्यापक बीमा योजना	0.90	शून्य	शून्य	0.90
		(4) विकास केन्द्र	शून्य	शून्य	शून्य	10.00
		(5) परिवहन राजसहायता योजना	शून्य	शून्य	शून्य	4.50
		(6) सेमिनार आदि का आयोजन करना	शून्य	शून्य	शून्य	0.04
		(7) जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम की स्थापना	शून्य	शून्य	शून्य	50.00

1	2	3	4	5	6	7
		(8) जे. एंड के. उद्यमिता विकास संस्थान	4.60	शून्य	शून्य	4.60
	योग		5.50	शून्य	4.00	9.50
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी)/ हिमाचल प्रदेश	(1) केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना	7.00	12.00	20.00	39.00
		(2) परिवहन राजसहायता योजना	4.50	शून्य	शून्य	4.50
		(3) विकास केन्द्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(4) सेमिनार आदि का आयोजन करना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग		11.50	12.00	20.00	43.50
3.	उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) उत्तराखण्ड	(1) केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना	7.00	9.00	5.00	21.00
		(2) विकास केन्द्र	1.00	0.93	शून्य	1.93
		(3) परिवहन राजसहायता योजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग		8.00	9.93	5.00	22.93
	कुल योग		25.00	21.93	29.00	75.93

विवरण II

विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में स्थापित औद्योगिक इकाई तथा किये गये निवेश के ब्यौरे

राज्य	स्थापित की गई इकाइयों की संख्या	निवेश (करोड़ रुपये)
जम्मू और कश्मीर (मार्च, 2007 तक)	5952	1364
हिमाचल प्रदेश (दिसंबर, 2007 तक)	3900	3288
उत्तराखंड (सितम्बर, 2007 तक)	12403	7119

कर्नाटक में कॉफी हेतु एईजेड

4973. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में कॉफी के लिए कृषि निर्यात जोन (एईजेड) की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

विज्ञापन दर

4974. डा. राजेश मिश्रा: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टी.आर.पी.) पर विचार किए बिना गैर-आनुपातिक रूप से निजी सेटेलाइट चैनलों द्वारा विज्ञापनों पर नया दिशानिर्देश तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक कंपनी के विज्ञापन हेतु निर्धारित दर विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) द्वारा निर्धारित दर के समान है/कम है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो डी.ए.वी.पी. से उच्च दर निर्धारित करने के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) सरकार निजी चैनलों द्वारा प्रसारित विज्ञापनों की दरों के नियतन हेतु कोई दिशा-निर्देश तैयार नहीं करती है। केवल विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) द्वारा वह सभी पैनलबद्ध चैनलों को जारी सरकारी विज्ञापनों के लिए दरें नियत करती है।

इन दरों को दो वर्ष की लागत प्रति रेटिंग प्वाइंट (सीपीआरपी) को ध्यान में रखते हुए बाजार की प्रचलित स्थितियों पर आधारित एवं वस्तुनिष्ठ सूत्र के तहत नियत किया जाता है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

लाटरी पर प्रतिबंध

4975. श्री पी.सी. थामस: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में लाटरी प्रतिबंधित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विशेषत: अन्तर्राज्यीय लाटरियों के लिए क्या संरक्षण दिया जा रहा है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने इन लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) जी नहीं। यद्यपि भारत सरकार स्वयं अपनी कोई लॉटरी नहीं चलाती है फिर भी कई राज्य अपने राज्यों में अपनी लॉटरी चलाते हैं। भारत सरकार ने इस संबंध में लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 प्रख्यापित किया है।

(ग) उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा लॉटरियां, अंतर-राज्य लॉटरियां चलाने के संबंध में लागू लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 5 के उपबंधों के अध्यधीन चलाई जा रही हैं। उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत कोई राज्य सरकार, राज्य के अंतर्गत किसी भी अन्य राज्य द्वारा आयोजित, चलाई गई या संवर्धित किसी भी लॉटरी के टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकती है। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स बी.आर. इंटरप्राइजेज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्यों के मामले में यह निर्णय दिया कि लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा आयोजित लॉटरियों के टिकटों की बिक्री पर तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब वह यह निर्णय ले कि उसकी अपनी लॉटरी सहित उसके भू-भाग में कोई लॉटरी नहीं चलाई जाएगी।

(घ) कुछ राज्यों ने ऐसी लॉटरियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। यह मामला, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीन है।

(ङ) ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. नागालैंड

   2003 का मूल मुकदमा सं. 3-नागालैंड राज्य बनाम भारत संघ।

   नागालैंड सरकार ने रिट याचिका दायर की है जिसमें अधिनियम की धारा 5 को चुनौती दी गई है जो उनके अपने राज्य में दूसरे राज्यों की टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है।

2. अरुणाचल प्रदेश

2003 का रिट याचिका (सिविल) सं. 474-अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब राज्य और अन्यों के विरुद्ध रिट याचिका दायर की है।

3. मेघालय

2004 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 9132-मेघालय राज्य बनाम भारत संघ और अन्य

मेघालय सरकार ने याचिका दायर की है और केरल राज्य लॉटरियां और आनलाइन लॉटरियां (विनियमन) नियम, 2003 के विभिन्न नियमों की वैधता को चुनौती दी है।

4. केरल

(1) केरल राज्य बनाम टी जॉन रोज और अन्य। अपील (ग) सं 24325-24326 के लिए विशेष अनुमति।

टी. जॉन रोज के माध्यम से केरल राज्य में अरुणाचल प्रदेश राज्य की लॉटरी टिकटों को बेचने के लिए अरुणाचल प्रदेश को अनुमति देने से इंकार करने के संबंध में।

(2) केरल राज्य बनाम टी. जॉन रोज (सांपत्तिक) और अन्य। एसएलपी (सिविल) सं. 14278/2007, 15222/2007 और 15291/2007।

लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 का उल्लंघन किये जाने और पेपर लॉटरियां अधिनियम, 2005 संबंधी केरल कर के तहत कर स्वीकार करने से इंकार करने के संबंध में।

[हिन्दी]

सड़कों के अतिक्रमण में अधिकारियों की संलिप्तता

4976. चौ. मुनव्वर हसन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस और एन.डी.एम.सी. अधिकारियों की मिलीभगत से गोल मार्किट सहित नई दिल्ली के एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में सड़कों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्षेत्रवार ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) दिल्ली पुलिस और एन.डी.एम.सी. के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध रैंकवार क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे कार्यकलापों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) जी नहीं। यदि कोई अस्थायी अतिक्रमण देखा जाता है उसे तुरन्त नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के क्षेत्र स्टाफ द्वारा हटा दिया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) अतिक्रमण को रोकने तथा देखते ही उसे हटाने के लिए क्षेत्र कर्मचारियों की नियमित तैनाती की जाती है।

[अनुवाद]

स्कूल में कम्प्यूटर की शिक्षा

4977. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने गत 5-6 महीनों से दिल्ली में विशेषकर यमुनापार क्षेत्र में स्थित अपने स्कूलों में छात्रों को कम्प्यूटरों की शिक्षा देने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितने स्कूल कम्प्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कम्प्यूटर लैब स्थापित करने पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कम्प्यूटर लैब के रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(च) स्कूलों में विशेषकर यमुनापार क्षेत्र में कम्प्यूटर की शिक्षा देना पुनः शुरू करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि यमुना-पार क्षेत्र के 61 स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा का कार्यान्वयन किसी विवाद के बाद कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्थगित कर दिया गया था।

(ग) इस समय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार 638 सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान कर रही है।

(घ) और (ङ) इस कार्यक्रम पर पिछले तीन वर्षों के दौरान 50.37 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई थी। कम्प्यूटर प्रयोगशाला का रख-रखाव कार्यान्वयन एजेंसी के साथ किये गये अनुबंध का भाग है, इस प्रकार अलग से कोई खर्च नहीं हुआ।

(च) यमुनापार क्षेत्र के कई स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रादन की जा रही है। उन 61 स्कूलों के संबंध में जहां कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया है, विवाद को सुलझाने हेतु मामले को मध्यस्थ को सौंपा गया है।

[हिन्दी]

एन.डी.एम.सी. को संसद सदस्यों के पत्र

4978. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एन.डी.एम.सी. के अधिकारी माननीय मंत्रियों और संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर तथा उनकी पावती नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में संवर्ग-वार एन.डी.एम.सी. अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ग) प्राप्त किये गये कुल पत्रों में से कितने पत्र भ्रष्टाचार से संबंधित थे और भ्रष्टाचार का स्वरूप क्या था; और

(घ) नियमानुसार भ्रष्टाचार से संबंधित ऐसे पत्रों के उत्तर नहीं देने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

निजी विश्वविद्यालयों को नियमित करना

4979. श्री विजय कृष्णा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों में फीस और सीटों को नियमित करने हेतु यू.जी.सी. के नियंत्रणाधीन कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं में दाखिले तथा शुल्क के लिए विनियम निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श करके प्रोफेसर बी.एस. सोंदे की अध्यक्षता में 9 अगस्त, 2007 को एक समिति गठित की है। विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(1) 'समविश्वविद्यालयों' सहित स्व-वित्त पोषित, प्राइवेट, व्यावसायिक संस्थाओं में दाखिले तथा शुल्क के संबंध में विनियम निर्धारित करना।

(2) सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/कालेजों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले तथा शुल्क के लिए विनियम निर्धारित करना।

(3) सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कालेजों में सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले तथा शुल्क के लिए विनियम निर्धारित करना।

समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

शिक्षा प्रणाली के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

4980. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की व्यापक शिक्षा प्रणाली के बारे में कोई रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी रिपोर्ट जारी की गई हैं और प्रत्येक रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त रिपोर्ट के आधार पर हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन किये गए हैं; और

(घ) इसके फलस्वरूप हमारी शिक्षा प्रणाली में किये गये सुधारों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा

4981. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों में किये गये कार्यों की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो किस एजेंसी ने उक्त समीक्षा की और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या राज्य के अधिकारियों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जारी धनराशि का दुरुपयोग अपनी सुविधाओं हेतु किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और अधिकारियों द्वारा अपनी सुविधाओं हेतु धनराशि का दुरुपयोग करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित धनराशि में से अधिकारियों द्वारा अपनी सुविधाओं हेतु राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने प्रतिशत धनराशि का दुरुपयोग किया गया; और

(च) सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत फिजूलखर्ची को रोकने हेतु क्या प्रावधान किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) सर्व शिक्षा अभियान के अनुवीक्षण की एक कठोर पद्धति लागू की गयी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मासिक और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें और समीक्षा बैठकें, प्रारंभिक स्कूल के वार्षिक कम्प्यूटरीकृत आंकड़े प्रस्तुत करना, कार्यक्रम की प्रगति के बारे में 41 स्वतंत्र मानीटरिंग संस्थाओं द्वारा फील्ड मानीटरिंग और विशेषज्ञों तथा विदेशी निधीयन एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र छमाही समीक्षाएं करना शामिल है। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के तहत सांविधिक एवं स्वतंत्र वार्षिक वित्तीय लेखा परीक्षाएं एवं समवर्ती वित्तीय समीक्षाएं की जाती हैं।

वित्तीय समीक्षाओं और लेखा परीक्षाओं के माध्यम से कई बार वित्तीय अनियमितताओं एवं निधियों के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं जिन्हें निराकरण हेतु तुरंत राज्यों के साथ उठाया गया है। अब तक ऐसी आपत्तियों पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकारों से 32.38 करोड़ रु. वसूल किये/उगाहे गये हैं।

[अनुवाद]

वीजा हेतु चेन्नई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में फर्जी दस्तावेज जमा करना

4982. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में वीजा के लिए जमा कराये गए दस्तावेजों में से 50 प्रतिशत दस्तावेज फर्जी हैं;

(ख) यदि हां, तो अधिकांश फर्जी दस्तावेज हैदराबाद की परामर्शदात्री कंपनियों और एजेंटों द्वारा बनाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चेन्नई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास द्वारा दर्ज किये गये ऐसे मामलों में हैदराबाद के कई वीजा एजेंट हैं; और

(ङ) यदि हां, तो मंत्रालय ऐसे वीजा एजेन्टों के विरुद्ध क्या निरोधक कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (ङ) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि अमरीकी वाणिज्य महादूतावास, चेन्नै के कार्यालय ने 11.3.2008 को पुलिस आयुक्त, चेन्नै को यह आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट दी है कि क्रिस्टल जयराज पालीज नामक एक व्यक्ति ने अमरीकी वीसा हेतु अवैध रूप से आवेदन करने में कम से कम तीन व्यक्तियों की सहायता करके जालसाजी की है तथा अवैध कार्यों के लिए अमेरिका में केरल के शशि कुमार कनिंयन को अवैध रूप से भेजने का प्रयास किया है। प्रारंभिक जांच के पश्चात चेन्नै पुलिस द्वारा एक मामला पंजीकृत किया गया है तथा व्यापक जांच की जा रही है। अमरीकी

वाणिज्य दूतावास ने केवल उन आवेदकों के नाम भेजे हैं जिन्होंने वीजा के लिए आवेदन किया था आगे की जांच हेतु वीसा आवेदनों की प्रतियां प्रेषित करने के लिए दूतावास से अनुरोध किया गया है। उक्त क्रिस्टल जयराज पालीज फरार है और उसका पता लगाने के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। इस मामले में हैदराबाद आधारित वीसा एजेंटों की भागीदारी की सीमा की इस स्तर पर कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

दवाओं का आयात

4983. श्री किरेन रिजीजू:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन से बड़े पैमाने पर दवाओं का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या चीन से सस्ती दवाओं का आयात करने से घरेलू भेषज कंपनियों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ग) यदि हां, तो चीन से सस्ती दरों पर कौन-कौन सी दवाएं आयात की जा रही हैं; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू भेषज उद्योगों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) चीन से औषधीय एवं भेषजीय उत्पादों का आयात (डीजीसीआईएस के अनुसार) निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	मूल्य (लाख रुपये)
2004-05	90856.83
2005-06	157866.42
2006-07	212443.54
अप्रैल, 2007-अक्तूबर, 2007 (अनंतिम)	181340.70

(ख) से (घ) जब कभी "पाटित" आयातों और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित शिकायतें मिलती हैं, तो पाटनरोधी महानिदेशालय (डीजीएडी) द्वारा पाटनरोधी नियमों के अनुसार जांच/कार्रवाई की जाती है।

फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर रोजगार प्राप्त करना

4984. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरि केवल प्रसाद:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में कई व्यक्तियों ने फर्जी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरियां प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस जांच के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का कोई मामला नहीं पाया गया है। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के संबंध में केवल 11 मामले अभिज्ञात किये गये हैं जिनमें उम्मीदवारों ने जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की है।

(ख) इन अभिज्ञात 11 मामलों में से, 8 मामले दूरदर्शन महानिदेशालय तथा एक-एक मामला आकाशवाणी महानिदेशालय, पत्र सूचना कार्यालय और गीत एवं नाटक प्रभाग से संबंधित है।

(ग) और (घ) जी, हां। चूककर्ता व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। कुछेक मामलों में जांच पूरी होने के पश्चात् संबंधित व्यक्तियों को बर्खास्त कर दिया गया है।

(ङ) जांच पूरी होने के संबंध में इस समय कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

[अनुवाद]

ए.आई.सी.टी.ई. के कार्यकरण की निगरानी

4985. श्री वी.के. ठुम्मरः
श्री हरिसिंह चावड़ाः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ए.आई.सी.टी.ई. के कार्यकरण की निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ए.आई.सी.टी.ई. के कार्यकरण की जांच हेतु गठित समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(घ) उन सिफारिशों के आधार पर क्या कार्यवाही शुरू की गई है;

(ङ) क्या तकनीकी संस्थाओं का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने की कोई आकस्मिक योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में दिनांक 28 फरवरी, 2008 को एक पुनरीक्षा समिति गठित की गई।

(ङ) और (च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा की कोटि में सुधार के लिए कई प्रयासों की परिकल्पना की गई जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रबंध संस्थानों जैसी और संस्थाओं की स्थापना तथा पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली प्रत्यायन तथा मूल्यांकन पद्धति में सुधार तथा संकाय विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियां

4986. श्री थावरचन्द गेहलोतः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2003 से आज की तारीख तक विदेशी कंपनियों को देश में उद्योग स्थापित करने हेतु दी गई अनुमति का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2003 से आज की तारीख तक देश में उद्योगों को स्थापित करने हेतु कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) क्या विदेशी कंपनियों को विशेष सुविधाएं देने के कारण घरेलू उद्योग पिछड़ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों की सुरक्षा हेतु चलाई जा रही नीतियों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) अप्रैल, 2003 से फरवरी, 2008 तक स्वीकृत किये गये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के अनुमोदनों की राज्यवार सूची विवरण-I पर दी गई है।

(ख) अप्रैल, 2003 से फरवरी, 2008 तक उद्योग स्थापित करने के लिए दायर किये गये औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों (आईईएम) की राज्यवार सूची विवरण-II पर दी गई है।

(ग) से (ङ) विदेशी कंपनियों को कोई विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। अप्रैल, 2003 से फरवरी, 2008 के दौरान स्वीकृत किये गये एफडीआई अनुमोदनों का मूल्य इसी अवधि के दौरान दाखिल किये गये घरेलू आईईएम के मूल्य से काफी कम है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मूल रूप से घरेलू निवेश का पूरक और सहयोगी है और घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने में सहायता करता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, की भूमिका आर्थिक विकास का उच्च स्तर प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अवसर प्रदान करने, वैश्विक प्रबंधकीय कौशलों तथा रीतियों तक पहुंच, मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने, भारतीय उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, निर्यात बाजारों को खोलने, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं सेवाओं तक पहुंच तथा पीछे और आगे के संपर्क प्रदान करने के एक साधन के रूप में है।

विवरण I

अप्रैल 2003 से फरवरी 2008 तक अनुमोदित राज्यवार वर्षवार एफडीआई

(धनराशि मिलियन में)

क्र.सं.	राज्य	2003-04 अप्रैल-मार्च		2004-05 अप्रैल-मार्च		2005-06 अप्रैल-मार्च		2006-07 अप्रैल-मार्च		2007-08 अप्रैल-फरवरी		समग्र योग (अप्रैल 2003 से फरवरी, 2008 तक)	
		एफआईएन सं.	एफडीआई अमरीकी डालर	एफआईएन सं.	एफडीआई अमरीकी डालर	एफआईएन सं.	एफडीआई अमरीकी डालर	एफआईएन सं.	एफडीआई अमरीकी डालर	एफआईएन सं.	एफडीआई अमरीकी डालर	एफआईएन सं.	एफडीआई अमरीकी डालर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	107	114.49	78	149.99	25	83.09	8	109.58	15	1,006.41	233	1,463.56
2.	असम	0	0.00	1	0.09	1	0.12	0	0.00	1	8.58	3	8.79
3.	बिहार	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
4.	गुजरात	52	32.18	35	375.15	9	33.65	4	14.72	8	92.01	108	547.71
5.	हरियाणा	26	53.98	16	7.70	12	12.95	5	1.23	7	31.92	66	107.78
6.	हिमाचल प्रदेश	1	0.02	2	11.44	1	2.07	0	0.00	0	0.00	4	13.53
7.	जम्मू-कश्मीर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00
8.	कर्नाटक	257	97.70	191	240.19	39	204.62	20	1,057.59	13	49.23	520	1,649.33
9.	केरल	31	4.61	11	50.10	6	17.40	2	0.02	1	0.00	51	72.13
10.	मध्य प्रदेश	7	0.09	1	0.01	2	1.35	1	0.00	1	0.00	12	1.45
11.	महाराष्ट्र	361	332.03	302	344.12	111	885.93	64	2,903.11	79	1,368.71	917	5,833.90
12.	मणिपुर	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
13.	उड़ीसा	2	0.02	2	1.41	1	0.08	1	41.74	0	0.00	6	43.25
14.	पंजाब	9	101.20	10	151.14	3	4.37	1	0.38	3	867.52	26	1,124.61
15.	राजस्थान	15	6.09	4	0.90	2	0.04	1	0.00	4	55.37	26	62.40
16.	तमिलनाडु	223	177.21	109	77.68	39	59.85	19	179.64	23	339.97	413	834.35
17.	त्रिपुरा	2	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.52
18.	उत्तर प्रदेश	25	22.24	15	4.03	9	18.61	4	1.16	5	26.63	58	72.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	पश्चिम बंगाल	36	65.97	29	62.91	9	25.76	7	3.88	3	1.94	84	160.46
20.	छत्तीसगढ़	0	0.00	3	45.57	0	0.00	1	369.66	0	0.00	4	415.23
21.	झारखंड	1	0.04	1	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.47
22.	उत्तरांचल	1	0.00	0	0.00	3	6.50	0	0.00	0	0.00	4	6.50
23.	चंडीगढ़	10	1.25	9	27.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19	29.07
24.	दिल्ली	328	252.90	213	234.22	71	165.44	37	724.40	49	127.90	698	1,504.86
25.	गोवा	39	4.16	39	1.97	3	9.04	0	0.00	1	0.01	82	15.18
26.	पांडिचेरी	8	9.26	2	0.03	0	0.00	1	1.11	0	0.00	11	10.40
27.	दमन और दीव	3	0.05	2	1.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1.25
28.	दर्शाए नहीं गए राज्य	82	76.90	84	126.69	79	394.87	29	622.63	27	210.94	301	1,432.03
	कुल योग	1628	1352.91	1159	1914.79	425	1925.74	206	6,030.85	240	4,187.14	3658	15,411.43

विवरण II

वर्ष 2003-04 से आगे दाखिल किये गये वित्तीय वर्षवार तथा राज्यवार-औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003-2004		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
		संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आईलैण्ड्स	0	0	0	0	1	30	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	245	16256	410	15819	464	17311	571	47828	313	52237
3.	अरूणाचल प्रदेश	7	68	6	51	7	41	4	111	1	37
4.	असम	39	163	73	430	70	807	47	2044	19	1230
5.	बिहार	5	27	12	314	37	3913	52	4850	24	6414
6.	चंडीगढ़	0	0	2	1	0	0	5	234	2	40
7.	छत्तीसगढ़	211	16154	451	47600	240	39901	207	118737	240	228415
8.	दादर और नागर हवेली	221	3986	94	831	87	2373	93	2794	64	2974
9.	दमन और दीव	88	386	53	413	71	779	45	1559	49	1210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	दिल्ली	9	14	7	20	5	20	9	218	11	105
11.	गोवा	33	325	28	171	36	296	24	316	25	728
12.	गुजरात	434	32043	606	29648	745	82793	473	72093	333	119591
13.	हरियाणा	179	8345	193	2685	230	5577	210	16095	136	7121
14.	हिमाचल प्रदेश	63	1126	107	3384	114	1763	88	1906	37	3399
15.	जम्मू-कश्मीर	54	764	126	2719	134	2058	80	2306	45	1846
16.	झारखण्ड	62	1851	87	10535	202	54089	81	35257	93	165482
17.	कर्नाटक	177	14071	215	10904	257	15066	277	71844	212	154782
18.	केरल	18	199	23	290	46	600	27	1141	16	248
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	67	1607	139	8538	173	18778	201	12530	144	30268
21.	महाराष्ट्र	670	6909	701	10675	818	24480	751	60864	584	83198
22.	मणिपुर	0	0	1	0	1	7	1	10	0	0
23.	मेघालय	31	99	32	215	32	632	12	1280	18	4786
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	नागालैंड	5	16034	1	2	0	0	0	0	2	81
26.	उड़ीसा	155	17718	248	45565	167	38255	126	96869	140	198694
27.	पुदुचेरी	50	249	34	263	48	411	41	753	15	911
28.	पंजाब	91	1747	154	3894	169	6340	172	9507	99	8787
29.	राजस्थान	170	1096	156	2162	186	5077	156	10034	89	16791
30.	सिक्किम	2	18	5	243	7	548	11	882	20	560
31.	तमिलनाडु	222	2622	397	54107	597	11365	672	19850	397	42287
32.	त्रिपुरा	2	2	7	251	0	0	0	0	2	150
33.	उत्तराखण्ड	142	1334	174	2441	391	5703	395	14883	117	8031
34.	पश्चिम बंगाल	446	7569	445	13994	377	12028	286	51830	221	46920
35.	एक से अधिक राज्य में स्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	जोड़	4130	154931	5548	289782	6341	382743	5591	692364	3654	1202617

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का प्रभाव

4987. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय समुद्र तट के पास वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में आर्थिक सहयोग विकास संगठन द्वारा किये गये अध्ययन के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अध्ययन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन की चुनौती से निपटने हेतु क्या ठोस कदम उठाने और उपाय करने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। आर्थिक सहयोग विकास संगठन ने विभिन्न देशों के तटरेखा के किनारे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन किया है, जिसमें दो भारतीय शहरों अर्थात कोलकाता और मुम्बई का भी उल्लेख है। अध्ययन से पता चलता है कि इन तटीय शहरों को तूफान महोर्मि के कारण आने वाली बाढ़ और तेज हवाओं के कारण क्षति हो सकती है। परन्तु, प्रभाव संबंधी इस प्रकार के अध्ययनों में क्षेत्रीय मॉडल अनुमानों के कारण अनेक प्रकार की अनिश्चितताएं हो सकती हैं।

(ग) हाल ही में, सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वय करने के लिए प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद की स्थापना की है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए जिन नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है उनमें उर्जा क्षमता में वृद्धि और संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा क्षमता ब्यूरो स्थापित करना, पावर सेक्टर में सुधार करना, जल और नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन, आणविक ऊर्जा को बढ़ावा देना, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी संवर्धन, कोयले की धुलाई, तथा कोयले का दक्षतापूर्ण उपयोग करना, वनरोपण और वनों का संरक्षण करना तथा गैस के धधकने को कम करना, परिवहन के लिए स्वच्छ और कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन का प्रयोग तथा व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली का प्रयोग करना शामिल है।

प्रकाशनों को नोटिस

4988. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत या विदेश स्थित किसी प्रकाशन को उनके द्वारा प्रकाशित किसी मद हेतु नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इस्पात पर निर्यात राजसहायता को बंद करना

4989. डा. के. धनराजु: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) योजना के अंतर्गत इस्पात पर निर्यात राजसहायता बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या घरेलू मांग की तुलना में इस्पात की आपूर्ति में कोई कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस्पात की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां। इस्पात की घरेलू कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए दिनांक 27.3.2008 और दिनांक 5.4.2008 की सार्वजनिक सूचना सं. 130 के जरिये 27.3.2008 से प्राथमिक इस्पात मदों पर डीईपीबी लाभों को स्थगित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में इस्पात की मांग को घरेलू उत्पादन और आयातों से पूरा किया जाता है। अत: घरेलू आपूर्ति से बेशी किसी मांग को आयातों के जरिये पूरा किया जाता है। तथापि, देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में इस्पात की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक कई कदम उठाए हैं। ये कदम हैं:

(1) इस्पात की मदों पर सीमाशुल्क 5% रखा गया है;

(2) कोकिंग कोयले तथा इस्पात को गलाने से प्राप्त छीलन जैसी कच्ची सामग्री पर सीमाशुल्क शून्य है जबकि मेटकोक पर सीमाशुल्क 5% है;

(3) देश में प्रमुख निवेशों से संबंधित मुद्दों की निगरानी करने एवं उनके समन्वय के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है;

(4) प्राथमिक इस्पात मदों के निर्यात पर निर्यात प्रोत्साहन स्थगित कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

महिला समाख्या कार्यक्रम

4990. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला समाख्या कार्यक्रम के लिए राज्यों के चयन के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश महिला समाख्या कार्यक्रम चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) महिला समाख्या कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका कार्यान्वयन उन राज्यों में किया जाता है जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक हैं।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश में महिला समाख्या समिति का गठन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 जिलों को भी चुना गया है।

मानव संसाधन निदेशालय का गठन

4991. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मानव संसाधन निदेशालय का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मानव संसाधन निदेशालय गठित करने के क्या उद्देश्य हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जहां तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संबंध है, मंत्रालय में मानव संसाधन निदेशालय का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

व्यापार का उदारीकरण

4992. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सेवाओं और निवेश में व्यापार के उदारीकरण हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): भारत विश्व व्यापार संगठन की सेवा संबंधी वार्ताओं में एक मांगकर्त्ता और सक्रिय भागीदार रहा है। इन वार्त्ताओं के अंतर्गत भारत ने उरुग्वे दौर के दौरान विभिन्न सेवा क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं की हैं। इसके अलावा, दोहा दौर के अंतर्गत चल रही सेवा वार्ताओं में भारत ने अपने संशोधित प्रस्ताव में गहनतर तथा और व्यापक क्षेत्रीय और मॉडल कवरेज की पेशकश की है। यह देश के भीतर विभिन्न सेवा क्षेत्रों के उदारीकरण की नीति के अनुरूप है।

भारत के सेवा निर्यात पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 24% की वृद्धि के साथ वर्ष 2006-07 में 76.18 बिलियन अम. डा. के थे। ऐसा सेवाओं में विशेषकर वित्तीय, दूरसंचार, पर्यटन और परिवहन क्षेत्र के उदारीकरण में सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न उपायों की वजह से संभव हुआ है। इसके अलावा, सेवा निर्यातों को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने हाल ही में सेवा निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की है।

भारत ने सिंगापुर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) निष्पादित किया है जिसमें सेवाओं में व्यापार और निवेश शामिल है। भारत सेवा व्यापार और निवेशों में बढ़ोतरी करने की अपनी नीति के अनुरूप अनेक देशों के साथ व्यापक व्यापार करारों पर वार्ताएं भी कर रहा है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), नीति विनिर्माणन और सेवा क्षेत्र में निवेश को शामिल करती है। भारत में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति लागू की

गई है जिसके अनुसार अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक की एफडीआई की अनुमति दी गई है और केवल कुछ क्षेत्रों में 100% से कम की एफडीआई सीमाएं हैं। इन उपायों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं और वर्ष 2006-07 में एफडीआई की राशि 15.7 बिलियन अमरीकी डालर तक थी।

नक्सलवाद का प्रसार

4993. श्रीमती जयाप्रदा:
श्री निखिल कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसूचना एजेंसियों ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि नक्सलवाद का प्रसार पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित और अधिक राज्यों में हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) गृह मंत्रालय के लिए व्यावहारिक या उचित नहीं होगा कि वह केन्द्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों द्वारा समय-समय पर प्रदान की गई सूचना पर टिप्पणी करे।

विगत तीन वर्षों के दौरान पंजाब से नक्सली हिंसा या सिविलियनों या सुरक्षा बलों के कार्मिकों के हताहत होने संबंधी किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश से नक्सली हिंसा की 11 घटनाओं और 5 हताहतों, 2007 में 9 घटनाओं और 3 हताहतों तथा 2008 (मार्च तक) में एक घटना और कोई हताहत न होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी जो सभी प्रभावित राज्यों से प्राप्त घटनाओं और हताहतों की कुल संख्या का 1% से भी कम है।

(ग) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने के कारण नक्सली गतिविधियों से निपटने सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं। केन्द्र सरकार भी स्थिति पर नजदीकी नजर रखती है और विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकारों के प्रयासों और संसाधनों में सहायता करती है जिसमें राज्य पुलिस की सहायता करने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती करना, राज्य पुलिस की शक्ति और क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए इंडिया रिजर्व बटालियनें मंजूर करना, राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के माध्यम से राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों का उन्नयन करना, सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करना, राज्य पुलिस को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना, आसूचना का आदान-प्रदान करना, विभिन्न मंत्रालयों की कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों में अंतर-राज्य समन्वय और सहायता को सुकर बनाना शामिल है।

[हिन्दी]

धर्मांतरण रोधी विधेयक

4994. श्री निहाल चन्द:
श्री सुभाष महरिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार से स्वीकृति के लिए कोई धर्मांतरण विधेयक प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त विधेयक को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त विधेयकों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) राजस्थान के राज्यपाल के कार्यालय से मई 2006 में 'राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2006' की एक प्रति प्राप्त हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार से धर्मांतरण रोधी विधेयक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) राज्य विधानों की तीन दृष्टिकोणों से जांच की जाती है अर्थात (1) कानूनों के साथ प्रतिकूलता (2) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से विचलन तथा (3) कानूनी और संविधानिक मान्यता। राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2006 के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यह एक नीतिगत मुद्दा है जिस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। अत: ऐसा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन केन्द्र

4995. प्रो. एम. रामदासः
श्री मदन लाल शर्माः
प्रो. महादेवराव शिवनकरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में निर्यात संवर्धन केन्द्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इनके स्थानों और उनके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है तथा निर्यात हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार छोटे निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या बैंकों और लघु उद्योगों के बीच सम्पर्क हेतु कोई परामर्शदात्री प्रणाली स्थापित करने का विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) वाणिज्य विभाग ने किन्हीं निर्यात वृद्धि केन्द्रों को अभिज्ञात नहीं किया है। तथापि, विदेश व्यापार नीति जो समूचे देश से निर्यातों को प्रोत्साहित करती है, के अंतर्गत निर्यात उत्कृष्टता नगरों को अभिज्ञात किया जाता है। 1000 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले चुनिन्दा नगरों को निर्यात वृद्धि की संभावना के आधार पर निर्यात उत्कृष्टता नगरों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा; जबकि हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और मात्स्यिकी क्षेत्र में निर्यात उत्कृष्टता नगरों के लिए न्यूनतम सीमा 250 करोड़ रुपये की होगी। निर्यात उत्कृष्टता नगरों में सामान्य सेवा प्रदाता ईपीसीजी स्कीम की सुविधा के पात्र हैं। निर्यात उत्कृष्टता नगरों में इकाइयों की मान्यताप्राप्त एसोसिएशनें संकेन्द्रित प्रौद्योगिकीय सेवाओं का सृजन करने के लिए बाजार पहुंच पहल स्कीम के अंतर्गत निधियां प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा, ऐसे क्षेत्रों को एएसआईडीई स्कीम से अभिज्ञात निर्णायक अवस्थापना अंतरालों को पाटने के लिए सहायता हेतु प्राथमिकता मिलेगी। निर्यात उत्कृष्टता नगरों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) विदेश व्यापार नीति में लघु निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है और विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत बैंकों और एसएसआई के बीच सम्पर्क हेतु एक परामर्शदात्री तंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ब्याज अनुदान जिसकी वर्ष 2007-08 के दौरान एसएमई को अनुमति प्रदान की गई थी, को वर्ष 2008-09 के दौरान भी लागू किया गया है।

विवरण

निर्यात उत्कृष्टता नगरों की सूची

क्र.सं.	निर्यात उत्कृष्टता के नगर	राज्य	उत्पाद श्रेणी
1.	तिरुपुर	तमिलनाडु	होजरी
2.	लुधियाना	पंजाब	ऊनी निटवियर
3.	पानीपत	हरियाणा	ऊनी कम्बल
4.	कन्नूर	केरल	हथकरघा
5.	करूर	तमिलनाडु	हथकरघा
6.	मदुरै	तमिलनाडु	हथकरघा
7.	एईकेके (अरूर, एझुपुन्ना, कोडानुतुल्तु एवं कुतितोडु)	केरल	समुद्री खाद्य
8.	जोधपुर	राजस्थान	हस्तशिल्प
9.	केखरा	उत्तर प्रदेश	हथकरघा
10.	देवास	मध्य प्रदेश	भेषज
11.	अलेप्पी	केरल	कॅयर उत्पाद
12.	कोल्लम (क्विलोन)	केरल	काजू उत्पाद

[हिन्दी]

नक्सलियों के छुपने के स्थानों से हथियारों की जब्ती

4996. श्री हेमलाल मुर्मूः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में देश में विशेषकर बिहार और झारखंड में नक्सलियों के छुपने के स्थानों से डेटोनेटर और कारतूसों सहित

हथियार एवं गोला बारूद जब्त किये गये हैं तथा करोड़ों रुपये की अफीम की फसल नष्ट की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में नक्सलियों को अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 2008 के दौरान अभी तक पुलिस ने 1170 हथियार बरामद किए हैं। 2007 में, पुलिस ने 352 हथियार बरामद किये थे।

(ग) कानून और व्यवस्था के अनुरक्षण सहित नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती है।

अपराध का पंजीकरण, जांच और अभियोजन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

केन्द्र सरकार स्थिति पर नजदीकी नजर भी रखती है तथा विभिन्न तरीकों द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों और संसाधनों में मदद करती है, जिसमें शामिल हैं; राज्य पुलिस की सहायता के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती, राज्य पुलिस की संख्या और क्षमताओं को संवर्द्धित करने के लिए भारतीय रिजर्व बटालियन मंजूर करना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु स्कीम के जरिये राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों का आधुनिकीकरण और उन्नयन, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता, आसूचना का आदान-प्रदान, विभिन्न मंत्रालयों की विस्तृत परिधि की स्कीमों के जरिये विकासात्मक कार्यों में अंतर-राज्य समन्वय और सहायता को कारगर बनाना।

[अनुवाद]

महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा

4997. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.आई.एस.एफ. और पुलिस बल की वर्तमान संख्या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी खतरों से पूर्णरूपेण सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां।

जहां कहीं जरूरत हो वहां महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में सुरक्षा बलों की तैनाती, उन प्रतिष्ठानों में खतरे की संभावना को ध्यान में रख करके की जाती है। महत्वपूर्ण और बड़े प्रतिष्ठानों में सीआईएसएफ की तैनाती की आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर इसकी संख्या की समीक्षा की जाती है। मानवशक्ति और उपकरणों में वृद्धि, जरूरतों के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

बासमती और गैर-बासमती चावल हेतु न्यूनतम निर्यात मूल्य

4998. डा. चिन्ता मोहन:
श्री सूरज सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 2007 में, सरकार ने बासमती और गैर-बासमती चावल के निर्यात हेतु न्यूनतम निर्यात मूल्य घोषित करने की एक प्रणाली की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में किस आधार पर मूल्य निर्धारित किया गया;

(ग) क्या निर्धारित मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के विद्यमान मूल्य से कम था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जनता के लिए चावल की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से जीडीएफटी की दिनांक 31.10.2007 की अधिसूचना सं. 45 के जरिये 425 अमरीकी डालर प्रति मी. टन की न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) पर गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई थी। दिनांक 1.4.2008 की अधिसूचना सं. 93 के जरिये गैर-बासमती चावल के निर्यात पर अंतत: रोक लगाने से पूर्व न्यूनतम निर्यात कीमत को संशोधित करके 1000 अमरीकी डालर या 40000 रुपये प्रति मी. टन कर दिया

गया था। इसी प्रकार, दिनांक 5.3.2008 की अधिसूचना सं. 82 के जरिये बासमती चावल के निर्यात हेतु एमईपी 900 अमरीकी डालर प्रति मी. टन निर्धारित की गई थी जिसे दिनांक 1.4.2008 की अधिसूचना सं. 93 के जरिये संशोधित करके अंततः 1200 अमरीकी डालर या 48000 रुपये प्रति मी. टन कर दिया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। जहां तक बासमती चावल का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारतीय कीमतों से शासित होती हैं क्योंकि इस वस्तु के केवल दोनों उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता भारत एवं पाकिस्तान में से उत्पादन एवं निर्यात में बड़ा हिस्सा भारत का है। दिसम्बर, 2007 से फरवरी 2008 के दौरान गैर-बासमती चावल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें नीचे दर्शाई गई हैं:

माह	कीमत रेंज अमरीकी डालर प्रति मी. टन एफओबी
दिसम्बर, 2007	321 से 618
जनवरी, 2008	349 से 660
फरवरी, 2008	425 से 748

स्रोत: राइस इंडिया-अखिल भारतीय चावल निर्यातक एसोसिएशन की पत्रिका।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डिजाइन नीति

4999. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री देविदास पिंगले:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजाइन नीति की घोषणा कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) वर्तमान में देश में कुल कितने पेशेवर डिजाइनर कार्य कर रहे हैं;

(घ) इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कितने युवा रोजगार प्राप्त करते हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास डिजाइन उद्योग को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) सरकार ने 8 फरवरी, 2007 को एक राष्ट्रीय डिजाईन नीति को अनुमोदित किया। इस नीति की मुख्य बातों में शामिल हैं:

* "डिजाइन समर्थित भारतीय उद्योग" की अवधारणा जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं जीवन की गुणवत्ता, दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
* सृजनात्मक डिजाइन विकास हेतु एक मंच तैयार करना।
* डिजाइन को परंपरागत एवं प्रौद्योगिकीय संसाधनों के साथ एकीकृत करने हेतु कई क्षेत्रों, राज्यों एवं प्रांतों में डिजाइन संवर्धन एवं साझेदारी।
* उत्कृष्टता के वैश्विक मानकों तक भारतीय डिजाइन शिक्षा को बढ़ावा देना।
* मौलिक डिजाइनों के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के बारे में विनिर्माताओं एवं सेवा प्रदाताओं के बीच जागरूकता का सृजन।
* डिजाइन सेवाओं तथा डिजाइन संबंधी आर एंड डी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित, निवेश आकर्षित करना।
* डिजाइन व्यवसाय के सहयोगात्मक विकास में उद्योग एवं व्यावसायिक डिजाइनरों को शामिल करना।

(ग) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इस देश में वर्तमान में कार्यरत व्यावसायिक डिजाइनरों की कुल संख्या लगभग 3000 है।

(घ) सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी गई है।

(ङ) और (च) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ डिजाइन उद्योग भी शामिल है।

उठाये गये कुछ उपाय हैं:

पिछले 3 वर्षों के दौरान डिजाइन संवर्धनात्मक उपाय

* केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 8 फरवरी, 2007 को पहली राष्ट्रीय डिजाइन नीति की घोषणा की। इसमें उद्योग, प्रतिस्पर्धात्मकता

के लिए डिजाइन, जीवन गुणवत्ता हेतु डिजाइन, निर्यात हेतु डिजाइन ''डिजाइन्ड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड'' जागरूकता एवं गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के जरिए डिजाइन संवर्धन एवं डिजाइन केन्द्रों तथा नवीकरण हबों की स्थापना नए डिजाइन शिक्षा परिसरों के माध्यम से डिजाइन शिक्षा में वैश्विक नेतृत्व पर बल दिया गया है।

* वर्ष 2004 में डीआईपीपी और डीएसटी की सहायता एनआईडी में अपने तरह का पहला राष्ट्रीय डिजाइन बिजनेस इन्क्यूबेटर स्थापित किया गया।

* वर्ष 2006 में डीआईपीपी और डीजीटी की सहायता से बेंगलूर में अपनी तरह का पहला डिजाइन और विकास अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया।

* वर्ष 2002 से क्षेत्र विशिष्ट विधाओं में एनआईडी द्वारा डिजाइन कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के शुरुआत की गई। पिछले तीन वर्षों में शुरू हुए नए क्षेत्र विशिष्ट अनुसंधान गहन पीजीडीपीडी कार्यक्रमों में शामिल है (1) ऑटोमोबाईल एवं परिवहन डिजाइन में पीजीडीपीडी (2) रिटेन डिजाइन में पीजीडीपीडी तथा (3) डिजीटल अनुभवों में पीजीडीपीडी।

* वैश्विक डिजाइन के शीर्ष निकाय आईसीएसआईडी में एनआईडी का प्रतिनिधित्व है एवं एनआईडी के निदेशक आईसीएसआईडी के बोर्ड सदस्य हैं। एनआईडी, आईसीएसआईडी के सभी कार्यकारिणी बोर्ड एवं आम सभा बैठकों में भाग लेता है।

* डीसीएच की सहायता से एनआईडी ने भारतीय शिल्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की है तथा यह केन्द्र शिल्पकारों एवं कामगारों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दे रहा है।

* विभिन्न अन्वेषणों के प्रलेखन तथा डिजाइन पंजीकरण हेतु एनआईडी ने आईपीआर प्रकोष्ठ की स्थापना की है अब तक लगभग 50 अन्वेषणों के लिए संस्थान ने डिजाइन पंजीकरण दायर किया है।

* अन्य डिजाइन संवर्धनात्मक उपायों (वर्ष-वार) में शामिल है:

2006-07

* ''डिजाइन एजुकेशन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी'' (डीईटीएम) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-2-4 मार्च, 2005।

* नवंबर, 2005 में संपन्न सिंगापुर डिजाइन उत्सव में भाग लिया।

* 15/16 नवंबर, 2005 को स्पेशियल डिजाइन में इस्तेमाल पर जिओ-बिजुअलाईजेशन सेमिनार आयोजित किया।

* 3.12.2005 को बिजनेस वर्ल्ड एनआईडी डिजाइन उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ।

* 8/9 दिसंबर, 2005 को 5वां सीआईआई-एनआईडी डिजाइन सम्मेलन आयोजित हुआ।

* डीआईपीपी-सीआईआई-एनआईडी द्वारा शिलांग में 12 एवं 13 नवंबर, 2005 को पूर्वोत्तर डिजाइन कानक्लेव आयोजित किया गया।

* डीसी (एच) के प्रायोजन से एनआईडी में भारतीय शिल्प हेतु अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की तैयारी में ''इंडियन क्राफ्टस द फ्यूचर इन ग्लोबलाईजिंग वर्ल्ड'' पर दिनांक 25 एवं 26 नवंबर, 2005 को एक सेमिनार।

* फिक्की एवं एनआईडी की भागीदारी से एचटी लक्ज़री सम्मेलन दिनांक 13/14 जनवरी, 2006 को आयोजित हुआ जिसमें नया पीजी कार्यक्रम भी शुरू किया गया।

2006-07

* औद्योगिक डिजाईन एवं बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार दिनांक 25-26 अप्रैल को आयोजित किया गया।

* वर्ष 2003 से बिजनेस वर्ल्ड के सहयोग से डिजाइन उत्कृष्टता अवार्ड गठित किया गया तथा चौथा पुरस्कार समारोह दिनांक 20 जनवरी, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ।

* एनआईडी के 27वें दीक्षांत समारोह के साथ 30 नवंबर से 7 दिसम्बर 2006 तक भारत डिजाइन सप्ताह मनाया गया।

* दिनांक 2/3 दिसंबर, 2006 को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटैट सेंटर में एनआईडी के एनडीबीआई द्वारा प्रथम डिजाइन आइडिया मेला आयोजित किया गया। जिसमें लगभग 35 विचार विकसित हुए तथा 300 विजिटर मेला देखने आए।

* छठा सीआईआई-एनआईडी डिजाईन सम्मेलन दिल्ली में दिनांक 4-5 दिसम्बर, 2006 को आयोजित किया गया।

* 17 नवम्बर, 2006 को आयोजित पुणे डिजाइन उत्सव फिक्की एवं पुणे डिजाइन फाउंडेशन के साथ सहयोग किया।

2005-06

* ''चित्रकथा 2007'' 25-27 अक्तूबर, 2007 को एनआईडी में अंतर्राष्ट्रीय छात्र एनिमेशन उत्सव 2007 आयोजित हुआ।

* एनआरडीएमएस (डीएसटी) एवं एनआईडी द्वारा संयुक्त रूप से एनआईडी में दिनांक 28-30 नवंबर, 2007 को जियो विज्युइलाइजेशन जीसीडीआरपी 2007 पर एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

* दिनांक 7-14 दिसम्बर 2007 को डिजाइन सप्ताह मनाया गया।

* बेंगलूर में 12-13 दिसम्बर, 2007 को डिजाइन आइडिया फेयर 2007 मनाया गया।

* बेंगलूर में 11-12 दिसम्बर, 2007 के दौरान 7वां एनआईडी-सीआईआई डिजाइन सम्मेलन आयोजित किया गया।

चावल और अन्य खाद्यान्नों के निर्यात पर प्रतिबंध

5000. **श्री एन.एन. कृष्णदासः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने चावल और अन्य खाद्यान्नों के निर्यात को सीमित अथवा प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रतिबंध से चावल सहित किसी अन्य खाद्यान्न की किसी विशेष किस्म को मुक्त रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी खाद्यान्न-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। देश में मूलभूत खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से डीजीएफटी की दिनांक 1.4.2008 की अधिसूचना सं. 93 के जरिये गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। दिनांक 1.4.2008 की अधिसूचना सं. 91 के जरिये दालों के निर्यात पर लगी रोक को 31.3.2009 तक बढ़ा दिया गया है, जबकि गेहूं के आटे सहित गेहूं एवं गेहूं उत्पादों के निर्यात पर दिनांक 8.10.2007 की अधिसूचना सं. 33 के जरिये अगले आदेशों तक रोक लगा दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां. दिनांक 1.4.2008 की अधिसूचना सं. 93 के जरिये 1200 अमरीका डालर या 48000 रुपये प्रति मी. टन की न्यूनतम निर्यात कीमत (एमईपी) वाले बासमती चावल को चावल के निर्यात पर लगी रोक से छूट दी गई है जबकि दिनांक 20.2.2007 की अधिसूचना सं. 48 के अनुसार काबुली चने को दालों के निर्यात पर लगी रोक से छूट प्रदान की गई है।

ग्रामीण पब्लिक स्कूल

5001. **श्री एल. राजगोपालः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकारों से विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करने हेतु निजी स्कूलों के समकक्ष ग्रामीण पब्लिक स्कूल खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उपर्युक्त स्कूलों की स्थापना हेतु अनावर्ती लागत का 25 प्रतिशत मुहैया कराने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में कम से कम एक स्कूल की दर से सरकारी-प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से कक्षा-6 से 12 वाले 300 आवासीय, सह-शिक्षा अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल खोलने की बात कही गई है। प्रस्ताव के अनुसार, स्कूल की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी तथा पूंजी लागत का वहन प्राइवेट प्रदाता द्वारा किया जाएगा और आवर्ती लागत राज्य सरकार तथा निजी प्रदाता के बीच हिस्सेदारी के रूप में वहन की जाएगी।

इस समय इस मंत्रालय में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत स्कूल भवन संबंधी अनावर्ती लागत के कुछ अंश को वहन करने के बाबत सहायता संबंधी प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे देश में प्रत्येक ब्लॉक में एक की दर से 6000 नए उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल स्कूल स्थापित करने हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है बशर्ते अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

मछली का निर्यात

5002. श्री मनोरंजन भक्त: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक विभिन्न राज्यों विशेषकर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र से वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में मछली और अन्य समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया; और

(ख) पश्चिमी देशों की आयात नीति की प्रतिकूल प्रभाव से झींगा निर्यात उद्योग की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा फरवरी, 2008 तक चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों से निर्यातित मत्स्य एवं अन्य समुद्री उत्पादों की कुल मात्रा तथा उससे अर्जित राजस्व का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पश्चिमी देशों की आयात नीति के प्रतिकूल प्रभावों से झींगा निर्यात उद्योग की रक्षा करने के लिए एम्पीडा ने कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* ईयू एवं अमेरिका की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण संयंत्रों का उन्नयन,
* आबद्ध एवं स्वतंत्र प्रसंस्करण पूर्व केन्द्रों के उन्नयन तथा लघु प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता एवं ब्याज सब्सिडी प्रदान करना,
* समुद्री खाद्य प्रौद्योगिकीविदों/गुणवत्ता नियंत्रण कार्मिकों हेतु जोखिम नियंत्रण एवं निर्णायक नियंत्रण कार्यक्रम (एचएसीपीपी) के कार्यान्वयन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन,
* प्रसंस्कर्ताओं की एचएसीसीपी हस्तपुस्तिकाओं की संवीक्षा,
* संवीक्षा एवं अनुपालन प्रमाण-पत्र जारी करना,
* कुछेक संदूषकों के लिए सीमाओं को अधिसूचित करना,
* इयू तथा अमेरिका के विनियमों के समान कुछेक प्रतिबंधित मदों के उपयोग पर प्रतिबंध,
* जलकृषि उत्पादन में प्रतिजैविकों एवं कीटनाशक अपशिष्टों तथा रासायनिक तत्वों की निगरानी के जरिये राष्ट्रीय अपशिष्ट नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत,
* प्रौद्योगिकीविदों, प्रसंस्कर्ताओं, पूर्व-प्रसंस्कर्ताओं, मत्स्य प्रहस्तकों, मछुआरों, नाविक दल तथा प्रसंस्करण संयंत्रों, उतराई केन्द्रों, मत्स्यन क्राफ्टों में स्वच्छता के अनुरक्षण हेतु मात्स्यिकी उत्पादों का संचालन करने वाले अन्य व्यक्तियों और इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए क्षेत्र-वार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था।

इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क तथा भारतीय श्रिम्पों पर अमेरिका द्वारा अधिरोपित सीमाशुल्क बंध-पत्र अपेक्षाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक एसोसिएशन, जिन्होंने बढ़ी हुई सीमाशुल्क बंधपत्र अपेक्षाओं तथा अमेरिकी सरकार के पाटनरोधी आदेश के विरुद्ध मामला दर्ज कराया हुआ है, को वित्तीय सहायता प्रदान की है। अमरीका को निर्यातित भारतीय श्रिम्प पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को पूर्ण रूप से हटवाने अथवा पाटनरोधी शुल्क कम करवाने की मंशा से एम्पीडा ने प्रशासनिक समीक्षाओं में उपर्युक्त उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समुद्री खाद्य निर्यातकों को आवश्यक सहायता प्रदान की है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मत्स्य एवं अन्य समुद्री उत्पादों का राज्यवार निर्यात

मा: मात्रा टन में, मू: मूल्य लाख रुपए में, डॉ.: अमरीकी डालर (मिलि.)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल-07-फर. 08)
1	2	3	4	5
केरल	87378	97311	108617	87564
	115807.23	125764.81	152411.59	125141.13
	257.42	285.78	339.91	310.95

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	112179	123716	140046	95034
	103772.31	124220.93	134701.72	109495.03
	231.41	281.21	298.52	272.62
गुजरात	119951	136485	188166	131602
	70458.58	93488.02	126459.68	99237.38
	157.36	210.87	281.30	247.69
प. बंगाल	18605	18368	23461	24399
	52530.43	53972.16	65604.37	63583.36
	116.57	122.58	144.36	158.45
आंध्र प्रदेश	32028	37121	36594	31555
	102906.51	111530.00	126474.92	91683.35
	228.58	253.07	278.88	227.99
कर्नाटक	10349	15965	26723	22072
	7692.39	10326.79	14949.39	13763.26
	17.15	23.49	33.05	34.34
उड़ीसा	0	60	0	0
	0.00	98.18	0.00	0.00
	0.00	0.23	0.00	0.00
गोवा	10030	10719	16152	17466
	4695.85	5555.81	8944.92	9132.57
	10.42	12.59	19.70	22.79
तमिलनाडु	70809	72418	72883	65508
	206805.51	199573.01	206806.04	165016.42
	459.57	454.40	457.22	409.81
*अंडमान एवं	36	42	21	0
निकोबार द्वीपसमूह	98.32	85.01	24.00	0
	0.22	0.77	0.05	0

*ये निर्यात मै. अंडमान फिशरीज लि., पोर्ट ब्लेयर के द्वारा किये गये अनुसार हैं।

क्रेडिट कार्ड रैकेट

5003. श्री उदय सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने क्लोन्ड क्रेडिट कार्ड्स के धंधे में संलिप्त एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है तथा अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उनके कार्य करने का तरीका क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रैकेट में कुछ आतंकवादी समूहों के संलिप्त होने के संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस जांच का क्या परिणाम निकला है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने हाल ही में नकली क्रेडिट कार्ड रैकेट चलाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो धोखाधड़ी से पैसा एकत्रित करने के लिए दुकानदारों के साथ सांठगांठ करके इन कार्डों से चोरी करते थे। इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया और छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त व्यक्तियों से 21 नकली क्रेडिट कार्ड बरामद किये गये।

(ग) और (घ) मामले की जांच से रैकेट में किसी आतंकवादी ग्रुप की संलिप्तता का पता नहीं चला है।

[हिन्दी]

सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत परियोजनाएं

5004. श्री अजीत जोगी: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सूक्ष्म और मध्यम उद्यम क्षेत्र में रोजगार का सृजन करने के लिए इसके अंतर्गत नई परियोजनाएं आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं योजना के लिए वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में वर्ष-वार कितनी निधियों का आवंटन किया गया?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का संवर्धन और विकास मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों का कार्य है। केन्द्र सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा उन्हें प्रगति करने एवं अधिकाधिक रोजगार सृजित करने में समर्थ बनाने के लिए योजनाओं/पहलों के माध्यम से सहयोगात्मक उपाय प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को अनुपूरित करती है। इन उपायों में चालू योजनाओं के साथ-साथ 27 फरवरी, 2007 को लोक सभा में घोषित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु पैकेज के तहत नई योजनाएं शामिल हैं। कुछ नई पहलों की सूची नीचे दी गई है:

(1) टेलर मेड कोर्स के संचालन के लिए चुनिंदा प्रबंधकीय/व्यवसाय स्कूलों और तकनीकी संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना।

(2) पांच चुनिंदा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को 1200 उद्यमिता क्लब चलाने के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना।

(3) 1.5 लाख संभावी प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को उनके उद्यमों की स्थापना हेतु आवश्यक विभिन्न औपचारिकताओं एवं कार्यों को पूरा करने में तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उनके द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने को सुगम बनाने में सहायता देने हेतु राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना।

(4) विद्यमान आरईजीपी और पीएमआरवाई योजनाओं को मिलाकर प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की योजना (प्रस्तावित)।

(5) कमजोर संस्थानों के लिए नर्सिंग फंड सहित खादी संस्थानों के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु पैकेज (प्रस्तावित)।

(6) खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम।

(7) खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने की योजना (प्रस्तावित)।

(8) कॅयर उद्योग के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण की योजना।

इसके अतिरिक्त एमएसएमई क्लस्टरों में ग्यारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के तहत 10 बिन्दु पहलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में कार्यान्वित किये जाने की घोषणा की गई है।

इन नई तथा चल रही पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एमएसएमई में नियोजित व्यक्तियों का प्रक्षेपण निम्नोक्त है:

क्र.सं.	वर्ष	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए रोजगार प्रक्षेपण (संख्या लाख में)
1.	2007-08	322.28
2.	2008-09	338.39
3.	2009-10	355.31
4.	2010-11	373.08
5.	2011-12	391.73

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एमएसएमई मंत्रालय की चल रही/नई योजनाओं के लिए कुल मिलाकर 11.500 करोड़ रु. का बजट प्रावधान है।

[अनुवाद]

शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन

5005. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए बजटीय आबंटन में वृद्धि करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र के लिए कितना आबंटन किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अलग-अलग कितना वास्तविक व्यय किया गया और सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कितनी बजटीय सहायता प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बजटीय आवंटन वर्ष 2006-07 में 24116.49 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2007-08 के दौरान 32354.22 करोड़ रुपये कर दिया गया जो 34.16 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2008-09 में आवंटन को और बढ़ाकर 38709.37 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो 2007-08 के आवंटन की तुलना में 19.6 प्रतिशत अधिक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय हेतु आवंटन और प्रारंभिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान सहित) तथा माध्यमिक शिक्षा पर किये गये वास्तविक व्यय और सकल घरेलू उत्पाद संबंधी आंकड़े इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद	कुल आवंटन (योजनागत+योजनेत्तर)	वास्तविक व्यय	
			प्रारंभिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा
2005-06	3275670	18338.53	11751.22	1750.27
2006-07	3790063 (त्वरित आकलन)	24116.49	16734.91	1923.72
2007-08	4283040 (अग्रिम आकलन)	32354.22	17769.56	2525.48

सर्व शिक्षा अभियान हेतु बजटीय सहायता 2006-07 में 11000.00 करोड़ रुपये तथा 2007-08 में 10671 करोड़ रुपये की है जो 2008-09 में बढ़कर 13100 करोड़ रुपये हो गई है।

[हिन्दी]

फिल्मों से अर्जित विदेशी मुद्रा

5006. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान देश के फिल्म उद्योग की विदेशी मुद्रा अर्जन क्षमता में वृद्धि देखी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फिल्म उद्योग के विकास एवं विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2007 की फिक्की प्राइसवाटरहाउस कूपर्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय फिल्मों की विदेशी बाजार में सकारात्मक वृद्धि थी। वर्ष 2004 में 5000 मिलियन रुपये तथा वर्ष 2005 में 5650 मिलियन रुपये के विदेशी बाजार के प्रक्षेपणों में वर्ष 2006 में बढ़ कर 7000 मिलियन रुपये और वर्ष 2007 में 8500 मिलियन रुपये होने की संभावना थी। बॉक्स ऑफिस के राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति से भारत से फिल्मों के अधिक निर्यात और उसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा के अर्जन में वृद्धि के संकेत मिलते हैं।

(ग) से (ङ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास मौजूदा योजनागत स्कीमें हैं जिनका उद्देश्य भारत और विदेश में भारतीय सिनेमा का संवर्धन करना है। "भारत और विदेश में फिल्म समारोहों के जरिये निर्यात का संवर्धन" नामक स्कीम को फिल्म समारोह निदेशालय के जरिये कार्यान्वित किया जाता है। इस स्कीम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के संगठन, भारत और विदेश के विभिन्न फिल्म समारोहों में सहभागिता तथा फिल्म समारोहों का आयोजन शामिल है। समारोहों के आयोजन हेतु फिल्मों को विभिन्न भारतीय दूतावासों में भी भेजा जाता है। फिल्में सांस्कृतिक निर्यात का एक माध्यम हैं। विदेशों में फिल्म समारोहों के आयोजन से न केवल हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है बल्कि इससे भारतीय फिल्मों के निर्यात में भी मदद मिलती है। 11वीं योजना में इस स्कीम में फिल्म समारोह आयोजित करने के लिए फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसायटीज ऑफ इंडिया के सहायता अनुदान प्रदान करने और गैर-सरकारी संगठनों/राज्य सरकार के संगठनों को समर्थन देने का भी प्रावधान किया गया है। 10वीं योजना में, इस स्कीम के अंतर्गत 989..42 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया था। 11वीं योजना के लिए 2069 लाख रुपये का प्रावधान है।

सूचना और पसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय की "फिल्म बाजारों में सहभागिता" नामक मौजूदा स्कीम में भारतीय फिल्म उद्योग की निर्यात क्षमता को समर्थन देने, सुविधाजनक बनाने और उसका संवर्धन करने की परिकल्पना है। इस स्कीम का उद्देश्य, अन्य के साथ-साथ, (सहभागिता के बारे में प्रतिवर्ष निर्णय लिया जाना) न केवल कान फिल्म बाजार/बर्लिन फिल्म समारोह/अमरीकी फिल्म बाजार/मिपकॉप जैसे केवल विनिर्दिष्ट संस्थागत अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बल्कि प्रतिवर्ष भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ-साथ आयोजित किये जाने वाले फिल्म बाजार को भी कवर करना है। 10वीं योजना में इस प्रयोजनार्थ 442.85 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया था। 11वीं योजना के लिए 1100 लाख रुपये का प्रावधान है।

शिक्षा स्तर में सुधार

5007. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षा स्तर में सुधार के लिए हाल ही में राज्य सरकारों के साथ वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 11वीं योजना में परिकल्पित शिक्षा की नई पहलों के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करने हेतु 22.4.2008 को राज्यों के प्रमुख सचिवों की बैठक हुई।

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित 11वीं योजना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के योजनागत आबंटन को 10वीं योजना के दौरान वास्तविक खर्च लगभग 58817 करोड़ रु. की तुलना में बढ़ाकर 269873 करोड़ रु. कर दिया गया है जो 10वीं योजना से 4.6 गुणा ज्यादा है। 11वीं योजना में निम्नलिखित नई पहलों की परिकल्पना की गई है:

(1) माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की सर्वसुलभता और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम का

उद्देश्य प्रत्येक बस्ती के पांच किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक स्कूल स्थापित करके सभी युवकों को बेहतर गुणवत्ता वाली कम लागत पर माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराना है;

(2) वर्तमान 44,000 माध्यमिक स्कूलों की दाखिला क्षमता में वृद्धि करना और 15,000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का माध्यमिक स्कूलों में शीघ्र स्तरोन्नयन करना;

(3) माध्यमिक शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करने के लिए ब्लॉक स्तर पर 6000 उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल स्कूलों की स्थापना करना। इनमें से 3500 स्कूल सार्वजनिक निधियों से पोषित होंगे जबकि 2500 स्कूल सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत होंगे;

(4) उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ प्रयोगशालाओं/पुस्तकालयों का प्रावधान;

(5) सतत् शिक्षक प्रशिक्षण;

(6) छात्राओं के लिए आवासीय स्कूलों एवं छात्रावासों का प्रावधान; और

(7) गुणवत्तायुक्त शिक्षा की अत्यधिक मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों की स्थापना हेतु और उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना।

उच्चतर शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अन्य पहलों में शामिल हैं:

(1) 30 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय-16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय उन राज्यों, जिनमें कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, एक-एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और 14 केन्द्रीय विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए;

(2) राष्ट्रीय औसत से कम सकल नामांकन अनुपात वाले जिलों में 370 नए डिग्री कालेजों की स्थापना;

(3) इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त न करने वाले 6000 कालेजों और 150 विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करना;

(4) मध्य प्रदेश में अमरकंटक में मुख्य परिसर वाले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना;

(5) 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, पीपीपी मोड में, 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों और 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना;

(6) मोहाली (पंजाब), पुणे और कोलकाता में तीन नए भारतीय विज्ञान शिक्षा एंव अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहे हैं और तिरुवनंतपुरम, भोपाल में दो अन्य अपने सत्र अगस्त 2008 में आरंभ करेंगे;

(7) शिलांग, मेघालय में स्थापित किये गये एक भारतीय प्रबंधन संस्थान सहित 7 नए भारतीय प्रबंधन संस्थान;

(8) भोपाल, मध्य प्रदेश और विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में 2 नए योजना एवं वास्तुकला स्कूल;

(9) 1000 नए पालिटेक्निक (300 सरकारी क्षेत्र में, 300 सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत और 400 निजी क्षेत्र में) की स्थापना।

[अनुवाद]

सोना तथा हीरा खनन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5008. श्री एस. अजय कुमार:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सोना तथा हीरों की खनन खोज के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है जैसाकि 24 मार्च, 2008 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है और इन उत्पादों के खनन में रुचि दर्शाने वाले देशों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हाडिन्क): (क) से (ग) सरकार ने भारत में खनन क्षेत्र में एफडीआई सहित निवेश को आकर्षित करने के लिए हाल ही में नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित की है। तथापि, देश में वर्ष 2006 से स्वर्ण और हीरे के गवेषण तथा खनन हेतु आटोमेटिक रूट पर शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की पहले ही अनुमति है। उपलब्ध सूचना के अनुसार,

भारत के खनन क्षेत्र में अप्रैल, 2000 और फरवरी, 2008 के बीच 506.05 मिलियन अमेरीकी डालर का निवेश हुआ था। मुख्य योगदान आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में स्थित प्रमुख खनन कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों से प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विनिर्माण उद्योग

5009. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी राज्य में विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने अथवा उपयुक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए उन पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में आज की तिथि तक विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित सभी विनिर्माण इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के लिए कोई नई सुविधाएं अथवा योजनाएं शुरू की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) एस ई जेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) की स्थापना करने के लिए 453 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किये गये हैं जिनमें से 210 एस ई जेडों को अधिसूचित किया गया है। इनमें वस्त्र और परिधान, चर्म और फुटवियर, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, भेषज, रसायन आदि जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण उद्योगों के लिए बहुउत्पाद और क्षेत्र विशिष्ट एस ई जेड शामिल हैं।

(ख) महाराष्ट्र में एस ई जेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 88 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किये गये हैं जिनमें से 25 एस ई जेडों को अधिसूचित किया गया है। सीप्ज विशेष आर्थिक जोन जिसे केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, में 333 इकाइयों को अनुज्ञा पत्र प्रदान किये गये हैं जबकि नये अधिसूचित एस ई जेडों में 28 इकाइयों को अनुज्ञा पत्र प्रदान किए गए हैं और ये कार्यान्वयन/प्रचालन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) एस ई जेड विकासकर्त्ताओं/इकाइयों को उपलब्ध सुविधाएं विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के उपबंधों द्वारा शासित होती हैं।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लक्ष्य का विस्तार

5010. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री काशीराम राणा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा एक अग्रणी कार्यक्रम (सर्व शिक्षा अभियान) अपनी निर्धारित समय-सीमा से काफी पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने लक्ष्य का विस्तार वर्ष 2011-12 तक कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) वर्ष 2011-12 तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई है तथा क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(च) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आज की तिथि तक राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने बच्चों को शामिल किया गया; और

(छ) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (छ) प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान देश के सभी जिलों में समयबद्ध तरीके से, एक मिशन के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। तदनुसार राज्य रिपोर्टों के अनुसार स्कूल-बाह्य बच्चों की संख्या जो वर्ष 2001-02 में 320 लाख थी, वर्ष 2007-08 में घटकर 75.97 लाख रह गई है। मार्च 2007 तक राज्यों द्वारा स्कूल-बाह्य बच्चों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

सर्व शिक्षा अभियान के अनुवीक्षण की एक कठोर पद्धति लागू की गयी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मासिक और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें और समीक्षा बैठकें, प्रारंभिक स्कूल के वार्षिक आंकड़े प्रस्तुत करना, कार्यक्रम की प्रगति के बारे में 41 स्वतंत्र मानीटरिंग संस्थाओं द्वारा फील्ड मानीटरिंग और विशेषज्ञों द्वारा छमाही स्वतंत्र समीक्षाएं करना शामिल है। इसके अतिरिक्त राज्य सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों की कठोर सांविधिक एवं स्वतंत्र वार्षिक वित्तीय लेखा परीक्षाएं एवं समवर्ती वित्तीय समीक्षाएं की जाती हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार स्कूल बाह्य बच्चे
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	264013
2.	अरुणाचल प्रदेश	30565
3.	असम	338834
4.	बिहार	2119584
5.	छत्तीसगढ़	123632
6.	गोवा	7699
7.	गुजरात	134643
8.	हरियाणा	238847
9.	हिमाचल प्रदेश	5624
10.	जम्मू-कश्मीर	108560
11.	झारखंड	209662
12.	कर्नाटक	174533
13.	केरल	20790
14.	मध्य प्रदेश	296979
15.	महाराष्ट्र	136892
16.	मणिपुर	54351
17.	मेघालय	37234
18.	मिजोरम	4913
19.	नागालैंड	35335
20.	उड़ीसा	537841
21.	पंजाब	227645
22.	राजस्थान	163894
23.	सिक्किम	3204
24.	तमिलनाडु	103261
25.	त्रिपुरा	15376
26.	उत्तर प्रदेश	785524
27.	उत्तराखंड	22230
28.	पश्चिम बंगाल	1357601
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	133
30.	चंडीगढ़	5505
31.	दादर और नगर हवेली	1614
32.	दमन और दीव	201
33.	दिल्ली	30001
34.	लक्षद्वीप	168
35.	पुड्डुचेरी	326
	भारत	7597214

[हिन्दी]

राजभाषा विभाग में रिक्त पद

5011. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजभाषा विभाग में विभिन्न श्रेणियों कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा विभाग सेवा (सीएसओएल) की विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पद होने और उन्हें भरवाने का कार्य, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो एक गतिशील प्रक्रिया है। आज की तारीख तक सीएसओएल में अस्थाई रिक्तियों

सहित विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों की स्थिति नीचे दी गई है:

(1)	निदेशक	3
(2)	संयुक्त निदेशक	6
(3)	उप निदेशक	शून्य
(4)	सहायक निदेशक	4
(5)	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	3
(6)	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	87

(ग) सरकार की नीति, रिक्त पदों को शीघ्र भरने की है और इस प्रयोजनार्थ पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

असम रायफल्स मुख्यालय का स्थान परिवर्तन

5012. श्री वनलाल जावमा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास असम रायफल्स का मुख्यालय आइजौल सिटी से हटाकर जोखासंग क्षेत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कुल कितनी निधियां प्रदान किए जाने की संभावना है??

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) राज्य सरकार के अनुरोध पर असम राइफल्स की बटालियन का आइजौल स्थित मुख्यालय जोखासंग क्षेत्र ले जाने का निश्चय किया गया है।

(ग) नए स्थान पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 145,17,30,000 रुपये की राशि मंजूर की गई है।

[हिन्दी]

यातायात पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

5013. श्री पंकज चौधरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कई आवासीय कालोनियों से दिल्ली यातायात पुलिस के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज की तिथि तक यातायात पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चूककर्ता पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध तथा दिल्लीवासियों की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) वर्ष 2005, 2006, 2007 के दौरान और 24 अप्रैल, 2008 तक आवासीय कालोनियों से दिल्ली यातायात पुलिस के विरुद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

प्रमाणित की गई शिकायत, टूर एंड ट्रेवल एजेंसी द्वारा निवासियों को परेशानी पैदा करने वाले वाहनों के खड़ा करने के बारे में कालोनी के निवासियों द्वारा की गई थी। दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के पश्चात, टूर एंड ट्रेवल एजेंसी ने कालोनी में वाहनों को खड़ा करना बंद कर दिया है और कालोनी के निवासियों की शिकायत का निवारण हो गया है। दोषी पुलिस अधिकारियों के संबंध में कार्रवाई नियमों के संबंधित उपबंधों के अनुसार की जाती है।

विवरण

वर्ष 2005, 2006, 2007 और 2008 (आदिनांक) के दौरान यातायात पुलिस के विरुद्ध आवासीय कल्याण संघ/ कालोनियों से प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे

क्र.सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	यातायात पुलिस कार्मिक का नाम	प्रमाणित/सिद्ध नहीं हुआ
1	2	3	4	5
		2005		
1.	दिगम्बर जैन मंदिर क्षेत्र चांदनी चौक-दिल्ली के निवासी	जनता के साथ टीआई/कोटवाली सर्कल द्वारा दुर्व्यवहार	निरीक्षक रामफल	सिद्ध नहीं हुआ

1	2	3	4	5
2.	आजादपुर परिवहन नगर कल्याण संघ	माडल टाउन सर्कल के सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार द्वारा उत्पीड़न	सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार	सिद्ध नहीं हुआ।
3.	जनरल सेक्रेटरी सीनियर सिटिजन वैलफेयर एसोसिएशन, साकेत, दिल्ली	प्री-पैड बूथ सर्कल पर ट्रैफिक स्टाफ द्वारा दुर्व्यवहार	हौजखास सर्कल के स्थानीय यातायात फील्ड स्टाफ के विरुद्ध यह एक आम शिकायत है।	सिद्ध नहीं हुआ।
4.	मोतिया खान एरिया, दिल्ली के निवासी	जनता के साथ टीआई/पहाड़गंज सर्कल द्वारा दुर्व्यवहार	निरीक्षक रामफल	सिद्ध नहीं हुआ।
5.	रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन बीएसएस कालोनी रजोकरी, दिल्ली	ट्रैफिक स्टाफ की सांठगांठ से आरटीवी गलत मार्ग पर चल रहो है।	दक्षिण-पश्चिम जिले के स्थानीय ट्रैफिक फील्ड स्टाफ के विरुद्ध यह एक आम शिकायत है।	सिद्ध नहीं हुआ।
6.	गोल मार्किट दिल्ली के निवासी	जैड और सहायक उप निरीक्षक ने भैंसों के ट्रक ड्राइवरों से रिश्वत ली।	जैड ओ सहायक उप निरीक्षक ललित मोहन	सिद्ध नहीं हुआ।
		2006		
1.	निवासी कल्याण, हर्ष विहार, दिल्ली	हर्ष विहार के क्षेत्र में सड़क पर बड़ी मात्रा में अनधिकृत कब्जा था जिससे यातायात अवरुद्ध हो जाता था लेकिन यातायात पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की	यह सीमा पुरी सर्कल के स्थानीय यातायात फील्ड स्टाफ के विरुद्ध सामान्य शिकायत है।	सिद्ध नहीं हुआ।
2.	रिंग रोड ओनर्स और आरएडब्ल्यू लाजपत नगर, रिंग रोड, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली	अमर कालोनी चौराहे और दयानंद कालोनी के प्रवेश और निकासी बिन्दु पर सर्विस सड़क पर बड़ी मात्रा में यातायात अवरुद्ध रहता था लेकिन यातायात पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।	यह लाजपत नगर सर्कल के स्थानीय यातायात के विरुद्ध सामान्य शिकायत है।	सिद्ध नहीं हुआ।
3.	प्रो. बी.एस. तलवार, अध्यक्ष, वैशाली आरडब्ल्यूए, सामुदायिक केन्द्र वैशाली, पीतमपुरा, दिल्ली-88	पीतमपुरा रिहायशी कालोनी में और इसके आस-पास मोटर वाहनों, रिक्शाओं आदि द्वारा यातायात अवरुद्ध किए जाने, अनधिकृत पार्किंग किये जाने, लाल बत्ती पार किये जाने आदि की समस्या थी लेकिन यातायात पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया।	यह अशोक विहार सर्कल के स्थानीय यातायात फील्ड स्टाफ के विरुद्ध सामान्य शिकायत है।	सिद्ध नहीं हुआ।

1	2	3	4	5
4.	श्री एस.एस. गुप्ता, उपाध्यक्ष, आरडब्ल्यूए, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली	वाहनों का चालान न किये जाने और उन्हें बन्द न किये जाने के लिए स्कूल के वाहनों से रिश्वत की मांग किए जाने के संबंध में	उप निरीक्षक मोहम्मद खां	सिद्ध नहीं हुआ।
5.	श्री राम सिंह, संयुक्त सचिव, जंगपुरा (भोगल) निवासी कल्याण संघ, जंगपुरा लेन, नई दिल्ली	अवैध टैंपो स्टैंड द्वारा जैन मंदिर के बाहर सुमन बाजार में भारी मात्रा में यातायात अवरुद्ध था जिसके कारण प्राइमरी स्कूल के बच्चे ग्रस्त हैं।	यह लाजपत नगर सर्कल के स्थानीय यातायात फील्ड स्टाफ के विरुद्ध सामान्य शिकायत है।	सिद्ध नहीं हुआ।
6.	ग्राम हस्तसाल उत्तम नगर, दिल्ली के निवासी	उत्तम नगर क्षेत्र में लगभग 50 अप्राधिकृत आरटीवी चल रहे हैं और यातायात पुलिस उनसे धन उगाह रही है जिससे लोगों के सामने समस्या आ रही है।	यह तिलक नगर सर्कल के स्थानीय यातायात फील्ड स्टाफ के विरुद्ध सामान्य शिकायत है।	सिद्ध नहीं हुआ।
7.	दिनांक 8.9.2006 के सत्य प्रकाश टाइम्स की न्यूज क्लिपिंग्स	यातायात पुलिस की लापरवाही से मंगोलपुरी एस-ब्लाक पर यातायात अस्त-व्यस्त	पंजाबी बाग परिक्षेत्र के स्थानीय यातायात स्टाफ के खिलाफ यह एक आम शिकायत है।	सिद्ध नहीं हुआ।
		2007		
1.	श्री मंसूर अहमद, मटिया महल रेजिडेंट्स वेल्फेयर एसोसिएशन (रजि) तुर्कमान गेट, दिल्ली-110006	कोतवाली सर्कल का ट्रैफिक स्टाफ क्षेत्र के निवासियों को तंग कर रहा है, अवैध उत्कोच मांग रहा है और लोगों का गलत चालान कर रहा है	सेंट्रल जिले के स्थानीय यातायात स्टाफ के खिलाफ यह एक आम शिकायत है।	सिद्ध नहीं हुआ।
2.	जाकिर नगर दिल्ली के निवासी	जाकिर नगर क्षेत्र में यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से टैक्सी स्टैंड द्वारा भारी मात्रा में प्राधिकृत पार्किंग और अवैध पार्किंग।	लाजपत नगर सर्किल के स्थानीय यातायात क्षेत्र स्टाफ के खिलाफ यह एक आम शिकायत है।	सिद्ध नहीं हुआ।
3.	श्री अरुण कुमार, टैंक रोड, रामेश्वरी नेहरु नगर, दिल्ली के निवासी	यातायात पुलिस की मिलीभगत से गवर्नमेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, देवनगर के पीछे टैंक रोड के क्षेत्र में भारी संख्या में अप्राधिकृत पार्किंग है और शिकायतों के बावजूद यातायात पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की	करोल बाग सर्किल स्थानीय यातायात स्टाफ के खिलाफ यह एक आम शिकायत है।	सिद्ध नहीं हुआ।

1	2	3	4	5
4.	प्रशांत कुमार निवासी बी-454 गोकलपुरी दिल्ली	दरियागंज सर्किल के ट्रैफिक स्टाफ ने उन्हें धमकाया और उनसे पैसे की मांग की।	उप-निरीक्षक एसएल मीना	सिद्ध नहीं हुआ।
5.	नवजीवन विहार के निवासी	निजी कारों के वाणिज्यिक प्रयोग के कारण अव्यवस्था।	टीआईएंडबेडओ	सिद्ध मामला।
		2008		
		शून्य		

[अनुवाद]

दूरदर्शन केन्द्र

5014. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुछ दूरदर्शन केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ताकि इसके कार्यक्रम अधिक दर्शकों तक पहुंच सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के उन्नयन हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है:

(1) बाड़मेर, कुन्नूर, कुंबकोनम, खड़गपुर, कोकराझार, सहरसा, अमृतसर, वड़ोदरा नामक 8 स्थानों पर अंतरिम उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों (एचपीटी) का स्थायी एचपीटी (नए टॉवरों के साथ) में उन्नयन।

(2) बिलासपुर, छतरपुर, महबूबनगर नामक 3 स्थानों पर अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों (एलपीटी) का एचपीटी में उन्नयन।

खनन परियोजना के लिए स्वीकृति

5015. श्री नरहरि महतो:
श्री रनेन बर्मन:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में खनन पट्टों से संबंधित किन्हीं परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) राज्यों में ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते समय अपनाए जाने वाले मापदण्डों का ब्यौरा सहित राज्यों में वर्तमान खनन नीति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हाडिन्क): (क) और (ख) राज्य सरकारें खनिजों की मालिक हैं और खनन पट्टा प्रदान करती हैं। केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन केवल खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर एक्ट) की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों के लिए खनन पट्टे प्रदान करने के मामले में अपेक्षित होता है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 1.4.2005 से 23.4.2008 तक आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त 59 प्रस्तावों में खनन पट्टा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने पूर्व अनुमोदन संसूचित किया है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से खनन पट्टा प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था और इस अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में खनन पट्टा प्रदान करने के लिए कोई पूर्व अनुमोदन संसूचित नहीं किया गया है। खनन पट्टों सहित खनिज रियायत प्रस्तावों के ब्यौरे, जिन पर खान मंत्रालय द्वारा पूर्व अनुमोदन संसूचित किया गया है, खान मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात (http://www.mines.nic.in) में उपलब्ध है।

(ग) खान मंत्रालय खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों की शर्तों पर राज्य सरकारों को खनन पट्टे सहित, खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए पूर्व अनुमोदन संसूचित करता रहा है। राज्यों में खनन नीति के ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

नागरिक सुरक्षा दायित्वों में परिवर्तन

5016. **श्री निखिल कुमारः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास आपदाओं से निपटने का उत्तरदायित्व नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवियों को देकर, इसकी प्रकृति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों से इस संबंध में परामर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह परिवर्तन कब तक किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) सरकार ने नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों को उनकी पारंपरिक भूमिकाओं के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन में भी शामिल करने का निर्णय लिया है। इस संबध में सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को इस आशय के आवश्यक अनुदेश जारी किये हैं कि राज्य सरकार द्वारा आपदा संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए भी नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों की सेवाओं का उपयोग किया जाए।

(ग) और (घ) आपदा प्रबंधन में नागरिक सुरक्षा को शामिल किये जाने संबंधी सुझाव देने हेतु सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों के विचारार्थ भेजी गई थी जिन्होंने आपदा प्रबंधन में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों को शामिल किये जाने की मुख्य सिफारिश पर अपनी सहमति प्रकट की थी।

(ङ) के.एम. सिंह समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों को शामिल करने की एक योजना तैयार की गई है ताकि वर्ष 2008-09 से कार्यान्वयन शुरू कर ग्यारहवीं योजना के दौरान उसका कार्यान्वयन किया जा सके।

कॉयर उद्योग का आधुनिकीकरण

5017. **डा. एम. जगन्नाथः** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 'कॉयर उद्योग का नवीकरण. आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण' नामक एक योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी कॉयर इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) योजना के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राशि आवंटित की गई तथा उपयोग में लाई गई?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने मार्च 2008 के दौरान ग्यारहवीं योजना में कार्यान्वित किये जाने के लिए 99 करोड़ रु. के सरकारी अनुदान, 12 करोड़ रु. के लाभार्थी अंशदान तथा बैंकों से 132 करोड़ रु. के सावधि ऋण सहित 243 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से कॅयर उद्योग के "नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण" की एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत परियोजना लागत के 40 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है तो प्रति बुनकर इकाई के लिए अधिकतम 80,000 रुपये तथा प्रत्येक अति लघु/घरेलू इकाई के लिए अधिकतम 2 लाख रु. के अधीन है।

(ग) और (घ) 2007-08 के दौरान मार्च 2008 के तीसरे सप्ताह के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कॅयर बोर्ड, जो एमएसएमई मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, को 9 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। कॉयर बोर्ड ने बैंक औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत लाभार्थियों में वितरण हेतु अनुदान राशि निम्नोक्त विवरण के अनुसार नोडल बैंकों को हस्तांतरित कर दी है:

राज्य	बुनकर इकाइयों की संख्या	अतिलघु/घरेलू इकाइयों की संख्या	अनुदान (करोड़ रु.)
केरल	190	160	4.72
तमिलनाडु	140	130	3.72
कर्नाटक	20	10	0.36
कुल	350	300	8.80

गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में आकाशवाणी, दूरदर्शन के अधिकारियों द्वारा खर्च की गई धनराशि

5018. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 2008 में अमरीका में हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा प्रसार भारती के अधिकारियों के शिष्टमंडल ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं तथा उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के संवाददाता इस सम्मेलन संबंधी समाचार देने के लिए शिष्टमंडल के साथ नहीं गए थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) 1 जनवरी, 2007 से प्रसार भारती, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के अधिकारियों द्वारा किये गये विदेश दौरों का ब्यौरा क्या है तथा उन अधिकारियों के नाम क्या हैं एवं उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई तथा विदेशों के ऐसे दौरे करने के उद्देश्य क्या थे?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। श्री बी.एस. लाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती और श्री ए. के. भटनागर, मुख्य अभियंता, आकाशवाणी ने अप्रैल, 2008 के दौरान अमरीका में आयोजित नाब (राष्ट्रीय प्रसारक संघ) सम्मेलन, न कि नाम सम्मेलन, में भाग लिया है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस संबंध में लगभग 7.00 लाख रुपये का कुल व्यय हुआ था।

(ग) और (घ) नाब 2008 सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी थी जिसमें प्रसारण प्रौद्योगिकी और उपस्करों के नवीनतम नवाचार को प्रदर्शित किया गया था। संवाददाताओं ने इसमें भाग नहीं लिया था क्योंकि सामान्यतया आकाशवाणी और दूरदर्शन ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कवर नहीं करते हैं।

(ङ) 1 जनवरी, 2007 से प्रसार भारती, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों द्वारा किये गये विदेशी भ्रमणों/यात्राओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विदेश यात्रा पर व्यय-वर्ष 2007-08 दूरदर्शन समाचार कर्मियों पर

क्र.सं.	नाम व पदनाम	अवधि	देश	अनुमानित व्यय
1	2	3	4	5
1.	सुश्री गौतम मिश्रा, रिपोर्टर श्री के.के. अशोक कुमार, कैमरामैन	11 से 15 जनवरी 2007	पाकिस्तान डीडीएन-6(73)/2006	विदेश मंत्री का इस्लामाबाद दौरा 2,14,600 रु.
2.	साथी दल श्री शरत चंद्र, समाचार संपादक, श्री बी.के. मुंज़ाल, कैमरामैन अग्रिम दल: श्री सुधांशु रंजन, संवाददाता श्री जगपाल सिंह, कैमरामैन	13 से 15 जनवरी, 2007	फिलीपींस डीडीएन-6(72)/2006-जी	आशियान और ईस्ट एशिया समिट 2,16,491 रु.
3.	दल-1 1. नीरज शर्मा, रिपोर्टर 2. प्रवीण जोहर, कैमरामैन दल-2 1. संबुद्ध मुस्तफी, रिपोर्टर 2. मोहन कृष्ण, कैमरामैन	13 मार्च से 02 अप्रैल, 2007 2 से 14 अप्रैल, 2007	बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान डीडीएन-6(75)/2006-जी	सार्क कार रैली 89,032 रु.

1	2	3	4	5
4.	(1) श्री शिशुपाल शर्मा शैंतल, संवाददाता (2) श्री ओमप्रकाश जफलोको, कैमरामैन	4 से 10 अप्रैल, 2008	तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान डीडीएन-6(102)/2008-बी	उपराष्ट्रपति का तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान दौरा 83,750 रु.
5.	(1) श्री विश्वजीत भट्टाचार्य, संवाददाता (2) श्री वी जेनेशेखरन, कैमरामैन	12 से 15 अप्रैल, 2008	लिस्बन, ब्राजील, मैक्सिको, चिली, केपटाउन डीडीएन-6(103)/2008-बी	राष्ट्रपति का दौरा 1,75,625 रु.
6.	1. श्री धर्मेन्द्र तिवारी, संवाददाता 2. श्री बी. कुमार, कैमरामैन	6 से 10 अप्रैल, 2008	बीजिंग और संघाई डीडीएन/एएसएसएसबी/मार्च 20(3)/2008	पर्यटन और संस्कृति मंत्री के बीजिंग और संघाई दौरे पर साथी प्रायोजित मीडिया प्रतिनिधिमंडल 11,302 रु.
7.	श्री मधु नाग, निदेशक (समाचार/कक्ष)	21 से 22 मई, 2007	सिंगापुर डीडीएन-6(78)/07-बी	36वीं एबीयू बैठक (प्रायोजित दौरा)
8.	श्री रुद्रनाथ सान्याल, रिपोर्टर श्रीमती इंदु ढींग	24 से 27 अप्रैल, 2007	स्टॉसबर्ग (फ्रांस) और ग्रीस डीडीएन-6(79)/07-बी	राष्ट्रपति का दौरा भुगतान दूतावास द्वारा किया गया क्योंकि स्टाफ को भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और हमें अभी तक कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।
9.	श्री अनिल थोमस, रिपोर्टर	16 से 17 अप्रैल, 2007	कुवैत डीडीएन-6(80)/07-बी	ओलंपिक परिषद की आम सभा 17,708 रु.
10.	1. साथी दल: 1. श्री विश्वजीत भट्टाचार्य, रिपोर्टर 2. श्री बी. कुमार, कैमरामैन	6 जून से 9 जून, 2007	जर्मनी जी-8 शिखर सम्मेलन डीडीएन-6(81)/07-बी	प्रधान मंत्री का जी-8 शिखर सम्मेलन का दौरा 4,33,150 रु.
	2. अग्रिम दल: 1. सुश्री प्रकृति कृष्णन, रिपोर्टर 2. श्री अनिल खन्ना, कैमरामैन	4 से 10 जून, 2007		
11.	1. श्री परिमल कौल, कॉपी संपादक 2. श्री वी. गुणशेखरन, कैमरामैन	13 से 15 जुलाई, 2007	न्यूयार्क डीडीएन-6(82)/07-बी	विश्व हिंदी सम्मेलन 1,71,503 रु.
	1. श्री शरत चन्द्र, दूरदर्शन समाचार	23 से 28 फरवरी, 2008	ब्रुसेल्स डीडीएन-6(83)/07-बी	ब्रुसेल्स और बर्लिन में भारतीय पत्रकारों का दौरा (प्रायोजित दौरा)
12.	1. सुश्री संगीता वसुम, संवाददाता 2. श्री आर.एन.एस. रेड्डी, कैमरामैन	7 से 10 जून, 2007	कार्कआवर (यूके) डीडीएन-6(84)/07-बी	आशया पुरस्कार (प्रायोजित दौरा)
13.	1. श्री ईशन रसेल, रिपोर्टर	23 से 26 जुलाई, 2007	अमरीका डीडीएन-6(86)/07-बी	एयर इंडिया के नए वायुयान का अमरीका दौरा (प्रायोजित दौरा)

1	2	3	4	5
14.	1. श्री राजकुमार, समाचार संपादक (ए) 2. राजेश भाटिया, कैमरामैन	21 से 25 अगस्त 2007	दक्षिणी अफ्रीका डीडीएन-6(88)/07-जी	संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का दौरा 4,89,386 रु.
15.	1. सुश्री प्राज्ञा पालिवाल, संवाददाता 2. श्री प्रदीप कुमार, कैमरामैन 3. श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक अभियंता	29 सितम्बर से 4 अक्तूबर 2007	न्यूयार्क डीडीएन-6(90)/2007-जी	संप्रग अध्यक्ष का दिनांक 29 सितंबर से 4 अक्तूबर 2007 तक न्यूयॉर्क का दौरा 2,24,607 रु.
16.	1. श्री के.जी. शर्मा, दूरदर्शन समाचार	23 से 27 अक्तूबर, 2007	दिल्ली की मुख्य मंत्री के साथ ओसाका जापान में मीडिया प्रतिनिधिमंडल डीडीएन-अक्तू. 07/दिल्ली/सीएम/जाप	दिल्ली की मुख्य मंत्री का जापान मीडिया प्रतिनिधिमंडल 12,928 रु.
17.	1. साथी दल 1. श्री इमानी कृष्ण राव, संवाददाता 2. श्रीमती जयश्री पुरी, कैमरामैन 2. नाईजीरिया के लिए अग्रिम दल 1. श्री संजय प्रताप सिंह, संवाददाता 2. श्री गुरमीत सिंह, कैमरामैन 3. जोहांसबर्ग के लिए अग्रिम दल 1. श्री सुधाकर दास, रिपोर्टर 2. श्री बी. लोकेशैया, कैमरामैन	14 से 18 अक्तूबर, 2007	दक्षिणी अफ्रीका और यूगांडा डीडीएन-6(91)/2007-जी	14 से 18 अक्तूबर, 2007 तक प्रधान मंत्री का दक्षिणी अफ्रीका और यूगांडा दौरा 4,63,039 रु.
18.	1. साथी दल 1. श्री संजीत खजूरिया, संवाददाता 2. श्री ए.एम.जी. सुरेन्द्र, कैमरामैन 2. अग्रिम दल 1. श्री रवि प्रकाश रैना, कैमरामैन 2. श्री अजय कुमार मिश्रा, रिपोर्टर 3. अग्रिम दल 1. श्री स्नेहाशीष सुर, रिपोर्टर 2. श्री इंदरजीत सिंह, कैमरामैन	20 से 25 नवंबर, 2007	चोग्म शिखर सम्मेलन के लिए यूगांडा और सिंगापुर डीडीएन-6(92)/2007-जी	प्रधान मंत्री का 20 से 25 नवंबर, 2007 तक सिंगापुर दौरा 3,48,915 रु.
19.	1. श्री धीरज लाल मोहन ककाडिया, संवाददाता 2. श्री मनीक्कम राजा, कैमरामैन	26 से 30 अक्तूबर 2007	बीजिंग, चीन डीडीएन-6(93)/2007	26 से 19 अक्तूबर 2007 तक यूपीए अध्यक्षों की बीजिंग यात्रा 1,77,800 रु.
20.	1. साथी दल 1. श्री संथिल राजन, संवाददाता 2. श्री हेमंथ कुमार, कैमरामैन 2. अग्रिम दल 1. सुश्री राखी बक्शी, संवाददाता 2. श्री प्रीतपाल सिंह, कैमरामैन	11 से 13 नवंबर 2007	प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा डीडीएन-6(94)/2007	11 से 14 नवंबर 2007 तक प्रधानमंत्री की रूस यात्रा 1,70,152 रु.

1	2	3	4	5
21.	श्री पी. डाउंम्ले, निदेशक (समाचार)	10 से 11 दिसंबर 2007	एबीयू मौसम परिवर्तन डीडीएन-6(95)/2007	इंडोनेशिया, बाली, (प्रायोजित यात्रा)
22.	1. साथी दल 1. सुश्री अरविंद मंजीत सिंह, अपर महानिदेशक (एनएंडसीए) (समाचार प्रमुख) 2. श्री के.के. अशोक कुमार, कैमरामैन	13 से 15 जनवरी 2008	प्रधानमंत्री की चीन यात्रा	13 से 16 जनवरी तक प्रधानमंत्री की चीन यात्रा 2,66,200 रु.
	2. अग्रिम दल 1. श्री अशोक श्रीवास्तव, रिपोर्टर 2. श्री मनोज अरोड़ा, कैमरामैन	11 से 17 जनवरी 2008		
23.	श्री इमानी कृष्ण राव, दूरदर्शन संवाददाता, क्षेत्रीय समाचार इकाई, हैदराबाद	23 से 25 जनवरी, 2008	सीबीए पुरस्कार	24 जनवरी 2008 को नसाउ बहामास में सीबीए पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए। (भुगतान दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा किया गया)
24.	श्री अजय अग्रवाल, समाचार संपादक	8 से 11 फरवरी, 2008	एयर इंडिया की न्यूयॉर्क स्टापट रहित उड़ान का उद्घाटन	8 से 11 फरवरी, 2008 तक एयर इंडिया की न्यूयॉर्क स्टापट रहित उड़ान का उद्घाटन
25.	श्री विशाल दहिया, रिपोर्टर और श्री प्रवीण वोहर, कैमरामैन	29 फरवरी से 10 मार्च, 2008	भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के संबंध में विदेश मंत्रालय का अफ्रीका देशों का दौरा	सम्पूर्ण व्यय विदेश मंत्रालय द्वारा वहन किया गया।

1 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2008 के दौरान विदेश में प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए दूरदर्शन के अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	स्थान/दौरे का उद्देश्य	प्रतिनियुक्ति की अवधि	कुल व्यय
1	2	3	4	5
1.	सुश्री दीपा चंद्रा निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	एमस्टर्डम में ब्रॉडकास्टर सम्मेलन में भाग लेने के लिए	28.2.2007 से 1.3.2007	संपूर्ण व्यय ओडब्ल्यूएसटी/टीवीई द्वारा वहन किया जाएगा।
2.	श्री शरत चंद्र समाचार संपादक, दूरदर्शन समाचार	ब्रुसेल्स में भारतीय पत्रकारों के दौरे में भाग लेने के लिए	25 से 28.2.2007 तक	संपूर्ण व्यय यूरोपियन कमीशन द्वारा वहन किया जाएगा।
3.	श्रीमती तहमीना बेगम, प्रस्तुति सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता	टोकियो, जापान में चौथी एबीयू चिल्ड्रन ड्रामा को-प्रोडक्शन मीटिंग एवं कार्यशाला में भाग लेने के लिए	5 से 8.3.2007 तक	2,50,000 रु.

1	2	3	4	5
4.	श्री डी.रे., मुख्य अभियंता, दूरदर्शन महानिदेशालय	लॉस वेगास, यूएसए में एनएबी 2007 में भाग लेने के लिए	14 से 17.4.2007 तक	2,45,300/-
5.	श्री जे.के. चंदिरा, केन्द्र अभियंता, दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर	एबीयू (टीएएस) मिशन, माले, मालदीव में एक विशेषज्ञ के रूप में	23.4.2007 से 2.5.2007 तक	संपूर्ण व्यय एबीयू द्वारा वहन किया जाएगा
6.	सुश्री प्रेरणा शर्मा प्रस्तुति सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली। श्री राज कुमार रबिंद्रो, प्रस्तुति सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, इम्फाल	क्वालालंपुर, मलेशिया में एचआईवी/एड्स पर ग्लोबल मीडिया स्ट्रैटजिज पर मीडिया फैस्टिवल कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए	27 से 31.5.2007 तक	संपूर्ण व्यय एआईबीडी द्वारा वहन किया जाएगा।
7.	श्रीमती तस्मीना बेगम, प्रस्तुति सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहटी	टोकियो, जापान में चौथे एबीयू चिल्ड्रन ड्रामा को-प्रोडक्शन मीटिंग एवं कार्यशाला में भाग लेने के लिए	22 से 29.7.2007 तक	2,50,000/-
8.	श्री पी.के. भट्ट कार्यक्रम निष्पादक,	न्यूयार्क, यूएसए में 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए	13 से 15.7.2007 तक	81,575/-
9.	सुश्री अनन्या बैनर्जी, वरिष्ठ निदेशक (कार्यक्रम)	क्वालालंपुर, मलेशिया में एबीयू 2007 पुरस्कार प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए	13 से 16.8.2007 तक	81,450/-
10.	श्री आनंद सान्याल, उप निदेशक (कार्यक्रम) श्री रवि प्रकाश, कार्यक्रम निष्पादक, दूरदर्शन केन्द्र, मुंबई	हनोई, वियतनाम में रोबोकान 2007 में भाग लेने के लिए	24 से 28.8.2007 तक	97,675/-
11.	सुश्री अपर्णा वैश, उप महानिदेशक, (प्रभारी) सं. 9/10/2007-एसवी	हनोई, वियतनाम में रोबोकान 2007 में निर्णायक पैनल में भाग लेने के लिए	24 से 29.8.2007 तक	2,903/-

1	2	3	4	5
12.	सुश्री अर्चना गुप्ता, केन्द्र अभियंता श्री एस.ए. त्रिपाठी, उप निदेशक (अभि.) श्री सुदीप चौधरी, केन्द्र अभियंता। श्री अमित शर्मा उप निदेशक (अभि.) श्री एस. नटराजन उप निदेशक (अभि.)	यूएसए में 2 × 20 के डब्ल्यूवीएचएफ एंटीना प्रशिक्षण कार्यक्रम।	20 से 24.8.2007 तक	14,11,250/-
13.	श्री अजय अग्रवाल समाचार संपादक, डीडी न्यूज। श्री अजय कुमार दोहरे, केन्द्र अभियंता	पेनांग, मलेशिया में एशिया विजन न्यूज कोआर्डिनेशन मीटिंग में भाग लेने के लिए	3 से 4.9.2007 तक	संपूर्ण व्यय एबीयू द्वारा वहन किया जाएगा
14.	श्री गौरी शंकर रैना, कार्यक्रम निष्पादक, दिल्ली	न्यूयार्क, यूएसए में दि इंटरनल डे एट नॉन वायलेंस पर आयोजित कार्यक्रम की वीआईपी कवरेज में भाग लेने के लिए -	29.9.2007 से 5.10.2007 तक	1,18,450/-
15.	श्रीमती कमलिनी दत्त निदेशक (कार्यक्रम)। श्रीमती शैलजा सुमन	लिस्बन, पुर्तगाल में एफआईए/आईएफटीए विश्व सम्मेलन में भाग लेने के लिए	12 से 15.10.2007 तक	1,52,960/-
16.	सुश्री सविता रानी देवी, प्रस्तुति सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी	क्वालालंपुर, मलेशिया में फिल्मों में हिंसा तथा बच्चों के अधिकार पर क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए	29.10.2007 से 2.11.2007 तक	संपूर्ण व्यय एआईबीडी द्वारा वहन किया जाएगा।
17.	सुश्री प्रेरणा शर्मा, निर्माण सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	शेंजन, चीन में पहले एशियाई युवा कला समारोह संबंधी निर्माता सम्मेलन में भाग लेने के लिए	23.8.2007	संपूर्ण व्यय संगठन द्वारा वहन किया गया।

1	2	3	4	5
18.	सुश्री प्रेरणा शर्मा प्रस्तुति सहायक, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	क्वालालंपुर, मलेशिया में एचआईवी/एड्स पर एआईबीडी की जीएमएमआई/एएमएआई क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए	7 से 9.12.2007 तक	संपूर्ण व्यय एआईबीडी द्वारा वहन किया जाएगा।
19.	श्री एन. राघवन, निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, त्रिचूर	जांबिया में विश्व कृषि सूचना सम्मेलन में भाग लेने के लिए	11 से 16.11.2007 तक	कॉरनेल यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क
20.	श्री आर.आर. प्रसाद, मुख्य अभियंता	जेनेवा स्वीटजरलैंड में विश्व रेडियो संचार सम्मेलन डब्ल्यूआरसी 07 में भाग लेने के लिए	12 से 16.11.2007 तक	85,000/-
21.	श्री के.के. चंदिरा, केन्द्र अभियंता, दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर	हनोई वियतनाम में आर्काइव प्रोसेस पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए	29.10.2007 से 3.11.2007 तक	संपूर्ण व्यय वियतनाम द्वारा वहन किया जाएगा।
22.	श्री ए.के. झा, केन्द्र अभियंता, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	सुवा, फीजी में एबीयू (टीएएस) के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में सीटी आर एवं कैमरा के रख रखाव पर प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम	25.11.2007 से 4.12.2007 तक	संपूर्ण व्यय फीजी टीवी द्वारा वहन किया जाएगा।
23.	श्री पी. डौंगल, निदेशक (समाचार)	बाली, इंडोनेशिया में एबीयू की मौसम परिवर्तन पर कार्यशाला में भाग लेने के लिए	10 से 11.12.2007 तक	संपूर्ण व्यय एबीयू द्वारा वहन किया जाएगा।
24.	श्री एल.वी. शर्मा, मुख्य अभियंता	क्वालालंपुर, मलेशिया में एबीयू डीजिटल सिंपोजियम 2008 में भाग लेने के लिए	10 से 13.3.2009 तक	संपूर्ण व्यय एबीयू द्वारा वहन किया जाएगा।

1	2	3	4	5
25.	श्री यू.सी. जैन, सहायक निदेशक, अभियांत्रिकी श्रीमती गीता बख्शी, कार्यक्रम निष्पादक	टोकियो, जापान में वर्तमान और भावी शैक्षणिक प्रसारण पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए	24 से 29.3.2007 तक	संपूर्ण व्यय केटीईसी द्वारा वहन किया जाएगा।

समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम	जिस देश की यात्रा की गई	विदेशी दौरों की तारीख	व्यय की गई राशि	विदेश यात्रा का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1.	पद्मा आंग्मो, उपनिदेशक (समा.)	जर्मनी (बॉन)	24.5.2007 से 17.6.2007	121901/-	कार्यशाला में भाग लेने हेतु
2.	श्री जे.के. श्रीवास्तव, सहा. निदेशक (समा.)	सिंगापुर	18.6.2007 से 23.6.2007	33900/-	कार्यशाला में भाग लेने हेतु
3.	राजेन्द्र उपाध्याय, सहा. निदेशक (समा.)	न्यूयार्क	11.7.2007 से 16.7.2007	100975/-	विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने हेतु
4.	ए.के. हांडू, निदेशक	फिलीपींस	13.1.2007 से 15.1.2007	शून्य	प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा की कवरेज
5.	श्री के.के. लाल, संवाददाता	-वही-	-वही-	शून्य	प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा की कवरेज
6.	श्री डी.के. घोष, समाचार संपादक	स्ट्रॉसबर्ग/ग्रीस	24.4.2007 से 28.4.2007	शून्य	राष्ट्रपति की विदेश यात्रा की कवरेज
7.	श्री बी.आर. तिवारी, संवाददाता, आकाशवाणी, गंगटोक	स्ट्रॉसबर्ग/ग्रीस	24.4.2007 से 28.4.2007	शून्य	राष्ट्रपति की विदेश यात्रा की कवरेज
8.	श्री वी.के. रैना, समाचार संपादक	नाइजीरिया/ साउथ अफ्रीका	14.10.2007 से 18.10.2007	शून्य	प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा की कवरेज
9.	श्री बशीर मलिक, संवाददाता, जम्मू और कश्मीर	नाइजीरिया/ साउथ अफ्रीका	14.10.2007 से 18.10.2007	शून्य	प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा की कवरेज

1	2	3	4	5	6
10.	श्री सुनील शुक्ला, आकाशवाणी, इलाहाबाद	सिंगापुर/यूगांडा	20.11.2007 से 25.11.2007	शून्य	कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2007
11.	सुश्री अल्पना पंत शर्मा, निदेशक, आकाशवाणी, मुंबई	सिंगापुर/यूगांडा	20.11.2007 से 25.11.2007	शून्य	कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2007
12.	श्री एस.एन. चौधरी, उपनिदेशक (समा.)	रूस	11.11.2007 से 12.11.2007	शून्य	प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा की कवरेज
13.	श्री मोहम्मद नसीम, सहा. निदेशक (समा.)	रूस	11.11.07 से 12.11.07	शून्य	प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा की कवरेज
14.	श्री एस.एन. चौधरी, उपनिदेशक (समा.)	चीन	13.1.08 से 16.1.08	शून्य	प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा की कवरेज
15.	श्री ए.के. जोशी, कार्यक्रम अधिशासी	चीन	13.1.08 से 16.1.08	शून्य	प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा की कवरेज
16.	श्री वी.के. रैना, समाचार संपादक	तुर्कमेनिस्तान/ कजाकिस्तान	4.4.08 से 10.4.08	शून्य	उपराष्ट्रपति की विदेश यात्रा
17.	श्री एस.एन. चौधरी, उपनिदेशक (समा.)	ब्राजील/मैक्सिको/चिली	12.4.08 से 24.4.08	शून्य	राष्ट्रपति की विदेश यात्रा
18.	सुश्री सरिता ब्रारा, समाचार संपादक	ब्राजील/मैक्सिको/चिली	12.4.08 से 24.4.08	शून्य	राष्ट्रपति की विदेश यात्रा
19.	एम.के. ठाकुर, सहा. निदेशक (समा.)	भूटान	27.7.2007 से 29.7.2007	शून्य	विदेश मंत्री की विदेश यात्रा
20.	श्री एस.एन. चौधरी, उपनिदेशक (समा.)	यूगांडा/जांबिया/सेनेगल	1.3.2008 से 15.3.08	शून्य	पूर्व भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन यात्रा
21.	साधना राउत अपर महानिदेशक	ढाका/बैंकाक	8.12.07 से 14.12.07 15.1.08 से 19.1.08	शून्य	यूएनएआईडीएस कार्यक्रम
22.	सुश्री विनीता मैनन, समा. उदघोषक सह अनुवादक	जापान	2.12.07 से 6.12.07	शून्य	एशिया प्रशांत जल शिखर सम्मेलन

कार्यक्रम स्कंध: आकाशवाणी

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्थान/देश	अवधि	यात्रा का प्रयोजन	व्यय (लगभग)
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ब्रिजेश्वर सिंह, महानिदेशक, आकाशवाणी	नैरोबी (केन्या)	फरवरी 18-21, 2007	सीबीए के क्षेत्रीय सम्मेलन (अफ्रीका) में भाग लेने हेतु	30,000/-
2.	श्री ब्रिजेश्वर सिंह, महानिदेशक, आकाशवाणी	जोहांसबर्ग (साउथ अफ्रीका)	फरवरी 22-23, 2007	कोमनवैल्थ डायवरसिटी फोरम में भाग लेने हेतु	शून्य
3.	श्रीमती ग्रेस कजूर, उपमहानिदेशक, आकाशवाणी	मसहाद/ईरान	मई 12-18, 2007	ईरान के इस्लामिक गणतंत्र के आठवें अंतर्राष्ट्रीय रेडियो महोत्सव में अतिथि वक्ता के रूप में भाग लेने हेतु	18,506/-
4.	1. सुश्री मीनू खरे, कार्य. अधी., आकाशवाणी, लखनऊ 2. श्री पी.एल. दास, कार्य. अधी., आकाशवाणी, संबलपुर 3. श्री अशोक कुमार मिश्रा व. उदघोषक, आकाशवाणी, जयपुर ए.के. हांडू, निदेशक	मसहाद/ईरान	मई 15-18, 2007	ईरान के इस्लामिक गणतंत्र के आठवें अंतर्राष्ट्रीय रेडियो महोत्सव में चयनित कार्यक्रमों के अतिथि निर्माताओं के रूप में भाग लेने हेतु	1,83,746/-
5.	श्री एम.एल. आर्य, केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, उदयपुर	न्यूयार्क	जुलाई 13-15, 2007	न्यूयार्क में आयोजित आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन-2007 की कवरेज के लिए	81,575/-
6.	श्री पद्मलोचन दास कार्यक्रम अधिशासी आकाशवाणी, संबलपुर	बॉन, जर्मनी	सितंबर 16-21, 2007	सामाजिक सुरक्षा पर डायश वैले की अंतर्राष्ट्रीय रेडियो की कार्यशाला में भाग लेने हेतु	6,120/-
7.	डॉ. अनिता एम. कुमार कार्यक्रम अधिशासी, रेडियो कश्मीर, श्रीनगर	बॉन, जर्मनी	सितंबर 7-30, 2007	लैंगिक समानता पर डायस वैले-आकाशवाणी सह निर्माण में भाग लेने हेतु।	18,500/-

1	2	3	4	5	6
8.	श्री पद्मलोचन दास कार्यक्रम अधिशासी आकाशवाणी, संबलपुर	नसाऊ, बहामास	जनवरी 24-26, 2008	सीबीए पुरस्कार 2008 प्राप्त करने हेतु।	12,000/-
9.	श्रीमती मेधा कुलकर्णी, कुलकर्णी, कार्यक्रम अधिशासी विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, मुंबई	क्वालालंपुर, मलेशिया	मार्च 10-12, 2006	संस्कृतिक विविधता एवं प्रवास पर रेडियो सह निर्माण पर एआईबीडी/ आरसीआई क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लेने हेतु	9,000/-

अभियांत्रिकी स्कंध: आकाशवाणी

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम व पदनाम	किस देश की यात्रा की गई	अवधि	व्यय की गई राशि	यात्रा का प्रयोजन	अभियक्ति, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री एस.सी. पचौरी, सहायक निदेशक (अभि.)	मलेशिया (क्वालालंमपुर)	22-26 जनवरी 2007	64,479/-	एबीयू-एचएफसी समन्वय बैठक में भाग लेने हेतु	-
2.	श्री एस. मुतुस्वामी उपनिदेशक (अभि.)	फीलीपिंस (मनीला)	26 मार्च- 4 अप्रैल 2007	शून्य	फीलीपिंस प्रसारण निगम के लिए एबीयू-टीएएस मिशन चलाने हेतु	एशिया प्रशांत प्रसारण संघ, क्वालालंपुर द्वारा निधि दी गई
3.	श्री डी.पी. सिंह, निदेशक (अभि.)					
4.	श्री एस. मुतुस्वामी उपनिदेशक (अभि.)	मॉरीशियस	14-25 मई 2007	शून्य	एमबीसी स्टाफ के लिए कार्यक्रम निर्माण पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए	मॉरीशियस प्रसारण निगम द्वारा निधि दी गई
5.	श्री पी.के. षष्ठी, उपनिदेशक (अभि.)					
6.	श्री के.के. मौर्य, उपनिदेशक (अभि.)	इटली (मिलानो)	16-25 मई 2007	2,22,850/-	एफएम एंटीना के पूर्व डिस्पैच निरीक्षण का कार्य	आईईबीआर योजना व्यय

1	2	3	4	5	6	7
7.	श्री आर.के. सिंह, मुख्य अभियंता	स्विटजरलैंड (जनेवा)	22 अक्तूबर से 2 नवंबर 2007	2,25,534/-	आईटीयू सम्मेलन डब्ल्यूआरसी 2007 में भाग लेने हेतु	-
8.	श्री एच.आर. सिंह, प्रमुख अभियंता	स्विटजरलैंड (जनेवा)	5-16 नवंबर 2007	2,25,534/-	-वही-	-वही-
9.	श्री मुकुल त्यागी, निदेशक (अभि.)	आस्ट्रेलिया (किलसिथ)	10-15 जनवरी 2008	4,53,296/-	कंबाइनर्स के पूर्व डिस्पैच निरीक्षण का कार्य	योजना व्यय
10.	श्री के.के. शर्मा, सहा. निदे. (अभि.)					
11.	श्री एम.सी. अग्रवाल, मुख्य अभियंता	मलेशिया (क्वालालंपुर)	10-13 मार्च 2008	1,000/-	एबीयू डिजीटल रेडियो संगोष्ठी में भाग लेने हेतु	बाकी का व्यय एशिया प्रशांत प्रसारण संघ क्वालालंपुर द्वारा दिया गया

खेल प्रकोष्ठ, आकाशवाणी

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम	किस देश की यात्रा की गई	विदेशी दौरों की तारीख	व्यय की गई राशि	विदेशी यात्रा का प्रयोजन
1.	(क) श्री के.एस. कंग, कार्य. अधि., विपणन प्रभाग, दिल्ली	इंग्लैंड	21 अगस्त 2007 से 8 सितंबर 2007, 24.5.07 से 17.6.07	2,63,624/-	एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला की कवरेज (भारत बनाम इंग्लैंड)
	(ख) श्री जे.बी. राव, सहायक अभियंता, आकाशवाणी, दिल्ली	-वही-	-वही-	2,63,624/-	
2.	(क) श्री एम. रामाराव, कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी, वारंगल	आस्ट्रेलिया	29.1.2008 16.2.2008	3,32,873/-	कॉमनवैल्थ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोणीय श्रृंखला की कवरेज (भारत, आस्ट्रेलिया और श्रीलंका)
	(ख) श्री एम.बी.एन. राव, एसईए, आकाशवाणी भोपाल	-वही-	-वही-	3,32,873/-	
3.	(क) श्री नवन के. प्रसाद, कार्य. अधि., आकाशवाणी, गुवाहाटी	आस्ट्रेलिया	14 फरवरी 2008 से मार्च 2008	4,27,436/-	कॉमनवैल्थ एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय श्रृंखला की कवरेज (भारत, आस्ट्रेलिया और श्रीलंका)
	(ख) श्री देवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, आकाशवाणी, जालंधर	-वही-	-वही-	4,27,436/-	

1. दिनांक 1.1.2007 से प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री बी.एस. लाली के विदेशी दौरे

क्र.सं.	अवधि	देश	प्रायोजन	व्यय
1.	14 से 17 अप्रैल, 2007	अमरीका	एन.ए.बी. 2007 में भाग लेने हेतु	6,73,521.00
2.	29 से 31 मई, 2007	मलेशिया	एशिया मीडिया समिट-2007, क्वालालम्पुर, मलेशिया	1,63,376,00
3.	13 से 15 अगस्त, 2007	अमरीका	इंडिया स्पलेंडर कार्यक्रम में भाग लेने हेतु	16,116.00
4.	26 से 29 सितम्बर, 2007	चीन	दूसरी विश्व प्रसारक बैठक में भाग लेने हेतु	25,823.00
5.	7 से 9 दिसंबर, 2007	क्वालालम्पुर	मु.का. अधिकारियों की आईटीयू/एबीयू और डब्ल्यूयूईएम एफ-3 में भाग लेने हेतु	21,155.00

भेषजों का निर्यात

5019. श्री सुब्रत बोस: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों को देश-वार भेषजों का कुल कितना निर्यात किया गया तथा इसका मूल्य कितना है;

(ख) प्रथम दस भेषज कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें भेषजों के निर्यात के लिए सर्वाधिक आदेश मिले हैं; और

(ग) भेषजों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों को भेषजों के किये गये निर्यात और उनका मूल्य निम्नानुसार रहा है:

(करोड़ रुपए में)

2004-05	2005-06	2006-07	अप्रैल, 2007 से अक्तूबर, 2007
17857.80	22115.72	24942.08	14751.28

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

प्रमुख 25 गंतव्य निम्नलिखित हैं:

अमरीका, जर्मनी, रूस, यूके, ब्राजील, चीन, नाईजीरिया, कनाडा, इजरायल, यूक्रेन, इटली, स्पेन, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, मैक्सिको, सिंगापुर, श्रीलंका, वियतनाम, इरान, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, जापान, केन्या और थाइलैंड।

(ख) जिन प्रथम दस भेषज कम्पनियों ने अधिकतम निर्यात आर्डर प्राप्त किये हैं, उनके नाम निम्नानुसार हैं:

रैनबैक्सी, सिपला, डा. रेडीज, ल्यूपिन, आर्चिड, केमिकल्स, आईपीसीए लैब्स लि., बायोकॉन लि., वाकहार्ट लि., नोकोलस पीरामल और कैडिला हेल्थकेयर।

(ग) निर्यात को प्रोत्साहित करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से विदेश व्यापार नीति के उपबंध के अनुसार करों एवं शुल्कों के निष्प्रभावीकरण के साथ उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है। इसके अतिरिक्त निर्यातों के संवर्धन के लिए निर्यातकों को बाजार पहुंच पहल (एमएआई) और विपणन विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। .

कच्चे नारियल के पानी का निर्यात

5020. **श्री एम. शिवन्ना:**
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों विशेषकर कर्नाटक तथा केरल से कच्चे नारियल के पानी का निर्यात करने के लिए कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में आज की तिथि तक राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कच्चे नारियल के पानी के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) नारियल विकास बोर्ड द्वारा कच्चे नारियल के पानी (टीसीडब्ल्यू) का निर्यात बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ:

(1) इसने कच्चे नारियल के पानी जिसे प्रशीतन के अंतर्गत न्यूनतम छह महीनों की अवधि के लिए परिरक्षित किया जा सकता है, की पाउचों में पैकिंग और परिरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। इस उत्पाद की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में अच्छी मांग है।

(2) यह मामूली रूप से प्रसंस्कृत कच्चे नारियल का संवर्धन कर रहा है। इस उत्पाद का शीतागार में 24 दिनों का भण्डारण काल होता है और इसके निर्यात की व्यापक संभावना है।

बोर्ड नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत उन इकाइयों को, जो उपर्युक्त टीसीडब्ल्यू के लिए परियोजनाएं चलाती हैं और ऐसी इकाइयों द्वारा किये जा रहे बाजार संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। यह टीसीडब्ल्यू के उपयोग का संवर्धन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन/उनमें भागीदारी भी कर रहा है।

[हिन्दी]

खनिजों का निर्यात

5021. **श्री पुन्नु लाल मोहले:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक देश के विभिन्न राज्यों से विशेषकर छत्तीसगढ़ से निर्यात के प्रयोजन से खरीदे गये खनिजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खनिज-वार तथा राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में खनिजों का निर्यात किया गया; और

(ग) क्या छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों की निर्यात क्षमता का राज्य-वार पूर्ण आकलन एवं दोहन कर लिया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 (अप्रैल-अक्तूबर, 07) के दौरान छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से एमएमटीसी द्वारा निर्यात हेतु खरीदे गए खनिजों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मात्रा: लाख टन)

खनिज/राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अनंतिम) (अप्रैल-अक्तू. 07)
1	2	3	4	5
लौह अयस्क				
छत्तीसगढ़	47.61	47.11	26.56	15.93

1	2	3	4	5
कर्नाटक/गोआ	59.18	45.77	46.13	27.41
उड़ीसा/झारखंड	12.42	7.92	8.74	3.91
कुल	119.21	100.80	81.43	47.25
मैंगनीज अयस्क				
कर्नाटक	1.47	1.13	1.06	0.52
आंध्र प्रदेश	0.97	0.44	0.34	0.55
झारखंड	0.61	0.18	0.30	0.10
उड़ीसा	0.28	0.60	-	-
कुल	3.33	2.35	1.70	1.17
क्रोम अयस्क				
उड़ीसा	4.40	4.60	3.95	1.55
कुल	4.40	4.60	3.95	1.55

एसटीसी लि., एसटीसीएल लि. तथा पीईसी लि. द्वारा खरीदे गए लौह अयस्क के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मात्रा: लाख टन)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अनंतिम) अप्रैल-अक्तू. 07
एसटीसी	शून्य	3.98	2.17	1.97
एसटीसीएल	0.08	0.35	5.57	2.27
पीईसी	8.89	6.57	3.21	0.68

*एसटीसी, एसटीसीएल तथा पीईसी के लिए खरीद के स्रोत झारखंड, उड़ीसा, गोआ और कर्नाटक हैं।

(ग) किसी राज्य की निर्यात क्षमता का आकलन करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में खनिजों का उपयोग व्यावसायिक तथ्यों पर आधारित होता है।

[अनुवाद]

शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

5022. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ दसवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार ने द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) क्या शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्यमान योजनाएं जारी रहने की संभावनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) इस मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित चौबीस देशों के साथ शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम अथवा समझौता ज्ञापन के रूप में विशिष्ट आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न किये हैं:

1. मंगोलिया
2. अर्मेनिया
3. तंजानिया
4. गुयाना
5. इजराइल
6. आस्ट्रेलिया
7. म्यांमार
8. हंगरी
9. सीरिया
10. उजबेकिस्तान
11. न्यूजीलैण्ड
12. थाईलैंड
13. श्रीलंका
14. मैक्सिको
15. ब्राजील
16. अफगानिस्तान
17. क्रोएशिया
18. इक्वाडोर
19. रवांडा
20. दक्षिण अफ्रीका
21. सऊदी अरब
22. चीन
23. पुर्तगाल
24. फ्रांस

(ख) से (घ) जी, हां। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 देशों अर्थात् इथोपिया, वियतनाम और ओमान के साथ शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम/समझौता ज्ञापन) सम्पन्न किये गये हैं। ब्राजील, फ्रांस, न्यूजीलैंड, थाइलैण्ड और श्रीलंका के साथ दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सम्पन्न किये गये शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों/समझौता ज्ञापनों के तहत गठित किये गये संयुक्त कार्य समूहों की बैठकें ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजित की गई हैं। यह मंत्रालय महत्वपूर्ण देशों के साथ आपसी दौरों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहति करने और द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने की एक योजनागत स्कीम संचालित कर रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा लागू किया जाना

5023. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
डा. के.एस. मनोज:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत कोटा चालू वर्ष से सभी संस्थानों में विशेषकर केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में लागू किये जाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए उक्त कोटा कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों और इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, आगामी शैक्षणिक सत्र से दाखिले में आरक्षण को कार्यान्वित करने के लिए सरकार केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं को निदेश जारी कर चुकी है।

(ग) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए दाखिले में आरक्षण को आगामी शैक्षणिक सत्र से चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना है।

केन्द्रीय विद्यालयों में दो पालियां

5024. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं जिनमें दो पालियां चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार सभी केन्द्रीय विद्यालयों में दो पालियां स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा केन्द्रीय विद्यालयों में अधिक छात्रों को प्रवेश देने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) देश में कार्यरत 972 केन्द्रीय विद्यालयों में से 42 केन्द्रीय विद्यालयों में दो पालियां चल रही हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन का अधिदेश रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों सहित मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करना है। यदि किसी विद्यालय विशेष में किसी वर्ष विशेष में इन श्रेणियों के आवेदन पत्रों की संख्या में वृद्धि होती है तो अतिरिक्त क्षमता को खपाने के लिए अतिरिक्त सेक्शन संस्वीकृत किये जाते हैं बशर्ते कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों।

विवरण

राज्य/संघ राज्य-वार उन केन्द्रीय विद्यालयों की सूची जहां दूसरी पाली को कार्य संचालन में लाया गया है

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऐसे केन्द्रीय विद्यालय जहां दूसरी पाली कार्यरत है
1	2	3
1.	बिहार	04
2.	चण्डीगढ़	01
3.	छत्तीसगढ़	02
4.	दिल्ली	15
5.	गुजरात	01
6.	हरियाणा	01
7.	झारखण्ड	01
8.	केरल	03
9.	मध्य प्रदेश	04
10.	महाराष्ट्र	02
11.	उड़ीसा	01
12.	राजस्थान	01
13.	उत्तर प्रदेश	04
14.	उत्तराखण्ड	02
	कुल	42

[हिन्दी]

माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

5025. श्री सुभाष महरिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक बना लिए जाने की संभावना है; और

(ग) इस योजना के वित्तपोषण की पद्धति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को लागू करने का निर्णय किया है। प्रस्तावित स्कीम में शामिल घटक इस प्रकार हैं-(1) नए स्कूल भवन (2) अतिरिक्त अध्ययन कक्ष, प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, प्रसाधन कक्ष इत्यादि (3) शिक्षण-अध्ययन सहायक सामग्री (4) स्कूल अनुदान (5) अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण (6) अतिरिक्त अध्यापक (7) अनुसंधान एवं नवाचार (8) पाठ्यक्रम सुधार एवं (9) परीक्षा सुधार इत्यादि। प्रस्तावित स्कीम में केन्द्र सरकार एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के बीच लागतों की हिस्सेदारी की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान स्कीम के लिए बजट का प्रावधान है।

[अनुवाद]

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में एकाधिकार स्वामित्व

5026. डा. बाबू राव मीडियम: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सहकारी समुदायों को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कॉपी राइट या पेंटेंटों के जरिये एकाधिकार को समाप्त किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सहकारी समुदायों को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

5027. श्री के.एस. राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किये गये धन के दुरुपयोग तथा कुप्रशासन का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे संस्थानों में गुणवत्ता शिक्षा एवं उत्कृष्टता के मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए तंत्र क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चूककर्ता अल्पसंख्यक शैक्षणिक निकायों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों को तार्किक बनाने एवं प्रशासन के विनियमन के लिए अल्पसंख्यक आयोग को अधिकार देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में निधियों के दुरुपयोग और कुप्रशासन के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट सूचना नहीं है।

(ख) शिक्षा के मानदण्डों का अनुवीक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता के मानदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तंत्र की व्यवस्था की है:

1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के मानदण्डों और मानकों को निर्धारित करती है।

2. राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड संस्था द्वारा हासिल की गई उत्कृष्टता के स्तरों के अनुसार देश में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था सहित सभी तकनीकी संस्थाओं की रैंक निर्धारित करता है।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेजों और विश्वविद्यालयों जिनमें संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित किये गये कॉलेज और विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, के अकादमिक मानक निर्धारित करता है।

4. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद संस्थाओं द्वारा हासिल की गई उत्कृष्टता के स्तर के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ग्रेड प्रदान करती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के प्रशासन को विनियमित करने के अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग अधिनियम, 2004 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग के अधिकारों का दायरा बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है ताकि आयोग अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग पर निगरानी रख सके।

[हिन्दी]

खादी तथा ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र

5028. श्री महावीर भगोरा: क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने खादी तथा ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र हैं तथा उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये प्रशिक्षण केन्द्र कब तक खोल दिये जाने की संभावना है तथा इनकी संख्या कितनी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के क्षेत्रांतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या तथा उनकी क्षमता को विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यकलापों में प्रशिक्षण पाने को इच्छुक कोई भी बेरोजगार युवा एक सरल आवेदन-पत्र में संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों को सीधे ही आवेदन कर सकता है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपनाए गए मानदंड निम्नवत् हैं:

(1) आयु सीमा: वजीफा पाठ्यक्रमों हेतु आयु-सीमा 18-45 वर्ष है। कतिपय श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में छूट नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है। शुल्क आधारित (गैर-वजीफा) पाठ्यक्रमों के लिए आयु सीमा 18-50 वर्ष है जबकि आरईजीपी लाभग्राहियों के लिए आयोजित ईडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रमों (3 दिवसीय) में प्रवेश हेतु कोई आयु प्रतिबंध नहीं है।

(2) अर्हता: केवीआई क्षेत्र के अंतर्गत प्रशिक्षण पाने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं तीन व्यापक श्रेणियों के तहत निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	श्रेणी	अर्हता
1.	कारीगर स्तर के पाठ्यक्रम	कक्षा 5
2.	केवीआई संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के लिए	एसएससी/दसवीं
3.	आरईजीपी उद्यमियों के लिए ईडीपी प्रशिक्षण	एसएससी/दसवीं

(ग) और (घ) सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) ने नवीन खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु अपनी ओर से कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। तथापि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों को आधुनिक बनाने तथा नये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना से संबंधित एक प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा था। इस मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की जांच की और केवीआईसी को एक नया प्रस्ताव तैयार करने तथा सरकार के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए कुछ सुझाव दिए।

विवरण

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अधीन खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्रों की कुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या तथा उनकी क्षमता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र		गैर विभागीय/ संस्थानिक प्रशिक्षण केन्द्र	कुल	केन्द्र की अवस्थिति	विद्यमान क्षमता (प्रतिभागियों की संख्या)
		केवीआईसी	केवीआईबी				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0	1	0	1	हैदराबाद	860
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	1	दोईमुख	249
3.	असम	0	1	1	2	रोहा	1427
						कुमारिकट्टा	140
4.	बिहार	1	0	0	1	पटना	825
5.	दिल्ली	1	0	0	1	दिल्ली	295
6.	झारखण्ड	0	0	1	1	गुमला	350

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	कर्नाटक	2	0	1	3	बंगलौर	700
						हुबली	277
						खानपुर	65
8.	केरल	1	0	2	3	ननथियाटु कुन्नाम	1475
						मल्लापल्ली	870
						नादाथरा	415
9.	मध्य प्रदेश	0	1	1	2	चित्रकूट	415
						इंदौर	310
10.	महाराष्ट्र	4	1	3	8	केएमकेजीवी, पुणे	665
						नासिक	605
						सीबीआरटीआई, पुणे	370
						दाहानु	340
						बोरीवली, मुंबई	270
						एचएमपीआई, पुणे	125
						वर्धा	138
						भद्रावती	90
11.	मिजोरम	0	1	0	1	जेमाबाक	560
12.	नागालैंड	0	1	0	1	दीमापुर	445
13.	उड़ीसा	1	0	1	2	भुवनेश्वर	350
						तेनसर	350
14.	राजस्थान	0	0	1	1	शिवदासपुरा	150
15.	तमिलनाडु	1	0	2	3	टी. कल्लुपट्टी	650
						वीरापंडी	355
						चेन्नई	255
16.	उत्तर प्रदेश	1	0	3	4	पंजोखेड़ा	525
						बलिया	320
						सेवापुरी	210
						पटरंगा	190

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	उत्तराखंड	2	0	0	2	देहरादून	805
						हल्द्वानी	745
18.	पश्चिम बंगाल	1	0	1	2	बिराती	280
						किरनाहर	145
	कुल	15	6	18	39		17611

[अनुवाद]

एसईजेड की स्थापना

5029. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये गये तथा स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) का स्थान-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एसईजेडों की स्थापना के लिए अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने देश में एसईजेड की ऊपरी सीमा निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) अधिनियम, 2005 दिनांक 10 फरवरी, 2006 को विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के अधिसूचित किये जाने के साथ लागू हुआ था। एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पूर्व 19 विशेष आर्थिक जोन स्थापित/अधिसूचित किये गये थे जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित 7 जोन शामिल थे।

एसईजेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 453 एसईजेडों की स्थापना हेतु औपचारिक अनुमोदन प्रदान किये गये हैं। जिनमें से 201 एसईजेड अधिसूचित किये गये हैं और प्रचालन/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। औपचारिक रूप से अनुमोदित तथा अधिसूचित एसईजेडों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं।

विवरण

राज्य	औपचारिक अनुमोदन	अधिसूचित एसईजेड्स
1	2	3
आंध्र प्रदेश	72	54
चंडीगढ़	2	2
छत्तीसगढ़	1	–
दिल्ली	2	
दादर और नगर हवेली	4	
गोआ	7	3
गुजरात	39	18
हरियाणा	38	16
हिमाचल प्रदेश		
झारखंड	1	1
कर्नाटक	41	20
केरल	12	8
मध्य प्रदेश	13	3
महराष्ट्र	88	25
नागालैंड	2	–
उड़ीसा	9	4
पांडिचेरी	1	–

1	2	3
पंजाब	7	2
राजस्थान	8	4
तमिलनाडु	59	35
उत्तर प्रदेश	23	8
उत्तरांचल	3	1
पश्चिम बंगाल	21	6
कुल	453	210

सीमा पर गश्त के लिए ऊंटों की टुकड़ियों की तैनाती

5030. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सीमा पर गश्त के लिए ऊंटों की कितनी टुकड़ियां तैनात की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में भी गश्त हेतु ऊंटों की टुकड़ियों को भेजे जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऊंटों की टुकड़ियों को विदेशों में तैनाती की स्थिति में देश में ऊंट की टुकड़ियों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सीमा पर गश्त के लिए राजस्थान के रेगिस्तान और गुजरात के रन क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बलों द्वारा ऊंटों को तैनात किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न पैदा नहीं होते हैं।

भारत और तुर्की के बीच मुक्त व्यापार समझौता

5031. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुर्की ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने में रुचि दिखाई है जैसाकि दिनांक 24 मार्च, 2008 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इससे देश को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार हेतु वार्ताएं शुरू करने के संबंध में तुर्की के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

विकलांग छात्रों को रियायतें

5032. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष दसवीं और बारहवीं की परीक्षा देने वाले शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को रियायतें दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी रियायतें पूरे देश के दृष्टिहीन छात्रों को भी दी जा रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित रियायतें दी हैं:

(1) सामान्य विद्यार्थियों हेतु दो अनिवार्य भाषा विषयों की तुलना में केवल एक विषय के अध्ययन का विकल्प और गणित अथवा विज्ञान विषय के बदले अन्य विषयों का विकल्प प्रदान करना।

(2) यदि अनुरोध किया जाए तो परीक्षा में एक लिखने वाले की सुविधा प्रदान करना।

(3) प्रश्न पत्र के उत्तर देने हेतु 30 मिनट से 60 मिनट तक का अतिरिक्त समय प्रदान करना।

(4) दृष्टि निःशक्तता वाले विद्यार्थियों हेतु अलग से बड़े अक्षरों वाले प्रश्नपत्रों की व्यवस्था करना।

(5) कक्षा 10 हेतु समाज विज्ञान तथा इंग्लिश कम्युनिकेटिव और कक्षा-12 हेतु इतिहास, भूगोल तथा अर्थशास्त्र में दृष्टिमूलक जानकारियों वाले प्रश्नों के बदले दृष्टि निःशक्त विद्यार्थियों हेतु वैकल्पिक प्रश्न देना।

(6) जहां तक संभव हो परीक्षा संचालन हेतु भूतल पर विशेष रूप से बैठने की व्यवस्था करना।

(7) फिजियोथेरापी अभ्यासों को शारीरिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम के समकक्ष समझा जाता है।

(8) ऐसे अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अलग से की जाती है।

देशभर के सभी सीबीएसई सम्बद्ध विद्यालयों के विद्यार्थियों को उपर्युक्त रियायतें दी जा रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्धन और वंचित वर्गों को शिक्षा

5033. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए निर्धन तथा वंचित वर्गों में शिक्षा का प्रसार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना बनाने के लिए अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए योजनाएं हैं। इन योजनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति, विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों की स्थापना, विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर उपचारात्मक कोचिंग कक्षाएं, सेवाओं में प्रविष्टि होने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं, सामाजिक बहिष्कार और समावेश नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना, विश्वविद्यालय और कालेजों में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग कक्षाएं शामिल हैं। मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भारत के सामाजिक विचारकों (विशेष अध्ययन) को युग प्रवर्तक बनाने और शिक्षा में मानवाधिकारों और मूल्यों के संवर्द्धन की योजनाएं हैं।

पांच कोर क्षेत्रों में चुनौतियां

5034. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिकों से पांच कोर क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए विशिष्ट सुझाव देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर वैज्ञानिकों की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी, हां। माननीय प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी, 2008 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 95वें सत्र के दौरान वैज्ञानिक समुदाय के लिए अपने सम्बोधन में निम्नलिखित पांच प्रमुख वैज्ञानिक चुनौतियों को चिन्हित किया है:

* खाद्य उत्पादन और हमारे दुर्लभ जल स्रोतों का उपयोग एवं संरक्षण
* ऊर्जा सृजन और उपयोग
* विनिर्माण प्रौद्योगिकियां
* लोक परिवहन प्रणालियां
* भवन निर्माण एवं विनिर्माण प्रौद्योगिकी

वैज्ञानिक समुदाय ने इन सुझावों का स्वागत किया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आरक्षण

5035. श्री रामदास आठवले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से निजी महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रकाशन विभाग की शाखाएं

5036. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय प्रकाशन विभाग की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, आज तक स्थापित की गई नई शाखाओं का राज्य-वार और संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इसकी सभी शाखाओं के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) प्रकाशन विभाग के पास देश के विभिन्न भागों में स्थित कुल 19 बिक्री केन्द्र और योजना कार्यालय हैं। इसके पास दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट न्यूज, पत्रिका एकक और कुरुक्षेत्र (हिन्दी और अंग्रेजी) का एक-एक कार्यालय तथा फरीदाबाद, हरियाणा में एक फीडर स्टोर कार्यालय भी है। राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति विवरण में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कोई नया कार्यालय नहीं खोला गया है।

(ग) प्रभाग के मुख्यालय और उसके कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कई उपाय किये गये हैं। वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान दो बिक्री केन्द्रों अर्थात् दिल्ली और हैदराबाद स्थित एक-एक केन्द्र और सात योजना कार्यालयों का आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण किया गया है। शेष अन्य सभी कार्यालयों को 11वीं योजनावधि के दौरान आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, योजना (अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू) तथा कुरुक्षेत्र (हिन्दी और अंग्रेजी) के पिछले संस्करणों का अंकीकरण कर दिया गया है।

प्रभाग के प्रकाशनों के उत्पादन, संपादन एवं विपणन के क्षेत्रों में इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपियों का विश्लेषण व चयन करने के लिए एक पुस्तक समिति का गठन किया गया है। प्रकाशनों के अभिविन्यास, अभिकल्पना और कागज की गुणवत्ता में काफी अधिक सुधार हुआ है। विपणन तंत्र में सुधार लाने के लिए फरवरी 2008 में एक आंतरिक पुस्तकालय स्कीम शुरू की गई है।

एम्प्लॉयमेंट न्यूज ने (www.employmentnews.gov.in) डोमेन के अंतर्गत एक अंतरक्रियात्मक करियरोन्मुखी वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट को प्रतिदिन 3 लाख से अधिक उपभोक्ता देखते हैं। वेबसाइट में ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग, सरकारी क्षेत्र में नौकरी की रिक्तियों के बारे में अग्रिम सूचना और सूचना की उपलब्धता पाठकों को सीधे ई मेल द्वारा सुलभ कराई जाती है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बिक्री केन्द्रों/योजना कार्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	दिल्ली	7
2.	तमिलनाडु	2
3.	आंध्र प्रदेश	2
4.	पश्चिम बंगाल	2
5.	उत्तर प्रदेश	1
6.	महाराष्ट्र	2

1	2	3
7.	बिहार	1
8.	केरल	2
9.	कर्नाटक	1
10.	गुजरात	1
11.	असम	1
12.	हरियाणा	1 (फीडर स्टोर)
	योग	23

[अनुवाद]

गंगा नदी का प्रवाह

5037. श्री विजय कृष्ण: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगोत्री हिमनद पर बदतर पर्यावरणीय स्थितियों के कारण गंगा नदी का प्रवाह उसके मुख्य स्रोत ''गोमुख'' से काफी दूर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) गोमुख, गंगोत्री हिमनद की बर्फीली गुफा है, जिसके हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है। अतः अपने मुख्य स्रोत से गंगा के दूर जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खान मंत्रालय के अधीन आने वाला भारतीय सर्वेक्षण विभाग हिमनदों को मॉनीटर करने के लिए नोडल एजेंसी है जिसने 1935 से 1996 के बीच गंगोत्री हिमनद के सिकुड़ने पर अध्ययन किये हैं।

(घ) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास 1935 से 1996 के बीच के उपलब्ध डेटा के अनुससार, गंगोत्री हिमनद औसतन 18.80 मीटर प्रतिवर्ष की दर से सिकुड़ रहा है। परंतु, अन्य संस्थानों द्वारा किये गये आगे के अध्ययनों से पता चला है कि 1971 से 2004 के दौरान सिकुड़ने की वार्षिक दर कम होकर 17.5 मीटर रह गई है तथा उसके बाद 2004-2005 में 12.10 मीटर हो गई है।

(ङ) चूंकि गंगा नदी (भागीरथी) अभी भी गंगोत्री हिमनद की बर्फीली गुफा (गोमुख) से निकल रही है, इसलिए गंगा नदी के बहाव को वापिस लाने के लिए इस समय कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक हिमनद के सिकुड़ने का संबंध है यह एक प्राकृतिक घटनाक्रम का हिस्सा है और अल्पावधिक कृत्रिम उपायों को अपनाकर इसे रोका नहीं जा सकता।

पत्रकारों के लिए बीमा योजना

5038. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पत्रकारों के लिए बीमा योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) पत्रकारों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम बनाने हेतु प्रयास किये गये थे। तथापि, लक्षित लाभार्थियों की ओर से समुचित प्रतिक्रिया न मिल पाने के कारण इस स्कीम को मूर्त रूप प्रदान नहीं किया जा सका। इसलिए, पत्रकारों को बीमा स्कीम उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्लेसमेंट एजेंसियों का विनियमन

5039. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे नौकर/नौकरानियों के परिणामस्वरूप चोरी और हत्या आदि जैसे अपराधों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कुछ प्लेसमेंट एजेंसियां ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के बाद गायब हो जाती हैं अथवा अपने करारों में गलत पते देती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे क्रियाकलापों के विनियमन को सुदृढ़ बनाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे नौकर/नौकरानियों द्वारा किये गये अपराधों के आंकड़े नहीं रखता है। केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सत्यापनीय रिपोर्ट नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि इन नौकर/नौकरानियों के रोजगार और अपराध में वृद्धि के बीच कोई सह संबंध है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि प्लेसमेंट एजेंसियों के विनियमन को सुदृढ़ करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोणार्क मंदिर पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

5040. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रीन पीस की हाल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर के तापमान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जैसाकि दिनांक 30 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उड़ीसा के तटों पर लहरें काफी ऊंची उठ सकती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) जी नहीं। ग्रीन पीस रिपोर्ट में पुरी जगन्नाथ मंदिर अथवा कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में अलग से कुछ भी नहीं बताया गया है। इसमें भारत तथा इसके आस-पास के तटीय क्षेत्रों में समुद्र स्तर की वृद्धि तथा उससे संबंधित संवेदनशीलता के बारे में सामान्य अनुमान लगाया है। परंतु ये अनुमान कुछ पूर्व-धारणाओं पर आधारित है इस कारण से अनिश्चित स्वरूप के हैं।

(ङ) सरकार ने जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए कई उपाय प्रारंभ किये हैं। हाल ही में, सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद की स्थापना की है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए एक उच्च-प्राथमिकता वाला कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव किया है। तटीय क्षेत्रों में समुद्र स्तर को ज्वार-भाटामापी स्टेशनों के नेटवर्क के जरिये लगातार मॉनीटर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में तटीय क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव सहित राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोगपूर्ण अनुसंधान को सहायता प्रदान कर संबद्ध क्षेत्रों में लगे हुए अग्रणी राष्ट्रीय अनुसंधान समूहों और अनुसंधान केन्द्रों के अनुसंधान नेटवर्कों की स्थापना की जाएगी।

[हिन्दी]

चाय उत्पादन की मात्रा

5041. **श्रीमती नीता पटैरिया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक भारत में राज्य-वार कितनी प्रकार की चाय का उत्पादन हुआ तथा उसकी मात्रा कितनी थी;

(ख) देश में चाय की कुल खपत कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न देशों से और विभिन्न देशों को देशवार कितनी मात्रा में चाय का आयात तथा निर्यात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में उत्पादित चाय की किस्मों और मात्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े मिलियन किग्रा. में)

चाय की किस्में	उत्तर भारत			दक्षिण भारत			अखिल भारत		
	2005	2006(अ)	2007(अ)	2005	2006(अ)	2007(अ)	2005	2006(अ)	2007(अ)
सीटीसी	667.21	678.44	665.69	182.38	189.61	184.99	849.59	868.05	850.68
परंपरागत काली	32.34	30.61	39.00	43.29	34.88	33.50	75.63	65.49	72.50
दार्जिलिंग	11.31	11.73	11.00	–	–	–	11.31	11.73	11.00
हरी चाय	7.56	8.84	9.00	1.88	1.80	1.50	9.44	10.64	10.50
कुल	718.42	729.62	724.69	227.55	226.29	219.99	945.97	955.91	944.68

(अ) अनुमानित तथा संशोधन के अध्यधीन

गत तीन वर्षों के लिए राज्य-वार उत्पादन निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन किग्रा. में)

राज्य/जिले	2005	2006(अ)	2007(अ)	2008 (अ) (जन.-फरवरी)
1	2	3	4	5
असम	487.49	483.65	479.92	5.31
पश्चिम बंगाल	217.55	233.29	231.44	4.04
त्रिपुरा	7.52	7.18	7.31	
अरुणाचल प्रदेश	2.62	2.20	2.52	
मणिपुर	0.11	0.11	0.12	0.10
सिक्किम	0.16	0.15	0.16	0.10
नागालैंड	0.19	0.17	0.19	
मेघालय	0.10	0.10	0.12	
मिजोरम	0.07	0.07	0.08	
अन्य उत्तर भारतीय राज्य (बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा उड़ीसा सहित)	2.61	2.70	2.83	
कुल उत्तर भारत	718.42	729.62	724.69	9.45
तमिलनाडु	158.84	152.27	153.13	19.61

1	2	3	4	5
केरल	63.34	68.76	61.83	9.61
कर्नाटक	5.37	5.26	5.03	0.72
कुल दक्षिण भारत	227.55	226.29	219.99	29.94
महायोग	945.97	955.91	944.68	39.39

(अ) अनुमानित तथा संसोधन के अध्यधीन

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में चाय की अनुमानित कुल खपत निम्नानुसार है:

वर्ष	घरेलू खपत (मिलि. कि.ग्रा.)
2005	757
2006	771
2007	786

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से आयातित चाय की मात्रा निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन किग्रा. में)

उद्गम	2007 (अ)	2006	2005
1	2	3	4
अर्जेंटिना	0.70	0.75	0.83
बांग्लादेश	0.01	0.01	-
ब्राजील	-	-	0.04
चीन	0.51	2.00	1.08
जर्मनी	0.01	0.01	0.02
इंडोनेशिया	2.13	1.59	2.26
ईरान	-	0.68	0.08
जापान	-	0.01	-
केन्या	2.94	2.46	3.18
मालावी	0.56	0.33	0.64
मलेशिया	-	0.00	-
नेपाल	7.42	3.37	3.91

1	2	3	4
पापुआ न्यू गिनी	0.44	0.45	0.58
दक्षिण अफ्रीका	0.00	–	0.04
दक्षिण कोरिया	–	0.00	–
श्रीलंका	0.38	0.18	0.31
स्विटजरलैंड	0.00	0.00	–
तंजानिया	0.03	–	–
तुर्की	–	0.02	0.39
यूएई	0.00	–	–
यूनाइटेड किंगडम	0.15	0.14	0.16
यूएसए	–	–	0.01
वियतनाम	0.69	11.81	3.23
जिम्बाब्वे	0.02	–	–
कुल	15.99	23.81	16.76

(अ) अनुमानित एवं संशोधन के अध्यधीन

जनवरी से फरवरी 2008 के दौरान भारत में चाय का आयात निम्नानुसार है:

अवधि	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	सीआईएफ मूल्य (करोड़ रुपये)	इकाई कीमत (रुपये/किग्रा)
2008 (जनवरी से फरवरी) अनुमानित	1.89	12.92	68.42
2007 (जनवरी-फरवरी)	1.75	12.19	69.56
पिछले वर्ष की तुलना में (+) या (–)	(+)0.14	(+)0.73	(–)1.14

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को भारत से निर्यातित चाय की मात्रा निम्नानुसार है:

(आंकड़े मिलियन किग्रा. में)

देशों के नाम	जनवरी से दिसम्बर 2007 (अनुमानित)	जनवरी से दिसम्बर 2006 (वास्तविक)	जनवरी से दिसम्बर 2005 (वास्तविक)
1	2	3	4
रूसी परिसंघ	34.41	37	35.89
कजाकिस्तान	8.09	10.39	10.93

1	2	3	4
उक्रेन	1.19	0.85	0.89
उज्बेकिस्तान	0.03	0.41	0.08
अन्य सीआईएस	0.23	0.46	0.34
कुल सीआईएस	43.95	49.11	48.13
यूनाइटेड किंगडम	13.88	21.21	21.36
नीदरलैंड	2.32	2.93	2.90
जर्मनी	5.3	4.36	4.85
आयरलैंड	2.04	2.42	2.21
पोलैंड	3.76	3.67	4.12
यूएसए	7.66	8.54	9.08
कनाडा	0.74	1.13	1.61
यूएई	24.12	21.88	26.54
ईरान	11.28	8.67	6.62
इराक	2.49	41.33	35.82
सऊदी अरब	1.31	1.06	1.15
एआरई	4.88	2.75	0.37
तुर्की	0.14	0.16	0.06
अफगानिस्तान	8.16	7.41	3.06
सिंगापुर	0.29	0.51	0.60
श्रीलंका	2.88	3.19	2.09
केन्या	3.01	8.74	1.54
जापान	1.91	2.66	3.05
पाकिस्तान	5.15	14.73	11.00
आस्ट्रेलिया	4.82	4.46	4.91
अन्य देश	6.62	5.81	7.98
कुल	156.71	218.73	199.05

जनवरी से फरवरी 2008 के दौरान भारत से चाय का कुल निर्यात निम्नानुसार है:

अवधि	मात्रा (मिलियन कि.ग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए)	इकाई कीमत (रुपये/किग्रा.)
2008 (जनवरी से फरवरी) अनुमानित	27.21	258.84	95.13
2007 (जनवरी से फरवरी)	31.06	281.43	90.62
पिछले वर्ष की तुलना में (+) या (-)	(-)3.85	(-)22.59	4.51

[अनुवाद]

सीमावर्ती नगरों के विकास हेतु पंजाब को वित्तीय सहायता

5042. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से कुछ सीमावर्ती नगरों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केन्द्रीय सहायता कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत पंजाब के निम्नलिखित सीमावर्ती कस्बों में जल आपूर्ति और जल-मल निकासी परियोजनाओं के कार्य के लिए 92.86 करोड़ रुपये की राशि मंजूर करने का अनुरोध किया है:

शहर का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)		
	जल आपूर्ति	जल-मल निकासी	कुल
रामदास	0.66	2.40	3.06
अजनाला	1.[illegible]3	4.83	6.36
खेमकरन	0.81	5.29	6.10
फजीलका	1.77	3.18	4.95
फिरोजपुर शहर और फिरोजपुर कैंट (सेना प्राधिकरणों सहित)	9.23	26.91	36.14
गुरुहर्षई	0.22	2.43	2.65
जलालाबाद	0.72	6.03	6.75
डेरा बाबा नानक	1.22	7.10	8.32
दीना नगर	0.95	4.22	5.17
गुरुदासपुर	5.07	8.29	13.36
कुल	22.18	70.68	92.86

(ग) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी), 100% केन्द्रीय आधार पर निधिबद्ध कार्यक्रम है जिसे पंजाब सहित 17 राज्यों के पता लगाए गए 362 सीमावर्ती ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जाता है। योजना आयोग द्वारा बीएडीपी के तहत यथानिर्धारित बजट संबंधी आवंटन, सीमावर्ती राज्यों के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाता है। बीएडीपी के तहत वर्ष 2008-09 के बजट में 635 करोड़ रुपये राशि आवंटित की गई है। प्रचलित मानदंडों के अनुसार बीएडीपी के तहत पंजाब का हिस्सा लगभग 20 करोड़ रुपये बैठता है और बीएडीपी के तहत सामान्य आवंटन से प्रस्ताव कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधियां पूरी नहीं हो सकती हैं।

[हिन्दी]

अवैध गतिविधियों तथा अपराधों में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता

5043. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्रीमती नीता पटैरिया:
डा. चिन्ता मोहन:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अवैध गतिविधियों तथा अपराधों में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता बढ़ती जा रही है, जैसाकि दिनांक 21 जनवरी, 2008 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आज की तारीख तक शराब के अवैध व्यापार सहित राज्य-वार तथा अपराध-वार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किये गये;

(ग) प्रत्येक अभियुक्त अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

छोटे क्षेत्रीय समाचार-पत्र

5044. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में छोटे क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के लिए कोई बजटीय प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में छोटे समाचार-पत्रों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) लघु क्षेत्रीय समाचारपत्रों के लिए अलग से कोई बजट प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) लघु एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों को समर्थन देने के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की 2 अक्तूबर, 2007 से लागू प्रेस विज्ञापन नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं:

(1) मौद्रिक दृष्टि से लघु समाचारपत्रों के लिए विज्ञापन के अंश को 10% से बढ़ाकर 15% तथा क्षेत्रीय और अन्य भाषाओं में प्रकाशित समाचारपत्रों के लिए इसे 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है।

(2) बोडो, डोगरी, गढवाली, खासी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, उर्दू तथा जनजातीय भाषाओं के क्षेत्रीय भाषायी समाचारपत्रों को पैनल में शामिल करने की न्यूनतम प्रकाशन अवधि को 12 माह से घटाकर 6 माह कर दिया गया है जबकि सभी क्षेत्रीय और अन्य भाषाओं के लघु एवं मध्यम समाचारपत्रों के मामले में इस अवधि को 36 माह से घटाकर 18 माह कर दिया गया है।

(3) पिछड़े, सीमावर्ती, पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों से या जनजातीय भाषाओं में अथवा जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर राज्यों में प्रकाशित सभी समाचारपत्रों के लिए प्रति प्रकाशन दिवस 500 प्रतियों के प्रमाणित न्यूनतम सशुल्क प्रसार का प्रावधान कर दिया गया है जबकि अन्य समाचारपत्रों के लिए ऐसी 2000 प्रतियों का प्रावधान है।

(4) 25,000 तक के प्रसार वाले समाचारपत्रों के संबंध में प्रसार संबंधी जांच नहीं की जाएगी।

बोर्डिंग एवं छात्रावास सुविधाएं

5045. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश में चल रहे उन शैक्षणिक संस्थानों का राज्य-वार तथा संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, जिन्हें पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बोर्डिंग एवं छात्रावास सुविधाओं संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान किये गये हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों को जारी अनुदानों का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार के पास अनुदान जारी करने हेतु राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्र-वार कितने आवेदन लंबित हैं;

(घ) अनुदान जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित अनुदानों को कब तक जारी कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) 'माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए भोजन तथा छात्रावास संबंधी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण' के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत स्वैच्छिक संगठनों को 2004-05 तक छात्रावासों को संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। जबकि स्कीम 2004-05 तक परिचालन में थी, स्कीम के तहत प्रतिपूर्ति अनुदान वर्ष 2007-08 तक प्रदान किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के तहत जारी की गई राशि नीचे दी गई है:

2005-06	3.90 करोड़ रु.
2006-07	2.99 करोड़ रु.
2007-08	0.48 करोड़ रु.

इस स्कीम के तहत स्वैच्छिक संगठनों को सीधे ही सहायता प्रदान की गई थी और राज्यवार/संघ राज्यवार कोई आवंटन नहीं था। वर्ष 2004-05 की अवधि तक प्राप्त सभी व्यवहार्य प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई थी और बाद की अवधि के लिए किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि स्कीम वर्तमान स्वरूप में बंद कर दी गई है।

लौह अयस्क का निर्यात

5046. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) लौह अयस्क का उत्पादन मौजूदा घरेलू मांग से अधिक है। अयस्क के ढेलों को आकार देने और उनके अंशांकन के साथ खनन के दौरान उत्पादित बेशी लौह अयस्क फाइन्स की निर्यातों के जरिये निकासी की जा रही है क्योंकि घरेलू इस्पात उद्योग में इसकी मांग कम है।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का मूल्य

5047. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री जुएल ओराम:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में लौह अयस्क की वार्षिक घरेलू खपत कितनी है तथा कुल कितनी मात्रा में लौह अयस्क का देशवार निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने लौह अयस्क का उत्पादन हुआ तथा इसकी घरेलू बिक्री कितनी रही;

(ग) अप्रैल, 2004 से 2008 तक लौह अयस्क के मूल्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान लौह अयस्क पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाये जा रहे विभिन्न करों तथा उनकी दरों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हाडिक): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 004-05 से 2006-07 के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन और घरेलू खपत नीचे दी गई है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2004-05	145.94	57.84
2005-06 (अनंतिम)	165.23	63.43
2006-07 (अनंतिम)	180.91	72.00

पिछले तीन वर्षों में लौह-अयस्क के देशवार निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मात्रा: मिलियन मीट्रिक टन में)

देश	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)
चीन	59.40	74.13	80.16
जापान	11.13	10.33	8.63
दक्षिण कोरिया	2.18	1.32	1.91
ताइवान	0.61	0.14	-
यूरोप	2.89	2.10	2.07
अन्य देश	1.93	1.25	1.02
कुल	78.14	89.27	93.79

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 62 प्रतिशत लौह से कम मात्रा वाले लौह अयस्क फाइंस को छोड़कर जिसके लिए 50 रुपये प्रति टन की दर से निर्यात शुल्क प्रभारित किया जाता है, अन्य सभी लौह अयस्क पर 300 रु. प्रति टन का निर्यात शुल्क प्रभारित किया जाता है। राज्य सरकारें 4.00 से 27.00 रुपये प्रति टन की दर से रॉयल्टी तथा पट्टा क्षेत्र के कार्यहीन नियंत्रण (आइडल होल्डिंग) के प्रथम दो वर्षों के लिए 100.00 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से और तीसरे वर्ष के लिए 400.00 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की दर से डैड रेंट एकत्र करती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में उपकर/कर प्रभारित करती हैं।

आतंकवाद से निपटने हेतु कार्य-योजना

5048. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) यह सही नहीं है कि देश में आतंकवाद बढ़ गया है। यद्यपि देश के कुछ भागों में अभी भी हिंसा और उग्रवाद जारी है फिर भी समग्र स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में रही है।

सरकार, आसूचना का और अधिक आदान-प्रदान करके, सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करके, पुलिस और सुरक्षा बलों को आधुनिक/अत्याधुनिक हथियार, संचार प्रणालियों और प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी क्षमताओं को बढ़ा करके आतंकवाद से निपटने के लिए एक विस्तृत नीति का पालन करती है। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आतंकवादी माड्यूलों को नष्ट किया गया है और संभावित बड़ी आतंकवादी घटनाओं को टाला गया है। संस्थागत व्यवस्थायें भी की गई हैं ताकि सूचना का आदान-प्रदान और विश्लेषण एक योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से जारी रखा जा सके। सरकार ने आतंकवाद के बाह्य खतरों से बचने के लिए द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय तंत्र भी स्थापित किये हैं।

[अनुवाद]

खाद्य वस्तुओं संबंधी आयात-निर्यात नीति

5049. श्री एल. राजगोपाल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य वस्तुओं संबंधी वर्तमान आयात-निर्यात नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाद्य वस्तुओं के अत्यधिक आयात के कारण भारतीय किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) आयात एवं निर्यात हेतु विस्तृत मद-वार नीति

निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2004-09 में उपलब्ध है।

आयातों के वचनबद्ध दरों के भीतर सीमाशुल्क टैरिफ में समायोजनों के जरिये विनियमित किया जाता है। खाद्य तेल, नारियल, चाय, कॉफी, काली मिर्च, स्किम्ड दुग्ध पाउडर, कुक्कुट उत्पाद आदि के मामले में इस तंत्र का कारगर ढंग से प्रयोग किया गया है। कीमतों के विनिर्दिष्ट स्तर से कम होने की स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषकों के हित सुरक्षित हैं, सरकार खरीद संकार्य करती है। आयातों को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, पैकेजिंग अपेक्षाओं, स्वच्छता एवं पादप-स्वच्छता (एसपीएस) उपाय आदि के जरिये भी विनयमित किया जाता है। आयातों में किसी वृद्धि की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा प्रमुख खाद्य वस्तुओं सहित 300 संवेदनशील मदों के आयात की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

[हिन्दी]

निजी महाविद्यालयों को अनुदान

5050. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने महाविद्यालय सरकारी हैं और कितने निजी हैं;

(ख) कितने निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान मिल रहा है;

(ग) निजी महाविद्यालयों को अनुदान दिये जाने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या इन अनुदानों का दुरुपयोग हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(च) इन निजी तथा सरकारी महाविद्यालयों में स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार देश में लगभग 20,676 कालेजों में से 6773 कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वित्तीय सहायता जारी करने के लिए आयोग द्वारा मान्यता दी गई है। इन कालेजों की राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) 31.3.2008 तक 3870 निजी कालेजों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त किये।

(ग) ऐसे निजी कालेज, जो राज्य विश्वविद्यालयों से स्थायी रूप से सम्बद्ध हैं तथा जो संबंधित राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान (वेतन शीर्ष के अंतर्गत) प्राप्त करते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं।

(घ) और (ङ) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पात्र कालेजों को विकास अनुदान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उत्कृष्टता की संभावना वाले कालेजों की योजना के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु पात्र कालेजों को अनुदान देता है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) और 12(बी) के अंतर्गत सरकारी/गैर सरकारी कालेजों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	कॉलेजों की संख्या			कुल
		सरकारी	गैर-सरकारी		
			सहायता प्राप्त	गैर सहायता प्राप्त	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	185	226	31	442
2.	अरुणाचल प्रदेश	06	-	-	06

1	2	3	4	5	6
3.	असम	27	162	28	217
4.	बिहार	205	91	30	326
5.	छत्तीसगढ़	112	29	02	143
6.	गोवा	08	15	03	26
7.	गुजरात	39	323	12	374
8.	हरियाणा	47	98	02	147
9.	हिमाचल प्रदेश	39	10	–	49
10.	जम्मू-कश्मीर	41	08	49	98
11.	झारखण्ड	61	25	10	98
12.	कर्नाटक	152	382	45	579
13.	केरल	54	161	09	224
14.	मध्य प्रदेश	295	124	20	439
15.	महाराष्ट्र	75	694	123	892
16.	मणिपुर	36	12	06	54
17.	मेघालय	2	22	07	31
18.	मिजोरम	10	10	01	21
19.	नागालैण्ड	04	07	03	14
20.	उड़ीसा	117	200	47	364
21.	पंजाब	48	162	06	216
22.	राजस्थान	129	90	20	239
23.	सिक्किम	03	–	–	03
24.	तमिलनाडु	80	203	51	334
25.	त्रिपुरा	13	03	–	16
26.	उत्तर प्रदेश	96	410	371	877
27.	उत्तराखण्ड	30	12	03	45
28.	पश्चिम बंगाल	45	339	04	388
29.	अंडमान एवं निकोबार	02	–	–	02

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	11	07	–	18
31.	दादर नगर हवेली	–	–	–	–
32.	दमन एवं दीव	01	–	–	01
33.	दिल्ली	36	40	04	80
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
35.	पुड्डुचेरी	10	01	–	11
	कुल	2016	3870	887	6773

[अनुवाद]

दूरदर्शन और आकाशवाणी में कर्मचारियों की कमी

5051. श्री मनोरंजन भक्तः क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र कर्मचारियों की भारी कमी के कारण उचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां विद्यमान कमी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र का वर्तमान स्टाफ, इन केन्द्रों में स्टाफ की कमी के बावजूद यहां का कार्य संभाल रहा है।

(ख) इस समय आकाशवाणी केन्द्र में 65 पद तथा दूरदर्शन में 19 पद रिक्त हैं।

(ग) प्रसार भारती से संबंधित मामलों के लिये गठित मंत्री समूह के विचारार्थ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

जम्मू और कश्मीर में बिना निशानी वाली कब्रें

5052. श्री उदय सिंहः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उड़ी के निकट सीमावर्ती गावों में बड़ी संख्या में बिना निशानी वाली कब्रें मिली हैं, जैसाकि 29 मार्च, 2008 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) सरकार अखबार रिपोर्ट पर टिप्पणी करना जरूरी अथवा उपयुक्त नहीं समझती है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें उड़ी क्षेत्र पर मारे गये उन आतंकवादियों को, जिनकी पहचान नहीं की जा सकी, उन्हें क्षेत्र के स्थानीय लोगों की सहायता एवं सहयोग से अज्ञात आतंकवादी मानकर दफना दिया गया था। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि दफनाए जाने के सभी मामले संबंधित पुलिस थाने में समुचित रूप से रिकार्डबद्ध हैं और जब तक किसी खास व्यक्ति के बारे में विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं होती तब तक किसी तरह की तहकीकत पर विचार करना अपेक्षित अथवा जरूरी नहीं होता है।

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5053. श्री रनेन बर्मनः क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार खुदरा बिक्री को पृथक श्रेणियों में बांटने और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कारपोरेट कार्य विभाग को संगठित खुदरा क्षेत्र पर विस्तृत नोट तैयार करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार को छोड़कर, खुदरा व्यापार में किसी प्रकार के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। तथापि, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आई.सी.आर.आई.ई.आर.) के माध्यम से असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित रिटेलिंग के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन शुरू कराया है। सरकार ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के विकास संयोजनों पर राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) को भी एक अध्ययन शुरू करने को कहा है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव पर केन्द्रित होगा। इन संगठनों द्वारा अंतिम रिपोर्टें अभी पेश की जानी हैं।

सिमी द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण शिविर

5054. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री निखिल कुमार:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) देश में विशेषकर मध्य प्रदेश और कर्नाटक के जंगलों में प्रशिक्षण शिविरों का संचालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जगहों से कुल कितने कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये और जब्त किये गये दस्तावेजों तथा वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिमी की सक्रिय महिला कार्यकर्ताएं बच्चों को संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में संलिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर में सिमी कार्यकर्त्ताओं के घृणात्मक उद्देश्यों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम प्रस्तावित किये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं। तथापि, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अरोदा में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाने की सूचना है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2008 के दौरान कर्नाटक के जंगल क्षेत्र से किसी सिमी कार्यकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया है; तथापि, कर्नाटक राज्य में अन्य स्थानों से सिमी के 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किये जाने की सूचना है। उनसे बरामद चीजों में शामिल हैं: जिलेटिन स्टिक्स, डेटोनेटर, हथगोले, चोरी की मोटर साईकिल, आदि। मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न स्थानों से 54 सिमी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। आपत्तिजनक साहित्य और दस्तावेज, हथियार और गोलाबारूद, जिलेटिन स्टिक्स, मोबाइल, नगद राशि, कम्प्यूटर आदि जब्त किये जाने की सूचना है।

(ग) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश की शांति, सांप्रदायिक सदभावना तथा सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे सभी संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे सभी संगठनों की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सतत् नजर रखी जाती है तथा 2004 में यथा संशोधित गैर-कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाए जाने सहित ऐसी गतिविधियों की रोकथाम और जांच के लिए सतत् आधार पर अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

प्राथमिक शिक्षा हेतु आवंटन

5055. एडवोकेट सुरेश कुरूप:
प्रो. चन्द्र कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरंभिक शिक्षा हेतु आवंटन वर्ष 2001 के 67 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2007-08 में 35 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो कक्ष तथा दो शिक्षक होने चाहिएं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के उन विद्यालयों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है जहां एक ही कक्ष तथा एक ही शिक्षक उपलब्ध है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, नहीं। शिक्षा के लिए कुल आबंटन में प्रारम्भिक शिक्षा का आवंटन वर्ष 2001-02 में 64.19 प्रतिशत था जो वर्ष 2007-08 में बढ़कर 64.96 प्रतिशत हो गया।

(ग) सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रति 40 बच्चों के लिए एक शिक्षक तथा एक नए प्राथमिक स्कूल में कम-से-कम दो शिक्षकों तथा नए उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक श्रेणी के लिए एक शिक्षक, प्रत्येक शिक्षक अथवा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल में ग्रेड/श्रेणी जो भी निम्न हो, के लिए एक कमरे का प्रावधान करता है, उसमें प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम-से-कम दो शिक्षकों के लिए बरामदे सहित दो शिक्षण कक्ष होंगे। उच्च प्राथमिक स्कूल/सेक्शन में प्रधानाध्यापक के लिए एक कमरा होगा।

(घ) एकल शिक्षक तथा एकल शिक्षण कक्ष वाले स्कूलों का राज्य/संघ राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एक कमरे वाले सरकारी स्कूलों की संख्या	एकल शिक्षक वाले सरकारी स्कूलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	24691	7350
2.	अरुणाचल प्रदेश	594	1650
3.	असम	29966	17919
4.	बिहार	4653	2762
5.	छत्तीसगढ़	2396	6277
6.	गोवा	237	355
7.	गुजरात	1421	1628
8.	हरियाणा	472	1348
9.	हिमाचल प्रदेश	690	1180
10.	जम्मू-कश्मीर	2153	980
11.	झारखंड	1670	6862
12.	कर्नाटक	5083	6127
13.	केरल	38	32
14.	मध्य प्रदेश	11286	26849
15.	महाराष्ट्र	5675	4355
16.	मणिपुर	67	444
17.	मेघालय	830	435
18.	मिजोरम	37	63
19.	नागालैंड	3	58
20.	उड़ीसा	1640	5865
21.	पंजाब	649	2194
22.	राजस्थान	3160	23575
23.	सिक्किम	18	5
24.	तमिलनाडु	0	952
25.	त्रिपुरा	234	36
26.	उत्तर प्रदेश	987	7686
27.	उत्तराखंड	364	2822
28.	पश्चिम बंगाल	6837	1780
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	9
30.	चंडीगढ़	0	0

1	2	3	4
31.	दादर और नगर हवेली	30	75
32.	दमन और दीव	2	1
33.	दिल्ली	9	9
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	9	8
	भारत	105911	131691

स्रोत: वर्ष 2006-07 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली आंकड़े।

निजी विश्वविद्यालय

5056. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी विश्वविद्यालयों की तेजी से बढ़ती संख्या को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत किये गये निजी विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास निजी विश्वविद्यालयों की स्वीकृति हेतु कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद अधिनियम अथवा राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा की जाती है। ये निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उनमें मानकों का अनुरक्षण) विनियामक, 2003 द्वारा विनियमित होते हैं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षण एवं अनुसंधान के मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्यार्थ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी विभाग अथवा विभागों का निरीक्षण करवाता है। अंत में, विश्वविद्यालय/कालेजों की गुणवत्ता का मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (सीसीसी) के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना की है।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम 1956 की धारा 2(च) के तहत आयोग द्वारा अनुमोदित निजी विश्वविद्यालयों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। आयोग के पास निजी विश्वविद्यालयों के पांच प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लंबित हैं। तथापि, ऐसे प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

विवरण

आज की तिथि के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष
1	2	3
1.	डा. सी.वी. रमण विश्वविद्यालय, कारगी रोड, बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)	2006
2.	एम.ए.टी.एस. विश्वविद्यालय, अरंग खरोरा हाईवे, जिला-रायपुर, (छत्तीसगढ़)	2006
3.	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाना (गुजरात)	2006
4.	मार्टिन लूथर क्रिस्टीयन विश्वविद्यालय, किपा सम्मेलन केन्द्र, शिलांग (मेघालय)	2005
5.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, चलतलांग, आईजोल, (मिजोरम)	2006

1	2	3
6.	द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा, (नागालैण्ड)	2006
7.	लवली व्यावसायिक विश्वविद्यालय, जी.टी. रोड, चेहरू रेलवे ब्रिज के पास, जिला कपूरथला, (पंजाब)	2006
8.	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर (राजस्थान)	2007
9.	ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फार इंटिग्रेटिड लर्निंग इन मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी, जारेथंग (सिक्किम)	2006
10.	इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनाजिस्ट आफ इंडिया, अगरतल्ला, त्रिपुरा	2006
11.	एमिटि विश्वविद्यालय, नोएडा (उत्तर प्रदेश)	2005
12.	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर (उत्तर प्रदेश)	2006
13.	मंगलायातन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	2006
14.	इंस्टीट्यूट आफ चार्टेज फाइनेंशियल, एनालिस्ट आफ इंडिया, देहरादून (उत्तराखण्ड)	2005
15.	पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)	2006

आईपीएस अधिकारियों द्वारा नौकरी का छोड़ा जाना

5057. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभुः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के कुल कितने अधिकारियों ने नौकरियां छोड़ दी हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतें

5058. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः
श्री हरिसिंह चावड़ाः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पुलिसकर्मी अक्सर आम जनता के साथ दुर्व्यवहार में संलिप्त पाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को ऐसे मामलों की राज्यवार कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा नागरिकों की मान-मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के कार्यकरण में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरुद्ध छोटे दुकानदारों का रोष

5059. श्री वी.के. ठुम्मरः
श्री हरिकेवल प्रसादः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में खुदरा बाजारों और शापिंग मॉलों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और विदेशी निवेश पर छोटे दुकानदारों में रोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार को छोटे दुकानदारों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है और इसका क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) सरकार को लघु उद्योग एवं खुदरा व्यापारियों सहित, विभिन्न उद्योग संघों से खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने के विरुद्ध कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों की सूची विवरण में दी गई है।

(ङ) मौजूदा नीति के अनुसार एकल ब्राण्ड उत्पादों के खुदरा व्यापार को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के खुदरा व्यापार पर विदेशी प्रत्यक्ष विनेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति नहीं है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (आई.सी.आर.आई.ई.आर.) के माध्यम से असंगठित खुदरा व्यापार पर संगठित रिटेलिंग के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन शुरू कराया है। सरकार ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के विकास संयोजनों पर राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) को भी एक अध्ययन शुरू करने को कहा है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव पर केन्द्रित होगा। इन संगठनों द्वारा अंतिम रिपोर्टें अभी पेश की जानी हैं।

विवरण

खुदरा व्यापार में एफडीआई के विरुद्ध अभ्यावेदनों की सूची

क्र.सं.	संघ	अभ्यावेदन की मुख्य बातें
1	2	3
1.	फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (अभ्यावेदन वर्ष 2000 से प्राप्त हो रहे हैं)	थोक/खुदरा व्यापार मध्यवर्गीय आबादी का आधार स्तंभ है एवं इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को शामिल करने से उनकी व्यावसायिक प्रकृति प्रभावित होगी। थोक/खुदरा व्यापार में कोई विशिष्ट प्रौद्योगिकी शामिल नहीं होती एवं इसके लिए व्यापक पैमाने पर निवेश आवश्यक नहीं होता है। इसलिए एफडीआई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। "भारत अनिवार्य वृद्धि" पर मकिन्बी एंड को. के रिपोर्ट में थाईलैंड का अनुभव शामिल है। थाईलैंड के इस अनुभव के परिणामस्वरूप खुदरा व्यापारियों को अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष करना पड़ा जिसके कारण खुदरा व्यापार क्षेत्र में बड़ी एमएनसी को नियंत्रित करने हेतु कानून बनाने पर विचार करने को थाईलैंड की सरकार विवश हुई।
2.	मुम्बई स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (अभ्यावेदन वर्ष 2000 से प्राप्त हो रहे हैं)	एक करोड़ रोजगार अवसर के लक्ष्य विषय पर डा. एस.पी. गुप्ता के नेतृत्व में एक समूह द्वारा प्रस्तुत योजना आयोग रिपोर्टों तथा खुदरा व्यापार में एफडीआई विषय पर श्री एन.के. सिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सहारा लिया गया है।
3.	मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ	मेसर्स मार्क्स एवं स्पेंसर जैसी बहुराष्ट्रीय खुदरा व्यापारियों के प्रवेश से लघु व्यापारी एवं उद्योग प्रभावित होगा।

1	2	3
4.	महाकौशल चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज	खुदरा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय व्यापार कंपनियों के प्रसार को रोकने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए—मार्क्स एंड स्पेंसर का विशिष्ट संदर्भ दिया गया।
5.	फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन	भारत में खुदरा व्यापार क्षेत्र परिवार की अवधारणा पर आधारित है। डब्ल्यूटीओ समझौता खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति को अनिवार्य नहीं बनाता है। इसलिए इस क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
6.	कंज्यूमर वेलफेयर हाई पावर कमिटी	खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति लाखों लघु उद्योग आपूर्तिकर्ताओं को समाप्त कर देगी।
7.	ऑल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स	खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति के निर्णय को उपयुक्त समय तक रोका जाए ताकि विदेशी निवेशकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु तैयार होने में हमारे सदस्यों को आवश्यक समय उपलब्ध कराया जा सके।
8.	फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इंडस्ट्रीज इन इंडिया	स्थानीय खुदरा व्यापारियों पर मार्क्स एंड स्पेंसर जैसी एमएनसी के प्रवेश का प्रभाव
9.	वधवान इंडस्ट्रीज एसोसिएशन	खुदरा व्यापार क्षेत्र में एमएनसी का प्रवेश लघु उद्योग विनिर्माताओं पर विपरीत प्रभाव डालेगा क्योंकि सोर्सिंग स्थानीय रूप से नहीं किया जाएगा।
10.	अम्बातुर इंडस्ट्रियल इस्टेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन	लाखों लोगों को रोजगार देने वाले भारतीय लघु उद्योग को बचाने के लिए रक्षोपाय लागू किये जाएं।
11.	जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक उद्योग व्यापार मंडल, ललितपुर श्री रजी कांत श्रीवास्तव एवं श्री निमरजीत	खुदरा व्यापार में एफडीआई के संदर्भ में राष्ट्रपति को अभ्यावेदन
12.	श्री राजेश जायसवाल	खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
13.	भारतीय जनता पार्टी, व्यापार प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश	भारत में वालमार्ट के प्रवेश के विरुद्ध
14.	नाग-विदर्भ चैंबर ऑफ एसोसिएशन, नागपुर	खुदरा व्यापार में एफडीआई एवं बड़े कारपोरेट घरानों के प्रवेश का विरोध
15.	मद्रास जेरनल मर्चेंट्स एसोसिएशन, चेन्नई	खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश
16.	तमिलनाडु चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज	खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति तथा ग्रोसरी, फलों तथा सब्जियों के खुदरा व्यापार में काफी बड़े घरेलू कारपोरेट व्यापारियों के प्रवेश का विरोध
17.	पीएमओ के जरिये मेसर्स एकोर्न	खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति का प्रभाव
18.	मैसर्स जीएडीएजी डिस्ट्रिक चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज	खुदरा व्यापार में एफडीआई
19.	मेसर्स फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र	खुदरा व्यापार में एफडीआई वालमार्ट-भारती कैश एंड कैरी थोक व्यापार सभी विनियमों का उल्लंघन करती है।

1	2	3
20.	फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स आरगेनाईजेशन ऑफ वेस्ट बंगाल	खुदरा व्यापार के माहौल में बदलाव
21.	श्री सी.बी. अग्रवाल, गोंडिया	खुदरा व्यापार
22.	मेसर्स पुरासाई मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, चेन्नई पीएमाओं के माध्यम से	खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश
23.	मेसर्स तमिलनाडु थगम वेली व्यरण, नागल व्यापारिगल सम्मेलनम, चेन्नई पीएमओ के माध्यम से	खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश
24.	इस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, पटना	खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
25.	व्यापारी एकता समिति, भरतपुर	खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
26.	श्री रसिक लाल मर्डिया, अहमदाबाद	कृषिगत (कृषि उत्पाद) खुदरा व्यवसाय में रिलायंस फ्रेश या रिलायंस उद्योग समूह को किसी भी नाम से प्रवेश की अनुमति नहीं देना।
27.	श्री जेठमलानी, बिकानेर	रिलायंस की दुकानों द्वारा सस्ते में सामान बेचने के कारण खुदरा व्यापारियों में घबराहट
28.	साउर्दन गुजरात चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, सूरत	खुदरा व्यापारियों एवं अन्य उद्योगों को सहायता
29.	फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, जयपुर	खुदरा व्यापार हेतु लाइसेंस
30.	बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ, पटना	खुदरा व्यापार में एफडीआई
31.	द रिटेल एंड डिस्पेंसिंग केमिस्टिस एसोसिएशन, मुम्बई	एफडीआई के रूप में खुदरा व्यापार क्षेत्र में प्रवेश
32.	रानीगंज चेम्बर ऑफ कॉमर्स, बुर्दवा (प. बंगाल)	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
33.	एसोसिएशन ऑफ कॉम्यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिफॉर्म नाओ, लुसियाना	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
34.	फेडरेशन ऑफ मद्रास मर्चेन्ट्स एण्ड मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, चैन्नई	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
35.	बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसार, संघ, पटना	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
36.	राष्ट्रीय व्यापार मंडल, नई दिल्ली	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई

1	2	3
37.	रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुम्बई	केरल सरकार द्वारा आधुनिक खुदरा व्यापारियों के प्रवेश पर प्रस्तावित प्रतिबंध में हस्तक्षेप करना।
38.	हार्डवेयर डीलर्स एसोसिएशन, इटवारी, नागपुर	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
39.	भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, नई दिल्ली	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
40.	फेडरेशन ऑफ मुम्बई रिटेल क्लॉथ डीलर्स एसोसिएशन्स, मुम्बई	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
41.	केरल व्यापारी व्यवसायी इकापना समिति, त्रिवेन्द्रम	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
42.	श्री घनश्याम दास गर्ग, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
43.	मद्रास सिराजुल उलूम, सहारनपुर	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
44.	ऑल इंडिया रिटेलर्स फेडरेशन (पंजी) जयपुर	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
45.	उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, गटुगा एसोसिएशन, साहजहांपुर	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
46.	जिला उद्योग व्यापार मंडल, ललितपुर	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
47.	अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लाक, दिल्ली राज्य समिति, दिल्ली	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई
48.	मण्डलीय बीमा कर्मचारी संघ, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	खुदरा व्यापार के क्षेत्र में एफडीआई

[अनुवाद]

निर्यात हेतु खनिज संसाधन

5060. श्री हितेन बर्मन: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित किसी कार्यबल ने निर्यात के लिए हमारे खनिज संसाधनों को खोलने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका देश के औद्योगिकीकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खनिज नीति पर पुनः विचार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हाडिन्क): (क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, योजना आयोग ने देश के खनिज संसाधनों को निर्यात के लिए खोलने हेतु किसी कार्य बल की नियुक्ति नहीं की है। तथापि, सरकार ने हाल ही में नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित की है जिसमें अगले चरण की खनिज रियायत का सुनिश्चित अधिकार, खनिज रियायतों की अंतरणीयता

और रियायतों के आवंटन में पारदर्शिता जैसे नीतिगत उपाय शामिल हैं ताकि ऐसे विलम्बों को कम किया जा सके जिन्हें भारत में खनन क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी के मार्ग में बाधाओं के रूप में देखा जाता है। नई राष्ट्रीय खनिज नीति संसद में सभा पटल पर रख दी गई है और यह खान मंत्रालय की वेबसाइट (http://mines.nic.in) पर उपलब्ध है।

निर्यातकों को राज्य द्वारा लगाए गए करों की प्रतिपूर्ति

5061. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसा तंत्र ईजाद करने का है, जिसके तहत राज्य सरकारें निर्यातकों को राज्य स्तरीय करों की प्रतिपूर्ति कर सके;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यातकों द्वारा अदा किये गये राज्य स्तरीय आगत शुल्क, चुंगी, मंडी कर, पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर, विद्युत कर, नगर निगम उपकर आदि की प्रतिपूर्ति किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किस सीमा तक निर्यातकों को राज्य द्वारा लगाये गये करों की प्रतिपूर्ति करने को सहमत हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) सरकार इस तथ्य के प्रति वचनबद्ध है कि सेवाओं एवं वस्तुओं का निर्यात हो, लेवियों एवं करों का नहीं। डीईपीबी स्कीम के विकल्प तथा राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष करों/लेवियों आदि की प्रतिपूर्ति हेतु एक नई स्कीम तैयार करने का सुझाव देने के लिए गठित होडा समिति ने 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस मामले में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

जाली प्रमाण-पत्र

5062. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर उनके मंत्रालय के अंतर्गत कार्यालयों में रोजगार पाने में सक्षम हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस जांच के निष्कर्षों के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) जी, हां। इस मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने से संबंधित व्यक्तियों के अब तक आठ मामलों का पता लगा है। यह मंत्रालय संबद्ध नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई पहले ही कर चुका है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अग्रिम जमानत का दुरुपयोग

5063. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपराध प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अग्रिम जमानत के प्रावधान का अपराधियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) बालचंद जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले, एआईआर 1977 एससी 366 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत प्राप्त शक्ति असाधारण प्रकृति की शक्ति है और इसका प्रयोग केवल बहुत कम और खास मामलों में किया जाना चाहिए। तथापि, यह मामला विशिष्ट रूप से केवल न्यायपालिका के अंतर्गत आता है।

स्वर्ण भंडार

5064. श्री सुब्रत बोस: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सोने के पर्याप्त भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को देश में उपलब्ध भंडारों का पता लगाने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार कितनी प्रगति की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हाडिन्क): (क) जी, नहीं। भारतीय खान ब्यूरो वर्ष पुस्तिका (2006) के अनुसार, 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार देश में स्वर्ण के कुल भण्डार 85.12 टन है।

(ख) स्वर्ण भंडार का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	भण्डार (टन में)
आंध्र प्रदेश	6.02
झारखंड	0.83
कर्नाटक	78.27

(ग) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) देश में स्वर्ण के लिए क्षेत्रीय गवेषण करता रहा है।

(घ) जीएसआई द्वारा इस संबंध में किये गये अन्वेषणों की राज्य-वार प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत पांच वर्षों के दौरान जीएसआई द्वारा स्वर्ण के लिए किये गये अन्वेषणों की प्रगति
(फील्ड सत्र 2002-03 से फील्ड सत्र 2006-07)

राज्य	अन्वेषण का क्षेत्र	अन्वेषणों की सं.
आंध्र प्रदेश	अनंतपुर, कुड्डापाह, चित्तूर, नेल्लोर और कुरनूल	10
कर्नाटक	हावेरी, रायूचर, तुमकूर, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, गडग, बेल्लारी, दावणगेरे, धारवार, बेलगाम, उत्तर कान्नारा जिले	38
तमिलनाडु	नीलगिरि और कृष्णागिरि जिले	3
राजस्थान	बांसवाड़ा, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर जिले	20
झारखंड	रांची और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खारसावन	16
मध्य प्रदेश	सिद्धि, कटनी, जबलपुर और बालाघाट जिले	6
छत्तीसगढ़	कांकरे, महासमुंद और रायपुर जिले	9
केरल	पलक्कड़, मालापुरम और वायनाड जिले	5
पश्चिम बंगाल	बांकुरा जिला	1
उत्तर प्रदेश	सोनभद्र और झांसी जिले	9
महाराष्ट्र	भण्डारा और नागपुर जिले	4
गुजरात	जामनगर जिला	2
बिहार	जमुई जिला	1

भारत और दक्षेस देशों के बीच गैर-प्रशुल्क अवरोध

5065. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और दक्षेस देशों के बीच किस प्रकार के गैर-प्रशुल्क अवरोध विद्यमान हैं;

(ख) ऐसे अवरोधों के कारण लगभग कितनी हानि हो रही है; और

(ग) ऐसे अवरोधों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) साफ्टा की विशेषज्ञ समिति (सीओई) की बैठक के दौरान, सदस्य देशों ने एक सदस्य देश द्वारा दूसरे के विरुद्ध लगाए गए गैर-टैरिफ उपायों (एनटीएम) और अर्द्ध-टैरिफ उपायों (पीटीएम) की जांच करने के लिए गैर-टैरिफ उपायों पर एक उप-समूह का गठन किया था। इस उप-समूह को एनटीएम और पीटीएम जो व्यापार प्रतिबंधात्मक हैं और अन्य सदस्य देशों को बाजार पहुंच प्रदान करने के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं, की जांच करने का कार्य सौंपा गया था। उप समूह द्वारा अभी अपनी सिफारिशें साफ्टा सीओई को प्रस्तुत की जानी हैं।

(ग) भारत ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक अंतर-मंत्रालयी कार्यबल का गठन किया है जो भारत द्वारा अंगीकृत गैर-टैरिफ बाधाओं जिनका अन्य देशों द्वारा आरोप लगाया गया है, के मुद्दे की जांच करेगा। इस कार्यबल ने इन एनटीएम और पीटीएम का वर्गीकरण सीमाशुल्क सहयोग, व्यापार सुविधा और अवसंरचना, स्वच्छता, पादप-स्वच्छता संबंधी मुद्दों और व्यापार में तकनीकी बाधाओं के रूप में किया है। कार्यबल द्वारा विचार-विमर्श पूर्ण होने के पश्चात अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

केवीआईसी द्वारा शहद की खरीद

5066. श्री नन्द कुमार साय:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश के शहद उत्पादकों का शोषण कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग का किसानों से शहद खरीदने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केवीआईसी द्वारा देश के विभिन्न भागों में किसानों से शहद खरीदने हेतु अवसंरचना को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी नहीं, सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा शहद उत्पादकों के शोषण के संबंध में इस प्रकार की कोई शिकायत अथवा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) स्थानीय स्तर पर आधारभूत संरचनाएं सृजित करने के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करके शहद के उत्पादन एवं विपणन में मुख्यतः उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है।

केवीआईसी की नई दिल्ली, पुणे (महाराष्ट्र) तथा त्रिपुनिथुराई (केरल) में स्थित तीन विभागीय शहद व्यापार इकाईयां भी हैं जो कि आस-पास के प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त संस्थानों/मधुपालकों से शहद खरीद रही हैं। यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी)-केवीआईसी संयुक्त परियोजना के तहत भी, देश भर में 12 प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त संस्थानों जो कि स्थानीय मधु पालकों से शहद खरीदते हैं, को आधुनिक उपकरण अर्थात, शहद प्रंसस्करण संयंत्र, बॉटलिंग इकाई, प्रयोगशाला, काम्ब फाउंडेशन, आदि दिये गये हैं।

सीबीएसई द्वारा स्कूलों की रैंकिंग करना

5067. श्री नन्द कुमार साय:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीबीएसई का विचार देश में स्कूलों में गणित और विज्ञान में प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न सम्बद्ध स्कूलों की रैंकिंग करने का है जैसाकि दिनांक 14 अप्रैल, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी रैंकिंग देने के लिए स्कूलों के चयन हेतु कोई कार्यविधि तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी रैंकिंग देने के बाद देश में गणित और विज्ञान के स्तर में कितना सुधार होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि वह अपने संबद्ध स्कूलों में गणित तथा विज्ञान विषयों में चरणबद्ध तरीके से एक मूल्यांकन प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है ताकि स्कूलों और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों के बीच अध्ययन प्रणाली के अंतर की ओर ध्यान दिया जा सके तथा उचित उपाय किये जा सकें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त अभी केवल परिकल्पना के स्तर पर है।

बीएसएफ तथा पाकिस्तानी रेंजरों के बीच बैठक

5068. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीएसएफ तथा पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच हाल ही में जोधपुर में एक द्वि-वार्षिक बैठक आयोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच अभी हाल ही में जोधपुर में ऐसी कोई द्विवार्षिक बैठक आयोजित नहीं की गई थी। तथापि, हाल ही में ऐसी एक द्विवार्षिक बैठक सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेजंर्स के बीच 26 से 29 मार्च, 2008 तक चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी।

इस बैठक में जिन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई वे थे अवांछित घुसपैठियों का प्रत्यावर्तन, व्यक्तियों की रिहाई, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर ओ.पी. टावरों, चौकियों, बंकर और बंद का निर्माण, स्वापकों, जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) शस्त्र एवं गोलाबारूद की तस्करी।

इस संबंध में, उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त इस बैठक में लिये गये निर्णयों को उन पर समुचित आवश्यक कार्रवाई, जहां जरूरी हो, करने के लिए संबंधित राजनयिक सारणी के साथ परामर्श करके संबंधित राज्य सरकारों की जानकारी में भी लाया गया है।

शिक्षा का अधिकार

5069. श्री के.एस. राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा का अधिकार विधेयक 2005 के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त टिप्पणियों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) साक्षरता के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय बोझ का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन/केन्द्रीय सहायता देने, शिक्षा पर व्यय को राज्यों के साथ वहन करने, देश में कौशल गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय व्यावसायिक मिशन की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पांडिचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) ने अगस्त, 2005 में परिचालित शिक्षा के अधिकार संबंधी केन्द्रीय विधान के प्रारूप के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत की थीं। राज्यवार टिप्पणियों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट (http://education.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ख) छह से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा के अधिकार संबंधी विधेयक, 2005 जिसका प्रारूप पहले ही तैयार किया गया है, के कार्यान्वयन के लिए

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये वित्तीय अनुमानों को संशोधित करके वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक सात वर्ष तक की अवधि के लिए 2,28,674 करोड़ रुपये किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों के लिए ग्यारहवीं योजना के लिए 6000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया।

(ग) और (घ) शिक्षा का अधिकार संबंधी विधेयक, 2008 के प्रारूप जो विचाराधीन है, को तैयार करते समय शिक्षा का अधिकार संबंधी विधेयक, 2005 के प्रारम्भिक मसौदे के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया। विधेयक के मौजूदा पाठ में यह प्रावधान किये जाने का प्रस्ताव है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत वित्तीय अनुमानों को केन्द्र तथा राज्यों के बीच ऐसे फार्मूले जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित कर सकती है, के अनुसरण में बांटा जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 7 भारतीय प्रबंध संस्थानों, शामिल न किये राज्यों में 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 14 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर से कम सकल नामांकन अनुपात वाले जिलों में 370 नए डिग्री कालेजों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की केन्द्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

चाय अनुसंधान संघ के लिए विशेष सहायता

5070. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय अनुसंधान संघ (टीआरए) ने केन्द्र सरकार से अनुसंधान कार्यकलापों को उन्नत करने के लिए विशेष सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या टीआरए का राष्ट्रीयकरण करने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने टीआरए के लिए 20 करोड़ रुपये के एक विशेष शताब्दी अनुदान की घोषणा की है। चाय बोर्ड द्वारा टीआरए के परामर्श से इस प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बेड़े के विस्तार हेतु एमपीईडीए की सिफारिशें

5071. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) ने भारतीय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बेड़े का विस्तार करने के लिए कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले कितने पोतों की आवश्यकता है;

(घ) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का विचार ऐसी नौकाओं को खरीदने के लिए धनराशि प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी नौकाएं खरीदे जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) एम्पीडा महासागरीय ट्यूना जैसे गहरे सागर में पाए जाने वाले अल्प दोहित वाणिज्यिक महत्व के संसाधनों के सतत दोहन के लिए मत्स्यन बेड़े के विस्तार हेतु सहायता प्रदान कर रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एम्पीडा ने अपनी वित्तीय सहायता स्कीमों के अंतर्गत ट्यूना मत्स्यन के लिए 900 मौजूदा जलयानों को परिवर्तित करने और ट्यूना मत्स्यन के लिए 44 नए जलयानों का उपयोग शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह परिवर्तन शुरुआत 5 वर्ष के भीतर लक्षित है और इसमें यंत्रीकृत मत्स्यन

जलयानों और गंभीर सागर मत्स्यन जलयानों को शामिल किया जाएगा। (एम्पीडा की सहायता से वर्ष 2007-08 के दौरान 110 जलयानों को ट्यूना लांग लाइनरों में सुसज्जित किया गया था)। संगत सहायता स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

* 20 मी. समग्र लम्बाई (ओएएल) से अधिक आकार वाले जलयानों के लिए सब्सिडी की मात्रा परिवर्तन लागत का 50 प्रतिशत है जो 15 लाख रुपये तक सीमित है।

* 13-20 मी. ओएएल के आकार के जलयानों के मामले में सब्सिडी परिवर्तन लागत का 50 प्रतिशत है, जो अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक सीमित है।

* उपर्युक्त के अलावा 20 मी. ओएलएल से छोटे आकार के जलयानों के मामले में पकड़ी गई मछलियों के परिरक्षण हेतु ताप अवरोधी फिश होल्ड, प्रशीतित फिश होल्ड, आइस जनरेटर, जलयान पर प्रशीतित समुद्री जल प्रणाली के निर्माण हेतु सब्सिडी प्रदान की जाती है। सहायता की मात्रा इन सुविधाओं के निर्माण की लागत का 30 प्रतिशत है जो अधिकतम 5 लाख रुपये तक सीमित है।

* यंत्रीकृत जलयान के निर्माण हेतु 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपये के अध्यधीन है। गंभीर सागर मत्स्यन जलायन हेतु ब्याज 5 प्रतिशत है, जो अधिकतम 15 लाख रुपये तक सीमित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योग

5072. **श्री नवीन जिन्दलः क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के भाग के रूप में इसे सहायक विपणन सुविधाएं प्रदान किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) विद्यमान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) नामक एक अन्य क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में विलय कर ''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)'' नामक एक नई योजना आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्तावित योजना के तहत देश के ग्रामीण तथा साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों के लोगों के लाभान्वित होने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के तहत कमतर मूल्य की परियोजनाओं तथा समाज के सीमांत वर्गों के लाभार्थियों द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी के बढ़े हुए स्तर सहित 25 लाख रु. तक मूल्य की इकाईयों की स्थापना के लिए सब्सिडी/मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राज्य/संघ शासित क्षेत्र खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) तथा राज्य सरकारों के जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में छात्रों का नामांकन

5073. **श्री महावीर भगोरा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकित छात्रों का राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या नामांकन के बारे में लिंग-वार तथा आरक्षित श्रेणी-वार कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नामांकन का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005-2006 के लिए लाए गए चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़ों (सार) में निहित उपलब्ध सूचना के आधार पर उच्चतर शिक्षा में दाखिल 18-24 आयु वर्ग के बीच के बालक और बालिकाओं की अनुमानित प्रतिशतता और उसी आयु वर्ग में (स्त्री पुरुष वार)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) 11वीं योजना के अंत तक 5% के बढ़े सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्यार्थ 11वीं योजना के योजनागत आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है ताकि उच्चतर शिक्षा का विस्तार, बिना केन्द्रीय विश्वविद्यालयों वाले राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों, आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल जैसी संस्थाओं की स्थापना की जा सके। उच्चतर सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विद्यमान संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाना, उच्चतर शिक्षा पर राज्य परिव्यय की बढ़ोत्तरी के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन, राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करके कम सकल नामांकन अनुपात वाले जिलों में नए कालेज गठित करने जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं।

विवरण

उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात-2005-06 (18-24 वर्ष)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1-सभी वर्ग के छात्र			2-अनुसूचित जाति के छात्र			3-अनुसूचित जनजाति के छात्र		
		लड़का	लड़की	कुल	लड़का	लड़की	कुल	लड़का	लड़की	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	17.85	10.79	14.35	15.73	7.34	11.51	13.19	4.70	8.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.54	5.72	7.19	-	-	-	11.15	7.07	9.04
3.	असम	8.95	4.60	6.80	7.21	4.11	5.74	7.91	3.98	5.89
4.	बिहार	9.17	2.22	5.86	8.32	0.93	4.63	7.61	2.67	5.20
5.	छत्तीसगढ़	9.81	7.53	8.69	13.64	10.25	11.99	5.47	2.74	4.07
6.	गोवा	11.35	14.99	13.05	9.95	9.05	9.50	-	-	-
7.	गुजरात	13.33	11.11	12.29	14.37	10.40	12.55	9.39	5.75	7.57
8.	हरियाणा	11.27	11.12	11.21	6.13	4.28	5.33	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	14.92	13.45	14.21	7.67	5.89	6.81	20.03	16.66	18.34
10.	जम्मू-कश्मीर	8.28	7.25	7.80	6.99	6.93	6.97	8.09	7.83	7.97
11.	झारखंड	10.24	6.15	8.27	4.08	1.59	2.87	2.02	1.02	1.51
12.	कर्नाटक	15.76	11.73	13.84	10.98	8.03	9.55	6.58	4.01	5.36
13.	केरल	10.91	12.20	11.57	8.17	12.73	10.54	9.97	13.34	11.78
14.	मध्य प्रदेश	17.42	9.54	13.77	15.10	11.64	13.52	11.35	6.32	8.81
15.	महाराष्ट्र	15.76	11.72	13.93	16.06	13.37	14.81	9.94	6.66	8.31
16.	मणिपुर	14.38	10.93	12.64	16.10	12.83	14.46	12.16	10.67	11.41
17.	मेघालय	14.63	13.30	13.96	26.00	24.80	25.40	10.68	10.94	10.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	मिजोरम	13.83	9.39	11.66	-	-	-	7.40	6.90	7.15
19.	नागालैंड	12.26	6.72	9.63	-	-	-	6.99	3.71	5.43
20.	उड़ीसा	15.06	3.49	9.34	4.60	1.66	3.16	3.16	0.32	1.69
21.	पंजाब	11.99	12.09	12.03	4.63	5.26	4.87	-	-	-
22.	राजस्थान	9.29	5.25	7.41	7.00	2.74	5.06	8.53	2.72	5.70
23.	सिक्किम	14.07	10.92	12.60	32.70	34.20	33.45	2.83	2.26	2.54
24.	तमिलनाडु	19.04	13.68	16.36	9.62	6.98	8.28	5.91	3.10	4.40
25.	त्रिपुरा	7.54	5.48	6.50	7.57	4.91	6.24	4.60	2.23	3.35
26.	उत्तर प्रदेश	10.56	7.77	9.29	10.52	6.50	8.71	99.93	22.12	61.03
27.	उत्तराखण्ड	16.14	15.31	15.74	9.86	7.50	8.73	19.83	14.88	17.36
28.	पश्चिम बंगाल	10.35	5.98	8.21	6.85	3.14	5.02	4.83	2.40	3.55
29.	अंडमान एवं निकोबार	5.84	7.83	6.74	-	-	-	4.45	4.45	4.45
30.	चंडीगढ़	35.87	49.51	41.41	15.95	14.86	15.47	-	-	-
31.	दादर नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00
32.	दमन एवं दीव	3.77	4.44	3.96	-	-	-	4.90	2.70	3.80
33.	दिल्ली	43.90	49.83	46.39	15.82	13.01	14.60	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00
35.	पुद्दुचेरी	26.22	21.78	23.96	25.45	17.70	21.58	-	-	-
	भारत	13.63	9.37	11.61	10.16	6.42	8.39	8.59	4.69	6.61

स्रोत: एसई.एस. का सारांश-2005-06

[अनुवाद]

भारत को व्यवसाय अनुकूल देश के रूप में पेश करना

5074. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के व्यवसाय अनुकूल स्थान के रूप में भारत की छवि सुधारने हेतु निवेशकों से सुझाव/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) कारोबार हेतु अनुकूल जगह के तौर पर अपनी छवि सुधारने की दिशा में भारत निरंतर प्रयत्नशील है। विनियामक तंत्र की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और कारोबार प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत एवं सरल बनाने के लिए कदम उठाये जाते हैं। देश में कारोबार माहौल में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किये गये उपायों में शामिल हैं: औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु उठाये गये कदम, अप्रैल, 2005 से मूल्यवर्धित कर की शुरुआत,

ई-प्रशासन पहले जैसे कि एमसीए-21, निवेश नीति का उदारीकरण, राज्य सरकारों द्वारा एकल खिड़की पद्धति, आयकर और निगम कर की अदायगी के लिए एकल खिड़की, सीमा शुल्क और उत्पाद-शुल्क दस्तावेजों को ऑनलाइन दायर करने हेतु आईसीई-गेट, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम अधिनियम, 2006 इसके अलावा, सरकार भारत में व विदेशों में निवेश संवर्धन क्रियाकलापों का आयोजन करती है। भारत सरकार, विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफआईआईए) के जरिये समय-समय पर विदेशी निवेशकों की निवेश संबंधी समस्याओं को भी हल करती रही है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, निवेश आकर्षण की दृष्टि से अलग-अलग देशों को रैंक देती हैं। यूएनसीटीएडी की "वर्ल्ड इनवेस्टमेंट रिपोर्ट 2007" में तथा एटी कीयर्ने द्वारा एफडीआई कान्फिडेंस इन्डेक्स सर्वे, 2007 में भारत की रैंकिंग एफडीआई हेतु दूसरे सर्वाधिक आकर्षक गंतव्य के रूप में की गई है।

[हिन्दी]

कारागार में कैदियों की मौत

5075. **श्री रामदास आठवले:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज की तारीख तक विभिन्न जेलों में जेलवार, लिंगवार तथा राज्यवार कुल कितने कैदियों की मौत हुई;

(ख) क्या सरकार द्वारा कारागारों में इन मौतों की कोई जांच करवाई गई है/करवाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): (क) कैदियों की मृत्यु के संबंध में सूचना जेलवार नहीं रखी जाती है। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2004-2006 के दौरान देश की विभिन्न जेलों में मारे गए कैदियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	पुरुष कैदी	महिला कैदी	कुल
2004	1144	25	1169
2005	1341	46	1387
2006	1369	55	1424

राज्यवार, लिंगवार और वर्षवार जानकारी का ब्यौरा विवरण 1, 2 और 3 पर देखा जा सकता है।

(ख) और (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 के अंतर्गत "कारागार" राज्य का विषय है और कारागार प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

तथापि सभी राज्य सरकारों को परिचालित मॉडल कारागार नियमावली में विभिन्न उपायों का प्रावधान है जैसेकि कैदियों को सुरक्षित और मानवीय परिस्थितियों में रखना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना आदि। किसी कैदी की मृत्यु की स्थिति में, पोस्ट मार्टम तत्काल करवाया जाना आवश्यक होता है। कैदी की मृत्यु की परिस्थितियों पर एक पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सभी राज्य सरकारों को यह निदेश देते हुए सलाह भी जारी की है कि ऐसी घटनाओं के घटित होने से चौबीस घंटे के अंदर अथवा ऐसी घटनाओं के बारे में इन अधिकारियों की जानकारी के संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोग के महासचिव को रिपोर्ट करने का निदेश दिया जाए। तत्काल रिपोर्ट करने में असफल रहने पर इस अवधारणा को बल मिलेगा कि घटना को दबाने का प्रयास किया गया है।

विवरण I

वर्ष 2004 के दौरान जेलों में विभिन्न कारणों से हुई अन्त:वासियों की मौत की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और लिंगवार घटनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राकृतिक मौत		अप्राकृतिक मौत जैसे आत्महत्या, प्राणदण्ड, अन्त:वासियों द्वारा हत्या		कुल	
		एम	एफ	एम	एफ	एम	एफ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	110	4	6	0	116	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	21	0	1	0	22	0
4.	बिहार	83	2	13	0	96	2
5.	छत्तीसगढ़	27	1	2	0	29	1
6.	गोवा	0	0	1	0	1	0
7.	गुजरात	23	1	4	0	27	1
8.	हिमाचल प्रदेश	5	0	1	0	6	0
9.	हरियाणा	23	2	4	3	27	5
10.	झारखंड	46	0	6	0	52	0
11.	जम्मू-कश्मीर	4	0	2	0	6	0
12.	कर्नाटक	49	0	3	0	52	0
13.	केरल	45	0	3	0	48	0
14.	मध्य प्रदेश	75	0	0	0	75	0
15.	महाराष्ट्र	144	6	3	0	147	6
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	2	0	1	0	3	0
18.	मिजोरम	2	0	0	0	2	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	42	1	1	0	43	1
21.	पंजाब	32	0	21	0	53	0
22.	राजस्थान	45	0	6	0	51	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	95	1	8	0	103	1
25.	त्रिपुरा	2	0	0	0	2	0
26.	उत्तर प्रदेश	68	1	27	0	95	1
27.	उत्तरांचल	5	0	0	0	5	0
28.	पश्चिम बंगाल	38	0	8	0	46	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़	2	1	0	0	2	1
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	27	2	7	0	34	2
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल	1016	22	128	3	1144	25

विवरण II

वर्ष 2005 के दौरान जेलों में विभिन्न कारणों से हुई अन्तःवासियों की मौत की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और लिंगवार घटनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राकृतिक मौत		अप्राकृतिक मौत जैसे आत्महत्या, प्राणदण्ड, अन्तःवासियों द्वारा हत्या		कुल	
		एम	एफ	एम	एफ	एम	एफ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	127	0	2	0	129	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–
3.	असम	21	0	4	1	25	1
4.	बिहार	188	9	1	0	189	9
5.	छत्तीसगढ़	60	1	0	0	60	1
6.	गोवा	1	0	3	0	4	0
7.	गुजरात	25	2	5	0	30	2
8.	हिमाचल प्रदेश	5	0	1	0	6	0
9.	हरियाणा	14	1	0	0	14	1
10.	झारखंड	60	1	2	0	62	1
11.	जम्मू-कश्मीर	3	0	0	0	3	0
12.	कर्नाटक	57	2	2	0	59	2

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	34	0	3	1	37	1
14.	मध्य प्रदेश	96	0	5	0	101	0
15.	महाराष्ट्र	104	7	4	1	108	8
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	1	0	1	0	2	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	2	1	1	0	3	1
20.	उड़ीसा	35	2	1	0	36	2
21.	पंजाब	80	0	5	0	85	0
22.	राजस्थान	44	1	0	0	44	1
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	86	9	7	0	93	9
25.	त्रिपुरा	5	0	0	0	5	0
26.	उत्तर प्रदेश	157	3	11	0	168	3
27.	उत्तरांचल	6	0	1	0	7	0
28.	पश्चिम बंगाल	39	1	1	0	40	1
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	0	0	0	2	0
30.	चंडीगढ़	3	0	0	0	3	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	22	3	1	0	23	3
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	3	0	3	0
	कुल	1277	43	64	3	1341	1387

विवरण III

वर्ष 2006 के दौरान जेलों में विभिन्न कारणों से हुई अन्तःवासियों की मौत की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और लिंगवार घटनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राकृतिक मौत		अप्राकृतिक मौत जैसे आत्महत्या, प्राणदण्ड, अन्तःवासियों द्वारा हत्या		कुल	
		एम	एफ	एम	एफ	एम	एफ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	117	0	3	0	120	0
2.	अरुणाचल प्रदेश						
3.	असम	25	0	1	1	26	1
4.	बिहार	157	7	9	0	166	7
5.	छत्तीसगढ़	42	1	4	0	46	1
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	47	0	0	1	47	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1	0	1	0	2	0
9.	हरियाणा	41	4	1	1	42	5
10.	झारखंड	47	2	3	0	50	2
11.	जम्मू-कश्मीर	3	0	0	0	3	0
12.	कर्नाटक	67	1	2	0	69	1
13.	केरल	34	2	3	0	37	2
14.	मध्य प्रदेश	75	1	0	0	75	1
15.	महाराष्ट्र	100	9	5	1	105	10
16.	मणिपुर	0	0	1	0	1	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	1	0	1	0
19.	नागालैंड	3	0	1	0	3	1
20.	उड़ीसा	45	1	3	0	48	1
21.	पंजाब	67	0	5	0	72	0
22.	राजस्थान	53	1	2	1	55	2
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	97	5	12	0	109	5
25.	त्रिपुरा	5	0	0	0	5	0
26.	उत्तर प्रदेश	175	5	11	0	180	11
27.	उत्तरांचल	7	4	2	0	9	4
28.	पश्चिम बंगाल	63	5	5	0	68	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	3	0	0	0	3	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	19	2	1	0	20	2
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल	1293	50	76	5	1369	55

[अनुवाद]

भाषा के अध्यापक

5076. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत नियुक्त भाषा अध्यापकों की संख्या क्या है;

(ख) संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं के संवर्द्धन और विकास के लिए की गयी पहल का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न भाषाओं के संवर्द्धन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत किये गये आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण क्षेत्र एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गयी निधियों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित होने वाले मदरसों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ग) विभिन्न भाषाओं के प्रोन्नयन हेतु केवल एक ही केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् 'भाषा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता योजना' मौजूद है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी किये गये अनुदान सहित सहायता प्राप्त भाषा शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इसका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों को आवंटित निधियों का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। मदरसा-वार निधियों के उपयोग से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर

पर नहीं रखी जाती है क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत निधियां राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की जाती हैं, जो इसके एवज में अलग-अलग मदरसों को निधियां संवितरित करते हैं और तदुपरांत संबधित राज्य/संघशासित प्रदेश द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये जाते हैं।

विवरण I

(रु. लाखों)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08	
		शिक्षकों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	शिक्षकों की संख्या	जारी किया गया अनुदान	शिक्षकों की संख्या	जारी किया गया अनुदान
1.	नागालैंड	-	-	200-एच	143.00	-	-
2.	मिजोरम	991-एच	484.00	991-एच	1292.38	687-एच	244.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	200-एच	204.00	200-एच	204.00		
4.	कर्नाटक	500-एच	665.60	325-एच	313.21		
5.	आंध्र प्रदेश	500-एच	125.48	500 एच	317.87	1400-यू	175.00
				78-यू	54.34		
6.	मध्य प्रदेश	229-यू	27.48				
7.	उत्तराखण्ड	263-यू	31.56				
8.	हिमाचल प्रदेश					100-पीबी	83.20
						100-यू	
9.	छत्तीसगढ़					426-यू	106.00
	कुल	2191-एच	1538.12	2216-एच	2324.80	1926-यू	608.20
		492-यू		78-यू		687-एच	
						100-पीबी	

कुल योग

शिक्षकों की संख्या: 4977

जारी किया गया अनुदान: 44,71,12,000 रु. (चवालीस करोड़ इकहत्तर लाख तथा बारह हजार रुपये मात्र)

प्रयुक्त संक्षेपण: एच-हिन्दी के लिए

यू-उर्दू के लिए

पीबी-पंजाबी के लिए

विवरण II

भाषाओं के विकास हेतु पूरे देश में निम्नलिखित स्कीमें संचालित की जा रही हैं:

1. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय एक अधीनस्थ कार्यालय है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसरण में हिन्दी को प्रोत्साहित करने और हिन्दी का प्रचार करने और देशभर में हिन्दी को एक सम्पर्क भाषा के रूप में इसको विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। निदेशालय द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोशों के प्रकाशन, पत्राचार पाठ्यक्रमों, हिन्दी लेखकों को पुरस्कार, विस्तार सेवाओं और कार्यक्रमों, कैसेट्स के माध्यम से हिन्दी आदि योजनाओं को लागू करता है।

2. वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (4) के प्रावधानों के तहत गठित समिति की सिफारिश के अनुसार स्थापित एक अधीनस्थ कार्यालय है। आयोग हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों के विकास, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने, पारिभाषिक शब्दावली और विभिन्न संदर्भ साहित्यों के कार्य में लगा हुआ है।

3. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान एक पूर्ण वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है जो हिन्दी के प्रचार और इसके उपयोग के विस्तार एवं गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से इसके अध्यापन के लिए उत्तरदायी है।

4. राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए एक पूर्ण वित्त पोषित स्वायत्त संगठन है।

5. राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद सिंधी भाषा को विकसित करने, प्रोत्साहित करने और इसका प्रचार-प्रसार करने के लिए है।

6. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान भारत सरकार की भाषा नीति का विकास/लागू करने एवं भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा तकनीकी और समाज में भाषा के प्रयोग जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित करके भारतीय भाषाओं के विकास को समन्वित करने के लिए एक अधीनस्थ कार्यालय है।

7. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान एक सम विश्वविद्यालय (10 परिसरों सहित) है जिसका उद्देश्य संस्कृत भाषा में परम्परागत अध्ययन एवं अनुसंधान को संरक्षित करना, प्रचार करना एवं आधुनिकीकरण करना है।

8. महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना वेद पाठशालाओं की स्थापना एवं सहायता के माध्यम से वैदिक अध्ययन के विकास, संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए की गई है।

9. "भाषा अध्यापकों की नियुक्ति" की योजना तीन विशिष्ट घटकों के लिए राज्य सरकारों को 100% अनुदान प्रदान करती है:

   (क) गैर हिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों को वेतन

   (ख) राज्य सरकार के उन स्कूलों के उर्दू अध्यापकों को वेतन जो शैक्षणिक रूप से अत्यधिक पिछड़े अल्पसंख्यक/जनसंख्या बहुल ब्लॉक/जिलों में स्थित हैं।

   (ग) आधुनिक भारतीय भाषा घटक के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा के लिए (मातृभाषा/राजभाषा/राज्य की प्रथम भाषा के अलावा) जो तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, किसी भी अध्यापक का वेतन वहन किया जाता है।

   यह एक मांग आधारित योजना है और राज्य सरकार द्वारा अनुमानित जरूरतों के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं।

10. शास्त्रीय तमिल भाषा का विकास: इस स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

(क) शास्त्रीय तमिल भाषा के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों को सम्मान प्रमाणपत्र

(ख) तमिल भाषा संवर्धन बोर्ड

(ग) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में शास्त्रीय तमिल भाषा के विकास के लिए उत्कृष्टता का केन्द्र।

(घ) शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल भाषा के अध्ययन के लिए शिक्षावृत्तियां।

विवरण III

राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	2005-2006		2006-2007		2007-2008	
	राशि	मदरसों की की संख्या	राशि	मदरसों की की संख्या	राशि	मदरसों की की संख्या
आंध्र प्रदेश	35.20	60	48.60	135	48.60	81
बिहार	79.92	111	-	-	79.92	111
जम्मू-कश्मीर	-	-	12.60	20	-	-
उड़ीसा	168.96	116	189.84	145	104.40	145
मध्य प्रदेश	384.00	446	287.69	457	75.11	889
महाराष्ट्र	3.16	4	-	-	-	-
केरल	59.04	84	338.91	429	-	-
त्रिपुरा	45.72	127	45.72	127	45.72	127
उत्तर प्रदेश	235.25	683	2481.96	3380	3010.54	4170
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़	-	-	242.92	208	-	-
चंडीगढ़	-	-	0.72	1	-	-
कर्नाटक	-	-	77.41	72	-	-
उत्तराखण्ड	-	-	109.03	143	-	-
कुल	1011.25	1631	3835.40	5118	3364.29	5523

फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया

5077. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया (एफ.एफ.एस.आई.) का विचार 2008-2009 में स्वर्ण जयन्ती समारोह मनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए एफएफएसआई को विशेष अनुदान देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां। एफएफएसआई ने सूचित किया है कि उन्होंने दिसम्बर, 2008 में एफएफएसआई के 50वें वर्ष को मनाने के लिए एक योजना तैयार की है।

(ख) से (घ) एफएफएसआई से विशेष अनुदान जारी करने संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

डी.एड. पाठ्यक्रम

5078. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में कितने तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों ने दक्षिण प्रादेशिक समिति, एनसीटीई को आवेदन दिये थे और पिछले वर्ष डी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अलग-अलग कितने आवेदनों को अनुमोदित किया गया;

(ख) पिछले वर्ष सामान्यत: दक्षिणी राज्यों और विशेषकर आंध्र प्रदेश में कितने अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई; और

(ग) उक्त अवधि में डी.एड. पाठ्यक्रम चलाने के लिए सरकार ने कितने तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता दी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) 1.4.2007 से 31.3.2008 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की दक्षिण क्षेत्रीय समिति को डी.एड. पाठ्यक्रम के लिए आंध्र प्रदेश राज्य से 72 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 8 संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई।

(ख) अध्यापक शिक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाती है। 1.4.2007 से 31.3.2008 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की दक्षिण क्षेत्रीय समिति द्वारा दक्षिणी राज्यों को प्रदान की गई मान्यता का विवरण नीचे दिया गया है:

आंध्र प्रदेश	326
कर्नाटक	379
केरल	47
तमिलनाडु	434
पांडिचेरी	10

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने वाले डी.एड. पाठ्यक्रमों की कुल संख्या 1063 है।

[हिन्दी]

पुलिस अधिकारियों द्वारा मीडिया ब्रीफिंग

5079. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस अधिकारियों को कतिपय अपराधों पर मीडिया ब्रीफिंग करने के निदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विधिक प्रणाली पर पुलिस अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की ब्रीफिंग और साक्षात्कार के क्या प्रभाव पड़े हैं; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य का विषय है और अत: राज्य सरकारें, न्यायसंगत लोक हित पर विचार करते हुए, अपनी इच्छानुसार जानकारी तक मीडिया की पहुंच बनाने वाली प्रणाली का मानकीकरण करने के लिए मुख्यत: उत्तरदायी हैं।

[अनुवाद]

विमानन क्षेत्र में पीआईओ द्वारा निवेश

5080. श्री रनेन बर्मन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को घरेलू विमानन क्षेत्र में भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा 100 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने संबंधी नीतिगत निर्णय का कार्यान्वयन न होने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो एफईएमए के अंतर्गत विमानन क्षेत्र में पीआईओ द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर सरकार के रुख को स्पष्ट करने के लिए संबधित मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को निदेश जारी करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) मौजूदा नीति के अनुसार, अनुसूचित वायु परिवहन सेवा/घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइनों में 49 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। इस क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा 100 प्रतिशत तक विनेश की अनुमति है। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम में एनआरआई और भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) दोनों का ''भारत के बाहर रह रहे व्यक्तियों'' के रूप में उल्लेख है। सामान्यत: एफडीआई नीति में

एनआरआई तथा पीआईओ द्वारा किये गये निवेश को एक जैसा ही विधान प्रदान किया गया है। तथापि, नागर विमानन क्षेत्र में, नीति न केवल एनआरआई को विशेष विधान की अनुमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त वायुयान नियमावली, 1937 में यह शर्त है कि एक अनुसूचित या गैर अनुसूचित एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर परमिट केवल किसी भारतीय नागरिक या कंपनी/निकाय कॉरपोरेट को ही प्रदान किया जा सकता है बशर्ते, अन्य बातों के साथ, इसका अधिकांश स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण किसी भारतीय नागरिक के पास हो।

जम्मू और कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में विदेशियों की संलिप्तता

5081. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री काशीराम राणा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में विदेशी व्यक्तियों के शामिल होने के साक्ष्य मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जम्मू और कश्मीर में विदेशी व्यक्तियों सहित सक्रिय आतंकवादियों की संख्या क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां।

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य पिछले दो दशकों से सीमा पार से आतंकवाद का सामना कर रहा है। इस संबंध में पकड़े गए उग्रवादियों ने अपने साथी उग्रवादियों को विदेशी राष्ट्रिकता के बारे में खुलासा किया है। इसके अलावा पहचान पत्रों के रखने, जूतों के चिह्नों, कपड़ों, सिगरेट तथा मारे गए उग्रवादियों से बरामद अन्य चीजों से उग्रवादियों की विदेशी राष्ट्रीयता की संपुष्टि होती है।

(ग) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि विदेशी आतंकवादियों सहित अनुमानतः 1200 आतंकवादी हैं जो जम्मू और कश्मीर राज्य में सक्रिय हैं।

(घ) केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद/घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें शामिल हैं; सीमा/नियंत्रण रेखा पर सीमा प्रबंधन तथा बहु आयामी तथा बहु-मॉडल स्थापना का सुदृढ़ीकरण करना, सीमा बाड़ का निर्माण, उन्नत हथियार, निगरानी तथा संचार उपकरणों के जरिये राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय बलों का निरंतर उन्नयन करना, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, राज्य में आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच आसूचना का आदान-प्रदान तथा परिचालनात्मक सहयोग। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत गठित एकीकृत मुख्यालय के जरिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के स्तर पर स्थित की निकट और आवधिक समीक्षा की जाती है।

कालेजों को मान्यता प्रदान करना

5082. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या क्या है जिन्होंने मान्यता और वित्तीय सहायता हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवेदन दिया है;

(ख) 1 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार उपरोक्त में से कितने मामले एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन्हें कब तक अनुमोदित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार वर्ष 2007 में 417 कालेज ने मान्यता एवं वित्तीय सहायता हेतु आयोग को आवेदन किया था। इस प्रकार के कालेजों की राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता व वित्तीय सहायता के इच्छुक कालेजों से प्राप्त 417 आवेदन पत्रों में से 165 आवेदन पत्र आयोग आवेदित कालेजों से सूचना/दस्तावेज के लिए आयोग के समक्ष लंबित पड़े हैं। चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति पर निर्भर है, अतः कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत वर्ष 2007 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	यू.जी.सी. में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	यू.जी.सी. में लंबित प्रस्तावों की संख्या	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च)/2(च) व 12(बी) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अनुमोदित किये गए प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	18	04	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	18	11	07
4.	बिहार	18	08	10
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–
6.	गोवा	–	–	–
7.	गुजरात	12	7	5
8.	हरियाणा	1	–	1
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
10.	जम्मू-कश्मीर	13	10	3
11.	झारखण्ड	7	1	6
12.	कर्नाटक	19	16	3
13.	केरल	3	2	1
14.	मध्य प्रदेश	13	10	3
15.	महाराष्ट्र	68	38	30
16.	मणिपुर	1	–	1
17.	मेघालय	1	–	1
18.	मिजोरम	4	1	3
19.	नागालैंड	–	–	–
20.	उड़ीसा	26	6	20
21.	पंजाब	1	–	1

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	10	5	5
23.	सिक्किम	–	–	–
24.	तमिलनाडु	15	10	5
25.	त्रिपुरा	–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	161	33	128
27.	उत्तरांचल	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	7	2	5
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
30.	चंडीगढ़	–	–	–
31.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–
32.	दमन दीव	–	–	–
33.	दिल्ली	1	1	–
34.	लक्षद्वीप	–	–	–
35.	पांडिचेरी	–	–	–
	कुल	417	165	252

आईपीएस अधिकारियों की सेवा समाप्ति

5083. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान निलंबित और सेवा से हटाए गए आईपीएस अधिकारियों की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ख) इस प्रकार के कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना सहित उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत पांच वर्षों के दौरान 47 आईपीएस अधिकारियों को निलम्बनाधीन रखा गया है। इनमें से एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया गया है और एक को दोषी करार दिया गया है।

[हिन्दी]

विश्व जड़ी-बूटी व्यापार में भारत का हिस्सा

5084. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई जड़ी-बूटियों की खेती होने और उपलब्धता के बावजूद भी विश्व जड़ी-बूटी व्यापार में भारत का हिस्सा बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जड़ी-बूटियों के विश्व व्यापार में भारत का वर्षवार हिस्सा कितना रहा है;

(ग) विश्व व्यापार में कम हिस्से के लिए सरकार ने किन कारणों की पहचान की है; और

(घ) जड़ी-बूटियों में भारत के हिस्से को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जड़ी-बूटियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	मात्रा	मूल्य
2005-06	49157.87 मी. टन	315.70 करोड़ रुपए
2006-07	44577.98 मी. टन	364.52 करोड़ रुपए
2007-08	50056.89 मी. टन	430.08 करोड़ रुपये

(ग) विश्व व्यापार में भारत के कम हिस्से के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। उनमें से कुछेक हैं: विकसित बाजारों में औषधियों की परम्परागत पद्धतियों का विरोध, जड़ी-बूटियों की खेती और उनसे औषधियों के विनिर्माण से संबंधित मानकों एवं उत्तम प्रबंधन प्रथाओं का अभाव, परम्परागत गैर-वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों में अविनियमित वन क्षेत्र से जड़ी-बूटियों को प्राप्त करना, कुछेक जड़ी बूटीय उत्पादों में भारी धातुओं और कुछ विषैले तत्वों की उपस्थिति आदि।

(घ) जड़ी बूटीय औषधियों की वृद्धि/उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) दिनांक 1.1.2006 से निर्यातों हेतु सभी विशुद्ध हर्बल ए एस यू औषधियों में धातुओं का अनिवार्य परीक्षण।

(2) राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करके और निजी औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करके देश में एएसयू दवाओं हेतु परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है।

(3) सभी एएसयू औषध विनिर्माताओं से नियम 161(1) और (2) के प्रावधान का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए राज्य औषध लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है जो दवा विनिर्माण में प्रयुक्त सभी घटकों और उसमें शामिल प्रत्येक घटक की मात्रा की सही सूची को कंटेनर के लेबल या पर्ची जिसे एएसयू दवाओं के पैकेज में डाला जाएगा, पर प्रदर्शित करने से संबंधित है। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों के निर्यात के लिए लेबल संबंधी प्रावधान में छूट प्रदान की गई है।

(4) आठ सर्वाधिक प्रयुक्त भस्मों की भौतिक रासायनिक विशेषताओं और उनकी विषाक्ता संबंधी अध्ययन करने के लिए स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए एक अनुसंधान परियोजना संस्वीकृत की गई है। देश में सभी आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध विनिर्माणन इकाइयों के लिए उत्तम विनिर्माणन प्रथाएं अनिवार्य कर दी गई हैं।

(5) अपनी निर्यात संवर्धन परिषद, फार्मेक्सिल के माध्यम से उद्योग को शिक्षित करने के लिए भारत सरकार ने जागरूकता कार्यक्रम शुरू किये हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करके देश में एएसयू औषधियों के लिए परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय भाषा केन्द्र

5085. श्री विजय कृष्ण: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मान्यताप्राप्त भाषाओं के विकास के लिए स्थापित क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों (आरसीएल) की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार और अधिक क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य और स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, जो इस मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है, ने देश में भाषाओं के विकास हेतु सात क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों की स्थापना की है। ये क्षेत्रीय भाषा केन्द्र मैसूर (कर्नाटक), भुवनेश्वर (उड़ीसा), पटियाला (पंजाब), पुणे (महाराष्ट्र), सोलन (हिमाचल प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) तथा गुवाहाटी (असम) में स्थित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रबंधन पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को शामिल करना

5086. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को प्रबंधन कोर्स के पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन को एक विषय के रूप में शामिल करने के निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो यह विषय पाठ्यक्रम में कब तक शामिल होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, आपदा प्रबंध को, प्रबंधन तथा लोक प्रशासन में ज्ञान के स्रोत के रूप में, विषय के रूप में आरंभ किये जाने की प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को सभी विश्वविद्यालयों को उपयुक्त पाठ्यक्रमों में अनुपालन हेतु परिचालित कर दिया है।

[अनुवाद]

समुद्रतट पर चारदीवारी बनाने की स्कीम

5087. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने मौजूदा अनन्य आर्थिक जोन से आगे फैले हुए अतिरिक्त समुद्र तट क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी का दावा करने के लिए समुद्र तट की चारदीवारी बनाने की कोई स्कीम बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्कीम के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। सरकार की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अनन्य आर्थिक क्षेत्र के आगे महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं का सीमांकन करने की योजना है। बैथीमीट्री के माध्यम से और भूकंपीय परावर्तन एवं अपवर्तन के द्वारा भू-भौतिकीय डेटा एकत्र करके महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं को निर्धारित करना होगा। इस योजना में जल की गहराई, ढलान क्षेत्र और तलछटी चट्टान की मोटाई का पता लगा कर भू-भौतिकीय डेटा को प्राप्त करने, प्रोसेस करने तथा उसकी व्याख्या करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का प्रस्ताव तैयार करना शामिल है। भू-भौतिकीय डेटा को प्राप्त करने, प्रोसेस करने और उसकी व्याख्या करने संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है तथा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है।

(ग) महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं संबंधी भारत का दावा संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि मई, 2009 है।

क्रिकेट मैच से राजस्व

5088. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में अन्य राष्ट्रों के साथ हुए भारत के क्रिकेट मैच को प्रसारण करके आकाशवाणी और दूरदर्शन ने मैच-वार कुल कितना राजस्व कमाया है;

(ख) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी ने किसी अन्य संगठन को कोई शेयर राशि दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों के राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) प्रसार भारती (दूरदर्शन) ने सूचित किया है कि खेल-कूद प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य हिस्सेदारी) अधिनियम, 2007 की शर्तों के अनुसार अधिकार धारक को प्रसार भारती के साथ सिगनलों के सीधे प्रसारण की हिस्सेदारी करनी होती है और अर्जित राजस्व की अधिकार धारक और प्रसार भारती के बीच क्रमशः 75% और 25% के अनुपात में हिस्सेदारी की जानी होती है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	आयोजन एवं तारीख	अधिकार धारक का हिस्सा 75%	प्रसार भारती का हिस्सा (25%)/ अर्जित राजस्व
1.	भारत-बंगलादेश क्रिकेट श्रृंखला 10 मई से 29 मई, 2007	निम्बस 4,59,00,000 रुपये	1,53,00,000 रुपये
2.	भारत-आयरलैंड क्रिकेट श्रृंखला 23 जून से 3 जुलाई, 2007	निम्बस 7,65,00,000 रुपये	2,55,00,000 रुपये
3.	भारत-इंगलैंड क्रिकेट श्रृंखला 19 जुलाई से 8 सितम्बर, 2007	ई.एस.पी.एन. 10,35,00,000 रुपये	3,45,00,000 रुपये
4.	भारत-आस्ट्रेलिया क्रिकेट श्रृंखला 29 सितम्बर से 17 अक्तूबर, 2007	निम्बस 26,47,50,000 रुपये	8,82,50,000 रुपये
5.	भारत-आस्ट्रेलिया ट्वेंटी-ट्वेंटी क्रिकेट मैच 20 अक्तूबर, 2007	निम्बस 2,32,50,000 रुपये	77,50,000 रुपये
6.	भारत पाकिस्तान क्रिकेट श्रृंखला 5 नवम्बर से 12 दिसम्बर, 2007	निम्बस 60,93,75,000	20,31,25,000 रुपये
7.	भारत-आस्ट्रेलिया क्रिकेट श्रृंखला 26 दिसम्बर, 2007 से 7 मार्च, 2008	ई.एस.पी.एन. 24,00,00,000 रुपये	8,00,00,000 रुपये

आकाशवाणी ने समस्त पैकेज के रूप में दिनांक 26.12.2007 से 7.3.2008 तक आयोजित क्रिकेट मैचों नामतः भारत बनाम आस्ट्रेलिया क्रिकेट श्रृंखला, 2007 और राष्ट्रमंडल बैंक श्रृंखला (भारत-आस्ट्रेलिया-श्रीलंका) से 3,88,53,012 रुपये का राजस्व अर्जित किया है। आकाशवाणी ने अर्जित राजस्व में से कोई भी आंशिक राशि किसी भी संगठन को नहीं दी है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी ने वाणिज्यिक राजस्व में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें से निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं:

* अधिक संख्या में विज्ञापनों/वाणिज्यिक कार्यक्रमों को आकर्षित करने के उद्देश्य से अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए नियत बिन्दु चार्ट में परिवर्तन करना;
* फोन और क्षेत्रीय रिकार्डिंग के माध्यम से श्रोताओं की प्रत्यक्ष सहभागिता में वृद्धि करने के लिए विचार-विमर्श कार्यक्रमों का प्रसारण करना;
* हाल ही में आकाशवाणी के सभी केन्द्रों ने अपने विनिर्दिष्ट लक्षित श्रोताओं नामतः महिलाओं एवं बच्चों, युवकों, ग्रामीण समुदाय, संगीत प्रेमियों, औद्योगिक श्रमिकों तथा किसानों के लिए समर्पित टाइम स्लॉट में वृद्धि की है;
* आकाशवाणी की ओर अधिक संख्या में विज्ञापनदाताओं/ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आकाशवाणी ने दिनांक 1.4.2008 से अपनी नई दर सूची जारी की है जिसमें राज्य प्रसारण और राष्ट्रीय प्रसारण के लिए पहली बार विभिन्न पैकेज दरें तैयार की हैं।

दूरदर्शन ने राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* कार्यक्रम/आयोजन के आंतरिक विपणन में वृद्धि।
* देश के विभिन्न अंचलों/राज्यों में अतिरिक्त विपणन इकाइयों की स्थापना।
* स्व-वित्त पोषित कमीशनिंग स्कीम की शुरुआत जिसमें प्रमुख समय के धारावाहिकों का विपणन दूरदर्शन द्वारा स्वयं किया जाता है; और
* फीचर फिल्मों और प्रमुख समय के अन्य कार्यक्रमों का आंतरिक विपणन

अग्निशमन व्यवस्था

5089. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के वाल्ड सिटी एरिया में अग्निशमन की समुचित व्यवस्था नहीं है और आग लगने की स्थिति में आग बुझाने वाली गाड़ियों को ऐसे क्षेत्रों में पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;

(ख) इस संबंध में सदर बाजार, चांदनी चौक और चावड़ी बाजार आदि जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं;

(ग) दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा इस संबंध में विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को लागू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे भवनों का ब्यौरा क्या है जो अग्निशमन संबंधी मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं और दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा ऐसे भवनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) वाल्ड सिटी एरिया की अधिकांश रिहायशी और वाणिज्यिक इमारतें, कम ऊंचाई वाली हैं और ये अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के क्षेत्राधिकार में नहीं आती हैं। इन क्षेत्रों में आग लगने वाले घटना स्थल पर आग बुझाने वाले लोगों के सामने आने वाली दिक्कतों में अन्य बातों के साथ-साथ धीमी गति से चलने वाला यातायात भी शामिल है।

(ख) इसके लिए किये गये उपायों में पाईवालां में दमकल केन्द्र को चालू करना, सदर बाजार क्षेत्र को वाटर रिंग मेन प्रदान किया जाना और अग्नि शमन संसाधन उदाहरणार्थ आस-पास के क्षेत्रों अर्थात् रानी झांसी रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग और तेलीवाड़ा के अंतर्गत दमकल केन्द्रों में फायर टेंडर और उपकरणों में वृद्धि करना शामिल है।

(ग) दिनांक 16.4.1990 को गांधी मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली में लगी बड़ी आग से संबंधित जांच समिति की रिपोर्ट में निहित अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं;

(घ) दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के क्षेत्राधिकार में आने वाली और अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने वाली वाल्ड सिटी एरिया की 48 ऊंची इमारतों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार इन परिसरों में बिजली और पानी की आपूर्ति समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

विवरण

वाल्ड सिटी एरिया में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत पहचान की गई ऊंची इमारतें (15 मीटर और इससे अधिक)

1. 237 फतेहपुरी चांदनी चौक, दिल्ली।
2. 484, कटरा अशीरफी, चांदनी चौक, दिल्ली।
3. 600, कटरा अशीरफी, चांदनी चौक, दिल्ली।
4. 1326, चांदनी चौक, दिल्ली।
5. 4560, डिप्टी गंज, सदर बाजार, दिल्ली।
6. 2904-05, राय मंडी, सदर बाजार, दिल्ली।
7. 5093, राय मंडी, सदर बाजार, दिल्ली।
8. 4899, पारस नाथ रोड, सदर बाजार, दिल्ली।
9. 4888-92, पारस नाथ मार्ग, सदर बाजार, दिल्ली।
10. 4946, कुनैर हाउस बारा टूटी, सदर बाजार, दिल्ली।
11. 4855, बारा टूटी चौक, सदर बाजार, दिल्ली।
12. 1130, बरतन मार्किट, सदर बाजार, दिल्ली।
13. 1274, सदर नाटा रोड, सदर बाजार, दिल्ली।
14. 1276, सदर नाटा रोड, सदर बाजार, दिल्ली।
15. 1074, सदर नाटा रोड, सदर बाजार, दिल्ली।
16. 1058, पान मंडी, सदर बाजार, दिल्ली।
17. 1059, पान मंडी, सदर बाजार, दिल्ली।
18. 5808, मेन बाजार, सदर बाजार, दिल्ली।
19. 1098, मालीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली।
20. 1096-97, मालीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली।
21. 11, तिराहा बाजार, मालीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली।
22. 12, मालीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली।
23. 13, मालीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली।
24. 2074, मालीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली।

25. 2075, मालीवाड़ा, चांदनी चौक, दिल्ली।

26. 4141, नया बाजार, दिल्ली।

27. 4140, नया बाजार, दिल्ली।

28. 4138-39, नया बाजार, दिल्ली।

29. 4137, नया बाजार, दिल्ली।

30. 4130, नया बाजार, दिल्ली।

31. 4128, नया बाजार, दिल्ली।

32. 4122, नया बाजार, दिल्ली।

33. 4119, नया बाजार, दिल्ली।

34. 4117, नया बाजार, दिल्ली।

35. 4116, नया बाजार, दिल्ली।

36. 4105, नया बाजार, दिल्ली।

37. 4099, नया बाजार, दिल्ली।

38. 3973-74, नया बाजार, दिल्ली।

39. 4064, नया बाजार, दिल्ली।

40. 3957-58, नया बाजार, दिल्ली।

41. 2405, गली पहिया वाली, तेलीवाड़ा, सदर बाजार।

42. 2354-57, तेलीवाड़ा, सदर बाजार, दिल्ली।

43. श्री राम पैलेस, 2481-83, तेलीवाड़ा, सदर बाजार।

44. 2486-89, 2503-04-06, तेलीवाड़ा, सदर बाजार।

45. 2492-93, तेलीवाड़ा, सदर बाजार।

46. जैन इस्टेट, 2851-57, प्रताप मार्किट, सदर बाजार।

47. मल्होत्रा बिल्डिंग, 2858, प्रताप मार्किट, सदर बाजार।

48. अबीदुल इस्लाम, 5403, प्रताप मार्किट, सदर बाजार।

[हिन्दी]

सीमाओं पर महिलाओं की बटालियन की तैनाती

5090. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास नेपाल और भूटान सीमाओं पर अर्द्ध सैनिक बलों (पीएमएफ) की महिला बटालियन की तैनाती का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी महिला कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी महिला बटालियनों की तैनाती से किस सीमा तक अवैध गतिविधियों को रोके जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) नेपाल और भूटान की सीमाओं पर तैनाती के लिए एसएसबी के नियमों के अनुरूप प्रशिक्षित करने हेतु 07 महिला कंपनियां गठित करने की प्रक्रिया में है। इससे महिलाओं की संदिग्ध संलिप्तता वाली अवैध गतिविधियों को रोके जाने की प्रत्याशा है।

[अनुवाद]

परिवहन राजसहायता योजना

5091. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई परिवहन राजसहायता योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी राजसहायता जारी की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने देश के दूरस्थ, पहाड़ी तथा अगम्य क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 23 जुलाई, 1971 को परिवहन राजसहायता योजना शुरू की थी। उक्त योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों सहित (सिक्किम सहित) चौदह राज्यों/संघ

शासित प्रदेशों में लागू है। यह योजना विनिर्माण कार्यकलापों (बागवानी, रिफाइनरीज तथा विद्युत उत्पादन सेटों को छोड़कर) में लगे सभी औद्योगिक एककों के लिए लागू है और पांच वर्ष की अधिकृत अवधि के लिए स्वीकार्य है। उक्त योजना के अंतर्गत औद्योगिक इकाई के स्थापना स्थल से विनिर्दिष्ट रेल शीर्ष तक कच्चा माल तथा तैयार सामग्री लाने ले जाने पर लगने वाली परिवहन लागत की 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक राजसहायता प्रदान की जाती है।

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 610 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत केवल एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है और योजना आयोग द्वारा इस योजना का मूल्यांकन लंबित है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस योजना के अंतर्गत 619.29 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। इस राशि में से 595.63 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जारी की गई थी। इस योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

नालको का कार्यनिष्पादन

5092. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी (नालको) द्वारा अर्जिन लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नालको नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा नालको के निष्पादन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (दिसम्बर, 07 तक)*
करोड़ रुपये में	1235	1562	2381	1215.83

*अनंतिम आंकड़े

(ख) और (ग) शीर्ष समिति ने 14.2.2007 को हुई अपनी बैठक में इस पूर्व-शर्त के अधीन नालको को नवरत्न दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है कि कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति की जाए। इस मंत्रालय के दिनांक 27.9.2007 और 24.4.2008 के आदेशों के तहत् नालको के बोर्ड में आठ गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की गई है। इस मामले में अगली आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस मामले को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को भेजा गया है।

(घ) यह मंत्रालय, कंपनी के निष्पादन की गहन मॉनीटरिंग करता है तथा कंपनी की वृद्धि को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए इष्टतम निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु तिमाही आधार पर नियमित रूप से समीक्षा करता है।

मूंगफली उद्योग को विशेष सहायता

5093. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर गुजरात में मूंगफली उद्योग के विकास के लिए विशेष सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ सरकारी सहायता के अलावा इस उद्योग का अपना स्वयं का अंशदान देना भी अपेक्षित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मलिन बस्तियों में आग की घटनाएं

5094. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्थित झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों में आग की घटनाएं आम हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक पृथक रूप से झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों में आग लगने की कितनी घटनाएं हुई तथा इनमें जान-माल की कितनी हानि हुई;

(ग) आग लगने की घटनाओं का मुख्य कारण क्या है;

(घ) आगजनी से पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ तथा पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा आग लगने की प्रत्येक घटना की जांच करवायी गई है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों में आग लगने की घटनाएं आम बात नहीं हैं। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों में आग लगने की घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	आग की घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	झुग्गियों को क्षति (अनुमानतः)
2006	7	5	1885
2007	15	19	2091
2008 (15.4.2008 तक)	8	5	461

(ग) आग लगने के मुख्य कारणों में शामिल है गैस सिलिण्डर फटना, बिजली के तार में शार्ट सर्किट, ड्राप लाइट और लापरवाही।

(घ) आग लगने की घटना में वयस्क की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये प्रति व्यक्ति और अल्पवयस्क की मृत्यु पर 50,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। आग लगने पर झुग्गी जलकर नष्ट हो जाने की स्थिति में प्रत्येक झुग्गीवासी को 2000 की अनुग्रह राहत दी जाती है।

(ङ) आग लगने की बड़ी घटनाओं की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा की जाती है।

(च) और (छ) दिल्ली अग्निशमन सेवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में शामिल हैं: व्याख्यान/प्रदर्शन द्वारा जन जागरुकता कार्यक्रम चलाना, अग्नि सुरक्षा के पर्चे बांटना, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिये जागरुकता सृजन करना।

[अनुवाद]

भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम

5095. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, आज तक कोई अपतटीय भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जीएसआई ने उक्त प्रयोजनार्थ छोटी यांत्रिक नौकाओं को किराये पर लिया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक इस प्रकार की कितनी नौकाओं को पट्टे पर लिया है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार की प्रत्येक नौका द्वारा आरंभ किये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकार की नौकाओं के किराये पर कितना व्यय हुआ और उक्त अवधि के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रायोजित कार्यों से जीएसआई को कितनी आय हुई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) जी, हां। अपतटीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम आरंभ करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पास गहरे समुद्र में चलने वाला आर.वी. समुद्र मंथन नामक एक अनुसंधान पोत तथा आर वी समुद्र कौस्तभ और आरवी समुद्र शौधीकामा नामक दो तटीय पोत हैं। इन तीन पोतों द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। फील्ड सीजन (एफएस) 2004-05 के दौरान छः यांत्रिक नौकाएं, फील्ड सीजन 2005-06 के दौरान पांच यांत्रिक नौकाएं तथा फील्ड सीजन 2006-07 के दौरान तीन यांत्रिक नौकाएं किराये पर ली गई थीं। किराये पर ली गई नौकाओं द्वारा किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नवत है:

फील्ड सीजन 2004-05	फील्ड सीजन 2005-06	फील्ड सीजन 2006-07
• धनुषकोडी, तमिलनाडु (टी.एन.) अपतट पर तलछट गतिकी, तटीय प्रक्रियाओं तथा तट रेखा परिवर्तनों का अध्ययन। • कछुबेरिया और सिल्वर ट्री प्वाइंट के बीच स्थित क्षेत्र का क्लोज स्पेस्ड बाथीमीट्रिक सर्वेक्षण और भू-पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा बाहेरिल और जियोनखली, पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबी) में भू-पुरातत्वीय अध्ययन। • अंडमान समुद्र की भीतरी शेल्फ में निर्माण बाल हेतु समुद्रतल सर्वेक्षण। • कराइकल और नागापट्टीनम (टीएन) अपतट पर तट के निकट/तटीय अध्ययन। • गोदावरी डेल्टा, आंध्र प्रदेश के अपतट पर तटीय प्रक्रियाओं और तटरेखा परिवर्तनों की मानीटरिंग के कार्यक्रम का एक भाग। • जयगढ़, महाराष्ट्र के अपतट पर भूतकनीकी सर्वेक्षणों के कार्यक्रम का एक भाग।	• कछुबेरिया और सिल्वर ट्री प्वाइंट के बीच स्थित क्षेत्र का क्लोज स्पेस्ड बाथीमीट्रिक सर्वेक्षण और भू-पर्यावरणीय मूल्यांकन तथा बाहेरिल और जियोनखली में भू-पुरातत्वीय अध्ययन। • सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में संकरी खाड़ियों का अध्ययन। • कोप और हंगरकट्टा, कर्नाटक अपतट पर अरब सागर में द्वीपों/द्वीपिकाओं का मानचित्रण और तट के निकट स्थित क्षेत्रों का अध्ययन। • गोदावरी डेल्टा, आंध्र प्रदेश के अपतट पर तटीय प्रक्रियाओं और तटरेखा परिवर्तनों की मानीटरिंग के कार्यक्रम का एक भाग। • हंगरकट्टा, कर्नाटक के अपतट पर भूतकनीकी अन्वेषण के कार्यक्रम का एक भाग।	• सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में संकरी खाड़ियों का अध्ययन। • हातालिया-दोआनिया नदी (मुरी गंगा और सप्तमुखी नदी के बीच) का बाथीमीट्रिक सर्वेक्षण और पर्यावरणीय अध्ययन। • गोदावरी डेल्टा, आंध्र प्रदेश के अपतट पर तटीय प्रक्रियाओं और तटरेखा परिवर्तनों की मानीटरिंग के कार्यक्रम का एक भाग।

(च) ईंधन और कर्मीदल प्रभारों सहित यांत्रिक नौकाओं को किराये पर लेने पर हुए व्यय तथा प्रायोजित कार्य से जीएसआई द्वारा अर्जित कुल आय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	फील्ड सीजन 2004-05	फील्ड सीजन 2005-06	फील्ड सीजन 2006-07
कुल व्यय	1,46,233 रुपए	1,13,600 रुपए	1,14,000 रुपए
कुल अर्जित आय	3,90,52,750 रुपए	3,79,41,525 रुपए	शून्य

विवरण

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये अपतट भूवैज्ञानिक कार्यक्रमों का ब्यौरा

फील्ड सीजन 2004-05	फील्ड सीजन 2005-06	फील्ड सीजन 2006-07
1	2	3
अनुसंधान जलयान समुद्रमंथन द्वारा		
* पश्चिमी अपतट घाटी तथा कृष्णा गोदावरी (केजी) घाटी में हाइड्रोकार्बन के लिए भूरासायनिक स्कैन। * सुमात्रा भूकम्प (2004) के बाद अंडमान आर्क-ट्रेन्च गेप के साथ-साथ बाथीमीट्रिक/मैग्नेटिक संकेतों में संभावित परिवर्तनों का अध्ययन। * बंगाल की खाड़ी में 90° पूर्व रिज के उत्तरी भाग से लास्ट ग्लेसियल मैक्सिमा, होलोसेन/प्लेइस्टोसेन बाउंड्री तथा पेलियोओसिनोग्राफी के विशेष संदर्भ में लेट क्वाटरनेरी प्लेक्टौनिक फोरामिनीफेरा का हाई रेजोलुशन अध्ययन (एआरएम)	* पश्चिमी अपतट घाटी तथा केजी घाटी में हाइड्रो कार्बन के लिए भूरासायनिक स्कैन। * बंजर तथा नार्कोडम आइलैण्ड ज्वालामुखी का अध्ययन तथा मानीटरिंग। * पुडुचेरी से दूर बाथीमीट्रिक सर्वेक्षण। * बंगाल की खाड़ी में 90° पूर्व रिज के उत्तर भाग से लास्ट ग्लेसियल मैक्सिमा, होलोसेने/प्लेइस्टोसेन बाउंड्री तथा पैलियो-ओसिनोग्राफी के विशेष संदर्भ में लेट क्वाटरनेरी प्लेक्टोनिक फोरामिनिफेरा का हाई रेजोलुशन अध्ययन (एच) (आरएस)।	* कन्याकुमारी से दूर कोमोरिन रिज का भूआकृतिक तथा टेक्टोनिक गठन का अध्ययन। * काकीनाडा-विशाखापट्टनम, आंगोले, आं.प्र. तथा पुडुचेरी-नागापट्टीनम, तमिलनाडु से दूर बाथीमीट्रिक तथा मैग्नेटिक सर्वेक्षण। * बंजर तथा नार्कोन्डम द्वीपों के इर्द-गिर्द परिवर्तनों की मानीटरिंग तथा अंडपान समुद्र में कार निकोबार द्वीपों के पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में ओटीईसी के लिए पैरामीट्रिक अध्ययन। * बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के शेल्फ क्षेत्रों में होलोसेने अवधि के दौरान बेनथोनिक, फोरामिनिफेर्स, ओस्ट्रोकोडस, पेलेसियोड्स, गैस्टोपोड्स तथा ब्रायोनोआ का टेफोनेमिक महत्व। * बंगाल की खाड़ी के उत्तर दक्षिण ट्रान्जेन्ट के साथ-साथ हाल के प्लेक्टोनिक फोरा-मिनिफेरा पर सालिनिटी-टेम्परेचर के प्रभाव का अध्ययन। * मध्य अंडमान द्रोणी/स्प्रीडिंग सेक्टर से तलछटों का अध्ययन।
अनुसंधान जलयान समुद्र कौस्तुभ द्वारा		
* उड़ीसा तट से दूर सैल्फ क्षेत्र में पैरामीट्रिक अध्ययन तथा प्रादेशिक जल क्षेत्र में समुद्रतल मानचित्रण।	* मरुवाड़ा तथा कलगापट्टनम के मध्य आंध्र प्रदेश तट से दूर भूतकनीकी आंकलन तथा शेल्फ का पैरामीट्रिक अध्ययन।	* समुद्रतल आकृति विज्ञान तथा गंगा डेल्टा से दूर डिपोजिशनल एनवायरमेंट का अध्ययन।

1	2	3
* सोनापुरापेटा तथा गोपालपुर के बीच उड़ीसा से दूर प्रादेशिक जल क्षेत्र में प्लेसर खनिज संसाधन मूल्यांकन तथा पैरामीट्रिक अध्ययन। * आंध्र प्रदेश के टीडब्ल्यू में प्लेसर खनिज संसाधन मूल्यांकन * देवी नदी मुहाने से दूर उत्तरी भाग में समुद्रतल का भूतकनीकी अन्वेषण तथा शैल्फ का पैरामीट्रिक अध्ययन। * गोदावरी डेल्टा, आंध्र प्रदेश से दूर तटवर्ती प्रक्रियाओं तथा तटरेखा में परिवर्तन की मानीटरिंग। * आंध्र प्रदेश से दूर टीडब्ल्यू के भीतर तथा तमिलनाडु तटों में समुद्रतल का मानचित्रण।	* टी डब्ल्यू में समदुतल मानचित्रण तथा उड़ीसा तट से दूर शेल्फ में पैरामीट्रिक अध्ययन। * जटाधरमोहन नदी से दूर समुद्रतल का भूतकनीकी अन्वेषण तथा शेल्फ का पैरामीट्रिक अध्ययन। * गोदावरी डेल्टा, आं.प्र. से दूर तटवर्ती प्रक्रियाओं तथा तटरेखा में परिवर्तन की मानिटरिंग। * आंध्र प्रदेश से दूर टी डब्ल्यू के भीतर तथा तमिलनाडु तट में समुद्र तल का मानचित्रण।	* उत्तर आंध्र प्रदेश में नागवली नदी मुहाने से दूर भीतरी शेल्फ का भूतकनीकी आंकलन। * ईदूवानीपालेम-आइसकला पालेम, आं.प्र. से दूर टी.डब्ल्यू. में प्लेसर खनिज संसाधन मूल्यांकन। * महानदी नदी से दूर भूतकनीकी अन्वेषण तथा महानदी-धामरा नदी मुहाने से दूर पैरामीट्रिक अध्ययन। * गोदावरी डेल्टा, आंध्र प्रदेश से दूर तटवर्ती प्रक्रियाओं तथा तट रेखा में परिवर्तनों की मानीटरिंग। * तमिलनाडु से दूर टीडब्ल्यू के भीतर समुद्र तल का मानचित्रण।
अनुसंधान जलयान समुद्र सौधीकामा द्वारा		
* महाराष्ट्र तट से दूर सतपती से बासई तक टीडब्ल्यू के भीतर समुद्रतल का मानचित्रण। * कच्छ, गुजरात से दूर टी डब्ल्यू के भीतर समुद्रतल का मानचित्रण तथा सौराष्ट्र तट से दूर उथले सिस्मिक सर्वेक्षण। * जयगढ़, महाराष्ट्र से दूर भूतकनीकी सर्वेक्षण। * कासरगोड से माउंट दिल्ली, केरल तट से दूर टीडब्ल्यू के भीतर पैरामीट्रिक अध्ययन। * भटकल, कर्नाटक से दूर भूतकनीकी अन्वेषण। * केरल तट से दूर कन्नूर से अझीकोड तक टीडब्ल्यू के भीतर पैरामीट्रिक अध्ययन। * केरल तट से दूर गहरे जल में बालू पिण्डों का मूल्यांकन।	* महाराष्ट्र तट से दूर विरार से सांताक्रूज, मुम्बई टीडब्ल्यू के भीतर समुद्र तल मानचित्रण। * कच्छ, गुजरात से दूर टी डब्ल्यू के भीतर समुद्रतल मानचित्रण। * मालवान, महाराष्ट्र से दूर भूतकनीकी अन्वेषण। * कासरगोड से माउंट दिल्ली, करेल तट से दूर टी डब्ल्यू के भीतर पैरामीट्रिक अध्ययन। * हंगारकट्टा, कर्नाटक से दूर भूतकनीकी अन्वेषण। * केरल तट से दूर कन्नूर से अझीकोड तक टी डब्ल्यू के भीतर पैरामीट्रिक अध्ययन। * कालीकट-पोनाली, केरल से दूर मध्य-बाहरी प्रायद्वीप शेल्फ में टी-डब्ल्यू के बाहर रिलिक्ट बालू का प्रारंभिक मूल्यांकन।	* बेनगुर्ला, महाराष्ट्र से दूर भूतकनीकी अन्वेषण। * महाराष्ट्र तट से दूर विरार से सांताक्रूज, मुम्बई, टीडब्ल्यू के भीतर समुद्रतल का मानचित्रण। * अझीकोड तथा अम्बालापुझा के बीच केरल तट से दूर टीडब्ल्यू के भीतर पैरामीट्रिक अध्ययन। * बाडगारा, केरल से दूर भूतकनीकी अन्वेषण। * अझीकोड तथा अम्बाला-पुझा के बीच केरल तट से दूर टी-डब्ल्यू के भीतर पैरामीट्रिक अध्ययन। * बेइपोरे तथा कन्नूर के बीच केरल तट से दूर टी-डब्ल्यू के बाहर रिलिक्ट बालू का प्रारंभिक मूल्यांकन।

मुस्लिम विद्यार्थियों का नामांकन

5096. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य, विशेषकर आंध्र प्रदेश में वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम विद्यार्थियों के नामांकन का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों तथा ओबीसी मुस्लिमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मुस्लिम विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) यद्यपि देश में स्थित विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर धर्म के आधार पर प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार जनसंख्या में समुदायों की हिस्सेदारी की तुलना में प्रारंभिक शिक्षा में 6-14 वर्ष आयु समूह में मुस्लिम बच्चों की दाखिला प्रतिशतता से पता चलता है कि वर्ष 2006-07 हेतु प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय कवरेज 9.39% और उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय कवरेज 7.62% है। आंध्र प्रदेश के मामले में राष्ट्रीय कवरेज क्रमशः 10.00% तथा 9.11% और उत्तर प्रदेश में 9.24% तता 7.18%, बिहार में 8.95% तथा 6.60%, पश्चिम बंगाल में 27.9% तथा 19.63% जबकि केरल में 10.13% तथा 9.59% है। प्रारंभिक शिक्षा हेतु डीआईएसई प्रणाली के तहत मुस्लिम बच्चों के बारे में प्रथम बार आंकड़े सितम्बर, 2006 में एकत्र किये गये थे। आंकड़े कुछ वर्षों तक स्थिर बने रहते हैं।

(ग) मुस्लिम समुदाय के बच्चों के दाखिले को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारंभ की है।

अर्ध सैन्य बलों के कार्मिकों की विधवाओं को रोजगार

5097. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सेवा के दौरान शहीद अर्ध सैन्य बलों (पीएमएफ) के कार्मिकों के निकट संबंधियों/विधवाओं द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान आज तक बल-वार कितने दावे दायर किये गये हैं;

(ख) सरकार द्वारा पीएमएफ कार्मिकों के निकट संबंधियों/विधवाओं को अनुकम्पा आधार पर कितनी नौकरियां प्रदान की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन लोगों को नौकरियां प्रदान करने तथा सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) इस संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

बल	दावे
एआर	0
बीएसएफ	350
सीआईएसएफ	448
सीआरपीएफ	555
आईटीबीपी	25
एसएसबी	0

(ख) 2075 नौकरी।

(ग) ग्रुप 'ग' और 'घ' पदों के अनुकंपा के आधार पर 5% आरक्षण है। प्रत्येक उम्मीदवार को रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के विचारार्थ तीन अवसर मिलते हैं। अनुकंपा भर्ती एक निरंतर प्रक्रिया है और इनमें उत्तराधिकार, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना तथा लिखित परीक्षा में अर्हता आदि प्राप्त करनी होती है।

राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए योजना

5098. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों, विशेषकर गुजरात में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय योजना के तहत पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ उक्त अवधि में गुजरात सहित राज्यवार प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) "राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम" शीर्षक से राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोन्नत करने की केन्द्रीय स्कीम के अंतर्गत, गुजरात राज्य सहित प्रत्येक राज्य को वार्षिक मुख्य अनुदान के अलावा गत तीन वर्षों के दौरान स्थान विशेष की आवश्यकता आधारित अनुसंधान तथा विकास से संबंधित अनेक कार्यकलापों; पायलट पैमाने पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाओं; राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार संगत विशिष्ट विषयों पर अध्ययनों/सर्वेक्षणों को सहायता प्रदान की गयी है। विशिष्ट उपलब्धियों में विभिन्न राज्यों में अस्पताल अपशिष्ट निपटान प्रणालियों, जल शुद्धिकरण प्रणालियों, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों तथा भूतल इंजीनियरी प्रणालियों की स्थापना शामिल है। गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को वार्षिक मुख्य सहायता के अतिरिक्त विगत तीन वर्षों के दौरान प्लाज्मा नाइट्राइडिंग प्रणाली, रिवर्स ओसमोसिस जल विलवणीकरण प्रणाली, अस्पताल अपशिष्ट निपाटन प्रणाली की सहायता प्रदान की गयी है।

(ख) इस प्रयोजन हेतु गुजरात राज्य सहित सभी राज्यों के लिए वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित निधियां क्रमशः 10 करोड़ रुपये, 11 करोड़ रुपये और 14 करोड़ रुपये थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

5099. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के संबंध में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की सिफारिशों को अभी असम में मूर्त रूप दिया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार असम राज्य द्वारा इस संबंध में कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

सी.एस.आई.आर. के अंतर्गत आधुनिकीकरण कार्यक्रम

5100. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा क्रय उपस्करों का दुरुपयोग हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अच्छे ढंग से कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी नहीं। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा क्रय उपस्करों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। सीएसआईआर ने नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 39 प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए 262.38 करोड़ रुपये की कुल लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वित किया। आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रस्तावित सभी उपस्करों की खरीद, अधिष्ठापन की जा चुकी है और अनुसंधान एवं विकास के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। तथापि, कुछ मामलों में अधिष्ठापन और अधिष्ठापित उपस्कर की मरम्मत में विलम्ब हुआ है।

(ख) आधुनिकीकरण कार्यक्रम पहले ही पूरा किया जा चुका है।

भारत में एफबीआई द्वारा अपने संगठन को बंद करना

5101. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफबीआई भारत में अपने संगठन को बंद कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार को इससे देश में आतंकवाद पर काबू पाने में कितना लाभ होगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) भारत सरकार ने फरवरी 2000 की परस्पर शर्त के आधार पर यू.एस. राजदूतावास, नई दिल्ली में एफबीआई लीगल

अटैची का कार्यालय खोलने की मंजूरी दी थी। इस कार्यालय के क्रियाकलाप भारतीय विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ लायजन बनाये रखने तक सीमित था और इसमें कोई स्वतंत्र जांच-पड़ताल अथवा लायजन कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य शामिल नहीं है। यह लीगल अटैची कार्यालय, जो कई अन्य देशों में भी मौजूद है, एफबीआई के विदेश स्थित लायजन पद हैं और घटित होने की सम्भावना वाले अपराधों का हल निकालने और वास्तविक समय-सूचना की भागीदारी द्वारा अपराध को कम करने के उद्देश्य से परस्पर हित के मामलों पर मेजबान देशों में प्रतिरूप एजेंसियों के साथ सहयोग सुलभ बनाने के लिए हैं। इस कार्यालय को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में समान शुल्क ढांचा

5102. श्री रामदास आठवले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत कालेजों के छात्रों से वसूले जा रहे मासिक शुल्क तथा अन्य प्रभारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबध में, यू.जी.सी. द्वारा जारी दिशानिर्देश इन कालेजों पर भी लागू होते हैं;

(ग) यदि हां, तो इन कालेजों के शुल्क ढांचों में व्याप्त विसंगति के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी विश्वविद्यालयों के सभी कालेजों में एक समान शुल्क ढांचा लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इसके सभी संबंधित कालेजों में निम्नलिखित वार्षिक शुल्क संरचना एक समान है।

शुल्क/प्रभार	वार्षिक
1	2
विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	100 रुपये
दाखिला शुल्क	5 रुपये
शिक्षा शुल्क	180 रुपये (अवर स्नातक पाठ्यक्रम)
विश्वविद्यालय विकास शुल्क	100 रुपये
विश्वविद्यालय एथलेटिक्स शुल्क	50 रुपये
विश्वविद्यालय सांस्कृतिक परिषद शुल्क	5 रुपये
डब्ल्यू.यू.एस. स्वास्थ्य केन्द्र सदस्यता शुल्क	120 रुपये
एन.एस.एस. शुल्क	20 रुपये
पहचान पत्र शुल्क	5 रुपये

तथापि, पुस्तकालय शुल्क, पत्रिका शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, विद्युत तथा जल प्रभार, छात्र संघ शुल्क, कामन रूम शुल्क, सांस्कृतिक सोसायटी, ड्रामेटिक्स क्लब, खेल/खेलकूद शुल्क, प्रयोगशाला विकास निधि, पुस्तकालय विकास निधि, ग्राउंड मेंटनेंस शुल्क, छात्र सहायता निधि आदि जैसे अन्य प्रभार एक कालेज से दूसरे कालेज में भिन्न-भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त, कालेज प्रतिभूति, पुस्तकालय प्रतिभूति आदि भी वसूल किये जाते हैं। कालेजों में उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा अन्य अतिरिक्त प्रावधानों के कारण शुल्क संरचना में असमानता होती है।

तथापि, इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं में दाखिले तथा शुल्क के लिए विनियम निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श करके प्रोफेसर बी.एस. सौंदे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(1) 'समविश्वविद्यालयों' सहित स्व-वित्त पोषित, प्राइवेट, व्यावसायिक संस्थाओं में दाखिले तथा शुल्क के संबंध में विनियम निर्धारित करना।

(2) सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों/कालेजों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले तथा शुल्क के लिए विनियम निर्धारित करना।

(3) सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कालेजों में सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले तथा शुल्क के लिए विनियम निर्धारित करना।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम को यू.एन.डी.पी. सहायता

5103. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में यू.एन.डी.पी. की सहायता से राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के तहत चमड़ा क्षेत्र के कितने लघु उद्यमियों को लाभ पहुंचा है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने, कौशल उन्नयन तथा विपणन सहायता के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1992 से 2003 तक यूएनडीपी के सहयोग वाले कार्यक्रम "चमड़ा क्षेत्र में लघु उद्योगों का विकास तथा रोजगार कार्यक्रम" (एसआईडीई-एनएलडीपी) के अंतर्गत एक कार्यक्रम क्रियान्वित किया था। कार्यक्रम का उद्देश्य फुटवीयर तथा चमड़ा उत्पाद क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना था। एसआईडीई-एनएलडीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में 25.50 मिलियन अमरीकी डालर की राशि आवंटित की गई थी और इस कार्यक्रम से अनेक लघु उद्यमी लाभान्वित हुए थे।

(घ) यूएनडीपी के सहयोग वाला कार्यक्रम "चमड़ा क्षेत्र में लघु उद्योगों का विकास तथा रोजगार कार्यक्रम" (एसआईडीई-एनएलडीपी) जून, 2003 तक ही कार्यान्वित किया गया और इसलिए वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई धनराशि जारी नहीं की गई। तथापि केन्द्र सरकार ने चमड़ा इकाइयों के आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन अवसंरचना तथा क्षमता-निर्माण के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) नाम से एक योजनागत कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया। आईएलडीपी कार्यक्रम में दो घटक हैं-चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईडीएलएस) तथा चमड़ा क्षेत्र की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण। पिछले तीन वर्षों के दौरान चमड़ा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी के सुदृढ़ीकरण, कौशल उन्नयन तथा विपणन सहयोग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा किये गये राज्यवार खर्च को दर्शाने वाली जानकारी विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल राशि (रुपये लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	59.21
2.	दादरा और नगर हवेली	16.89
3.	दिल्ली	874.74
4.	गुजरात	21.45
5.	हरियाणा	361.67
6.	हिमाचल प्रदेश	10.00
7.	जम्मू-कश्मीर	12.51
8.	कर्नाटक	110.72
9.	केरल	115.04
10.	मध्य प्रदेश	58.84
11.	महाराष्ट्र	176.75
12.	मणिपुर	1.06
13.	पंजाब	244.34
14.	राजस्थान	467.22
15.	तमिलनाडु	8294.37
16.	उत्तर प्रदेश	3826.03
17.	पश्चिम बंगाल	1935.57
	योग	16586.41

खादी का संवर्धन

5104. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी क्षेत्रों में लोगों में खादी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) शहरी क्षेत्रों सहित देश भर में खादी उत्पादों के

उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से विभिन्न पहलें की हैं, यथा:

(1) राष्ट्रीय/आंचलिक/जिला स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित करना तथा ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(2) उपभोक्ताओं को खादी की बिक्री पर छूट प्रदान करने के लिए छूट योजना;

(3) खादी उत्पादों के सुधरे हुए डिजाईनों तथा पैकेजिंग के लिए उत्पाद विकास डिजाइन इंटरवेंशन एवं पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(4) खादी वस्त्र को आधुनिक डिजाईनों वाले सिले सिलाए कपड़ों में बदलने के लिए "मिशन खादी" प्रारंभ करना और इस प्रकार उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना तथा कपड़े के रूप में खादी की सीधी बिक्री के वर्तमान चलन में संशोधन करना;

(5) खादी उत्पादों के लिए "खादी इंडिया" ब्रांड नाम शुरू करना;

(6) सामान्य जन विशेषत: युवा पीढ़ी के बीच जागरुकता तथा ज्ञान बढ़ाने के लिए देश भर में जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना;

(7) खादी ग्रामोद्योग भवनों/बिक्री निर्गमों का चरणबद्ध रूप से आधुनिकीकरण एवं नवीकरण करना। इस संबंध में पहले कदम के रूप में दिल्ली में स्थित दो भवनों का नवीकरण/आधुनिकीकरण किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

विदेशियों की भरमार

5105. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभुः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में देश-वार अवैध रूप से निवास कर रहे विदेशियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का किसी विशेष देश से विदेशियों की बड़ी संख्या में आवक की ओर ध्यान दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.12.2007 तक 22467 विदेशी नागरिक तय सीमा से अधिक अवधि तक यहीं ठहरे हुए पाए गए हैं। देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

विवरण

31.12.2007 को नियत अवधि से अधिक समय तक रह रहे विदेशियों के देश-वार आंकड़े

देश	नियत अवधि से अधिक समय तक रह रहे विदेशियों की संख्या
1	2
अफगानिस्तान	11852
अल्जीरिया	1
अंगोला	12
अर्जेंटीना	3
अरमेनिया	10
आस्ट्रेलिया	164
आस्ट्रीया	24
अजरबैजान	1
बहरीन	7
बंगलादेश	1083
बेलारूस	4
बेल्जियम	14
बैलीजे	1
बोलोविया	1

1	2
बोत्सवाना	1
ब्राजील	27
ब्रिटिश ओवरसिज सिटी	0
ब्रिटीश प्रोक्टट्रेट	1
ब्रिटीश सब एंड कोलो	1
ब्रुनई	2
बुलगारिया	4
बुरांडी	8
कम्बोडिया	7
कैमरुन	8
कनाडा	330
चाड	0
चिली	3
चीन	657
चीन (ताइवान)	13
कोलम्बिया	14
कोमोरस	2
कांगो	17
क्रोशिया	1
क्यूबा	1
चेक गणराज्य	4
डेनमार्क	23
डिजीबोती	6
डोमनिक रिपब्लिक	2
मिश्र	27
इरीटिया	2
इस्टोनिया	1

1	2
इथोपिया	40
फिजी	161
फिनलैंड	25
फ्रांस	283
जर्मनी	177
घाना	7
ग्रेनेडा	1
गुवाटेमाला	2
गुयेने	3
गुयाना	8
हांगकांग	4
हंगरी	2
आइसलैंड	1
इंडोनेशिया	65
ईरान	214
इराक	106
आयरलैंड	16
इस्राइल	67
इटली	86
आंइवरी कोस्ट	2
जापान	95
जोर्डन	4
काजिकस्तान	5
केन्या	152
कोरिया (उत्तर) डीपीआर	3
दक्षिण कोरिया	263
काजकिस्तान	5

1	2
लाओस	1
लातविया	3
लेबनान	8
लसेथो	1
लिबिया	2
लीबिया	7
लिथुयानिया	1
मालेगैस (मैडागासकर)	1
मालवी	7
मलेशिया	248
मालदीव	7
मुरीटीना	1
मरीशस	192
मैक्सिको	5
मरोक्को	5
मोलदोवा	1
मोन्नको	1
मंगोलिया	26
मोजाबिक	9
म्यांमार	278
नामीबिया	7
नोरु	0
नीदरलैंड	58
न्यूजीलैंड	32
निकारागुआ	1
नाइजीरिया	854
नार्वे	12

1	2
ओमान	123
पाकिस्तान	0
फिलिस्तीन	5
पानामा	3
पैरेगुवे	0
पैरु	2
फिलीपीन	72
पोलैंड	19
पुर्तगाल	15
कतर	10
रोमानिया	4
रूस	133
रवांडा	12
सउदी अरब	71
सेनेगल	1
सेशैल्स	112
सयारा लियोन	3
सिंगापोर	152
स्लोवाक रिपब्लिक	2
सोलोविनया	1
सोमालिया	9
दक्षिण अफ्रीका	98
स्पेन	47
श्रीलंका	1050
सेंट ल्यूसिया	0
राज्यविहीन	19
राज्यविहीन-तिब्बत	172

1	2
राज्यविहीन-मलेशिया	6
राज्यविहीन-सिंगापुर	0
राज्यविहीन-तंजानिया	0
सूडान	148
स्वाजीलैंड	1
स्वीडन	35
स्विटजरलैंड	49
सीरिया	41
ताजिकिस्तान	3
तंजानिया	194
थाईलैंड	67
टोंगा (टोगो)	0
त्रिनिडाड और टोबोगो	1
टुनिसिया	0
तुर्की	22
तुर्कीमिस्तान	0
यू.एस.ए.	880
यूगांडा	42
यूक्रेन	36
यूनाइटेड अरब अमीरात	54
यूनाईट किंगडम	671
उजबेकिस्तान	8
वानातू	0
वेनेजुला	7
वियतनाम	37
यमन	112
यूगोस्लाविया	4
जाइरे	0
जाम्बिया	1
जिम्बाब्वे	4
अन्य	5
कुल	22467

उच्च शिक्षा के लिए विनियामक प्राधिकरण

5106. श्री विजय कृष्ण: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए अपीलीय निकाय के साथ उच्च शिक्षा हेतु एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में वर्तमान शिक्षा तंत्र को 13 परिषदों द्वारा विनियमित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट (2006) में उच्चतर शिक्षा हेतु एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय बार परिषद की भूमिका को पुनः परिभाषित करने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार उच्चतर शिक्षा राज्य परिषद के अलावा 14 पेशेवर परिषदें हैं।

(ङ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों पर कोई सहमति नहीं है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यकरण की समीक्षा के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

भारत और रूस के बीच आयात और निर्यात

5107. श्री गणेश सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक भारत और रूस के बीच किये गये आयात और निर्यात की वस्तु-वार स्थिति क्या है तथा कितने मूल्य का आयात व निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार रूस के साथ आयात और निर्यात (व्यापार) को बढ़ाने का है; और .

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) आयातित एवं निर्यातित वस्तुओं तथा उनके मूल्य का देशवार ब्यौरा वाणिज्य विभाग की वेबसाइट (www.commerce.gov.in) पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय के बीच दिनांक 6 फरवरी, 2006 को सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। समझौता ज्ञापन के अनुसरण में गठित भारत-रूस संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) ने जुलाई, 2007 में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। रिपोर्ट में वस्तुओं एवं सेवाओं में भारत तथा रूस के बीच व्यापार तथा निवेश सहयोग के विभिन्न पहलू शामिल हैं और उसमें द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को वर्ष 2010 तक बढ़ाकर 10 बिलियन अम. डॉ. करने के बारे में संगत सिफारिशें की गई हैं। भारत-रूस संयुक्त अध्ययन दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना पर आगे विचार हेतु भारत-रूस संयुक्त कार्यबल गठित किये जाने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय के बीच दिनांक 13.2.2008 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी।

[अनुवाद]

यूनिट एरिया प्रणाली संबंधी मूल्यांकन का तरीका

5108. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर (संशोधन) अधिनियम, 2003 करदाताओं को उक्त अधिनियम के लागू होने की तिथि से पहले मूल्यांकित न हुई अपनी सम्पत्तियों का यूनिट एरिया (यूए) दरों अथवा पुरानी दरों पर मूल्यांकित करवाने का विकल्प देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोहिणी जोन दिल्ली के कतिपय करदाताओं जिनकी सम्पत्ति का मूल्यांकन 1.8.2003 के बाद किया गया था और जिन्होंने यू.ए. दर प्रणाली से मूल्यांकन करवाने का विकल्प दिया को यह विकल्प नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) दिनांक 1.8.2003 से 31.3.2004 की अस्थायी अवधि के बीच यूनिट एरिया प्रणाली से निपटाए गए तथा इसके लिए अस्वीकृत मामलों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधान के इस उल्लंघन के संबंध में कोई जांच कराए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो इस जांच के कब तक पूरे होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 116छ की उप-धारा (1) के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने की तिथि से तत्काल पहले इस अधिनियम के अंतर्गत रिक्त भूमि अथवा दोनों पर लगाये गये कर को दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा यथासंसोधित इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी रिक्त भूमि अथवा भवन के ढके हुए स्थान अथवा दोनों पर लागू माना जाएगा तथा यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि ऐसे कर को दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संशोधित नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 116छ की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि इस उप-धारा (1) में निहित किसी प्रावधान क न रहते, जहां दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने पर किसी रिक्त स्थान अथवा भवन के किसी ढके हुए स्थान अथवा दोनों के संबंध में आकलन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, वहां आकलनकर्ता यथास्थिति ऐसी भूमि अथवा भवन अथवा दोनों का वार्षिक मूल्य के आधार पर आकलन करवा सकता है।

(ग) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मूल्य वृद्धि

5109. श्री रामजी लाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
डा. चिन्ता मोहन:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2008 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के बढ़ने के मद्देनजर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) लगातार बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सूचकांकों का ब्यौरा क्या है तथा सूचकांकों के अलग-अलग परिकलन हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) उक्त सूचकांकों के परिकलन हेतु सम्मिलित की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस वृद्धि में खाद्य विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र का कितना-कितना योगदान है;

(ङ) क्या देश में अप्रैल 2008 में नई फसलों के आने के बाद खाद्य क्षेत्र में मूल्य कम होने की कोई संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) माननीय सदस्य, संभवत:, प्रश्न के भाग (क) में, औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) का जिक्र कर रहे हैं। वर्ष 2008 के लिये सीपीआई-आईडब्ल्यू अभी तक केवल फरवरी, 2008 तक के लिए उपलब्ध है। जनवरी 2007 से फरवरी, 2008 तक के महीनों के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यु, पिछले महीनों में सूचकांक में परिवर्तन तथा थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित ऐसी ही सूचना की तुलना में प्वाइंट टू प्वाइंट आधार पर मुद्रास्फीति की दर नीचे दी गई हैं:

थोक मूल्य सूचकांक एवं अर्थव्यवस्था के सूचकांक है जिनके भार घरेलू बाजार में कारोबार के लिए आई वस्तुओं की मात्रा के मूल्य पर आधारित होते हैं। यह उच्च बारंबारता के साथ उपलब्ध पूरी अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति का ज्यादा व्यापक माप है।

(घ) उपर्युक्त ढांचे के भीतर, सीपीआई-आईडब्ल्यू, डब्ल्यूपीआई में 15.40 प्रतिशत भार की तुलना में खाद्य पदार्थों के लिए कहीं ज्यादा 46.20 प्रतिशत भार पर आधारित है।

(ङ) और (च) अन्य बातों के साथ, मांग और आपूर्ति की बाजार ताकतें वे प्रमुख कारक हैं जिनका मूल्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अप्रैल 2008 में नई फसलों की अच्छी संभावना के साथ, उम्मीद है कि कृषि वस्तुओं की परिणामी घरेलू आपूर्ति की स्थिति घरेलू कीमतों को कम करेगी।

(छ) अर्थव्यवस्था में मूल्य की स्थिति पर सरकार द्वारा गहरी निगाह रखी जाती है और जब भी जरूरी हो, अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए समुचित उपाय करती है। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ में भी शामिल हैं:

(1) खाद्य तेलों, गेहूं, चावल, दालों, सीमेंट तथा स्टील में आयात और निर्यात के संबंध में विभिन्न राजकोषीय तथा प्रशासनिक उपाय।

(2) मांग प्रबंधन उपायों के रूप में आरबीआई ने नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.0 प्रतिशत कर दिया है।

महीने	सीपीआई-आईडब्ल्यू			डब्ल्यूपीआई		
	सूचकांक	पिछले महीनों के दौरान परिवर्तन (%)	प्वाइंट-टू-प्वाइंट आधार पर मुद्रास्फीति की दर (%)*	सूचकांक	पिछले महीनों के दौरान परिवर्तन (%)	प्वाइंट-टू-प्वाइंट आधार पर मुद्रास्फीति की दर (%)*
1	2	3	4	5	6	7
जनवरी-07	127	0.00	6.72	208.8	0.19	6.37
फरवरी-07	128	0.79	7.56	208.9	0.05	6.36

1	2	3	4	5	6	7
मार्च-07	127	-0.78	6.72	209.8	0.43	6.61
अप्रैल-07	128	0.79	6.67	211.5	0.81	6.28
मई-07	129	0.78	6.61	212.3	0.38	5.46
जून-07	130	0.78	5.69	212.3	0.00	4.53
जुलाई-07	132	1.54	6.45	213.6	0.61	4.71
अगस्त-07	133	0.76	7.26	213.8	0.09	4.14
सितम्बर-07	133	0.00	6.40	215.1	0.61	3.51
अक्तूबर-07	134	0.75	5.51	215.2	0.05	3.11
नवम्बर-07	134	0.00	5.51	215.9	0.33	3.25
दिसम्बर-07	134	0.00	5.51	216.4	0.23	3.84
जनवरी-08	134	0.00	5.51	218.1	0.79	4.45
फरवरी-08	135	0.75	5.47	218.4	0.14	4.55
मार्च-08				223.2	2.20	6.39

टिप्पणी: फरवरी और मार्च 2008 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक अनंतिम हैं और जनवरी, 2008 तथा फरवरी, 2008 महीनों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अनंतिम है।

*मुद्रास्फीति की दर पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के सूचकांक की तुलना में वर्तमान अवधि के सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है।

डब्ल्यूपीआई तथा सीपीआई-आईडब्ल्यू के बीच मुद्रास्फीति दरों तथा सूचकांकों में परिवर्तन का अंतर आधार वर्ष, कॉमोडिटी बास्केट तथा संबंधित सूचकांकों में वस्तुओं के भारों (वेट्स) के अंतर का प्रतिनिधित्व करता है।

(ग) सीपीआई-आईडब्ल्यू समूह विनिर्दिष्ट उपभोक्ता व्यय के आधार पर संकलित किये जाते हैं जिनमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित हैं:

1. खाना
2. पान, सुपारी, तम्बाकू और नशीली वस्तुएं
3. ईंधन तथा बिजली
4. आवास
5. कपड़ा, बिस्तर तथा फुटवियर और
6. विविध खर्च जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन और आनंद, परिवहन एवं संचार, व्यक्तिगत देखभाल एवं प्रभाव तथा अन्य।

[अनुवाद]

समुद्र से ताप ऊर्जा

5110. श्री जुएल ओराम: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र से ताप ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावना है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं योजना के दौरान आज की तारीख तक राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) द्वारा तलाशी गई संभावनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी हां। समुद्र की सतह और

गहरे समुद्र के जल के बीच के तापमान का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आने वाले स्वायत्तशासी संस्थान राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), ने "जय विज्ञान" मिशन के तहत एक मेगावॉट के समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण (ओटेक) संयंत्र की प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। इस संयंत्र को तूतीकोरिन के पास 1000 मी. से अधिक गहराई वाले खुले समुद्र में लगाने के लिए "सागर शक्ति" नामक बार्ज पर स्थापित किया गया। एक मेगावॉट वाली समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण (ओटेक) प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना को प्रारंभ में वर्ष 1998-99 से दो वर्ष की अवधि के लिए कुल 35.25 करोड़ रु. की लागत पर सितम्बर, 1998 में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) की एक मिशन परियोजना के रूप में स्वीकृत किया गया। परंतु एक मीटर व्यास और 1000 मीटर लंबे पाइप को लगाने के दौरान खराब मौसम और पर्याप्त तकनीकी आधार न होने के कारण, इस पाइप को संभाला नहीं जा सका और परिणामस्वरूप यह खो गया। मंत्रालय ने पुन: 22.02.02 को 61.13 करोड़ रु. के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) तथा परियोजना अवधि को 31 दिसम्बर, 2003 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी। एक बार फिर अंतर्ग्राही पाइप खो गया। इन विफलताओं का विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। इनकी रिपोर्ट के आधार पर इस परियोजना को पूरा करने के लिए एक संशोधित परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया। वित्त मंत्रालय ने परियोजना समाप्त करने की सिफारिश की तथा तदनुसार परियोजना को स्थगित कर दिया गया। भारतीय तट के पास अपेक्षित जल गहराई उपलब्ध नहीं है, इसे ध्यान में रखते हुए, ओटेक संयंत्रों को तट से 30 से 40 किलोमीटर दूर स्थापित करना होगा और इस कारण से यह परियोजना किफायती नहीं होगी। अत: इस परियोजना को शुरू करने की मंत्रालय की कोई योजना नहीं है।

चीन से आयातों का प्रभाव

5111. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चीन से आयात का घरेलू उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 2010 तक चीन तथा ऐसे अन्य देशों से अथवा को निर्यात/आयात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) घरेलू उद्योग के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके द्वारा प्रतिस्पर्धा करने के लिए चीन से महंगे आयात को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) घरेलू उद्योग पर चीन से हुए आयातों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन से आयात निम्नानुसार रहे हैं:

वर्ष	मूल्य (लाख रुपये में)
2004-05	3189230
2005-06	4811665
2006-07	7900861
(अप्रैल, 2007 से दिसम्बर, 2007 (अनंतिम)	8020652

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ग) और (घ) अगस्त, 2004 में विदेश व्यापार नीति 2004-2009 की घोषणा के समय, अगले पांच वर्षों के भीतर वैश्विक पण्य व्यापार में हमारे प्रतिशत हिस्से को दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2007-08 में हमारा कुल पण्य व्यापार 390 बिलियन अम. डॉ. (लगभग) था जो विश्व व्यापार का लगभग 1.5 प्रतिशत है। वर्ष 2008-09 के लिए 220 बिलियन अम. डॉ. का निर्यात लक्ष्य तय किया गया है। तथापि, देश-वार कोई पृथक निर्यात लक्ष्य तय नहीं किये गये हैं।

(ङ) घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए चीन और अन्य देशों से महंगे आयातों पर अंकुश लगाने के लिए कोई विशिष्ट उपाय नहीं किये गये हैं। जब भी "पाटित" आयातों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होती है तो पाटनरोधी महानिदेशालय (डीजीएडी) पाटनरोधी नियमावली के अनुसार जांच/कार्रवाई शुरू करता है।

चक्रवात पूर्वानुमान के लिए उच्च प्रौद्योगिकी राडार प्रणाली

5112. श्री तथागत सत्पथी: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए उच्च प्रौद्योगिकी राडार प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन स्थानों पर इन प्रणालियों को स्थापित किया जायेगा;

(घ) उक्त उद्देश्य के लिए कुल कितनी राशि निर्दिष्ट/जारी की गई; और

(ङ) उक्त प्रणाली के कब तक कार्य करने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) भारत मौसम विज्ञान विभाग इस समय 10 चक्रवात संसूचन रेडारों और 29 तूफान संसूचन रेडारों का नेटवर्क चला रहा है। एक चक्रवात संसूचन रेडार पारादीप में तथा एक तूफान संसूचन रेडार भुवनेश्वर में स्थित है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की प्रेक्षण और पूर्वानुमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण (चरण-1) के तहत अत्यंत खराब मौसम की स्थितियों के पूर्वानुमान में प्रयोग किये जाने वाले 12 डॉप्लर मौसम रेडार, (डीडब्ल्यूआर) देश में विभिन्न स्थानों पर स्थापित करने के लिए प्राप्त किये जा रहे हैं। इनके प्राप्त हो जाने पर, उड़ीसा सहित भारत के पूरे तटीय बेल्ट को कवर किया जा सकेगा। इन 12 डॉप्लर मौसम रेडारों में से एक रेडार पारादीप में मौजूदा चक्रवात संसूचन रेडार के स्थान पर लगाने की योजना है।

(घ) भारत मौसम विज्ञान विभाग के चरण-1 का आधुनिकीकरण करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा 920 करोड़ रुपये की कुल राशि अनुमोदित कर दी गई है, जिसमें 12 डॉप्लर मौसम रेडारों को चालू करना भी शामिल है।

(ङ) पारादीप रेडार को चालू करने की निर्धारित तिथि दिसम्बर, 2009 है।

संपत्ति कर के आकलन में असमानता

5113. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम अधिनियम संपत्ति करदाताओं को उन मामलों के निपटान के लिए विकल्प प्रदान करता है जिनका निपटान दिल्ली नगर निगम (संशोधित) अधिनियम, 2003 के लागू होने के पूर्व नहीं किया गया था लेकिन यूनिट क्षेत्र दरों अथवा पुरानी दरों पर 1.8.2003 तथा 31.3.2004 को यूनिट क्षेत्र दरों की अधिसूचना होने के पूर्व निपटान कर लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ करदाताओं को विकल्प उपबंध के अंतर्गत यूनिट क्षेत्र दरों के आधार पर उनकी संपत्तियों के आंकलन का विकल्प नहीं दिया गया है जबकि कुछ करदाताओं को इस विकल्प की अनुमति दी गई है जिसके परिणामस्वरूप करदाताओं के बीच असमानता पैदा हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) संपत्ति करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी. राधिका सेल्वी): (क) दिल्ली नगर निगम, अधिनियम, 1957 की धारा 116छ के उपबंधों के अंतर्गत जहां दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने पर किसी रिक्त स्थान अथवा भवन के किसी ढके हुए स्थान अथवा दोनों के संबंध में आकलन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, वहां आकलनकर्ता यथास्थिति ऐसी भूमि अथवा भवन अथवा दोनों का वार्षिक मूल्य के आधार पर आकलन करवा सकता है। यह उपबंध निपटाये गये मामलों पर लागू नहीं है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले शहरों का सर्वेक्षण

5114. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन शहरों/नगरों की पहचान की है जो जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रभावित हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शहरों और नगरों पर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, नहीं। परंतु भारत मौसम-विज्ञान विभाग पूरे देश के जलवायु पैरामीटरों का निरंतर मॉनीटरन कर रहा है। सरकार द्वारा तैयार राष्ट्रीय जलवायु परित्रर्तन संप्रेषण में देश के विभिन्न क्षेत्रों की संवेदनशीलता के बारे में बताया जाता है।

(ग) सरकार ने जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए कई उपाय प्रारंभ किये है। हाल ही में, सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद की स्थापना की है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और इसके दुष्प्रभावों के अनुकूलन का अध्ययन करने के उपाय शुरू किये गये हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव किया है जिसमें जलवायु परिवर्तन विज्ञान के क्षेत्र में अन्तर-विधात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे में एक सुसज्जित अत्याधुनिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

लघु और मध्यम उद्योगों का योगदान

5115. श्री बापू हरि चौरे: क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु और मध्यम उद्योग देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इन उद्योगों का क्या औसत योगदान कितना है तथा अमेरिका, जापान, फ्रांस, चीन तथा अन्य देशों की तुलना में देश में कार्य करने वाले कुल कामगारों का प्रतिशत कितना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। सूक्ष्म और लघु उद्यम देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अनुमानत: 312.52 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करके भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग घटित करते हैं। वर्ष 2006-07 (अद्यतन उपलब्ध) में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसई का योगदान अनुमानत: 5.94 प्रतिशत रहा है। वर्तमान में मध्यम उद्यमों के संदर्भ में डाटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा विभिन्न देशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की अलग-अलग परिभाषाओं को देखते हुए कुल रोजगार में एमएसएमई द्वारा प्रदान किये गये रोजगार के भाग पर तुलनात्मक डाटा उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों पर वैश्वीकरण का प्रभाव

5116. श्री भर्तृहरि महताब क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लघु तथा मध्यम उद्यमों पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न देशों से भारतीय बाजार में सस्ते आयात के कारण इन उद्योगों व उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन उद्योगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) सरकार वैश्वीकरण और साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच, आयातों के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के कच्चे माल और घटकों की कम मूल्य पर उपलब्धता, व्यापक बाजार खंड, गुणवत्ता को प्रोत्साहन, सक्षमता और पनर्गठन तथा विविधीकरण के अवसर के रूप में उन्हें प्राप्त होने वाले अवसरों के परिणामस्वरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के सामने आने वाली चुनौतियों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिक प्रतिस्पर्धा भी शामिल है, के बारे में सजग है।

(घ) सरकार ने एमएसएमई को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनने में मदद करने के लिए कई उपाय किये हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता, बाजारों तक पहुंच, बेहतर आधारभूत संरचना, क्रेडिट की बेहतर उपलब्धता, प्रशिक्षण सुविधाएं और उद्यमियों का क्षमता निर्माण, आदि शामिल है।

कॉफी का उत्पादन

5117. श्री एम. शिवन्ना:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में राज्यवार विशेषकर कर्नाटक में कुल कितनी मात्रा में कॉफी का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या कॉफी उत्पादकों विशेषकर छोटे किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार कॉफी उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कॉफी का राज्य-वार उत्पादन निम्नानुसार है:

(मी. टन.)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*
कर्नाटक	1,85,550	1,98,600	1,96,275	2,06,025	1,91,575
केरल	63,850	54,300	56,825	54,475	49,000
तमिलनाडु	17,750	18,300	18,825	128,225	18,100
अपरम्परागत क्षेत्र (मुख्यत: आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा)	3,050	4,000	1,825	4,085	3,175
पूर्वोत्तर क्षेत्र	300	300	250	190	150
कुल	2,70,500	2,75,500	2,74,000	2,88,000	2,62,000

*मानसून पश्चात अनुमान

(ख) कॉफी की वर्तमान कीमतें अत्यंत लाभकारी हैं और छोटे किसान भी इसका लाभ उठा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं में शुल्क कटौती

5118. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री संतोष गंगवार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किन-किन वस्तुओं पर आयात शुल्क में रियायत दी गई है और किन-किन वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति को किस सीमा तक नियंत्रित किया जा सकेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) सीमाशुल्क में कटौती (तारीखवार अधिसूचना) के साथ-साथ वस्तुओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

20.3.2008 (21.3.2008 से):

(क) अपरिष्कृत पामोलीन सहित अपरिष्कृत पाम तेल 45% से 20% तक;

(ख) आरबीडी पामोलीन सहित परिष्कृत पाम तेल 52.5% से 27.5% तक;

(ग) अपरिष्कृत सरसों/तोरीबीज/वन्य कपिशाक/कनोला तेल 75% से 20% तक;

(घ) परिष्कृत सरसों/तोरी बीज/वन्य कपिशाक/कनोला तेल 75% से 27.5% तक;

(ङ) अपरिष्कृत सूरजमुखी तेल 40% से 20% तक;

(च) परिष्कृत सूरजमुखी तेल 50% से 27.5% तक; और

(छ) दिनांक 1.3.2009 को या इससे पहले किये गये आयातों के लिए आधा मशीन से कुटा हुआ और पूर्ण रूप से मशीन से कुटा चावल 70% से शून्य तक।

1.4.2008

(क) सोयाबीन तेल (अपरिष्कृत) 40% से शून्य तक और सोयाबीन तेल (परिष्कृत) 40% से 7.5% तक,

(ख) अपरिष्कृत पाम तेल (अपरिष्कृत पामोलीन सहित) 20% से शून्य तक और आरबीडी पाम तेल (आरबीडी पामोलीन सहित) 27.5% से 7.5% तक,

(ग) सभी अन्य विविध खाद्य तेल (अपरिष्कृत) जैसे नारियल तेल, मूंगफली आदि-से शून्य तक,

(घ) सभी अन्य विविध खाद्य तेल (परिष्कृत) जैसे नारियल तेल, मूंगफली आदि-से 7.5% तक,

(ङ) आमतौर पर ''वनस्पति'' के रूप में ज्ञात आंशिक अथवा पूर्ण रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति वसा और तेल, मारजरीन आदि से 7.5% तक,

(च) 5 लाख मी. टन टीआरक्यू के अंतर्गत मक्के हेत इन-कोटा टैरिफ दर-से शून्य तक।

जहां तक वस्तुओं पर प्रतिबंध का संबंध है, दिनांक 8.10.2007 की अधिसूचना सं. 33 के द्वारा गेहूं के आटे सहित गेहूं और गेहूं उत्पादों के निर्यात पर अगले आदेशों तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिनांक 1.4.2008 से गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिनांक 1.4.2008 की अधिसूचना सं. 91 के द्वारा डालर ग्राम (काबुल चना) को छोड़कर दालों के निर्यात पर प्रतिबंध को 31.3.2009 तक बढ़ा दिया गया है। नारियल तेल को छोड़कर खाद्य तेल के कोच्वी चौकी के जरिये निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ख) यह आशा की जाती है कि निर्यातों पर प्रतिबंधों/पाबंदी लगाने और सीमाशुल्कों को कम करने के कारण महंगाई में कमी आएगी।

समुद्र जल स्तर में बढ़ोत्तरी के कारण लोगों का विस्थापन

5119. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान ''वार्मिंग विल ट्रिगर ह्यूज एक्सप्रेस'' संबंधी समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है, जैसाकि दिनांक 27 मार्च, 2008 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने देश के विभिन्न तटों/शहरों में समुद्र जलस्तर में बढ़ोत्तरी के कारण विस्थापित लोगों की संख्या के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। परंतु, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संप्रेषण में भारत के तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता के बारे में विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। इन परिणामों से पता चलता है कि समुद्र स्तर में वृद्धि के प्रभावों के परिणामस्वरूप भूमि डूब सकती है और लोगों का विस्थापन हो सकता है।

(घ) सरकार ने जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए कई उपाय प्रारंभ किये हैं। हाल ही में, सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई का समन्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद की स्थापना की है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए एक उच्च्व-प्राथमिकता वाला कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव किया है। इस कार्यक्रम में तटीय क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव सहित राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोगपूर्ण अनुसंधान को सहायता प्रदान कर संबद्ध क्षेत्रों में लगे हुए अग्रणी राष्ट्रीय अनुसंधान समूहों और अनुसंधान केन्द्रों के अनुसंधान नेटवर्कों की स्थापना की जाएगी।

[हिन्दी]

निर्यात समझौते

5120. श्री महावीर भगोरा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व में निर्यात के क्षेत्र में भारत का कौन-सा स्थान है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से कुल कितना निर्यात हुआ है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों के साथ भारत ने निर्यात समझौते किये हैं;

(घ) उपरोक्त अवधि में इन समझौते के कारण क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) डब्ल्यूटीओ से उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007 में विश्व पण्य वस्तु निर्यातों में भारत का स्थान 26वीं था।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत का कुल पण्य वस्तु निर्यात निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	कुल निर्यात (बिलियन अम. डा.)
2005-06	103.1
2006-07	126.3
2007-08*	138.4*

*अप्रैल-फरवरी, 2007-08: अनंतिम आंकड़े

(ग) गत तीन वर्षों (अर्थात वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08) के दौरान भारत ने दो नए मुक्त व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किये हैं, अर्थात दिनांक 29 जून 2005 को सिंगापुर के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) तथा दिनांक 8 मार्च, 2006 को चिली के साथ अधिमानी व्यापार करार। इसके अतिरिक्त, भूटान तथा नेपाल के साथ पहले से मौजूद मुक्त व्यापार करारों का नवीनीकरण क्रमशः दिनांक 29 जुलाई, 2006 तथा 6 मार्च, 2007 को किया गया था।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन देशों को किये गये भारत के पण्य वस्तु निर्यात निम्नानुसार हैं:

देश	(मूल्य: मिलियन अम. डा.)		
	2005-06	2006-07	2007-08*
सिंगापुर	5,425.3	6,016.4	5133.6
चिली	152.2	374.9	179.1
भूटान	99.2	58.6	62.7
नेपाल	860.0	930.7	913.7

*अप्रैल-दिसम्बर, 2007-08: अनंतिम आंकड़े

(ङ) भारत के पण्य वस्तु निर्यातों में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार ने विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09 और उसके वार्षिक पूरक अंकों के अनुसार अनेक पहलें की हैं। इन पहलों में एसईजेड अधिनियम, 2005 को लागू करना और फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना, शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम का कार्यान्वयन, सेवा कर की वापसी, रुपये की मजबूती से प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान करना, उच्च मूल्यवर्धित विनिर्मित उत्पादों का संवर्धन आदि शामिल हैं। निर्यातों को सुकर बनाने हेतु परिवहन लागत तथा समय में कमी लाने, निर्यातकों हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने आदि जैसे यथेष्ठ उपाय भी किये गये हैं।

[अनुवाद]

ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में चीन के साथ समझौता

5121. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने पिछली बार चीन दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहित कई क्षेत्रों पर किसी समझौते या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) अब तक उनके कारण प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने के विचार हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा

पृथ्वी विज्ञान मंत्री के चीन के दौरे के दौरान 7 सितम्बर, 2006 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर चीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस समझौता ज्ञापन में ऊर्जा सुरक्षा तथा रक्षा के क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

तम्बाकू का उत्पादन और निर्यात

5122. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तम्बाकू उत्पादकों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में राज्य-वार तम्बाकू का कितना उत्पादन होता है;

(ग) क्या सरकार उन संबंधित निर्यातकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रही है जो कुछ लोगों को संरक्षण दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चीन तथा अन्य देशों को तम्बाकू का निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) देश में तम्बाकू उत्पादकों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	2007-08 के फसल मौसम के दौरान पंजीकृत उत्पादकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	46118 (दिनांक 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार)
कर्नाटक	40740

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश में तम्बाकू के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	उत्पादन (मिलियन किग्रा.)	
	2006-07	2007-08
आंध्र प्रदेश	171.95	167.32*
कर्नाटक	96.98	87.66

(*)-अनुमानित उत्पादन

(ग) और (घ) जी, नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) चीन को तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने भारत से चीन को तम्बाकू की पत्तियों के निर्यात हेतु दिनांक 14 जनवरी, 2008 को पादप स्वच्छता संबंधी अपेक्षाओं के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गये हैं। तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार निम्नलिखित निर्यात संवर्धन उपाय कर रही है:

- बदलती अंतर्राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए तम्बाकू उत्पादन का पुन: अभिमुखीकरण तथा आदर्श परियोजना क्षेत्रों, एकीकृत कीट प्रबंधन आदि जैसे अनेक विस्तार एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत में उगाई जा रही तम्बाकू की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में भी वृद्धि करना।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी।
- विभिन्न देशों में तम्बाकू व्यापारियों एवं निर्यातकों के शिष्टमंडल भेजना तथा प्रमुख बाजारों से व्यापार शिष्टमंडलों को आमंत्रित करना।
- भारतीय तम्बाकू के संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रचार माध्यमों में व्यापक विज्ञापन अभियान चलाना।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं—

(1) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8686/08]

(2) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8687/08]

(3) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8688/08]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के वर्ष 2007-08 (अप्रैल-सितम्बर) की अर्द्धवार्षिक समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8689/08]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8690/08]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2008 जो 28 मार्च, 2008 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 237(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8691/08]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8692/08]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार टीचर एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8693/08]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदय, मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी न्यूजप्रिंट कंट्रोल (संशोधन) आदेश, 2008 जो 17 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 892(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8694/08]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय,

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8695/08]

(3) एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8696/08]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8697/08]

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संरकरण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8698/08]

(5) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इम्फार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इम्फार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8699/08]

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8700/08]

(9) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नार्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नार्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8701/08]

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी-8702/08]

अपराह्न 12.02 बजे

प्राक्कलन समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): महोदय, मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग-बीमा प्रभाग) से संबंधित "समाज के कमजोर वर्गों के लिए बीमा योजनाओं" के बारे में प्राक्कलन समिति के 15वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 1/2 बजे

लोक लेखा समिति

72वां से 74वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा-उपस्थित नहीं।

श्री खगेन दास।

श्री दास, क्या मैं आपकी ओर से कार्य कर सकता हूं।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)" के बारे में 72वां प्रतिवेदन;

(दो) "खाद्यान्न का प्रबन्धन" के बारे में 73वां प्रतिवेदन; और

(तीन) "विलंगम प्रभार से अनुचित छूट" के बारे में लोक लेखा समिति के 33वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 74वां प्रतिवेदन।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है।

अपराह्न 12.03 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

26वां, 29वां और 30वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

(एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-व्यापक जांच के बारे में 26वां प्रतिवेदन;

(दो) एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-संरक्षा और सुरक्षा पहलु के बारे में 29वां प्रतिवेदन; और

[श्री रूपचंद पाल]

(तीन) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम): महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (2007-2008) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-दूरसंचार विभाग की अनुदानों की मांगों (2002-2003) से संबंधित 42वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-2003) से संबंधित 43वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(3) विदेशी प्रिंट मीडिया का प्रवेश तथा प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) के बारे में 61वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिपारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(4) साफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क (एसटीपी) योजना (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) के कार्यान्वयन के बारे में 10वीं की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(5) डाक नेटवर्क का कार्यकरण और विस्तार (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-डाक विभाग) के बारे में 33वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(6) स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-दूरसंचार विभाग) से संबंधित 36वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(7) प्रसार भारती (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) का कार्यकरण के बारे में 38वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

(8) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-डाक विभाग की अनुदानों की मांगों (2006-2007) से संबंधित 39वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(9) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-दूरसंचार विभाग की अनुदानों की मांगों (2006-2007) से संबंधित 40वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(10) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2006-2007) से संबंधित 41वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर को दर्शाने वाला विवरण।

(11) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006-2007) से संबंधित 42वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.04 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

16वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): महोदय, मैं 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2007-2008) का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

204वां से 210वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा): महोदय, मैं उद्योग संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति के 201वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 204वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08) के संबंध में समिति के 202वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 205वां प्रतिवेदन।

(3) लघु उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के संबंध में समिति के 200वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 206वां प्रतिवेदन।

(4) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) के संबंध में समिति के 199वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 207वां प्रतिवेदन।

(5) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में समिति का 208वां प्रतिवेदन।

(6) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में समिति का 209वां प्रतिवेदन।

(7) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में समिति का 210वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे लगता है कि आप हिन्दी में बोले हैं।

अपराह्न 12.05 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी समिति

185वां से 191वां प्रतिवेदन

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 185वां प्रतिवेदन;

(2) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 186वां प्रतिवेदन;

(3) पृथ्वी विज्ञान मंज्ञालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 187वां प्रतिवेदन;

(4) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 188वां प्रतिवेदन;

(5) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 189वां प्रतिवेदन;

[डा. सुजान चक्रवर्ती]

(6) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 190वां प्रतिवेदन;

(7) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 191वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05½ बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति

25वां से 27वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 25वां प्रतिवेदन;

(2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में 26वां प्रतिवेदन;

(3) न्याय मिलने में होने वाले विलंब: न्यायालयों में लंबित मामलों के बारे में की-गई-कार्यवाही उत्तर के संबंध में 27वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं पिछले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य की प्रमुख मदों के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा।

प्रश्न काल के दौरान, सूचीबद्ध किए गए 99 तारांकित प्रश्नों में से केवल 25 का ही मौखिक उत्तर दिया जा सका। उक्त अवधि के 999 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ ही शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर भी सभा पटल पर रखे गए।

वित्तीय तथा विधायी कार्य के संबंध में सभा ने गृह, रक्षा, ग्रामीण विकास तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालयों से संबंधित अनुदान की मांगों पर क्रमश: लगभग 6 घंटे और 28 मिनट, 5 घंटे और 36 मिनट, 8 घंटे और 26 मिनट तथा 3 घंटे और 55 मिनट चर्चा की तथा इन मंत्रालयों से संबंधित मांगें पूरी तरह स्वीकृत हुईं।

वर्ष 2008-09 हेतु शेष मंत्रालयों की बकाया अनुदान की मांगें (सामान्य) सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत की गईं तथा उन्हें 24 अप्रैल, 2008 को पूर्ण स्वीकृति दी गई और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया।

सभा ने लगभग 2 घंटे और 37 मिनट तक वित्त विधेयक, 2008 पर चर्चा की और इस विधेयक पर पूरी चर्चा नहीं की जा सकी।

श्री बसुदेव आचार्य द्वारा आसनसोल, झरिया और रानीगंज के संपूर्ण कोयला क्षेत्र में जमीन धंसने तथा इसके संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। कोयला राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया और मांगे गए स्पष्टीकरणों का उत्तर दिया।

गैर-सरकारी सदस्यों के 23 विधेयक प्रस्तुत किए गए। श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा प्रस्तावित गैर-सरकारी विधेयक, चुनाव सुधार आयोग विधेयक, 2006 पर आगे 2 घंटे तथा 30 मिनट तक चर्चा हुई तथा इस पर पूरी चर्चा नहीं की जा सकी।

मंत्रियों द्वारा सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर पांच वक्तव्य दिए गए।

पिछले सप्ताह के दौरान सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के 57 मामले उठाए। इसके अतिरिक्त, नियम 377 के अधीन 43 मामले उठाए गए।

सप्ताह के दौरान विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने दस प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

पिछले सप्ताह व्यवधानों द्वारा स्थगनों के कारण 9 घंटे और 9 मिनट का नुकसान हुआ। इस प्रकार से गंवाए गए समय की आंशिक क्षतिपूर्ति करने हेतु सभा 1 घंटा और 49 मिनट देर तक चली।

हालांकि सभा का कुछ बहुमूल्य नष्ट हुआ है, पर इसके बावजूद मैं सुचारू कार्यवाही चलाने में अध्यक्षपीठ का सहयोग करने के लिए माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

अपराहन 12.07 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के तहत जारी लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश 73क के अनुसरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों (2007-08) से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति की इक्यावनवीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं। दिनांक 30 नवंबर, 2007 को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में स्थायी समिति की इस 51वीं रिपोर्ट पर विचार किया गया था और स्वीकार किया गया था तथा लोक सभा में दिनांक 4 दिसंबर, 2007 को प्रस्तुत किया गया था।

अपनी 43वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद स्थायी समिति ने 51वीं रिपोर्ट तैयार की थी। 43वीं रिपोर्ट पर ये की-गई-कार्रवाई टिप्पणियां दिनांक 27 अप्रैल, 2007 को सभा पटल पर रखी गई थी।

समिति की उपरोल्लिखित 51वीं रिपोर्ट के अध्याय-एक में पांच सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन पर समिति ने की-गई-कार्रवाई टिप्पणियां मांगी और अध्याय-पांच में छह पैरा, जिन्हें समिति ने अंतरिम प्रकृति का समझा और जिन पर समिति ने की गई अंतिम कार्रवाई टिप्पणियां मांगी, शामिल हैं। इसके पश्चात् सरकार द्वारा 21 अप्रैल, 2008 को स्थायी समिति के समक्ष अपेक्षित की-गई-कार्रवाई टिप्पणियों और की गई अंतिम कार्रवाई टिप्पणियों को प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त की-गई-कार्रवाई टिप्पणियों और की गई अंतिम कार्रवाई टिप्पणियों के माध्यम से समिति को सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की 51वीं रिपोर्ट में यथा अंतर्विष्ट विशिष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर उपरोल्लिखित की-गई-कार्रवाई टिप्पणियों और की गई अंतिम कार्रवाई टिप्पणियों का विवरण अब सभा पटल पर रख दिया गया है।

अपराहन 12.08 बजे

(दो) भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, सरकार को पिछले कई वर्षों से संविधान की आठवीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं को शामिल किए जाने की मांगें मिलती रही हैं। इस समय, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये हैं (1) असमी, (2) बंगाली, (3) बोडो, (4) डोगरी, (5) गुजराती, (6) हिन्दी, (7) कन्नड़, (8) कश्मीरी, (9) कोंकणी, (10) मैथिली, (11) मलयालम, (12) मणिपुरी, (13) मराठी, (14) नेपाली, (15) उड़िया, (16) पंजाबी, (17) संस्कृत, (18) संथाली, (19) सिंधी, (20) तमिल, (21) तेलुगु, (22) उर्दू।

भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में श्री प्रभुनाथ सिंह, संसद सदस्य द्वारा 18 दिसम्बर, 2006 को लोक सभा के पटल पर रखे गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में यह बताते हुए एक वक्तव्य दिया गया था कि भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

इस मामले में अंतर-मंत्रालयी परामर्श के दौरान यह पाया गया कि इस समय संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की गई किसी भी भाषा में परीक्षा देने की अनुमति दी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग ने यह अनुरोध किया है कि आठवीं अनुसूची की भाषाओं से वर्तमान संबंध को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में परीक्षा आयोजित करने में आयोग को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आयोग की परीक्षा-योजना से असंबद्ध कर

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए एलटी-संख्या 8703/08

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

दिया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह सूचित किया है कि भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के मामले को सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के संबंध में भाषा से जुड़े मुद्दे पर कोई निर्णय लिए जाने तक स्थगित रखा जाए।

अतः भोजपुरी और राजस्थानी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है और इस मुद्दे पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के संबंध में भाषा-नीति तय कर लिए जाने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** एलटी-संख्या 8704/08]

अपराह्न 12.10 बजे

(तीन) रेल मंत्रालय से संबंधित रेल संबंधी स्थायी समिति के 32वें, 33वें तथा 34वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, मैं दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी दिशा-निर्देश 73ए के अनुसरण में रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 32वीं, 33वीं और 34वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रख रहा हूं।

''नए रेलवे जोनों के निष्पादन'' के संबंध समिति की 32वीं रिपोर्ट लोक सभा में 14.09.2007 को प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमें 15 सिफारिशें थीं और उन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी नोट का अंग्रेजी पाठ 09.04.2008 और हिन्दी पाठ 16.04.2008 को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था।

''रेलवे में औद्योगिक संबंध और कर्मचारी कल्याण'' के संबंध में समिति की 33वीं रिपोर्ट लोक सभा में 14.09.2007 को प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमें 17 सिफारिशें थीं और उन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी नोट का अंग्रेजी पाठ 31.12.2007 और हिन्दी पाठ 03.01.2008 को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था।

''उपनगरीय और मेट्रो रेलवे'' के संबंध में समिति की 34वीं रिपोर्ट लोक सभा में 19.11.2007 को प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमें 10 सिफारिशें थीं और उन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी नोट का अंग्रेजी पाठ 10.03.2008 और हिंदी पाठ 17.03.2008 को समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था।

उपर्युक्त तीन रिपोर्टों में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों का सार दर्शाने वाला विवरण और उनकी कार्यान्वयन स्थिति का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाता है। चूंकि विवरण काफी विस्तृत है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.11 बजे

(चार) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) से संबंधित उपकर विधि (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 74वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, विभाग संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 74वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि ''समिति ने दिनांक 24 नवंबर, 2005 को आयोजित बैठक में विधेयक के प्रत्येक खंड पर विचार किया और विधेयक को अनुमोदित कर दिया तथा यह सिफारिश की कि विधेयक पारित कर दिया जाए।'' तदनन्तर विधेयक का अधिनियमन किया गया और उसे दिनांक 2 जून, 2006 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उपकर विधि (निरसन एवं संशोधन) अधिनियम, 2006 की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-8706/08]

अपराह्न 12.12 बजे

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या)

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** संख्या एलटी-8705/08

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 29.4.2008 में प्रकाशित।

अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हंसराज भारद्वाजः मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः मुझे आशा है कि मामलों के शीघ्र निपटान का आश्वासन भी इसके साथ ही होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब, मैं पांच माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। शेष माननीय सदस्यों को दिन के अंत में कवर किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): महोदय, मैं गन्ना किसानों की बात को विस्तार से कहने के लिए इजाजत चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदयः विस्तार से नहीं होगा।

श्री मुन्शी रामः महोदय, अगर बात पूरी नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदयः तब तो मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री मुन्शी रामः महोदय, मुझे गन्ना किसानों की बात को विस्तार से कहने के लिए इजाजत दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, आप अपनी बात कहना शुरू कीजिए।

[अनुवाद]

यदि यह अनुचित रूप से लंबा होगा तो मैं इसे रोक दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मुन्शी रामः महोदय, पिछले दो वर्षों में चीनी की पैदावार आवश्यकता से अधिक हुई है। चीनी का उत्पादन हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीनी की आवश्यकता से अधिक पैदावार हुई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चार वर्ष पूर्व हमें पाकिस्तान से चीनी आयात करनी पड़ी थी। भारत, जो कि एक कृषि प्रधान देश है, में खाद्य सामग्री का आयात करना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमें अपने किसानों को जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, उसे देने में हम नाकामयाब रहे हैं। हमारे किसान उत्पादन बढ़ा सकें इसके लिए सरकार ने अब तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। चीनी का बफर स्टाक हमारे देश में होने के पश्चात् इस उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया। पिछले दो वर्षों में जब चीनी 22 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रही थी, उस समय चीनी मिल मालिकों ने एक वर्ष में 200 रुपए से अधिक मुनाफा कमाया। वह मुनाफा बाजार में चीनी का भाव कम होने के पश्चात कम हुआ। मुनाफे में कमी होने से उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया। चीनी मिल मालिकों ने अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन बनाया और उसके अध्यक्ष ने एक पत्र सभी माननीय सांसदों को दिनांक 28 मार्च, 2007 को लिखा जिसकी एक प्रति मुझे भी प्राप्त हुई है। इस पत्र के माध्यम से एसोशिएशन के अध्यक्ष ने स्वयं यह माना है कि 25 करोड़ परिवार किसान एवं मजदूर ट्रांसपोर्टेशन आदि कामों से इससे जुड़े हुए हैं। इस भूमि पर गन्ना पैदा करने वाले किसानों ने यदि गन्ना पैदा करना बंद कर दिया तो इन मजदूरों का क्या होगा और उन पर निर्भर अन्य परिवारों की व्यवस्था कहां से चलेगी। ...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे इस बात को विस्तार से कहने की इजाजत दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः खेद है, यह सही समय नहीं है।

[हिन्दी]

आपने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने आपको मौका दिया है।

श्री मुन्शी रामः महोदय, मैं तुरंत अपनी बात समाप्त करता हूं।

महोदय, उद्योगपति लोग इसके माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं और 2500 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को देते हैं, उन सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की मेहनत का परिणाम है। देश में 475 शुगर फैक्ट्रीज चीनी उत्पादन करती हैं, लेकिन् यदि गन्ना

---

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पुरःस्थापित।

[श्री मुन्शी राम]

किसान गन्ने का उत्पादन बंद कर दे तो शुगर फैक्ट्रीज कैसे चीनी उत्पादन करेंगी? कैसे यह कारोबार चलेगा? एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह पत्र 20 अप्रैल, 2007 को माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे अत्यंत खेद है।

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम: महोदय, इसमें उन्होंने जो ब्यौरा दिया है कि उन्हें 530 प्रति क्विंटल रुपए का घाटा हो रहा है, वह बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पुराना निर्धारण मूल्य रहा है, 125 रुपए घटाकर भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसकी पैरवी नहीं की, भारत सरकार ने भी पैरवी नहीं की। जो मूल्य निर्धारित किया गया है, उससे भी कम मूल्य गन्ना किसानों को दिया जा रहा है। यह अन्याय है। आज 125 रुपए में जलाने की लकड़ी नहीं मिलती है, आप गन्ने के बात कर रहे हैं। अब चीनी मिलें गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं। चीनी मिल मालिकों को 15 दिनों के अंदर गन्ना किसानों को भुगतान करना चाहिए। ऐसा नहीं होकर दो-दो साल से उन्हें गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही उसका ब्याज देने के लिए वे तैयार हैं। मैं अपनी पूरी बात कहने की इजाजत आपसे चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप बहस के लिए इस विषय पर नोटिस दें, तब आपको पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि यह सही तरीका नहीं है। अभी फाइनेंस बिल पर भी चर्चा होनी है।

श्री मुन्शी राम: किसानों को घाटा होता है।

अध्यक्ष महोदय: इतना समय लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा।

श्री मुन्शी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह रहा हूं। पिछले साल उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 125 रुपए का दाम दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: आपने अच्छा मुद्दा उठाया है, लेकिन यह उचित समय नहीं है।

श्री मुन्शी राम: अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात हाउस के सामने नहीं आएगी तो कैसे इसका निस्तारण होगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार को, प्रदेश सरकार द्वारा जो गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है, वह कम किया है, उस संबंध में जो मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, भारत सरकार को पैरवी करनी चाहिए और कम से कम 150 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम निर्धारित करके किसानों को उसका भुगतान कराया जाना चाहिए। आपने गन्ने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 81 रुपए और 18 नए पैसे प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीस सालों से कितने प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, उसके अनुपात में गन्ना पैदा करने वाले किसानों के लिए किस तरह से आपने यह न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? कृषि मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि गन्ना पैदा करने वाले किसानों के साथ जो घोर अत्याचार हो रहा है, उस पर तुरंत ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, परंतु गलत समय पर।

[हिन्दी]

रुल्स को भी थोड़ा मानना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त। वे इस मुद्दे पर बहुत उत्सुक हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, आज मैं एक अलग मुद्दा उठा रहा हूं। मैं क्रिकेट संबंधी मुद्दे को उठा रहा हूं। यह आजकल खेले जाने वाले 20-20 मैचों के संबंध में है।

महोदय, मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि सर डान ब्राडमैन द्वारा खेले गए क्रिकेट के महान खेल का स्तर गिरकर विश्व के कई भागों में और अब भारत में जुए के खेल तक आ रहा है। पहले, यह पांच दिवसीय मैच हुआ करते थे और उसके बाद एक-दिवसीय मैच बन गए। अब क्रिकेट का एक और भी छोटा रूप आ गया है। जो 20-20 है और यह एक ही दिन में तीन घंटे भर में समाप्त हो जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन मैचों को देखने काफी लोग जा रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: जी, महोदय। यह त्रासदी है। प्रश्न यह है कि यह सब पैसे के लिए किया जा रहा है। वे मुख्यतः अमरीका के विचारों को अंगीकार कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्रिकेट? यह अमरीका से नहीं आया है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: नहीं, वे ऐसा सोच रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ हंसी-मजाक भी जरूरी है। श्री स्वाईं, कृपया सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं अपने माननीय मित्रों को यह बताना चाहूंगा कि अमरीका में बातचीत चल रही है। ...*(व्यवधान)* वहां पर बातचीत चल रही है। अत: मैं कह रहा हूं कि वे अमरीका, इंग्लैण्ड और आस्ट्रेलिया से विचार ग्रहण कर रहे हैं। यह खेल खेला जा रहा है। परंतु देखिए यह किस प्रकार खेला जा रहा है। मैं श्री शरद पवार को बधाई देता हूं क्योंकि पहले उन्होंने इसका विरोध किया था परंतु अब वह बदल गए हैं। वह बदल गए और भारत में आईपीएल टूर्नामेंट कराने को सहमत हो गए हैं।

महोदय, आठ टीमों को अनुमति (फ्रैंचायज) दी गई। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह इस तरह से नहीं किया जा सकता। आप मुद्दा उठाइये। उस पर चर्चा नहीं हो सकती। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: आठ टीमों को फ्रेंचायज दी गयी है और जिस प्रकार पशु बाजार में पशु खरीदे जाते हैं ठीक उसी प्रकार से खिलाड़ी खरीदे जा रहे हैं और उच्चतम कीमत 5 करोड़ तय की गयी है।

अध्यक्ष महोदय: हम सब यह जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले इस पर आपत्ति न करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: हमारी सूचना के अनुसार खेल पर 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्रिकेट पर खिलाड़ियों का कब्जा नहीं है बल्कि इस पर औद्योगिक घराने, शराब व्यापारी और निजी एयरलाइन चलाने वाले बड़े-बड़े औद्योगिक घराने काबिज हो रहे हैं। सरेआम जुएबाजी और सट्टेबाजी चल रही है। महोदय, मेरे तीन प्रश्न हैं। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप तीन प्रश्न उठाना चाहते हैं। यह प्रश्नकाल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निधियों के उस स्रोत का पता लगाएगी जहां से पैसा आ रहा है। भारत जैसे गरीब देश में हम क्रिकेट पर 4,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं।

दूसरे, क्या क्रिकेट के खेल को अपनी गरिमा खोने की अनुमति दी जानी चाहिए?

अध्यक्ष महोदय: आप क्रिकेट के समर्थन में हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मेरा तीसरा प्रश्न है कि "क्या बाजार, गली और खेल के मैदान में सरेआम जुआ खेलने या सट्टा लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।" मैं आपसे यह अपील कर रहा हूं कि यह भारतीय परंपरा नहीं है। हम उपभोक्तावाद के दौर में क्रिकेट के जिस स्वरूप का शिकार हो रहे हैं वस्तुत: उसका खेल से कुछ लेना-देना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आपके डर से वित्त मंत्री भाग गए होंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जो इसके फेवर में हैं वे भी अपना नाम दे दें और जो विरोध में हैं वे भी अपना नाम दें।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): आपने चीयर-गर्ल्स के बारे में कुछ नहीं बोला। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उस बारे में छोड़िए, वे भी बेचारी कुछ कमाने आई हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री को क्रिकेट के आपके कड़े विरोध के बारे में समुचित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। अब श्री हन्नान मोल्लाह।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे कहना चाहिए क्रिकेट के धन संबंधी पहलू के संबंध में।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं क्रिकेट प्रेमी हूं। मैं क्रिकेट खेला करता था। मैं मैदान में जाया करता था।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात जारी क्यों नहीं रखते? अब श्री हन्नान मोल्लाह।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): मैं सरकार का ध्यान अंडमान और निकोबार के सुनामी पीड़ितों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने भी कल उस स्थान का दौरा किया था। पांच वर्ष बाद भी वहां पर 30% पुनर्वास और निर्माण कार्य

[श्री हन्नान मोल्लाह]

भी पूरा नहीं हो पाया है। अंडमान ट्रंक रोड जो कि एकमात्र जीवन रेखा है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कुछ पुलों पर क्रीक बनाए जाने की आवश्यकता है। वह भी अभी तक नहीं बन पाई है। 93% भूमि वन विभाग के अंतर्गत आती है। उन्हें किसी भी प्रकार का पुनर्वास कार्य, सड़क निर्माण कार्य और विकास कार्य की अनुमति नहीं दी गयी। यदि माननीय प्रधानमंत्री हस्तक्षेप न करे तो मुझे नहीं लगता कि वन मंत्रालय इस पर सहमत होगा। वहां की कई अन्य समस्याएं भी हैं। कुछ छूट दिए जाने की आवश्यकता है। 17% लोग रांची की जनजातियों से वहां पर ले जाए गए हैं परंतु उन्हें वहां पर जनजाति का दर्जा नहीं मिल रहा है। वे काफी संकट में हैं। अतिक्रमण हटाने के नाम पर उन पर हमला किया जा रहा है। पेय जल परियोजनाओं का कार्य भी आरंभ नहीं किया जा रहा है और न ही वर्षा जल संचयन की कोई परियोजना चलाई जा रही है। यह बड़ी गंभीर समस्या है। निर्माण कार्य के लिए उन्हें सामग्री लाने के लिए पोत चाहिए परंतु उनके पास पोत नहीं हैं। पोत परिवहन मंत्रालय सामग्री लाने के लिए पोत नहीं दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय: यहां इस मुद्दे पर पूर्ण चर्चा नहीं हो रही है।

श्री हन्नान मोल्लाह: अत:, वहां कतिपय समस्याएं हैं जिन्हें मैं प्रकाश में लाना चाहता हूं। नौकरशाही के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार ने उनसे एक विधान सभा और निर्वाचित सरकार देने का वायदा किया। यहां तक कि पुडुचेरी के एक अन्य क्षेत्र में चार लाख की जनसंख्या के लिए वहां पर एक विधान सभा है। श्री बसुदेव आचार्य ने एक गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक पेश किया और सरकार ने वायदा किया कि अंडमान में एक विधान सभा और निर्वाचित सरकार बनेगी। यदि वहां पर निर्वाचित सरकार होगी तो इन चीजों का समाधान हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि वह अपने वायदे को निभाए और सभी कठिनाइयों को दूर करे तथा अंडमान के सुनामी प्रभावित लोगों की सहायता करे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, आपने एक गंभीर मामले को उठाने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, पनामा की कार्गो-वैसल कंपनी "एमवी रज्जाक" है। इसका जहाज बर्टिन लिमानी 17 फरवरी को रशिया के पोर्ट से टर्की जाने के लिए निकला, लेकिन पोर्ट से 90 मील जाने के बाद उसके लापता होने की खबर मिली। इस जहाज पर 25 इंडियन कर्मी थे और जिसका कैप्टेन भी भारतीय है। इस बारे में राज्य सभा में एक प्रश्न पूछा गया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उसका उल्लेख न करें।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: ठीक है, उसका संदर्भ मैं यहां नहीं देता हूं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रैकेट है और यह मामला सिर्फ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ नहीं है, अपितु यह मामला विदेश मंत्रालय और होम-मिनिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। जहाज जब रशिया से निकला तो पोर्ट-अथारिटी ने उन्हें जानकारी दी थी कि मौसम खराब है। खराब मौसम होने के कारण आप जहाज न लेकर जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी वह जहाज रशिया से निकला।

अध्यक्ष महोदय: इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात कहिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, मैं जानकारी दे रहा हूं। 90 मील जाने के बाद वह जहाज लापता हो गया। अब यह पता नहीं है कि वह जहाज लापता है या डूब गया है। यदि वह जहाज डूब गया है, तो जहाज के डूबने की भी कोई जानकारी नहीं है। इस जहाज की कम्पनी के मालिक पनामा के हैं, उन्होंने इस जहाज का इंश्योरेंस लंदन की कम्पनी से कराया है। यह जहाज 25 साल पुराना है। जब यह जहाज यात्रा के लिए निकलना था, तब उसमें 38 फाल्ट्स थे। जब यह जहाज यात्रा पर निकला, तब 35 खराबियों को सुधारा गया, लेकिन तीन खराबियों को सुधारा नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय, एक इंटरनेशनल रेकेट इसके पीछे है, जो इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम करना चाहता है। इस जहाज पर जो 25 भारतीय कर्मचारी थे, उनके परिवार के सदस्यों ने सरफेस मिनिस्ट्री को लिखा है कि इस जहाज के डूबने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, शायद जहाज को हाईजैक किया गया है या शायद लापता हो चुका है। सम्भवत: ये कर्मी जीवित हो सकते हैं और इसलिए हमें इंटरपोल की सहायता लेने की आवश्यकता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तथा होम मिनिस्ट्री को इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। इन 25 कर्मचारियों की जान को बचाने की जरूरत है। यह बात तय है, क्योंकि ऐसे ही एक जहाज इससे 9 महीने पहले लापता हो चुका है। उसकी भी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जिस कम्पनी ने इन कर्मचारियों को भेजा था, वह कम्पनी भी हमारे देश में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जो 25 कर्मी जहाज में फंसे हैं, उनकी जान

बचाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जहाज डूबोया जा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए इन 25 कर्मचारियों की हत्या की जा सकती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इंटरपोल की सहायता से इन कर्मचारियों की जान को बचाया जाए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, मैं भी श्री गीते द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य इस मामले से अपने को सम्बद्ध करना चाहते हैं वे सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेजें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, श्री जार्ज, यह तरीका नहीं है। मैं ऐसी चीजों की अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। इस समय का दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): अध्यक्ष महोदय, पूरी सभा के साथ-साथ आप भी इस बात से अवगत हैं कि 1 मई अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। इसका इतिहास विश्व के श्रमिकों के खून व पसीने से सना है। वर्ष 1980 से, यह दिन पूरे देश में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भ्रातृत्व, शांति तथा सौहार्द का और पूंजीवादी प्रणाली के शोषण के विरुद्ध लड़ने का दिन है। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु हमने सिर्फ 1 मई को ही नहीं बल्कि 2 मई को भी अवकाश घोषित किया है।

श्री सांताश्री चटर्जी: महोदय, भारत में केवल कुछ ही राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों ने इसे एन.आई. एक्ट के अंतर्गत अवकाश का दिन घोषित किया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस ऐतिहासिक मई दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और मैं आशा करता हूं कि पूरी सभा मेरी इस मांग का समर्थन करेगी।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, परन्तु कुछ और अधिक कार्य दिवस रहने दीजिए।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को इस मुद्दे से सम्बद्ध करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। श्री ए. कृष्णास्वामी, श्री सी. कुप्पुसामी और श्री ए.के.एस. विजयन का नाम इस मामले के साथ सम्बद्ध किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से जयपुर तक पांच जगह टोल टैक्स लिया जा रहा है और टोल टैक्स लेने की नीति भी गलत है। जगह-जगह टोल टैक्स लेने के कारण यातायात में दिक्कत आती है इस कारण यात्रियों को बहुत कष्ट होता है। मेरी प्रार्थना है कि टोल टैक्स लिया जाए, लेकिन उसका एक रूप होना चाहिए। छोटी गाड़ी के लिए भी 75 रुपया चार्ज करना बहुत अन्याय है। ठेकेदारों को पाबंद किया जाए कि अलग-अलग गाड़ी का टैक्स अलग-अलग लें। टोल टैक्स बैरिकेड्स पर कार, ट्रक और बस आदि के लिए जाने के लिए अलग-अलग लेन होनी चाहिए। इससे यातायात को सुगमता से आने-जाने में सुविधा होगी और यात्रियों को जाम से निजात मिलेगी तथा उनका समय भी बचेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अन्य सभी मामले शाम को लिए जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (झांसी): अध्यक्ष महोदय, क्रिकेट के विषय में बोलने का समय दिया गया लेकिन पीने के पानी को

[श्री चन्द्रपाल सिंह यादव]

समस्या पर बोलने का समय क्यों नहीं दिया जा रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आपको शाम को बोलने का समय मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको आज दिन के अंत में शाम को बोलने का समय मिलेगा।

अपराह्न 12.30 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज के लिए सूचीबद्ध, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

(एक) निजी कंपनियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे कम बजट वाले यात्री और निजी विमानों को दी गई छूटों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): भारत सरकार ने देश में विमानन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2004 में देश में कम बजट वाले विमानों के लिए उड्डयन, लैंडिंग और वाच एक्सटेंशन प्रभारों में छूट दी थी और तब से कम बजट वाली विमानन कम्पनियां इन छूटों का लाभ उठाती आ रही हैं।

मुक्त अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के मद्देनजर, देश में औद्योगिक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई है तथा अधिकांश बड़े उद्यम, बड़े औद्योगिक घरानों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, आदि द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। देश के औद्योगिक गतिविधियों में आयी इस अचानक वृद्धि ने लघु विमानों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए आधार तैयार कर दिया है। ऐसी अनेक निजी कम्पनियां और बड़े औद्योगिक घराने हैं जो देश में विभिन्न बड़ी परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। वे अपने कार्य स्थलों के निकट स्थित लघु विमानपत्तनों की सेवाओं का लाभ उठाते हुए अपने आवागमन तथा कार्य में लगे लोगों एवं सामान के परिवहन हेतु स्थिर विंग वाले वायुयानों का प्रयोग कर रहे हैं। ये निजी लघु विमान कम बजट वाले यात्री विमानों द्वारा भरी जा रही सीमित उड़ानों की तुलना में लघु विमानपत्तनों के लिए सतत उड़ाने भर रहे हैं तथा भारत सरकार द्वारा दी गई छूटों का लाभ उठा रहे हैं जबकि वास्तविकता में ये छूट निजी विमानों के लिए है ही नहीं।

इसके मद्देनजर, मैं भारत सरकार से इस छूट को कम बजट वाले यात्री विमानों तक सीमित करने तथा औद्योगिक घरानों और निजी कम्पनियों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे निजी विमानों और जेट विमानों के लिए यह छूट बन्द करने का अनुरोध करता हूं। मैं इन विमानपत्तनों पर वाणिज्यिक शर्तों पर निजी विमानों और जेट विमानों को मुहैया करायी जा रही विभिन्न सेवाओं हेतु लिए जा रहे शुल्कों की समीक्षा करने का भी अनुरोध करता हूं।

(दो) कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): कर्नाटक सरकार ने मार्च 2008 के दौरान कर्नाटक में भारी वर्षा/बाढ़ की तबाही की वजह से राहत और आकस्मिक कार्यों हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है।

मार्च 2008 के दौरान राज्य में हुई भारी वर्षा की वजह से 26 लोगों की जान गयी है। सी.आर.एफ. मानदंडों के अनुसार, जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सहायता राशि का भुगतान किया गया है। 2631 पशुओं के मरने की सूचना है जिसमें 52 बड़े पशु भेड़/बकरी जैसे 2579 छोटे पशु शामिल हैं। 15,479 घंटों का नुकसान हुआ है जिसके लिए 252.92 लाख रुपये दिए गए हैं।

भारी वर्षा की वजह से राज्य में निम्नलिखित ढांचों को नुकसान पहुंचा है:-

- 6285.40 लाख रुपये मूल्य की 2498.85 कि.मी. लम्बी सड़कें
- 2633.50 लाख रुपये मूल्य के 1075 पुल/पुलिया
- 333.70 लाख रुपये मूल्य के 115 लघु सिंचाई टैंक
- 995.05 लाख रुपये मूल्य की 70 लघु लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं
- 513.05 लाख रुपये मूल्य के 478 जलापूर्ति/स्वच्छता संयंत्र

*सभा पटल पर रखे माने गए।

- 155.39 लाख रुपये मूल्य के विद्युत नुकसान के 615 मामले
- 119.17 लाख रुपये मूल्य के 3020 निजी भवन

ज्ञापन में, भारत सरकार से बचाव, राहत और आकस्मिक कार्यों की मद में 54,185.14 लाख रुपये की सहायता मांगी गयी है।

मैं केन्द्र से अपील करता हूं कि वह कर्नाटक की बाढ़ पीड़ित जनता की सहायता हेतु यथाशीघ्र अपेक्षित राहत देने पर विचार करे और इसे स्वीकृत करे।

(तीन) देश में मानव तस्करी पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): मानव दुर्व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक गंभीर धब्बा है, जिसने हाल ही के समय में लगभग 9% की विकास दर हासिल कर ली है। मानव तस्करी की प्रमात्रा यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि गरीबी उपशमन के महत्वपूर्ण मुद्दों को आज भी बड़े पैमाने पर सुलझाया नहीं गया है। हाल ही के अनुमानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष इस घृणास्पद अवैध व्यापार में भारत और इसके बाहर 2-3 मिलियन लोगों की तस्करी की जाती है, जिसने भयावह रूप धारण कर लिया है तथा इसे मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यापार माना जाता है।

भारत के दक्षिणी भाग में भी मानव दुर्व्यापार ने पिछले कई वर्षों में घिनौना रूप धारण कर लिया है। जबकि गरीबी, रोजगार के विकल्पों की कमी, अशिक्षा इत्यादि इस अभिशाप में मुख्य सहायक कारक हैं साथ ही प्राकृतिक आपदाएं, जातीय आंदोलन तथा सीमापार घुसपैठ ने दक्षिण भारत में स्थिति को और भी विकट बना दिया है।

महिलाएं और बच्चे इस काले व्यापार में आसान शिकार हैं जिन्हें सामान्यत: इस क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसरों के बहाने बहला कर लाया जाता है, परंतु सामान्यत: वे देह व्यापार के पीड़ित बनकर रह जाते हैं। हमारे अनेक गांव उपेक्षा एवं सरकारी उदासीनता की एक दुखद तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। जिनमें मूलभूत सुविधाओं तक का भी अभाव है। यह भी स्पष्ट है कि मुख्य रूप से कार्यान्वयन में कमी के चलते गरीबी उपशमन योजनाएं वांछित परिणान नहीं दे रही हैं।

मानव दुर्व्यापार के बढ़ते हुए आयामों को देखते हुए, मैं सरकार, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वे इस संकट को रोकने के लिए तत्काल एवं व्यावहारिक उपाय करें ताकि विश्व में इस महान राष्ट्र की गरिमा पुन: प्रतिष्ठापित की जा सके।

(चार) गुजरात में हीराकोट, सुतरापारा और धामलेज समुद्र तटों पर पक्के घाटों (जेट्टीज) का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ (जूनागढ़): गुजरात राज्य के पोरबन्दर, जूनागढ़ और भावनगर जिलों के बीच में लगभग 250 से 300 किलोमीटर का समुद्रीय क्षेत्र है। इन तटीय क्षेत्रों में लगभग 3 से 4 लाख परिवारों का मुख्य कार्य मछली पकड़ना है और इन समुद्र तटों में आए हुए पोरबंदर तट, वेरावल तट और मांगरोल तट के मछुआरों के पास लगभग 20 हजार नावें हैं और इन्हीं तीनों तटों पर कुल मिलाकर 16 से 18 हजार नावों को तट पर रखने की सुविधा उपलब्ध है। उनके अलावा हीराकोट तट, सुत्रपाड़ा तट, धामलेज तट जो कि तट के छोटे क्षेत्र हैं, इन तटों के ऊपर जेटी नहीं होने की वजह से वहां रहने वाले मछुआरों को अपनी नावों को समुद्र में उतारना और वापस नावों के साथ किनारे पर आने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिससे नावों को भी नुकसान होता है। गुजरात सरकार ने इस बात को ध्यान में रखकर उसी समुद्र तट पर हीराकोट तट, सुत्रपाड़ा तट, धामलेडा तट क्षेत्र में जेट्टी बनाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मेरी जानकारी के अनुसार तीनों क्षेत्रों में जेट्टी बनाने का सर्वेक्षण कार्य हो चुका है और जेट्टी वहां बन सकती है।

गुजरात सरकार के द्वारा भारत सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं इस प्रस्ताव को नियम 377 के अधीन सूचना के द्वारा दिनांक 16.03.2005 को पहले भी रख चुका हूं, लेकिन तीन वर्ष के पश्चात् मुझे अभी तक इस प्रस्ताव के किसी भी कार्य की प्रगति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव से संबंधित मंत्रालय एवं विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश दिये जाये और शीघ्र कार्यवाही की जाये।

(पांच) लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर): मैं माननीय खान मंत्री का ध्यान लौह अयस्क के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर

[श्री रायापति सांबासिवा राव]

दिलाना चाहता हूं। जैसा कि सर्वविदित है, भारत में खनिजों का निर्यात एक्जिम नीति द्वारा दिशानिर्देशित होता है, जो घरेलू उद्देश्य तथा अधिशेष प्रमात्रा के निर्यात के लिए लौह अयस्क के औचित्यपूर्ण उपयोग को विनियमित करती है एवं बढ़ावा देती है। यह भी बताया गया है कि भारत में हमारे पास लौह अयस्क के पर्याप्त संसाधन हैं। यह भी सामान्य मान्यता है कि लौह अयस्क के निर्यात से खनन क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां जैसे जहाजरानी तथा सड़क परिवहन लाभान्वित होते हैं साथ ही यह रोजगार का भी सृजन करता है। इन तथ्यों को कोई नकार नहीं सकता है।

परंतु, कुछ माह पूर्व, निर्यात में तेजी से वृद्धि के कारण लौह अयस्क के तेजी से समाप्त होने की चिंता जताई गई है। एक वर्ग का विचार है कि लौह अयस्क पर कर उदग्रहण से घरेलू उपयोग के लिए लौह अयस्क का संरक्षण होगा, जबकि अन्य का मत है कि अवसंरचना के लिए इस्पात के मूल्य बढ़ जाएंगे। यह बताया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लौह अस्यकों की मांग के कारण इसके निर्यात में 100 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। अगर यह रुझान बरकरार रहा, तो घरेलू आवश्यकताओं के लिए मांग को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा।

इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से घरेलू उद्योग को ध्यान में रखते हुए भविष्य में लौह अयस्क के निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करूंगा।

(छह) प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, स्वाधीनता के लिए देशव्यापी संघर्ष में अनेक स्वाधीनता सेनानियों द्वारा इसमें भाग लिया गया, लेकिन स्वाधीनता संग्राम के इस इतिहास का आज भी सर्वव्यापी इतिहास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस स्वाधीनता संग्राम के अनेक स्वातंत्र्य वीर एवं वीरांगनाओं द्वारा स्वाधीनता के लिए आहुति दी गई। उनका स्मरण आगामी पीढ़ियों के लिए होना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक उपलब्ध दस्तावेजों का प्रमाणीकरण कर स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले वीर और वीरांगनाओं की समग्र जानकारी देश के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। आज के विज्ञापन युग में टी.वी., इंटरनेट तथा अन्य माध्यमों का उपयोग कर 1857 के महासंग्राम की यादें कायम रखकर नयी पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेने के लिए सरकार द्वारा एक कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता है। हमारे गोंडवन क्षेत्र के लिए वीर बाबुराव शेडमाके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में शहादत दी गई। उनके इस स्वर्णिम इतिहास को यहां पर बच्चों और बूढ़ों द्वारा आज भी स्मरण किया जाता है। उनके शहादत स्थल पर मेले लगते हैं। ऐसे आदिवासी, जनजातीय तथा इसी तरह से स्वाधीनता सेनानियों को आज भी विस्मरण किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि देश के ऐस विस्मृत, ज्ञात और अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास को आज की पीढ़ी से रूबरू कराने के लिए इनके स्मृतिचित्र के रूप में डाक टिकट जारी किये जाने चाहिये। डाक विभाग इस वर्ष इसे एक मालिका के रूप में कार्यक्रम जारी कर सभी स्वाधीनता सेनानियों की डाक टिकट जारी करें और आज रेलवे द्वारा टिकट और रेलों पर विज्ञापन प्रकाशित किये जा रहे हैं। इन विज्ञापनों के साथ अगर 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सहभागी वीर और वीरांगनाओं के चित्रों के साथ जानकारी प्रकाशित की गई तो आज की पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी हासिल करना संभव होगा और वे उनके प्रेरक व्यक्तित्व से प्रेरणा ले सकते हैं। मैं सरकार से इस मामले में संज्ञान लेकर उक्ताशयनुसार कार्रवाई करने के बारे में मांग करता हूं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे इन वीर और वीरांगनाओं की स्मृति कायम रखने तथा उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु इस प्रकार की कार्रवाई सरकार करे।

(सात) राजस्थान में गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) वर्ग के लोगों के लिए गेहूं के कोटे को बहाल किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, सामान्य वर्ग के लोगों को एपीएल श्रेणी में माना गया है। वित्त वर्ष 2007-08 के लिए भारत सरकार ने एपीएल परिवारों हेतु राजस्थान राज्य को 16,959 मी. टन गेहूं का आबंटन किया है तथा चावल का आबंटन शून्य किया गया है। इस योजना में जून, 2005 तक 1,07,96,720 राशन कार्डों की संख्या है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एपीएल परिवारों के लिए गेहूं 6.30 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह 35 किलोग्राम प्रति परिवार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। राज्य के एपीएल परिवारों में से मात्र 5 प्रतिशत परिवारों हेतु ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, शेष 95 प्रतिशत परिवारों के सामने खाद्यान्न की समस्या पैदा हो रही है।

केन्द्र सरकार द्वारा एपीएल परिवारों के लिए 1,57,682 मी. टन गेहूं प्रतिमाह राज्य को आबंटित किया जा रहा था किंतु, जून, 2006 से इसमें भारी कटौती करते हुए राज्य का आबंटन मात्र 16959 मी. टन गेहूं प्रतिमाह कर दिया गया है जो कि एपीएल परिवारों की संख्या के अनुपात में अत्यधिक कम है तथा केन्द्र

सरकार से राज्य के द्वारा इस आबंटन को बढ़ाने हेतु बार-बार निवेदन किया जाता रहा है। साथ ही टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत राज्य को विभिन्न योजनाओं में आबंटित गेहूं एफ.सी.आई. द्वारा गत कई माह से आयातित गेहूं जो लाल रंग का व छोटे दाने हैं, को उपलब्ध कराया जा रहा है। विभिन्न जिलों में उपभोक्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने इस गेहूं के वितरण के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है और अच्छी किस्म का गेहूं उपलब्ध कराने की मांग की है।

इस वर्ष मार्च के प्रथम पखवाड़े के दौरान रबी की तैयार फसल में ओलावृष्टि और तूफान से भारी तबाही हुई है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में सभी श्रेणी के किसान इससे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। वर्तमान समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराकर राहत प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा तथा गेहूं के महंगे भाव को देखते हुए राजस्थान एपीएल परिवारों के लिए जून, 2008 से पूर्व की स्थिति के अनुसार प्रतिमाह 1,57,682 मी. टन बढ़िया क्वालिटी का खाने योग्य गेहूं भिजवाने की व्यवस्था करायें।

(आठ) ग्रामीण क्षेत्रों से वसूल किए गए राजस्व का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए पंचायतों को दिए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): आजादी से पहले भारत के नेताओं का एक सपना था कि भारत गांव में बसता है और अगर गांव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। धार्मिक दृष्टि से भी धार्मिक नेताओं ने भगवान को पाने के लिए गांव को ही केन्द्र माना लेकिन आज़ादी के बाद शायद हम सब गांव के विकास को भूल गये बहुत सी योजनायें भी जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं, वे भी गांव का मूलभूत ढांचा सुधार नहीं पाये। गांव से शहर को पलायन बढ़ा है जिसका कारण रोजगार की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का कम होना, बिजली पानी जैसी समस्याओं का आज भी गांव में व्याप्त होना है। अगर गांव को आर्थिक तौर पर मजबूत कर दिया जाये और गांव की आमदनी का साधन बना दिया जाये तो गांव अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा। जैसे जो भी राजस्व एक गांव से मिलता है उस राजस्व की निश्चित मात्रा उसी गांव को दे दी जाये एवं पंचायत के पास एक साल में कितना पैसा आने वाला है, वह हिसाब उनके पास रहेगा। उदाहरण के तौर पर किसी गांव में बिजली, टेलीफोन बिल, मार्किट फीस इत्यादि इकट्ठे होते हैं और वह पैसा राज्य या केन्द्र के पास चला जाता है। अगर पहले सारा पैसा सरकार को जाये फिर वह पैसा गांव को जाये इस आने-जाने से लिकेज बहुत होती है अगर उस पैसे का प्रतिशत यहीं हर गांव को दे दिया जाये तो गांव की एक निश्चित आमदनी हो जायेगी। हर समय उस गांव को विकास के लिए सरकार की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। इसी तरह गांव में ईंट के भट्टे लगते है, पैट्रोल पम्प होते हैं, शराब के ठेके खुलते हैं या कोई उद्योग लगता है उससे जो भी कर एकत्रित हो उसका एक निश्चित प्रतिशत वहीं गांव को दे देना चाहिए। इससे गांव आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। इससे विकास होगा। रोजगार के साधन पैदा होंगे और पंचायती राज प्रणाली मजबूत होगी। आशा है कि सरकार इस विषय को ध्यान में रखते हुए योजना मेरे इस बिन्दु को ध्यान में रखकर बनायेगी।

(नौ) "महाराष्ट्र राज्य बुनकर महामंडल" के छंटनी किए गए कामगारों की बहाली के अतिरिक्त बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विधान लाए जाने की आवश्यकता

श्री शिशुपाल एन. पटले (भन्डारा): महोदय, देश में बुनकर कामगार बहुत संख्या में हैं। विशेषत: महाराष्ट्र में विगत 80 वर्षों से ये श्रमिक हाथ से कपड़ा बनाते हैं एवं उनमें अच्छी कला है। महाराष्ट्र सरकार ने बुनकरों से बनाया गया कपड़ा खरीद कर राज्य में सभी सरकारी दफ्तरों में सप्लाई करने के लिए महाराष्ट्र राज्य बुनकर महामंडल बनाया, जिससे राज्य में 1 लाख से ज्यादा श्रमिक इस उद्योग पर निर्भर थे। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें असंलग्नित कर दिया एवं उन्हें रु. 25,000 देकर काम से हटा दिया। इस कारण महाराष्ट्र में इन श्रमिकों पर भूखे रहने की नौबत आ गई है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन श्रमिकों को फिर से काम पर लिया जाये। जिनको रु. 25,000 देकर बंद किया है, व राशि कम है, उसे बढ़ाकर 1 लाख रु. किया जाये। जो लोग काम करना चाहते हैं उनका पीएफ काटा जाए। बुनकर श्रमिकों के लिए कामगार कानून (सुरक्षा के लिए) बनाया जाये। शिक्षावृत्ति, स्वास्थ्य सुविधा, आवास योजना का लाभ एवं पेंशन लागू किया जाये।

(दस) "जोधा अकबर" फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): महोदय, हाल ही में प्रदर्शित हिंदी फिल्म जोधा-अकबर विवादों के घेरे में रही। फिल्म में विवाद का मुख्य कारण जोधाबाई थी तथा फिल्म में जोधाबाई का जो किरदार दिखाया गया वह वास्तव में गलत है, ऐसा इतिहासकारों का भी मानना है। फिल्म में दिखाये गये जोधाबाई के

[श्री श्रीचंद कृपलानी]

किरदार से देश के राजपूतों में काफी रोष उत्पन्न हुआ, खासकर राजस्थान के राजपूतों ने इसका विरोध किया और फिल्म के प्रदर्शन पर कई राज्यों में रोक लगा।

इस फिल्म में निभाये गये जोधाबाई के किरदार को अस्पष्ट दिखाया गया है। फिल्म प्रदर्शित व फिल्म में विवाद होने के कारण देश के समस्त राजपूत समुदायों ने तत्काल सूचना एवं प्रसारण मंत्री से भी इस फिल्म पर रोक लगाने का आग्रह किया।

अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे एवं राजपूत समुदायों में फैल रहे रोष एवं उन्हें पहुंची मानसिक ठेस की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार जोधा-अकबर फिल्म पर रोक लगाये।

(ग्यारह) केरल में मालापुझा बांध स्थल और उद्यान परियोजना के पुनरुद्धार की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): केरल में मालापुझा बांध स्थल व उद्यान अत्यधिक आकर्षक पर्यटन केन्द्र है। इसका निर्माण 53 वर्ष पूर्व किया गया था। अब नए पर्यटन रुझानों के चलते यह उतना लोकप्रिय नहीं रहा है। इसलिए केरल के पर्यटन विभाग ने इस महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र की समग्र कायाकल्प के लिए अत्याधुनिक परियोजना तैयार की है। इस परियोजना को वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, परंतु केन्द्र सरकार द्वारा इस पर अनुमति दिए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र अनुमति प्रदान करें।

(बारह) उत्तर प्रदेश से सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सलेमपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक और बिलथारा रोड के दक्षिण की ओर एक ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के भटनी-वाराणसी रेलवे प्रखंड के बीच सलेमपुर रेलवे स्टेशन के पास एक ऊपरि पुल के निर्माण की मांग कई सालों से की जा रही है। इस संबंध में सर्वे भी हो गया है और ऊपरि पुल निर्माण के लिए आवश्यक मानदंड एक लाख वाहनों का इस मार्ग से आने जाने वाले मापदंड में इस मार्ग से डेढ़ लाख वाहनों को आने जाने का रिकार्ड किया गया है। इस संबंध में पत्र भी लिखे गये। संसद में इस विषय को उठाया गया परंतु रेलवे विभाग ने बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया जिसके कारण मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर में जनता द्वारा जन आंदोलन और जन प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी संसदीय क्षेत्र के बिल्थारा रोड के दक्षिण ढाले पर एक ऊपरि पुल का निर्माण लंबित है। इस पर काम नहीं हो रहा है। इन मार्गों पर ऊपरि पुल के अभाव में घंटों जाम रहता है और यह मार्ग बिहार के कई जिलों से जुड़ते हैं।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सलेमपुर रेलवे स्टेशन और बिल्थारा रोड के दक्षिण ढाले पर एक-एक ऊपरी पुल का निर्माण किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

(तेरह) बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव (बांका): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत सुल्तानगंज अमरपुर बांका कटोरिया पथ, सुल्तानगंज देवघर पथ एवं भागलपुर हसडिया पथ का जो निर्माण हो रहा है, उसमें सही किस्म के सामान का उपयोग हो नहीं रहा है और इनका आंकलन बहुत ऊंची दर पर हो रहा है। इससे यह सड़क निर्माण कार्य जो हो रहा है, वह बहुत निम्न किस्म का होगा और सड़कें छः-सात महीने में खराब हो जायेंगी और सरकार का जो खर्चा हो रहा है, वह व्यर्थ में जाएगा। इसकी जांच अति आवश्यक है और सख्त कार्यवाही भी की जाये, जिससे जनता के पैसे का सदुपयोग हो सके और नियमानुसार कार्य करने वाले को प्रोत्साहन मिल सके।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकरण की जांच तत्काल की जाये और दोषियों को सख्त सजा दी जाये।

(चौदह) उड़ीसा के भील समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): उड़ीसा में भील समुदाय आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व सामाजिक रूप से दबा-कुचला समुदाय है। मुख्य रूप से यह समुदाय बारगढ़ जिले के बारगढ़, बारपाली, बीजेपुर, भाटली, भट्टाबीरा व भेडन ब्लाक में पाया जाता है। वे राज्य के अन्य भागों में भी निवास करते हैं। भील समुदाय को अन्य राज्यों में अ.जा./अ.ज.जा. को मिलने वाले सभी लाभ प्राप्त हैं किन्तु वे अब तक उड़ीसा में इनसे वंचित हैं चूंकि यह समुदाय जनजातियों की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। उड़ीसा राज्य

जनजातीय परामर्शदात्री परिषद ने इसी बीच भील समुदाय को जनजातीय समुदाय की मान्यता प्रदान करने की मांग मान ली है तथा तदनुसार राज्य सरकार ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 2007 के पत्र सं. 33302 के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उड़ीसा के भील समुदाय को जनजातीय दर्जा प्रदान किए जाने की सिफारिश की है। परंतु मामला अभी भी जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास लंबित है जिससे उड़ीसा का भील समुदाय उन सभी लाभों से वंचित है जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए था। इसलिए मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय से इस मामले पर शीघ्रतापूर्वक विचार करने तथा उड़ीसा के भील समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध करने का अनुरोध करता हूं।

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और दांतन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-60 के दोनों ओर संपर्क मार्गों और सुरक्षा ग्रिल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): यह चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर विशेष रूप से खड़गपुर से दांतन तक अत्यधिक दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान भाखड़ाबाद और मनहरपुर बस स्टैण्ड पर अफसोसजनक हादसे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और विभिन्न संगठनों ने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। प्रस्ताव इस प्रकार हैं, मुख्य सड़क के दोनों तरफ पहुंच मार्गों का निर्माण, सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्रिल लगाया जाना इत्यादि। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के पास अपने विद्यालय पहुंचने के लिए एक्सप्रेस हाईवे को पार करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वहां छोटे बाजार विकसित हो गए हैं। इसलिए यह स्थान संरक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में अत्यंत जोखिम भरे स्थान हैं। मैं संघ सरकार से शीघ्रतापूर्वक आवश्यक उपाय करने का पुरजोर अनुरोध करता हूं। यह भी नोट किया जाए कि यह स्वर्णिम चतुर्भुज का एक भाग है।

(सोलह) झारखण्ड में धुर्वा स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन के बकायों का निपटान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): महोदय, एशिया के महानतम लोक उपक्रम एच.ई.सी.लि. धुर्वा रांची, झारखंड जिसमें सन 1962-63 में 15000 कर्मचारी काम करते थे, वे पिछले 15 सालों से अपने सेवा काल का वेज एरियर (सन 1992-1996) प्रबंधन से मांग रहे हैं। सन 2006 में प्रबंधन ने वेज एरियर देने का फार्मूला बनाया, जिनके अनुसार 6000 कर्मचारियों को बिना ब्याज का पेमेंट कर दिया तथा शेष 8000 कर्मचारियों को यह कहकर कि झारखंड सरकार से पैकेज बहुत जल्द मिलने वाला है, उसी से भुगतान कर देंगे, परंतु प्रबंधन ने उनका भुगतान आज तक नहीं किया है। यह लगभग 15000 कर्मचारियों के परिवार के भविष्य एवं जीविका का मामला है जो काफी गंभीर है जिसे विशेष पैकेज के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निपटान किये जाने की आवश्यकता है।

मैं इस सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि एच.ई.सी.लि. रांची, झारखंड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान ब्याज सहित अतिशीघ्र किया जाये जिसके कारण लगभग 15000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं।

(सत्रह) आन्ध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में डा. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा को अपवित्र किए जाने में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): डा. बी.आर. अम्बेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें संविधान निर्माता माना जाता है।

हाल में डा. बी.आर. अम्बेडकर के विरोध में बयान दिए गए हैं जो कि राष्ट्रीय अखंडता तथा अनुसूचित जातियों एवं समाज के कमजोर वर्गों के विकास के प्रति असहिष्णुता को दर्शाता है।

यहां तक कि देशभर में बार-बार डा. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त एवं अपवित्र किया गया है। लेकिन चूंकि अपराधियों को कोई सजा नहीं दी गई है, ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं।

हाल में आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के श्रीरंगपोर पेब्बार मंडल नामक गांव में 8 मार्च 2008 को डा. बाबा साहब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई। कुछ चरित्रहीन व्यक्तियों द्वारा रात्रि 2.30 बजे डा. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का सिर एवं हाथ अलग कर दिया गया। दलितों में व्यापक असंतोष था और इसके परिणामस्वरूप धरना एवं सड़क जाम किया गया। यहां तक कि स्थानीय डा. बी.आर. अम्बेडकर युवा संघ ने संदिग्ध व्यक्तियों का नाम बताते हुए स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज करायी थी।

असली अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा उन्हें सजा देने की बजाय स्थानीय पुलिस मामले को हल्का करने तथा निर्दोष व्यक्तियों

[डा. एम. जगन्नाथ]

को सजा देने का प्रयास कर रही है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार को असली अपराधियों को पकड़ने तथा उन्हें सजा देने तथा निकट भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया जाए तथा देश भर में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वाले व्यक्तियों को कड़ी सजा अथवा आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाने का भी अनुरोध करता हूं।

(अठारह) असम सरकार को बोडो मीडियम वेंचर स्कूलों के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): मैं केन्द्र की वर्तमान सरकार का ध्यान एक चिर लंबित मामले की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर बोडो मीडियम के सभी वेंचर स्कूलों में सरकारीकरण के लिए असम राज्य सरकार तथा बोडोलैंड प्रशासन की मदद करने के मामले में केन्द्र द्वारा तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता से संबंधित है।

वर्ष 1996 से निधियों की कमी के कारण राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों के सरकारीकरण प्रणाली के अंतर्गत नहीं लिए जाने के कारण असम के विभिन्न जिलों में काफी संख्या में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कक्षा सात तक के मिडिल इंगलिश तथा बोडो मीडियम के उच्च विद्यालयों को अकथनीय संकटों एवं वर्णनातीत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि, संसद के इस महान सदन में मैंने इस चिर लंबित मामले को बार-बार उठाया है, इसके बावजूद इस संबंध में अभी तक कुछ भी ठोस नहीं किया गया है।

मैं विनम्रतापूर्वक भारत सरकार से यह अपील करता हूं कि असम में मृतप्राय बोडो मीडियम विद्यालय शिक्षा को बचाने के लिए अपेक्षित सभी प्रकार की केन्द्रीय सहायता यथासंभव शीघ्र प्रदान कर इसके विलुप्त होने के खतरे को दूर करने के लिए तत्काल सक्रिय एवं सकारात्मक कार्य योजना तैयार की जाए, जिसकी वास्तविक रूप में तथा अत्यधिक जरूरत है।

अपराह्न 12.32 बजे

वित्त विधेयक, 2008—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 24, वित्त विधेयक, 2008 पर चर्चा करेगी। जो माननीय सदस्य अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। अब माननीय मंत्री महोदय।

***श्री रायापति सांबासिवा राव** (गुंटूर): महोदय, मैं कांग्रेस अध्यक्षा मैडम सोनिया गांधी जी, माननीय प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह तथा माननीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम को 60,000 करोड़ रुपए की राशि की ऋण माफी तथा राहत योजना की घोषणा करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। यह एक ऐतिहासिक घोषणा है जिसका कोई सानी नहीं है। विगत में किसी भी सरकार ने इतनी बड़ी राशि की ऋण माफी की घोषणा नहीं की थी। अगर मैं यह कहूं कि यू.पी.ए. सरकार किसानों के हित में काम कर रही है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। यह सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसान सम्मानजनक जीवन बिताएं। इस सरकार का यह असाधारण प्रयास है कि सरकार संकटग्रस्त किसानों का बचाव करने के लिए आगे आई है।

अब मैं अपने राज्य आंध्र प्रदेश की बात करूंगा जहां के लगभग 78 लाख लघु एवं सीमांत किसान 13,000 करोड़ रुपए का लाभ उठाएंगे। अत:, मैं कहना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश इस ऐतिहासिक ऋण माफी योजना से सर्वाधिक लाभान्वित होगा। ऋण माफी सही समय पर किया गया है तथा यह लघु तथा सीमांत किसानों के लिए वरदान कहा जा सकता है। यह योजना लघु एवं सीमांत किसानों को अपने ऋणों को समाप्त करने तथा उत्साहपूर्वक अपने आर्थिक कार्यकलापों को शुरू करने एवं नई जिंदगी शुरू करने के लिए समर्थ बनाएगा।

जैसा कि सुविदित है कृषि कार्य प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भर करता है। एक अर्थ में इसे जुआ कहा जा सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में काफी विकास के बावजूद हम मौसम की भविष्यवाणी तथा आसन्न प्राकृतिक आपदाओं के बारे में किसानों का मार्गनिर्देश नहीं कर सकते हैं। इस महीने आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा प्रकासम जिलों में असामयिक वर्षा ने मिर्च की फसल को बर्बाद कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप किसान विपदाग्रस्त हो गए हैं।

अब मैं ऋण माफी योजना की कुछ खामियों का उल्लेख करूंगा। मैं इस पर जोर देना चाहूंगा कि इस योजना से केवल लघु एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे, काश्तकार लाभान्वित नहीं होंगे। मैं एक विशेष उदाहरण को उद्धृत करूंगा कि काश्तकार, जिन्हें आंध्र प्रदेश में कौलू रिथुलू कहा जाता है, अधिकांशतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के हैं। वे गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अत:, वे सरकार से हर प्रकार की सहानुभूति के पात्र हैं। अत:, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि ऋण माफी योजना में इस दृष्टि से संशोधन किया जाना चाहिए

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जिससे काश्तकारों को भी लाभ मिल सके, क्योंकि काश्तकार ही खेत में कठिन परिश्रम करते हैं।

यही स्थिति तम्बाकू किसानों की है। उन्हें ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाभ नहीं प्राप्त होता है। इसका कारण तम्बाकू किसानों को देय मूल्य प्रणाली है। जैसी कि परम्परा है, यह अनिवार्य है कि तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रायोजित नीलामी प्लेटफार्म पर तम्बाकू बेचा जाए तथा तम्बाकू किसानों को मूल्य का भुगतान तम्बाकू बोर्ड द्वारा चेक के माध्यम से किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों को देय बकाया राशि का भुगतान चेक जारी करने के समय किया जा सके। तम्बाकू किसानों की ओर से कोई चूक नहीं हो सकती है क्योंकि भुगतान अनिवार्य है तथा यह बिक्री से प्राप्त राशि से किया जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा उन किसानों का है जो अपने बकाए का भुगतान बैंकों को समय पर करते हैं। वे ऋण राहत योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं हैं क्योंकि इसके लिए निर्धारित तिथि को उनके ऊपर कोई बकाया शेष नहीं है। यह उन किसानों को दंडित करने के समान है जो अपने बैंक ऋणों का भुगतान समय पर करते हैं। माननीय मंत्री महोदय इससे सहमत होंगे कि इससे उन किसानों को गलत संकेत जाएगा जो अपने बैंक ऋणों का भुगतान समय पर करते हैं। जैसा कि लोकप्रिय उक्ति है कि हम चूक को पुरस्कृत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस पहलू पर अपेक्षित गंभीरता से विचार करेगी।

अत:, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सामान्यत: किसानों, विशेषत: तंबाकू किसानों, जिन्होंने समय पर बैंक ऋण लौटा दिए हैं, को भी ऋण माफी योजना का लाभ दिलाने के लिए इसकी परिधि में लाया जाना चाहिए ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें।

अब मैं फसल बीमा योजना पर आता हूं। फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और कीटों द्वारा किए गए नुकसान से किसानों का संरक्षण करना है। किसान बीमा योजना के पक्ष में हैं लेकिन इसके लाभ सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। वर्तमान में सभी फसलों को बीमा योजना के तहत नहीं रखा गया है। मैं पुरजोर अनुरोध करता हूं कि फसल नुकसान के आकलन के उद्देश्य के लिए बीमा योजना के तहत सभी फसलों को लाया जाए और बीमा नुकसान मूल्यांकन प्रयोजनार्थ गांव को एक इकाई माना जाए।

मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उपर्युक्त सुझावों को क्रियान्वित किया गया तो इससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी। किसानों ने तहेदिल से ऋण माफी योजना का स्वागत किया है। वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की जय-जयकार कर रहे हैं। वे सरकार के इस कार्य से अभिभूत हैं। कांग्रेस अध्यक्षा, सोनिया गांधी जी, माननीय धानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपने सुशासन द्वारा और किसान तथा आम लोगों की वास्तविक समस्याओं को हल करके तथा देश का चहुंमुखी विकास करके नई बुलन्दियों को छुआ है।

अन्य मुद्दे:

महोदय, मैं वित्त मंत्री से मिर्च, तम्बाकू और कपास के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य (एमजीपी) सुनिश्चित करने का भी अनुरोध करता हूं। इसके साथ ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को मिर्च, तम्बाकू और कपास उत्पादकों को राजसहायता भी देनी चाहिए तथा जब इन महत्वपूर्ण फसलों के मूल्य में भारी गिरावट आए तो सरकार को यह राजसहायता न्यूनतम गारंटी मूल्य (एमजीपी) के अनुसार देनी चाहिए। मैं सरकार से उक्त प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि का आबंटन किए जाने का भी अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री से कामगार बीमा सुविधा का विस्तार, समाज के सभी तबकों तक किए जाने का अनुरोध करता हूं। मुझे आशा है कि प्रगति के पथ पर अग्रसर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार साहूकारों और कमीशन एजेन्टों से भारी ब्याज दर पर ऋण लेने के लिए मजबूर होने वाले किसानों को इस स्थिति से बचाने के लिए कोई नया उपाय खोजेगी। जब वे मूल धन और उस पर भारित उच्च ब्याज दर नहीं दे पाते तब वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। यदि किसानों को बैंकों से आसानी से ऋण मिल जाएगा तो वे उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेने के लिए साहूकारों के पास नहीं जाएंगे। अत: मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि बैंकों को नए अनुदेश अथवा निदेश जारी किये जायें ताकि बैंक कोई न कोई नुक्स निकाल कर ऋण देने से इंकार न कर सकें। अन्यथा किसान ऋण लेने के लिए साहूकारों के पास जाएंगे जोकि सभी समस्याओं की जड़ है। इस प्रवृत्ति को तुरन्त रोका जाना चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे किसान समुदाय को नए फसल ऋण देने के लिए आगे आएं।

आंध्र प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ और सूखे की समस्या उत्पन्न होती है। केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश के समक्ष प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाली समस्या से निपटने के लिए हर संभव वित्तीय सहायता देनी चाहिए। केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता के बिना राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को अपने बूते पर हल नहीं कर पाएगी।

[हिन्दी]

*श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय अध्यक्ष जी, वित्त विधेयक 2008 पर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सांसद निधि को दो करोड़ रु. से बढ़ाकर पांच करोड़ रु. किया जाये या इसे समाप्त किया जाये। पूरे देश में पेयजल की समस्या है। उक्त समस्या के निदान हेतु इंडिया मार्क IInd के हैंडपम्प प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 500 सांसदों के माध्यम से लगाया जाये। पिछड़े जिलों, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी हैं, यहां पर पेयजल एवं सिंचाई के साथ ही पर्यटन दृष्टिकोण के अलावा रेलों में स्टापेज तथा आर्थिक दृष्टिकोण से पैकेज मदद सरकार दे। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश को 100 करोड़ रुपए का पैकेज सूखे की स्थिति को देखते हुए दिया जाये। केन्द्र विशेष राहत (आर्थिक) रूप से दे।

[अनुवाद]

*श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुझा): महोदय, मैं निम्नलिखित मुद्दे उठाना चाहता हूं:-

(1) जब कभी पॉम ऑयल पर सीमा शुल्क में भारी कमी की जाती है तो किसानों, विशेषत: नारियल और अन्य तिलहन किसानों को, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कुछ अन्य उपाय तलाशने चाहिए। आयात संबंधी सीमा शुल्क कम करने से बाजार में खाद्य तेल के मूल्य में कमी नहीं आती है क्योंकि मलेशिया के व्यापारी और उत्पादक पॉम ऑयल पर सीमा शुल्क घटाने के कारण हमेशा मूल्य बढ़ा देते हैं।

(2) केरल के कुट्टानाड में ग्रीष्म वर्षा के कारण धान उत्पादकों की स्थिति खराब है। उनकी पकी फसल खराब हो गयी है। इन किसानों की सहायता के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

(3) बैंकों द्वारा किसानों को 4 प्रतिशत की दर पर कृषि ऋण देना चाहिए।

(4) छोटे और सीमान्त किसानों के ऋण माफ करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में तेजी लाई जानी चाहिए और यह निदेश दिया जाना चाहिए कि ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि को ऋण माफी के लाभ से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बैंक अपनी पंजिकाओं को इस प्रकार बनाए कि उनका ऋण नया ऋण दिखाया जाए।

(5) कर भुगतान संबंधी कर विवरणिका प्ररूप और प्रक्रियाओं को सरल किया जाना चाहिए।

(6) नागरिकों को कर भुगतान करने की आवश्यकता के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए स्व-सहायता समूहों का उपयोग किया जाना चाहिए। कर संग्रहण के लिए भी इन समूहों का उपयोग किया जाना चाहिए।

(7) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए और कदम उठाए जाने चाहिए। निजी लोगों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का उपयोग करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भाग लेने पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

(8) जो धर्मार्थ संस्थाएं वास्तव में कार्य कर रही हैं उनको कर में छूट दी जानी चाहिए और आधुनिक उपकरणों पर शुल्क हटा दिया जाना चाहिए, यदि इनका उपयोग सचमुच में धर्मार्थ प्रयोजनार्थ किया जाना है।

*डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): इस वर्ष का केन्द्रीय बजट भारत के दो वर्गों के लिए अप्रत्याशित लाभ लेकर आया है। वित्त मंत्री ने 60 हजार करोड़ रुपए के कृषि ऋणों को माफ करने का प्रस्ताव किया है जिससे लगभग 4 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने आयकर की दरों में भी भारी कमी की है जिससे शहरी मध्य वर्ग के लगभग 3 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। इस दूसरे वर्ग का एक छोटा हिस्सा है केन्द्र सरकार के लगभग 45 लाख कर्मचारी और राज्य सरकार के लगभग 1.5 करोड़ कर्मचारी हैं जिनके लिए एक अप्रत्याशित लाभ का फायदा किया गया है। जोकि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन में भारी वृद्धि है।

जबकि किसानों को औसतन लगभग 15000 करोड़ रुपए की एकबारगी ऋण माफी मिलने जा रही है, प्रत्येक आयकरदाता को कम से कम 4000 रुपए का नियमित वार्षिक लाभ मिलेगा, जो लोग अधिक वेतन लेते है उन्हें इससे अधिक लाभ मिलेगा, उच्च मध्य वर्ग के वेतन भोगी, जो प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए प्राप्त कर रहे हैं को कम से कम प्रतिमाह 4000 रुपए का लाभ होगा। वेतन वृद्धि के विवरण की घोषणा कर दी गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि सभी सरकारी कर्मचारी अपनी वर्तमान आय में कम से कम 40 प्रतिशत की वृद्धि की आशा कर सकते हैं। आयकर की नई दरों के कारण आयकर में कमी और बढ़े हुए वेतन के भुगतान से राजकोष पर उतना ही भार पड़ेगा जितना कि किसानों की एक बारगी ऋण माफी से पड़ेगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारत के दो पूरी तरह से अलग वर्गों को प्रस्तावित अप्रत्याशित लाभों के दोनों प्रकारों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया, अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को दर्शाती है। सभी दलों को चुनावों में हिस्सा लेने की बाध्यता के कारण कृषि ऋण माफी योजना की आलोचना प्रखर रूप से नहीं हुई है। परंतु अधिकांश विश्लेषक मानते है कि यह एक प्रतिगामी उपाय है जिससे जरूरतमंदों को कोई लाभ नहीं होगा और इसका सबसे बुरा प्रभाव हमारे किसानों के नैतिक बल पर पड़ेगा तथा इससे उनका नैतिक बल कमजोर होगा और उन्हें लगेगा कि उन्होंने जो ऋण लिया है उसका भुगतान जल्दी नहीं करना चाहिए।

दूसरी ओर, आयकर और वेतन वृद्धि संबंधी लाभों को सकारात्मक संकेतों के रूप में देखा गया है, जो उपभोग को बढ़ावा देंगे और अर्थव्यवस्था में तेजी लाएंगे। कई विश्लेषकों ने यहां तक उल्लेख किया है कि उच्च सरकारी अधिकारियों के वेतनमानों में भारी वृद्धि के पश्चात् भी उनका वेतन निजी क्षेत्र में प्रबंधकों से कई गुणा कम है। नए प्रबंधकों और सूचना प्रौद्योगिकीविदों के छोटे वर्ग को निजी क्षेत्र में भुगतान किए जा रहे वेतनों ने हमारी अर्थव्यवस्था में वेतन भुगतान प्रणाली में भारी विषमता पैदा कर दी है। प्रबंधकीय और साफ्टवेयर संबंधित व्यवसायों में जाने वालों को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में समतुल्य स्तरों पर कार्य करने वालों की अपेक्षा आनुपातिक रूप से अधिक वेतन मिलता है। परिणामस्वरूप, आधारभूत इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्रों जो कि एक जीवंत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य हैं। पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाना काफी कम हो गया है। वेतन भुगतान प्रणाली की विषमता उसी मात्रा में तेजी से एक समस्या बनती जा रही है, जैसी विषमता कृषि और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में सापेक्ष रूप से मौजूद है जो कि भारत में काफी समय से बनी हुई है।

कृषि और कृषकों का स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान रहा है। बड़ी संख्या में उनकी मौजूदगी के कारण, वे राजनैतिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं; और समय के साथ-साथ उनका राजनैतिक वर्चस्व बढ़ता रहा है। तथापि आर्थिक रूप से कृषि को कुल मिलाकर एक अवांछित आवश्यकता के रूप में देखा गया है। हमें भारी आयात किए बिना लोगों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित न्यूनतम मात्रा में खाद्य पदार्थों का उत्पादन तो करना ही होगा; साथ ही हमें कृषि पर निर्भर करने वाले भारी संख्या में लोगों को कम से कम तब तक लगाए रखना होगा, जब तक कि हम उनके लिए उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में बेहतर रोजगार नहीं ढूंढ लेते। अनाकर्षक किंतु एक अनिवार्य कार्यकलाप के रूप में उस बोध, जिससे शीघ्रातिशीघ्र आगे निकलने की आवश्यकता है, ने स्वतंत्रता के पश्चात् कृषि के बारे में हमारी आर्थिक सोच और आयोजना को प्रेरित किया प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, कृषि में किए गए हमारे सभी प्रयासों, जिसमें अत्यधिक महत्व वाली तथाकथित 'हरित क्रांति' भी है, का लक्ष्य प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 200 किलोग्राम से अनधिक खाद्यान्न के उत्पादन को सुनिश्चित करने का रहा है। इस आंकड़े या प्रति वर्ष 200 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति को अकाल आयोग की उन्नीसवीं शताब्दी के आखिर में आई एक रिपोर्ट से लिया गया है। जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अकाल के कारण होने वाली मौतों की आपदा को रोकने के लिए आपको किसी भी क्षेत्र में इतनी मात्रा में खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा। अकाल के राशन के इस आंकड़े को हमने खाद्यान्न उत्पादन का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया है। हम मात्र प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 200 किलोग्राम खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं; इस आंकड़े की तुलना में वास्तविक आपूर्ति कुछ कम ही होती है क्योंकि इसमें से कतिपय मात्रा को बीजों और बेकार होने वाले खाद्यान्न के रूप में अलग रखना होता है। विश्व में लगभग 300 किलोग्राम खाद्यान्न की प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति औसत आपूर्ति को आवश्यक माना जाता है; अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाएं 600 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से अधिक का उत्पादन करती है।

खाद्यान्नों के उत्पादन का हमारा स्तर दो बातों की ओर संकेत करता है। पहली बात यह है कि क्योंकि हमारा खाद्यान्नों का उत्पादन स्तर मानव अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर पर है, गरीब व्यक्तियों का एक बड़ा हिस्सा जिन्हें औसत खाद्यान्न को आपूर्ति भी नहीं हो पाती कुपोषित ही रह जाता है; भारतीयों के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी सभी आंकड़े बड़े पैमाने पर विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में भूखमरी और कुपोषण को दर्शाते हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि हमारे द्वारा उत्पादिक खाद्यान्न की कुल मात्रा मानवीय आवश्यकताओं के लिए ही अपर्याप्त है, इसमें पशुओं के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इसके कारण कृषि क्षेत्र से पशु पूरी तरह अछूते रह गए हैं, विशेषकर भारत के उन हिस्सों में जहां कृषि अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम दिखा रही है। भारत में, हमारे पास प्रत्येक दो हेक्टेयर भूमि की खेतों के लिए बैलों की जोड़ी होती थी। आज इतनी संख्या में मवेशी केवल देश के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, जहां पशु अभी भी लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग बने हुए हैं।

हमारी आर्थिक नीतियों में कृषि पर कम जोर दिया गया है और कृषि क्षेत्र के भीतर हमारी नीतियों में खाद्यान्नों और पशुओं पर कम जोर दिया गया है। कृषि अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक इस

[श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी]

बात को मानते हैं कि खाद्यान्नों की खेती निम्नतर कृषि कार्य है और किसी क्षेत्र में कुछ समृद्धि आने के पश्चात इसे वाणिज्यिक फसलों से बदल दिया जाना चाहिए, यदि सम्भव हो तो निर्धन क्षेत्रों में भी जैसा कि विदर्भ जैसे क्षेत्रों में किया जा चुका है, जहां पर ऐसा बदलाव किया जाना निरपवाद रूप से आपदाकारी सिद्ध हुआ है। विदर्भ में आत्महत्याओं के कई कारणों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण ज्वार की खेती को छोड़कर कपास और सोयाबीन की खेती को अपनाना रहा है। कृषि अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक इस बात को भी मानते रहे हैं कि निवेश, विशेषकर स्वदेशी भारतीय मवेशी, आर्थिक भार हैं और इन्हें काफी कम किए जाने की आवश्यकता है। परन्तु विदर्भ के किसान का अनुभव इसके विपरीत रहा है; वह जानता है कि जिसके आंगन में गाय या एक जोड़ी बैल होता है उसकी स्थिति आत्महत्या करने वाली नहीं बनती है।

200 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हास्यास्पद न्यून स्तर पर खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता घोषित करने, उत्पादन के इस स्तर पर खाद्यान्न के अलावा विविधिकरण को बढ़ावा देने और पशुओं के बिना कृषि की सिफारिश करने का भारत का आग्रह नेताओं और उन विशेषज्ञों दोनों के बीच एक अन्तर्राष्ट्रीय चुटकुला बना हुआ है, जिन्हें कृषि के विषय में थोड़ी भी जानकारी है। यह वास्तव में दु:खद है। क्योंकि भारत का प्राचीन साहित्य एक सुचारू रूप से चलने वाले समाज में भोजन की प्रचुरता के प्रमुख महत्व के बारे में विस्तार से शिक्षा देता है। यह साहित्य आग्रहपूर्वक यह शिक्षा भी देता है कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन और पशुपालन किसी भी समाज में प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हैं इनको किसी भी कीमत पर हर हाल में, बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इनका संरक्षण किया जाना चाहिए।

कृषि ऋण माफी को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। किसी भी अन्य उत्पादक गतिविधि की तरह कृषि में भी प्रचालनात्मक पूंजी की आवश्यकता होती है; जिसे कृषि ऋण के रूप में प्रदान किया जाना होता है। जब किसान ऋण की अदायगी में विफल रहते है तो बैंकिंग प्रणाली अवरुद्ध हो जाती है और आगे ऋण दिया जाना बंद हो जाता है। इसके कारण किसान अक्सर अनौपचारिक और साहूकार प्रणाली का सहारा लेता है। इसलिए बैंकिंग प्रणाली को सुचारू बनाना और ऋण प्रवाह को बनाए रखना आवश्यक हो जाता है।

मैं विदर्भ की एक अन्य कहानी बताना चाहता हूं। आंकड़े दर्शाते हैं कि उस अभागे क्षेत्र में, किसान गत कई वर्षों से कपास के बदले सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। यह मेरे लिए आश्चर्यजनक था क्योंकि उस क्षेत्र में सोयाबीन की पैदावार इतनी अधिक अच्छी नहीं है। मैंने अनेक किसानों से पूछा कि वे सोयाबीन की खेती की ओर क्यों उन्मुख हुए। उन्होंने जवाब नहीं दिया। अंत में, कुछ हद तक बेहतर स्थिति वाले एक किसान, अपने छोटे से गांव के एक पुलिस पटेल ने कहा कि वह मुझे इसका कारण बताएगा। उसने बताया कि पिछले वर्ष जब कपास की बुआई का समय आया तो उसके पास बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं था; स्थानीय सहकारी बैंक ने बीज के लिए कोई ऋण नहीं दिया क्योंकि उसने अपने ऋणों की अदायगी नहीं की थी। इसलिए उसने बताया कि वह बाजार गया, सोयाबीन के कुछ किलोग्राम बीज खरीदे और अपने खेत में बुआई कर दी, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम कुछ तो उगेगा। औपचारिक ऋण चैनलों को बंद किए जाने से कृषि का यह हश्र होता है। यह स्थिति किसानों को खेती छोड़ने के लिए मजबूर करती है।

वस्तुत:, ऋण माफी हमारी पक्षपातपूर्ण आर्थिक प्राथमिकताओं के लिए कोई समाधान नहीं है। इस स्थिति के समाधान के लिए लगभग अपनी समस्त प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है, यह पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने लिए किस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और हम इस महत्वपूर्ण कार्य को किस प्रकार पूरा करना चाहते हैं। किंतु कृषि ऋणों को कभी-कभी माफ करने से तत्काल संकट टालने में मदद मिलती है और किसानों को अपनी भूमि पर कृषि करते रहने का अवसर प्राप्त होता है। इससे हमें भारत की स्थिति और विशेष रूप से वर्तमान कृषि दशा पर ध्यान देने, कदाचित वह सीखने जो हमारा प्राचीन साहित्य हमें सिखाता है और मानवजाति के मूलभूत आर्थिक कार्यकलाप में हमारी प्राथमिकताओं पर बल देने का पुन: अवसर प्रदान करता है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री के. स्वाई जिन्होंने यह चर्चा प्रारंभ की और उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वित्त विधेयक जो कि बजट बनने के अंतिम चरण में है, संबंधी चर्चा में भाग लिया।

कई माननीय सदस्यों ने उन्हीं आधारों को आंशिक रूप से कवर किया है जो उन्होंने उस समय उठाए थे जब बजट पर चर्चा हो रही थी और उस चर्चा का उत्तर मैंने आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति और उन विभिन्न उपायों संबंधी मामलों पर सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को रखकर दिया था जो कि हमने न केवल विकास को बढ़ाने अपितु विकास में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने की दृष्टि से अपनाए थे।

इस स्तर पर हम वित्त विधेयक की बात कर रहे हैं। एक प्रकार से मैं अत्यंत संतुष्ट हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार मैंने

पाया कि किसी भी माननीय सदस्य ने उसमें कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं किया है हालांकि उसमें कुछ अधिकारिक संशोधन हुए हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: हम मध्यावधि चुनाव कभी नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपने आत्मविश्वास की कमी को दर्शा रहे हो।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह आत्मविश्वास की कमी के कारण नहीं हो रहा है परंतु हम देश को मध्यावधि चुनाव के पचड़े में नहीं डालना चाहते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं वित्त विधेयक में संशोधन की बात कर रहा हूं और माननीय सदस्य किसी और विषय में बात कर रहे है जो इससे पूरी तरह से अलग है।

वित्त विधेयक का आशय आयकर अधिनियम तथा कुछ अन्य मौद्रिक कानूनों में संशोधन करना था परंतु सच यह है कि कुछ सदस्यों ने हमारे द्वारा वित्त विधेयक में किए गए उपबंधों के संबंध में कुछ प्रश्न तो उठाये परंतु किसी ने भी वित्त विधेयक में कोई वास्तविक संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा।

निस्संदेह मैंने बजट से पहले व्यक्त की गई आशंकाओं का उत्तर दिया है। जैसाकि आप पाएंगे कि मैंने हाल ही में इस सभा में व्यक्त कुछ चिंताओं का भी उत्तर दिया है और मैं इसमें कुछ अधिकारिक संशोधन करने का प्रस्ताव कर रहा हूं जिससे माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी। परंतु सच यह है कि इसमें निजी स्तर पर कोई संशोधन नहीं किया गया है जो यह दर्शाता है कि हम ऐसे स्तर पर पहुंच पाए हैं जहां व्यापक रूप से मौद्रिक नीति को इस सदन के सभी वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय: उसमें कोई कटौती प्रस्ताव भी नहीं था; शायद उसमें एक ही कटौती प्रस्ताव था।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं केवल संशोधनों की बात कर रहा हूं, कटौती प्रस्ताव एक अलग मुद्दा है। कटौती प्रस्ताव वस्तुत: दूसरे बिन्दु से संबंधित था। वह बिंदु वित्त विधेयक की विषय-वस्तु से संबंधित नहीं था बल्कि एक राजनीतिक बिन्दु से संबंधित था।

अध्यक्ष महोदय: ये सही कह रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: उनमें से कोई भी नहीं था।

महोदय, व्यापक रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार उन बिन्दुओं के प्रति कृतसंकल्प है जो मौद्रिक नीति के संबंध में सीएमपी में कहे गए थे। मैं सीएमपी की बात उद्धृत करना चाहूंगा:

> "यूपीए सरकार ऐसे प्रमुख कर सुधारों द्वारा कर के सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को बढ़ाने के उपायों के लिए पहल करेगी जिससे करदाताओं की संख्या बढ़ेगी, कर अनुपालन में वृद्धि होगी और कराधान प्रशासन और प्रभावी बनेगा। कर की दर स्थिर रहेंगी और वह विकास और निवेश करने के अनुकूल होगी।"

महोदय, अब मैं इन लक्ष्यों की तुलना में इस सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन करता हूं। कर का जीडीपी अनुपात जो कि हमें विरासत में प्राप्त हुआ था। 2003-2004 में 9.2 प्रतिशत था। 2007-08 के अंत में यह 12.5 प्रतिशत था। 2008-2009 के अंत तक यह 13 प्रतिशत हो जाएगा। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्कों में कटौती करने के बावजूद हमारा कर जीडीपी अनुपात बढ़ता जा रहा है और इस बजट में, इस देश के प्रत्येक करदाता पर व्यक्तिगत आयकर लगाया जा रहा है। क्या इससे करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? इसका उत्तर 'हां' है। वर्ष 2003-04 में कर निर्धारण कराने वाले व्यक्तियों की संख्या 3,01,78,000 थी जो समय-समय पर कर सीमा में परिवर्तन करने और काफी सारे पहले कर देने वाले व्यक्तियों को कर के दायरे से बाहर कर देने के बावजूद 2007-08 में बढ़कर 3,25,00,000 हो गयी है। क्या कर देने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है? इसका उत्तर भी हां ही आया। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कर प्रशासन में सुधार लाने के लिए राजस्व विभाग को शुभकामनाएं दी।

सकल कर राजस्व की वृद्धि दर देखिए। यूपीए सरकार के चार वर्षों के दौरान सकल कर राजस्व में प्रथम वर्ष में 19.9%, दूसरे वर्ष में 20.1%, तीसरे वर्ष में 29.3% और चौथे वर्ष 2007-08 में अनंतिम रूप से 25% बढ़ोतरी हुई है। कर प्रशासन वास्तव में और अधिक कुशल एवं बेहतर बन गया है। प्रत्यक्ष करों पर कर संग्रहण की लागत प्रति 100 रुपये पर 53 पैसा आती है जो विश्व में सबसे कम है। अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में यह 65 पैसा प्रति 100 रुपये है। जैसाकि कई माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है कि कर संग्रहण की लागत व हमारे यहां शायद विश्व में सबसे कम है। इससे हमें क्या मिला? इससे हमें अपने विकास में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस समय समग्र विकास पर ही बात करूंगा परंतु वास्तविकता

[श्री पी. चिदम्बरम]

यह है कि हमारे पास कर राजस्व के पर्याप्त या कहिए कि काफी सारे साधन हैं। जिनमें से अन्य साधनों के बीच दो बातें प्रमुख हैं। पहली बात राज्यों को अधिक धन दे दिया गया है। मैं आपको इस समय राज्यों का राजकोषीय स्वास्थ्य दिखाऊंगा और राज्यों की उल्लेखनीय प्रगति बताऊंगा जिसके लिए वे केन्द्र को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि केन्द्र ने उन्हें बजटीय प्रावधान या अपेक्षा से भी अधिक, बहुत अधिक धनराशि दे दी है। दूसरे, इससे केन्द्र सरकार को परिव्यय में वृद्धि करने की काफी गुंजाइश मिल गयी है। क्या मैंने धन के लिए किसी विभाग को तरसाया है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि किसी भी विभाग के लिए धन की कमी नहीं रखी है। वस्तुतः अंतिम अनुपूरक के माध्यम से हमने उन्हें वर्ष के प्रारंभ में मूलतः बजट में किए गए प्रावधान से भी कहीं ज्यादा धन दिया है। पहले इनमें से कई की संख्या मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। परंतु, यह उनमें से कुछ की संख्या पर प्रकाश डालने का अच्छा अवसर है, कृपया मुझे फिर से उन संख्याओं को उद्धृत करने की अनुमति दें।

शिक्षा को ही लीजिए, 2003-04 में शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार का परिव्यय 7024 करोड़ रुपये था और चालू वर्ष में यह 34,400 करोड़ रुपये है। मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं। 2003-04 में इसके लिए 6,983 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और इस समय यह 16,534 करोड़ रुपए है।

अब मैं उसकी बात करता हूं कि जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बाधा न डालें यह सही नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम: यह 6 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा परंतु बात यह है कि क्या इस लक्ष्य की ओर हमने नाटकीय रूप से प्रगति की है? उत्तर है 'हां'। क्या यह 6 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा? उत्तर है हां। क्या यह 6 प्रतिशत तक पहुंच चुका है? अभी नहीं परंतु यदि हम इसी दर से बढ़ते रहे तो यह 6 प्रतिशत तक पहुंच ही जाएगा।

अब मैं उस चीज की बात करूंगा जो हम सभी के दिल के करीब है नामतः हमारे बच्चे विद्यालयों में जाने ही चाहिए। कुछेक दिन पहले ही मुझे एक दीक्षांत भाषण देने का अवसर मिला था। मुझे यह पाकर दुख हुआ कि आज भी 76 लाख बच्चे विद्यालय जाने से वंचित हैं। विद्यालय न जाने वालों की दर बहुत अधिक है। हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूलों में रहे और इसके लिए मध्याह्न भोजन की योजना प्रारंभ की गयी है यह योजना तमिलनाडु में केन्द्र सरकार से कोई पैसा लिए बगैर राज्य के अपने संसाधनों से स्व. श्री कामराज द्वारा प्रारंभ की गयी थी। तत्पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया और कहा कि यह योजना सार्वभौमिक बनाई जाए और सभी बच्चों को इसका लाभ दिया जाए। 2003-04 में इस देश के सभी बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन हेतु 1175 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इस वर्ष यह परिव्यय 8000 करोड़ रुपये का है।

हमने मध्याह्न भोजन की योजना प्राथमिक स्तर से बढ़ाकर उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक कर दी है। महोदय, अतएव हमारा लक्ष्य समग्र विकास है। आरंभिक बात स्वस्थ, राजकोषीय, मौद्रिक और वित्तीय नीतियों से संबंधित है जो विकास को बढ़ावा देंगी। जब विकास होगा तो हमें विकास के क्षणों के दौरान इस ओर ध्यान देना होगा और आज अपनी चर्चा के अंत में मैं यह बताऊंगा कि इस विकास को किस प्रकार समग्र बनाया जाए।

महोदय, मैं उन सुझावों को ध्यान में रखूंगा जो मुझे बजट से एक तिमाही पहले विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः यह हमारे प्रजातंत्र को श्रद्धांजलि है कि बजट पर हो रही चर्चा में बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं। मैं प्रौद्योगिकी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसके कारण ही लोग ई-मेल, फैक्स के माध्यम से अपने सुझाव दे पाए हैं और सदस्यों ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। मैंने इनमें से कई समस्याओं का उत्तर दिया है। कुछ मामलों में मैं समझता हूं कि उपबंधों को गलत समझ पाने अथवा सूचना के अभाव में लोग चिंतित हो गए हैं मैं इस समय उन्हीं सब शंकाओं का निवारण करूंगा।

महोदय, 29 फरवरी को बजट के प्रस्तुत किए जाने के साथ ही मुझे माननीय संसद सदस्यों, विभिन्न संघों, व्यापार एवं उद्योग जगत से जुड़े व्यक्तियों से वित्त विधेयक पर कई सुझाव मिले हैं।

मैंने इस सभा में संसद सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों को नोट कर लिया है। मैं आभारी हूं कि सदस्यों ने विभिन्न कर दरों में राहत का स्वागत किया है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कुछ प्रस्तावों पर आपत्तियां हैं।

महोदय, मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार कर प्रशासन में सुधार हुआ है और किस प्रकार कर राजस्व में सुधार हुआ है। निसंदेह, दूसरा मत भी है कि सरकार को अमीरों पर अधिक कर भार डालना चाहिए। एक व्यक्ति पर सीमित कर भार, शिक्षा उपकर सहित, 33.99% है। इसके अलावा, यह कारपोरेट क्षेत्र, व्यापार और उद्योग है जो अधिकांश सीमा और उत्पाद शुल्क देते हैं। मेरा प्रयत्न निगमों द्वारा प्रदत्त प्रभावी कारपोरेट कर में वृद्धि करना रहा है परन्तु मैं स्वीकार करता हूं कि चूंकि लगातार छूट दिए जाने

या नए छूट दिये जाने की मांग के कारण मेरे प्रत्यत्न पूर्णत: सफल नहीं रहे हैं। यदि मैं यह कहूं कि छूट संबंधी प्रत्येक अनुरोध को इस सभा में किसी न किसी सदस्य का भले ही वह किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो, समर्थन हासिल रहता है तो यह कोई रहस्य उद्घाटन करने वाली बात नहीं होगी।

मेरे विचार से तथा मैं यह सभा के विचारार्थ कहता हूं कि आगे आने वाला समय कर दरों में वृद्धि करने का नहीं बल्कि छूट हटाने का है। पिछले 4 वर्षों में मैं कुछ हद तक छूट हटाने अथवा 'सनसेट' खण्ड लगाने में सफल हुआ हूं परंतु मैं यह नहीं कह सकता हूं कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। इस संबंध में काम चलते रहना चाहिए। अंतत:, हमें कराधान के एक तंत्र को अपनाना होगा जहां कुछ ही छूट होगी प्रत्येक छूट की आवधिक समीक्षा होगी। तथा एक औचित्यपूर्ण समय के बाद प्रत्येक छूट समाप्त हो जाएगी। मुझे भरोसा है कि नयी कर संहिता को चर्चा हेतु जल्द ही जनता के समक्ष रख दिया जाएगा जो इस संबंध में मेरे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब होगा, और मुझे आशा है कि कुछ समय पश्चात् चर्चा एवं विचारण पश्चात् यह कानून का रूप ले लेगा।

महोदय, अब मैं वित्त विधेयक में वदलाव पर आता हूं। जिन्हें आधिकारिक संशोधनों के माध्यम से पुर:स्थापित किया गया है। वित्त विधेयक के खण्ड 3 के माध्यम से "धर्मार्थ प्रयोजन" की परिभाषा में संशोधन किया जाना है। बड़े पैमाने पर इसका स्वागत किया गया है जबकि कुछ चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। इसका आशय ऐसी किसी भी गतिविधि को दूर रखना है जो पूर्णत: व्यापार वाणिज्य अथवा उद्योग की प्रकृति की हो, अथवा कोई भी गतिविधि जो व्यापार, वाणिज्य अथवा उद्योग के संबंध में उपकर शुल्क या अन्य आय के लिए इस प्रकार की गतिविधि से होने वाली आय के उपयोग की प्रकृति का प्रयोजन या धारण के बिना चलाई जा रही है।

महोदय, भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आयकर अधिनियम में आय पर कर लगाया जाता है। तथा आय क्या है इसे प्रत्येक अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

इसलिए, जब तक कोई भी संस्था ऐसी गतिविधि करती है, जो पूर्णत: व्यापार, वाणिज्यिक अथवा उद्योग की प्रकृति की है, केवल इसलिए कि इसने धर्मार्थ का मुखौटा पहन रखा है, इसे आयकर अधिनियम से बचना नहीं चाहिए। जो मेरा मानना है कि इसे सभा के सभी दलों के सदस्यों द्वारा सामान्यत: स्वीकार कर लिया गया है जैसा कि कल मैंने वाद-विवाद को सुना।

मैं इसे दोहराता हूं कि इसका आशय उन निकायों के लाभों को सीमित करना है जो पूरी तरह से वाणिज्य एवं उद्योग में लगे हैं लेकिन जिन्होंने धर्मार्थ का मुखौटा पहन रखा है। जो निकाय (1) गरीबों को राहत, (2) शिक्षा, (3) चिकित्सा राहत जैसी गतिविधियों में लगे हुए हैं और जो पहले से ही इस धारा के तहत कवर किए गए हैं और ऐसे संगठन जो पहले से ही वास्तविक रूप से धर्मार्थ कार्यों में लगे हुए हैं। हम उन्हें नहीं छेड़ रहे हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने मुझे लिखा है जिसमें उन्होंने कृषि उत्पाद विपणन समितियों अथवा राज्य कृषि विपणन बोर्डों पर प्रस्ताव के संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है। चूंकि एपीएमसी एवं एसएएबी पर कर लगाने की कोई मंशा नहीं है तथा शंका मिटाने के लिए, मेरा आयकर अधिनियम में नया खण्ड 26 एएबी में धारा 10 अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि किसी प्रवृत्त कानून के तहत गठित एपीएमसी अथवा एसएएनबी को विशिष्ट रूप से आयकर छूट प्रदान की जा सके। जिसका उद्देश्य विपणन कृषि उत्पादों को विनियमित करना है। ...*(व्यवधान)* यह कुछ दिन पहले भी किया गया था परंतु मैंने कल भी आपको इस मुद्दे को उठाने से वंचित नहीं किया था।

मैं पुन: सभा को आश्वस्त करता हूं कि असली धर्मार्थ संगठन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। सामान्य पद्धति का अनुपालन करते हुए जिस दिन वित्त विधेयक को राष्ट्रपति सहमति प्रदान करेंगे-उस दिन सीबीडीटी एक व्याख्यात्मक परिपत्र निकालेगी जिसमें यह निर्धारण करने के लिए दिशानिर्देश अंतर्विष्ट होंगे कि क्या कोई निकाय व्यापार, वाणिज्य, कारोबार अथवा किसी व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार संबंधी कोई सेवा प्रदान कर रहा है। निकाय का उद्देश्य धर्मार्थ है या नहीं यह मामले के तथ्यों की समग्रता पर निर्भर करेगा। सामान्यत: वाणिज्य परिसंघ एवं ऐसे ही संगठन जो अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वे संशोधन से प्रभावित नहीं होंगे एवं उनकी गतिविधियों को सामान्य जनता के लाभ के उद्देश्य को बढ़ावा देने वाला माना जाएगा।

महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस छूट को कॅयर बोर्ड को भी देना चाहिए। मैंने इसे उत्तरवर्ती प्रभाव से दिया। परंतु मांग थी कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाए। चूंकि हम केवल निर्धारण 2002-03 तक ही जा सकते हैं, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि कॅयर बोर्ड को 1 अप्रैल 2002 से छूट दी जाए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, गुप्त दान या बेनामी दान के बारे में क्या होगा। यदि आप इसके बारे में कुछ कहेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

श्री पी. चिदम्बरम: यह वित्त विधेयक में नहीं है, यह वर्ष 2006 के वित्त विधेयक में है। इस सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित हुए दो वर्ष बीत चुके हैं। मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा।

[श्री पी. चिदम्बरम]

आयकर अधिनियम की 'सनसेट क्लाज' की धारा 10क और 10ख में से एक एसटीपीआई पर लागू होती है दूसरी ईओयू पर लागू होती है-इसके तहत 31.3.09 की तिथिनुसार छूट समाप्त हो जाएगी। प्रत्यक्ष करों पर केलकर कृतिक बल ने धारा 10क और 10ख के तहत कर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर के मामले में कतिपय अस्थायी व्यवस्था के तहत व्यापार करने वाले भागीदारों के साथ योग निर्धारण करार लंबित होने की स्थिति में कतिपय अस्थायी व्यवस्था के साथ छूट समाप्ति की सिफारिश की। एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन पर केलकर कृतिक बल ने भी यह सिफारिश की थी कि धारा 10(क) और 10(ख) को बढ़ाया जाए अथवा 2004 से दो वर्ष की अवधि में समाप्त कर दिया जाए। प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद ने भी इस मत की पुष्टि की कि धारा 10(क) और 10(ख) के तहत छूट को 31.3.2009 के बाद बढ़ाया न जाए। इन सिफारिशों के मद्देनजर, जब मैंने बजट प्रस्तुत किया तो मैं दुविधा की स्थिति में आ गया। मैंने जानबूझकर इस बारे में निर्णय सुरक्षित रख लिया ताकि हम बजट पश्चात् इस पर ठंडे दिमाग से सोच सके।

तब से हमने इस तथ्य पर चिन्तन आरंभ कर दिया कि 'सनसेट क्लाज' 31.3.2009 को समाप्त हो जाएगी। मेरी स्वयं की सोच मोटे तौर पर केलकर कृतिक बल तथा ईएसी की सिफारिशों से मेल खाती है।

इस संबंध में निर्णय की घोषणा करने का उपयुक्त समय 2009-10 होगा। तथापि, जैसा कि परिस्थितियां रूप लेंगी, 2009-10 के बजट को फरवरी 2009 में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा परन्तु सामान्य चुनावों के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए हमारे सामने एक अजीबोगरीब स्थिति है। 'सनसेट क्लाज' 31.3.2009 को समाप्त हो रही है जबकि बजट को फरवरी 2009 में प्रस्तुत किए जाने की संभावना नहीं है।

इसलिए, किसी भी अनिश्चितता से बचने के लिए जैसे ही हम 31.3.2009 के निकट पहुंचे, यह निर्णय लिया गया कि दो धाराओं 10क और 10ख में संशोधन किया जाएगा। सरकार को सुविचारित निर्णय लेने हेतु पर्याप्त समय देने के लिए तथा इसे उचित समय पर इसकी घोषणा करने के लिए छूट 31.3.2010 तक जारी रहेगी। इसलिए, इसे 31.3.2010 तक बढ़ाया जाएगा। महोदय, आयकर अधिनियम की धारा 40(क) के बारे में कुछ चिंताएं थीं, जिसके तहत सही समय पर टीडीएस न काटे जाने पर धन की अनुमति नहीं दी जाती थी। यहां, मैं यह टीडीएस क्या है इसकी व्याख्या करना चाहता हूं। टीडीएस एक स्वैच्छिक कर अनुपालन है। यह पूर्व निर्धारण है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में आयकर प्रणाली काम करती है। वास्तव में, हमें उस स्थिति की ओर जाना चाहिए जब शतप्रतिशत करों को स्वैच्छिक टीडीएस एवं अग्रिम करों के माध्यम से संग्रहीत किया जाता हो। वास्तव में, निर्धारण पश्चात् कर संग्रहण को यथासंभव न्यूनतम प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। सभी आधुनिक कर प्रणालियां इस प्रकार कार्य करती हैं। परंतु टीडीएस महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण है कि लोग टीडीएस काटे, स्रोत पर कर कोट, उचित समय पर इसे वापिस प्राप्त कर ले तथा पैसे को अपने पास न रखें क्योंकि यह धन वैध रूप से राजकोष का है।

कानून को वित्त अधिनियम, 2004 में संशोधित किया गया था, परंतु यह शर्त थी कि यदि व्यक्ति जो विशिष्ट व्यय पर स्रोत पर टीडीएस काटने का उत्तरदायी या ऐसा करने में असफल होता है अथवा उसे दिए गए समय में कर भुगतान करने में असफल रहता है तो विलम्बित भुगतान पर ब्याज व दण्ड के अतिरिक्त व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि यह कानून, वित्त विधेयक, 2004 में शुरू किया गया था इसलिए पहला निर्धारण वर्ष 2005-2006 था। माननीय सदस्यों तथा व्यापार से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन कठिनाइयों को बताया गया है जो संशोधन के पश्चात् प्रथम वर्ष अर्थात् निर्धारण वर्ष 2005-06 में आई। स्पष्ट रूप से संशोधित धारा 40(क) (एक क) के अनुपालन में विशेषकर उन कटौतियों जो मार्च के माह में की गई अदायगियों के संबंध में की जानी चाहिए थी, के संबंध में गलतियां की गईं। अतएव, मार्च के लिए, कम समय सीमा थी क्योंकि यदि आप वर्ष के अप्रैल माह में कटौती करते हैं तो आपके पास जमा करने के लिए पूरा वर्ष पड़ा था। मार्च में, आपके पास कम समय-सीमा थी। स्पष्टत: कुछ लोगों ने गलतियां कीं।

कठिनाइयां कम करने के लिए, मैं वित्त विधेयक, 2008 में एक नया खंड 8 जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं जो यह प्रावधान करता है कि मार्च के माह में किए गए व्यय के संबंध में कटौती करने वाले के मामले में आयकर अधिनियम की धारा 40(क) (एक क) के अंतर्गत कोई अनुमति नहीं दी जाएगी यदि ऐसे व्यय के स्रोत पर कटौती किया गया कर विवरणिका भरने की देय तिथि के पूर्व अदा किया गया था। करदाताओं को इस धारा के अंतर्गत व्यय की अस्वीकृति से बचने के लिए मार्च माह में भुगतान से संबंधित ऐसी टीडीएस जमा करने के लिए छह माह का समय मिलेगा। स्वाभाविक रूप से प्रस्तावित संशोधन को निर्धारण वर्ष 2005-06 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना होगा। यह संकट के उन सभी मामलों में सावधानी बरतेगा जहां कुछ वास्तविक गलतियों की गई हों।

वित्त विधेयक, 2008 के खंड 15 धारा 80 एक ख की उपधारा 9 में एक नया परन्तुक शामिल करने की मांग की गई है जिसके अनुसार खनिज तेल के शोधन में लगे किसी उपक्रम को किसी कटौती की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यह उपक्रम अप्रैल, 2009 को या इसके बाद शोधन कार्य शुरू करता है। यह एक अनुचित (सनसेट) खंड है जिसे जानबूझकर रखा गया है, यह दूरसंचार छूट में अनुचित खंड की भांति है। हम अब रिफाइनरी छूट को समाप्त कर रहे हैं। आज तेल कंपनियों को अचानक बहुत अधिक होने वाले लाभ तथा आज प्रात: कच्चे तेल की कीमत 120 डालर प्रति बैरल पहुंचने के कारण रिफाइनरी लाभ बहुत अधिक है। शुद्ध रिफाइनरियों को कर में छूट देने का कोई औचित्य नहीं है। अतएव, 1 अप्रैल, 2009 को इस खंड को समाप्त करने का सजग फैसला किया गया है।

तथापि, मेरे ध्यान में लाया गया है कि इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र की तीन निर्माणाधीन रिफाइनरियों- पारादीप, बीना और भटिण्डा—उनमें से कुछ निर्माण की अग्रिम अवस्था में हैं-को 1 अप्रैल, 2009 के पूर्व कमीशन नहीं किए जाने के कारण कर में लाभ नहीं मिलेगा। यह वास्तविक चिंता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन तीनों रिफाइनरियों को समय-सीमा का पालन नहीं किए जाने के कारण लाभ से वंचित न किया जा सके, इसलिए प्रस्ताव में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि ऐसी रिफाइनरियां लाभ उठाने की पात्र होंगी यदि वे शोधन कार्य 31 मार्च, 2012 से पहले शुरू करती हैं।

मुझे बताया गया है कि तीनों रिफाइनरियां 2012 तक पूरी हो जाएंगी। आयकर अधिनियम की धारा 80 एक ख (ग) के कार्यक्षेत्र के संबंध में कुछ चिंताएं प्रकट की गई हैं। महोदय, मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि धारा 80 एक ख (9) में सिवाय सनसेट खंड डालने के हमने कोई संशोधन नहीं किया है; खंड पूरी तरह से पूर्ववत है। हम कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं, यह उपधारा उस उपक्रम के संबंध में शत प्रतिशत कर छूट देती है जो लगातार सात आकलन वर्षों के लिए व्यावसायिक उत्पादन या खनिज तेल का शोधन शुरू करती है।

अब इस धारा का कार्यक्षेत्र क्या है? इस पर विवाद है। विभाग ने एक दृष्टिकोण अपनाया है; करदाताओं ने दूसरा दृष्टिकोण अपनाया है। विवाद आकलन वर्ष 2001-02 में शुरू हुए विवाद न्यायनिर्धारण के लिए विभिन्न कर प्राधिकारियों के पास लंबित है। मेरे विचार में, इन विवादों का निपटान संसद में वाद-विवाद द्वारा करना उचित नहीं होगा। हमें विवादों को कर न्यायाधिकरणों तथा न्यायालयों द्वारा सामान्य रूप से निपटान करने देना चाहिए। तथापि, वित्त विधेयक से संबद्ध खंडों पर टिप्पणों के चलते कुछ संदेह उत्पन्न हुए हैं। मैं इन संदेहों को स्पष्ट करना चाहता हूं। खंडों पर टिप्पणों का विवरण उन न्यायाधिकरणों तथा न्यायालयों के सम्मुख आयकर विभाग के ज्ञात दृष्टिकोण का केवल पुनर्विवरण है जो इस मामले का न्यायनिर्णय कर रहे हैं। कुछ भी नया नहीं कहा गया है। यह केवल विभाग के दृष्टिकोण का केवल पुनर्विवरण है जो पहले ही न्यायाधिकरणों तथा न्यायालयों के समक्ष रखा गया है। इसके अलावा, यह कानून की स्थापित प्रस्थापना है कि खंडों पर टिप्पण का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है तथा न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं है। मैं तेल अन्वेषण ब्लाकों के संभावी बोली लगाने वालों को आश्वासन देना चाहूंगा कि धारा 80 एक ख (9) का लाभ, जैसा कि अन्तत: न्यायालयों ने निर्धारित किया है, नामिती या बोली लगाने वाले के माध्यम से प्राप्त सभी तेल अन्वेषण तथा तेल उत्पादन ठेकों पर लागू होगा। मुझे विश्वास है कि न्यायाधिकरण तथा न्यायालय इन सभी विवादों को लगभग 6 माह से एक वर्ष के भीतर निपटा लेंगे।

महोदय, वित्त विधेयक के अन्य संशोधन केवल परिणामी प्रकृति के हैं तथा अतएव, उनकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। 'गुप्त दान' पर मैं कहना चाहता हूं कि यह दो वर्ष पूर्व शुरू की गई थी तथा मैंने 2006 में तथा गत वर्ष इस पर उत्तर दिया है। हम 'अज्ञात' दानों को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक संस्थाओं को अज्ञात दानों पर कोई कर नहीं लगाया जा रहा है। धर्मार्थ संस्थाओं को अज्ञात दानों को लेकर के अन्दर लाया जा रहा है जहां दान देने वाला या लेने वाला यह नहीं बताता कि दान करने वाला कौन है। जब आप एक स्कूल या अस्पताल को दान कर रहे हैं तो यह अज्ञात दान क्यों हो? हम नहीं कहते हैं कि आप इसे सार्वजनिक करें लेकिन कम से कम आपकी बही तो यह अवश्य प्रदर्शित करे कि कौन दान दाता है। अन्यथा, इसका निष्कर्ष यह है कि अनुभव के आधार पर यह दान मुख्यत: अज्ञात पैसों का दान है। मैं दान करने की इच्छा पर कर लगाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं; मैं दान देने वाले पैसे पर कर लगा रहा हूं क्योंकि प्रकल्पना है कि यह पैसा अज्ञात पैसा नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं: यदि यह दान स्कूल या चिकित्सा संस्था के लिए नहीं हैं तथा यह अनाथालय के लिए है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: वे एक बही रख सकते हैं। ...*(व्यवधान)* कुल मिलाकर मैं जो कुछ कह रहा हूं कि वह यह है कि दान करने की मंशा आदर योग्य एवं प्रशंसनीय है। मैं दाता को सलाम करता हूं। मैं कहता हूं कि दानदाता दान पाने वाले को अपना नाम बताए। दान पाने वाला केवल एक रिकार्ड रखे कि उसे यह दान

[श्री पी. चिदम्बरम]

किसने दिया। मैं यह नहीं कहता कि इसे समाचार पत्र में प्रकाशित करें। बस इसका रिकार्ड रखें। हम केवल यह कह रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि इसे समाचार पत्र में प्रकाशित करें, केवल यह रिकार्ड रखें कि किसने दान दिया। मेरे विचार में यह पूर्ण प्रावधान है; यह वह प्रावधान है जो काले धन के स्रोत को बंद कर देगा।

महोदय, मुझे जल्दी से एक या दो प्रश्न देखने दें। उनमें से कई प्रश्नों का उत्तर मैं अलग से दे सकता हूं। श्री स्वाईं ने पूछा कि कितने बैंकों ने 18 प्रतिशत कृषि ऋण प्राप्त किया है। इस वर्ष बाइस बैंकों ने इसे प्राप्त किया तथा गत वर्ष 11 बैंकों ने इसे प्राप्त किया था। अगले वर्ष मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक इसे प्राप्त करें। 11 का आंकड़ा 22 हो गया है। यह अच्छी संख्या है।

महोदय, पैकेज सॉफ्टवेयर तथा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ प्रश्न था। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में तथा पैकेज सॉफ्टवेयर उत्पाद के रूप में बेचा जाता है।

अपराह्न 1.00 बजे

अब दोनों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। कोई कारण नहीं है कि एक के साथ दूसरे की तुलना में अलग से व्यवहार होना चाहिए। अतएव, वस्तुओं के रूप में बेचे गए पैकेज्ड साफ्टवेयर पर 12 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया है तथा सेवा के रूप में बेचे गए कस्टमाइज्ड साफ्टवेयर पर 12 प्रतिशत सेवा कर लगाया है।

एक प्रश्न इस संबंध में था कि गत वर्ष कितनी-कितनी धनराशि वापिस की गई थी। वास्तव में, 2007-2008 में दिया गया प्रतिदाय सबसे अधिक है। 2003-2004 में कुल प्रतिदाय 25,737 करोड़ रु. था तथा 2007-2008 में हमने 45.14 लाख चेक जारी किए थे तथा 40,742 करोड़ रुपये का प्रतिदाय किया।

वास्तव में चुनिन्दा महानगरों में ''प्रतिदाय बैंकर'' योजना को शुरू किए जाने के बाद से प्रतिदाय की स्थिति में काफी सुधार आया है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत निर्धारीत को प्रतिदाय की जाने वाली धनराशि सीधे उसके आयकर खाते में जमा हो जाती है। इसमें किसी व्यक्ति को कोई कार्य नहीं करना पड़ता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रानिक माध्यम से बैंक में प्रतिदाय जमा हो जाता है और यदि यह ''प्रतिदाय बैंकर'' योजना की परिधि में आता है तो बैंक द्वारा इसका अग्रिम भुगतान कर दिया जाता है।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): इस वर्ष यह लम्बित है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने वर्ष 2007-2008 में 40,000 करोड़ रुपए प्रतिदाय किया है।

श्री हरिन पाठक: वर्ष 2008-09 के लिए यह लम्बित है।

श्री पी. चिदम्बरम: इसे अब जारी किया जाएगा और वर्ष 2008-09 के आंकड़े वर्ष 2007-08 से अधिक होंगे। यदि संग्रहण अधिक होगा तो प्रतिदाय भी अधिक होगा।

श्री हरिन पाठक: मुझे ये नहीं मिला है।

श्री पी. चिदम्बरम: कम्प्यूटरीकरण के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। मेरे पास कम्प्यूटरीकरण के बारे दो विभागों की कड़ी टिप्पणियां हैं और मैं इन बड़ी टिप्पणियों को माननीय सदस्यों के पास भेजूंगा। कम्प्यूटरीकरण में उल्लेखनीय प्रगति की गई है। वास्तव में अब सीमा शुल्क विभाग का लगभग पूरी तरह से कम्प्यूटरीकरण हो चुका है। जो सदस्य कम्प्यूटरीकरण के संबंध में जानना चाहते हैं, मैं ये टिप्पणी उन सदस्यों को भेजूंगा।

इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि बजट और आफ बजट राजसहायता में वृद्धि हो रही है। यह सच है कि राजसहायता में वृद्धि हो रही है, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय है जो हम सभी को मिलकर करना है। मेरा मानना है कि एक विकासशील देश में कुछ राजसहायताएं अपरिहार्य होती हैं। वस्तुत: कुछ राजसहायता कल्याण योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। खाद्य संबंधी राजसहायता जरूरी है, उर्वरक संबंधी राजसहायता जरूरी है और ईंधन पर भी राजसहायता दी जानी है, लगातार बढ़ते हुए ईंधन मूल्यों का भला हो। यहां विद्युत, सिंचाई इत्यादि संबंधी राजसहायता भी मौजूद है।

राजसहायता का बिल काफी बड़ा है। वास्तव में सभी प्रकार की राजसहायताओं संबंधी राजसहायता का बिल ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इसे सहन नहीं किया जा सकता। चालू बजट, सभी राजसहायताओं का सम्पूर्ण भार वहन नहीं कर सकता और इसमें से कुछ भार को आस्थगित करना होगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि हम चालू व्यय को आस्थगित कर रहे हैं। वास्तव में अनेक वर्षों से आफ बजट का प्रचलन रहा है। यदि आप इसे बजट में शामिल करेंगे तो इससे राजकोषीय घाटा अनुपात आएगा तथा इससे राजस्व घाटा अनुपात की स्थिति बजट में उल्लिखित राजस्व घाटे के अनुपात से काफी खराब हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के संबंध में इस सरकार का रिकार्ड बहुत अच्छा है।

मैं यहां दोनों आंकड़े अर्थात् आफ बजट व्यय के बिना और आफ बजट व्यय सहित पढ़ सकता हूं। वर्ष 2007-08 में आफ बजट व्यय के बिना, राजस्व घाटा घटकर 1.4 प्रतिशत रह गया है तथा राजकोषीय घाटा 3.1 प्रतिशत रह गया है। कृपया इस बात को अपने जेहन में रखे कि जब हमने सत्ता की बागडोर संभाली थी उस समय राजस्व घाटा 3.6 प्रतिशत था और हमने इसे घटाकर 1.4 कर दिया है। इसके अतिरिक्त उस समय राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत था जो आज घटकर 3.1 प्रतिशत रह गया है। इस वर्ष भी हम राजस्व घाटे में 1 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे में 2.5 प्रतिशत की कमी लाएंगे।

यदि हम वर्ष 2003-2004 के आफ बजट को देखें तो तत्कालीन सरकार ने भी बजटेतर बजट व्यय दिया था और आफ बजट व्यय किया था, मैं इसकी संख्या दे सकता हूं। वर्ष 2003-2004 में आफ बजट व्यय सहित राजस्व घाटा 3.7 प्रतिशत था और वर्ष 2007-08 में यह घटकर 2 प्रतिशत रह गया है। इसी प्रकार वर्ष 2003-04 में राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत था जो 2007-08 में घटकर 3.3 प्रतिशत रह गया है।

अत: मुझे नहीं लगता कि हमें चिंताजनक हालात की तस्वीर पेश करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने बजटेतर बजट व्यय सहित राजकोष का विवेकपूर्ण उपयोग किया है, हमने राजकोषीय घाटे को कम किया है, हमने राजस्व घाटे को भी कम किया है। यह ठीक है कि जो बजट दस्तावेज में बताया गया है यह उससे काफी खराब है लेकिन हम सभी को सामूहिक रूप से स्वयं को बधाई देनी चाहिए कि हम बेहतर वित्तीय प्रबंधन तथा राजकोष का विवेकपूर्ण उपयोग करने के साथ-साथ राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे को कम करने में सफल रहे हैं।

ये बजटेतर बजट व्यय परवर्ती वर्षों में पूरा किया जाएगा। हम बांड जारी कर रहे हैं। इन बांडों को हमें और हमारे बच्चों को उन्मोचित कराना होगा। इसलिए कभी न कभी हमें इस बात पर गौर करना ही होगा कि हम कितनी राजसहायता का भार वहन कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त हमें राजसहायता के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का भी निर्धारण करना होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे यहां जरूरी राजसहायता और गैर-जरूरी सहायता विद्यमान है। जरूरी राजसहायता को जारी रखा जाएगा। जब आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएंगे तो कुछ राजसहायता, जो गैर जरूरी राजसहायता है, जरूरी राजसहायता बन जाएंगी और जरूरी सहायता, गैर-जरूरी राजसहायता में तब्दील हो जाएंगी। लेकिन बजट केवल थोड़ा सा भार वहन कर सकता है। यही कारण है कि इनमें से अनेक व्ययों में से कुछ को बांडों की सहायता दी गई है। पिछली सरकार के समय में भी ऐसा ही किया गया था। यह इस सरकार द्वारा किया गया नया काम नहीं है। लेकिन ऐसा किया जाना अपरिहार्य था क्योंकि अनेक व्ययों में तेजी से वृद्धि हुई है और आज बजट इन्हें सहन नहीं कर सकता है। इसलिए बांड जारी किए गए हैं।

मैं समझता हूं कि मैं प्रत्यक्ष करों के संबंध में वित्त विधेयक में उत्पन्न हुए अधिकांश मुद्दों के बारे में बता चुका हूं। अप्रत्यक्ष करों के बारे में कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, केवल सिक्किम में 400 परिवारों को भारतीय आयकर अधिनियम के दायरे में लाया गया है जबकि हर किसी को छूट दी गई है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, सिक्किम के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर 1980 से सिक्किम सरकार और केन्द्र सरकार के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। जैसाकि आपको स्मरण होगा कि आयकर अधिनियम को सिक्किम पर लागू किया जाना था। लेकिन सिक्किम सरकार और वहां के लोगों के इसका विरोध किया था। लगभग 18 वर्षों के लम्बे विचार-विमर्श के बाद हम सिक्किम सरकार के साथ समझौता कर पाए हैं। सिक्किम सरकार के साथ समझौता हो जाने के बाद हमने सिक्किम में इस अधिनियम को लागू किया लेकिन हमने उन विषयों को छोड़ दिया जो सिक्किम की सब्जेक्ट रजिस्टर में विद्यमान हैं।

मुझे लगता है कि पांच भिन्न-भिन्न सरकारों के साथ 18 वर्षों तक गहन विचार-विमर्श करने के बाद तैयार किए गए पैकेज को उलझाना ठीक नहीं है। अब हम इस विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक सिक्किमवासी को सिक्किम राज्य के किसी स्रोत से अथवा लाभांश से या प्रतिभूतियों पर ब्याज से प्राप्त आय को आय कर से छूट दे रहे हैं। इस कर छूट को भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् एक अप्रैल, 1990 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है। उक्त प्रयोजनार्थ सिक्किमवासी की परिभाषा सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलैशन, 1961 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर आफ सिक्किम सब्जेक्ट्स जिसे सिक्किम सब्जेक्ट्स रूल्स 1961 के साथ पढ़ा जाए और तत्पश्चात् इस संबंध में जारी किए गए सरकारी आदेशों पर आधारित है।

सिक्किम सरकार द्वारा सिक्किम के नागरिकों को पहचान प्रमाण-पत्र जो ऐसे प्रमाण-पत्र धारक को भूमि खरीदने और सिक्किम में सरकारी नौकरी पाने में समर्थ बनाते हैं जारी करते समय भी इसी रजिस्टर और सरकारी आदेशों का पालन किया जाता है। सरकार द्वारा अनुमोदित पैकेज में भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत गैर-सिक्किमवासियों के पूर्व के वर्षों के मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। इस

[श्री पी. चिदम्बरम]

संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा परिपत्र जारी किया जाएगा।

सिक्किम में सिक्किम सब्जेक्ट्स रजिस्टर है। सिक्किम में भूमि खरीदने और सिक्किम में सरकारी नौकरी पाने के लिए इसी रजिस्टर का पालन किया जाता है। सिक्किम के नागरिकों को आयकर अधिनियम से छूट प्रदान करने के लिए भी इसी रजिस्टर का पालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी नागरिकों को गैर-सिक्किमवासी माना जाता है। मैं उन्हें छूट दे रहा हूं। मैं उनके विगत के निर्धारणों को नहीं खोलूंगा। इसे केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा। यदि कोई अपने विगत के आयकर दायित्व से बचना चाहता है तो वह ऐसी चालाकी कर सकता है। हमें "गढ़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए।" हम इसे भविष्यलक्षी प्रभाव से ही लागू करेंगे। मैं इसे इससे बढ़िया ढंग से नहीं कर सकता। हमें इस पैकेज को नहीं उलझाना चाहिए और एक संवेदनशील राज्य के साथ किसी अन्य विवाद को हवा नहीं देनी चाहिए। हमने समझौता किया है।

हमें इस समझौते का पालन करना चाहिए। सिक्किम से आयकर के रूप में केवल थोड़ा सा राजस्व प्राप्त होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इस पैकेज को उलझाना चाहिए।

अब मैं अप्रत्यक्ष करों पर आता हूं। निर्यात में मूल्यवर्धन के लिए मैंने इस वर्ष के बजट में रत्न-जवाहरात उद्योग की कुछ इनपुट्स पर सीमा शुल्क में कमी का प्रस्ताव किया है। मैं आज दो और इनपुट्स नामत: रत्नों और कच्चे सिंथेटिक रत्नों की कटाई, पालिश और रंगाई को सीमा शुल्क से पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। इससे संबंधित शुल्क को पांच प्रतिशत से घटाकर जीरो प्रतिशत कर दिया जाएगा।

समाचार-पत्रों ने कहा है कि न्यूज प्रिंट के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। मैं इस आशा के साथ कि समाचार पत्र मेरे प्रति सदाशय दिखाएंगे, मैं न्यूजप्रिंट संबंधी सीमा शुल्क को पांच प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: और संसदीय चर्चाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: कसावा का मांड मुख्य रूप से बड़ी संख्या में छोटी, असंगठित इकाईयों द्वारा निर्मित किया जाता है। आयात के घनत्व में भारी वृद्धि के कारण सरकार ने 2005-06 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस मद पर सुरक्षण शुल्क लगाया था। यह उद्ग्रहण 1 मई, 2009 को समाप्त हो रहा है तथा सुरक्षण महानिदेशक ने कहा है कि वे तारीख से पूर्व कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसी दौरान, आयात बड़े पैमाने पर पल रहा है। इस उद्योग को परिस्थिति में ढलने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु मैं 1 मई, 2008 से इस मद पर मूलभूत सीमा शुल्क में 30 से 50% तक वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं जो कि सुरक्षण शुल्क की अंतिम तारीख से मेल खाती है। इसलिए इसी प्रकार का संरक्षण घरेलू उद्योग को उपलब्ध होगा।

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाईयों द्वारा आयात पर पाटनरोधी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जाता है। तथापि, यह इकाइयां अधिकतर सामान के विनिर्माण के लिए आयातित आदानों का उपयोग करती हैं जो घरेलू बाजार में बिकता है। उन्हें आयातित आदानों के एक भाग को घरेलू बाजार ने बेचने की अनुमति भी प्राप्त है। इस क्षेत्र में घरेलू इकाई को एक स्तरीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेश व्यापार नीति में अब यह विहित किया गया है कि ईओयू आयातित आदानों पर पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से बेचा गया हो या घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले तैयार उत्पाद में उपयोग किया गया हो। एफटीपी में परिवर्तन दर्शाने के लिए अधिसूचना जारी की जा रही है।

उत्पाद शुल्क पर, पैकेज सीमेंट पर लगभग 250 रुपये प्रति बोरी का वर्तमान मूल्य, 600 रुपये प्रति मी. टन की विशिष्ट शुल्क की दर से प्रभार योग्य है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिगामी शुल्क ढांचा तैयार होता है तथा 200 रुपये प्रति बोरी की सीमा से अधिक मूल्य वृद्धि को पर्याप्त रूप से हतोत्साहित नहीं कर सकता है। चूंकि सभी शुल्क यथा मूल्यानुसार है, मेरा इसे इस मूल्य ब्रेकेट में तथा खुदरा बिक्री मूल्य पर यथामूल्यानुसार बोरी बंद सीमेंट पर 12 प्रतिशत उद्ग्रहण शुल्क की पद्धति में परिवर्तन करके ठीक करने का प्रस्ताव है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्युत चालित वाहन उत्सर्जन मुक्त होते हैं तथा पर्यावरण अनुकूल होते हैं, सरकार ने विद्युत चालित कारों को पूर्ण रूप से इस वर्ष के बजट में उत्पाद शुल्क मुक्त कर दिया है। मेरा इस छूट को सभी विद्युतीय वाहनों, जिसमें द्विपहिया व तिपहिया भी शामिल हैं, को देने का प्रस्ताव है।

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसको सभा स्मरण होगा कि वाटर फिल्टर जो विद्युत एवं दबाव वहन नलों के बिना कार्य करते हैं उन्हें 2007-08 के बजट में पूर्ण रूप से उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। इस प्रकार के फिल्टरों के निर्माता यह प्रतिवेदन देते रहे हैं कि इस प्रकार के वाटर फिल्टरों में उपयोग किए गए प्रतिस्थापित किए जाने योग्य किटों पर 14% उत्पाद शुल्क लगता

है तथा इससे उनके उपयोग में तीव्र वृद्धि पर रुकावट आ रही है। मैं इन वाटर फिल्टरों में उपयोग किए जा रहे प्रतिस्थापित किए जाने वाले किटों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण रूप से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

शटर रहित हथकरघा को उत्पाद शुल्क सीवीडी पर पूर्ण छूट को इस वर्ष के बजट से हटा दिया गया था क्योंकि उनके विनिर्माण की घरेलू क्षमता हाल ही के वर्षों में काफी बढ़ी है। तथापि, मुझे सूचित किया गया है कि अभी भी शटर रहित हथकरघे के प्रक्षिप्त किस्म का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। मेरा प्रस्ताव है कि शटर रहित हथकरघे के प्रक्षिप्त प्रकार पर उत्पाद शुल्क सीवीडी छूट को बहाल किया जाए।

महोदय, इस वर्ष चिंताएं सीमित हैं। इसलिए चिंताओं को दूर करने के उपाय भी अत्यधिक सीमित हैं। अब अधिक चिंताएं नहीं हैं।

अब, मैं मुद्रास्फीति प्रबंधन के भाग के रूप सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। हाल ही के सप्ताहों में सभा में चर्चा के दौरान, मैंने मूल्यों में हाल ही की वृद्धि के बारे में सरकार की चिंताओं को तथा मुद्रास्फीति में वृद्धि को कम करने के लिए सभी संभव उपाय करने के संकल्प से आपको अवगत कराया है। सभा, बजट में किए गए विभिन्न राजकोषीय तथा अन्य उपाय विशेषरूप से सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में कमी तथा बजट पश्चात् सीमा शुल्क ने कमी के बारे में जानती है। पुन: अवलोकन करे तो, आर्थिक रूप से एवं पूर्ण रूप दले हुए चावलों पर आयात शुल्क को 70% से शून्य कर दिया गया। कच्चे खाद्य तेलों पर उत्पाद शुल्क में कम करके शून्य कर दिया गया।

रिफाईन्ड खाद्य तेलों पर इसे कम करके 7.5% कर दिया गया। मार्जरिन व वनस्पति पर सीमा शुल्क को 7.5% तक कम कर दिया गया। 5 लाख मी. टन के प्रशुल्क दर कोटा के तहत आयातित मक्का पर सीमा शुल्क को 15% से कम करके शून्य कर दिया गया।

इन परिवर्तनों के बावजूद उद्योगों के कुछ क्षेत्र जैसे इस्पात के मूल्यों में तीव्र वृद्धि दिखाई दी है। महोदय, इस्पात की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में इस्पात और इस्पात उत्पादों का वर्तमान मुद्रा स्फीति में 21.3% हिस्सा है। हमने इस्पात उत्पादों की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने व मूल्यों में कमी लाने के उपाय किए हैं। तदनुसार, मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूं:-

1. कच्चे लोहे व मृदु इस्पात नामत: स्पंज आयरन, ग्रेन्यूल्स तथा पाउडर, इनगार, बिलेट, अर्धनिर्मित उत्पादों एच.आर. क्वाईलों, सी.आर. क्वाईलों, आवृत्त क्वाईल। शीट, बार व राड, एंगल आकार एवं सेक्शन एवं तारों पर सीमा शुल्क को 5% से कम करके शून्य कर दिया गया है।
2. टीएमटी बार व स्ट्रक्चरलों को सामान्यत: भवन निर्माण में उपयोग किया जाता है। मूल्यों पर काबू पाने के लिए, मैं इस मद के आयात को सीवीडी से पूर्ण रूप से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान में सीवीडी 14% है जो अब शून्य हो जाएगी।
3. मेरा प्रस्ताव है कि इस्पात निर्माण के लिए तीन महत्वपूर्ण आदानों नामत: मेटालर्जिकल कोक, लौह मिश्रण धातु तथा जस्ते पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया जाए।
4. घरेलू मूल्यों को काबू में करने का उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं हो पाएगा जब तक कि हम घरेलू आपूर्ति तथा अर्धनिर्मित व निर्मित उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि नहीं करते हैं। वर्ष 2007-08 में मंदी के बावजूद उस वर्ष इस्पात मदों के निर्यात का मूल्य 26,000 करोड़ रुपये था। इस पृष्ठभूमि में इस्पात निर्यात को हतोत्साहित करने का मामला बनता है। निम्नलिखित तीन दरों पर इस्पात की मदों पर निर्यात शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव है:

- विनिर्दिष्ट प्राथमिक किस्म तथा अर्धनिर्मित उत्पादों एवं हाट रोल्ड क्वाईल व शीटों पर 15%।
- विनिर्दिष्ट रोल उत्पादों जिसमें कोल्ड रोल्ड क्वाईल तथा शीटें व पाईप और ट्यूबें शामिल हैं, पर 10%।
- गेल्वेनीकृत इस्पात की क्वाईल व शीट किस्मों पर 5 प्रतिशत।

इस प्रयोजनार्थ, निर्यात अनुसूची तथा उक्त दरों में 20% की एक समान संवैधानिक दर शामिल की जानी है; 15.10 और 5 को अधिसूचना के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

5. भीषण ग्रीष्म काल के महीने में दुग्ध की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सप्रेटा दूध के पाऊडर पर प्रति वर्ष 10,000 मी. टन के प्रशुल्क दर कोटा को मूल सीमा शुल्क को 5% से 15% तक कम करने का प्रस्ताव है।
6. इसी प्रकार, बटर आयल पर, जिसे तरल दूध बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, शुल्क को कम करके 40% से 30% करने का प्रस्ताव है।

[श्री पी. चिदम्बरम]

7. बासमती चावल पर 1200 डालर प्रति मी. टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेजी के कारण इस मद के निर्यातकों का लाभ बढ़ रहा है। मैं इस मद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में कमी के अनुरूप 8000 रुपये प्रति टन का निर्यात शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इसलिए, एमईपी को 1000 डालर प्रति मी. टन पर पुनर्निर्धारित किया जाएगा तथा 8000 रुपये प्रति मी. टन निर्यात शुल्क के रूप में लिया जाएगा।

जबकि आयात शुल्क में परिवर्तन आज से लागू होंगे, निर्यात शुल्क में परिवर्तन उस दिन से लागू होंगे जब वित्त विधेयक 2008 पर राष्ट्रपति सहमति प्रदान कर देंगे।

महोदय, अंत में मैं खाद्यान्न की स्थिति पर संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): दवाओ का भी आयात किया जाता है। ...*(व्यवधान)* इसे भी 4 प्रतिशत किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: इसे 16 प्रतिशत से कम करके 8 प्रतिशत किया गया है। इन पर आयात शुल्क भी है। यहां माडवेट ऋण भी हैं। यदि आप आयात शुल्क तथा माडवेट ऋण को देखें तो आप पाएंगे कि अंतिम उत्पाद पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क वास्तव में अत्यंत कम राशि है। यदि मैं 8% उत्पाद शुल्क न लगाऊं तो आप माडवेट ऋण प्रणाली को चला नहीं सकते हैं।

महोदय, मुद्रास्फीति प्रबंधन के भाग के रूप में हमने खाद्यान्न की आपूर्ति में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि बम्पर फसल व गेहूं एवं चावल की खरीद में किए गए असाधारण प्रयासों के फलस्वरूप पिछले कुछ सप्ताहों में खाद्यान्न की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है, कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2007-08 में खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन निम्नलिखित है। चावल उत्पादन 95.18 मिलियन टन होगा और गेहूं उत्पादन 76.78 मिलियन टन होगा और मैं समझता हूं कि दोनों ही मामले में उत्पादन का अब तक का यह सबसे बड़ा रिकार्ड है। इसलिए, मैं भारत के लोगों को बताना चाहता हूं कि खाद्य स्थिति में दिन-प्रतिदिन सुधार हो रहा है और ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है कि हम किसी प्रकार के खाद्यान्न की कमी का सामना करेंगे। जैसा कि कुछ देशों में हो रहा है या खाद्य संकट पैदा होगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य भंडार है।

अध्यक्ष महोदय: हमें किसानों को बधाई देनी चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: इसका यह आशय है कि चावल और गेहूं का उत्पादन उपभोग की आवश्यकता की तुलना में अधिक है और प्रणाली में खाद्यान्नों की उपलब्धता के संबंध में चिंता करने का कोई कारण नहीं है। गत वर्ष के केवल 76.32 लाख टन की तुलना में कल 28 अप्रैल, 2008 को गेहूं की घरेलू खरीद 134 लाख टन थी। पिछले वर्ष गेहूं की कुल खरीद 111 लाख टन थी और हमने उस सीमा को पार कर लिया है। कल तक हम 134 लाख टन गेहूं खरीद चुके हैं। 150 लाख टन का लक्ष्य है और मुझे विश्वास है कि हम इस लक्ष्य से भी काफी आगे निकल जाएंगे। मैं इस देश के किसानों, विशेषकर हरियाणा और पंजाब में किसानों को बधाई देना चाहता हूं। मेरे विचार से यह बिल्कुल उपयुक्त होगा यदि हम इसके संबंध में हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार द्वारा किए गए अत्यधिक सहयोग के लिए अपनी ओर से उनकी प्रशंसा व्यक्त करें।

गत वर्ष में 209 लाख टन की तुलना में दिनांक 28 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार के एम एस 2007-08 के दौरान 229 लाख टन चावल की खरीद की गयी। इस वर्ष 270 लाख टन गेहूं की खरीद की जाएगी। यहां पर, मैं हमारी ओर से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उनकी सराहना करना चाहता हूं, जिसने वस्तुतः खरीद के वायदे की तुलना में अधिक चावल की खरीद की है और अब यह कहा है कि वह अतिरिक्त छः लाख टन चावल की खरीद करेगा। मैं चावल की खरीद में सहयोग के लिए उड़ीसा राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य को भी बधाई देना चाहता हूं। यदि सभी राज्य वैसा सहयोग देना जारी रखें, जैसा कि उन्होंने इस वर्ष किया है तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारे किसान अधिक उत्पादन करेंगे और हम उन्हें खरीद की अच्छी कीमत दे सकते हैं। हम पर्याप्त खाद्य स्टाक खरीद सकते हैं तथा हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से आपूर्ति में वृद्धि कर सकते है और पीडीएस के प्रशासन में सुधार करके इस देश के गरीबों का ध्यान रख सकते हैं। किंतु यह एक मिला-जुला प्रयास होना चाहिए और मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि वे इस प्रयास में सहयोग करें।

महोदय, चिकागो बीओटी में गेहूं के वायदा कारोबार में गेहूं की कीमतों में गिरावट आ रही है। वस्तुतः, वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतें अभी भी अधिक बनी हुई हैं। खुले बाजार में खाद्य तेल की कीमतें नियंत्रित हैं। सरकार ने वर्ष 2008-09 में पीडीएस के माध्यम से 10 लाख टन खाद्य तेल जारी करने का निर्णय लिया है। सरकारी क्षेत्र की कंपनियां खाद्य तेल का आयात कर रही हैं। इसका 15 प्रति किलोग्राम की राजसहायता पर पीडीएस

के जरिए राज्य सरकारों को वितरण किया जाएगा। राज्य सरकारों के साथ बैठकें हुई हैं। वितरण के लिए उनकी मांगें प्राप्त हो गई हैं। मई के अंत तक या जून के आरंभ में एक योजना शुरू कर दी जाएगी।

सरकार ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कृषि मंत्री इस पर गौर कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं इस सभा के सदस्यों को यह बताने के लिये इस अवसर का फायदा उठाऊंगा कि इस देश में पर्याप्त खाद्य भंडार है। हर किसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्य भंडार है।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता उत्तर पूर्व): लौह अयस्क पर आयात शुल्क के बारे में क्या होगा?

श्री पी. चिदम्बरम: हम इससे निपटेंगे। वित्त विधेयक में हर चीज का समाधान निकाले जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मामलों का वित्त विधेयक के दायरे से बाहर भी समाधान निकाला जा सकता है। हम उससे निपटेंगे।

महोदय, मैंने सोचा कि मैं आपको राज्यों की वित्तीय स्थिति के बारे में बताऊंगा कि राज्यों को धनराशि का हस्तांतरण किए जाने के कारण इसमें किस प्रकार व्यापक रूप से सुधार हुआ है। राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी बेहतर पहले कभी भी नहीं थी। वास्तव में, सामूहिक रूप से सभी राज्य एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां उनका राजस्व घाटा शून्य हो गया है और उनका राजकोषीय घाटा दो प्रतिशत रह गया है। केवल दो या तीन राज्य ऐसे हैं, जो वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। उनके लिए अर्थोपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत संतोषजनक है। यदि आप 26 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार उनके 14 दिन के बिलों और नीलामी बिलों की नकद स्थिति का जायजा लें, तो यह 73,868 करोड़ रु. थी। पच्चीस राज्यों में राजस्व का अधिशेष है। वर्ष 2007-08 में संशोधित अनुमानों के अनुसार, सभी राज्यों का राजस्व अधिशेष 14,143 करोड़ का था। केवल तीन राज्यों को राजस्व घाटा हुआ है। दो राज्यों को छोड़कर सभी अन्य राज्यों ने एफ आर बी एम अधिनियम पारित कर दिया है। इक्कीस राज्यों ने ऋण माफी का लाभ उठाया है। कुल 13,285 करोड़ रु. का ऋण माफ किया गया है। पहली बार, राज्य स्तर पर राजकोषीय घाटे की तुलना में पूंजी व्यय अधिक हुआ है जो यह दर्शाता है कि राजस्व अधिशेष का उपयोग पूंजी व्यय में वृद्धि करने के लिए किया जा रहा है। राज्यों का कुल ऋण अनुपात जी डी पी की तुलना में 13.2% है। राज्यों की वित्तीय स्थिति पहले कभी भी इतनी बेहतर नहीं थी और इसलिए, राज्यों को आगे आकर उन कार्यक्रमों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जिन्हें हम कार्यान्वित कर रहे हैं।

आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2003-04 में केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 65,784 करोड़ रु. था। अपने कर प्रशासन के कारण, हम 65,784 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष राज्यों को 1,78,765 करोड़ रु. की धनराशि उपलब्ध कराएंगे। यह हस्तांतरण की गई राशि की तुलना में तीन गुणा है। केवल अनुदानों के संबंध में है। वर्ष 2003-04 में केन्द्र सरकार ने राज्यों को 47,320 करोड़ रु. की धनराशि उपलब्ध कराई। इस वर्ष हम उन्हें 1,24,745 करोड़ रु. देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): यह उदारता नहीं है। यह संघीय दायित्व का हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय: किसी ने भी इनकार नहीं किया।

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने ''उदारता'' या ''धर्मार्थ'' जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आप कृपया कार्यवाही-वृत्तांत का अवलोकन करें। मैंने केवल यह कहा कि हमारी नीतियों के कारण कर राजस्व में वृद्धि के कारण, कर प्रशासन की वजह से यह सब हुआ। मैंने यह आधा घंटे पहले भी बोला था, हम राज्यों को उससे भी और अधिक दे रहे हैं, जितना उन्होंने पूर्वानुमान लगाया होगा या मांग की होगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जिन राज्यों को धनराशि नहीं चाहिए उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम: सम्पदा राज्यों में ही सृजित होती है। *...(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: कौन कहता है कि नहीं? सम्पदा का सृजन राज्यों में रहने वाले लोगों से होता है, और उस सम्पदा पर विवेकपूर्ण ढंग से कर लगाया जाता है तथा संवैधानिक रूप से इसे राज्यों में बांटा जाता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राज्यों के बिना कोई केन्द्र सरकार नहीं होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, करों में राज्यों की हिस्सेदारी वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। यह एक संवैधानिक निकाय है। हम वित्त आयोग का अनुपालन कर रहे हैं। अनुदान केन्द्र के हिस्से से दिया जाता है, राज्यों को अनुदान राज्य के करों में से केन्द्र के हिस्से से दिया जाता है। अब केन्द्र के राजकोष में जमा राजस्व का 25 प्रतिशत अनुदानों के रूप में दिया जा रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें रक्षा व्यय वहन करना पड़ता है, हमें अनेक ऐसे मुद्दों पर खर्च वहन करना पड़ता है, जिनमें राज्यों की हिस्सेदारी नहीं होती। केन्द्र के पास संचित राजस्व का 25 प्रतिशत राज्यों को अनुदान के रूप में दिया जा रहा है।

इसलिए, हमारी राजकोषीय नीतियों, हमारी मौद्रिक नीतियों और कर प्रशासन ने न केवल केन्द्र की योजनाओं को लाभ पहुंचाया है, बल्कि राज्यों को भी व्यापक तौर पर लाभान्वित किया है। आज, राज्यों की वित्तीय स्थिति अत्यंत अच्छी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सीट पर बैठकर और अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना कहा गया कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम: मैं अन्य मामलों पर सभा का समय नहीं लेना चाहता। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरी परेशानी अब शुरू हुई है चूंकि विधेयक में कई संशोधन किए जाने हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: पिछले कई वर्षों में हमारे यहां बहुत ही कम संशोधन हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: छठे वेतन आयोग से संबंधित शिकायतों का क्या हुआ?

श्री पी. चिदम्बरम: मैं पहले ही एक प्रश्न के उत्तर में इसके बारे में बता चुका हूं। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में तथा विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व कर रहे कई सचिवों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और तब सरकार उचित निर्णय लेगी। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): कर्मचारियों की मांग है कि इस संबंध में बैठक होनी चाहिए जैसा कि पांचवें वेतन आयोग के मामले में किया गया था। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इस मामले का निर्णय किसी ओर के द्वारा किया जाएगा। यह वित्त विधेयक है, वेतन आयोग पर चर्चा नहीं हो रही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने बताया कि एक समिति इस पर विचार कर रही है। उसे अपनी सिफारिशें भेजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: हम पांचवें वेतन आयोग के अच्छे तथा खराब, दोनों प्रकार के अनुभवों को ध्यान में रखेंगे और छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के बारे में उचित निर्णय लेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कटौती से संबंधित मुद्दे का उत्तर नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)* मूल्यों पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मुद्रास्फीति के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बात समाप्त हो चुकी है। वह पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित मत कीजिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में मालूम ही होगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मुद्दे उठाने का यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो?

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः मैं सभा में इस प्रकार के व्यवधान की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए। आपने अपनी बात कह दी है। यदि आप ऐसा करोगे तो संसद कैसे चलेगी? आपने जब अपनी बात कही तो उन्होंने उसमें व्यवधान नहीं डाला था। उन्हें चर्चा का उत्तर देना था और उन्होंने उत्तर दिया। केवल इसलिए कि आपको उनके कुछ उत्तर पसंद नहीं आए, आप कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे है। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री पी. चिदम्बरमः महोदय, मुझे लगता है कि मैं सभी मुद्दों का उत्तर दे चुका हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदयः सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2 तथा 3

आयकर तथा धारा 2 का संशोधन

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 4

धारा 10 का संशोधन

संशोधन किया गयाः

पृष्ठ 5, पंक्ति 34 के स्थान पर, रखें,-

'(कक) इस प्रकार अंतःस्थापित खंड (26ककक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(26ककख) कृषि उत्पाद के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कृषि उत्पाद मंडी समिति या बोर्ड की कोई आय;";'

(ख) खंड (29क) में, उपखंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2002 से अंतः स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:- (1)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरमः मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 2 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 2 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अध्यक्ष महोदय]

नया खंड 4क

धारा 10क का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 38 के पश्चात् अंत:स्थापित करें,-

'4क. आय-कर अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (1) में, चौथे परंतुक में, ''2010'' अंकों के स्थान पर, ''2011'' अंक रखे जाएंगे।'। (2)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि नया खंड 4क विधेयक में जोड़ा जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 4क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 4ख

धारा 10ख का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 38 के पश्चात् अंत:स्थापित करें,-

'4ख. आय-कर अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) में, चौथे परंतुक में, ''2010'' अंकों के स्थान पर, ''2011'' अंक रखे जाएंगे।' (3)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''नया खण्ड 4ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 4ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 8

धारा 40 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 23 के स्थान पर, रखें,-

'8. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में,-

(क) उपखंड (iक) में, 1 अप्रैल, 2005 से,-

(i) ''कटौती के पश्चात् पूर्व वर्ष के दौरान या पश्चात्वर्ती वर्ष में उसका धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन विहित समय की समाप्ति के पूर्व संदाय नहीं किया गया है'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे, अर्थात्:-

''कटौती के पश्चात्,-

(क) उस दशा में जिसमें कर कटौती योग्य था और पूर्व वर्ष के अंतिम मास के दौरान या धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत समय को या उससे पूर्व इस प्रकार उसकी कटौती की गई थी; या

(ख) किसी अन्य मामले में, पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को या उससे पूर्व, उसका संदाय नहीं किया गया है'';

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

''परंतु जहां किसी ऐसी राशि के संबंध में कर की किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कटौती की गई है या,-

(अ) पूर्व वर्ष के किसी अन्य मास के दौरान कटौती की गई है, किन्तु उसका संदाय उक्त नियत तारीख के पश्चात् किया गया है; या

(आ) पूर्व वर्ष के किसी अन्य मास के दौरान कटौती की गई है, किंतु उसका संदाय उक्त पूर्व वर्ष के अंत के पश्चात् किया गया है,

वहां ऐसी राशि को, उस पूर्व वर्ष की, जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।'';

(ख) उपखंड (iख) का 1 अप्रैल, 2009 से लोप किया जाएगा।'। (4)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
खण्ड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरमः मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 5 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 5 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए:''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 10क

धारा 44कख का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 5 के पश्चात्, अंतःस्थापित करे,–

'10क. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख के स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में ''31 अक्तूबर'' अंकों और शब्द के स्थान पर, ''30 सितंबर'' अंक और शब्द रखे जाएंगे।' (5)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

''कि नया खण्ड 10क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 10क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 15

धारा 80-झक का संशोधन

संशोधन किया गया:-

पृष्ठ 8, पंक्ति 17 और 18 के स्थान पर रखें,–

''परंतु यह भी कि जहां ऐसा उपक्रम 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् खनिज तेल का परिष्करण प्रारंभ करता है वहां इस धारा के अधीन कोई कटौती उस उपक्रम की बाबत तब तक अनुज्ञात नहीं होगी जब तक ऐसा उपक्रम निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता, अर्थात्:-

(i) वह पूर्णतया ऐसी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी अन्य कंपनी के स्वामित्वाधीन है जिसमें पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियां कम से कम उनचास प्रतिशत मताधिकार रखती हैं;

(ii) उसे 31 मई, 2009 को या उससे पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है; और

(iii) वह 31 मार्च, 2012 के अपश्चात् परिष्करण का कार्य प्रारंभ करता है।''। (6)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 16 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 20

धारा 115अख का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 10, पंक्ति 14 के पश्चात्, अंतःस्थापित करें,–

'(कक) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 में, खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:–

"(viii) आस्थगित कर की रकम, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि लेखे में जमा की गई है।"।'। (7)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 से 24 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 25

धारा 115 बछ का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 11, पंक्ति 17 के स्थान पर रखें–

25. आय-कर अधिनियम की धारा 115बछ में,–

(अ) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:–"। (8)

पृष्ठ 12, पंक्ति 11 के पश्चात्, अंतःस्थापित करें,–

'(आ) उपधारा (2) के परंतुक में, "उस मास के, जिसमें विवरणी दी गई है, अंत से बारह मास" शब्दों के स्थान पर, "उस वित्तीय वर्ष के जिसमें विवरणी दी गई है, अंत से छह मास" शब्द रखे जाएंगे।' (9)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 25 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 29

धारा 143 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 13 पंक्ति 3 में, "कम" शब्द के स्थान पर "समायोजित" प्रतिस्थापित किया जाए। (10)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 29, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 और 31 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 32

धारा 153 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 13, पंक्ति 46 और 47 के स्थान पर रखें–

'(ख) स्पष्टीकरण 1 में,–

(i) परंतुक में, "उपधारा (2) और उपधारा (2क)" कोष्ठकों, अंकों, शब्द और अक्षर के स्थान पर, "उपधारा (2), उपधारा (2क) और उपधारा (4)" कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे और 1 जून, 2003 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:–' (11)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 32, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 33 से 35 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 36

धारा 153घ का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 14, पंक्ति 33 में "2003" के स्थान पर "2007" प्रतिस्थापित किया जाए। (12)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 36, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 से 39 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 40

धारा 194ग का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 15, पंक्ति 6 से 8 के स्थान पर रखें-

'40. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (1) के खंड (ट) में, "हिन्दू अविभक्त कुटुंब" शब्दों के पश्चात्, "या कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, उनसे भिन्न जो पूर्ववर्ती खंडों में से किसी के अधीन आते हैं" शब्द 1 जून, 2008 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।'। (13)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 40, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 40, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 41 से 45 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरमः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 45क

धारा 251 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 15, पंक्ति 41 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,–

'45क. आय-कर अधिनियम की धारा 251 की उपधारा (1) में खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(कक) निर्धारण आदेश के विरुद्ध किसी अपील में, जिसकी बाबत समझौता आयोग के समक्ष धारा 245जक के अधीन कार्यवाही का उपशमन किया जाता है, वह पूर्व में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सामग्री और अन्य सूचना या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही के प्रक्रम में की गई जांच के परिणामों या अभिलिखित किए गए साक्ष्य और ऐसी अन्य सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, जो उसके अभिलेख में लाई जाएं, निर्धारण की पुष्टि कर सकेगा, उसे घटा, बढ़ा या रद्द कर सकेगा;"।' (14)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:–

"कि नया खंड 45क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 45क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 46 तथा 47 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 48

धारा 271 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 16, पंक्ति 28 में, "उपधारा (1)" के स्थान पर, "उपधारा (1) के खंड (ग)" रखें। (15)

पृष्ठ 16, पंक्ति 29 में, "उपधारा (1)" के स्थान पर, "उक्त खंड (ग)" रखें। (16)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 48, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 48, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 48 तथा 51 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 52

नई धारा 292खख को शामिल करना

कतिपय परिस्थितियों में सूचना वैध मानी जायेगी

संशोधित किया गया:

पृष्ठ 17, पंक्ति 40 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,–

"परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां निर्धारिती ने ऐसे निर्धारण या पुन:निर्धारण के पूरा होने से पूर्व ऐसी आपत्ति की है।" (17)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 52, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 52, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 53 तथा 57 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 58

धारा 18 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 18, पंक्ति 33 में, "उपधारा (1)" के स्थान पर, "उपधारा (1) के खंड (ग)" रखें। (18)

पृष्ठ 18, पंक्ति 34 में, "उपधारा (1)" के स्थान पर, "उक्त खंड (ग)" रखें। (19)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 58, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 58, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 59 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 59क

धारा 23क का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 19, पंक्ति 8 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,–

'59क. धन कर अधिनियम की धारा 23क की उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात्:-

"(9क) निर्धारण आदेश के विरुद्ध ऐसी किसी अपील का निपटारा करने में, जिसकी बाबत समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाही की धारा 22जक के अधीन उपशमन किया जाता है, वह पूर्व में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सामग्री और अन्य सूचना या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही के प्रक्रम में की गई जांच के परिणामों या अभिलिखित किए गए साक्ष्य और ऐसी अन्य सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, जो उसके अभिलेख में लाई जाएं, निर्धारण की पुष्टि कर सकेगा, उसे घटा, बढ़ा या रद्द कर सकेगा।"।'(20)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 59क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 59क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 60 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 61

नई धारा 42 को शामिल करना

परिस्थितियों में सूचना वैध मानी जायेगी।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 19, पंक्ति 37 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें,–

"परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां निर्धारित ने ऐसे निर्धारण या पुन:निर्धारण के पूरा होने से पूर्व ऐसी आपत्ति की है।" (21)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 61, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 61, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 62 तथा 71 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 72

1975 के अधिनियम 51 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 21, पंक्ति 22 व 23 के स्थान पर निम्नलिखित रखें:-

'(i) धारा 9क में उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

'(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित कोई प्रतिपाटन शुल्क किसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा आयातित वस्तुओं को तब तक लागू नहीं होगा जब तक,-

(i) यथास्थिति, ऐसी अधिसूचनाओं या ऐसे अधिरोपणों में विनिर्दिष्ट रूप से लागू न किया गया हो; या

(ii) आयातित वस्तु की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उस रूप में निकासी या ऐसे किसी माल के विनिर्माण में प्रयुक्त न किया गया हो जो घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी किया गया हो और ऐसे मामलों में इस प्रकार निकासी किए गए या इस प्रकार प्रयुक्त वस्तु के उस भाग पर ऐसा प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा जो उस समय उद्ग्रहणीय था जब उसका भारत में आयात किया गया था।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम" पद का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में है।'।'।

(ii) पहली अनुसूची का संशोधन, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा;

(iii) दूसरी अनुसूची का संशोधन, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा। (22)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 72, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 72, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 73 से 120 विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रथम अनुसूची

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 42, पंक्ति 6 के स्तंभ (2) में "3,00,000" के स्थान पर "2,25,000" रखे जाएं। (23)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।

द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

तीसरी अनुसूची

संशोधन किया गया:

"पृष्ठ 47, पंक्ति 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

'सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,-

(i) शीर्ष सं. 12 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "3,000 रुपये प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) शीर्ष सं. 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

शीर्ष सं.	वस्तु का वर्णन	शुल्क की दर
1	2	3
27.	कच्चा लोहा और स्पीगेलाइजेन, जो पिगों, ब्लाकों या अन्य प्राथमिक रूपों में हैं	20%

1	2	3
28.	प्रपिंडको, गुटिकाओं या इसी प्रकार के रूपों में लौह अयस्क को सीधे क्षीण करके किए गए लौहमय उत्पाद और अन्य स्पंजी लौहमय उत्पाद; प्रपिंडको, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में 99.94% भार तक न्यूनतम शुद्धता वाला लौह	20%
29.	लौहमय अपशिष्ट और स्क्रैप, लौह या इस्पात के पुनर्गलन स्क्रैप पिंड	20%
30.	कच्चे लौह, स्पीगेलाइजेन, लौह या इस्पात की कणिकाएं और चूर्ण	20%
31.	पिंडों या अन्य प्राथमिक रूपों में लोहा और अमिश्रातु इस्पात	20%
32.	लोहे या अमिश्रधातु इस्पात के अर्ध तैयार इस्पात	20%
33.	लोहे या अमिश्रधातु इस्पात के सपाट बेल्लित उत्पाद, तप्त वेल्लित, न कि पट्टित, लेपित या विलेपित	20%
34.	लोहे या अमिश्रधातु इस्पात के सपाट वेल्लित उत्पाद, शीत वेल्लित (शीत क्षीणित) न कि पट्टित, लेपित या विलेपित	20%
35.	लोहे या अमिश्रधातु इस्पात के सपाट वेल्लित उत्पाद, जस्त से लेपित या विलेपित	20%
36.	लोहे या अमिश्रधातु इस्पात की अनियमितत: आवलित कुंडली में शलाकाएं और छड़ें, तप्त वेल्लित	20%
37.	लोहे या अमिश्रधातु इस्पात की अन्य शलाकाएं और छड़ें, फोर्ज के बजाय और कर्मित न की गई, तप्त वेल्लित, तप्त कर्षित या तप्त उत्सारित, किंतु इसके अंतर्गत वे भी हैं जो वेल्लन के पश्चात् मोड़ी गई है	20%
38.	लोहे या मिश्रधातु इस्पात की अन्य शलाकाएं और छड़ें	20%
39.	लोहे या अमिश्रधातु इस्पात के ऐंगल, आकार और खंड	20%
40.	लोहे या अमिश्रधातु इस्पात की तार	20%
41.	लोहे या इस्पात की ट्यूबें और पाइपें	20%
42.	बासमती चावल	12000 रुपए प्रति टन।" (24)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

चौथी, पांचवीं तथा छठी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सातवीं अनुसूची

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 49, पंक्ति 7 के स्थान पर, रखें-

'(2) अध्याय 25 में,-

(i) टैरिफ मद 2523 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "450 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) टैरिफ 2523 29 10, 2523 29 20, 2523 29 30, 2523 29 40 और 2523 29 90 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के मामले की प्रविष्टि के स्थान पर "900 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी। (25)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सातवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सातवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

आठवीं और नौवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने पेट्रोलियम उत्पादों पर करों तथा उपकर में कटौती करने तथा वायदा एवं फ्यूचर्स कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की हमारी मांग का उत्तर नहीं दिया है और सहमत नहीं हुए हैं। इसका आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः, विरोध में हम सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.51 बजे

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी यह प्रस्ताव करें कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.50 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.50 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

कर्नाटक राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 25 पर चर्चा करेंगे, श्री शिवराज वि. पाटील।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 20 नवम्बर, 2007 को जारी उद्घोषणा को 20 मई, 2008 के प्रभाव से और छह महीने की अवधि तक जारी रखे जाने का अनुमोदन करती है।"

जैसा कि सभा को विदित है कि राष्ट्रपति ने कर्नाटक राज्य के संबंध में विधान सभा को निलंबित अवस्था में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा जारी की थी। उद्घोषणा के अनुमोदन संबंधी संकल्प लोक सभा तथा राज्य सभा द्वारा 26 नवम्बर, 2007 को अनुमोदित किए गए थे। तदन्तर, जब यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी दल अथवा गठबंधन सरकार का गठन करने की स्थिति में नहीं है और जनता से नया जनादेश प्राप्त करना एकमात्र विकल्प रह गया है, तब 28 नवम्बर, 2007 को राज्य की विधान सभा को भंग कर दिया गया।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई तथा संसद द्वारा विधिवत अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है, उद्घोषणा के जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, जब तक कि ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के लिए दोनों सदनों द्वारा कोई संकल्प पारित नहीं किया जाता, ऐसे मामले में उद्घोषणा और छह महीने की अवधि के लिए जारी रहेगी। तदनुसार, कर्नाटक राज्य से संबंधित उद्घोषणा 19 मई, 2008 को प्रवर्तन में नहीं रहेगी, यदि हम इस सभा में, इसे और छह महीने तक बढ़ाने का निर्णय नहीं लेते। इसलिए 19 मई, 2008 को या तो निर्वाचित सरकार होनी चाहिए अथवा राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।

यहां मैं संविधान के अनुच्छेद के खंड (4) के प्रथम परंतुक को स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन केवल छह महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है। तथापि, यदि आवश्यकता हो तो उद्घोषणा छह महीने की अवधि पूरी होने से पूर्व किसी भी समय वापस ली जा सकती है।

भारत के निर्वाचन आयोग से कर्नाटक विधान सभा के लिए आम चुनाव कार्यक्रम जारी किया है जिसमें 89 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु 10.5.2008 को 66 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु 16.5.2008 को तथा 69 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु 22.5.2008 की तीन चरणों में मतदान कराया जाना है। सभी स्थानों की मतगणना 25.5.2008 को होगी और 28.5.2008 को चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन 19 मई, 2008 से आगे बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि नई विधान सभा के गठन हेतु आम चुनाव की प्रक्रिया 28.5.2008 से पहले पूरी नहीं हो सकती।

उपरोक्त के मद्देनजर यह प्रस्तावित है कि कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन 20 मई, 2008 से और छह महीने के लिए जारी रखा जाए।

मैं अपने द्वारा प्रस्तुत संकल्पों के लिए इस सम्माननीय सभा की स्वीकृति चाहता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः मैं चाहता हूं कि इसे ऐसे ही एडाप्ट कर लिया जाए। इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि इलैक्शन हो जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सही समय पर चुनाव कराने के लिए सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा इसलिए की है क्योंकि कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन है। यह केन्द्र सरकार की गलती है कि वह चुनावी तैयारी का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि यह सभा कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 20 नवम्बर, 2007 को जारी उद्घोषणा को 20 मई, 2008 के प्रभाव से और छह महीने की अवधि तक जारी रखे जाने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह उचित प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रपति शासन हमारी गलती के कारण नहीं बढ़ाया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः अब यह विषय समाप्त हो चुका है। आपने देर कर दी। कृपया बैठ जाइए।

अपराह्न 2.55 बजे

जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, पुडुचेरी विधेयक, 2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब हम मद सं. 26 पर चर्चा करेंगे– श्री अंबुमणि रामदास।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में शिक्षण की पद्धति को विकसित करने तथा शिक्षा में उच्च मानकों की स्थापना करने के मुख्य उद्देश्य से 1964 में एम्स, पीजीआई और एमईआर जैसी संस्थाओं के साथ ही जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जिपमेर) की स्थापना की गई थी। तथापि, जनशक्ति चयन की प्रक्रिया में बाधाओं, शैक्षाणिक स्वायत्तता के अभाव, प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों में लचीलेपन के अभाव के कारण 'जिपमेर' विकसित नहीं हो सका। 'जिपमेर' की स्थापना के समय ही उसे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित करने की मांग की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान सुपर स्पेशलिटी ब्लाकों, अभिघात परिचर्या केन्द्रों, समर्पित ऑंकोलाजी ब्लाकों, नर्सिंग कालेजों आदि की स्थापना जैसी कई नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

सरकार भी एमसीएच ब्लाक जैसी विस्तार परियोजनाओं, सुपर स्पेशलिटी ब्लाक आदि के विस्तार को स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में है। अपेक्षित तकनीकी जनशक्ति के बिना संस्थान के उन्नयन का वास्तविक लाभ आम आदमी को नहीं मिल पाएगा।

जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008, जिसे राज्य सभा द्वारा 23 अप्रैल 2008 को पारित किया गया है, से संस्थान को शैक्षणिक स्वायत्तता मिलेगी, यह अपना पाठ्यक्रम विकसित कर सकेगा, चिकित्सा शिक्षा में नए आयाम स्थापित कर सकेगा और अपनी डिग्रियां प्रदान कर सकेगा तथा अनुसंधान प्रयोजन भी पूरे कर सकेगा। इससे संस्थान को जनशक्ति के चयन, विशेषकर उन फैकल्टी सदस्यों के चयन के लिए अपेक्षित लचीलापन मिलेगा, जिन्हें कि इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के भाग के रूप में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किया जाता है।

मैं प्रस्ताव करता हूं:*

"कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले राज्य सभा द्वारा 'यथापारित विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक—जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008 पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस विधेयक पर बोलने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि पुडुचेरी स्थित जिपमेर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है क्योंकि काफी सारे कुशल डाक्टरों ने इसी संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी की है। मैं इस संस्थान को बहुत उत्कृष्ट मानता हूं और आज इस अवसर पर मैं उसके संबंध में कुछेक बातें कहना चाहूंगा।

महोदय, जिपमेर की शुरूआत फ्रेंड्स मेडिकल हास्पिटल जो कि चिकित्सीय सेवा में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रख्यात था, के रूप में हुई। पुडुचेरी के भारत में विलय होने के साथ ही यह संस्थान सीधे महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। अब हम संस्थान को स्वायत्त बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि जिपमेर की स्टाफ द्वारा लंबे समय से झेली जा रही समस्याओं तथा अन्य प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाया जा सके। मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में कुछ कर रहे हैं तथा इस विधेयक से समस्याएं काफी हद तक ठीक हो जाएंगी।

जिपमेर, एम्स और पीजीआई चण्डीगढ़ की स्थापना एक साथ हुई थी परंतु यदि आप बजटीय आबंटन देखें तो पाएंगे कि पिछले वर्ष जिपमेर को केवल 56 करोड़ का वार्षिक बजट प्राप्त हुआ जबकि एम्स को 300 करोड़ का वार्षिक बजट दिया गया।

अपराह्न 3.00 बजे

सभी जानते हैं कि एम्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है परंतु इसके साथ ही जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर) दक्षिण भारत में एक उत्कृष्ट संस्थान का प्रतीक है। इसे यदि ज्यादा नहीं तो कम से कम एम्स के समकक्ष ही माना जाना चाहिए और सभी संस्थानों पर बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने के उद्देश्य से अब से, जिपमेर को एम्स की श्रेणी में रखकर वित्तीय आबंटन किया जाएगा।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो हमें पता चली है तो यह है कि जिपमेर में अवसंरचना, हार्डवेयर की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जिपमेर की सारी अवसंरचना बहुत पुरानी है। नए उपकरण लगाने, नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने, नई कक्षाएं बनाने, चिकित्सा विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने आदि के लिए जिपमेर में आधुनिक सुविधाओं जो कि अब तक नहीं हैं, का होना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से निश्चित ही कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा और यह संस्थान बेहतर ढंग से अनवरत इस देश के लोगों की सेवा करती रहेगा।

मैंने भी यहां से उत्तीर्ण हो चुके कुछेक छात्रों जो कि इस समय चिकित्सक और वर्तमान में विद्यार्थी भी हैं से बात की है। मेरा मानना है कि एम्स की ही तरह वार्ड अर्दली और परिचर्या स्टाफ की नियुक्ति ठेके के आधार पर की जायेगी। मुख्य समस्याएं ईन्टर्नों के समक्ष आ रही हैं। कुछेक इन्टर्नों को ट्राली स्वयं ही खींचनी पड़ती है और खून के नमूने लेकर प्रयोगशालाओं, कक्षाओं और चारों ओर उन्हें स्वयं ही जाना पड़ता है। वार्ड अर्दली का व्यवहार बहुत ही खराब होता है।

श्री तथागत सतपथी (ढेंकानल): महोदय, ये इन्टर्नस द्वारा झेली जाने वाली वास्तविक समस्याएं हैं। इन्टर्नस को स्वयं ऐसा करना पड़ता है।

श्री कीरेन रिजीजू: अतएव सरकार की ओर से जो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए वह इस संस्थान को और ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करके दिया जा सकता है। संस्थान को ठेके के आधार पर लोगों को रखने की शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि स्टाफ की कार्यक्षमता का समुचित लाभ लिया जा सकता है। संस्थान को यह निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए कि कौन कार्य करेगा, किसे संविदा आधार पर रखा जाएगा और संतोषजनक कार्य न होने पर किसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। यह सब तभी संभव है जब इस संस्थान को वास्तव में सही अर्थों में स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए अन्यथा इस प्रक्रिया में काफी लंबा समय लग जाएगा। यहां तक की एक लिपिक की नियुक्ति के लिए भी आपको महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी जिसमें काफी समय लगता है। जब हम देश में सभी मुख्य संस्थानों को स्वायत्तता देने का कार्य कर ही रहे हैं तो जिपमेर को भी अधिकाधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

इस अवसर पर बोलते हुए अब मैं अपनी परंपरागत चिकित्सा प्रणाली पर आ रहा हूं और मेरी समझ से इस बारे में मैंने कई बार माननीय मंत्री जो से अनुरोध किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबे समय से चली आ रही मांगों में से एक है सावा रिग्पा चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने की मांग। जिसे चिकित्सा की भारतीय पद्धति के अंतर्गत आमची प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। अब आपने आयुष—आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को मान्यता प्रदान की है। मेरा सुझाव है कि आयुष में ही हमें साबा रिग्पा के लिए सिद्धा के लिए निर्धारित एस के ठीक नीचे एक और एस जोड़ देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सावा रिग्पा को मान्यता प्रदान करना बेहद आवश्यक है क्योंकि यह पूरे हिमालय क्षेत्र में प्रचलित है और वहां से लेकर यह दूरस्थ पूर्वी राष्ट्रों तक फैली हुई है। चिकित्सा की इस पद्धति का उद्‌गम भारत ही में हुआ है परंतु इसे इसी राष्ट्र में मान्यता प्रदान नहीं की जा रही है जबकि अन्य स्थानों पर इसे व्यापक स्तर पर मान्यता मिल रही है। यहां तक कि चीन इस चिकित्सा पद्धति का पेटेंट करा रहा है। चीनी लोगों का मानना है कि यह उनकी चिकित्सा पद्धति है जबकि सच तो यह है कि यह भारत ही की है। यह हमारी विशेष पद्धति है।

यह मान्यता प्रदान करने संबंधी सभी मानदण्डों को भी पूरा करती है। इस प्रणाली में स्वास्थ्य और बीमारियों के अपने आधारभूत सिद्धांत हैं और यह एक बहुत ही व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है। यदि आप इसका साहित्य पढ़ें तो पाएंगे कि यह विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करती है। इसका विधा का बीमारियों की अवधारणा और उनके समाधान की प्रणाली पर अपना अलग साहित्य है। यह एक देशी पद्धति है और इसकी रूपात्मकता का अनूठा आधार है। आज स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के रूप से हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में लद्दाख की 'आमची' प्रणाली के नाभ से मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश में इस प्रणाली का प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। आज हम यह देखते हैं कि पश्चिमी समाज भी इस परंपरागत प्रणाली को अपना रहा है क्योंकि आधुनिक एलोपैथी प्रणाली के कई दुष्प्रभाव हैं। यह स्वरिक्पा प्रणाली आमची प्रणाली अपने आप में काफी समृद्ध है और यही कारण है कि पश्चिमी व्यक्ति चिकित्सा की इस प्रणाली में और अधिक आस्था रख रहे हैं। केवल हमारी सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कर लेने भर की देर है। वही नहीं हो पा रहा है। मैं महसूस करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं परंतु मैं इनके इस रुख की तब तक प्रशंसा नहीं करूंगा जब तक कि वे मेरी मांग या सदस्यों की चिंता को पूरा नहीं करेंगे। मेरी शुभकामनाएं भी आएंगी परंतु यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मंत्री महोदय मेरे अनुरोध पर क्या कार्रवाई करेंगे?

मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश में कोई भी चिकित्सा विश्वविद्यालय नहीं है। हमारे यहां अरुणाचल प्रदेश में एक होमियोपैथी संस्थान है, अरुणाचल प्रदेश होमियोपैथी संस्थान जिसे राजीव गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शामिल किया गया है, लेकिन वे इसे स्थायी

[श्री किरेन रिजीजू]

पंजीकरण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस संस्थान को होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। मेरे विचार से मामला माननीय मंत्री के पटल पर है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं लेकिन चूंकि आज मुझे बोलने का अवसर मिला है इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह देखने के लिए अनुरोध करता हूं कि वे छात्र जो गत दो वर्षों के दौरान पास हुए हैं उन्हें चिकित्सक के रूप में मान्यता मिले। उनके पास सभी आवश्यक योग्यताएं हैं लेकिन उन्हें इस संस्थान के होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होने के कारण चिकित्सक नहीं कहा जाता है। यदि वे तुरंत एक आदेश जारी करते हैं या तत्काल हस्तक्षेप करते हैं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।

चूंकि माननीय मंत्री दक्षिण भारत से आते हैं तथा मैं सुदूर उत्तर-पूर्व से आता हूं, हमारे बीच समुचित समन्वय होना चाहिए। मैंने एन.ई.आई.जी.आर.आई.एच.एम.एस. शिलौंग के संबंध में गत माह एक मामला उठाया था। जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा एनईआईजीआरआईएमएचएस के संबंध में सोचा गया था, तो यह उद्देश्य था कि एम्स के बराबर उत्तर पूर्व में यह उत्कृष्ठ चिकित्सा संस्थान होगा। कई कारणों से इसमें विलंब हुआ लेकिन राजग के समय में इसकी आवश्यकता महसूस की गई तथा अब यह स्थापित हो गया है। कुछ विवाद हुए थे जिनका जिक्र मैं नहीं करूंगा। माननीय मंत्री इस विषय में जानते हैं तथा मैंने इस मामले को भी उठाया था। मुझे उस क्षेत्र के लोगों से कई ज्ञापन तथा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं लेकिन मैंने उस लाइन पर राजनीति नहीं की। मैं उसे कई मंचों पर उठा सकता था लेकिन मैं इस महत्वपूर्ण संस्थान पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं मेरा विश्वास है कि स्वास्थ्य मंत्री पूरे मामले को सनझेंगे। मैं दक्षिण भारत के किसी संस्थान से किसी प्रकार के लिंकेज के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन हमें अवश्य देखना होगा कि उत्तर पूर्व के गरीब मरीजों को दक्षिण भारत की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं हो। दक्षिण भारत की यात्रा करना कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन यह खर्चील मामला है। यह समस्या है जिसका समाधान हम कर सकते हैं तथा जहां माननीय मंत्री का हस्तक्षेप आवश्यक है ताकि उत्तर पूर्व के लोगों का इलाज उत्तर पूर्व में ही हो सके।

मैं जानता हूं कि दक्षिण भारत चिकित्सा प्रणाली में काफी उन्नत है। अतएव, दक्षिण भारत के संस्थान की विशेषज्ञता तथा अग्रणी होना निश्चित रूप से हमारे काम आ सकता है। स्वयं माननीय मंत्री दक्षिण भारत से आते हैं जो हमारी तथा लोगों की भावनाओं को बिना आहत किए इस प्रयास को निश्चित रूप से बल देंगे। आउटसोर्सिंग की तरह की बात है। एनईआईजीआर आईएचएमएस दक्षिण भारत से आउटसोर्स किया गया है। इस तरह की भ्रांति जो दिमाग में आई है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास उल्लेख के लिए कुछ और बातें हैं लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं ज्यादा समय नहीं लूं। अतएव, इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): धन्यवाद, महोदय। सर्वप्रथम, मैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, डा. अंबुमणि रामदास को जवाहरलाल इंस्टीच्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर) का उन्नयन करके एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाने वाले इस अभूतपूर्व विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं तथा इसकी प्रशंसा करता हूं।

विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करने के पूर्व मैं माननीय मंत्री को अखिल भारतीय संयुक्त चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में आरक्षण शुरू करने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने 14 वर्षों के बाद एक कदम उठाया है तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को आरक्षण दिया है। उन्होंने इस देश को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छी योजना, यथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी दिया है। उसी प्रकार उन्होंने यह विधेयक इस सम्माननीय सभा के सम्मुख पेश किया है।

सर्वप्रथम, मैं जवाहरलाल इंस्टीच्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (जिपमेर), पांडिचेरी के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। यह भारत के उत्कृष्ट महाविद्यालय एवं अस्पतालों में से एक है। जवाहरलाल इंस्टीच्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (जिपमेर) का जन्म 1823 में हुआ था जब फ्रांसीसी सरकार ने 'एकोले डी मेडिसीन डी पांडिचेरी' नामक एक चिकित्सा विद्यालय स्थापित किया था। पांडिचेरी का भारत को हस्तांतरण के पश्चात् भारत सरकार ने वर्ष 1956 में चिकित्सा महाविद्यालय को अपने हाथ में ले लिया।

चिकित्सा महाविद्यालय को 13 जुलाई, 1969 को क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में उन्नयन किया गया तथा इसे जवाहरलाल इंस्टीच्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (जिपमेर) के रूप में नाम दिया गया। यह अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक (डीजीएचएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। यह संस्थान पांडिचेरी विश्वविद्यालय से संबद्ध है तथा यह कई चिकित्सा तथा अर्द्ध चिकित्सीय पाठ्यक्रम चलाता है। जिपमेर में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पी.एचडी. पाठ्यक्रम हैं।

वर्ष 2007 के दौरान हाल में एक डीजीबी द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया तथा इसने पूरे देश में चिकित्सा महाविद्यालयों की रैंकिंग दी। पहला स्थान एम्स, नई दिल्ली को जाता है जो भारत सरकार के अधीन है; दूसरा स्थान क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, बेल्लौर को जाता है जो क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा चलाई जा रही निजी संस्था है, तथा तीसरा स्थान जिपमेर, पांडिचेरी का है तथा यह भी सरकार के पास है। केवल भारत से ही नहीं बल्कि सभी एशियाई देशों से काफी संख्या में लोग इन अस्पतालों, विशेष रूप से सीएमसी तथा जिपमेर अस्पताल आते हैं।

इस विधेयक के कतिपय प्रावधानों का उल्लेख करने के पूर्व मैं इस देश की चिकित्सा शिक्षा का उल्लेख करना चाहता हूं। पूरे विश्व की चिकित्सा शिक्षा की तुलना में भारतीय चिकित्सा शिक्षा कई देशों तथा छात्रों को आकर्षित करती है। अनिवासी भारतीयों की बड़ी संख्या भारत के सबसे अच्छे चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक, यथा जिपमेर में शिक्षा प्राप्त करने आती है।

भारत में चिकित्सा शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। भारतीय चिकित्सा परिषद भारत में चिकित्सा अध्ययन को नियंत्रित करती है। सभी राज्यों के विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय जो चिकित्सा शिक्षा देते हैं, पर भारतीय चिकित्सा परिषद प्रतिवर्ष निगरानी रखती है तथा समय-समय पर निरीक्षण करती है, यह महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को एमबीबीएस, एमएस, एमडी, बीडीएस या कोई स्नातक या स्नातकोत्तर या डिप्लोमा डिग्री प्रदान करने की अनुमति देती है बशर्ते कि ये महाविद्यालय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्थापित मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हों।

विधेयक में ही एक प्रावधान है कि इस संस्थान का उन्नयन करने के पश्चात् वे एक चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग कालेज, दंत महाविद्यालय तथा ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र शुरू करने जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह इसके प्रावधानों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। एम्स व जिपमेर जैसे संस्थानों द्वारा नए मेडिकल कालेज स्थापित करना एक स्वागत योग्य कदम है। तथापि, संपूर्ण देश में प्रत्येक स्थान पर भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुमति से नए निजी चिकित्सा कालेज खुल रहे हैं। इनमें से किसी कालेज में गरीब छात्र द्वारा प्रवेश प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि किसी गरीब छात्र को प्रवेश परीक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त होता है तो वह कोई भी कैपिटेशन शुल्क दिए बगैर इन कालेजों में प्रवेश पा सकता है। अन्यथा, केवल अमीरों के बच्चे ही इन चिकित्सा कालेजों में पढ़ सकते हैं। तमिलनाडु में एक चिकित्सा कालेज है जो एक करोड़ रुपये के भुगतान पर एमबीबीएस तथा एमडी पाठ्यक्रम एवं एमबीबीएस व एमएस पाठ्यक्रम में दाखिला दे रहा है। एक करोड़ रुपये के भुगतान पर, कोई भी छात्र 7 वर्षों में दोनों पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकता है। इसलिए, चिकित्सा शिक्षा बाजार में विक्रय-योग्य उत्पाद बन गया है। इस प्रकार के व्यापार में जुटे कुछ निजी चिकित्सा कालेज बिना किसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को बिना किसी उचित प्रयोगशालाओं के 'बिना पर्याप्त अध्यापकों के' बिना उचित ग्रंथालयों व अन्य सुविधाओं के स्थापित कर दिये गये हैं। नर्सिंग कालेजों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद केरल व तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लड़कियां खाड़ी व यूरोपीय देशों में जाती हैं। देश में नर्सिंग कालेजों की क्या स्थिति है? मेरे गांव धारापुरम में एक नर्सिंग कालेज है। वहां कोई अवसंरचनात्मक सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। वहां कोई अध्यापक नहीं है। वहां कुछ भी नहीं है। इस विधेयक के पारित हो जाने पर, जिपमेर एक चिकित्सा कालेज और नर्सिंग कालेज शुरू करेगा। हमारी सरकार व माननीय मंत्री द्वारा यह एक स्वागत योग्य कदम उठाया गया है।

इसके अलावा, मैं विधेयक के संबंध में कतिपय मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, माननीय सदस्यगण एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं कि इन संस्थानों को बिना किसी अवसंरचना के अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: यहां तक कि बिना शिक्षकों के।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: हमारे देश में ऐसे चिकित्सा संस्थान हैं जो बिना किसी अवसंरचना के कार्य कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसा न केवल केरल में हो रहा है बल्कि देश के अन्य भागों में भी हो रहा है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मेरे विचार से मंत्री महोदय इस मुद्दे पर उत्तर देंगे। वे कैसे कार्य करते हैं? संपूर्ण देश में ऐसा हो रहा है। यह अराजकता की स्थिति है।

श्री एस.के. खारवेनथन: सभी चिकित्सा कालेजों को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सभी नर्सिंग कालेजों को नर्सिंग परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दंत चिकित्सा कालेजों पर डेंटल काउंसिल द्वारा निगरानी रखी जाती है। प्रत्येक परिषद के अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं। उनके अपने निरीक्षण दल होते हैं। नर्सिंग परिषद सदस्यता प्रदान करने की स्वीकृति देने से पूर्व कालेज में निरीक्षण के लिए एक दल को भेजती है। दल नकारात्मक रिपोर्ट देता है तथा यह कहता है कि इस संस्थान को अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, फिर भी अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है। अगर ऐसी स्थिति है, तो ऐसी परिषद होने का क्या उद्देश्य है?

[श्री एस.के. खारवेनथन]

हमारी लड़कियां विदेश जा रही हैं तथा काम कर रही हैं। वे यूरोपीय देशों में मल्लपाली व तमिलनाडु लड़कियों से अच्छी सेवा की आशा करते हैं। इस प्रकार संस्थानों की अंधाधुंध स्थापना किस प्रकार से अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकती है। यह देश में शोचनीय स्थिति है। इन सब चीजों से बचने के लिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस संस्थान जिपमेर द्वारा एक चिकित्सा कालेज शुरू करने की बजाय, नर्सिंग कालेज शुरू करने की बजाय, एक दंत चिकित्सा कालेज शुरू करने की बजाय इस संस्थान द्वारा अनेक चिकित्सा कालेज, अनेक दंत चिकित्सा कालेज अनेक नर्सिंग कालेज शुरू किए जाने चाहिए। यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

विधेयक का खण्ड 5(1) संस्थान की संरचना से संबद्ध है। खण्ड 5(1)(ट) के अनुसार संसद के तीन सदस्य जिसमें से दो को लोक सभा के सदस्यों में से चुना जाएगा तथा एक राज्य सभा के सदस्यों में से चुना जाएगा। खण्ड 8 के तहत एक अन्य उपबंध है जिसके अनुसार अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को संस्थान से ऐसे भत्ते प्राप्त होंगे जो विहित किए जाएं।

हम लाभ के पद की समस्या से अवगत हैं जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान सामने आई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सभा अथवा लोक सभा का कोई सदस्य जिसे इस संस्थान के सदस्य के रूप में नामांकित किया हो और जो संस्थान से भत्ते भी प्राप्त करता हो, लाभ के पद के कानूनों के उपबंध के अंतर्गत आएगा। इस उपबंध पर स्पष्टीकरण होना चाहिए।

अन्य महत्वपूर्ण बात खण्ड 6(ख) का उपबंध है जो सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य से संबंधित है-एक सेवानिवृत्त होने वाला सदस्य पुनर्नामित होने या पुन: चयन होने के लिए अर्हक होगा। इस समिति की अवधि पांच वर्ष है। प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि कोई सदस्य पांच वर्ष के लिए पुनर्नामित किया जाता है तथा पुन: पांच वर्ष के लिए नामित किया जाता है, तो इससे संस्थान को नुकसान पहुंचेगा। अगर कोई सदस्य 10 वर्ष या 15 वर्ष के लिए वहां बैठता है, तो इससे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उदाहरण के तौर पर सभी विश्वविद्यालयों में सिंडिकेट सदस्य को अधिकतम दो अवधियों के लिए नामित किया जाता है। यहां तक कि अम्बेडकर विधि संस्थान में मैं केवल दो अवधि तक ही सिंडिकेट सदस्य रहा। तीसरी बार के लिए मैं अर्हक नहीं था। चाहे वह पदेन सदस्य हो या चयनित सदस्य अथवा नामित सदस्य हो, इस उपबंध में परिवर्तन करना पड़ेगा। पुनर्नामित करने या पुन: चयन किए जाने के लिए एक सेवानिवृत्त होने वाला सदस्य कितनी अवधि के लिए अर्हक होगा? क्या यह दो अवधि या तीन अवधियों अथवा 10 वर्ष या 15 वर्षों के लिए होगा? यह स्पष्ट होना चाहिए। अन्यथा, हमें एक उपबंध करना होगा कि कोई सदस्य 15 वर्ष अथवा 20 वर्षों तक पद पर बना रह सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात संस्थान के उद्देश्य हैं— यह खण्ड 12 है इसका उद्देश्य स्नातक पूर्व व स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं इसकी सभी शाखाओं में शिक्षा के पैटर्न का विकास करना है ताकि चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानकों को प्रदर्शित किया जा सके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह संस्थान छात्रों को बहुत अच्छी चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा। ऐसा करते हुए, सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आवश्यक संकाय की नियुक्त करने के लिए कदम उठाने होंगे। न केवल स्थानीय मानदण्डों को संतुष्ट करते हुए हमें अपने युवकों का विकास करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अमेरिका में कही जाएं तो विदेशियों द्वारा हमारे अस्थि शल्य चिकित्सकों का स्वागत किया जाता है तथा वे हमारे नौजवान चिकित्सकों को महत्व देते हैं। अतएव, हमें अपने युवावर्ग का इस फैशन में विकास करना है। नियुक्त किए गए संकाय सदस्यों तथा अन्य के पास अच्छी योग्यता होनी चाहिए।

इसी प्रकार, खंड 13 चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय तथा दंत महाविद्यालयों से संबंधित है जिसके विषय में मैंने इससे पूर्व निवेदन किया था तथा मैं दोहराता हूं कि अनेक संस्थान खोले जाने हैं। इस विधेयक के माध्यम से उठाए गए अति महत्वपूर्ण कदम का स्वागत है जो खंड 13(च)(न)-ग्रामीण तथा शहरी स्वास्थ्य संगठनों के बारे में है। हमारे मंत्री महोदय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू होने के बाद काफी ज्यादा आवंटन किया गया है। प्रत्येक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में तीन अस्पतालों का चयन किया गया है। वे बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है तथा वे काफी अच्छी तथा मूल्यवान सेवा दे रहे हैं। उसी प्रकार जिपमेर के अंतर्गत यह चिकित्सा क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को काफी मूल्यवान सेवा प्रदान करेगा।

इसके आगे खंड 13(छ) भारत के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित है। यह बहुत अच्छा कदम है। वर्तमान में, केवल शिक्षकों को शिक्षित करने की कोई सुविधा नहीं है। उदाहरण के तौर पर, सं.प्र.ग. सरकार के सत्ता में आने के बाद भोपाल में नेशनल जूडीशियल एकेडमी स्थापित की गयी जो कि देश में अनोखा संस्थान है। हम अधीनस्थ न्यायपालिका की बात कर रहे हैं; हम आवास सहित सभी व्यवस्था कर रहे हैं; वे एक सप्ताह के लिए ठहरते हैं; तथा न्यायिक अधिकारियों को काफी अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार, जिपमेर में एक पृथक ब्लाक खोला जाना चाहिए तथा सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए; विभिन्न क्षेत्रों से चिकित्सक तथा शिक्षकों

को आमंत्रित किया जाना चाहिए; तथा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा लाया गया यह काफी अच्छा प्रस्ताव है।

दूसरा खंड 13(ड) आरक्षण से संबंधित है, संस्थान में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रत्येक 75 सीटों में से कम से कम 20 सीटें स्थानीय आवेदनों के लिए हैं। इससे पहले जिपमेर में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। यह एक नया प्रस्ताव है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। प्रत्येक 75 छात्रों में से 20 छात्रों का चयन करेंगे जो स्थानीय लोगों, पुंडुचेरी के लोगों की सहायता करेंगे। गरीब तथा पददलित लोगों को संस्थान में प्रवेश मिलेगा। इस उपखंड के अनुसार, प्रत्येक 70 सीटों में से कम से कम 20 सीटें आरक्षित हैं।

यदि सीटों की संख्या बढ़ाकर 75 से 150 कर दी जाती है, तो आरक्षण के लिए सीटें स्वतः 20 से 40 करनी होगी। यदि सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो आरक्षण के अंतर्गत सीटें तद्नुसार बढ़ानी चाहिए। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

फीस के ढांचे के संबंध में मुझे यह कहना है। आई आई एम्स तथा आई आई टीज जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बहुत अधिक फीस ले रहे हैं। जिपमेर फीस के रूप में बहुत कम पैसे लेता है। इसे राष्ट्रीय संस्थान के रूप में विकसित करने के बाद फीस के ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। सामान्य फीस एकत्रित की जाए। तभी हम गरीब तथा पददलित वर्ग के लोगों को शिक्षा के लिए अच्छी सेवा दे सकते हैं।

जिपमेर में उपचार के लिए प्रवेश हेतु पत्र लेने के लिए एक या दो व्यक्ति हमारे पास आते हैं क्योंकि यह सबसे अच्छा उपचार करता है तथा उपचार मुफ्त करता है। देश के विभिन्न भागों से, न केवल दक्षिण भारत से, बल्कि उत्तर तथा पूर्व में कोलकाता तथा असम से लोग उपचार के लिए जिपमेर में आते हैं जैसे वे वेल्लोर मेडिकल कालेज तथा अन्य जगह विशेषरूप से हृदय शल्य क्रिया तथा किडनी प्रत्यारोपण के लिए जाते हैं। यह काफी अच्छा तथा सस्ता उपचार करता है। अतएव, इसे राष्ट्रीय संस्थान बनाने के बाद भी चिकित्सीय खर्च नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। वे चिकित्सीय महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय तथा नर्सिंग महाविद्यालय खोलना चाहते हैं। उन्हें भी उचित फीस पर चलाया जाना चाहिए। इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए; तभी यह देश के गरीब लोगों की मदद करेगा।

वर्ग (ग) तथा (घ) के कर्मचारियों के संबंध में, मुझे यह कहना है। इससे पूर्व इस विधेयक पर राज्य सभा में चर्चा की गयी थी तथा सदस्यों ने वर्ग ग तथा घ के कर्मचारियों के बारे में चर्चा की थी; स्थानीय लोग उत्तेजित हो गए; तथा उन्हें 28(1) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है; तथा इसलिए वर्ग ग तथा घ के कर्मचारियों के अधिकार उसके अंतर्गत संरक्षित है।

इन सभी चीजों पर विचार करने के पश्चात्, यह हमारी सरकार तथा विशेष रूप से डा. अंबुमणि रामदास, जो स्वयं एक चिकित्सक हैं तथा काफी समाजसेवा कर रहे हैं तथा वे इस देश के लोगों का स्वभाव जानते हैं, द्वारा उठाया गया कदम स्वागत योग्य है। वे इस सम्माननीय सभा के सम्मुख काफी मूल्यवान विधेयक लाये हैं। मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं तथा स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): आपका धन्यवाद। मैं इस विधेयक, यथा द जवाहरलाल इंस्टीच्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च पुडुचेरी विधेयक, 2008 का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय, डा. अंबुमणि रामदास, जो मेरे मित्र हैं, को वहां शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा चिकित्सा सेवाओं के लिए दक्षिण में एक अग्रणी संस्थान, एक स्वायत्त संस्थान स्थापित करने के लिए इतना अच्छा विधान लाने के लिए बधाई देता हूं।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का सदस्य होने के नाते हमने इस विधेयक की गहन जांच की है तथा हमने उस स्थान का दौरा भी किया है। हमने सभी हितधारकों का साक्ष्य भी लिया है। उस समय, चिकित्सकों, संकाय सदस्यों, पैरामेडिकल्स, कर्मचारियों तथा स्थानीय लोगों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर एक संशय था, तथा इस संस्थान को स्वायत्त दर्जा देने पर काफी आन्दोलन हुआ। लेकिन स्थायी समिति के हम सभी सदस्यों ने एकमत होकर सभी हितधारकों का साक्ष्य लिया। हमने जमीनी वास्तविकताओं की सराहना की, समस्याओं को उचित परिप्रेक्ष्य में रखकर समझा। स्थायी समिति ने इन सभी अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए इस विधेयक में समुचित संशोधनों पर एकमत होने की सिफारिश की।

महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री तथा सरकार ने अंततः सभी प्रमुख संशोधनों को स्वीकार किया तथा संशोधित विधेयक में इन्हें शामिल किया। सरकार द्वारा कुल मिलाकर 34 संशोधन स्वीकार किए गए हैं। यह एक स्वागत योग्य निर्णय है। मेरा विश्वास है कि इन संशोधनों से यह विधेयक समृद्ध हो गया है तथा काफी उद्देश्यपरक हो गया है। निश्चित रूप से, इन संशोधनों से इस विधेयक के उद्देश्य में काफी सुधार हुआ है।

[डा. रामचन्द्र डोम]

महोदय, इस संस्थान को स्वायत्तता देना काफी श्रेष्ठ अभियान है क्योंकि यह संस्थान काफी बाधाओं, यथा, निधियों की कमी, संकाय की कमी तथा अन्य बाधाओं से पीड़ित था। पर्याप्त स्वायत्तता तथा निर्णय लेने के अधिकार के बिना लोगों को प्रशिक्षण देने, अनुसंधान करने तथा स्वास्थ्य परिचर्या सेवा के मुख्य उद्देश्य बाधित थे। मेरा विश्वास है कि इस विधान के साथ अधिकांश बाधाएं दूर हो जाएंगी तथा यह संस्थान एक अग्रणी संस्थान का रूप लेगा तथा देश के अन्य स्वायत्त केन्द्रीय संस्थानों के बराबर एक संस्थान होगा।

महोदय, जहां तक चिकित्सा परिचर्या सेवाओं का संबंध था। लोगों की शंकाएं जायज थीं। गरीब लोग ये सेवाएं मुफ्त या वहन किए जाने योग्य व्यय पर प्राप्त कर रहे थे। उनका यह शक था कि वे यह अवसर खो देंगे यदि संस्थान को स्वायत्तता मिल जाती है। स्थानीय संकाय के सदस्य भी अपने कैरियर की संभावनाओं को लेकर चिंतित थे। अन्य अर्द्धचिकित्सीय कर्मचारी भी स्थानांतरण, नियुक्ति तथा प्रोन्नति को लेकर चिंतित थे। लेकिन उन सभी पर इस संशोधन विधेयक में ध्यान दिया गया है। अनेक संशोधनों के पश्चात् इस विधेयक को सर्वानुमति से राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है।

स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए स्थानीय छात्रों के संबंध में एक प्रावधान किया गया है। प्रवेश हेतु 75 छात्रों की संख्या में से 20 सीट उनके लिए आरक्षित की गई है। मैं इसे लेकर काफी खुश हूं। हमारी स्थायी समिति ने भी इस मामले पर सिफारिश की थी। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी लागू किया जाना चाहिए। स्थानीय कर्मचारी की सेवा शर्तों विशेष रूप से उनकी पेंशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें इस संबंध में संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि जहां तक उनकी प्रोन्नति या ग्रेडेशन का संबंध है, उन्हें किसी अवसर से वंचित न किया जाये।

आजकल, इस प्रकार के संस्थानों के लिए पर्याप्त स्वायत्तता देना काफी आवश्यक है लेकिन केवल स्वायत्तता देना पर्याप्त नहीं है। बजटीय आवंटन के रूप में वित्तीय समर्थन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि वह इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है तथा संस्थान के लिए यह आवश्यक है। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान बजट में इसके लिए और अधिक वित्तीय आबंटन प्रदान किया जाना चाहिए।

हमारी समिति में, जब हमने संकाय पदों की स्थिति की जांच की तो हमने पाया कि इनकी हालत बहुत खस्ता है। हमारे देश के सर्वाधिक दूरस्थ स्थानों में अच्छे संकाय सदस्य जाने को इच्छुक नहीं हैं तथा बहुत से संकाय पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं जिससे संस्थान का अध्यापन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संकाय सदस्यों के इन रिक्त पदों को अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के हितों को देखते हुए तुरन्त भरा जाना चाहिए।

इसी प्रकार नर्सिंग कर्मचारियों तथा अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों आदि जैसे अन्य पद भी लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं। जिससे लोगों को सेवा प्रदान करने में कठिनाइयां आ रही हैं। इस पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए तथा रिक्त पदों को भरा जाए।

छात्रों में काफी आशंका है कि स्वायत्तता प्राप्त करने के बाद फीस में वृद्धि की जा सकती है जिससे गरीब छात्र अच्छी शिक्षा से वंचित रह जायेंगे। इस बारे में हमने हमारी समिति की ओर से सिफारिश की है कि फीस का ढांचा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे गरीब छात्र पढ़ाई न कर सकें। इस विधेयक में इस बात का ध्यान रखा गया है। मैं इससे वास्तव में बहुत प्रसन्न हूं।

इस विधेयक के बारे में बोलते समय मैं कुछ अन्य कमियां बताना चाहूंगा जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ तथा अन्य केन्द्रीय संस्थानों जैसे हमारे देश में केन्द्रीय सरकार के अग्रणी संस्थानों में चल रही हैं। हमारा हाल ही का विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी में स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अग्रणी संस्थान के बारे में अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। सभी प्रकार से यह एक प्रतिष्ठित एवं आदर्श संस्थान है तथा साथ ही साथ इस संस्थान को केन्द्र सरकार की ओर से बहुत अधिक संरक्षण मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी अध्यापन, प्रशिक्षण, गरीब रोगियों को दिए जाने वाले उपचार तथा सबसे अधिक अनुसंधान कार्य के संबंध में बहुत सी खामियां हैं। ये बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। क्या हमें इस संस्थान के लिए इतना अधिक बजट आवंटन करने के बाद भी इससे ऐसी ही अपेक्षा थी? इसके बावजूद भी इसमें कमियां हैं। मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि वे इस पर विशेष ध्यान दें ताकि इस संस्थान की प्रतिष्ठा को बनाए रखा जा सके।

देश के कुछ चिकित्सा महाविद्यालयों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्तर के महाविद्यालय बनाने के लिए उन्नयन कार्यक्रम का इस विभाग द्वारा प्रस्ताव किया गया है। यद्यपि यह कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है इसके बावजूद भी इस कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

बजट आबंटन पर्याप्त नहीं है। अत: सरकार को इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

महोदय, मेरा अगला मुद्दा नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने के बारे में है। मेरे कई साथियों ने इसके बारे में कहा है तथा असलियत यह है कि यह एक कठिन कार्य है। इन दिनों, विशेषकर निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि में गरीब लोग इस युग के शिकार हो गए हैं। राज्य सरकारें अपनी तरफ से चिकित्सा महाविद्यालय खोलने में बहुत ही लाचार महसूस कर रही हैं। किन्तु यदि सरकार नये चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो फिर यह कार्य कौन करेगा? क्या यह कार्य उद्योग जगत करेगा? शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के अत्यधिक निगमितीकरण के देशभर में दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। कोई सामाजिक नियंत्रण नहीं रह गया है। ये बहुत ही संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उद्योग जगत को इन दो क्षेत्रों से लाभ पहुंच रहा है। उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं दोनों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस पहलू पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। बड़ी संख्या में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को खोलने पर अंकुश लगाने के लिए एक विधान बनाकर इन विषयों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। इसके विपरीत सरकार को नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की मदद करनी चाहिए। देश में विकास समान रूप से नहीं हुआ है। हमारा देश एक बड़ा देश है। गरीब राज्य चिकित्सा महाविद्यालय खोलने में सक्षम नहीं हैं। निजी क्षेत्र दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा महाविद्यालय खोलना नहीं चाहते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक तर्कसंगत नीति होनी चाहिए तथा सरकार इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। अतः, मैं सरकार से अपनी नीति का पुनर्मूल्यांकन करने का अनुरोध करता हूं ताकि और अधिक समय गवाएं बिना इन विसंगतियों एवं असंगत विकास के मुद्दों का समाधान किया जा सके।

महोदय, मैं अगली बात टीकाकरण के बारे में कहना चाहता हूं। बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। सरकार सार्वभौमिक टीकाकरण की बात करती है लेकिन टीके दूसरे देशों में उत्पादित किए जाते हैं। हमारे देश में तीन प्रमुख टीका उत्पादन प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से एक पाश्च्यूर इंस्टीट्यूट है, दूसरी कन्नुर केरल में है और तीसरी कसौली हिमाचल प्रदेश में है। किन्तु हाल ही में सरकार ने इन प्रयोगशालाओं से उत्पादन बन्द करने का आदेश दिया है। हमें इसका कारण पता नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अपने आदेश वापस लेकर इन संस्थानों में उत्पादन कार्य पुनः शुरू कराए।

अध्यक्ष महोदय: आपके दल के दो और सदस्यों को बोलना है। अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थान पुडुचेरी विधेयक, 2008 पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ अपनी बातें मैं कहना चाहूंगा। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत के संविधान में यह उल्लिखित है कि सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे याद है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, उनका नारा था कि रोटी, कपड़ा सस्ती हो और दवा, पढ़ाई मुफ्ती हो। इस नारे पर अमल करने की अगर सही मायने में किसी ने शुरूआत की थी, तो वह उत्तर प्रदेश से हुयी थी, तत्कालीन मुलायम सिंह जी की सरकार में इसकी शुरूआत हुयी थी। यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है और एम्स की तर्ज पर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नयी दिल्ली की तर्ज पर यह संस्थान खोलने वाला विधेयक है। आप एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाने जा रहे हैं।

अपराह्न 3.46 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** पीठासीन हुए]

मैंने इसमें पढ़ा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार इसके अध्यक्ष होंगे, भारत सरकार के सचिव पदेन सदस्य, पुडुचेरी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी इसके पदेन सदस्य होंगे और प्रदेश के मुख्य सचिव भी इसके सदस्य होंगे। इसके साथ ही साथ इस सदन से भी दो माननीय संसद सदस्य और एक सदस्य का राज्य सभा से निर्वाचन इसमें होना है। यह बहुत ही अच्छी बात है। ये जितने पदाधिकारी हैं या डायरेक्टर्स आफ बोर्ड के मेंबर्स हैं, इनसे संस्थान को काफी बल मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ, रायबरेली में एक संजय गांधी आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थान है। जिसमें बहुत अच्छे-अच्छे डाक्टर्स, विशेषज्ञ और अच्छे इक्विपमेंट्स आदि की व्यवस्था है। फिर भी कभी-कभी हम लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये संस्थान इसलिए खोले जाते हैं कि जो बहुत गरीब व्यक्ति है, जिसके पास धन नहीं है और जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, कम से कम अच्छे और उच्च स्तरीय संस्थानों में उसका इलाज हो सके, लेकिन कभी-कभी हम लोग इस बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

गरीबों के लिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित तमाम स्कीमें चलायी हैं। इसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। इस सदन में कई बार पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ से सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात प्रस्तुत की है, लेकिन माननीय मंत्री जी हमारा मकसद होना चाहिए कि हर आदमी को जिसके पास पैसा नहीं है, उसे अच्छी से अच्छी दवा और इलाज की सुविधा मुहैया हो सके। यह देखा गया है कि ऐसे बड़े-बड़े संस्थानों और खास तौर पर, मैं एम्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज अगर हमारे निर्वाचन क्षेत्र से कोई मरीज आता है, जो गरीब है, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, वह लोकल स्तर पर डाक्टर को दिखलाता है, जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर अच्छे डाक्टर को दिखाता है, बाद में अगर उसे आयुर्विज्ञान संस्थान, नयी दिल्ली को रेफर किया जाता है, तो यहां उसको इलाज कराने में बड़ी असुविधा होती है। उसके लिए हम लोगों को सिफारिश करनी पड़ती है। कहीं डायरेक्टर को फोन करना पड़ता है, कहीं पत्र लिखना पड़ता है, तब जाकर कहीं उसका इलाज हो पाता है। ज्यादातर देखा गया है कि बहुत से ऐसे मरीज हैं, जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसे विशेषज्ञ डाक्टर देखते हैं, उसके बाद उसकी जांच शुरू होती है। उसकी जांच में इतना वक्त लगता है कि कभी-कभी मरीज बीच में ही दम तोड़ देता है। उसके साथ ही कभी-कभी यह भी होता है कि फलां मशीन खराब है, आपरेशन नहीं हो सकता, आप इतने दिन बाद आइए। फिर हफ्ते, दस दिन या पन्द्रह दिन बाद की दूसरी डेट दी दी जाती है, जबकि मरीज बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है, उसका तत्काल इलाज होना चाहिए। इस ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा कि ऐसे इक्विपमैंट्स जो बहुत जरूरी हैं, उनकी आलटरनेट व्यवस्था होनी चाहिए। अगर एक उपकरण खराब हो तो दूसरा उपकरण चालू करके तत्काल इलाज की सुविधा होनी चाहिए।

अभी सम्मानित सदस्य ने कहा कि हम सिफारिश करते हैं तो वह कभी-कभी मानी नहीं जाती। एम्स की बात हो या तमाम प्रदेश स्तरीय आयुर्विज्ञान संस्थान, शिक्षा संस्थान आप खोल रहे हैं, यदि उनमें सम्मानित संसद सदस्य या विधायक वहां के डायरैक्टर को पत्र लिखते हैं या टेलीफोन करते हैं तो उस मरीज को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तमाम मरीज रोज नहीं आते। जो गरीब, निरीह होता है, जिसकी स्थिति दयनीय होती है, वही आता है और हमें उसके लिए सिफारिश करनी होती है। आपको यह व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

टाइम बाउंड इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी-कभी यदि मरीज डाक्टर को दिखाता है, तो उसके बाद जांच इतने लम्बे अंतराल की हो जाती है कि मरीज बीच में ही दम दोड़ देता है। उसकी तत्काल जांच होनी चाहिए और इलाज होना चाहिए, तभी हमारा मकसद पूरा हो पाएगा।

उत्तर प्रदेश में संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में लोग बहुत दूर-दूर से इलाज करवाने के लिए आते हैं, दो सौ, तीन सौ किलोमीटर दूर से आते हैं। यदि वे परिवार के साथ आते हैं तो मरीज किसी तरह एडमिट हो जाता है, लेकिन उसके परिवार के रहने की व्यवस्था कैम्पस में नहीं हो पाती। अगर आप आयुर्विज्ञान संस्थान को पुडुचेरी में खोल रहे हैं तो कम से कम मरीज के परिवार के लोगों के लिए रहने की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में मरीज के परिवार के तमाम लोग बाहर होटलों में रहते हैं और उनका इलाज से ज्यादा आने-जाने और रुकने में खर्च हो जाता है। इस व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा।

मैं दवा के बारे में कहना चाहता हूं। कभी-कभी पर्चा लिख दिया जाता है कि दवाई बाहर से ले आइए। जब व्यक्ति बाहर जाता है तो उसे दुगुने-तिगुने दाम पर दवाई मिलती है या कभी-कभी दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती है। गंभीर बीमारियों की जो बहुत जरूरी दवाइयां हैं, उनके लिए कैम्पस के अंदर ही व्यवस्था की जाए, तभी हमारा मकसद पूरा हो पाएगा।

अभी तमाम साथियों ने डाक्टरों के बारे में कहा। बहुत से डाक्टर ऐसे हैं जो आयुर्विज्ञान संस्थान की नौकरी छोड़कर अपने प्राइवेट नर्सिंग होम खोल रहे हैं, जहां अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं और बहुत पैसा भी कमा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि नर्सिंग होम्स की स्थिति क्या है। नर्सिंग होम की स्थिति का मतलब यह है कि यदि मरीज वहां जाए तो वह बेचारा कर्ज लेकर, जेवर गिरवी रखकर इलाज करवाता है। वहां मनमाने ढंग से दाम वसूले जाते हैं। यदि आज आयुर्विज्ञान संस्थान में डाक्टर हैं तो उन्हें अच्छा वेतन, रहने और उनके बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था वहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में वहां के डाक्टरों के बच्चों की शिक्षा के लिए सैंट्रल स्कूल खोला गया है। वहां बहुत बड़ा कैम्पस है। यदि डाक्टर वहां नहीं रहेंगे या उन्हें सुविधा नहीं मिलेगी तो वे मरीज की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए इसे भी देखने की जरूरत है।

मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पिछली तात्कालिक सरकार माननीय मुलायम सिंह जी की थी। वहां से पांच मेडिकल कालेज प्रस्तावित होकर केन्द्र सरकार में प्रस्ताव लंबित पड़ा है। मैंने प्रश्नकाल में प्रश्न उठाए थे और बहस के समय भी यह बात कही थी। उसे मंजूरी दी जाए चूंकि

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा हृदय प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तो मेरे ख्याल से देश का विकास नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर): सभापति महोदय, मैं भी माननीय सदस्य के साथ अपने को एसोसिएट करता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है, आप एसोसिएट हो सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बुदूर): महोदय, मैं जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008 का समर्थन करता हूं।

महोदय यह संस्थान देश के प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। जहां से बहुत सारे चिकित्सक तथा स्नातकोत्तर चिकित्सकों ने अध्ययन किया है।

महोदय, चिकित्सा पाठ्यक्रम आज बहुत अधिक खर्चीले हैं। लेकिन अन्य संस्थानों की तुलना में जो छात्र जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान से पाठ्यक्रम पढ़ते हैं वे बहुत अधिक धनराशि खर्च किए बिना इस संस्थान से एक बहुत अच्छे स्नातकोत्तर स्तर के चिकित्सक बनकर निकले हैं।

महोदय, मैं एक ऐसा बहुत ही अच्छा विधेयक लाने के लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह संस्थान देश में उच्च स्तर की शिक्षा देने एवं उत्कृष्ट रोगी परिचर्या प्रदान करने के लिए 1964 में स्थापित किया गया था। ये दोनों ही बातें यहां बहुत ही अच्छी प्रकार से पूरी की गई हैं। लेकिन आज की स्थिति में इसका दिन-ब-दिन स्तर गिरता जा रहा है। अत: एम्स एवं अन्य अस्पतालों तथा चंडीगढ़ स्थित चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में इस संस्थान का विकास करने के लिए मंत्री महोदय यह विधेयक लाए हैं।

महोदय, मैं यहां एक बात सदस्यों के संबंध में कहना चाहता हूं। इस विधेयक में यह उल्लेख है कि इस संस्थान में निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि इसमें संसद सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। यह एक बहुत ही स्वागत योग्य सुझाव है। लेकिन इसके लिए पुडुचेरी से दो सदस्य तथा एक सांसद लोक सभा से तथा दूसरा सदस्य राज्य सभा से होगा। यह संस्थान पुडुचेरी में है और तमिलनाडु के अधिकांश लोग यहां अपना इलाज कराते हैं। अत: तमिलनाडु से एक संसद सदस्य को संस्थान में नामनिर्दिष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? ...*(व्यवधान)* इस विधेयक में यह स्पष्टत: उल्लेख है कि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी से इस संस्थान के लिए दो संसद सदस्यों जिनमें से एक को लोक सभा अध्यक्ष तथा दूसरे को राज्य सभा के सभापति नामनिर्दिष्ट करेंगे। इस प्रकार से इसमें चार सदस्य होंगे। ...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: वह पुराना है। यह नया है। ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: मुझे इस बात का बहुत दुख है लेकिन तमिलनाडु के अधिकांश लोग वहीं से इलाज करा रहे है। इसलिए आपको वहां पर तमिलनाडु के किसी व्यक्ति को तैनात करना चाहिए। तमिलनाडु के सभी 39 संसद सदस्य इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। अत: माननीय मंत्री को इस अनुरोध पर विचार करना चाहिए।

अब मैं पद के कार्यकाल से संबंधित अन्य पहलू पर आता हूं। इस बात का उल्लेख किया गया है कि उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी। इसे घटाकर तीन वर्ष किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से इसे घटाकर तीन वर्ष करने का अनुरोध करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरे इस छोटे से अनुरोध पर विचार करेंगे।

अपराह्न 3.59 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

आखिर में, मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पिछले सप्ताह मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खसरे के टीके से तीन बच्चों की मौत हुई है। राज्य सरकार ने अधिकारियों और डाक्टरों को निलम्बित किया है। ये टीके भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं इसलिए मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस घटना के लिए केन्द्र सरकार को दोषी मान रहे हैं। अत: मैं माननीय मंत्री जी से दवाईयों की आपूर्ति के बारे में गंभीरता से गौर करने का अनुरोध करता हूं। तीन बच्चों का मर जाना कोई मामूली बात नहीं है। पिछले रविवार को मैंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उनके घरों का दौरा किया था। उस दौरान 45 वर्ष की एक महिला ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से चीखते हुए कहा कि शादी के 25 वर्ष बाद उसे संतान सुख प्राप्त हुआ था। वह इस बात की शिकायत कर रही थी कि अब उसकी कोख उजड़ चुकी है और भविष्य में वह कभी भी मां नहीं बन सकती क्योंकि इस बच्चे के जन्म के पश्चात् डाक्टरों ने उसका गर्भाशय

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

निकाल दिया था इसलिए भविष्य में वह कभी मां नहीं बन सकती।

अपराह्न 4.00 बजे

उसका पूरा परिवार बहुत निराश था। इसके अतिरिक्त हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने उसके परिवार को 3 लाख रुपए दिए हैं। लेकिन उस महिला ने कहा कि मैं इस धन का क्या करूंगी। मुझे केवल अपने बच्चे का ही आसरा था। वही चीखते हुए कह रही थी कि वह भविष्य में कभी भी मां नहीं बन सकती। अत: मंत्री महोदय को इस टीके की आपूर्ति के बारे में कुछ गंभीर कदम उठाने चाहिए। 2004-2005 में मंत्री महोदय ने कहा था कि तिरूचि और सालेम में एक एम्स जैसा संस्थान खुलेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप 'जिपमेर' से दंत शल्य चिकित्सा और नर्सिंग में डिप्लोमा दे सकते हैं। मैं मांग करता हूं कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तिरूवल्लूर जिले में गुमिदीपोंडी में भी एक ऐसे ही संस्थान की स्थापना की जाए। हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भी अक्सर इस सड़क से गुजरती हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस सड़क पर एक अस्पताल का निर्माण कराये, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि गुमिडीपोंडी एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यदि वहां पर अस्पताल की स्थापना की जाती है तो वहां पर नेल्लोर के लोग भी आ सकते हैं क्योंकि ये स्थान नेल्लोर के भी निकट है। राष्ट्रीय महत्व वाला ये विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय को ऐसा शानदार विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। मैं डीएमके पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मैं आपको जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी, विधेयक, 2008 पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। दिसम्बर, 2007 को पूरे राष्ट्र का ध्यान 'जिपमेर' विधेयक की ओर आकृष्ट हुआ था जब सरकार को राज्य सभा में विपक्ष के साथ वामदलों ने सरकार पर इस विधेयक को वापस लेने के लिए मजबूर किए जाने के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा था कि ऐसा पहली बार हो रहा कि किसी विधेयक को स्थायी समिति और मंत्रिमंडल की संवीक्षा के बाद भी मंत्रिमंडल के पास वापस भेजा जा रहा है। ''यह बहुत ही दुर्भाग्यशाली और खेदजनक स्थिति है। हम इसे मंत्रिमंडल के पास वापस ले गए।''

जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी, विधेयक, 2008 केन्द्र द्वारा शासित प्रमुख चिकित्सा संस्थान को स्वायत्त संस्थान में तब्दील करेगा। केन्द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जिमपेर स्वायत्तता विरोधी जन कार्रवाई समिति के सदस्यों की बैठक दिनांक 18 अप्रैल, 2008 को दिल्ली में हुई थी। उनकी यह मांग है कि जब स्वायत्तता विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाए तो सांसदों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चार प्रमुख मांगों को इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने पुडुचेरी में बंद सहित अनेक प्रदर्शन करने की धमकी दी है। इन चार मांगों में से एक मांग यह है कि पुडुचेरी के निवासियों के लिए मेडीकल सीटों का आरक्षण जारी रखा जाए। इस समय कुल 75 सीटों में से पुदुचेरी के लोगों के लिए 20 सीटे आरक्षित हैं। संशोधित विधेयक के खंड 20 के उपखंड (ड) में इस मांग का ध्यान रखा गया है।

कार्रवाई (एक्शन) समिति की दूसरी मांग यह है कि जनता के लिए वर्तमान मुफ्त इलाज भी जारी रखा जाए। नए विधेयक के खंड 25 के उपखंड (ढ) में इस बात का ध्यान रखा गया है। कार्रवाई (एक्शन) समिति की एक अन्य मांग यह थी कि चिकित्सा शिक्षा के लिए विद्यमान शुल्क संरचना ही बरकरार रखी जानी चाहिए और इसमें किसी भी हालत में सीधे तौर पर केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क से ज्यादा वृद्धि न की जाए। इस विधेयक में इस मांग का भी ध्यान रखा गया है।

विधेयक के खंड 25 के उपखंड (ढ) में इस बात का उपबंध किया गया है कि इस संस्थान की गरीब मरीजों को मुफ्त चिकित्सा उसी तरह प्रदान की जाएगी जिस तरह केन्द्र सरकार के चिकित्सा संस्थानों में प्रदान की जाती है।

महोदय, इस विधेयक में इस बात के पर्याप्त उपबंध किए जाए कि यह संस्थान सुचारू रूप से और कुशलतापूर्वक काम करें ताकि मानवता की सेवा की जा सके।

इस अवसर पर मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह भी अनुरोध है कि भुवनेश्वर, उड़ीसा में एम्स को शीघ्र पूरा किया जाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री एम. अप्पादुरई** (तेनकाशी): मैं, जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी को स्वायत्तता का दर्जा देने के लिए माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पेश किए

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

गए विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए पीठ को धन्यवाद देता हूं। मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। अब ऐसा लगता है कि जैसे किसी तूफान के बाद शांति आई है। जब 'जिपमेर' को स्वायत्तता का दर्जा देने संबंधी घोषणा की गई थी उस समय काफी होहल्ला हुआ था। जनता और कर्मचारियों दोनों को ही इस बात की आशंका थी कि उन्हें स्वायत्त निकाय में उस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलेगी जिस तरह की सुविधाएं सरकारी संस्थान से मिलती हैं। लोगों को यह डर था कि उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलेगी। अभिभावकों को भी यह डर था कि चिकित्सा शिक्षा के शुल्क में वृद्धि की जाएगी। कर्मचारियों ने इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि उन्हें पेंशन तथा अन्य लाभ नहीं मिलेंगे। अतः इस पहल का विरोध हो रहा था। इसलिए इस विधेयक को आवश्यक संशोधनों के साथ पुनः पुरःस्थापित किया गया है। पुडुचेरी के निवासियों को प्रवेश में प्राथमिकता मिलनी जारी रहेगी। इस विधेयक में पुडुचेरी के छात्रों के लिए 75 सीटों में से 20 सीटें देने की व्यवस्था की गई है। समाज के कमजोर तबकों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं जारी रहने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा की जाएगी।

इस विधेयक के खंड 20(1) में संस्थान के कर्मचारियों के लिए पेंशनरी लाभ जारी रहेंगे। पूर्व विधेयक में किया गया यह स्वागतयोग्य परिवर्तन है। इस सरकार ने सत्ता संभालते समय यह वायदा किया था देश के अनेक भागों में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए एम्स जैसे बड़े संस्थानों की स्थापना की जाएगी। मुझे यह देखकर दुख होता है कि अभी तक ऐसे किसी संस्थान की स्थापना नहीं हो पाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सरकार अपने कार्यकाल की समाप्ति तक कम से कम एक संस्थान की स्थापना कर पाएंगे। मैं सरकार से इस वायदे को पूरा करने का अनुरोध करता हूं। यह विधेयक इस दिशा में की गई एक पहल है।

स्वायत्तता का दर्जा मिलने के बाद और अधिक धनराशि और विदेशी सहयोग प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त नया स्वायत्त संस्थान अपनी सेवा की गुणवत्ता और शिक्षा तथा अनुसंधान के स्तर में व्यापक सुधार हो सकता है।

एम्स की तर्ज पर इस प्रकार के उच्च ग्रेड के संस्थान की स्थापना तमिलनाडु के दक्षिण में मदुरै अथवा तिरूनेलवेली में की जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के 62 वर्ष बाद भी चिकित्सा शिक्षा गरीबों की पहुंच से बाहर है। निजी क्षेत्र के अस्पताल सफल सिद्ध हो रहे हैं परन्तु सरकारी अस्पतालों की स्थिति दयनीय है। यह जमीनी वास्तविकता है कि सरकारी अस्पतालों में हमेशा ही डाक्टरों अथवा दवाओं की कमी रहती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तेनकासी में कुल 60 डाक्टरों की कुल संख्या के स्थान पर केवल 16 डाक्टर तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ हमारे ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा स्नातक बेहतर अवसरों की तलाश में अमरीका, इंग्लैंड और जापान जैसे देशों में जा रहे हैं। हमारे यहां आज भी 25 हजार लोगों के लिए केवल एक ही डाक्टर है। इसलिए स्वाभाविक है कि गरीबों और जरूरतमंदों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती। चूंकि सरकार रिक्त पदों को नहीं भर रही है। इसलिए हमारे चिकित्सा स्नातक देश से बाहर जा रहे हैं। इस प्रतिभा पलायन के कारण सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा परिचर्या अपर्याप्त है, जबकि यही क्षेत्र गरीबों को लाभ पहुंचा सकता है। निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ने से निजी चिकित्सा कालेजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक छोटे से संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में पांच निजी चिकित्सा कालेज हैं। उस छोटे से संघ राज्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अनेक चिकित्सा संस्थाओं के साथ एक ही सरकारी संस्थान है, जिसमें न तो पर्याप्त प्रशिक्षित फैकल्टी है और न ही पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं। लेकिन वे लाखों रुपए एकत्र कर रहे हैं। इसलिए खामियों को दूर करने के लिए उचित निगरानी की जानी चाहिए। हाल ही में तमिलनाडु में टीकों के कारण पांच से अधिक बच्चों की तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बच्चे की मौत हो गई। केवल गरीब ही इस प्रकार की त्रासदी का शिकार होते हैं। हमारी योजनाएं तथा उनका निष्पादन गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किसकी सेवा करते हैं? इसमें गलती किसकी है? क्या यह भाग्य है? मैं भगवान में विश्वास नहीं करता परन्तु मेरा मानना है कि जीवन को बचाने वाले डाक्टर ही भगवान जैसे होते हैं। तमिलनाडु के बुद्धिवादी मुख्य मंत्री के विचारों को दोहराते हुए, जोकि पेरियार के मार्ग पर चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए गरीबों और जरूरतमंदों को बेहतर चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए इस संस्था से और अधिक डाक्टरों तथा नर्सों को तैयार करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वीरचन्द्र पासवान (नवादा): महोदय, जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। भारत सरकार द्वारा यह बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है और मैं समझता हूं कि देश में जहां कहीं भी आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में इसकी जरूरत महसूस की जा रही है, वहां इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए। इस सदन को और सरकार के संज्ञान में ऐसे संस्थान

[श्री वीरचन्द्र पासवान]

की बात को लाया जाता है, तो निश्चित तौर पर दूसरी जगहों पर भी इस तरह के संस्थान की स्थापनी की जानी चाहिए। जैसे स्नातकोत्तर स्तर पर आयुर्विज्ञान की शिक्षा तथा अनुसंधान की व्यवस्था यहां की गई है, वैसी व्यवस्था अन्य राज्यों में, प्रदेशों में करने की आवश्यकता है।

चूंकि यह संस्थान मूर्त रूप लेने जा रहा है, इसमें बहुत नोक-झोंक निकालने या इसके क्रियाकलापों का उल्लेख करने की गुंजाइश नहीं है। जब यह अस्तित्व में आएगा तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। जो विधेयक प्रस्तुत है और उसमें जो बातें उभर कर सामने आई हैं, उसे रखना चाहूंगा। मैं संस्थान के गठन के संबंध में कुछ बातों को रखना चाहूंगा। इस संस्थान के अध्यक्ष भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्री होंगे और इसमें कौन सदस्य होंगे, उनका उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव, इसके पदेन सचिव होंगे, पुडुचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति पदेन सदस्य होंगे और इसी तरह से राज्य के मुख्य सचिव पदेन होंगे। इसके अलावा बहुत सारे सदस्यों को रखने की बात कही गई है।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदासः माननीय सदस्य, हमें आज राज्य सभा द्वारा यथापारित एक नई प्रति मिली है।

श्री वीरचन्द्र पासवानः यह पुरानी प्रति है।

डा. अंबुमणि रामदासः मुझे लगता है कि आप पुरानी प्रति का उल्लेख कर रहे हैं। आप नई प्रति देखें, उसमें आप हमारे द्वारा किए गए सभी परिवर्तनों को देख सकते हैं। हमने बहुत से खंडों को हटा दिया है; यहां उपलब्ध नई प्रति में 34 संशोधन किए गए हैं।

श्री वीरचन्द्र पासवानः यह जानकारी देने के लिए माननीय मंत्री महोदय आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

महोदय, इसमें संसद का प्रतिनिधित्व दिया गया है। ओल्ड कापी में एक लोक सभा और एक राज्य सभा का सदस्य लेने की बात थी। राज्य सभा द्वारा पारित अपडेट बिल जो मेरे साथी ने दिया है, उसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उसमें दो लोक सभा और एक राज्य सभा का मैम्बर होगा। ऐसे संस्थानों में अधिक से अधिक जन प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए लोक सभा से चार और राज्य सभा से दो सदस्य न केवल पुडुचेरी से बिलौंग करने वाले हों बल्कि लोक सभा के सदस्य के रूप में जिन को सदन या अध्यक्ष महोदय या सभापति महोदय महसूस करते हैं कि उनको नाम निर्देशन होना चाहिए, उनको रखा जाए।

इसी तरह से मैं देख रहा हूं कि वहां असेम्बली है। मैंने इसे देखा नहीं है और मंत्री जी मेरे संज्ञान में लाएंगे। पहले वाले विधेयक में विधान सभा से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जनता के प्रतिनिधि जो विधान सभा में निर्वाचित होते हैं, उनके बीच से भी कोई आना चाहिए जैसे अन्य विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में माननीय विधायक रहते हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं। चूंकि पुडुचेरी में विधान सभा है इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि विधान सभा से अधिक से अधिक उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए ताकि इसे लोक उपयोगी बनाया जा सके। विस्तृत चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने एक बात का पहले ही उल्लेख किया है कि इस तरह की जरूरत अन्य राज्यों में भी है। मैं बिहार से आता हूं, बिहार में भी आयुर्विज्ञान केंद्र और स्वास्थ्य सेवाओं की अति आवश्यकता है। बिहार में इस तरह का एक भी उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है, जिस तरह से शिक्षण संस्थान हमारे देश की विभूति के नाम पर पुडुचेरी में खोला गया है उसी तरह से हमारे राज्य में लोक नायक कर्पूरी ठाकुर जी, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, वहां पर दलितों के सामाजिक न्याय नेता, श्री भोला पासवान शास्त्री, जो तीन बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं और लोक नायक जयप्रकाश जैसे महान् लोगों के नाम पर आयुर्विज्ञान क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि इन बातों को सरकार गंभीरता से ले। मैं कहता हूं कि न केवल बिहार बल्कि देश के अन्य राज्यों में होने चाहिए क्योंकि मेडिकल एजुकेशन जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसके बैगर स्वस्थ ह्युमेन रिसोर्सिस की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हम देश को विकसित करना चाहते हैं, दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में अपने देश को खड़ा करना चाहते हैं तो ह्युमेन रिसोर्सिस भी स्वस्थ होने चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हैल्थ सर्विस होनी चाहिए और हैल्थ सर्विस को लाने के लिए मेडिकल एजुकेशन की जरूरत है। इस तरह से जो प्रयास पुडुचेरी में किया गया है, वह प्रयास अन्य राज्यों में भी किया जाए। मेरे यही दो तीन प्वाइंट हैं कि जनप्रतिनिधियों को ऐसे शिक्षण संस्थानों में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए और देश के महान नेता, जिन्होंने समाज, देश, राज्य के लिए, पिछड़ों और दलितों के लिए कार्य किया है उनके नाम पर इस तरह के शिक्षण संस्थान बनाए जाने चाहिए, इनका गठन किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं प्रो. रामदास से बोलने का अनुरोध करूंगा। आप इस विधेयक के वास्तविक लाभार्थी हैं। इसलिए आप विधेयक के बारे में बोल सकते हैं और अपने व्यावहारिक अनुभव के बारे में बताइए। आप श्री अंबुमणि के जरिए सीधे लाभान्वित हुए हैं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, पिछले चार वर्षों में शायद आप पहले सभापति हैं, जिन्होंने मुझे पर्याप्त समय दिया है, और सबसे पहले इसके लिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए।

महोदय, पट्टाली मक्कल काची और इसके संस्थापक अध्यक्ष तथा हमारे प्रिय नेता डा. अय्यर की ओर से मैं इस जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुडुचेरी विधेयक, 2003 का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

महोदय, इस विधेयक की विशेषताएं बताने से पहले मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि पुडुचेरी का एकमात्र लोक सभा सदस्य होने के नाते मेरे लिए आज खुशी और उल्लास का दिन है, आज पुडुचेरी के लिए गौरव का क्षण है कि वहां राष्ट्रीय महत्व की संस्था खुलने जा रही है।

महोदय, आपने ठीक ही कहा है कि हम इसके लाभभोगी हैं और इस सम्माननीय सभा से इस विधेयक के पारित होने के बाद पुडुचेरी के लोग इस महान क्षण पर खुशियां मना रहे होंगे।

कुछ सदस्यों विशेषकर डा. रामचन्द्र यादव ने पहले मुझसे बात की थी और कहा था कि पुडुचेरी में इस विधेयक को लेकर कुछ उथल-पुथल और इसके विरुद्ध कुछ आंदोलन हुए थे। उस क्षेत्र का सदस्य होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे आंदोलन कराए गए थे, विधेयक के उपबंधों को पढ़े बिना, विधेयक की बारीकियों को समझे बिना तथा विधेयक के प्रभावों को समझे बिना वे आंदोलन चलाए गए थे। विधेयक के उपबंधों को बिना देखे कोई उस पर टिप्पणी कैसे कर सकता है। वहां यह स्थिति थी। यह अंधेरे में भटकने जैसी स्थिति थी। ऐसे में इंसान अपनी परछाई से भी डरता है। इस तरह के लोग ही कुछ समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुडुचेरी में चार प्रमुख राजनीतिक दल हैं-सत्तारूढ़ दल-कांग्रेस, सहयोगी दल-द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, पट्टाली मक्कल काची; और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इन सभी चारों दलों ने संशोधन से भी पहले मसौदा प्रारूप में इस विधेयक का समर्थन किया था।

पुडुचेरी विधान सभा में 30 सदस्य हैं और राजनीतिक संबद्धता को दरकिनार करते हुए 27 सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया। वस्तुत:, पुडुचेरी के लोग इस अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कब इस संस्थान का राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में उन्नयन किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को उत्तम स्वास्थ्य परिचर्या मिल सके, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा मिल सके जिससे वे सामाजिक क्षेत्र में ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंच सकें। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि वहां बड़े आंदोलन हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी, हमारे लोकतांत्रिक माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने उनकी आशंकाओं पर ध्यान दिया और यह कहकर कि हमारी, यूपीए सरकार की इच्छा किसी को धोखा देने तथा बदला लेने की नहीं है, उन्हें समझाने का प्रयास किया।

इसलिए यह खुशी का अवसर है क्योंकि काफी जद्दोजहद के बाद, इस विधेयक के पारित होने पर आज हम एक नयी शुरूआत देख रहे हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह कि इस विधेयक को तैयार करने तथा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में परिवर्तित करने से पूर्व इसके हित में अनेक महान कार्य करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय की सराहना करता हूं। मैं पुडुचेरी से हूं, मैंने इस संस्थान को 1966 में देखा था, जब मैं दाखिला लेने के लिए जिपमेर गया था। इस संस्थान की स्थापना 1964 में हुई थी। अपनी पीयूसी पूरा करने के बाद मैंने 1965 में उस कालेज में दाखिला लिया। इसलिए अपने अध्ययन के दिनों से लेकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के चरण तक मैंने जिपमेर के कार्यकरण को देखा है। पिछले 50 वर्षों में किसी भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस संस्थान का दौरा नहीं किया, हालांकि यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबद्ध एक केन्द्रीय संस्था है। एक यही स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो बार-बार इस संस्थान में आए, यहां उपलब्ध सुविधाओं को देखा, खामियों का पता लगाया, गलतियों के बारे में बताया तथा पिछले चार वर्षों के अंदर उन सभी खामियों को दूर करने का प्रयास किया।

चार वर्षों में आज इस संस्थान की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आया है। स्वास्थ्य परिचर्या में जबर्दस्त सुधार हुआ है और पिछले चार वर्षों में इस संस्थान के बारे में अधिक जागरूकता पैदा हुई है। इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाने से पूर्व हमारे माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई कई पहलों के कारण ऐसा हो पाया है।

महोदय, उस संस्थान में मौजूद सी.टी. स्कैन मशीन काम नहीं कर रही थी। उसे चालू किया गया। वहां हमने एक विश्वस्तरीय एमआरआई मशीन लगाई। हमने गत चार वर्षों में एक आपातकालीन

[प्रो. एम. रामदास]

खंड का निर्माण कराया है। एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है जहां देश भर से लोग आते हैं और यहां मौजूद समर्पित हृदयरोग विशेषज्ञों से अपना इलाज करवाते हैं। हमने यहां एक सपुर-स्पेशिलिटी ब्लाक का निर्माण कराया है। हमने इस महाविद्यालय या संस्थान में 65 से अधिक संकाय पदों को भरा है जो कि अड़चनों के कारण अनेक वर्षों से रिक्त थे। हमने वहां एक नर्सिंग कालेज की स्थापना की है। हमने एक आडिटोरियम का निर्माण किया है। हमने कैंसर के लिए एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की है।

महोदय, सी.पी.आई. के एक माननीय सदस्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में पूछ रहे थे? वे कह रहे थे: ''यह क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है।'' उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था कि यह कैसे कार्य कर रहा है।

12 अप्रैल को ही हमने इस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मांडीपेट नामक स्थान में एक मेगा इवेंट; एक व्यापक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया, जो कि दूरवर्ती स्थित गांव है। एक ऐसा गांव जो गरीबी से त्रस्त है। एक ऐसा गांव जो निरक्षरता से पीड़ित है, जहां लोगों को आधुनिक दवाइयों की सुविधा नसीब नहीं हो पाई है।

हम वहां इन आम लोगों के द्वार तक यह मेडिकल सुविधा ले गए। हमने एक व्यापक स्वास्थ्य अभियान का आयोजन किया जिसमें 5000 लोगों ने भाग लिया।

उन्हें भविष्य में भी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए चुना गया है। इसलिए, मैं मंत्री महोदय को जिपमेर, पुडुचेरी की छवि को सुधारने के लिए उनके द्वारा किये गए कठिन कार्य के लिए बधाई देना चाहता हूं।

यदि इस विधेयक को समझना है तो उस पृष्ठभूमि को भी समझना चाहिए, जिसके तहत यह विधेयक लाया गया है। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में चार क्षेत्रों माही, कराइकल, यनम और पुडुचेरी की जनसंख्या 10 लाख है। यह संस्थान स्वयं पुडुचेरी के इतिहास से नजदीकी तौर पर जुड़ा है। महोदय आपको, न केवल एक वयोवृद्ध विद्वान अधिवक्ता के रूप में, बल्कि एक इतिहासवेता और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जो कि माही से और इसलिए पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र से भी जुड़ा है, ज्ञात ही होगा कि पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र एक पूर्ववर्ती फ्रांसिसी कालोनी थी। यह 138 वर्षों से अधिक समय तक फ्रांसिसी शासन के अधीन रही। यह 1954 में फ्रांसिसी शासन के भार से मुक्त हुआ। आधुनिक भारत के निर्माता और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने पुडुचेरी को अपने प्रिय शिशु के रूप में अपनाया। उन्होंने कहा ''हम तुम्हें वह सब देंगे, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए; जैसी भी अवसंरचना आपको चाहिए, हम उसे सृजित करेंगे। आप अभी शिशु अवस्था में हैं, और हम आपके लिए सब कुछ सृजित करेंगे।'' भारतीय संघ के साथ पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विलय के समय श्री जवाहरलाल नेहरू ने हमें एक उपहार दिया था और वह उपहार धनवंत्री अस्पताल के रूप में था। यह पहला ऐसा संस्थान था।

सभापति महोदय: माही के बारे में क्या? यह भी पुडुचेरी का ही एक हिस्सा है।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, जैसा कि आपने मुझे बताया है, मेरे पास बोलने के लिए आधा घंटा है। मैं अभी इसके इतिहास के वर्णन के चरण में ही हूं। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। माही को निश्चित तौर पर लाभ पहुंचेगा। ...*(व्यवधान)* इस प्रकार, भारतीय संघ के साथ पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विलय ने 1954 में ही धनवंत्री अस्पताल की स्थापना का संकेत दे दिया। विलय के पश्चात् यह प्रत्यक्ष तौर पर संघ राज्य क्षेत्र बना रहा। इस संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत नहीं लाया गया। वर्ष 1963 में, जब पहला संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया, तो पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र भी संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 के दायरे में आ गया। इसके तुरन्त पश्चात् जब पुडुचेरी का दर्जा बढ़ाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा धनवंत्री मेडिकल कालेज का दर्जा भी बढ़ा दिया गया। उस समय 1964 में पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र बनने के पश्चात् इस संस्थान का उन्नयन करके इसे जवाहरलाल इन्स्टीच्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बना दिया गया।

उस समय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई और श्री के.एल. राव की अध्यक्षता में मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया जिसमें ए.एल. बोलियार को भी इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। व५ 1965 में ही इस समिति ने जिपमेर के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह सिफारिश की कि इस जिपमेर का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ-साथ और पीजीआईएमएस की तर्ज पर उन्नयन करके इसे एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया जाए किंतु दुर्भाग्यवश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उस सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। यदि ऐसा किया जाता, तो जिपमेर उस समय ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बन चुका होता।

मैं समझता हूं कि नियति को ऐसा करना था। यह इस स्वास्थ्य मंत्री की नियति ही थी कि गत 44 वर्षों में जो नहीं किया

जा सका, वह हम आज कर रहे हैं क्योंकि नियति ऐसा सोचती है कि इन्हीं स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय में आज उनके ही समान कोई अन्य कदाचित 2008 में भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए, आज 44 वर्षों के पश्चात् मंत्री महोदय के अथक और अनवरत प्रयासों के कारण इस संस्थान का एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में उन्नयन किया जा रहा है और उन्होंने यह लोकतांत्रिक तरीके से किया है। इसलिए, मैं इस सम्माननीय सभा से कहना चाहता हूं कि इस संस्थान का वर्ष 1965 में ही के.एल. राव समिति के निदेश या सुझाव पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में उन्नयन किया जाना चाहिए था।

अपने अस्तित्व के गत अनेक वर्षों से जिपमेर इस देश में एक अग्रणी संस्था साबित हुआ है। इसे माना और स्वीकार किया जाना चाहिए कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर) दक्षिण भारत के बेहतरीन संस्थानों में से एक है। यहां पर प्रवेश प्रक्रिया सही है और भाई भतीजावाद की कोई गुंजाईश नहीं है। हमने जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर) में मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया है जिन्होंने न केवल भारत अपितु विश्व में भी दक्ष सर्जन और चिकित्सकों के रूप में नाम कमाया है। इस प्रकार, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर) ने चिकित्सा क्षेत्र में महान पुरुष और महिलाएं तैयार करने की विश्वसनीयता हासिल की है।

सभापति महोदय: मैं आपको इस मुद्दे पर बोलने के लिए अतिरिक्त समय दे रहा हूं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): आपकी विशेष तौर पर तरफदारी की जा रही है।

प्रो. एम. रामदास: जी महोदय। मेरी विचार प्रक्रिया में बाधा न पहुंचे।

सभापति महोदय: मैं आपको अतिरिक्त समय दे रहा हूं, चूंकि आप इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: यह स्वाभाविक ही है। मैं जानता हूं कि आप सामाजिक न्याय की प्रकृति वाले व्यक्ति हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह विधेयक डा. अंबुमणि रामदास द्वारा लाया गया है और आप बोल रहे हैं। दोनों ही सही है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: इसीलिए, यह संस्थान चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महान पुरुष और महिलाएं तैयार करने के लिए प्रसिद्ध है। इस संस्थान की स्थापना ऐसे समय में हुई थी, जब पुडुचेरी सरकार के पास अपने अस्पतालों में स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाएं मौजूद नहीं थी और पुडुचेरी, कराइकल, माही, यनम तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के इर्द-गिर्द के क्षेत्रों से भी हर कोई बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च (जिपमेर) आते थे। वहां हमारे पास उत्कृष्ट प्राचार्य, उत्कृष्ट निदेशक थे, जो वहां गुणात्मक चिकित्सा सेवा प्रदान करके इस चुनौती का सामना कर सकते थे। इसलिए, हमें इन सब चीजों को स्वीकार करना चाहिए। इन सब उपलब्धियों के बावजूद, पुडुचेरी के लोग यह महसूस कर रहे थे कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर) की गुणवत्ता और छात्रों तथा मरीजों दोनों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने में इसका ह्रास हो रहा है। इसका कारण यह है कि यह संस्थान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) के नियंत्रणाधीन एक प्रतिबंधित शासन के तहत कार्य कर रहा है। यहां तक कि आज भी, जैसा कि चर्चा की शुरूआत करने वाले भा.ज.पा. सदस्य ने कहा। इस संस्थान के पास अपने स्वयं के पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए शैक्षणिक स्वायत्तता नहीं है। यह पुडुचेरी विश्वविद्यालय से संबद्ध है। यह बहुत ही विरोधाभास स्थिति है। पुडुचेरी विश्वविद्यालय का स्वयं का चिकित्सा विभाग और विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सा पाठ्यक्रम विभाग नहीं है, किंतु आप जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर) को पुडुचेरी विश्वविद्यालय से जोड़ रहे हैं या संबद्ध कर रहे हैं। कोई भी इस प्रकार की गुणवत्ता के बारे में कल्पना कर सकता है, जो कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर) के छात्रों के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम में सुनिश्चित की जा सकती है।

अतएवं, यह महसूस किया गया कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय के साथ हुए इस संबंध को समाप्त करना होगा और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर) को एक स्वायत्त शैक्षणिक अकादमिक संस्थान के रूप में विकसित करना चाहिए। यह पहला कारण है।

दूसरा कारण यह है कि संस्थान किसी न किसी प्रकार से केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना से वित्तीय संसाधन प्राप्त कर पा रही थी परंतु इससे कई वर्षों तक संकाय पदों को भरे रख पाना संभव नहीं था। कई विभागों में कई ऐसे पद हैं जो कई वर्षों से खाली पड़े हैं क्योंकि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर) में चयन करने की प्रक्रिया अनूठी

[प्रो. एम. रामदास]

है। पहले पद का विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद सं.लो.से.आ. की मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है और जब सं.लो.से.आ. द्वारा साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है उसके बाद ही लोग यहां पर आते हैं परंतु यहां आने के बाद पुडुचेरी देखने के बाद वे यहां पर छः माह रहने के बाद पद छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें के.स.स्वा.यो. आदेशों के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है और कई संकाय सदस्य जो प्रख्यात शल्य चिकित्सक अथवा अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वे इस प्रतिबंधित व्यवस्था को पसंद नहीं करते और संस्थान को छोड़कर चले जाते हैं। परिणामस्वरूप संस्थान में संकाय सदस्यों का अभाव ही रहता है जिसके कारण विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है। अतएव, कई विभागों में पद खाली पड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें क्योंकि मेरे पास एक के बाद एक नाम आते जा रहे हैं।

प्रो. एम. रामदास: मैं और दस मिनट लूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम): उन्हें बोलने का पूरा समय लेने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कई सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। आपको इस मुद्दे पर बोलने के लिए कहने से पहले ही से चार वक्ताओं को समय दिया जा चुका है।

प्रो. एम. रामदास: मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। ...*(व्यवधान)* जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमेर) की तीसरी और सर्वाधिक पीड़ाकर व्याधि यह है कि संस्थान के संबंध में निर्णय लेने की शक्तियां महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास हैं न कि पांडिचेरी में पदस्थापित निदेशक के पास। अतएव प्रत्येक कार्य के लिए निदेशक को फाइल दिल्ली भेजनी पड़ती है उसके बाद यह उप निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय के पास जाती है। तत्पश्चात् यह निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास उसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव और तत्पश्चात् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव के पास एवं इसके पश्चात् माननीय मंत्री जी के पास जाती है और यदि आवश्यक हुआ तो उसके बाद यह योजना आयोग जाएगी, वित्त समिति के समक्ष जाएगी और उसके बाद एएफसी, टीएफसी, एफएफसी और सभी प्रकार के एफएफसी भेजनी पड़ेगी। एक बार फाइल भेज देने के बाद निदेशक को उस फाइल को भूलकर कुछ किए बिना अपना रोजमर्रा का कार्य करना पड़ता है। परिणामस्वरूप कई सुधार नहीं किए जा सकते क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति दिल्ली में केन्द्रीयकृत है। यहां तक कि बल्व बदलने के लिए निदेशक को फाइल पांडिचेरी से सीधे दिल्ली भेजनी पड़ती है और कोई नहीं जानता कि यह फाइल वापिस कब आएगी इससे संस्थान को भी प्रभावित होना पड़ता है और इससे इसके कार्यकरण पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

धन के अभाव में कोई भी संस्थान फलफूल नहीं सकता। जैसा कि भाजपा सदस्य ने अभी कहा है कि पिछले वर्ष इस संस्थान, जो कि एम्स में कराए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों के समान पाठ्यक्रम को संचालित कर रहा है, को केवल 56 करोड़ रुपये मुहैया करवाए गए थे। जबकि एम्स का 300 करोड़ रुपये का पृथक बजट है और जिपमेर का बजट केवल 56 करोड़ रुपये ही है। अतएवं, यह संस्थान वित्त, निधियों के अभाव से जूझ रहा है। इसके कारण भी संस्थान रुग्ण हो रहा है।

शैक्षणिक प्रतिबंधों की प्रतिबंधात्मक व्यवस्था में निर्णय लेने पर प्रतिबंध, वित्तीय प्रतिबंध और इस प्रकार के सभी प्रतिबंधों ने इस संस्थान के कार्यकरण को भी पंगु बना दिया। इसके परिणामस्वरूप जिपमेर में चिकित्सा परिचर्या की स्थिति बहुत ज्यादा बदत्तर हो गयी है। हास्यास्पद बात तो यह है कि पुडुचेरी स्थित जनरल हॉस्पिटल केन्द्रीय संस्थान, जिपमेर से बेहतर सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। इसका स्तर इतना गिर गया है वह भी उस परिस्थिति में जब माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने। आम लोगों ने भी महसूस किया कि इस प्रकार का उत्कृष्ट संस्थान विनाश के कगार पर कैसे आ पहुंचा है और यह कि उसमें सुधार किया जाना चाहिए। लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कहिए या किसी और वजह से उस समय के दौरान मैं संसद सदस्य बना और मैंने यह मामला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सामने रखा।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। दूसरे लोगों की भी बात सुनें। आपने सभी मुद्दों को कवर कर लिया है।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, मुझे कुछ और बाते कहनी हैं।

आज अपने कार्यकरण को चलाने के लिए इस संस्थान से प्रतिबंध हटाने की आवश्यकता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधित राज से मुक्त कराया गया है अर्थात् नियंत्रण राज से आजाद कर दिया गया है उसी प्रकार से जिपमेर को भी इस प्रतिबंधात्मक राज से मुक्त करना होगा और मौजूदा विधेयक द्वारा यही किया जा रहा है। हम न केवल इसे राष्ट्रीय संस्थान के रूप

में उन्नत कर रहे हैं अपितु इस संस्थान को सभी प्रकार की शक्तियां प्रदान करने जा रहे हैं ताकि वे उसे देश के एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित कर सकें।

कई लोग सोचते हैं कि हम इसे एक स्वायत्त संस्थान में बदलने जा रहे हैं। परंतु बहुत से लोग जो इस विधेयक को पढ़ सकते हैं वे आसानी से यह देख सकते हैं कि इस विधेयक में कहीं भी स्वायत्त शब्द नहीं आया है। सभी विरोध और आशंकाएं इस आधार पर जताई जा रही हैं कि इसे एक स्वायत्त संस्थान बनाया जा रहा है। हम केवल यही कर रहे हैं कि एक सामान्य संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का बनाने जा रहे हैं।

जब पूरा देश राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करने की मांग कर रहा है और कई स्थानों पर एम्स जैसे संस्थान बनाए जा रहे हैं तब आप पुडुचेरी को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान अर्पित कर रहे हैं। इसके द्वारा न केवल पुडुचेरी के लोगों को उपहार दिया जा रहा है अपितु जवाहरलाल नेहरू जिनके नाम पर इस संस्थान का नाम रखा गया है, को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम आधुनिक भारत के उस वास्तुकार को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो चिकित्सा शिक्षा का प्रसार करना चाहता था। यदि जवाहर लाल नेहरू आज जीवित होते तो वे माननीय मंत्री जी को इस अग्रणी प्रयास के लिए बधाई देते हुए बड़ी प्रसन्नता महसूस करते।

मैं पांच मिनट और लेना चाहूंगा। यह मैं गंभीरता से कह रहा हूं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. एम. रामदास: मैं इस विधेयक पर ही बोलूंगा मैं इससे अलग कोई और बात नहीं करूंगा। इस विधेयक में 32 से भी अधिक खण्ड हैं जिनमें 22 सदस्यों की संस्थान समिति, शासी निकाय, कई स्थायी समितियों और तदर्थ समितियां बनाने की व्यवस्था की गयी है। ये सभी समितियां अकादमिक मामलों, वित्तीय मामलों और उनसे संबंधित अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में स्वयं ही निर्णय लेंगी। अतएव, संस्थान को निर्णय लेने की पूरी शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। उन्हें किसी भी बात के लिए दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं होगी। अतएव, सभी निर्णय शीघ्र लिए जा सकेंगे और कार्यवाही भी शीघ्र की जा सकेगी और सकारात्मक कार्य बेहतर ढंग से हो सकेंगे।

दूसरे, कई कार्य करने के लिए इस विधेयक के 15 प्रकार्य अथवा उद्देश्य बनाए गए हैं जिनके बारे में मैं विस्तार से बताना चाहता हूं, परंतु आप समय ही नहीं दे रहे हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ का उल्लेख इस विधेयक की धारा 15 में किया गया है जो यह कहता है कि जिपमेर का पृथक बजट होगा।

सभापति महोदय: यदि आप अपनी बात समाप्त नहीं कर रहे हैं तो आपका यह विधेयक आज पारित नहीं हो पाएगा। यदि आप इसे आज ही पारित करवाना चाहते हैं तो अपनी बात समाप्त कर दें।

प्रो. एम. रामदास: नहीं, महोदय ऐसा गंभीर कदम न उठायें।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। मैं चाहता हूं कि विधेयक पारित हो जाए। यदि आप और ज्यादा समय लेंगे तो यह आज पारित नहीं होगा। आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए। क्या आप आज खंडवार विचार करना नहीं चाहते?

प्रो. एम. रामदास: जी महोदय, मैं चाहता हूं।

सभापति महोदय: तब, आप अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. एम. रामदास: मैं कर्मचारियों की इस आशंका को भी दूर करना चाहूंगा कि कर्मचारियों की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा अथवा उनके लिए कुछ भी अहितकर नहीं होगा। उन्हें भारत सरकार के पेंशन नियमों के अंतर्गत रखा जाएगा। उन्हें संस्थागत नियमों के अंतर्गत शासित किया जायेगा जो कि भारत सरकार द्वारा तैयार किए जाएंगे। इसलिए सभी आशंकाएं सही नहीं हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति इस विधेयक के पक्ष में है।

सभापति महोदय: चिंता न करें। डा. अंबुमणि रामदास जी इन सभी मामलों पर गौर करेंगे। आप चिंता क्यों करते हैं?

प्रो. एम. रामदास: महोदय, मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं।

आम आदमी को बेहतर सेवाएं प्राप्त होगी; तथा लोग शुल्क ढांचे इत्यादि के बारे में कह रहे थे। मैं यह कहूंगा कि जिपमेर छात्रों के लिए भारत में न्यूनतम शुल्क ढांचा रखेगा।

सभापति महोदय: कृपया भाषण समाप्त करें।

प्रो. एम. रामदास: तथा पुडुचेरी के छात्रों के लिए मौजूदा 26% आरक्षण जारी रहेगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मंत्री इन सब मुद्दों पर गौर करेंगे। उन्होंने पहले ही 'अखिल भारतीय संस्थान' का दर्जा देने का निर्णय ले लिया है।

प्रो. एम. रामदास: महोदय, मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं। विधेयक के आंतरिक गुणों के मद्देनजर तथा गुणात्मक, संगत व उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ पुडुचेरी के लोगों तथा भारत के नागरिकों को उत्कृष्ट चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने की इसकी सक्षमता के मद्देनजर मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस विधेयक को लाने के लिए तथा पुडुचेरी के लोगों को प्रसन्न करने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं तथा व्यक्तिगत तौर पर इस देश के लोगों की ओर से वास्तव में मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री का समर्थन करता हूं जिनका एक दृष्टिकोण है तथा उन्होंने देश से तथा विश्व से बीमारी को मिटाने का स्वप्न देखा है। बीमारी एक यह ऐसी चीज है जो अतिविशिष्ट व्यक्ति या गरीब में भेदभाव नहीं करती है। इस प्रकार, विरासत संस्थान जैसे जिपमेर जो कि फ्रांसिसी शासन काल से आज तक 185 वर्ष पुराना है। मुझे इस देश के लोगों विशेषकर पुडुचेरी के भाई-बहनों के हर्षोल्लास में शामिल होने एवं उन्हें बधाई देने का अवसर प्राप्त हुआ है। किसी संस्थान का राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के स्तर तक उन्नयन करना एवं किसी संस्थान को स्वायत्तता प्रदान करना परंतु यदि हम इस प्रकार के संस्थान को अधिक निधियां नहीं देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है।

भारत में अनेक संस्थान हैं जिनका उन्नयन किया गया है; उन संस्थानों को स्वायत्तता भी दी गई है, जो कि न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हैं। परंतु वे निधियों की अनुपलब्धता के कारण अधिकांशतः बेकार हो चुके हैं। इसलिए, मैं स्वास्थ्य मंत्री से इस प्रकार के संस्थानों को अधिक निधियां प्रदान करने का अनुरोध करूंगा ताकि वे विश्वस्तरीय हो सकें।

जिपमेर पूर्वोत्तर के लोगों में अधिक जाना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र के रोगी अधिक संख्या में इस संस्थान में आते हैं तथा इस क्षेत्र के छात्र अधिक संख्या में इस संस्थान से पास होकर निकल रहे हैं। इस प्रकार पूर्वोत्तर के लोग इस संस्थान से अधिक परिचित हैं। इसलिए, इस संस्थान को अधिक निधियां देनी चाहिए ताकि संकाय, उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी का उन्नयन किया जा सके जिससे गरीब लोगों को जिपमेर से सेवाएं प्राप्त हो सकें।

यहां, मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल यूरोपीय देशों में लोग आयुर्वेद तथा होम्योपैथिक दवाओं को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए, इन विषयों को इस संस्थान में सम्मिलित किया जाए।

रोजगार कल्याण के बारे में माननीय सदस्य, जिन्होंने मुझसे पहले बात की थी, कहा था कि कुछ गलत आशंकाओं के कारण पुडुचेरी के लोगों द्वारा इस विधेयक के प्रति बहुत विरोध किया गया। यहां मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे में जब हम इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व प्रदान कर रहे हैं, तो उन लोगों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों को वापिस लिया जाए ताकि इन लोगों को इस संस्थान के उन्नयन के साथ-साथ मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस देश के लिए आपका दृष्टिकोण अति महत्वपूर्ण है। परंतु आप एक हथियार तथा एक उपकरण से चूक रहे हैं जिससे देश आपकी सेवाओं का नमन करता और जिससे आपको भविष्य में याद किया जाएगा। पिछली सरकार ने संपूर्ण देश में एम्स जैसे छह संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। अगर आपने जिपमेर विधेयक जैसा प्रयास एम्स जैसे छह संस्थान स्थापित करने में किया होता तो इस देश के लोगों को सेवाएं प्राप्त हुई होती।

दूसरा मुद्दा यह है कि सभी केन्द्रीय संस्थानों में संपूर्ण देश में कर्मचारियों की कमी है। इसलिए, हमारे संस्थान गरीब लोगों को अधिक सेवाएं प्रदान करने में अक्षम है। मैं आपसे केन्द्रीय चिकित्सा संस्थानों में कर्मचारियों की कमी की समस्या पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं ताकि इन लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा सके।

भविष्य में जब जिपमेर एक सुस्थापित संस्थान बन जाता है और यदि मौजूदा सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, तब वे भविष्य में आरक्षित कोटा की सीटों में आनुपातिक वृद्धि करने पर भी विचार कर सकते हैं ताकि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. को सीटों में आनुपातिक वृद्धि का लाभ प्राप्त हो सके।

आज सुबह मुझे कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। चिकित्सा कालेजों में सामाजिक, मानवीय तथा मनोविज्ञान विषयों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। आज सुबह मैं एक निर्जलित रोगी के साथ प्रातः 6 बजे राम मनोहर लोहिया अस्पताल गया। रोगी के सामने एक चिकित्सक ने मुझे बुरी तरह डाटा। रोगी हितैषी होने की बजाय हमारे सम्मानीय चिकित्सक आजकल काफी रुखा व्यवहार करते हैं। मैंने चिकित्सक, जो रोगी को आपातकालीन कक्ष में ले जा रहा था को बताया कि मैं संसद सदस्य हूं और आप रोगी को देखने की बजाय मुझे डांट रहे हैं। आप अपने आपातकालीन वार्ड में आम गरीब लोगों का किस प्रकार इलाज करेंगे? यह केवल एक उदाहरण है। हमें हमारे चिकित्सकों से रोगी अनुकूल व्यवहार की अपेक्षा है। इसलिए मैं आपसे जिपमेर में मनोविज्ञान

जैसे विषयों को अधिक महत्व देने का अनुरोध करता हूं। आपके दृष्टिकोण एवं नेतृत्व की बदौलत यह संस्थान एक विश्वस्तरीय संस्थान के रूप में उभर रहा है। हमें इस संस्थान से अच्छे चिकित्सक नर्स व अन्य स्टाफ चाहिए। इसलिए इस संस्थान में सामाजिक विज्ञान व मनोविज्ञान को अधिक महत्व दिया जाए।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): सभापति महोदय, मैं पुडुचेरी स्थित जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संस्थान को नया रूप देने तथा इसका उन्नयन करने हेतु यह विधान लाने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं। यह निश्चित ही एक अद्भुत विचार है जो पुडुचेरी में साकार हो रहा है। स्पष्टतया मंत्री एवं उनके सहयोगियों ने काफी प्रयास किया है। मैं विशेष रूप से इसका उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों में जो कतिपय बाध्यताएं पाई गई हैं उनको हमारी प्रशंसा के मद्देनजर दूर किया गया है तथा यह ध्यान रखा गया है कि भविष्य में पुडुचेरी में इस विशिष्ट संस्थान में चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान के विकास में बाधा न आए। इसलिए, दृष्टिकोण एक समेकित दृष्टिकोण है जहां यह प्रावधान है कि जहां दो या अधिक चिकित्सा कालेज इस संस्थान से जुड़े होंगे। इस संस्थान से कम से कम एक या अधिक अस्पताल जुड़े होंगे तथा कम से कम एक नर्सिंग कालेज जुड़े होंगे तथा अनेक केन्द्र जुड़े होंगे जो चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक आनुषंगिक सेवाओं में वृद्धि करेगी। इस विधेयक में जिस दृष्टिकोण को दर्शाया गया है अत्यधिक भविष्योन्मुखी है तथा इसलिए मैं इस विधेयक को चर्चा के लिए लाने हेतु मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों को स्वतंत्र बनाने एवं इनके प्रचालन में विशेष रूप से चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता की परिकल्पना इस विधेयक में की गई है, इसकी अन्य राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों में भी अंतर्ग्रथन करने की आवश्यकता है। यहां शामिल किए गए सहायक तंत्रों को वहां पर भी लागू किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि पुडुचेरी के प्रतिनिधि कह रहे थे, जिपमेर में प्रचालनरत बाध्यकारी तत्वों से मुक्ति हो रही है और अब समस्याओं के निपटारे हेतु एक वृहद आधार प्राप्त हो रहा है। मेरा विचार यह है कि इस प्रकार की बाधाएं चाहे यह जिपमेर में हो तथा जिन्हें अब राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का रूप दिया जा रहा है-अथवा अन्य राष्ट्रीय संस्थान के रूप में चलाया जा रहा है उनमें व्याप्त समस्याओं एवं उनके निपटारे पर हमारा दृष्टिकोण समय एवं पद्धति एक समान होनी चाहिए।

मुझे विश्वास है कि मंत्री इसे आगे ले जाएंगे।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं इस अवसर पर इस संघ राज्य क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित होने पर पुडुचेरी के लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं। इस संस्थान, जैसा कि विधेयक में वर्णित है, का एक समेकित प्रमाणन तथा प्रत्यायन प्राधिकरण है जिसकी संकल्पना संस्थान के ढांचे की शक्तियों के अंतर्गत ही की गई है। पुनः यह एक अग्रगामी लिखत है तथा एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में इसकी पहचान को आकार देने में इस संस्थान की निश्चय ही काफी सहायता करेगा।

मैं यह उल्लेख करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं-मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री के मन में यह बात होगी-कि चिकित्सा विज्ञान तथा अनुसंधान के क्षेत्र अब उभर रहे हैं। चाहे वह आणविक जीव विज्ञान या नैनो-टैक्नालाजी का क्षेत्र हो या अनुसंधान का क्षेत्र हो कैंसर विज्ञान या मूल कोशिका अनुसंधान का क्षेत्र हो, इन भविष्य की संभावना वाले क्षेत्रों को विधा के रूप में हमारे राष्ट्रीय संस्थानों में शामिल करने और इन संस्थानों से विशिष्ट क्षेत्र के श्रेष्ठ विशेषज्ञों को आकर्षित करने की आवश्यकता है ताकि उनमें न सिर्फ चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने की इच्छा परिलक्षित हो, बल्कि वे ऐसी वास्तविकता के प्रति भी संवेदनशील हों जिसके अंतर्गत वे यह महसूस कर सकें कि चिकित्सा क्षेत्र के लिए क्या महत्वपूर्ण है।

महोदय, मुझे विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक की प्रशंसा करता हूं तथा इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: श्री फ्रांसिस जार्ज, कृपया संक्षेप में बोलें। आखिरकार, यह चिकित्सा संस्थान स्थापित करने के लिए है। मैं इसमें कोई विवाद नहीं पाता हूं। यह राजनीतिक विषय नहीं है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय: आप कुछ शब्द बोलें तथा बैठ जायें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। वास्तव में, सभा में आने से पहले,

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

मुझे यह आभास था कि यह विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय या स्वायत्त संस्थान बनने वाला है। अब इस विधेयक को देखने के बाद मैं पाता हूं कि यह उनमें से कुछ भी नहीं है। यह केवल राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में उन्नयन है। फिर भी यह अत्यंत प्रशंसनीय कदम है जिसे माननीय मंत्री द्वारा इस तथ्य पर विचार करने के बाद उठाया गया है कि यह संस्थान देश में अपनी तरह का सबसे पुराना संस्थान है।

यदि मैं सही समझता हूं तो इसकी स्थापना फ्रांस द्वारा 1823 में एक साधारण चिकित्सा स्कूल के रूप में की गई थी। वर्ष 1956 में सत्ता हस्तांतरण के बाद भारत सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया तथा तत्पश्चात् यह संस्थान न केवल पुडुचेरी के लोगों बल्कि तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल के निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों की भी सेवा कर रहा है। यदि मैं सही समझता हूं तो लोग वहां विशेषज्ञ उपचार के लिए जाते हैं। यह कहा जाता है कि किसी भी दिन में 4000 बाह्य मरीजों का वहां इलाज होता है तथा उस अस्पताल में विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ उपचार किए जाते हैं। लेकिन साथ ही यह नोट करते हुए आश्चर्य होता है कि अभी यहां 600 पद रिक्त पड़ें हैं तथा देश के इस काफी पुराने संस्थान में काफी अवसंरचना विकास किया जाना बाकी है। यह संदर्भपूर्ण तथा स्वाभाविक है कि हम इसे देश के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लेते हैं, जिसका अर्थ है कि इसका एम्स, दिल्ली या पीजीआई, चंडीगढ़ के बराबर उन्नयन किया जाना है। मैं जानता हूं कि इस विधेयक को राज्य सभा से लोक सभा तक लम्बी तथा कठिन यात्रा करनी पड़ी। इस पर मतभेद रहे कि एकबार जब संस्थान का उन्नयन होगा तो क्या कर्मचारियों का संरक्षण, आरक्षण नीति तथा निःशुल्क उपचार जो इस संस्थान में प्रदान किए जाते रहे हैं, जारी रहेंगे। माननीय मंत्री को बार-बार विधेयक में संशोधन करना पड़ा तथा अब मैं समझता हूं कि इन सभी आशंकाओं पर ध्यान दिया गया तथा सभी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं।

उन्नयन के बाद इस संस्थान को अधिक निधियों का आबंटन करने और इसकी अवसंरचना का बेहतर विकास करने का विचार है। मैं यह जानना चाहूंगा कि निधियों के अच्छे प्रबंधन और अवसंरचना के विकास के संबंध में माननीय मंत्री जी का क्या प्रस्ताव है? अब यदि प्रशासन के विद्यमान ढांचे और केन्द्र द्वारा किए जा रहे आबंटन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो हम निधियों का सृजन किस प्रकार करेंगे? यदि माननीय मंत्री जी इस संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें निधियों की आवश्यकता होगी और इसके लिए भारत सरकार को काफी उदार होना होगा और हद से बाहर जाकर इस संस्थान की मदद करनी होगी। तभी हम सही अर्थों में राष्ट्रीय महत्व तथा उत्कृष्ट के संस्थान के रूप में इसका उन्नयन कर पाएंगे।

महोदय, यहां मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। चूंकि इस संस्थान का राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। अतः माननीय मंत्री जी इसमें अल्जाइमर रोग से संबंधित एक परियोजना आरंभ करने पर विचार कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह सबसे नई बीमारी है लेकिन इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। काफी ज्यादा संख्या में लोग इस खतरनाक बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। यह ऐसी बीमारी है जो हानिकारक नहीं दिखाई पड़ती है लेकिन मैं कहूंगा कि यह बहुत खतरनाक बीमारी है जिससे मानव पीड़ित हो सकता है। अतएव, यह काफी अच्छा होगा यदि माननीय मंत्री पहल करें तथा इस संस्थान में इस विशेष बीमारी पर अनुसंधान परियोजना शुरू करें।

महोदय, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की है। मैं रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहूंगा। यह कहता है:

"वर्तमान में भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन के गुणात्मक तथा परिमाणात्मक वितरण तथा उपलब्धता में पारंपरिक, ग्रामोन्मुखी तथा समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए काफी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। विगत में, स्वास्थ्य संबंधित संस्थान तथा प्रशिक्षण और अधिक शहरोन्मुखी, चिकित्सक केन्द्रीय तथा प्रौद्योगिकी प्रेरित हो गए हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चिकित्सा शिक्षा को राष्ट्र संवेदी तथा विश्व प्रतिस्पर्धी दोनों होना चाहिए। हमारी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार की आवश्यकता है।"

इस आयोग ने कई सिफारिशें की हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी आरंभ में इस संस्थान विशेष में और तत्पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर उन सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देंगे।

अपराह्न 5.09 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

महोदया, मैं पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा तथा इस सरकार द्वारा भी किए गए उस वायदे के बारे में जानना चाहूंगा कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दर्जे के समक्ष दर्जा दिया जाएगा। ऐसा एक संस्थान त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज था। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। यह जानकर अच्छा लगा कि काम चल रहा है। मैं

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस संस्थान को उन्नत कर इसे एम्स के समकक्ष दर्जा प्रदान करेंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): अगर राज्य सरकारें चाहती हैं तो वे ऐसा कर सकती हैं। यह राज्य सरकार का संस्थान है।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: राज्य सरकार ने कभी भी इसके लिए मना नहीं किया है। मैं यह नहीं जानता हूं। केन्द्र सरकार की सहायता से सभी राज्य संस्थानों को उन्नतकर एम्स के दर्जे के बराबर किया जाना है। मैं ऐसा ही समझता हूं। बजट में इसी का उल्लेख किया गया था। यह अच्छी बात है कि देश के दक्षिणी भाग में एक माडल संस्थान बन रहा है। इसके साथ ही देश के अन्य भागों में ऐसे अन्य संस्थानों पर भी माननीय मंत्री महोदय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इस पहल के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा जिसके परिणामस्वरूप देश के दक्षिणी भाग को भी राष्ट्रीय संस्थान के समकक्ष के उन्नत संस्थान प्राप्त हो पायेगा।

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम): महोदया, इस विधेयक पर बोलने के लिए मुझे अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आरंभ में, मैं माननीय मंत्री जी श्री अंबुमणि रामदास को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके नवीन एवं अनूठे उपायों के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने विशेष रूप से अखिल भारतीय मेडिकल परीक्षा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अनुमति देकर सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। एम्स तथा अन्य संस्थानों के संबंध में उन्होंने कई और कदम उठाए हैं।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, यह एक स्वागतयोग्य कदम है। जिपमेर, पुडुचेरी का दर्जा बढ़ाकर इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया गया है। मैंने पुराने विधेयक को पढ़ा था और उसमें मैंने संबंधित उपबंधों को देखा है। मैंने पाया कि केवल दो संसद सदस्यों का उल्लेख किया गया था। लेकिन जब मैंने ''राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक'' देखा, मैंने पाया कि वाक्य को सही कर दोनों सदनों के तीन निर्वाचित सदस्यों का उल्लेख किया गया है जिनमें से दो लोक सभा से हैं और एक राज्य सभा से। अतः, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

जहां तक संस्थान के कार्यों का संबंध है, इनमें से एक कार्य का उल्लेख पृष्ठ 5(घ) में किया गया है और यह है-भारत के विभिन्न मेडिकल कालेजों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। यह एक काफी महत्वपूर्ण कदम है जिसका प्रावधान इस विधेयक में किया गया है, क्योंकि मेडिकल शिक्षा काफी व्यावसायिक हो गयी है। आम लोग मेडिकल शिक्षा में दाखिला नहीं ले पाते हैं क्योंकि यह दिन-प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। अभी का रुझान निजी मेडिकल कालेजों की ओर है। मेडिकल शिक्षा तथा मेडिकल प्रशिक्षण को देश में काफी महंगा माना जाता है। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि इस पर प्रकाश डालें।

हमारे पास भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.), स्वास्थ्य मंत्रालय तथा राज्य सरकार के विभाग हैं। मेडिकल कालेज बनाना काफी आसान हो गया है। किसी भी मानदण्ड का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मुझे तेलुगु दैनिक के एक लोकप्रिय कार्टून की याद आ रही है। एक आदमी अपने घर के सामने मेडिकल कालेज का बोर्ड लगा रहा है। उसका पड़ोसी यह पूछ रहा है कि वह बोर्ड क्यों लगा रहा है और क्या वह मेडिकल कालेज शुरू कर रहा है। तब पहला व्यक्ति यह उत्तर देता है कि वह अगले ही दिन कालेज शुरू करने जा रहा है। पड़ोसी पूछता है कि क्या वह पागल हो गया है। तब, उसने यह भी बताया कि वह मेडिकल कालेज में अपने पुत्र के दाखिले के लिए सिफारिश करवाने हेतु राज्य की राजधानी गया था, लेकिन संबंधित मंत्री ने उसे एक मेडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति दे दी है। स्थिति ऐसी है। एम.सी.आई. तथा मंत्रालय ने इसके लिए कुछ दिशानिर्देश बनाए हैं लेकिन वे इसका अनुपालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिना किसी अवसंरचना के वे मेडिकल कालेज शुरू कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा करना किस प्रकार संभव है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर प्रकाश डालें कि निजी मेडिकल कालेज किस तरह खुल रहे हैं।

मैं मेडिकल पेशे में प्रशिक्षण के बारे में जानना चाहता हूं। आज मेडिकल पेशे के लिए प्रतिबद्ध संकाय की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, शरीर रचना-विज्ञान में हमारे देश में पर्याप्त संकाय नहीं हैं, लेकिन कालेजों तथा सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। शरीर रचना विज्ञान एक आधारभूत विषय है तथा किसी मेडिकल छात्र से मानव शरीर की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आशा की जाती है। लेकिन इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। अतः अगर जिपमेर सभी मेडिकल संकायों के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करता है, तो यह स्वागतयोग्य कदम होगा। अतः, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

जहां तक पृष्ठ 7 के खंड 26 में उल्लिखित विवादों का संबंध है, यह कहा जाता है अगर संस्थान तथा केंद्र सरकार के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा। एम्स के मामले में हमारे सामने कई बाते आई और माननीय

[डा. बाबू राव मिडियम]

मंत्री महोदय ने इससे संबंधित विधेयक लाकर इसका समाधान कारगर ढंग से किया है। विवादों के मामले में केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा। यद्यपि ऐसे संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की गई है, तथापि अगर केन्द्र सरकार और संस्थान के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है-तो यहां दिया गया प्रावधान काफी अच्छा है-केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): सभापति महोदया, मैं हमारे माननीय मंत्री महोदय द्वारा आज लाए गए इस विधान का समर्थन करता हूं, जिसका उद्देश्य पुडुचेरी में जेआईपीएमईआर को राष्ट्रीय दर्जा देना है। यह बहुप्रतीक्षित था। मैं इस संबंध में मंत्री जी द्वारा किए गए कठिन परिश्रम के लिए उनको बधाई देता हूं। पुडुचेरी तथा तमिलनाडु के आसपास के जिलों जहां से उपचार हेतु इस संस्थान में अधिकांश मरीज आते हैं, की जनता की आकांक्षाएं आज पूरी हो रही हैं। मैं डा. रामदास के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक देख सकता हूं जो कि एक अर्थशास्त्री हैं और उस क्षेत्र से संसद सदस्य भी हैं। जब वह अपने क्षेत्र में लौटेंगे तो उनके पास अपने मतदाताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी एक बड़ा पैकेज होगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में, मैंने इस संस्थान का दौरा किया है। एक डाक्टर के रूप में मैंने इस संस्थान के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। यह केन्द्र सरकार की संस्था है। इस संस्था में दी जा रही मेडिकल शिक्षा, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा है। इस संस्था से स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा पाने वाले लोग अपने देश और विदेशों के विभिन्न मेडिकल कालेजों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। चूंकि यह संस्था केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली से इतने दूरस्थ स्थान पर चलायी जा रही है, संभार व्यवस्था इस संस्था के पक्ष में नहीं है। संकाय कर्मियों की भर्ती, नए पाठ्यक्रम शुरू करने तथा नए सुपरस्पेशिलिटी खोले जाने में काफी कठिनाइयां हैं। हर समय उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद का मुंह ताकना पड़ता है जिसने, पिछले वर्षों हमने देखा है, इस देश की चिकित्सा शिक्षा की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है।

मैं मानता हूं कि यह एक सुविचारित विधान है जिससे संस्थान स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समकक्ष हो जाएगा। अब इस विशेष संस्था में और बहुत अधिक अनुसंधान और अकादमिक गतिविधियां चलेंगी।

मैं, मंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू करके तथा धूम्रपान प्रतिषेध विधेयक लाकर तथा कुछ अन्य विधेयक जो प्रस्तुत किए जाने हेतु कतार में हैं यथा औषधि और प्रसाधन सामग्री विधेयक, पैरामेडिकल एंड फिजियोथिरेपी विधेयक के माध्यम से अपने मंत्रालय हेतु ख्याति अर्जित की है। यह सुनिश्चित करने के उनके प्रयास की सराहना की जानी चाहिए कि देश में चिकित्सा शिक्षा भारतीय चिकित्सा परिषद को साधन बनाते हुए प्रतिष्ठा व अपेक्षित दर्जा हासिल करें।

हम चिकित्सा से जुड़े व्यक्ति होने के कारण माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से काफी कुछ उम्मीद करते हैं। मैं आशा करता हूं कि अगले सत्र में वह भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक लाएंगे क्योंकि चिकित्सा शिक्षा बेहद महंगी हो गयी है। इस देश में निजीकरण ने काफी पैर फैला लिया है। हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में और नए कालेज आएं। हम यह चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी आरक्षण नीति लागू की जाए।

महोदया, यहां मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मेडिकल इन्स्टीट्यूट और पी.जी.आई. को अ.पि.व. हेतु जैसे-तैसे चरणबद्ध रूप से आरक्षण देने के बजाय, जैसा कि अन्य संस्थानों में किया जा रहा है, पहली बार में ही एक साथ 27 प्रतिशत आरक्षण देने को कहा है। ऐसा उनकी प्रतिबद्धता की वजह से होगा।

महोदया, पिछले 50 वर्षों से प्री-पी.जी. केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। मंत्री जी ने अपना पद सम्भालने के बाद यह आवश्यक समझा कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। यहां मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से एक बात का अनुरोध करना चाहूंगा। अब इन केन्द्रीय संस्थानों और केन्द्रीय पी.जी. और यू.जी. प्रवेश परीक्षाओं में भी अ.पि.व. हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

हम पुडुचेरी में काफी लोगों से मिले हैं। उस संस्थान के सभी संकाय सदस्यों की एक आवाज है कि उस संस्थान में भी इसे लागू किया जाए। वहां जो भी विद्यार्थी आए थे वे इस विधेयक के समर्थन में थे। राजनीति से प्रेरित केवल कुछ कर्मचारी थे जो यह सोच रहे थे कि इस विधेयक के लागू होने के बाद वे लोग एक संस्थान के कर्मचारी माने जाएंगे न कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी। यह किस प्रकार का तर्क है। वे मानते हैं कि केन्द्र सरकार का कर्मचारी होने से उन्हें किसी संस्थान विशेष का कर्मचारी होने की अपेक्षा ऊंचा दर्जा हासिल है। वहां उनके विचार इस प्रकार के थे।

मेडिकल कालेजों में पुडुचेरी के स्थानीय छात्रों को दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं। आशंकाएं हैं कि एक बार संस्थान बन जाने के बाद यह अपेक्षाकृत अधिक महंगा हो जाएगा। मैंने विधेयक को पढ़ा है और इन बातों का विधेयक में ध्यान रखा गया है। पुडुचेरी के स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षण बरकरार रहेगा। शुल्क ढांचा यथावत बना रहेगा, संस्थान अतिरिक्त वित्तपोषण का लाभ उठायेगा और इसे स्वायत्तता मिलेगी तथा साथ ही निदेशक और अध्यक्ष भी होंगे। मुझे विश्वास है कि वह समय दूर नहीं जब पुडुचेरी संस्थान का स्तर पी.सी.आई. चंडीगढ़ अथवा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समकक्ष हो जाएगा।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को एक बार पुनः बधाई देता हूं तथा इस विधेयक की प्रशंसा करते हुए इसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): सभापति महोदया, आपने मुझे जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2007 के संबंध में बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए बधाई देता हूं। यह वर्ष 1964 में स्थापित संस्थान है लेकिन राष्ट्रीय महत्व का दर्जा इसे अब दिया जा रहा है। आज हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है। आप नई दिल्ली स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान में चले जाइए वहां हजारों की संख्या में मरीजों की भीड़ होती है। दुर्भाग्य से पूरे देश में चंडीगढ़ और दिल्ली में ही इस तरह के बड़े संस्थान दो ही हैं। अब माननीय मंत्री जी ने पुडुचेरी में इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा और पूर्ण अधिकार देने का काम किया है, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। सिर्फ पुडुचेरी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जितने राज्य हैं, आज सभी राज्यों में इस तरह के संस्थान खोलने की जरूरत है क्योंकि जब दिल्ली में कहीं कोई गंभीर समस्या पैदा होती है तो लोग दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ दौड़ते हैं। अब हजारों की संख्या में वहां भीड़ लगी रहती है, लोग परेशान रहते हैं, पड़े रहते हैं और फिर वहां से वापिस जाते हैं। गरीब लोग उम्मीद लगाए रहते हैं और केवल दिल्ली की ओर भागने का काम करते हैं। इस तरह का बड़ा संस्थान केवल पुडुचेरी में खोला गया है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य में इस तरह के संस्थान खोलने का काम करें।

आज इस बात की विशेष जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की नई बीमारियां बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, इसके कारण लोग प्राइवेट संस्थानों में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें लोक सभा से चार सदस्य हों, मेरे पास पुराने विधेयक की कापी है, इसमें केवल दो सदस्य दिये गये हैं। मंत्री जी ने अभी बताया था कि इसमें शायद तीन सदस्य रखे गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें और अधिक सदस्यों और जनप्रतिनिधियों को रखने की जरूरत है, चाहे वे राज्य की पंचायत, जिला पंचायत या विधान सभा से हों, उन्हें भी इसमें रखने की जरूरत है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है, वह वहां की समस्याओं से ज्यादा वाकिफ होता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उन्हें और भी अधिकार देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे इटावा में माननीय मुलायम सिंह यादव ने एक ग्रामीण मिनी पी.जी.आई. खोलने का काम किया है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मिनी पी.जी.आई. खोले गये हैं। वहां हजारों की संख्या में प्रतिदिन ओ.पी.डी. में मरीज आते हैं। तीन हजार से चार हजार मरीज एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। हम उसमें सदस्य हैं, लेकिन हमें जो अधिकार होना चाहिए, वह अधिकार हमें नहीं दिया गया है। हम लोग कोई बात कहते हैं तो वहां डायरेक्टर से लेकर अन्य अधिकारियों की मोनोपोली रहती है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी जो अधिकार दिये जाएं, वे जनप्रतिनिधियों को भी दिये जाएं। मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वह जनता के बीच की समस्याओं को ज्यादा जानता है और उसका यह भाव रहता है कि हम जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सकें। इसलिए मंत्री जी उन्हें अधिकार भी देने का काम करें। चाहे वे पंचायतों, जिला पंचायतों से हों या विधायक हो। उन सबको भी इसमें शामिल करने का काम करें। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस तरह के संस्थान आप प्रत्येक राज्य में खोलने का काम करें, तभी इस देश की समस्या और जो आने वाली नई गंभीर बीमारियां हैं, उनका निदान हो सकता है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विशेष रूप से मैडिकल शिक्षा के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो इलाका वर्षों से उपेक्षित रहा है, उस इलाके के आम लोगों की जो भावना थी, उसे देखते हुए उन्होंने बहुत स्वागत योग्य कदम उठाया है। आज जरूरत इस बात की है कि देश के हर इलाके में इस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी क्या हालात है, इसे मिलाकर देश में इस स्तर के चार आयुर्विज्ञान संस्थान खोले गये हैं। मैं समझता हूं कि ये नाकाफी हैं। जिस तरह से आज बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस तरह

[श्री राम कृपाल यादव]

से लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और खास तौर पर आजकल जिस तरह से लोगों को सरकारी संस्थाओं पर निर्भर करना पड़ रहा है, चूंकि प्राइवेट मैडिकल सेवा बहुत महंगी हो गई है, इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे संस्थानों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे इन्होंने पुडुचेरी में करने का काम किया है, इसी तरह के संस्थान दिल्ली, चंडीगढ़ में भी हैं, अभी आप पुडुचेरी में खोलने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये नाकाफी हैं, इनका और विस्तार करने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि पिछले दिनों सरकार ने निर्णय लिया था कि देश के विभिन्न राज्यों में एम्स के स्तर के छः इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की जायेगी। इसके लिए राशि भी उपलब्ध कराई गई है। लेकिन जो राशि उपलब्ध कराई गई है, वह राशि बहुत कम है। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी एक एम्स खोलने का प्रस्ताव है। वहां कुछ काम भी प्रारम्भ हो गया है। मगर वहां जिस गति से कार्य चल रहे हैं, उस गति से मैं समझता हूं कि काफी समय लग जाएगा। जब एनडीए की सरकार ने इसका शिलान्यास किया था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि सन् 2009 तक पूरे तौर पर यह मेडीकल होस्पिटल बन कर तैयार हो जाएगा। उस समय यह कहा गया था कि जिन पांच राज्यों में इस तरह के मेडीकल होस्पिटल खोले जा रहे हैं, उनकी परेशानी दूर होगी। आज बिहार से दिल्ली में बड़े पैमाने पर लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। हम वहां के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहां के सांसद हैं। हमारे यहां सबसे ज्यादा मरीजों की भीड़ रहती है, चूंकि बिहार में इस तरह के स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट नहीं हैं। वहां इलाज के लिए ठीक से कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन्हें यहां अपना इलाज कराने के लिए आना पड़ता है। उनकी यहां लम्बी क्यू लगी रहती है। मैडम, आप भी अपनी कांस्टीट्यूएंसी के पेशंट्स को अस्पताल में देखने के लिए जाती होंगी, मैं समझता हूं कि वहां 60 परसैंट पेशंट्स बिहार के ही होते हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को इस पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आपने जो एम्स बनाने का निर्णय लिया है, इसके लिए पहले कोई राशि आबंटित नहीं की गई थी, लेकिन आपने राशि सैंक्शन कराई है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार ने और आपने उसमें खास तौर पर इंटरैस्ट लेकर राशि सैंक्शन कराई है तथा प्रोपर वे में कार्यवाही भी कर दी है। मगर राशि बहुत कम दी है, जो राशि दी है उसमें अभी तक केवल चार दीवारी ही बनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी मंशा अच्छी रही है कि हम राज्यों को भी सुविधा दें और जो दिल्ली में इलाज के लिए लोगों की भीड़ बढ़ रही है, वह भी कम हो तथा लोगों की परेशानी भी कम हो।

मैडम, बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके पास दिल्ली आने के लिए भाड़ा तक नहीं होता। इसलिए हमें बहुत से लोगों के लिए दिल्ली में आने के लिए भाड़ा उपलब्ध कराना पड़ता है और उनके रहने तथा इलाज की व्यवस्था भी करानी पड़ती है। मैडम, मैं समझता हूं कि आपको भी अपने इलाके में इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा और आपके राज्य में भी शायद एम्स प्रस्तावित है, जैसा मेरे जहन में आ रहा है, मगर अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह होगा कि इस पर ठोस कार्यवाही कीजिए। आपने बहुत सारे कदम उठाए हैं, आम लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए, राजीव गांधी हैल्थ मीशन के अंतर्गत कई अस्पतालों को भी पैसा दिया है, 24 आवर्स होस्पिटल, पीएचसीज रन करें, उसके लिए भी आपने व्यवस्था की है, डाक्टर्स उत्कृष्ट हों, उसके लिए भी व्यवस्था की है, दवाईयों की उपलब्धता की है, ये सब कुछ आप कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि जब तक स्टैंडर्ड लेवल के होस्पिटल का निर्माण राज्यों में नहीं करेंगे, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, तब तक आपकी भावना के अनुकूल काम नहीं हो सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं तो उसके लिए मैं समझता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। अब से कुछ वर्ष पूर्व लखनऊ और पटना में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम पर आईजीएमएस होस्पिटल खुला था। उसकी परिकल्पना यह थी कि वहां एम्स के स्टैंडर्ड का इलाज हो। मगर उसके हालात ठीक नहीं हैं, चूंकि राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है और केन्द्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में अनुदान नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से वह ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आईजीएमएस, पटना, शेखपुरा के अंतर्गत जो होस्पिटल का निर्माण कराया गया है, वह अप-टू-मार्क नहीं है। वह अप-टू-मार्क हो, इसके लिए मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि उसके लिए आप राशि उपलब्ध कराएं। ...*(व्यवधान)* यह जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। बिहार में बहुत परेशानी एवं दिक्कत है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां के लोगों की परेशानी को दूर करें। आप आईजीएमएस को अपग्रेड करने का काम करें। वहां पटना मेडीकल कालेज है और यह देश में ख्याति प्राप्त होस्पिटल था, लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत खराब है। आपने पिछले दिनों वहां के लिए कुछ राशि दी है और उसका कुछ अपग्रेडेशन हुआ है। वहां इतना अधिक लोड है, चूंकि बिहार में उस स्टैंडर्ड का कोई होस्पिटल नहीं है, इसलिए बिहार से दूर-दूर से लोग आकर पटना मेडीकल कालेज या आईजीएमएस में इलाज कराते हैं। वहां उत्कृष्ट डाक्टर्स नहीं हैं, अच्छी व्यवस्था, साधन एवं उपक्रम नहीं हैं। लोगों को

एमआरआई कराने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि एमआरआई के लिए वहां कोई मशीन नहीं है। सरकारी अस्पताल में एमआरआई के लिए कोई मशीन उपलब्ध न हो, इससे आम लोगों को कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि एमआरआई कराने के लिए चार-पांच हजार रुपए लगते हैं।

महोदया, बिलो पावर्टी लाइन आदमी कहां से अपना इलाज करा पाएगा। उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं, इसलिए उसकी जान चली जाती है।

सभापति महोदया: अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। इस बारे में आप मंत्री जी को अलग से पत्र लिख दीजिए। मंत्री महोदय देख लेंगे।

श्री राम कृपाल यादव: महोदया, हम पत्र तो लिखते ही रहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं जिससे माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर जाए। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदया, मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

आप जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी हेतु विधेयक लाए हैं, यह अच्छा किया है। इसके साथ ही साथ, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आई.जी.एम.एस. या पी.एम.सी.एच. और पटना मैडीकल कालेज को भी अगर आप, इसी प्रकार विधेयक लाकर, उनमें भी मैडीकल की उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध करा दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

मेरा निवेदन है कि इस तरह की संस्थाएं वहां भी खोलिए। मैं आपका ध्यान पी.एम.सी.एच. की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। वहां जिस लैवल के डाक्टर पढ़ाने हेतु चाहिए, वे नहीं हैं। सभी डाक्टर रिटायर हो गए हैं। अब संस्थान के पास पैसा नहीं है, इसलिए वहां ऊंचे लैवल के डाक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जो उच्च कोटि की डाक्टरी शिक्षा दे सकें। मैं समझता हूं कि उस संस्थान में उच्च स्तर के डाक्टर यदि भर्ती किए जा सकें, तो यह भारत सरकार की बिहार की जनता के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। संस्थान डिग्रेडेशन में आ रहा है। पी.एम.सी.एस. की एफीलिएशन खत्म हो रही है। उस पर रोजाना कंडीशन लगाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वे इस तरह की व्यवस्था करें और वहां के एम्स को जल्दी चालू कराएं, ताकि लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध हो सकें।

महोदया, जो बाते मैंने कही हैं, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय उन पर गौर करेंगे और निश्चित रूप से बिहार जैसे पिछड़े और गरीब प्रदेश हेतु जो हमारी न्यायोचित मांग हैं, उन पर विचार करके आर्थिक राशि मुहैया कराके उन दोनों कालेजों को उत्कृष्ट कराएंगे और वहां के एम्स को चालू करा के वहां के लोगों पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। मैं पुन: इस विधेयक का समर्थन करते हुए, आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदया, हम जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008 पर चर्चा कर रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य इस संस्थान को एक सांविधिक निकाय बनाने तथा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का है। यह विधेयक संस्थान को अकादमिक स्वायत्तता भी प्रदान करता है।

महोदया, मैं 'जिपमेर' को स्वायत्तता देने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं जिससे उच्च स्तर की आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए वातावरण तैयार होगा। अभी जब हम लोग यहां इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है। योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में छह लाख डाक्टरों, दस लाख नर्सों और दो लाख दंत शल्य चिकित्सकों की कमी है। जो भारतीय डाक्टर विकसित देशों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं वे वहां के चिकित्सकों की संख्या के करीब पांच प्रतिशत हैं। इसका अभिप्राय यह है कि अकेले अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में करीब 60,000 फिजीशियन कार्य कर रहे हैं। यह स्थिति तब है जब भारत में मरीज डाक्टर अनुपात निराशाजनक है।

योजना आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति 10,000 व्यक्तियों पर 1 चिकित्सक है। ठीक इसके विपरीत, प्रति दस हजार व्यक्तियों पर आस्ट्रेलिया में 249 डाक्टर, कनाडा में 209 डाक्टर, ब्रिटेन में 166 डाक्टर और अमरीका में 548 डाक्टर हैं। भारत में दंत शल्य चिकित्सकों की भी भारी कमी है। वर्तमान में भारत में पंजीकृत दंत शल्य चिकित्सकों की संख्या लगभग 73,000 है जबकि यहां ऐसे तीन लाख चिकित्सकों की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमान के अनुसार प्रत्येक 500 लोगों पर एक नर्स की आवश्यकता है। इसके अनुसार 2007 में भारत में 21 लाख प्रशिक्षित नर्सों की आवश्यकता थी लेकिन अभी केवल 11 लाख नर्से ही उपलब्ध हैं।

इसके कारण योजना आयोग को यह सुझाव देना पड़ा कि चिकित्सा क्षेत्र को पूरी तरह से खोल दिया जाए। मैं नहीं जानता

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

कि सरकार इस संबंध में क्या कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, मानव संसाधनों की कमी भारत की स्वास्थ्य परिचर्या सेवा का दु:खद पहलू है। सिर्फ यही नहीं मेडिकल अवसंरचना के अन्य पहलुओं में स्वास्थ्य परिचर्या प्रोफेशनल की श्रेणियों जैसे रेडियोलोजिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन, डेंटल हाइजिनिस्ट, फिजियोथिरेपिस्ट और मेडिकल रिहैबिलिटेशन वर्कर्स में संबंधित प्रोफेशनलों की कमी है।

अत: चिकित्सा क्षेत्र के सभी हलकों में श्रमशक्ति की कमी है। वर्तमान में स्थिति यह है जब राजग सरकार ने चार वर्ष पूर्व उड़ीसा सहित देश में चार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थान खोले जाने का निर्णय लिया था, मुझे नहीं मालूम कि यह सरकार किन कारणों से, हो सकता है यह राजनीतिक कारण हों, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एम्स जैसे संस्थानों के विकास एवं स्थापना संबंधी निर्णय को लागू करने की दिशा में क्यों आगे नहीं बढ़ रही है। अत: मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इसके लिए आगे आए। स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा पेशे से संबद्ध हैं। मुझे आशा है कि उन्हें हमसे बेहतर ज्ञान है। उन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास कैसे किया जाए। केवल चिकित्सक, कर्मचारी तथा श्रमशक्ति ही पर्याप्त नहीं है। हमारे पास सभी प्रकार के चिकित्सा उपकरणों की भी कमी है। चिकित्सक अच्छे हैं। जो भारतीय चिकित्सक विदेशों में काम कर रहे हैं वे न केवल अत्यधिक शिक्षित हैं बल्कि उनकी काफी प्रशंसा भी होती है। वे वहां भारतीय मिट्टी, हमारे अपने संस्थानों से गए हैं, वे सभी प्रकार से अच्छे चिकित्सक हैं। लेकिन हमारे पास बुनियादी अवसंरचना की कमी है। हमारे पास आधुनिक मशीनरी नहीं है लेकिन अस्पतालों में इसकी आवश्यकता है। हमारे पास और कोई चीज नहीं है। हमारे पास अस्पताल, भवन आदि नहीं हैं। हमारे पास सभी चीजों की कमी है। जब आप केवल इस संस्थान का उन्नयन कर रहे हैं, तो यह काफी अच्छा कदम है। हम इसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात यह कि अन्य राज्यों ने, अन्य क्षेत्रों में, अन्य इलाकों में, वहां पर भी मांग हैं, तो सरकार से सहायता के लिए आगे आना चाहिए तथा आवश्यक कार्य पूरा करना चाहिए। धन्यवाद, सभापति महोदया।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदया, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री डा. रामदास एक विधेयक लाए हैं। यह बहुत अच्छी बात है और मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं दूसरे रामदास जो कि पुडुचेरी से सासंद है, द्वारा व्यक्त की गई खुशी एवं प्रसन्नता को बांटना चाहता हूं। हम सभी पसन्न हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुडुचेरी एक अलग प्रकार का राज्य है। यह दूसरे भारतीय राज्यों की तरह का राज्य नहीं है। यह देश के कई भागों में फैला हुआ है। माहे, यनम तथा कराइकल एक दूसरे से दूर स्थित हैं। इन क्षेत्रों के लोगों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा? इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं माहे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं माहे की सीमा से लगे तेलीचेरी से चुनकर संसद में आया हूं। पुडुचेरी से हमें उनकी कई समस्याओं के बारे में बहुत सारे अभ्यावेदन मिलते रहते हैं। अत: महोदय, यदि सम्भव हो सके तो, मेरा सुझाव है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि यह एक स्नातकोत्तर संस्थान है एवं इसकी कठिनाइयां भी मैं समझता हूं, यदि यनम, माहे और कराइकल में विश्वविद्यालय के केन्द्र खोले जाएं तो यह निश्चय ही एक अच्छा कदम होगा। इससे पूरे पुडुचेरी को लाभ होगा। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस समस्या की ओर गंभीरता से विचार करें। मैं और कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं चिकित्सक नहीं होने के कारण मुझे नहीं ज्ञात कि इस प्रकार के संस्थान किस प्रकार से कार्य करते हैं। अधिकांशत: इसके बारे में चिकित्सकों ने बोला है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी पुडुचेरी राज्य की विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस ओर ध्यान देंगे। पहली बात यह है, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

दूसरी बात यह कि श्री खारवेनथन ने एक गंभीर मुद्दा उठाया है जो विशेषकर इस संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन यह एक गंभीर समस्या है जिसका देश सामना कर रहा है। अभी-अभी मेरे साथी ने कहा था कि भारत में चिकित्सक से लेकर नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों तथा प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि पर्याप्त संख्या में इन्हें प्रशिक्षित किया जा सके। यद्यपि हम यूरोप के देशों या अमेरिका के स्तर पर तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन कम से कम हमारी स्थिति सम्मानजनक तो होनी चाहिए।

महोदय, सच तो यह है कि हमारे यहां इन कार्मिकों की भारी मांग है तथा यह क्षेत्र एक बहुत बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र बन गया है। चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों, नर्सिंग संस्थानों तथा वे सभी सम्बद्ध चीजों जो कि पूरे देश में बढ़ रही हैं तथा विशेषकर स्ववित्तपोषित महाविद्यालय एकदम फर्जी हैं। मैं विस्तार से बात नहीं करना चाहता हूं।

कानूनी तौर पर कैपिटेशन शुल्क देने या लेने की अनुमति नहीं है। अब यह कौन सिद्ध कर सकता है? लेकिन यह बात सर्वविदित है। अभी-अभी उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में एक विश्वविद्यालय द्वारा एक पैकेज प्रकाशित किया गया है। आप एक करोड़ रुपये दे रहे हैं। आप एक करोड़ रुपये किस प्रकार से दे रहे हैं? यह कैपिटेशन शुल्क है। उस पैकेज में यह कहा गया है, "आप एक

करोड़ रुपये दीजिए, आप चिकित्सक बन सकते हैं तथा आप विशेषज्ञ बन सकते हैं।'' अत:, इससे क्या साबित हो रहा है-श्री अंबुमणि रामदास को इतिहास में याद रखा जाएगा यदि वह चिकित्सक संस्थानों की स्थापना के विनियमन के लिए कोई केन्द्रीय कानून लाते हैं। प्रवेश, नियुक्तियां तथा प्रत्येक चीज का उचित प्रकार से विनियमन होना चाहिए। मैं इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश के खिलाफ नहीं हूं। वे इस क्षेत्र में आ सकते हैं। संभवतया सरकार के पास इस हेतु धनराशि न हो। लेकिन निजी क्षेत्र आज एक संयुक्त उद्यम बना सकता है या एक स्व-वित्तपोषित संस्थान शुरू कर सकता है, यह बात राज्य की निगरानी में होनी चाहिए। राज्य की निगरानी उनके लिए समस्या खड़ी करने के लिए नहीं है अपितु लोगों के हितों की रक्षा के लिए है। अत: मैं श्री खारवेनथन के दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं। मेरी इच्छा है कि केन्द्रीय विधान इसका एकमात्र उपाय है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

महोदया, अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं और जिसकी सभी लोग मांग कर रहे हैं। केरल में एक एम्स जैसे संस्थान की स्थापना की जाये। राजग के शासनकाल में यह निर्णय लिया गया था। मेरे मित्र श्री फ्रांसिस जार्ज ने इस मुद्दे को उठाया था, मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया तथा मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने हस्तक्षेप किया और कहा: ''चिन्ता मत कीजिए। त्रिवेन्द्रम में काम शुरू हो गया है।'' इसका ब्यौरा मुझे पता नहीं है। लेकिन प्रेस से प्राप्त सूचना से मैं समझता हूं कि एम्स जैसा संस्थान स्थापित करने के लिए आबंटित की गई धनराशि पर्याप्त नहीं है। कुछ धनराशि आबंटित की गई है तथा कुछ काम हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि यह काम हो रहा है। लेकिन यह वादा किया गया था कि विभिन्न राज्यों में ये संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे ही होंगे। इसका कुछ अर्थ निकलता है। अत: मैं इस सीमा तक जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा संस्थान विकसित किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी उत्तर देते समय इस बात को स्पष्ट करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं तथा मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं पुडुचेरी के लोगों के हर्ष एवं उल्लास में पूर्णतया शामिल हूं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): सभापति महोदया, मैं जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी विधेयक, 2008 का समर्थन करता हूं।

महोदया, जिपमेर एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो देश में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस अधिनियम के जरिए, इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है।

महोदया, इस देश में चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए बहुत से अनुसंधान संस्थान तथा चिकित्सा संस्थान है।

महोदया, बहुत ही कम शोध कार्य हो रहे हैं। लेकिन दु:खद बात यह है कि जब कभी भी चिकित्सा दल, चाहे वह भारतीय चिकित्सा परिषद था राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड का चिकित्सा जांच दल हो देश में विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों तथा संस्थानों का दौरा करता है तो उसके सामने यह बात आती है कि विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में शोध पत्रों की संख्या बहुत ही कम है। केवल शोध पत्र जो कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अनिवार्य है, जो कि अधिकांश चिकित्सा महाविद्यालयों में है, ही मिलता है।

महोदया, जिपमेर, पुडुचेरी में पहले से ही बहुत से शोध कार्य चल रहे हैं। जब मैं केरल में चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापक के रूप में कार्यरत था तो वहां पर चिकित्सा शिक्षा में बहुत से शोध कार्य होते थे। उन्होंने चिकित्सा अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम विकसित किया है। ऐसा जिपमेर, पुडुचेरी में होता है। मेरा सुझाव यह है कि इसका थोड़ा और विकास किया जाना चाहिए तथा विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न अध्यापकों एवं संकाय के सदस्यों को भी जिपमेर, पुडुचेरी में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि चिकित्सा पेशे में चिकित्सा आचार में निरन्तर गिरावट आती जा रही है। लेकिन देश में कहीं भी चिकित्सा आचार का अध्यापन नहीं कराया जाता है। केवल फोरेंसिक चिकित्सा, जो पोस्टमार्टम तथा अटॉप्सी से संबंधित है, में चिकित्सा आचार पढ़ाया जाता है। मेरा सुझाव है कि जिपमेर, पुडुचेरी में चिकित्सकों को चिकित्सा आचार एवं सम्प्रेषण कौशल का अध्यापन कराया जाए। चिकित्सकों के लिए सम्प्रेषण कौशल बहुत ही अनिवार्य है। आपातकालीन वार्ड में जितने भी झगड़े होते हैं वे केवल चिकित्सकों में सम्प्रेषण कौशल की कमी के कारण होते हैं। मेरा विचार यह है कि सम्प्रेषण दक्षता को एक विशेष विषय के रूप में विकसित तथा तैयार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से चिकित्सा छात्रों को चिकित्सा आचार की शिक्षा दी जानी चाहिए।

महोदया, विधेयक में कहीं भी संस्थान की स्वायत्त प्रकृति अथवा मानित विश्वविद्यालय बनाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु संस्थान के पास छात्रों को स्नातकोत्तर डिग्रियों, अर्धचिकित्सा डिग्रियों सहित डिग्रियां तथा अन्य प्रमाण पत्र देने की क्षमता है।

सभापति महोदया: कृपया अब समाप्त कीजिए।

डा. के.एस. मनोज: महोदया, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

मेरा सुझाव यह है कि इस संस्थान को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। विधेयक में यह अधिनियम भारतीय चिकित्सा परिषद परिचर्या परिषद तथा देश के अन्य विनियामक निकायों का पर्यवेक्षण करता है।

सभापति महोदया: कृपया अब समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी पहले ही बहुत समय ले चुकी है।

डा. के.एस. मनोज: मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठा रहा हूं। मुझे केवल दो-तीन और मुद्दे उठाने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदया: आपको एक मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करनी होगी।

डा. के.एस. मनोज: महोदया, संस्थान के अध्यक्ष की आयु सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि निदेशक की आयु सीमा का उल्लेख है। एम्स और अन्य विधेयकों के मामले में हम कुछ संशोधन ला रहे हैं। यहां भी, संस्थान के अध्यक्ष के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

इसी प्रकार से जिपमेर पुडुचेरी में विश्वविद्यालय द्वारा पोस्ट डाक्टोरल पाठ्यक्रम डीएम पाठ्यक्रमों और पीएचडी डिग्रियां प्रदान किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

सभापति महोदया: कृपया अब समाप्त कीजिए।

डा. के.एस. मनोज: महोदया, मैं अपने अंतिम मुद्दे पर हूं।

सभापति महोदया: आपकी पार्टी जरूरत से ज्यादा समय ले चुकी है।

डा. के.एस. मनोज: मैं बस समाप्त ही कर रहा हूं। मेरा अंतिम मुद्दा आरक्षण के बारे में है। उसमें ऐसा उल्लेख है कि कुल 75 सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें स्थानीय आवेदकों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। परन्तु मुझे संदेह है कि क्या न्यायपालिका के समक्ष यह सही है, क्या यह खंड न्यायालय के सामने टिक पाएगा क्योंकि देश में कहीं भी ऐसा आरक्षण नहीं दिया जाता। हमारे देश में बहुत से संस्थान हैं। यदि मेरे यहां किसी संस्थान में स्थानीय आवेदक को कुछ आरक्षण दिया जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

परन्तु हमें इस संस्थान को राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में देखना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि यह सही होगा या गलत।

इन सुझावों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदया, चिकित्सा शिक्षा और सामान्यत: भारत में संपूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में पूर्ण सुधार की आवश्यकता है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए जब भी आप किसी संस्था की स्थापना का प्रयास करेंगे, वह सदा ही स्वागत योग्य उपाय होगा।

मंत्री महोदय, समाज में फैली बहुत सी बुराइयों के विरुद्ध एक अभियान चला रहे हैं। वह तंबाकू तथा इसके समर्थन में आगे आने वाले सितारों के विरुद्ध एक अभियान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भारत में चिकित्सा शिक्षा के सुधार के लिए भी एक अभियान चलाएं। हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए यदि आप संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि के अंतर्गत पुडुचेरी में जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की घोषणा कर इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो यह स्वागत योग्य है।

मेरा अनुरोध है कि भारत में हमें जितने प्रशिक्षित डाक्टरों की आवश्यकता है, उसमें तेजी से वृद्धि होती जा रही है। हमें कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता है क्योंकि नई-नई बीमारियां सामने आ रही हैं, ऐसी बीमारियां जिनके बारे में कुछ वर्षों पहले तक हमें कुछ जानकारी नहीं थी। उनके उपचार के लिए हम नई दवाएं विकसित कर रहे हैं। चूंकि हम नए-नए संपाक विकसित कर रहे हैं, वस्तुत: और जटिल बीमारियां अब सामने आ रही हैं। क्योंकि इन दवाओं के प्रति मानव जीन में एक प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इसलिए नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसलिए वास्तव में हमें इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के नए अनुसंधानों की आवश्यकता है। हमें भेषज कंपनियों के स्तर पर अनुसंधान की आवश्यकता है ताकि वे इस समस्या के समाधान के लिए नए अणु तथा नवीन औषध प्रदायी प्रणाली विकसित कर सकें। परन्तु यह चिकित्सा के अनुप्रयोग की एक स्थिति है।

दूसरी ओर हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो समस्या का निदान कर सकें तथा बीमारी का उपचार कर सकें और ऐसा करने के लिए हमें इस क्षेत्र में भारी संख्या में चिकित्सकों, डाक्टरों तथा विशेषज्ञ डाक्टरों की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश हमें जितने डाक्टरों की आवश्यकता है, उनकी संख्या हमारी शिक्षा प्रदायी प्रणाली से

तैयार किए जा सकने वाले डाक्टरों से बहुत अधिक है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा यही अनुरोध है। हम इसे सीमित न करें और एक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने के लिए संसद में कानून बनाएं? हम प्रत्येक राज्य के लिए ऐसी एक संस्था क्यों नहीं बनाते। मेरा कहना है कि हम इस जैसी 10 से 20 संस्थाएं जितनी अधिक संस्थाएं बनाना संभव हो, क्यों नहीं बनाते ताकि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक से अधिक और शायद प्रत्येक जिले में ऐसी एक संस्था हो। जरा ये सोचें कि 600 से अधिक जिले हैं। मुझे विश्वास है कि आपको इसकी बेहतर जानकारी होगी क्योंकि आप एक डाक्टर हैं और मैं डाक्टर नहीं हूं। शायद हमारे यहां 600 से ज्यादा ऐसी बीमारियां हैं, जिनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आप ऐसे आदर्श के बारे में क्यों नहीं सोचते कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषज्ञता प्राप्त संस्था बना सकें?

दूसरी बात यह है कि जब हम इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कहते हैं तो वास्तव में इसका क्या अर्थ है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे याद है कि कुछ समय पहले नागर विमानन मंत्री ने संसद में घोषणा की थी कि अब हम इस विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहेंगे। यह ऐसा है कि बहुत से स्थानों पर राम भरोसे हिन्दू रेस्टोरेंट हैं, अब हम कल से इसे पांच सितारा होटल कहेंगे। क्या केवल हमारे घोषित कर देने से ही यह पांच सितारा होटल बन जाएगा? केवल इसलिए कि हम एक विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कह रहे हैं, क्या यह वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय बन जाएगा?

इसलिए, जब हम एक संस्था को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हैं तो हम इसे परिभाषित किस प्रकार करेंगे? इसका क्या मानदंड हैं? हमारे पास इसकी क्या कसौटी है? सर्वोत्कृष्ट संस्थानों में से एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को देखिए। वस्तुतः हम वहां जाते हैं तो देखते हैं कि आजकल असंख्य मरीज वहां उपलब्ध हर जगह पर मौजूद होते हैं। उसका अर्थ हुआ कि उसकी आवश्यकता है। किन्तु साथ ही क्योंकि हम इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था कहते हैं, हमने इसकी वह दुर्दशा कर दी है इसे राष्ट्रीय बैठक संस्था (इंस्टीट्यूशन आफ नेशनल स्क्वैटिंग) कह सकते हैं। लोग हर जगह पर पालथी मार कर बैठे हुए हैं। तो हम वास्तव में ऐसी संस्था बनाने का प्रयास क्यों न करें जिसे राष्ट्रीय स्तर का माना जा सके।

मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इसे केवल राष्ट्रीय महत्व की संस्था ही न कहा जाए। इसे चिकित्सा क्षेत्र में प्रचलित सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप क्यों नहीं बनाया जाए? इस प्रकार प्रत्येक विशेषज्ञताप्राप्त संस्था राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बनेगी और यह स्थायी योगदान होगा। स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में कुछ और समस्याएं भी हैं। उनमें से एक निश्चय ही, परिदान प्रणाली है। दूसरी फार्मूलेशन प्रणाली है और तीसरी यह है। वास्तव में कहा जाए तो भारत में विशेषज्ञता वाले संस्थान नहीं, निचले स्तर पर जहां भारी कमी है वहां काम करने वाले लोगों की उपलब्धता आप कैसे सुनिश्चित करेंगे?

सभापति महोदयाः कृपया एक मिनट रूकिए।

अब मेरे विचार से विधेयक को पारित भी किया जाना है। यदि सभा सहमत है तो हम समय को पढ़ा कर सायं 6.30 या इसके आसपास तक कर सकते हैं।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): हम इस विधेयक को पारित करने तक सभा का समय बढ़ा सकते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः इस विधेयक के पारित होने तक समय बढ़ाया जाए।

सभापति महोदयाः अतः सभा के समय को इस विधेयक के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

सायं 6.00 बजे

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभुः महोदाय, एक तरफ निश्चय ही हमें इस प्रकार की विशेषज्ञता वाले संस्थानों की आवश्यकता है तथा जैसा कि मैंने कहा मैं इसका स्वागत करता हूं। दूसरी तरफ हमें विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सा परिदान प्रणाली संस्थानों की भी जरूरत है। साथ ही इस चिकित्सा परिदान प्रणाली में निचले स्तर पर काम कर रहे लोगों की भी भारी कमी है। हमें धाय तथा अन्य विभिन्न लोगों की जरूरत है। हमें तकनीशियन के रूप में कार्य कर रहे लोगों की भी जरूरत है। जो उपलब्ध नहीं हैं। मेरे विचार से इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री ने एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, ग्रामीण स्वास्थ्य परिदान कार्यक्रम वस्तुतः मैं कामना करता हूं कि यह सफल कार्यक्रम बने क्योंकि यह बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया है। किन्तु इसमें भी एक महत्वपूर्ण कारक होगा कि इन संस्थानों में कैसे व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। वस्तुतः मैं जानता हूं कि वह चिकित्सकों से कहने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में एक साल और बिताना चाहिए और

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

इस प्रकार का विरोध उभरा है। अत: आपको लोग कहां से मिलेंगे जो गांव जा सकें, जिन्हें गावों में प्रशिक्षित किया जा सके? क्या हम केवल राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, जैसा कि एक बनाने जा रहे हैं ही नहीं बल्कि निचले स्तर पर ग्राम स्तर और उप जिला स्तर पर भी संस्थानों के बारे में भी सोचेंगे-जिससे उस तरह के लोग तैयार हो सकें जिनकी निचले स्तर पर जरूरत होती है? यह भी ऐसी बात है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं उनसे इस बारे में सोचने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): माननीय सभापति महोदया, राज्य सभा ने जिस बिल को पास किया है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुच्चेरी को हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस सदन में इंट्रोड्यूश किया है और इस संस्थान के लिए 104 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह बहुत अच्छी बात है। वहां सुनामी से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा डाक्टर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। इस इंस्टीट्यूट के नाम में केवल जवाहरलाल शब्द रखा गया है। मेरा सुझाव है कि इसमें जवाहरलाल के साथ नेहरू शब्द जोड़ दिया जाए। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जिस प्रकार प्राइवेट मेडिकल संस्थानों में 25 लाख, 50 लाख या एक करोड़ रुपए लेकर डाक्टर बनाए जाते हैं और फिर वे लोग मेरिट की बात करते हैं। यह इंस्टीट्यूट एक सरकारी संस्था है, इसलिए ज्यादा पैसे की बात नहीं होगी, फिर भी कम से कम पैसों में हमारे एससी-एसटी स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन दिए जाने की आवश्यकता है। इस बिल पर बोलने वाले रामदास जी पांडिचेरी के हैं, इसका जवाब देने वाले रामदास जी और मैं रामदास मुंबई का हूं, हम सभी को मिलकर इस मेडिकल संस्थान को मजबूत करने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरी यही सुझाव है कि जिसमें जितने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने वाला है, जो डाक्टर्स यहां से पोस्ट-ग्रेजुएट होकर डाक्टर्स बनने वाले हैं, उनको रूरल एरियाज में काम करने की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो डाक्टर बनते हैं, वे सभी सिटी में ही रहना चाहते हैं, वे रूरल एरियाज में नहीं जाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि डाक्टर्स को रूरल एरियाज में भेजने की आवश्यकता है। आप गांवों में काम करते हैं। मैंने पुडुचेरी जाते हुए रास्ते में तीन-चार बार आपके गांव को देखा है। इन डाक्टर्स में से ज्यादा ऐसे लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जो गांवों में काम करना चाहते हैं।

मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं। इस इंस्टीट्युट को जल्दी से जल्दी शुरू करने की आवश्यकता है।

सायं 6.04 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय सर्वप्रथम मैं इस विधेयक का समर्थन करने तथा जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जिपमेर, पुडुचेरी पर इस सम्माननीय सभा में अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए सभी माननीय संसद सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, यह न केवल पुडुचेरी अपितु तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के लोगों जहां से वे इस संस्थान में आते थे, की लंबे समय से चल रही मांग थी। जैसा कि मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य में पहले ही कहा है, इस संस्थान को इसका नाम 1964 में दिया गया और यह संस्थान उससे भी पहले से था। उस समय एम्स और पी.जी.आई.एम.ई.आर. चंडीगढ़ की शुरूआत इस संस्थान के साथ ही गयी थी। अतएव कुछ वर्षों के अंतराल में इन तीनों संस्थानों को एक साथ शुरू किया गया था। दो संस्थान, नामत: एम्स और पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ को संसद की संविधि द्वारा उत्कृष्ट संस्थान के रूप में शुरू किया गया था किन्तु दुर्भाग्यवश उस समय जिपमेर मौजूद नहीं था। उस समय कई समिति सिफारिशें थी कि जिपमेर को राष्ट्रीय संस्थान बनाया जाना चाहिए और संसद द्वारा संविधि दी जानी चाहिए ताकि यह अपनी नीतियां और प्राथमिकताएं अधिनियमित कर सके। दुर्भाग्यवश इन सभी वर्षों के दौरान ऐसा नहीं किया जा सका। पुडुचेरी से लोक सभा के माननीय सदस्य प्रो. एम. रामदास ने उचित ही कहा है कि संभार व्यवस्था तथा दिल्ली से पुडुचेरी की दूरी के कारण यह संस्थान उतनी प्रगति नहीं कर सका जितनी इससे अपेक्षा थी। दक्षिण भारत में यह इकलौता केन्द्र सरकार का बहु विशेषज्ञता प्राप्त संस्थान है और इसकी शुरूआत पुडुचेरी में की गयी थी।

एक व्यक्ति के रूप में मैं इस संस्थान के इतिहास तथा कार्यकरण को पिछले 25 वर्षों से देख रहा हूं। एक चिकित्सक के रूप में 25 वर्षों से इस संस्थान को जानता हूं, नामत: इसकी प्रगति के बारे में यह कैसे चल रहा है; और कहां पहुंच रहा है। दुर्भाग्यवश बीच में अनुसंधान कार्यों के संदर्भ में यह वैसा कार्य नहीं कर रहा था जैसा इसे करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त कई पद रिक्त थे तथा अवसंरचना की कमी थी। वस्तुत: लगभग चार वर्ष पूर्व जब मैंने मंत्री पद सम्भाला, सीटी स्कैन सुविधा कार्य नहीं कर रही थी; तंत्रिका विज्ञान विभाग में तंत्रिका विज्ञानी नहीं थे; सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पुडुचेरी सरकारी मेडिकल कालेज, सरकारी

अस्पताल मेधवा चेन्नई भेजा जा रहा था। इसे एक केन्द्र सरकार का संस्थान होना चाहिए था किन्तु इसकी स्थिति ऐसी थी।

तबसे मैंने कई बैठकें की हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कई मरीज न केवल पुडुचेरी से बल्कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से आते थे और यह उचित ही था चूंकि उनका इस संस्थान में विश्वास था। पिछले चार वर्षों में हमने इसे सुधारने के लिए और अवसंरचनाएं उपलब्ध करवा कर काफी उपाय किए हैं। किंतु संकाय और श्रम शक्ति से संबंधित समस्याएं अभी भी हैं। आज भर्ती की समस्या का हम सामना कर रहे हैं, यह यूपीएससी के माध्यम से किया जाता है। यूपीएससी से हमें समस्या आ रही है कि वे विज्ञापन निकालने में लगभग दो वर्ष का समय लेते हैं, और जब वे चिकित्सकों को बुलाते हैं जिनका चयन जिपमेर, पुडुचेरी के लिए किया गया है-वे कार्यभार ग्रहण नहीं करते या वे कार्यभार ग्रहण करते हैं और उसके एक महीना अथवा छह महीने बाद त्याग देते हैं। अतएव भारी संख्या में पद रिक्त हैं, जिसे हम अपने स्तर पर नहीं भर सकते और न ही संस्थान उनके साथ न्याय कर पाता है। अतएव, इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाने के लिए और संसद के अधिनियम द्वारा इसे संविधि प्रदान करने के लिए हमें बड़ी चर्चाएं करनी पड़ी ताकि इसकी शैक्षिक कार्यकरण में अपनी स्वायत्तता रहे। आगे, इसके पास अपनी शैक्षिक समिति, शासकीय निकाय, संस्थान निकाय, वित्तीय निकाय इत्यादि होंगे ताकि यह अपना ध्यान रख सके और अपनी उपाधियां प्रदान कर सके। यह वह कर सके जो अपने संस्थान में करना चाहता है ताकि यह विगत वर्षों से तंद्रा से बाहर आ सके।

इस विधेयक की बात करें तो इसे राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि हमें कुछ कदम उठाने पड़े और इसमें कुछ सुधार किये गये। मुझे इस विधेयक को वापस मंत्रिमंडल के पास ले जाना पड़ा ताकि राज्य सभा के सदस्यों की कई चिन्ताओं पर भी विचार किया जा सके। अब, लोक सभा में हमारे समक्ष एक व्यापक विधेयक है जिसपर आज माननीय सदस्यगण द्वारा निर्णय लिया जाना है।

पांडिचेरी के माननीय सदस्य, प्रो. एम. रामदास ने कर्मचारियों की चिंताओं आदि के बारे में कहा है। वस्तुतः, गत दो वर्षों के दौरान मैंने स्वयं अपने संसद सदस्यों, अधिकारियों पर, सचिव, संयुक्त सचिव स्तर पर कर्मचारियों, संकाय सदस्यों, छात्रों आदि के साथ अनेक चर्चाएं की थी ताकि विधेयक के महत्व को संप्रेषित किया जा सके और उन्हें विधेयक के बारे में जानकारी थी।

आज हमारे पास एक व्यापक विधेयक मौजूद है, जिसमें कर्मचारियों, छात्रों की चिंताओं, आरक्षण नीति आदि पर विचार किया गया है ताकि हमें एक अच्छा संस्थान प्राप्त हो।

कुछ सदस्यों ने पूछा कि केवल पुडुचेरी क्यों और अन्य संस्थान भी क्यों नहीं? जैसा कि मैंने कहा, यह लंबे समय से चली आ रही मांग थी। वस्तुतः, यह एक बहुत ही शानदार संस्थान है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण उस संस्थान का दौरा करें और उस संस्थान की विशालता और महत्व तथा अनुसंधान और संकाय का जायजा लें। वहां के भूतपूर्व छात्र विश्वभर में इसकी ख्याति फैलाते रहे हैं।

व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर की बात करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे अच्छे मित्र माननीय कीरेन रिजीजू ने बजट के बारे में कहा। बजट में निश्चित तौर पर वृद्धि की जाएगी। आज लोग एम्स और पीजीआई के बजटों की तुलना जिपमेर के बजट से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 56 करोड़ रु. से 60 करोड़ कुछ भी नहीं है। तथापि जिपमेर संभार व्यवस्था के कारण वह धनराशि भी खर्च नहीं कर पाया। उन्हें हर चीज के लिए दिल्ली आना पड़ता है और फिर एम्स तथा पीजीआई के विपरीत उसमें अनेक मुद्दे शामिल थे। एक बार उनके संदर्भ में यह संविधि लागू किए जाने पर, उनके लिए काम काज करना आसान हो जाएगा और वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। जहां तक अवसंरचना का संबंध है, गत दो वर्षों में हमने स्पेशिएलिटी, सुपर स्पेशिएलिटी ब्लाक, नर्सिंग कालेज, कैंसर ब्लाक आदि के लिए जिपमेर पुडुचेरी में 180 करोड़ रु. का निवेश किया है। हम अधिक अवसंरचना प्रदान करने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन, फिर जैसा कि मैंने कहा समस्या संकाय, और जनशक्ति की है, जिसका आज हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय सदस्य रिजीजू चिकित्सा की आमची पद्धति के बारे में पूछ रहे थे। मैं समझता हूं कि मैं जिपमेर पुडुचेरी के विषय से थोड़ा हट रहा हूं, किंतु माननीय सदस्य आमची नामक उस प्रणाली के बारे में पूछ रहे थे, जिसे हिमालयी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। यह एक गौरवपूर्ण पद्धति है। मुझे लेह-लद्दाख जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जहां वे इस प्रणाली को अपनाते हैं। मैंने उस संस्थान में उस प्रदर्शनी का दौरा किया और आश्चर्यजनक और विस्मित रूप से यह पाया कि यह एक बहुत ही समृद्ध पद्धति है। मैंने भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग के अपने अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा करने और यह देखने के लिए कहा कि हम इस प्रणाली को मान्यता दे सकते हैं या नहीं। हम इस पर चर्चा करने का विचार कर रहे हैं। विभिन्न वैज्ञानिक मंचों पर चर्चा करने के पश्चात्, मैंने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारतीय

[डा. अंबुमणि रामदास]

चिकित्सा पद्धति विभाग को भी काफी पहले इस मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए कहा है।

होमियोपैथी संस्थान संबंधी विषय पर मैं पता करूंगा कि मुद्दा क्या है और तत्पश्चात् उस पर भी विचार किया जाएगा।

एन.ई.आई.जी.आर.आई.एम.एस. के संबंध में, वास्तव में, पूर्वोत्तर के लिए शिलांग में एन.ई.आई.जी.आर.आई.एम.एस. नामक एक बेहतरीन संस्थान है। माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया था, वह यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम उनकी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। समस्या यह है कि पूर्वोत्तर में हमें संकाय सदस्य नहीं मिल पाते हैं। हमारा एक सुन्दर संस्थान है। यह देश के बेहतरीन संस्थानों में से एक है। हमने उस संस्थान पर लगभग 230 करोड़ रु. खर्च किए हैं। किंतु इसका लंबा इतिहास है, जो 1984 से शुरू होता है। अंततः हम इसे पूरा कर रहे हैं और यह अस्पताल चालू हो गया है। तथापि, दुर्भाग्यवश वहां विशेषज्ञ मौजूद नहीं है। कोई भी वहां आकर कामकाज नहीं संभालना चाहता। विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, हमने अनेक भर्ती अभियान चलाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी कोशिशें विफल हो गई। कोई भी वहां कामकाज नहीं करना चाहता और कामकाज संभालने वाला भी जल्दी ही संस्थान को छोड़ जाता है। फिर हमें उन अन्य संस्थानों की ओर ध्यान केन्द्रित करना था, जो सेवोन्मुख कार्य कर रहे हैं, शंकर नेत्रालय जैसे संस्थान, सीएमसी वेल्लोर जैसे संस्थान, टाटा मेमोरियल जैसे संस्थान। मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य ऐसा क्यों कह रहे थे कि मंत्री महोदय केवल दक्षिण भारत पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। वहां हमारे ऐसे बड़े सूचीबद्ध संस्थान हैं, जो वाणिज्यिक संस्थान का रूप न लेते हुए समाज सेवा कर रहे हैं।

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दक्षिण भारत लाभ उठा रहा है। दक्षिण भारत में चिकित्सा संस्थानों की समृद्ध परम्परा है। पूर्वोत्तर में हमें भी इस क्षेत्र में आपकी समृद्ध विशेषज्ञता का लाभ मिलना चाहिए।

डा. अंबुमणि रामदासः हम भी बिल्कुल यही करना चाहते हैं। हम उस संस्थान को समस्त संकाय सदस्य उपलब्ध कराकर और संपूर्ण उपकरणों से सुसज्जित कर के उसे सशक्त बनाना चाहते हैं। यू.पी.ए. सरकार की नीति है कि पूर्वोत्तर से एक भी मरीज को इलाज के लिए पूर्वोत्तर से बाहर न जाना पड़े। यूपीए सरकार की यही नीति है और हम बिल्कुल यही करने का प्रयास कर रहे हैं। हम वहां अवसंरचना उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप उसे मानेंगे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गत चार वर्षों में पूर्वोत्तर में किया है। पूर्वोत्तर के सभी मुख्य मंत्रियों ने इसको स्वीकार किया है। संस्थानों के उन्नयन नए संस्थानों में निर्माण की अनेक योजनाएं बनीं हैं। मैं मई के मध्य में, आर.आई.एम.एस. इम्फाल के उन्नयन के संबंध में इसका दौरा करने वाला हूं। इस संबंध में अनेक पहल हो रही हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सामाजिक न्याय भी कायम रखें।

डा. अंबुमणि रामदासः मेरे अच्छे मित्र, श्री खारवेनथन ने चिकित्सा शिक्षा के बारे में उल्लेख किया। अनेक अन्य सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। एक तो चिकित्सा शिक्षा है और दूसरी है स्वास्थ्य मानव संसाधन, जो कि संकाय सदस्यों की कमी के बारे में है। अनेक सदस्यों ने एम्स-जैसी छः संस्थाओं के बारे में उल्लेख नहीं किया है, जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। लाभ के पद के संबंध में, मैं कहूंगा कि संसद सदस्य के रूप में, पुडुचेरी के इस संस्थान में कोई भी लाभ के पद मुद्दे के अन्तर्गत नहीं आएगा।

चिकित्सा शिक्षा पर व्यापक रूप से चर्चा करते हुए-मुझे थोड़ा समय चाहिए-हालांकि यह जिपमेर के बारे में है-मैं इसमें थोड़ा हटते हुए चिकित्सा शिक्षा के बारे में कहूंगा क्योंकि मुझे यह बताने के लिए काफी समय की आवश्यकता है कि चिकित्सा शिक्षा के मामले में हमारी सरकार क्या कर रही है, यह कि हम अगले 40 वर्षों के लिए स्वास्थ्य मानव संसाधनों हेतु क्या योजना बना रहे हैं, और यह कि हम इसे किस प्रकार से करने की मंशा रखते हैं। मैं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वस्तुतः, दसवीं पंचवर्षीय योजना में, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बजटीय आबंटन लगभग 42,000 करोड़ रु. था और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में, मेरे प्रधानमंत्री ने 1,36,000 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की है, जिसमें से 40,000 करोड़ रु. अवसंरचना के लिए जाएंगे।

अवसंरचना के संबंध में, श्री सुरेश प्रभु कह रहे थे कि प्रत्येक जिले में क्यों न शुरू किया जाए। मैं नहीं समझता कि हम प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय महत्व के एक केन्द्र की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन हम जिलावार नर्सिंग कालेज, आक्सिलियरी नर्स मिड-वाइफ कालेज (एएनएम), जीएनएम कालेज और विद्यालयों की स्थापना करने जा रहे हैं। इस सबके लिए सौभाग्यवश हम काफी सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। आज, जैसा कि मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं, बिहार जैसे राज्य, जिसकी जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है, में एक भी बी.एससी नर्सिंग कालेज नहीं है। यह चिंताजनक स्थिति है। वस्तुतः, ज्यादातर उत्तर भारतीय राज्यों की यहीं स्थिति है। ठीक इसी प्रयोजनार्थ हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य

मिशन की शुरूआत की है, जिसके अंतर्गत अवसंरचना जैसी इन सभी चीजों का उन्नयन किया जा रहा है। हम ये सभी चीजें उपलब्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य मानव संसाधन भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके बारे में मैं विस्तारपूर्वक बोल सकता हूं और स्पष्ट कर सकता हूं, किंतु मुझे दो या तीन घंटे चाहिएं।

एम्स जैसे संस्थानों के बारे में कहूं तो, मेरी पूर्ववर्ती स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक एक योजना की शुरूआत की थी, जिनके अंतर्गत वे एम्स-जैसी छः नई संस्थाओं का निर्माण करना चाहती थी और सात मौजूदा संस्थाओं का एक निश्चित स्तर तक उन्नयन करना चाहती थी। लेकिन इसके पश्चात् हमारी सरकार सत्ता में आई। उस समय, चूंकि चुनाव नजदीक थे, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ सके और सं.प्र.ग. सरकार आ गई। ऐसा नहीं है कि सरकार बदलने के साथ ही नीति में बदलाव आ जाएगा।

श्री त्रिपाठी राजनैतिक हस्तक्षेप और इन सब के बारे में उल्लेख कर रहे थे, जिसका मैं निश्चित तौर पर विरोध करूंगा। यह एक निरंतरता है। सरकार आती है और सरकार जाती है, लेकिन यह एक अटूट क्रम है। निश्चित तौर पर हम कार्यक्रम का अनुपालन कर रहे हैं। मैं इस बहुत ही नवीन संकल्पना लाने के लिए अपनी पूर्ववर्ती मंत्री महोदया, श्रीमती सुषमा स्वराज की सराहना करना चाहता हूं। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद कर चुका हूं और उनकी सराहना कर चुका हूं। निश्चित तौर पर, हम इस पर काम कर रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इसमें विलम्ब हुआ है। मैं इस विलम्ब को स्वीकार करता हूं और मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। मैं विलंब आदि का कारण स्पष्ट कर सकता हूं। बल्कि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने इस पर विस्तार से विचार किया है और वे भी इससे चिंतित थे।

मैं स्थायी समिति की अपेक्षा अधिक निराश हूं। निविदाएं इत्यादि प्राप्त न होने के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। राजस्थान में कार्य आरंभ हो चुका है; भुवनेश्वर, भोपाल, पटना आदि में कार्य एक दो माह में आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार कार्य वितरित किया गया है तथा मुझे कुछ और समय लगेगा।

जबकि पिछली सरकार की छह नए भवनों के निर्माण और सात और संस्थानों में सुधार करने की योजना थी, अब हम लगभग 13 संस्थानों में सुधार कर रहे हैं-सात की बजाय 13 में सुधार कर रहे हैं। पिछली सरकार की सूची में केरल नहीं था। यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमने केरल में त्रिवेन्द्रम कालेज को उन्नयन के लिए शामिल किया तथा 120 करोड़ रुपये आवंटित किए। संपूर्ण देश में, हमारी 120 करोड़ रुपये की केवल एक सीमा है-20 करोड़ स्थानीय सरकार द्वारा तथा 100 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा दिए जायेंगे। हम ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं अपने मित्र श्री त्रिपाठी एवं अन्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित ही हम तौर तरीकों पर कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कार्य को गति देने के लिए हमने आवास और अस्पताल इत्यादि में बांट दिया है। महोदय पुनः मैं सभा को स्पष्ट रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित ही हम परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): मंत्री महोदय, क्या हम इसे आपकी तरफ से आश्वासन मान लें कि भुवनेश्वर में अगले दो महीनों में कार्य आरम्भ हो जाएगा?

डा. अंबुमणि रामदासः अगले तीन माह में भुवनेश्वर में कार्य आरंभ हो जाएगा।

श्री खारबेल स्वाईं: ठीक है, तीन महीने का समय उचित है।

डा. अंबुमणि रामदासः तीन माह के भीतर भुवनेश्वर में कार्य आरंभ हो जाएगा।

श्री खारबेल स्वाईं: धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः माननीय मंत्री जी ने कहा पटना में भी शुरू होने जा रहा है।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदासः मेरी प्राथमिकता बिहार है। मैं निश्चित ही बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के माननीय सदस्यों की चिंताओं से सहमत हूं कि ये तीन राज्य स्वास्थ्य सूचकांक की न्यूनतम स्लैब में है। हम इसे काफी प्राथमिकता दे रहे हैं तथा निश्चित ही हम इन्हें इससे भी अधिक प्राथमिकताएं देते रहेंगे। निश्चित ही हम ऐसा करेंगे।

श्री राम कृपाल यादवः बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. अंबुमणि रामदासः श्री डोम ने कुछ मुद्दे उठाए हैं जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसंधान का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा था कि अनुसंधान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, यह ठीक है। जिपमेर पुडुचेरी इसे आरंभ करेगा। यह शीघ्र आरंभ हो जाना

[डा. अंबुमणि रामदास]

चाहिए था, परंतु कहीं बीच में ही कुछ अड़चन आ गई। परंतु अब, जबकि माननीय सदस्यों के पारित किए जाने के बाद यह राष्ट्रीय संस्थान बन जाएगा। इसलिए अनुसंधान को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी; अनुसंधान के लिए अधिक आबंटन किया जाएगा। श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु इसके बारे में कह रहे थे कि प्रयोगशाला से बिस्तर तक के बारे में; इसे उस तर्ज पर किया जा सकता है। श्री फ्रांसिस नेनो-प्रौद्योगिकी स्टेम कोशिकाओं पर अनुसंधान आणविक जैविकीय के बारे में बता रहे थे। निश्चित ही हम उन पर कार्यवाही करेंगे।

आरक्षण के मुद्दे थे जिनके बारे में, मैं पहले ही बता चुका हूं। सदस्यों ने छात्रों की फीस के बारे में भी बोला है। छात्रों की फीस के बारे में भी चिंता थी। मैं कहना चाहूंगा कि जिपमेर में, प्रथम वर्ष के छात्र की फीस लगभग 250 रुपये है। हम फीस पर काफी राजसहायता दे रहे हैं। एम्स में भी, प्रथम वर्ष की फीस लगभग 250-300 रुपये है जबकि आईआईटी तथा आईआईएम में 4-5 लाख रुपये फीस है। हम फीस पर काफी राजसहायता दे रहे हैं तथा यह गरीब छात्रों के लाभ के लिए है। हम उन पर भी ध्यान दे रहे हैं।

गरीब रोगियों के बारे में पहले ही एक वचन दिया गया था तथा उनका ध्यान रखा जाएगा। श्री शैलेन्द्र कुमार जी जिन पांच चिकित्सा कालेजों के बारे में कह रहे थे मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है। यदि वे मेरे ध्यान में लायेंगे तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा। पांच चिकित्सा कालेज कौन से हैं? चिकित्सा कालेज राज्य का विषय है; वे इसे मेरे ध्यान में ला सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): इटावा में है, आपको पत्र भी लिखा गया था।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: मैं नहीं जानता। यह प्रक्रिया के माध्यम से चलता है; यदि यह उचित माध्यम से हो तो हम इसे अनुमोदन प्रदान करते हैं; हम सिर्फ यह करते हैं। हम इन कालेजों को अनुमोदन देने से अधिक कुछ नहीं करते हैं। आप इसे मेरे ध्यान में ला सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: प्रस्ताव आया था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बाद में माननीय मंत्री महोदय से मिल सकते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, यह उचित होगा।

श्री गाव ने कहा था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए। इस सुझाव पर पूरा ध्यान दिया गया है। उन्होंने पुनः मानव, सामाजिक मनोविज्ञान और रोगी अनुकूल तथा रोगी सुरक्षा उपायों के अत्यंत प्रासंगिक विषय को उठाया है। यह बहुत अच्छा सुझाव है; निश्चित ही हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री मनोज ने चिकित्सा आचार के बारे में कहा था। इस सब मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा, यह संस्थान का हृदय है-चाहे कोई डाक्टर, नर्स या कोई अर्ध-चिकित्सक या अस्पताल का कोई भी व्यक्ति हो उसे नैतिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा रोगी अनुकूल रवैया होना चाहिए। उन्हें इसके साथ कार्य करना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर भी कदम उठाए जायेंगे।

मैं संस्थान को अनुसंधान आदि कार्य करने का सुझाव दे सकता हूं। अध्यापकों को प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है। निश्चित ही हम इस पर ध्यान देंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से अपने मित्रो, माननीय सदस्यों से विधेयक पारित करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: एक अच्छा उत्तर दिया गया है।

प्रश्न यह है:

"कि जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 32 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक के पारित करने का प्रस्ताव करें।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक को पारित किया जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक को पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: बिल पास होने तक हाउस का समय एक्सटैंड किया गया था। यदि जीरो आवर लेना है तो हर मैम्बर को सिर्फ दो-तीन मिनट का समय मिलेगा।

अनेक माननीय सदस्य: सहमति है।

श्री राम कृपाल यादव: सर, जीरो आवर लिस्टेड है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने के लिए केवल दो मिनट दिए जाएंगे। सदस्यों को बोलने के लिए दो मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा।

इसलिए, विशेष उल्लेख समाप्त किए जाने तक सभा का समय बढ़ा दिया गया है।

श्री लोनाप्पन नम्बाडन (मुकुन्दपुरम): केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और 17 का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। भूमि अर्जन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अपनी भूमि और आवास खोने वाले लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा उनका पुनर्वास भी किया जाना चाहिए। अभी तक जिन भू-मालिकों ने बातचीत के बाद अपनी भूमि अंतरित की है, को सरकार द्वारा पर्याप्त मूल्य नहीं दिया गया है। इसलिए उनकी हालत काफी दयनीय है। उनकी समस्याओं को हल किया जाना चाहिए।

मैं भारत सरकार से केरल में भूमि की अनुपलब्धता, भूमि की लागत और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए केरल में छह लेन वाली सड़क शुरू किए जाने संबंधी प्रस्ताव को वापस लिए जाने का भी अनुरोध करता हूं। वास्तव में जरा सी भी भूमि उपलब्ध नहीं है और तो और सही मायनों में केरल में गरीब लोगों के रहने के लिए भी भूमि नहीं है।

मैं यह अनुरोध भी करता हूं कि केरल में परिवहन की समस्या को सुलझाने के लिए और अधिक राष्ट्रीय जलमार्ग और रेल की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको वहीं से बोलने की अनुमति दी जाती है।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, धन्यवाद। फैक्टमफोस (20:20) दक्षिण भारत में मिश्रित उर्वरक का एक लोकप्रिय ब्रांड है और फैक्ट (एफएसीटी) कोच्चि डिवीजन तथा उद्योगमंडल प्रभाग इलोर द्वारा क्रमशः 800 एवं 200 टन प्रतिदिन कुल 1000 टन का उत्पादन किया जाता है।

हालांकि केवल दक्षिण भारत के लिए प्रतिदिन 2,500 टन से अधिक की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के किसानों द्वारा फैक्टमफोस (20:20) का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पलानी के ओड्डनचत्रम, धारापुरम, डिंडीगुल और पलानी तालुका में किसान सभी प्रकार की सब्जियों का उत्पादन करते हैं और ओड्डनचत्रम बाजार के माध्यम से वे इन्हें पूरे देश में भेजते हैं। यह मौसम विभिन्न प्रकार की सब्जियों को उगाने का है। इसलिए किसानों को फैक्टमफोस (20:20) की बहुत आवश्यकता है। डिंडीगुल, ओड्डचत्रम और धारापुरम क्षेत्रों में उपर्युक्त उर्वरकों का प्रबंधन करने वाली एजेंसियों को उक्त फैक्टरियों से कम मात्रा में उर्वरक मिल रहा है और उस उर्वरक को भी काला बाजारी की जा रही है। किसान इस उर्वरक को ऊंचे दामों पर बाजार से खरीदने के लिए मजबूर हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्री से फैक्टमफोस की आपूर्ति को नियमित करने और किसानों को उचित मूल्य पर इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फैक्ट, कोच्चि को इस उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करने का निदेश दे ताकि किसान अपनी फसल बचा सके।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): महोदय, मैं इंडियन एयरलाइन्स में नैमित्तिक मजदूरों से संबंधित मुद्दा उठाना चाहता हूं। इंडियन एयरलाइन्स में काफी समय से और कालीकट विमानपत्तन पर पिछले 16 वर्षों से अधिक समय से नैमित्तिक मजदूर काम कर रहे हैं। विमानों के रखरखाव और अनुरक्षण के लिए इनके द्वारा किए जा रहे कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्हें प्रतिदिन 145 रुपए मिलते हैं और वर्ष में 120 दिन काम मिलता है। इन्हें अवकाश कर्मचारी राज्य बीमा और समुचित मजदूरी इत्यादि जैसे कोई अन्य लाभ भी नहीं मिलते हैं। मैसर्स इंडियन ठेकेदारों के माध्यम से कामगारों को नियोजित करती है। यह एक दूसरा मसला है। इनकी हालत बहुत ही दयनीय हैं उन्होंने अनेक बार माननीय मंत्री महोदय के समक्ष भी अपनी समस्याएं उठाई हैं। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि इन नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जाए और जल्दी से जल्दी इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहूंगा, यह अति लोक महत्व का प्रश्न है। आज पूरे देश में भयानक लू और गर्मी है। कल टेलीविजन में कानपुर और इलाहाबाद में करीब 44 डिग्री सेंटीग्रेट टेम्परेचर था। प्राइमरी, नर्सरी और जुनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनकी छुट्टी का समय 12 या एक बजे के करीब होता है। वे जब घर वापस लौटते हैं तो उस समय भयानक लू होती है और भयानक लू की चपेट से बहुत से बच्चे बीमार हुए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसे देखना स्टेट का काम है, सेंटर का काम नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहूंगा, क्योंकि यह पूरे देश की समस्या है। मेरा कहना है कि जहां ज्यादा गर्मी है या तो वहां के स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमान जी, राज्य का मामला है। इसमें केन्द्र क्या कर सकता है?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन है कि जहां ज्यादा गर्मी होती है, या तो वहां के स्कूलों में उन दिनों छुट्टियां कर दी जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टेट मेटर है, फिर भी आप इंगित तो कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थामस, आप केवल एक मामला उठा सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, इसाई धर्म के इतिहास में अथवा ईस्वी सन से नामत: पिछले 2000 वर्षों में कैथोलिक चर्च द्वारा किसी भारतीय को संत घोषित नहीं किया गया है। लेकिन पहली बार 12 अक्तूबर को किसी भारतीय महिला को वेटिकन में संत घोषित किया जाएगा। यह बहुत सम्मान की बात है। जहां तक ईसाई धर्म का संबंध है और जहां तक कैथोलिको का संबंध है तो यह एक बहुत बड़ी बात है।

मदर टेरेसा को ब्लैस्ड घोषित करने के पश्चात् केवल एक व्यक्ति को ही ब्लैस्ड घोषित किया जा सकता था। कुछ वर्ष पूर्व सिस्टर अलफोन्जा को ब्लैस्ड घोषित किया गया था। जब मदर टेरेसा को ब्लैस्ड घोषित किया गया था तो तत्कालीन सरकार ने भारत का एक शिष्टमंडल भेजा था जैसाकि विश्व के विभिन्न देशों द्वारा अपना शिष्टमंडल भेजा जाता है।

इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि इस अवसर के सम्मान के लिए और ईसाइयों को इसका वास्तविक लाभ प्रदान करने हेतु सरकार को अपना शिष्टमंडल भेजना चाहिए। अनेक लोग भी वहां जाना चाहते हैं इसलिए सस्ती विमान टिकट भी मुहैया कराने पर विचार करना चाहिए। जब इस महिला को ब्लैस्ड घोषित किया गया था तब इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि जब पहली बार भारत की इस महिला को संत घोषित किया जाए तो इससे संबंधित सिक्का भी जारी किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय यह समस्या पूरे देश की है। गर्मी अभी स्टार्ट हुई है और पूरे देश के गांवों में आग लगने की घटनाएं स्टार्ट हो गई हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: उपाध्यक्ष महोदय, देश के अनेक गांवों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जब गांवों में दौरा करने जाते हैं, तो जनता उम्मीद करती है कि सांसद आए हैं, तो कुछ मदद करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह स्टेट सब्जैक्ट है।

श्री रघुराज सिंह शाक्य: माननीय उपाध्यक्ष जी, स्टेट की सरकारों के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे उनकी सहायता की जा सके। जो भी प्रावधान हैं, वे बहुत पुराने हैं और उनके अनुसार कहीं 1000 रुपए और कहीं 2000 हजार रुपए की ही सहायता दी जा सकती है, जो आजकल की महंगाई में उनके साथ मजाक जैसा है। यह दिक्कत सभी सांसदों के साथ है। आग लग जाती है, लोगों के घर जलकर राख हो जाते हैं। लोग खाने के लिए तरस जाते हैं। जानवरों के लिए चारा नहीं होता है। मकान ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों की जो सांसद निधि है, उसमें इस तरह का प्रावधान कर दिया जाए, जिससे सांसद लोग ऐसे तबाह लोगों की कुछ मदद कर सकें। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुना है, लोग हमसे उम्मीद लगाते हैं कि हम ऐसी स्थिति में उनकी कुछ आर्थिक सहायता करें। यदि यह संभव न हो, तो कोई ऐसा एक विशेष कोष बना दिया जाए जिसमें से सांसद उनकी मदद कर सकें। उनके आवास के लिए, उनके खाने के लिए, उनके जानवरों के लिए कोई आर्थिक सहायता सांसद की ओर से दी जा सके, ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के संज्ञान में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की स्थिति लाना चाहता हूं। बुंदेलखंड में और उसके आसपास बेतवा नदी हो, चाहे पाहु नदी हो या यमुना नदी हो, उनका पानी सूख गया है। इसके कारण चाहे कानपुर देहात हो, चाहे जालौन हो, बांदा हो, और चाहे हमीरपुर, सभी जगह पानी का जलस्तर बड़ी तेजी से नीचे चला गया है। गांवों में जितने भी हैंडपम्प हैं, सभी ने पानी देना बन्द कर दिया है। एक गांव में केवल एक या दो हैंडपम्प ही ऐसे हैं, जिनसे पूरे गांव के लोग पानी भरते हैं। पानी का भूमिगत जलस्तर नीचे जाने से पानी की इतनी दिक्कत हो गई है कि जनता पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है। वहां पशु बिना पानी के मर रहे हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आदमी एवं पशुओं को पीने का पानी तत्काल उपलब्ध कराया जाए। मई और जून का महीने आने वाला है। इन महीनों में पानी की दिक्कत और बढ़ेगी। इसलिए हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि निश्चित रूप से इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार बुंदेलखंड को ऐसी सहायता प्रदान करे जिससे वहां हैंडपम्पों की स्थापना की जा सके और ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आपका पाइंट आ गया। अब आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): महोदय, मैं आपको अपने राज्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। गुजरात राज्य सरकार ने भारत सरकार को अहमदाबाद और गांधीनगर में एक इंटरनेट केन्द्र की स्थापना के लिए दिनांक 27.07.2003, 19.09.2003, 22.07.2004, 02.10.2004, 19.07.2007 और 5.2.2008 को कुल मिलाकर छह पत्र लिखे हैं। मैं सरकार से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूं।

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम): महोदय, खाड़ी देशों में बहुत से लोग काम करते हैं। ग्रीष्मकालीन अवकास के समय वे अपनी मातृभूमि की यात्रा करते है और ग्रीष्मकाल में विद्यालयों के बंद होने के बाद केरल के लोग भी खाड़ी देशों की यात्रा करते है। लेकिन इस ग्रीष्मकाल के दौरान खाड़ी देशों से कोचीन और तिरुवंतपुरम तथा कोचीन एवं तिरुवंतपुरम से खाड़ी देशों के बीच विमान चलाने वाली एयरलाइनों द्वारा यात्रियों से अधिक किराया लिया जाता है। वे यात्रियों से ग्रीष्मकाल से पूर्व लिए जाने वाले किराए की तुलना में प्रति यात्री से 5000 रुपए अधिक लेते हैं। एयर इंडिया के मामले में भी स्थिति ऐसी ही है। इस एयरलाइन्स की शुरूआत आम आदमी की सेवा के लिए की गई थी जो अधिक किराया देकर हवाई यात्रा नहीं कर सकते थे। विमान किरायों में लगातार वृद्धि के कारण लोग अपने अभीष्ट गंतव्य की यात्रा नहीं कर सकते हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जब अन्य सभी क्षेत्रों में विमान किरायों में भारी कमी आई है तो इस क्षेत्र के किरायों में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है? क्या यह सच है कि अन्य क्षेत्रों में कम किए गए किरायों की क्षतिपूर्ति के लिए इस क्षेत्र के किरायों में वृद्धि की गई है?

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनेक एयरलाइन्स तो इकोनामी क्लास की टिकट भी जारी नहीं कर रही हैं और वे अतिरिक्त कमाई करने के लिए यात्रियों पर बिजनेस क्लास की टिकट खरीदने हेतु दबाव डाल रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी आवासों तक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009 तक विद्युत उपलब्ध कराई जानी है। इस योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है।

योजना के अंतर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने से लेकर कार्य सम्पन्न कराने तक केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी. तथा पी.जी.सी.आई.एल. को सौंपा गया है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत की 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में तथा 10 प्रतिशत राशि वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी।

अभी हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा अचानक यह निर्णय लिया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं मजरो-टोली रिहायशी क्षेत्रों को शामिल किया जाये, जिनकी आबादी 100 या अधिक हो। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं एवं यहां के अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकांश भाग वन क्षेत्रों में स्थित है। इनकी आबादी भी 100 से कम है। इस प्रकार राज्य के लगभग 50 प्रतिशत रिहायशी क्षेत्रों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा तथा राज्य में इस योजना का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार के इस निर्णय में संशोधन कराना आवश्यक है। अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राज्य के सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके, इस योजना में ऐसा संशोधन करना चाहिए। साथ ही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को प्रस्तुत किये गये 11 जिले राजनंदगांव, महासमुंद कांकेर, रायपुर, धमतरी, जशपुर, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, बस्तर एवं दांतेवाड़ा की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की स्वीकृति हेतु राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन अतिशीघ्र किया जाये। केन्द्र सरकार के पास यह योजना विचाराधीन है। बिलासपुर जिले को इसमें शामिल किया जाये। 12 टोले मोहल्ले में 100 से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ा गया है, पर वहां उससे कम आबादी वाले 12 टोले मोहल्ले हैं, वन भूमि है और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे टोले में आबादी बसी है, जिनकी जनसंख्या 50 से कम है, ऐसे 12 टोले मोहल्लों को भी इसमें शामिल किया जाये, जिससे 50 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे विद्युतीकरण योजना में लाभ ले सके। इनको लाभ लेने के लिए 50 प्रतिशत से कम आबादी वाले गांवों को भी इस योजना में शामिल किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं सरकार का ध्यान संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ अल्पसंख्यक भाषाओं विशेषकर तुलू भाषा को शामिल करने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं।

तुलू भाषा का एक गौरवपूर्ण इतिहास है। कर्नाटक, केरल और कुछ अन्य स्थानों पर करीबन एक करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। कई ऐसे प्रख्यात लेखक और कलाकार भी हैं जो तुलू भाषा के भी अच्छे ज्ञाता हैं। केरल और कर्नाटक सरकार इस भाषा को संरक्षण के लिए पहले ही से तुलू अकादमी स्थापित कर चुकी हैं।

इस संबंध में, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि तुलू भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करे और इस भाषा को संरक्षण दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. शफीकुर्रहमान बर्क, आप जो मामला उठाना चाहते हैं वह राज्य का मामला है। अतएव, आप बैठ जाईए।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क: यह स्टेट मैटर नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने जो नोटिस दिया है, वह मैंने देख लिया है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मैंने आपका वक्तव्य पढ़ लिया है और मैंने पाया कि यह एक राज्य का मामला है। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा (बोबिली): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने स्थान से बोलने की अनुमति दीजिए।

महोदय, मैं तत्कालिक लोक महत्व के निम्नलिखित मामलों को उठाने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

कुछ समय से यह देखा गया है कि विजाग से दिल्ली और दिल्ली से विजाग जाने वाली एयर इंडिया की उड़ाने रद्द हो रही हैं। ये नियमित रूप से रद्द हो रही हैं। इससे विमान यात्रियों को खासी असुविधा होती है और उनकी योजनाएं और कार्यक्रम बिगड़ जाते हैं। एयर इंडिया यात्रियों को उड़ान रद्द होने की सूचना अंतिम क्षणों में ही देता है। इसके परिणामस्वरूप यात्री किसी अन्य एयरलाईन्स की टिकटों की बुकिंग भी नहीं करा पाते। इससे एयर इंडिया की छवि धूमिल हो रही है। यदि यही हालात बने रहे तो वे व्यक्ति अन्य एयरलाईन्स की सेवा लेने के लिए बाध्य होंगे जो एयर इंडिया की नियमित रूप से सेवा लेते हैं। मैं नहीं जानती की एयर इंडिया अपनी उड़ाने रद्द क्यों कर रहा है जबकि प्राइवेट एयरलाईन्स अपनी उड़ाने समय से भर रही हैं।

चूंकि एयर इंडिया ही एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है अतएवं जन प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और अन्य इसे प्रथम वरीयता देते हैं। इसकी उड़ाने हमेशा भर कर जाती हैं। यदि किसी तकनीकी कारण से उड़ान रद्द हो जाती है तो एयर इंडिया को वैकल्पिक उड़ान मुहैया करानी चाहिए और यात्रियों के लिए सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री से इस मामले पर सकारात्मक रूप से विचार करने का अनुरोध करना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदयः डा. बर्क, मैंने आपका नोटिस पढ़ा है। यह राज्य का विषय है। यह पुलिस से संबंधित है। मैं क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः मैं बाद में देखूंगा।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे अपने स्थान से बोलने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदयः हां, आप बोल सकती हैं।

श्रीमती सी.एस. सुजाताः महोदय, विद्युत क्षेत्र में केरल राज्य गंभीर बाधाओं से जूझ रहा है और राज्य विद्युत की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। पिछले वर्ष तकरीबन 150 मेगावाट मांग की बढ़ोत्तरी हुई है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2007 से केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों के अनाबंटित शेयर से केरल राज्य को किए जाने वाले आबंटन को 320 मेगावाट से घटाकर 130 मेगावाट कर दिया है। राज्य से केन्द्र से आबंटन के कम किए गए शेयर को बहाल करने का अनुरोध किया है। परंतु अभी तक इस अनुरोध पर कोई सहमति प्रदान नहीं की गयी। राज्य पहले ही से विद्युत की काफी कमी से जूझ रहा है अतएव सरकार को केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों की अनाबंटित शेयर से 320 मेगावाट विद्युत आबंटन बहाल कर देना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से राज्य में विद्युत आबंटन बहाल करने के लिए तत्काल उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानवाधिकार का मामला उठा रहा हूं। रायपुर के डा. बिनायक सेन जो कि एक प्रख्यात चिकित्सक और बालरोग विशेषज्ञ तथा पीपल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज के एक अधिकारी हैं को रायपुर जेल में बिना मुकदमा चलाए इस आरोप के चलते जेल में बंद रखा कि उन्होंने राज्य आतंकवाद कानून तोड़ा है। डा. बिनायक सेन इस अपराध से इंकार कर रहे हैं। ग्लोबल हेल्प काउंसिल नामक एक प्रसिद्ध विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डा. बिनायक सेन को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए प्रतिष्ठित जोनाथन मान पुरस्कार दिया है। डा. सेन इस गरीब छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य करते रहे हैं। उन्होंने सारा जीवन लोगों को स्वास्थ्य पद्धतियों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं के बारे में शिक्षित करने में बिता दिया। जानकारी प्रदान करके उन्होंने कई जाने बचाई तथा हजारों लोगों की स्थिति में सुधार किया। बेल्लोर से प्रशिक्षित ऐसे समर्पित चिकित्सक को बिना किसी सुनवाई के एक वर्ष से जेल में बंद किया हुआ है। उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त है।

अब, पूरे विश्व से अनेक लोग भारत सरकार से उन्हें जेल से छोड़े जाने तथा 29 मई, 2008 को वाशिंगटन डी.सी. में ग्लोबल हेल्थ के वार्षिक सम्मेलन में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए वहां उपस्थित होने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

डा. आर. सेन्थिल (धर्मपुरी): महोदय, मैं अपने आप को डा. करण सिंह यादव जो कह रहे हैं, उससे संबद्ध करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो इससे संबद्ध होना चाहते हैं वे अपना नाम दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। वे न्यायालय से जमानत क्यों नहीं ले सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

डा. करण सिंह यादव: क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब लोगों तथा आदिवासियों की सेवा में लगा दिया? उन्हें कम से कम यह प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जाने दिया जाना चाहिए। वे बेल्लोर में प्रशिक्षित चिकित्सक है। वे उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डा. यादव, आपका मुद्दा कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

डा. करण सिंह यादव: बिना विचारण किए आपने किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उसे छुड़वाने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर): महोदय, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण सामग्री और उपकरण तय करने हेतु निधियां भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को जारी की जाती हैं। राजस्थान के लिए भी केन्द्र सरकार की तरफ से निधि जारी कर दी गयी। ...*(व्यवधान)* उदयपुर डिवीजन, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में बिना निविदायें आमंत्रित किए, क्षेत्रीय अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत से एक मेले का आयोजन किया गया। मेले में सामग्री क्रय करने की एक प्रक्रिया अपनाई गई। उसमें प्रत्येक नए प्राथमिक विद्यालय में पचास हजार रुपये और पुराने स्कूल में ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री महावीर भगोरा: मैं कहना चाहता हूं कि जो सामग्री क्रय की गई है, उसमें लाखों रुपये का घोटाला किया गया है। उदयपुर जिले में एक करोड़ तीस लाख रुपये की सामग्री बिना निविदा और व्यापारियों की मिलीभगत से क्रय की गई। मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि एक स्पैशल टीम बनाकर वहां जांच के लिए भेजी जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान एक अत्यन्त गंभीर समस्या की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र पूर्व मध्य रेलवे में दानापुर रेल मंडल है जहां पिछले दिनों किसानों की बड़े पैमाने पर जमीन ली गई जिस पर रेलवे यार्ड का विकास किया गया। यह कहा गया था कि प्रभावित किसानों को राशि के साथ-साथ नौकरी भी मिलेगी। पिछले पन्द्रह वर्षों से किसान संघर्षरत हैं लेकिन आज तक उन पर ध्यान नहीं दिया गया है, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। इसी तरह पहले भी पटना जिले के फथुआ में जमीन अधिग्रहण करके रेलवे यार्ड विकसित किया गया था। मगर वहां के किसानों को राशि के अलावा नौकरी दी गई थी। मैं समझता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र दानापुर के किसानों के साथ अभी तक न्याय नहीं हो पाया है। लोगों में बहुत आक्रोश है। वे तमाम गरीब तबके के किसान हैं जिनकी जमीन चली गई लेकिन आश्वासन के बाद भी उन्हें नौकरी उपलब्ध नहीं हुई।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि आप यथाशीघ्र ध्यान देकर दानापुर क्षेत्र के लोगों को नौकरी दें ताकि उनके सामने जो रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, उसका निदान हो सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन (वेल्लौर): महोदय, यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

तमिलनाडु में मदरसे जैसे तिरुचिरापल्ली जामिया अनवरूल अलूम, चेन्नई में कायीफुल हुदा मदरसा, पादुकोट्टई में मदरसा सिराजुल मुनीर तथा तमिलनाडु राज्य में अन्य मदरसों को अब तक एलपीजी सिलेण्डर मिल रहे थे। अब, इंडियन आयल कारपोरेशन

ने एक आदेश जारी किया है कि उन्हें केवल वाणिज्यिक दर पर सिलेण्डर दिया जाना चाहिए। अब तक उन्हें घरेलू दर पर सिलेण्डर दिए गए थे तथा अब उन्होंने इसे बढ़ा कर वाणिज्यिक दर पर कर दिया है।

वेद पाठशाला तथा ईसाई शिक्षणालय जैसे मदरसे ऐसे धार्मिक संस्थान हैं जो विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आश्रय एवं निःशुल्क कपड़े प्रदान करते हैं। यहां छात्र गरीब से गरीब परिवारों से आते हैं। उन्हें धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा व जनता द्वारा दिए जाने वाले चंदे से चलाया जाता है। वास्तव में, यह संस्थान चरित्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इंडियन आयल कारपोरेशन लि. से एलपीजी सिलेण्डरों की आपूर्ति जारी रखने को कहे, चूंकि ऐसा पहले भी किया गया था, क्योंकि यह धार्मिक संस्थाएं वाणिज्यिक केन्द्र नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से यथापूर्व एलपीजी सिलेण्डरों की आपूर्ति जारी रखने का अनुरोध करूंगा।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपनी सीट से बोल रहे हैं?

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज: क्या मैं यहां से बोल सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आपने अनुमति प्राप्त ली है? पहले आप अपनी सीट पर जाएं।

डा. के.एस. मनोज: मैं देश के विभिन्न हवाई अड्डों में निजी एजेंसियों द्वारा ग्राऊंड हैंडलिंग जैसे क्षेत्रों में ठेका मजदूरों की भर्ती के परिणामस्वरूप सुरक्षा को होने वाले खतरे के संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। देश के विभिन्न हवाई अड्डों में ग्राउंड हैंडलिंग का काम अनियत कर्मचारियों द्वारा किया जाता है जिन्हें एयर इंडिया या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नियोजित किया जाता है। जैसा कि पहले भी कहा गया है अनियत मजदूरों को अत्यंत कम मजदूरी दी जाती है तथा उन्हें नियमित भी नहीं किया जाता है। विमानपत्तनों पर उन्हें नौकरी से हटाने के लिए अब विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस कार्य को निजी ठेकेदारों को सौंप दिया है तथा यह ठेकेदार थोड़ी सी राशि देकर इन कामगारों को काम पर लगाते हैं तथा इससे विभिन्न विमानपत्तनों में भी सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। उन्हें विमानपत्तनों में काम पर लगाते हुए ठेकेदार अनियत कामगारों का काम छीनने का प्रयास कर रहे हैं जो वहां पिछले 10-12 वर्षों से काम कर रहे हैं। इसे नागर विमानन संरक्षा के महानिदेशक ने भी मान्यता प्रदान नहीं की है। मैं सरकार से विभिन्न विमानपत्तनों में कार्यरत अनियत कामगारों को नियमित करने तथा विमानपत्तनों में ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती न करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): सभापति जी, मैंने इसी सदन में अपने निर्वाचन क्षेत्र के देवरिया जिले में इलाहाबाद बैंक की शाखा खोलने के लिए नियम 377 के तहत एक आवेदन-पत्र दिया था, जो स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी ने मुझे लिखित उत्तर दिया कि चार जगहों में, ग्रामीण स्तर में जहां बाजार हैं वहां पर कोई बैंक नहीं है, उन चार स्थानों के बजाय कहा कि बनकटा बाजार में इलाहाबाद बैंक की शाखा स्थापित कर दी जायेगी। इस बात को दो वर्ष हो गये हैं, लेकिन आज की तारीख तक इलाहाबाद बैंक की शाखा वहां स्थापित नहीं हुई है।

दूसरा, मेहरोना एक घाट है जहां अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा कस्बा है। वहां करीब 15 किलोमीटर तक कोई बैंक नहीं है। मैं इस बारे में मंत्री जी को लगातार चिट्ठी लिखता रहा हूं। मैंने उनसे मिलकर भी कहा और यहां पर भी सवाल उठाया। लेकिन उसके बावजूद भी मेहरोना बैंक से वंचित है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग कहना चाहता हूं कि बनकटा बाजार में इलाहाबाद बैंक की शाखा खोलने का प्रश्न, जो इस सदन में नियम 377 के तहत उठाया गया था, उस पर लिखित आदेश देने के बाद आज तक नहीं खुला। हमारी मांग है कि इस पर कार्रवाई करके बैंक की शाखा खोलने का काम किया जाये। दूसरा, मेहरोना घाट जो अल्पसंख्यकों का बाजार है, वह भी बैंक से वंचित है। वहां भी किसी व्यावसायिक बैंक की स्थापना की जाये।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, देश में भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह व्याप्त हो रहा है। कार्यपालिका हो, विधायिका हो अथवा न्यायपालिका हो, समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि हमारे यहां केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सैंट्रल विजिलेंस कमीशन), सीबीआई, पब्लिक ग्रीवैंसेज एंड पेंशन विभाग, आईपीसी और न्यायालय आदि विभिन्न एजेंसियां और प्राधिकरण हैं, परन्तु वे आंशिक क्षेत्र में अथवा किसी विभाग या

[प्रो. रासा सिंह रावत]

मंत्रालय के अधीन हैं, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में असमर्थ रहे हैं, प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं।

देश में एक ऐसे निकाय की आवश्यकता है, जो उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके। यह निकाय सस्ता हो, प्रभावी हो और जिसमें मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री का कार्यालय, सांसद, अधिकारी, न्यायाधीश अथवा बड़े से बड़े अधिकारी हों, साधारण और स्वतंत्र हो, तेज गति से कार्य करने वाली भी हो और न्याय की पूरी योग्यता रखती हो।

सायं 7.00 बजे

उसकी खुद की अन्वेषण एजेंसी हो। अन्य विकसित देशों की तरह हमारे देश में भी लोकपाल की नियुक्ति की बात सोची गयी थी। इसके लिए वर्ष 1969 में पहली बार लोक सभा में बिल लाया गया और बिल लोकसभा में बहस के साथ पारित भी हो गया, लेकिन आज 39 साल हो गए, आठ बार यह बिल पार्लियामेंट में पेश हो गया, लेकिन वह लोक सभा में ऐसे समय पेश होता था, जब लोक सभा भंग होने वाली हो या कभी वह लोक सभा से पारित होने के बाद राज्य सभा में पारित नहीं हो पाता था। कभी इधर पारित हो गया तो उधर रह गया।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, चाहे मंत्री हो या अन्य बड़े अधिकारी, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, सभी को इसकी सीमा में लाना चाहिए। इसके लिए लोकपाल बिल शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाए, उसे पारित कराया जाए और लोकपाल की नियुक्ति करके उसे कार्यान्वित किया जाए तभी हमारा सार्वजनिक जीवन पवित्र हो सकेगा। आजकल रोज कभी किसी का नाम, कभी किसी अन्य का नाम लिया जाता है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए लोकपाल बिल को हम सभी सांसद और मंत्री इस पर सोचें, आत्मालोचन करें, आत्मनिरीक्षण करें कि इसके डिले के लिए कौन जिम्मेदार है।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केरल का कोल्लम जिला राष्ट्र के काजू उद्योग की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि राष्ट्र का काजू प्रसंस्करण उद्योग इस जिले और इसके आसपास के जिले, अलाप्पुझा पठानामथिट्टा और तिरूवनंतपुरम में केन्द्रित हैं। कोल्लम के काजू प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े मजदूरों का उनकी दक्षता के लिए भारत में इस उद्योग की शुरूआत के समय से ही गुणगान किया जाता है और यही कारण है कि कोल्लम में उत्पादित काजू को विश्व बाजार में माना जाता है।

कोल्लम से 50,000 मीट्रिक टन से अधिक मात्रा में काजू का निर्यात किया जाता है और इस प्रकार यह जिला प्रतिवर्ष 1500 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। कोल्लम के काजू उद्योग में सीधे निर्यातक बड़े विनिर्माता, लघु प्रसंस्करण तथा कोल्लम की करीब 500 फैक्ट्रियों में दो लाख से अधिक श्रमिक हैं। यदि पर्याप्त साझा सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाएं, कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए और बाजार सुविधाएं मुहैया करायी जाएं तो काजू प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास की संभावना काफी अधिक है। भारत सरकार काजू उद्योग के विकास हेतु विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित करती हैं। हाल ही में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कोल्लम को 'टाउन आफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस फार कैश्यू' का दर्जा दिया है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत काजू और कोकोआ विकास निदेशालय सरकार की काजू विकास योजनाओं की देखरेख करता है।

इस प्रकार यह काफी प्रशंसनीय कार्य होगा यदि सरकार काजू उद्योग के विकास हेतु एक अलग निदेशालय अथवा एजेन्सी की स्थापना करती है जिसका मुख्यालय कोल्लम में हो। इससे काजू उद्योग और अनुषंगी क्रियाकलापों यथा काजू पौधरोपण और काजू उत्पादों के मूल्य संवर्धन कार्य को बढ़ावा मिलेगा।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि पिछले 15 वर्षों से देश में प्रत्येक दिन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की औसतन एक ग्रामीण शाखा बंद हो रही है। इसी अवधि के दौरान, प्रति दिन एक से अधिक शाखा खोले जाने की रफ्तार से बड़े शहरों में बैंक शाखाओं की संख्या दुगुनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था (2006-07) पर दिए गए आंकड़ों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1993-2007 के दौरान 4,750 शाखाएं बंद की गयी जबकि इसी अवधि के दौरान बड़े शहरों में बैंक शाखाओं की संख्या 5,753 से बढ़कर 11,826 हो गयी।

ग्रामीण बैंकों को बंद किया जाना सरकार के इस दावे की कमी भी पुष्टि नहीं करेगा कि ग्रामीण ऋण में काफी बढ़ोत्तरी हुई है और इसे और बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। बैंक की संख्या में इतनी तेजी से आ रही गिरावट के कारण और अधिक किसानों को कर्जदाताओं की ओर उन्मुख होने के लिए विवश होना पड़ा है। यह बहस करना निरर्थक होगा कि शाखाओं

को बंद नहीं किया गया है बल्कि इनका समेकन अथवा विलय किया गया है अथवा अनुगामी (सेटेलाइट) कार्यालय खोले गए हैं। यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि ग्रामीण किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और अधिक ए.टी.एम. खोले गए हैं। ए.टी.एम. शहरों में स्थित हैं और ए.टी.एम. पर ऋण नहीं दिए जाते हैं। यदि सरकार का इरादा संस्थागत ऋण प्राप्त करने में किसानों की मदद करने का है तो ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां कुल जनसंख्या के 72 प्रतिशत लोग निवास करते हैं, और अधिक बैंक शाखाएं खोली जानी चाहिए। यह याद करना जरूरी है कि 1970 के दशक के दौरान लगभग सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विभाग शाखाएं हुआ करती थी जिनके माध्यम से वे 4 प्रतिशत के आंतरिक ब्याज दर पर कृषि प्रयोजन, पशुपालन और भूमि विकास हेतु किसानों को ऋण दिया करते थे। राष्ट्रीयकृत बैंक को भी पहले की भांति किसानों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे किसानों की सहायता हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं बढ़ाएं।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. शफीकुर्रहमान बर्क, यद्यपि कि यह राज्य का मामला है, मैं एक मिनट के लिए इसे उठाने की अनुमति देता हूं। किन्तु इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अभी 20 दिन पहले उत्तर प्रदेश में थाना कांदला में एक डाक्टर मेहरुद्दीन खान जो सीनियर पत्रकार हैं, उन्हें ड्रामाई अंदाज में झूठा केस बनाकर जेल भेज दिया गया। उनके लड़के शाकिर को भी जेल भेज दिया गया। इस घटना की मीडिया ने मजम्मत की है और प्रेस कौंसिल आफ इंडिया ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में नोटिस दिया है। लिहाजा मैं इस बात की मांग करता हूं कि डाक्टर मेहरुद्दीन खां की घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए और उन्हें इन्साफ दिलाया जाए।

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (مراد آباد): محترم جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی 20 دن پہلے اتر پردیش میں تھانہ کاندلہ میں ایک ڈاکٹر مہرالدین خان جو سینئر پترکار ہیں، انہیں ڈرامائی انداز میں جھوٹا کیس بنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ ان کے لڑکے شاکر کو بھی جیل بھیج دیا گیا۔ اس گھٹنا کی میڈیا نے مذمت کی ہے، اور پریس کاؤنسل آف انڈیا نے بھی اتر پردیش سرکار کو اس بارے میں نوٹس دیا ہے۔ لہٰذا میں اس بات کی مانگ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر مہرالدین خان کی گھٹنا کی جانچ سی۔بی۔آئی۔ سے کرائی جائے اور انہیں انصاف دلایا جائے۔

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा बुधवार, 30 अप्रैल, 2008 पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 30 अप्रैल, 2008/10 वैशाख, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री रामदास आठवले	501
2.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	502
3.	श्री सुग्रीव सिंह श्री नन्द कुमार साय	503
4.	श्री अधीर चौधरी श्री एस.के. खारवेनथन	504
5.	श्री बापू हरि चौरे श्री भर्तृहरि महताब	505
6.	श्री रेवती रमन सिंह	607
7.	श्री सुखदेव सिंह ढींडसा सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा	507
8.	श्री के.एस. राव	508
9.	श्री हरिभाऊ राठौड़	509
10.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	510
11.	श्री किसनभाई वी. पटेल	511
12.	श्री सुभाष महरिया श्री महावीर भगोरा	512
13.	श्री चंद्रकांत खैरे	513
14.	श्री अशोक अर्गल श्री रसीद मसूद	514
15.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	515
16.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा श्री संतोष गंगवार	516
17.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' श्री असादुद्दीन ओवेसी	517
18.	श्री अबु अयीश मंडल	518
19.	श्री रायापति सांबासिवा राव	519
20.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	520

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	5022
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	4955
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	4956
4.	अजय कुमार, श्री एस.	5008
5.	आठवले, श्री रामदास	5035, 5075, 5094, 5102
6.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	5032, 5071, 5093, 5104
7.	बर्मन, श्री हितेन	4963, 5060
8.	बर्मन, श्री रनेन	4958, 5015, 5053, 5080
9.	भगोरा, श्री महावीर	5028, 5073, 5120
10.	भक्त, श्री मनोरंजन	5002, 5051
11.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	4967
12.	बोस, श्री सुब्रत	4963, 5019, 5064
13.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	4982, 5038
14.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	4991, 5048
15.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	5101
16.	चक्रवर्ती, श्री अजय	5014
17.	चन्द्र कुमार, प्रो.	5055
18.	चौरे, श्री बापू हरी	5115
19.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4981, 4985, 5056, 5058
20.	चिन्ता मोहन, डा.	4998, 5043, 5047, 5109

1	2	3
21.	चौधरी, श्री पंकज	5013
22.	धनराजू, डा. के.	4989
23.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	5042
24.	धोत्रे, श्री संजय	5036
25.	गढ़वी, श्री पी.एस.	5018, 5063, 5087, 5098
26.	गंगवार, श्री संतोष	5118
27.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	5036, 5088
28.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	4986
29.	हसन, चौ. मुनव्वर	4976
30.	जगन्नाथ, डा. एम.	5017
31.	जयाप्रदा, श्रीमती	4993
32.	जिन्दल, श्री नवीन	4970, 5008, 5031, 5072
33.	जोगी, श्री अजीत	5004
34.	खारवेनथन, श्री एस.के.	4969, 5030, 5070, 5092
35.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4971, 5109
36.	कृष्ण, श्री विजय	4979, 5037, 5085, 5106
37.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	5000
38.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	5005, 5055
39.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	5043, 5109
40.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	5042
41.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	5024
42.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	5020, 5117
43.	महरिया, श्री सुभाष	4994, 5025
44.	महतो, श्री नरहरि	5015

1	2	3
45.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	5006
46.	महताब, श्री भर्तृहरि	5116
47.	माझी, श्री परसुराम	4957
48.	मनोज, डा. के.एस.	5023
49.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	5108, 5113
50.	मिडियन, डा. बाबू राव	4959, 5026
51.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	5011
52.	मिश्रा, डा. राजेश	4974
53.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	4960
54.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	5021
55.	मंडल, श्री अबु अयीश	5044
56.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4996
57.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	5007
58.	निहाल चन्द, श्री	4994
59.	निखिल कुमार, श्री	4993, 5016, 5054
60.	ओराम, श्री जुएल	5047, 5110
61.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	5010, 5118
62.	पाण्डा, श्री प्रबोध	4997, 5046
63.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	4983, 5043
64.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4972, 5054
65.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	4978, 5050, 5059
66.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	5067, 5076, 5095, 5103
67.	पटैरिया, श्रीमती नीता	4964, 5041, 5043
68.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	5009

1	2	3
69.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	4999
70.	पिंगले, श्री देविदास	4999
71.	प्रभु श्री सुरेश प्रभाकर	4988, 5057, 5083, 5097, 5105
72.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4984, 5059, 5062, 5079
73.	प्रसाद, श्री लालमणि	4957
74.	राजगोपाल, श्री एल.	5001, 5049, 5122
75.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	4966
76.	रामदास, प्रो. एम.	4995
77.	राणा, श्री काशीराम	5010, 5081
78.	राव, श्री के.एस.	5027, 5069
79.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	5045, 5078
80.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	4973, 5033, 5082, 5104
81.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	5034, 5074, 5096, 5122
82.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4962
83.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4992
84.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4980, 4984, 5010, 5050, 5062
85.	रिजीजू, श्री कीरेन	4983
86.	साय, श्री नन्द कुमार	5066, 5067, 5076, 5095
87.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4987, 5061, 5086
88.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	5099
89.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	5111
90.	सत्पथी, श्री तथागत	4968, 5112
91.	शर्मा, श्री मदन लाल	4995

1	2	3
92.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	5022, 5023
93.	शिवन्ना, श्री एम.	5020, 5117
94.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4995
95.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	4964
96.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	5038
97.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4981, 5056, 5081
98.	सिंह श्री चन्द्रभान	4990
99.	सिंह, श्री दुष्यंत	4999, 5114
100.	सिंह, श्री गणेश	5107
101.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4977, 5065, 5089, 5100
102.	सिंह, श्री रेवती रमन	5039, 5077
103.	सिंह, श्री सुग्रीव	5040, 5076, 5095, 5103
104.	सिंह, श्री सूरज	4998
105.	सिंह, श्री उदय	5003, 5052
106.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	4965, 5029, 5068, 5091, 5121
107.	सुगावनम, श्री ई.जी.	4961
108.	सुमन, श्री रामजीलाल	5047, 5109
109.	थामस, श्री पी.सी.	4975
110.	तुम्मर, श्री वी.के.	4978, 4985, 5059
111.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	5066, 5090, 5119
112.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	4980, 5058, 5084
113.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	5022
114.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	5054
115.	जावमा, श्री वनलाल	5012

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	502, 508, 510, 515
पृथ्वी विज्ञान	:	518
गृह	:	501, 507, 511, 514, 520
मानव संसाधन विकास	:	503, 504, 505, 509, 512, 516, 517
सूचना और प्रसारण	:	506, 513, 519
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	
खान	:	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	4955, 4961, 4962, 4966, 4969, 4972, 4973, 4983, 4986, 4989, 4992, 4998, 4999, 5000, 5002, 5009, 5019, 5020, 5021, 5029, 5031, 5041, 5046, 5049, 5053, 5059, 5061, 5065, 5070, 5071, 5074, 5080, 5084, 5091, 5093, 5099, 5103, 5107, 5109, 5111, 5117, 5118, 5120, 5123
पृथ्वी विज्ञान	:	4956, 4987, 5037, 5040, 5087, 5110, 5112, 5114, 5119
गृह	:	4957, 4960, 4963, 4964, 4968, 4975, 4976, 4978, 4982, 4993, 4994, 4996, 4997, 5003, 5011, 5012, 5013, 5016, 5030, 5039, 5042, 5043, 5048, 5052, 5054, 5057, 5058, 5063, 5068, 5075, 5079, 5081, 5083, 5089, 5090, 5094, 5097, 5101, 5104, 5108, 5113
मानव संसाधन विकास	:	4965, 4971, 4977, 4979, 4980, 4981, 4985, 4990, 4991, 5001, 5005, 5007, 5010, 5022, 5023, 5024, 5025, 5027, 5032, 5033, 5035, 5045, 5050, 5055, 5056, 5062, 5067, 5069, 5073, 5076, 5078, 5082, 5085, 5086, 5096, 5099, 5102, 5106
सूचना और प्रसारण	:	4967, 4970, 4974, 4984, 4988, 5006, 5014, 5018, 5036, 5038, 5044, 5051, 5077, 5088
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	5004, 4017, 5028, 5066, 5072, 5104, 5115, 5116
खान	:	4958, 5008, 5015, 5047, 5060, 5064, 5092, 5095
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	4959, 5026, 5034, 5098, 5100, 5121.

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

दिनांक 29 अप्रैल, 2008 का शुद्धिपत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
446	18	परिस्थितियों	कतिपय परिस्थितियों
470	नीचे से 2	अध्यक्ष महोदय	उपाध्यक्ष महोदय
487	14 और 19	अध्यक्ष महोदय	सभापति महोदय

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिह्नयुक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस.-48/34/26/2008/(एन०)
232

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मै. धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।